

01_ .pdf

02_ .pdf

03_ .pdf

04_ .pdf

05_ .pdf

06_ .pdf

07_ .pdf

08_ .pdf

09_ .pdf

10_ .pdf

11_, .pdf

12_ .pdf

13_ .pdf

14_ .pdf

अध्याय 1

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले दो वर्षों में देखी गई सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के 5 प्रतिशत से कम की वृद्धि दर पर वर्ष 2014-15 में विजय हासिल करने के लिए तैयार बैठी है। पिछले दो वर्षों में विकास में आई मंदी व्यापक आधार वाली थी जिसने विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित किया। इस अवधि में मुद्रास्फीति में भी कमी आई, लेकिन फिर भी वह संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंची जिसकी वजह खाद्य मुद्रास्फीति का अधिक होना था। फिर भी, बृहत् आर्थिक स्थिरीकरण के मोर्चे पर हुआ घटनाक्रम, विशेषकर बाह्य आर्थिक स्थिति में हुआ जबरदस्त सुधार, जब चालू खाता घाटा (कैड) दो वर्षों के बेहद चिन्तनीय स्तर के बाद गिरकर 2013-14 में नियंत्रणीय स्तर पर आ पहुंचा, एक सकारात्मक विशेषता थी। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में केन्द्र के राजकोषीय घाटे में भी घोषित किए गए मध्यावधि नीतिगत दृष्टिकोण के अनुरूप लगातार दो वर्ष तक कमी हुई। यही स्थिति और बेहतर कल की उम्मीद को दर्शाते हुए वित्तीय बाजारों में उछाल आया है। मुद्रास्फीति कम होने से मौद्रिक नीति के रुख में नरमी आएगी और निवेशकों का आत्मविश्वास जागेगा तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में साधारण सुधार होने की संभावना के चलते, जो विशेषकर कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में हुए बेहतर निष्पादन के कारण होगा, हमारी अर्थव्यवस्था 2014-15 और उससे आगे भी बेहतर विकास संभावनाओं की उम्मीद कर सकती है।

1.2 2005-06 और 2007-08 के बीच लगातार तीन वर्षों तक 9 प्रतिशत से अधिक की अभूतपूर्व विकास दर प्राप्त करने और 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट से तेजी से उबरने के पश्चात्, आज भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है जिसकी परिणति लगातार दो वर्षों तक अर्थात् 2012-13 और 2013-14 में स्थिर कीमतों पर उपादान लागत पर स.घ.उ. की विकास दर के 5 प्रतिशत से नीचे पहुंचने के रूप में हुई। पूर्व में लगातार दो वर्षों तक 5 प्रतिशत से कम की स.घ.उ. विकास दर, अंतिम बार 25 वर्ष पहले 1986-87 और 1987-88 में देखी गई थी।

घरेलू संरचनागत और बाहरी कारकों के कारण आर्थिक विकास में मंदी आई है। 25 वर्षों में पहली बार 5 प्रतिशत से कम की विकास दर लगातार दो वर्षों तक देखी गई।



चित्र 1.1 : वास्तविक स.घ.उ. में वृद्धि (प्रतिशत)

सारणी 0.1 : मुख्य संकेतक

आंकड़ा श्रेणियां	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1. स.घ.उ. और संबंधित संकेतक						
स.घ.उ. (वर्तमान बाजार मूल्य)	₹ करोड़	6477827	7784115	9009722 ² सं.	10113281 ¹ सं.	11355073अ.अ.
वृद्धि दर	%	15.1	20.2	15.7	12.2	12.3
स.घ.उ. (घटक लागत 2004-05 के मूल्य पर)	₹ करोड़	4516071	4918533	5247530 ² सं.	5482111 ¹ सं.	5741791अ.अ.
वृद्धि दर	%	8.6	8.9	6.7	4.5	4.7
बचत दर	स.घ.उ. का %	33.7	33.7	31.3	30.1	अनु.
पूंजी निर्माण (दर)	स.घ.उ. का %	36.5	36.5	35.5	34.8	अनु.
प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (मौजूदा कीमतों पर उपादान लागत)	₹	46249	54021	61855	67839	74380
2. उत्पादन						
खाद्यान्न	मिलियन टन	218.1	244.5	259.3	257.1	264.4क
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ^ख (वृद्धि)	%	5.3	8.2	2.9	1.1	-0.1
विद्युत उत्पादन (वृद्धि)	%	6.1	5.5	8.2	4.0	6.1
3. कीमतें						
मुद्रास्फीति (थो.मू.सू.) (औसत)	%	3.8	9.6	8.9	7.4	6.0
मुद्रास्फीति सीपीआई (आई डब्ल्यू) (औसत)	%	12.4	10.4	8.4	10.4	9.7
4. वैदेशिक क्षेत्र						
निर्यात वृद्धि (अमरीकी डालर)	% प्रतिशत	-3.5	40.5	21.8	-1.8	4.1
आयात वृद्धि (अमरीकी डालर)	% प्रतिशत	-5.0	28.2	32.3	0.3	-8.3
चालू खाता घाटा (सीएडी)/स.घ.उ.	%	-2.8	-2.8	-4.2	-4.7	-1.7
विदेशी मुद्रा भण्डार ^ग	बिलियन अमरीकी डालर	279.1	304.8	294.4	292.0	304.2
औसत विनिमय दर ^घ	₹/अमरीकी डालर	47.44	45.56	47.92	54.41	60.5
5. मुद्रा तथा ऋण						
स्थूल मुद्रा (एम 3) (वार्षिक)	% परिवर्तन	16.9	16.1	13.2	13.6	13.3
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण	% परिवर्तन	16.9	21.5	17	14.1	13.9
6. राजकोषीय संकेतक (केन्द्र)						
सकल राजकोषीय घाटा	स.घ.उ. का %	6.5	4.8	5.7	4.9	4.5ड
राजस्व घाटा	स.घ.उ. का %	5.2	3.2	4.4	3.6	3.2ड
प्राथमिक घाटा	स.घ.उ. का %	3.2	1.8	2.7	1.8	1.2ड
7. जनसंख्या	मिलियन	अनु.	1210च	अनु.	अनु.	अनु.

प्र.सं.अ. 1 संशोधित अनुमान; द्वि.सं.अ. 2 संशोधित अनुमान अ.अ. अनंतिम अनुमान

उ.न. उपलब्ध नहीं

क तृतीय अग्रिम अनुमान

ख औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष (2004-05 = 100) पर 2005-06 से संशोधित किए गए हैं।

ग मार्चति

घ औसत विनिमय दर (आरबीआई संदर्भ दर)

ड 2013-14 के लिए राजकोषीय संकेतक वास्तविक अनंतिम आंकड़ों पर आधारित है।

च जनगणना 2011

(चित्र 1.1)। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सामान्य गिरावट और यूरो क्षेत्र में व्याप्त संकटों से उत्पन्न वैश्विक संभावनाओं में बनी निरंतर अनिश्चितता के साथ-साथ घरेलू संरचनागत रुकावटों और स्फीतिकारी दबावों के कारण, मंदी की स्थिति लंबे समय तक रही। यह गिरावट मौटे तौर पर, अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त प्रवृत्तियों के अनुरूप है, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक गहन है। भारत की विकास दर 2004-05 से 2011-12 के दौरान के 8.3 प्रतिशत वार्षिक की औसत से गिरकर 2012-13 और 2013-14 में 4.6 प्रतिशत की औसत पर पहुंच गई। इस अवधि में (कैलेण्डर-वर्ष आधार पर) चीन सहित उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में औसत विकास दर 6.8 प्रतिशत से गिरकर 4.9 प्रतिशत रह गई। जो बात मुख्यतः चिंताजनक है, वह है-विनिर्माण विकास में गिरावट जो 2012-13 और 2013-14 में औसतन 0.2 प्रतिशत वार्षिक है।

1.3 मुद्रास्फीति विकास दर में गिरावट के अतिरिक्त, लगातार अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी करती रही। यद्यपि औसत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति 2011-12 के 8.9 प्रतिशत और 2012-13 के 7.4 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 2013-14 में 6.0 प्रतिशत तक हो गई, फिर भी यह संतोषजनक स्तर पर नहीं है। इसके अलावा, खाद्य वस्तुओं में डब्ल्यूपीआई जो 2013-14 को समाप्त हो रहे पांच वर्षों में औसतन 12.2 प्रतिशत वार्षिक रही, खाद्य-भिन्न मुद्रास्फीति की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। सौभाग्यवश, मुद्रास्फीति का वृद्धिकारी रुख जिसने विकास, बचतों, निवेश और खपत की गिरावट में भूमिका अदा की, अब धीमा हो गया प्रतीत हो रहा है।

1.4 वैदेशिक क्षेत्र में 2013-14 की पहली तिमाही के बाद उल्लेखनीय सुधार देखा गया और 2012-13 के 4.7 प्रतिशत के मुकाबले इस वर्ष की समाप्ति पर चालू खाता घाटा (सीएडी) स.घ.उ. का 1.7 प्रतिशत रहा। 28 अगस्त 2013 को रुपया एक अमरीकी डालर के मुकाबले तेजी से गिरकर 68.36 रुपये हो जाने के पश्चात्, जिसका कारण संयुक्त राज्य अमरीका में नकदी की मात्रात्मक सुलभता में संभावित कमी लाना था, रुपया धीरे-धीरे मजबूत हुआ और सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गये उपायों के चलते, मार्च 2014 में वर्षान्त पर औसत विनिमय पर प्रति अमरीकी डालर 61 रुपये थी। विदेशी मुद्रा भंडार सितम्बर 2013 के आरंभ में 275 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से लगभग 40 बिलियन अमरीकी डालर बढ़कर 20 जून, 2014 को 314.9 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। विदेशी मोर्चे पर हुए इन घटनाक्रमों से कुछ आशा जागृत हुई कि भारतीय अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमरीका में नकदी की मात्रात्मक सुलभता सहित वैश्विक नीति की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बेहतर रूप से तैयार है राजकोषीय पक्ष पर भी सुधार देखा गया है, जहां राजकोषीय घाटा 2011-12 के स.घ.उ. के 5.7 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 4.9 प्रतिशत और 2013-14 में 4.5 प्रतिशत हो गया। यह सुधार ज्यादातर वृद्धित राजस्व के बजाए व्यय में कटौती करके आया। फिर भी, राजकोषीय और चालू खाता घाटों में हुए सुधार बृहत आर्थिक स्थिरीकरण के लिए शुभ लक्षण हैं।

1.5 दोनों घाटों के मोर्चों पर हुआ सुधार निश्चित रूप से 2014-15 में उच्च विकास पर असर डालेगा, लेकिन इस सुधार की रफ्तार धीमी रह सकती है। 2012-13 की अंतिम दो तिमाहियों (ति 3 और ति 4) के दौरान 4.4 प्रतिशत का कम स्तर हासिल करने के पश्चात्, विकास दर बढ़कर 2013-14 की पहली तिमाही में 4.7 प्रतिशत तक और इसके बाद 2013-14 की दूसरी तिमाही में 5.2 तक पहुंच गई, और गिरकर अगली दो तिमाहियों में 4.6 प्रतिशत रह गई। यह तथ्य कि ऐसा वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे धीमे पुनरुद्धार के बावजूद हुआ, उन घरेलू संरचनागत रुकावटों के निवारण के महत्व को दर्शाता है जिन्होंने उतार-चढ़ाव वाले और धीमे पुनरुद्धार को उत्पन्न किया है (बॉक्स 1.1)।

मुद्रास्फीति कम हो गई है लेकिन अभी भी संतोषजनक स्तर पर नहीं पहुंची है।

राजकोषीय मोर्चे और चालू खाता घाटे में सुधार दिखाई दे रहे हैं।

विकास में तेजी के आरंभिक संकेतों का बने रहना संरचनागत अड़चनों को दूर करने पर निर्भर करता है।

बॉक्स 1.1 : संरचनागत रुकावटें क्या हैं?

भारत में वर्तमान आर्थिक गिरावट पर घरेलू संरचनागत घटकों के प्रभाव को अक्सर भारत में मांग की स्थितियों और दीर्घावधि वृद्धिकारी पूंजी परिणाम अनुपात को ध्यान में रखते हुए, स.घ.उ. के 30 प्रतिशत के लगभग नियत निवेश की दर और 5 प्रतिशत से कम की विकास दर के बीच ताल-मेल न होने के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। ऐसी समय श्रृंखला तकनीकों, जिनमें मंदी को संरचनागत और आवृत्ति घटकों के रूप में विनियोजित करने की कोशिश की गई है, के प्रयोग से दोनों की उपस्थिति को स्वीकृत किया गया है, हालांकि अनुपातों का आबंटन भिन्न है (चिनॉय एंड अजीज [2013]; आईएमएफ, डब्ल्यूईओ [2014]; मिश्रा [2013], अन्य)। संरचनागत रुकावटों का बड़ा प्रभाव निवेश दर में समनुरूप बड़ी गिरावट हुए बिना 5 प्रतिशत से कम की विकास दर का एक कारण है।

ये संरचनागत रुकावटें क्या हैं? इन अध्ययनों द्वारा यथाइंगित उनमें से कुछ प्रमुख रुकावटें निम्नवत् हैं:

- परियोजना प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने में आने वाली कठिनाइयों ने व्यापार करने की सुगमता को प्रभावित किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि परियोजनाओं में लंबी देरी हुई है और सम्पूर्ण निवेश अपर्याप्त रहे हैं।
- दोषपूर्ण लक्षित सब्सिडियों ने सरकारी निवेश के लिए राजकोषीय गुंजाइश को संकुचित और संसाधनों के आबंटन को विकृत किया है।
- छोटा विनिर्माण आधार, विशेषकर पूंजीगत वस्तुओं का, और विनिर्माण में कम मूल्य वर्धन। विनिर्माण विकास और निर्यातों को सरलीकृत प्रक्रियाओं, आसान ऋण और कम लेन-देन लागत के जरिये सुसाध्य बनाया जा सकता है।
- बड़े अनियमित क्षेत्र की उपस्थिति और नियमित क्षेत्र में अपर्याप्त श्रम समावेशन। अपेक्षित कौशल का अभाव एक महत्वपूर्ण कारण समझा जाता है।
- सुदृढ़ कृषि विकास के बिना उच्च अर्थिक विकास बनाए रखना कठिन है। कृषि में व्याप्त कम उत्पादकता इसमें रुकावट डाल रही है।
- सतत उच्च खाद्य मुद्रास्फीति उत्पन्न करने वाले संरचनागत घटकों पर काबू पाने की आवश्यकता है। विपणन के विभिन्न स्तरों में मध्यवर्ती संस्थाओं की अत्यधिक उपस्थिति, भण्डारण और प्रसंस्करण अवसंरचना की कमी, कृषि उत्पाद की अंतर-राज्य आवाजाही आदि से जुड़े मुद्दों को हल करने की जरूरत है।

संदर्भ

1. चिनॉय, साजिद ज़ेद और जहांगीर अजीज (2013), 'वाय इज इंडियाज ग्रोथ एट ए 10-इयर लो? www.jpmmorganmarkets.com पर उपलब्ध है।
2. मिश्रा, प्राची (2013), 'हैज इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विदरड?' इकनॉमिक एंड पोलिटिकल लीकली, वाल्यूम XLVIII (15)।
3. इंटरनेशनल मॉनिटरी फण्ड (आईएमएफ) (2014), वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ)

क्षेत्रीय विकास की प्रवृत्तियां

1.6 अनुकूल मानसून की सहायता से, कृषि और सहबद्ध क्षेत्र ने दीर्घावधि से चली आ रही लगभग 3 प्रतिशत की औसत (1999-2000 और 2012-13 के बीच) 2013-14 में 4.7 प्रतिशत की विकास दर हासिल की (सारणी 1.1)। तथापि, अन्य

अनुकूल मानसून कृषि विकास और विद्युत उत्पादन में सहायक रहा। औद्योगिक मंदी बरकरार रही।

क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (2स)	2012-13 (1स)	2013-14 (अ.अ.)
कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी	5.8	0.1	0.8	8.6	5.0	1.4	4.7
खनन तथा उत्खनन	3.7	2.1	5.9	6.5	0.1	-2.2	-1.4
विनिर्माण	10.3	4.3	11.3	8.9	7.4	1.1	-0.7
बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	8.3	4.6	6.2	5.3	8.4	2.3	5.9
निर्माण	10.8	5.3	6.7	5.7	10.8	1.1	1.6
व्यापार, होटल, परिवहन, तथा संचार	10.9	7.5	10.4	12.2	4.3	5.1	3.0
वित्त पोषण, बीमा, स्थावर संपदा तथा व्यवसाय सेवाएं	12.0	12.0	9.7	10.0	11.3	10.9	12.9
समुदाय, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	6.9	12.5	11.7	4.2	4.9	5.3	5.6
घटक लागत पर कुल स.घ.उ.	9.3	6.7	8.6	8.9	6.7	4.5	4.7

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी: 1स: प्रथम संशोधित अनुमान, 2स: द्वितीय संशोधित अनुमान, अ.अ.: अंतिम अनुमान।

सारणी 1.1 : (2004-2005) स्थिर कीमतों पर उत्पादन लागत पर स.घ.उ. वृद्धि (प्रतिशत)

कुछ क्षेत्रों में, यह गिरावट अधिक सुस्पष्ट और सामान्य से अधिक रही। खनन और उत्खनन गतिविधियों में 2011-12 से कमी आई है। खनन, कोयला और कच्चे पेट्रोलियम के दो प्रमुख घटक पिछले तीन-चार वर्षों से गतिहीन हैं। 2006-07 से 2009-10 की चार-वर्षीय अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में 7.1 प्रतिशत की औसत वृद्धि के पश्चात्, इसकी विकास दर 2013-14 में समाप्त होने वाले चार वर्षों के दौरान गिरकर 1.6 प्रतिशत रह गई। कोयला उत्पादन में गिरावट आंशिक रूप से विनियामक मुद्दों के चलते रही। कच्चे पेट्रोलियम की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 2004-05 से 2013-14 के दौरान 1.2 प्रतिशत थी। चूंकि कोयला और पेट्रोलियम वैश्विक मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, उनके अपर्याप्त उत्पादन ने अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

1.7 विनिर्माण क्षेत्र के लिए पिछले दो वर्ष विशेष रूप से निराशाजनक रहे जब वृद्धि दर औसतन 0.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आंकड़ों के अनुसार, यह गिरावट बहुत व्यापक रही है। बुनियादी वस्तुओं की विकास दर में गिरावट 2013-14 में लगातार तीसरे वर्ष में भी बनी रही। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में भी 2011-12 से शुरुआत करते हुए तीसरे वर्ष भी गिरावट जारी रही। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 2013-14 में 12.2 प्रतिशत का संकुचन पाया गया। केवल मध्यवर्ती और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 2012-13 की तुलना में

बॉक्स 1.2 : रोजगार में व्याप्त रुझान

हालिया वर्षों में रोजगार-वृद्धि में हुई गिरावट चिन्ता का बड़ा सबब रहा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, श्रमिक दल में व्यक्तियों की संख्या (सामान्य स्थिति) 1999-2000 के 398 मिलियन से बढ़कर 2004-05 में 458 मिलियन हो गई जो पांच वर्षों में 15 प्रतिशत अथवा लगभग 60 मिलियन (कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में लगभग समान रूप से विभाजित) की वृद्धि है। यह संख्या और बढ़कर 2011-12 में 473 मिलियन हो गई जो सात वर्षों की अवधि में 15 मिलियन अथवा 3.3 प्रतिशत की वृद्धि बैठती है।

2004-05 और 2011-12 के बीच कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में श्रमिक दल में हुई गिरावट 36 मिलियन से अधिक थी। दूसरी तरफ, गैर-कृषि क्षेत्र में श्रमिक दल में व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 51 मिलियन हो गई जिसमें उद्योग और सेवाओं ने क्रमशः 31 मिलियन और 20 मिलियन का योगदान किया। नीचे सारणी में सामान्य मूल और अनुषंगी स्थिति (यूपीएसएस) के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा अथवा श्रमिक दल (कार्यरत) के क्षेत्रीय संयोजन को दर्शाया गया है।

कुल रोजगार में प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा (प्रतिशत)

	1999-2000	2004-05	2011-12
कृषि और सहबद्ध	59.9	58.5	48.9
उद्योग	16.4	18.2	24.3
सेवाएं	23.7	23.3	26.9

स्रोत: रंगराजन, सीमा और विबीश (2014)।

कृषि में रोजगार के हिस्से में हुई गिरावट अधिकतर देशों की विकास प्रक्रिया में देखी गई है। उद्योग में ही, रोजगार का अधिकांश 2004-05 और 2011-12 के बीच लगभग 25 मिलियन की वृद्धि के साथ निर्माण क्षेत्र में था। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में 6 मिलियन की वृद्धि हुई। 2004-05 और 2011-12 के बीच सेवा क्षेत्र में रोजगार में हुई लगभग 20 मिलियन की वृद्धि व्यापार, होटल और रेस्तरां क्षेत्र (4.7 मिलियन); परिवहन, भण्डारण और संचार (5.4 मिलियन); वित्तपोषण, भू-सम्पदा और व्यवसाय सेवाएं (5.3 मिलियन); और सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं (5 मिलियन) में कमोबेश एकसमान रूप से हुई। [रंगराजन, सीमा और विबीश (2014)]।

हालिया वर्षों में महिलाओं की श्रम दल और कार्य दल भागीदारी दर में भी गिरावट हुई है। अधिकतर विश्लेषकों ने, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में हुई तीव्र वृद्धि को ही इसकी वजह ठहराया है।

संदर्भ

रंगराजन सी०, सीमा और ई०एम० विबीश (2014), 'डेवलपमेंट्स इन दि वर्कफोर्स बिटवीन 2009-10 एंड 2011-12, इकनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली, वाल्यूम XLIX (23)।

2013-14 में उच्चतर विकास दर दिखाई दी। 2004-05 और 2011-12 के बीच लगभग दोहरे अंक की विकास दर के बाद निर्माण क्षेत्र (इस अवधि में वह रोजगार का मुख्य स्रोत था, जैसाकि बाक्स 1.2 में देखा जा सकता है) ने पिछले दो वर्षों में वह रफ्तार खो दी। पूंजीगत वस्तुओं में देखी गई प्रवृत्तियों को मिलाकर, निर्माण गतिविधियों में आई गिरावट मंद हो गई कारोबार संवेदनाओं को प्रदर्शित करती है।

1.8 पिछले दो वर्षों में विनिर्माण विकास संबंधित आंकड़ों की व्याख्या सावधानी से करनी चाहिए क्योंकि सीएसओ द्वारा इनमें संशोधन की संभावना बनी रहती है। विनिर्माण क्षेत्र में मूल्य वर्धन के प्रारम्भिक अनुमान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर आधारित होते हैं, जबकि दूसरे और तीसरे संशोधित अनुमान उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एसआई) के अधिक व्यापक आंकड़ों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार 2011-12 के विनिर्माण की विकास दर, पूर्ववर्ती अनुमानित 2.7 प्रतिशत से दूसरे संशोधित अनुमानों (जनवरी, 2014 में जारी) को संशोधित करके 7.4 प्रतिशत की गई थी। इसका कारण यह है कि 2011-12 के लिए एसआई के आंकड़े केवल 2013 के पूर्वार्द्ध में ही उपलब्ध हुए थे।

1.9 सेवाओं, मुख्य रूप से आंतरिक व्यापार, परिवहन और भण्डार क्षेत्रों में हुई गिरावट पण्य-उत्पादक क्षेत्रों में धन-प्रवाह की कमी के कारण थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में साधारण पुनरुत्थान संभवतः व्यवसाय सेवाओं के विकास में सहायक रहा 2013-14 में बैंक ऋण में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वित्तीय सेवाओं में उछाल को दर्शाता है।

1.10 विखंडित क्षेत्र-वार प्रवृत्तियों को स.घ.उ. में क्षेत्रीय हिस्से में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार बेहतर समझा जा सकता है, जैसाकि सारणी 1.2 में देखा जा सकता है। स.घ.उ. में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र का हिस्सा लगातार गिर रहा है। 1999-2000 और 2007-08 के बीच आठ वर्षों के दौरान, स.घ.उ. में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों के हिस्से में 6.4 प्रतिशतांक की गिरावट हुई, जबकि उद्योग और सेवाओं का हिस्सा क्रमशः 1.9 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत बढ़ गया।

क्षेत्र	1999-2000	2007-08	2012-13	2013-14(अ)
कृषि और सहबद्ध	23.2	16.8	13.9	13.9
उद्योग	26.8	28.7	27.3	26.1
खनन और उत्खनन	3.0	2.5	2.0	1.9
विनिर्माण	15.0	16.1	15.8	14.9
पंजीकृत विनिर्माण	9.2	10.7	11.2	उ.न.
अपंजीकृत विनिर्माण	5.8	5.4	4.5	उ.न.
सेवाएं	50.0	54.4	58.8	59.9
व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	21.2	25.9	26.9	26.4
वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यवसाय सेवाएं	14.5	16.1	19.1	20.6
समुदाय, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	14.4	12.4	12.8	12.9

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सीएसओ से परिकलित।

उ.न.-उपलब्ध नहीं

अ: अंतिम

टिप्पणी: उद्योग में बिजली, गैस और जलापूर्ति तथा निर्माण भी शामिल हैं जो सारणी में इंगित नहीं की गई हैं।

1.11 खनन और उत्खनन क्षेत्र में, पिछले कई वर्षों में स.घ.उ. हिस्से में लगातार गिरावट देखी गई जो व्यापक सुधारों के अभाव में उच्च विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने की अपनी असमर्थता इंगित करती है।

सारणी 1.2 : स.घ.उ. में क्षेत्रीय हिस्सा
(प्रतिशत)

1.12 विनिर्माण के मामले में, स.घ.उ. हिस्से में अधिकतर लाभ 2004-05 से 2007-08 के दौरान ऐसे समय पर हुआ जब कॉरपोरेट लाभों, बचतों और निवेश में सुदृढ़ विकास के साथ यह क्षेत्र 10 प्रतिशत से अधिक औसत वार्षिक दर पर विकास कर रहा था। पंजीकृत विनिर्माणों में गतिविधि भरपूर थी, जबकि अपंजीकृत विनिर्माणों का हिस्सा 2007-08 में समाप्त हो रहे चार वर्षों के दौरान अपरिवर्तित बना रहा। 2008-09 से 2012-13 के दौरान, पंजीकृत खंड के हिस्से में वृद्धि के बावजूद, विनिर्माण का हिस्सा कुल मिलाकर स्थिर रहा, क्योंकि अपंजीकृत निर्माण में केवल 3.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

1.13 सेवाओं का हिस्सा स.घ.उ. में लगातार वृद्धि कर रहा है, वह भी खासतौर पर 2004-05 से। लेकिन विस्तार की गति संतुलित नहीं थी। 2004-05 से सेवा क्षेत्र के विस्तार के प्रमुख प्रेरक संचार और बैंकिंग तथा बीमा थे इन क्षेत्रों की सुदृढ़ वृद्धि से ही मुख्यतः सेवा क्षेत्र का विस्तार 2010-11 के पश्चात भी हुआ। भू-सम्पदा और व्यवसाय सेवाओं के हिस्से को भी लाभ हुआ। ऐसी सेवाएं जिनमें मुख्य रूप से 2010-11 के पश्चात गतिहीनता/गिरावट आई, उनमें घरेलू कारोबार, होटल, और भण्डारण शामिल हैं। इन रोजगार-गहन क्षेत्रों की सतत् रफ्तार प्राप्त करने की असमर्थता, सेवा क्षेत्र में रोजगार में कम समनरूप वृद्धि का एक कारण हो सकती है।

1.14 कृषि और उद्योग में पर्याप्त रूप से उच्च विकास के अभाव के चलते, सेवाएं ऑटो-पायलेट प्रणाली पर सतत विकास को बनाए रखने में गम्भीर रूप से बाधाग्रस्त रहेंगी क्योंकि अधिकतर सेवाएं पण्य-उत्पादन क्षेत्रों, विशेषतः उद्योग के विकास पर निर्भर हैं (बॉक्स 1.3)।

सेवा क्षेत्र के विकास का पुनरुद्धार वस्तु उत्पादक क्षेत्रों के पुनरुद्धार पर आश्रित है। औद्योगिक पुनरुद्धार ही समग्र विकास की बहाली का आधार है।

बॉक्स 1.3 : अर्थव्यवस्था में आवक प्रवाह

अंतर-क्षेत्रीय संबंधों के अध्ययन का एक तरीका विभिन्न उद्योगों के बीच आवक प्रवाह के मैट्रिक्स की जांच करना है। निम्नलिखित सारणी सीएसओ द्वारा जारी नवीनतम उपलब्ध आवक-जावक सारणियों (2007-08) से तैयार की गई है। इसमें निहित सूचना यद्यपि थोड़ी सी पुरानी है, फिर भी अंतर-क्षेत्रीय संबंधों की स्थिति को इंगित करती है।

अर्थव्यवस्था में अंतर-उद्योग आवक प्रवाह (प्रतिशत में)

	कृषि और सहबद्ध-क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्र आवक	सेवा-क्षेत्र आवक
कृषि और सहबद्ध	55.3	7.7	7.5
उद्योग	21.4	68.2	45.1
सेवाएं	23.3	24.1	47.5

अर्थव्यवस्था में कुल आवकों का योगदान (प्रतिशत में)


कृषि और सहबद्ध	11.8
उद्योग	59.6
सेवाएं	28.6

स्रोत: सीएसओ की आवक-जावक सारणियों पर आधारित आंतरिक गणनाएं

उपर्युक्त सारणी का ऊपरी भाग यह सूचित करता है कि कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों की कुल आवक आवश्यकता में से, 55.3 प्रतिशत का अंशदान इसी क्षेत्र द्वारा किया गया था, जबकि उद्योग और सेवाओं ने क्रमशः 21.4 प्रतिशत और 23.3 प्रतिशत का अंशदान किया। उद्योग के लिए आवश्यक कुल आवक के दो-तिहाई से अधिक हिस्सा स्वयं उद्योग से आया है, जबकि लगभग एक-चौथाई सेवा क्षेत्र से आया। सेवा क्षेत्र के लिए आधे से ज्यादा आवक उद्योग और कृषि क्षेत्रों से आए। सारणी में सेवा क्षेत्र में स्थायी आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने में औद्योगिक क्षेत्र के महत्व को मुख्य रूप से रेखांकित किया गया है। जैसाकि सारणी के निचले भाग से यह स्पष्ट है, कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में कार्यरत कुल आवकों का 11.8 प्रतिशत बैठा, जबकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की भूमिका क्रमशः 59.6 प्रतिशत और 28.6 प्रतिशत रही। अतः औद्योगिक क्षेत्र में सतत पुनरुत्थान ही सतत् विकास का केन्द्र है।

तिमाही रुझान

1.15 तिमाही स.घ.उ. आंकड़े वर्ष के भीतर उतार-चढ़ाव बिन्दुओं की पहचान करने में सहायक हो सकते हैं (चित्र 1.2)। विकास में आई अपेक्षाकृत दीर्घावधिक मंदी का वर्तमान घटनाक्रम 2011-12 की पहली तिमाही में शुरू हो गया था, जबकि विनिर्माण की वृद्धि में गिरावट 2011-12 की दूसरी तिमाही में शुरू हुई। खनन और उत्खनन में गिरावट 2010-11 की अन्तिम तिमाही में सामने आई और यह प्रवृत्तियाँ अभी तक बनी हुई हैं। बिजली, गैस और जलापूर्ति में 2012-13 की तुलना में 2013-14 में कुछ उच्चतर वृद्धि देखी गई जो मुख्यतः जलाशयों में बेहतर जल उपलब्धता के कारण पनबिजली स्रोतों से अधिक बिजली सृजन के चलते है।



चित्र 1.2 : कारक लागत पर सघड में तिमाही वार वृद्धि (2004-05 की कीमतें)

स्रोत: (सीएसओ)

सकल मांग

1.16 अर्थव्यवस्था की सकल मांग में कुल अंतिम उपभोग और निवेश के साथ-साथ व्यापारिक माल के निवल निर्यातों (निर्यात रहित आयात) एवं कारक भिन्न सेवाएं होती हैं। राष्ट्रीय लेखा निर्धारण में चालू खाता शेष से भी घरेलू बचतों एवं घरेलू निवेश के बीच के अंतर का आंकलन होता है। इससे उस अंतर की सीमा सूचित होती है जिसे विदेशी बचतों की मदद से पाटे जाने की जरूरत है।

1.17 स्थिर बाजार कीमतों (2004-05) पर स.घ.उ. के अनुसार मापित सकल मांग के अनुसार वर्ष 2013-14 में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जो पिछले वर्ष में 4.7 प्रतिशत रही थी। निजी अंतिम उपभोग में वृद्धि जो 2003-04 से 2011-12 के दौरान औसतन 7.8 प्रतिशत थी, गिरकर 2012-13 में 5.0 प्रतिशत और 2013-14 में और 4.8 प्रतिशत रह गई। वास्तविक रूप में, नियत निवेश 2011-12 और 2013-14 के बीच शायद ही बढ़ पाया है। स.घ.उ. के हिस्से के अनुसार, 2012-13 और 2013-14 में मांग पक्ष संबंधी अधिकतम उल्लेखनीय परिवर्तन स.घ.उ. और सकल नियत पूंजीगत निर्माण के अनुपात में 2.1 प्रतिशत अंकों की अचानक गिरावट होना रहा है। इस प्रकार, 2013-14 में सकल मांग की वृद्धि दर में बढ़त का मुख्य श्रेय निवल निर्यातों के उच्च स्तर (निर्यातों और आयातों के बीच के अंतर में कटौती के रूप में प्रतिबिंबित जैसाकि सारणी 1.3 में देखा जा सकता है) को जाता है। सकल मांग के प्रधान घटकों का विश्लेषण आने वाले खंडों में किया गया है।

उपभोग

1.18 अंतिम उपभोग व्यय का अनुमान सरकारी और निजी कंपनियों के लिए अलग-अलग किया जाता है। सघड में अंतिम उपभोग का हिस्सा 1950 के दशक से

2013-14 में समग्र मांग में मामूली सुधार हुआ।

मद	2011-12 (2स)	2012-13 (1स)	2013-14 (अ.अ.)
(i) टीएफसीई	68.5	68.8	68.9
निजी	57.1	57.1	57.1
सरकारी	11.4	11.8	11.8
(ii) जीसीएफ	35.5	34.8	अनु.
एफसीएफ	31.8	30.4	28.3
स्टॉक में परिवर्तन	1.9	1.7	1.6
मूल्यवान वस्तुएं	2.7	2.6	1.5
(iii) निर्यात	23.9	24.0	24.8
(iv) घटाए आयात	30.2	30.7	28.4

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
टिप्पणियाँ : टीएफसीई: कुल अंतिम उपभोग व्यय, जीसीएफ: सकल पूंजी निर्माण, एफसीएफ: नियत पूंजी निर्माण, 1स: प्रथम संशोधित अनुमान, 2स: द्वितीय संशोधित अनुमान, अ.अ.: अंतिम अनुमान। विसंगतियों और पूर्णांकन के कारण (i) से (iv) तक संभवतः 100 का आंकड़ा न प्राप्त हो सका।

सारणी 1.3 : वर्तमान बाजार कीमतों पर स.घ.उ. के घटक और स.घ.उ. में हिस्सा

निरंतर कम होता रहा है जो मुख्यतः निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) के हिस्से में कमी के रूप में दीख रहा है। यह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि उच्च आय-स्तरों के परिणामस्वरूप परिवारों की बचतें भी अधिक हो गयी हैं और उपभोग का हिस्सा भी घट गया है। 1980 के दशक के आरंभ तक निर्यातों में आई उदासीनता के चलते ऐसा होना अनिवार्य भी था क्योंकि अधिक विकास कराने के लिए अपेक्षित निवेश की बढ़ती राशि घरेलू उच्च बचतों से ही प्राप्त होनी थी। वार्षिक वृद्धि में उच्च उतार-चढ़ावों के बावजूद, सघउ के अनुपात के रूप में सरकारी उपभोग व्यय में, 1980 के दशक से उल्लेखनीय संगति देखी गई है (सारणी 1.4)।

1.19 कुल अंतिम उपभोग में खाद्य मदों, पेय पदार्थ और तंबाकू समूह के वास्तविक संदर्भ में हिस्से में 2004-05 से 2012-13 तक नौ वर्षों में सघउ के 9.5 प्रतिशतांक की कमी हो गयी। किन्तु, सांकेतिक रूप में, (सारणी 1.5) यह कमी वास्तव में भी गिरावट की केवल लगभग आधी थी, जो इस अवधि में इन उत्पादों की अपेक्षाकृत उच्च कीमतों को दर्शाती है।

1.20 'खाद्य, पेय पदार्थ और तंबाकू' समूह के अलावा, सकल किराया, ईंधन और बिजली, चिकित्सा परिचर्या और स्वास्थ्य सेवाओं, तथा परिवहन और दूरसंचार सेवाओं के हिस्से में भी गिरावट हुई, जबकि विशालतम बढ़त 'अन्य विविध सेवाओं' में दर्ज की गई जिसमें बैंकिंग प्रभार, विधिक सेवाएं, व्यवसाय सेवाएं और जीवन बीमा शामिल हैं। सेवाओं के उपभोग के प्रति प्रगामी झुकाव और गैर-टिकाऊ मालों, खासकर खाद्य मदों से दूर हटने की प्रवृत्ति देखी गई है।

मद	वर्तमान बाजार मूल्यों का अनुपात	
	2004-05	2012-13
खाद्य, पेय पदार्थ और तंबाकू	40.0	35.2
कपड़े और जूते	6.6	7.2
सकल किराया, ईंधन और बिजली	13.8	13.1
फर्नीचर, फर्निशिंग उपकरण एवं सेवाएं	3.4	3.9
चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं	5.0	3.6
परिवहन और संचार	19.3	17.4
मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक सेवाएं	3.0	2.5
वैयक्तिक देख रेख और संबंधित सेवाएं	2.7	3.8
प्रकीर्ण वस्तुएं एनईसी	1.6	1.8
अन्य प्रकीर्ण सेवाएं	4.7	11.5

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

निवेश

1.21 निवेश में नियत पूंजी निर्माण, मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति, और भूल-चूकों के लिए समायोजित स्टॉक और वस्तु सूचियों में फेर-बदल शामिल हैं। निवेश दर (सघउ में निवेश का अनुपात) 1990-91 से 2003-04 की अवधि में औसतन 24.5 प्रतिशत थी (सारणी 1.6)। वर्ष 2004-05 ऐसा विशिष्ट वर्ष रहा जब पहली बार निवेश दर 30 प्रतिशत से अधिक हो गई। 2004-05 और 2012-13 के बीच निवेश दर का औसत 35.4 प्रतिशत था जो 2007-08 में 38.1 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई थी। इस निवेश दर का औसत 2004-05 से 2007-08 की उच्च वृद्धि के काल में 35.3 प्रतिशत और 2008-09 तथा 2012-13 के बीच 35.5 प्रतिशत था। 2012-13 में 34.8 प्रतिशत की निवेश दर इन दो उप-अवधियों की औसत निवेश दर से कमतर है।

1.22 सकल नियत निवेश की दर, जो कुल निवेश का अधिकांश होता है, की दर में 2004-05 से उल्लेखनीय वृद्धि हुई, 2007-08 में अधिकतम हुआ और उसके बाद

हालिया वर्षों में सघउ में निजी उपभोग के हिस्से में गिरावट हुई है।

मद	1980s	1990s	2000s	2010-11 से 2013-14
टीएफसीई	85.8	77.5	71.6	68.4
पीएफसीई	74.5	65.9	60.3	56.8
जीएफसीई	11.3	11.6	11.3	11.6

स्रोत: सीएसओ

टिप्पणी : 2013-14 हेतु आंकड़े अंतिम हैं। जीएफसीई: सरकारी अंतिम खपत व्यय, पीएफसीई: निजी अंतिम उपभोग व्यय और टीएफसीई: कुल अंतिम खपत व्यय है।

सारणी 1.4 : वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. में अंतिम खपत का हिस्सा (प्रतिशत)

सारणी 1.5 : घरेलू बाजार में निजी अंतिम उपभोग व्यय में वस्तुओं और सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों का हिस्सा (कुल का प्रतिशत)

नियत निवेश दर में 2013-14 में तेजी से गिरावट हुई।

मर	1990-91 से 1999-2000	2000-01 से 2003-04	2004-05 से 2007-08	2008-09 से 2012-13	2012-13	2013-14
I. सकल नियत पूंजी निर्माण	23.1	24.0	30.8	31.4	30.4	28.3
निर्माण	12.1	14.2	16.9	17.7	17.5	उ.न.
मशीनरी और उपस्कर	11.0	9.8	13.9	13.8	12.9	उ.न.
(i) सरकारी क्षेत्र निर्माण	8.6	6.7	7.6	7.9	7.8	उ.न.
मशीनरी और उपस्कर	4.7	4.3	5.0	5.3	5.4	उ.न.
(ii) निजी कारपोरेट क्षेत्र निर्माण	3.9	2.4	2.6	2.7	2.4	उ.न.
मशीनरी और उपस्कर	6.7	5.5	11.9	9.8	8.5	उ.न.
(iii) घरेलू निर्माण	1.0	1.3	3.5	2.5	2.4	उ.न.
मशीनरी और उपस्कर	5.6	4.3	8.4	7.2	6.0	उ.न.
II. स्टॉकों में परिवर्तन	7.9	11.8	11.3	13.7	14.1	उ.न.
III. मूल्यवान वस्तुएं	6.4	8.6	8.4	9.9	9.7	उ.न.
IV. कुल निवेश*	1.5	3.2	2.9	3.9	4.4	उ.न.
	0.7	0.5	3.2	2.4	1.7	1.6
	—	0.7	1.2	2.1	2.6	1.5
	24.3	25.0	35.3	35.5	34.8	उ.न.

स्रोत : राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सीएसओ में निहित सूचना से परिकलित।

टिप्पणी : *कुल निवेश, भूल-चूक के कारण तीनों घटकों के जोड़ के समान नहीं हो सकता।

सामान्यतः घट गया। सीएसओ द्वारा जारी 2013-14 के अंतिम अनुमानों के अनुसार, 2013-14 के स.घ.उ. में नियत पूंजी निर्माण का अनुपात का 2012-13 के अनुपात से 2.1 प्रतिशत अंक कम था। स.घ.उ. में कीमती वस्तुओं का अनुपात उस अवधि में भी आमतौर पर बढ़ गया जब नियत निवेश कम हो गए थे और इस प्रकार निवेश की समग्र दर लगभग 35 प्रतिशत पर रही। स्टॉकों में होने वाले परिवर्तन आमतौर पर व्यापक घट-बढ़ के कारण होते हैं।

1.23 2004-05 और 2007-08 के बीच की बढ़ोतरी की अवस्था के दौरान समग्र निवेश में अधिकांश बढ़त का कारण निजी कारपोरेट क्षेत्र के निवेश में हुई बढ़त से स्पष्ट होता है। इसी क्षेत्र का हाथ निवेश दर की वर्तमान गिरावट में अधिकतम रहा (सारणी 1.7)। (बॉक्स 1.4 में निवेश में गिरावट के सटीक कारणों की जांच की गई है)। निजी कारपोरेट क्षेत्र के निवेश में वृद्धि 2004-05 से 2007-08 तक की अवधि में विशेष रूप से तीव्र रही, जब इसका औसत वर्तमान कीमतों पर वार्षिक रूप से 48.1 प्रतिशत था। इसकी वृद्धि दर 2008-09 से 2012-13 के दौरान गिरकर 3.4 प्रतिशत रह गई। सरकारी क्षेत्र का निवेश भी जो पूर्ववर्ती अवधि में 23.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा, बाद में मंद हो गया। इसके विपरीत, पारिवारिक निवेश में वृद्धि 2004-05 से 2007-08 के दौरान में वार्षिक औसत 12.3 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 से 2012-13 में औसत 23.5 तक हो गयी। संस्थाओं द्वारा निवेश के पैटर्न सारणी 1.7 में दिखाए गए हैं।

क्षेत्र	1990-91 से 1999-2000	2000-01 से 2003-04	2004-05 से 2007-08	2008-09 से 2012-13	2012-13
सरकारी	8.8	6.8	8.1	8.6	8.1
निजी कारपोरेट	7.0	5.6	13.9	11.1	9.2
घरेलू	8.0	12.1	11.9	14.1	14.8
कुल निवेश*	24.3	25.0	35.3	35.5	34.8

स्रोत : सीएसओ

टिप्पणी : कुल निवेश भूल-चूक और मूल्यवान वस्तुओं के कारण तीनों घटकों के जोड़ के समान नहीं होगा।

सारणी 1.6 : वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में निवेश के घटक (प्रतिशत)

कम हो गई निजी कारपोरेट निवेश दर समग्र निवेश दर में गिरावट का मुख्य कारण है।

सारणी 1.7 : वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में संस्था के स्वरूप के अनुसार निवेश (प्रतिशत)

बाक्स 1.4 : निवेश-मंदी: सटीक कारक

क्या यह अनुमानित या वास्तविक ब्याज दर है जिससे निवेश दर में कटौती पर प्रकाश पड़ता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन से जिसका शीर्षक है “रीयल इन्टरस्ट रेट इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एण्ड ग्रोथ- व्हाट दि एम्पिरिकल एविडेन्स फॉर इंडिया सजेस्ट्स” से पता चलता है कि यह अनुमानित दर नहीं, परंतु वास्तविक ब्याज दर है जिससे निवेश संबंधी निर्णयों पर प्रभाव पड़ता है। किंतु कुछ लोग यह तर्क करते हैं कि हालिया वर्षों में निवेशगत वृद्धि कम वास्तविक ब्याज दरों के बावजूद कमजोर हो गयी है। इस अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि कम वास्तविक ब्याज दर से निवेश और संवृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है बशर्ते कि यह उच्च मुद्रास्फीति के रास्ते प्राप्त न की जाए। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि अनुमानित ब्याज दर फर्म के स्तर पर निवेश की आयोजना के लिए वास्तविक ब्याज दर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन में निवेश के निर्णयों को स्पष्ट करने में कंपनी के ऋण-इक्विटी अनुपात की भूमिका को भी इंगित किया गया है। अत्यंत ऋण आश्रित क्षेत्र में, जैसे कि अवसंरचना में, इक्विटी पर प्रतिफल की अपेक्षित दर अधिक रह सकती है, परंतु इक्विटी पर वास्तविक प्रतिफल प्राप्त करना ब्याज लागतों और नकदी प्रवाहों के रूख का कार्य होगा। यदि ब्याज लागतें बढ़ती हैं और संभावित नकदी प्रवाह घटता है तो पर्याप्त इक्विटी पूंजी के प्रवाह का इंतजाम करना कठिन हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप कुछ निर्धारित निवेश परियोजनाएं स्थगित की जा सकती हैं। कंपनियों के नकदी प्रवाहों में कमी का कारण ये हो सकते हैं: (क) शिथिल मांग की स्थितियां (ख) कमजोर कीमत निर्धारण शक्ति (ग) उच्च निविष्टि लागत (घ) आदेशों के प्रदाय के बाद उत्पाद की सुपुर्दगी में विलंब।


2007-08 के बाद निवेशगत वृद्धि में आंशिक मंदी का कारण भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों से उत्पन्न नीतिगत अनिश्चितता, विलंबित पर्यावरणगत स्वीकृतियों, अवसंरचनागत अवरोधों, कोयले की प्राप्ति में आने वाली समस्याओं, चयनित क्षेत्रों में खनन पर रोक आदि को ठहराया जा सकता है। टोकुका (2012) के अनुसार अधिक हो गई वैश्विक अनिश्चितता के साथ-साथ उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति (उच्च राजकोषीय घाटे से अंशतः उत्पन्न) के परिणामस्वरूप कंपनी निवेश में मंदी हुई होगी। निवेश में मंदी के कारण को व्यवसाय के लस्त-पस्त माहौल और व्यवसाय में कमजोर आत्मविश्वास की पृष्ठभूमि में भी स्पष्ट किया जा सकता है।

आनंद और तुलिन (2014) का सुझाव है कि यद्यपि अनुमानित ब्याज दरों की तुलना में वास्तविक ब्याज दरों से सकल निवेश क्रियाकलाप को बेहतर ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है, तथापि उनसे स्पष्टीकृत अधोमुखी निवेश का केवल एक तिहाई भाग ही बैठते हैं। उनका निष्कर्ष यह है कि मानक वृहद् वित्तीय परिवर्तनीय कारणों से हालिया निवेशगत मंदी की पूर्णतः व्याख्या नहीं होती एवं बढ़ी हुई अनिश्चितता और व्यवसाय के घटते आत्मविश्वास ने भी मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अनुसार अनुमानित ब्याज दरों में कमी करने से ब्याज के बोझ से अल्पकालिक राहत मिल सकती है, परंतु मध्यकालिक संदर्भ में अर्थव्यवस्था में नाममात्र की शिथिलता लाने के साथ अल्प दरों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ेगी तथा निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। अतः संरचनागत सुधार तथा आपूर्ति पक्ष के गत्यावरोध का समाधान निवेश को प्रोत्साहित करने की मुख्य कुंजी है।

संदर्भ

1. “आरबीआई (2013) रीयल इन्टरस्ट रेट इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एण्ड ग्रोथ: व्हाट दि एम्पिरिकल एविडेन्स फॉर इंडिया सजेस्ट्स?” www.rbi.org. पद पर उपलब्ध है।
2. टोकुका, किची (2012) “डज दि बिजनेस एन्वायरनमेंट अफेक्ट कारपोरेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया?” आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यू पी/12/70
3. आनंद राहुल और बी तुलिन (2014) “डिस्पेंडिंग इंडियाज इन्वेस्टमेंट स्लोडाउन” आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यू पी/14/47

1.24 2004-05 और 2007-08 के बीच की उच्च वृद्धि की अवस्था में, निजी कारपोरेट क्षेत्र के नियत निवेश का मशीनरी तथा उपस्कर खंड का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में करीब-करीब दोगुना हो गया (सारणी 1.6)। इसी प्रकार निर्माण क्षेत्र के हिस्से में भी तीव्र वृद्धि दर्ज हुई। विगत तीन-चार वर्षों में नियत निवेश दर में गिरावट का मुख्य कारण निजी कारपोरेट क्षेत्र के मशीनरी और उपस्कर खंड के हिस्से में आई गिरावट को ठहराया जा सकता है। (चित्र 1.3)।



चित्र 1.3 : निजी कारपोरेट क्षेत्र और इसके घटकों में सघट के अनुपात के रूप में सकल नियत निवेश।

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

अर्थव्यवस्था की स्थिति

1.25 निजी कारपोरेट क्षेत्र के नियत निवेश के निर्माण खंड में आई गिरावट, मशीनरी और उपस्कर खंड में हुई गिरावट के मुकाबले अपेक्षाकृत कम रही है। ऐसा इस तथ्य के कारण हो सकता है कि निवेश का मशीनरी और उपस्कर खंड, निर्माण खंड की तुलना में व्यापार की मनोदशाओं में अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से प्रभावित होता है। निर्माण की लंबी अवधि का तात्पर्य है कि जब किसी परियोजना का प्रारंभ/स्थगन किया जाता है तो व्यवसाय की मनोदशाओं में बदलाव होने से उसे बंद करने/पुनः क्रियाशील करने में लंबा समय लगता है। मंदी के दौरान मशीनरी और उपस्कर में निवेश करने के परिणामस्वरूप इसका कम उपयोग और प्रायः टूट फूट (अप्रचलन) भी हो सकता है। निर्माण क्रियाकलाप इन समस्याओं से बहुत कम प्रभावित होता है।

मूल्यवान वस्तुएं

1.26 कीमती वस्तुओं में ऐसी आस्तियां शामिल हैं जो प्रधानतः मूल्य भंडार के रूप में रखी जाती हैं। मूल्यवान वस्तुओं के निवल अर्जन में कीमती सामान, रत्न और पत्थर, चांदी, सोना, प्लेटिनम और सोने-चांदी के आभूषण शामिल हैं। मूल्यवान वस्तुओं के सकल स्वामित्व में हुए परिवर्तन का संभवतः अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता पर संभवतः कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता।

1.27 मूल्यवान वस्तुओं के अर्जन पर हालिया वर्षों में हुई उल्लेखनीय घट-बढ़ों का असर रहा है। सघड में उनका हिस्सा 2007-08 के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 2.6 प्रतिशत हो गया और बाद में गिरकर 2013-14 में 1.5 प्रतिशत रह गया। सोने चांदी के आयातों का मूल्य 2010-11 में 42.6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2012-13 में 55.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बहाल करने और सीएडी घटाने के लिए सरकार ने अगस्त, 2013 में सोने-चांदी पर आयात शुल्कों में वृद्धि करने सहित कतिपय उपायों की घोषणा की। इन उपायों के परिणामस्वरूप सोने चांदी के आयात के सम्मिलित मूल्य में अमरीकी डालर के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत तक गिरावट आई जो स.घ.उ. में मूल्यवान वस्तुओं के हिस्से में गिरावट के रूप में बड़े पैमाने पर प्रतिबिम्बित हुई है।

निवल निर्यात

1.28 राष्ट्रीय लेखों में निवल निर्यात, वस्तुओं और कारक-भिन्न सेवाओं के निर्यात तथा वस्तुओं और कारक भिन्न सेवाओं के आयात के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। यद्यपि वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूर्णतः समुत्थान होना अभी दूर है, तथापि, वैश्विक आर्थिक सुदृढ़ीकरण के प्रारंभिक संकेतों से भारत को निर्यातों में आंशिक समुत्थान करने में मदद मिली। दूसरी ओर कैंड पर काबू पाने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों से आर्थिक मंदी के रहते हुए मुख्यतः अनावश्यक वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करते हुए आयातों को घटाने में मदद मिली है। सघड में निर्यातों का हिस्सा 2012-13 में 24.0 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 24.8 प्रतिशत हो गया जबकि आयातों का हिस्सा 30.7 प्रतिशत से घटकर 28.4 प्रतिशत रह गया। इसके परिणामस्वरूप निवल निर्यातों में सघड के 3.1 प्रतिशत अंकों तक सुधार हुआ।

आयातों में हुई गिरावट के साथ निर्यातों में हुई साधारण वृद्धि से निवल निर्यात स्थिति सुधारने में मदद मिली।

लोक वित्त

1.29 राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम लागू किए जाने के बाद से केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा घटकर 2007-08 में स.घ. उ. के 2.5 प्रतिशत तक लाया गया जो स.घ.उ. के 3 प्रतिशत के प्रारंभिक लक्ष्य से कम था। 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप सकल मांग बढ़ाने और वृद्धि दर उठाने के लिए राजकोषीय शेष राशियों को जानबूझकर विस्तृत किया गया। 2010-11 में क्रमिक राजकोषीय दृढ़ीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की गई।

सरकार ने अक्टूबर 2012 में संशोधित राजकोषीय समेकन योजना का प्रवर्तन किया। इसमें 2013-14 में सघउ के 4.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त करना निर्धारित था और उसके बाद प्रत्येक वर्ष में 0.6 प्रतिशत अंक के सुधार के जरिए 2016-17 तक का राजकोषीय घाटा सघउ के 3.0 प्रतिशत तक लाना लक्षित था।

1.30 स.घ.उ. के 4.8 प्रतिशत के बजट विहित लक्ष्य की तुलना में 2013-14 में स.घ.उ. के 4.5 प्रतिशत का अपेक्षाकृत कम राजकोषीय घाटा राजकोषीय समेकन पर निरंतर जोर दिए जाने का सूचक है। कर राजस्वों और विनिवेश प्राप्तियों में कमी आने और सब्सिडियों और ब्याज तथा पेंशन भुगतानों पर बजट विहित से अधिक राशि खर्च करने से राजकोषीय समेकन का लक्ष्य प्रधानतः बजट विहित स्तरों के मुकाबले व्यय में कमी करके हासिल किया गया।

1.31 केंद्र के राजकोषीय घाटे के संदर्भ में इसके निष्पादन का मोटे तौर पर यह संकेत है कि वृहत् आर्थिक अनिश्चितताओं एवं विश्व में कच्चे तेल की उच्च कीमतों के बावजूद, राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त किए गए। वर्तमान में प्रचलित स्तरों से ऊपर कर सघउ अनुपात को ले जाना अंततोगत्वा राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को स्थायी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यय पर एक निश्चित न्यूनतम स्तर से अधिक दबाव डालने का प्रतिकूल असर हो सकता है।

1.32 2008-09 के बाद से केन्द्रीय राजस्व घाटे में बढ़त कराने वाले प्रधान कारणों में से एक कारण सब्सिडियों का उत्तरोत्तर बढ़ते जाना रहा है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के अंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, 2013-14 में प्रधान सब्सिडियों का योग 2,47,596 करोड़ रुपए था। सब्सिडियों में तीव्र वृद्धि हुई है जो 2007-08 में स.घ.उ. के 1.42 प्रतिशत से बढ़ती हुई 2012-13 में स.घ.उ. के 2.56 प्रतिशत हो गई, 2013-14 (सं.अ.) के लिए यह स.घ.उ. का 2.26 प्रतिशत थी। खाद्य सब्सिडी में इजाफा होता रहा है जिसकी वजह भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई खरीद की आर्थिक लागत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्नों के लिए नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में बढ़ता अंतर है। हालांकि उर्वरक सब्सिडी का अंशतः विनियंत्रण हुआ है, यूरिया की कीमतें अभी सीमा के अंदर हैं; इसी प्रकार पेट्रोल की कीमतें विनियंत्रित कर दी गई हैं तथा डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की मासिक बढ़ोतरी करायी जा रही है। प्रति माह प्रति परिवार को दिए जाने वाले सहायता प्राप्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सिलिंडरों की अधिकतम संख्या अप्रैल 2014 से 9 से बढ़ाकर 12 तक कर दी गई है। इसके अलावा, रिसाव भी सब्सिडी का कुल बोझ बढ़ाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। खाद्य मदों के मामले में, योजना आयोग के लक्षित पीडीएस (2005) संबंधी निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन में कहा गया है कि गरीब जनता को वितरित अन्न के प्रत्येक एक किलोग्राम के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय पूल से 2.4 कि.ग्रा. अन्न जारी किया। वर्तमान तंत्र के जरिए पीडीएस के खाद्यान्नों की सुपुर्दगी की लागत को लेकर इसके गंभीर निहितार्थ हैं।

1.33 उच्च राजकोषीय घाटे की परिणति प्रायः सरकारी ऋण के बढ़ने में होती है। भारत में केंद्र सरकार की देयता स.घ.उ. का अनुपात 2002-03 के 61.6 प्रतिशत से घटकर 2013-14 (सं.अ.) में 49.4 प्रतिशत रह गया। इस अनुमान में कमी का श्रेय अनुमानित ब्याज दरों की तुलना में उच्च अनुमानित स.घ.उ. वृद्धि दर को जाता है। कुल सरकारी ऋण में से आंतरिक ऋण 95.5 प्रतिशत बैठता है जबकि विदेशी ऋण (खाता मूल्य पर) यथावत है।

घरेलू बचतें

1.34 सकल घरेलू बचतों के अनुमान के लिए अर्थव्यवस्था को तीन बड़े संस्थागत क्षेत्रों—सरकारी, निजी कारपोरेट और परिवारों में विभाजित किया गया

राजकोषीय समेकन का लक्ष्य 2013-14 में बजट विहित व्यय से कम स्तर पर प्राप्त हुआ।

कर-स.घ.उ. का अनुपात बढ़ाना तथा सब्सिडी में और अधिक सुधार करना राजकोषीय समेकन हेतु अनिवार्य है।

सारणी 1.8 : वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत दर और इसके घटक।

मद	1990s	2000s	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	ऐतिहासिक उच्च*
सकल घरेलू बचतें	23.0	30.6	36.8	32.0	33.7	33.7	31.3	30.1	36.8 (2007-08)
घरेलू क्षेत्र	17.7	23.1	22.4	23.6	25.2	23.1	22.8	21.9	25.2 (2009-10)
वित्तीय	9.6	10.8	11.6	10.1	12.0	9.9	7.0	7.1	12.0 (2009-10)
भौतिक	8.0	12.3	10.8	13.5	13.2	13.2	15.8	14.8	15.8 (2011-12)
निजी कारपोरेट क्षेत्र	3.6	6.3	9.4	7.4	8.4	8.0	7.3	7.1	9.4 (2007-08)
सरकारी क्षेत्र	1.6	1.2	5.0	1.0	0.2	2.6	1.2	1.2	5.6 (1976-77)

स्रोत : सीएसओ

टिप्पणी : *कोष्ठकों में आंकड़े उस वर्ष से संबंधित हैं जिसमें यह उच्चतम दर्ज किया गया था।

है। बचत दर 2003-04 में 29.0 प्रतिशत से बढ़कर, जो तब तक की उच्चतम थी, 2007-08 में 36.8 प्रतिशत हो गई, जो अब तक की ऐतिहासिक वृद्धि थी (सारणी 1.8)।

1.35 सकल बचत दर 36.8 प्रतिशत के उच्च स्तर से, गिर कर 2012-13 में स.घ. उ. का 6.7 प्रतिशतांक रह गई। अधिकांश गिरावट का कारण निजी कारपोरेट क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को दिया जा सकता है। यद्यपि निजी क्षेत्र में गिरावट मुख्यतः उद्योग क्षेत्र में कम वृद्धि के चलते और कम लाभ मार्जिनों के कारण हुई, तथापि स.घ.उ., में कम सरकारी बचतों के अनुपात का कारण गैर-विभागीय सरकारी उद्यमों की कम बचतें और सरकारी प्राधिकरणों की बृहतर निर्बचतें थीं। पारिवारिक बचतें वित्तीय बचतों और भौतिक आस्तियों में बचतों का जोड़ होती हैं। पारिवारिक बचत दर 2000-01 एवं 2006-07, के बीच स.घ.उ. के औसतन लगभग 23 प्रतिशत पर स्थिर हो चुकी थी। इसके पश्चात्, इसमें अस्थिरता आ गई। 2007-08 से 2011-12 की अवधि में परिवारों की बचतों में भारी संघटनात्मक परिवर्तन वित्तीय बचतों की अपेक्षा भौतिक बचतें करने में देखा गया। निर्माण, मशीनरी तथा उपस्कर में निवेश सहित परिवारों की भौतिक आस्तियों में निवल वृद्धि और भण्डारों में परिवर्तन भौतिक आस्तियों में परिवारों की बचत का द्योतक है। 2012-13 में निर्माण गतिविधि की वृद्धि में महत्वपूर्ण कमी होने के साथ, परिवारों द्वारा की जाने वाली भौतिक बचत दरों में गिरावट आई। 2013-14 में निर्माण क्षेत्र की मजबूती से उठ पाने में नाकामी के साथ-साथ, मशीनरी और उपस्कर क्षेत्र में आई निष्क्रियता यह इंगित करती है कि वर्ष में पारिवारिक भौतिक बचतों में हुई वृद्धि पस्त रही है।

1.36 गैर-प्रचालन अधिशेष घाटा के लिए समायोजित निजी कारपोरेट क्षेत्र के प्रतिधारित लाभ और मूल्यहास इसकी सकल बचतें हैं, जिनमें 2002-03 के पश्चात् तेजी से वृद्धि हुई और यह 2007-08 तक 9 प्रतिशत से अधिक हो गई। यह कारपोरेट लाभप्रदता में महत्वपूर्ण और समनुरूप सुधार था जिससे निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत दर 1980 के दशक के दौरान के 2 प्रतिशत से कम के स्तर से बढ़ती हुई 2007-08 में 9 प्रतिशत से अधिक हो गई। गैर-सरकारी, गैर-वित्तीय कंपनियों के प्रदर्शन पर भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि 2012-13 में उनके लाभ मार्जिन गिर गये। इसने संभवतः निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचतों को प्रभावित किया। 2013-14 में विनिर्माण क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि के चलते, निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत दर में पुनरुत्थान की संभावना नहीं है।

1.37 ऊपर वर्णित बृहत आर्थिक मापदंडों के रुझानों का अन्य मापदंडों अर्थात् मुद्रास्फीति, भुगतान शेष आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। इनकी चर्चा नीचे की गई है।

बचत दर 2007-08 से काफी कम हो गई है।

हालिया वर्षों में, परिवारों ने वित्तीय आस्तियों की तुलना में भौतिक आस्तियों में अधिक बचत करने की प्रवृत्ति दिखाई।

कीमतें और मौद्रिक प्रबंध

मुद्रास्फीति


1.38 औसत हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति कम होती हुई 2013-14 में लगभग 6 प्रतिशत के चार वर्षीय न्यूनतम स्तर तक आ गई। ऐसा इससे पहले के तीन वर्षों की 8.6 प्रतिशत की औसत के बाद हुआ। मुद्रास्फीति में यह गिरावट वैश्विक वस्तु मूल्यों में हुई कमी की पृष्ठभूमि में खाद्य भिन्न क्षेत्र में काफी कमी हो जाने के कारण हुई। तथापि, घरेलू खाद्य वस्तुओं से आने वाला दबाव उच्च बना रहा। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 2013-14 की पहली तिमाही में 5 प्रतिशत से कम बनी रही। तथापि, सब्जियों और अनाजों की उच्चतर मुद्रास्फीति ने दूसरी और तीसरी तिमाही में तेजी लाई, जब हेडलाइन मुद्रास्फीति क्रमशः 6.6 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत हो गई। अनाज मुद्रास्फीति में कुछ सुधार और सब्जियों के मूल्यों में सुधार के साथ, हेडलाइन मुद्रास्फीति गिरकर 2013-14 की अंतिम तिमाही में 5.4 प्रतिशत रह गई। खाद्य-भिन्न विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति (कोर मुद्रास्फीति) वर्षभर हल्की बनी रही और कम हो कर 2013-14 में चार वर्ष के सबसे कम स्तर 2.9 प्रतिशत पर पहुंच गई। इससे पता चलता है कि व्यापक-आधार वाली मुद्रास्फीति के अंतर्निहित दबाव कुछ कम हुए हैं।

1.39 नई श्रृंखला पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) (संयुक्त) के अनुसार मुद्रास्फीति पिछले कुछ वर्षों में उच्चतर खाद्य मुद्रास्फीति के चलते 9-10 प्रतिशत के लगभग रहकर स्पष्टतः दृढ़ बनी रही। तथापि, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति ने दिसम्बर 2013 के बाद सामान्य होना शुरू किया तथा सब्जियों और अण्डे, मांस तथा मछली की मुद्रास्फीति में कमी का अनुसरण करते हुए कम होकर फरवरी 2014 में 25-माह के सबसे कम स्तर 8.0 प्रतिशत पर आ गई। दूसरी ओर, खाद्य और ईंधन (कोर) को छोड़कर, सीपीआई मुद्रास्फीति, सेवा प्रेरित घटकों जैसे चिकित्सा, शिक्षा, पारिवारिक अपेक्षाएं, आदि में उच्चतर मुद्रास्फीति के कारण अधिक बनी रही।

हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के प्रमुख योगदान-कारक

1.40 मुख्य उप-समूहों में मुद्रास्फीति का स्तर और इसकी घट-बढ़ 2013-14 की अंतिम तिमाही तक आठ तिमाहियों के दौरान काफी विविध रही। 2013-14 में मुद्रास्फीति मुख्यतः खाद्य और ईंधन तक सीमित रही थी, जिसने सम्पूर्ण मुद्रास्फीति में लगभग दो-तिहाई का योगदान किया था। पिछले कुछ वर्षों में उच्च मुद्रास्फीति, मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति, संरचनागत और मौसमी कारकों का परिणाम रही है। हालांकि खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति निरंतर बनी हुई है, जबकि इसके निर्धारक समय-समय पर बदल रहे हैं। उदाहरणार्थ, अनाज और प्रोटीन युक्त मर्दे 2013-14 की पहली तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति की प्रमुख योगदान कारक थीं, बल्कि सब्जियों, विशेषकर प्याज, ने दूसरी और तीसरी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति को उछाला

खाद्य मुद्रास्फीति खाद्य-भिन्न मुद्रास्फीति से कहीं अधिक रही है।



चित्र 1.4 : खाद्य मदों की मुद्रास्फीति के प्रधान कारण

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय डीआईपीपी

(चित्र 1.4)। खाद्य समूह के भीतर, पण्य उप-समूहों, फल और सब्जियों तथा अण्डा, मांस, एवं मछली का योगदान अधिक रहा है। प्रोटीन-आधारित मदों जैसे अण्डा, मांस तथा मछली में व्याप्त मुद्रास्फीति बढ़ते आय स्तरों के कारण इन मदों की खपत के हिस्से में वृद्धि होने के कारण रही है।

1.41 खाद्य मुद्रास्फीति आंशिक रूप से वितरण चैनलों में मौजूद अदक्षता के चलते आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य वस्तुओं की अधिक बर्बादी के कारण होती है। राज्य कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियमों के उपबंधों ने पण्यों के वितरण में प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों के सृजन और कृषि पण्यों के लिए राष्ट्रीय बाजार के निर्माण में रुकावट पैदा की है। खाद्य वस्तुओं के वितरण में मौजूद मध्यस्थता के कई स्तरों के कारण भी उपभोक्ता के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि वितरण चैनलों और आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य बर्बादी कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। आधुनिक भाण्डागारों, शीतागार, रीफर वैन, वैज्ञानिक पैकेजिंग और उतराई-चढ़ाई सहित विपणन अवसंरचना में बड़े निवेश करने से वितरण चैनलों को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। राज्य सरकारों को एपीएमसी अधिनियम में मौजूद अवरोधक उपबंधों को समाप्त करने और किसानों के लिए वैकल्पिक कारोबार के अवसरों का सकारात्मक ढंग से संवर्धन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी।

1.42 ईंधन मुद्रास्फीति विगत दूसरी और तीसरी तिमाहियों में दोहरे अंकों में बनी रही। ईंधन और विद्युत मदों में व्याप्त उच्च मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण कई राज्यों में बिजली के टैरिफों का यौक्तिकीकरण, डीजल मूल्यों के अधिक अंतरण (पास थ्रू) करने की अनुमति संबंधी नीति लागू करना और अमरीकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपये का अवमूल्यन होना था।

मुद्रास्फीति की संभावनाएं

1.43 आईएमएफ द्वारा किए गए पूर्वानुमानों में अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों के अनुकूल बने रहने की आशा की गई है। यह डब्ल्यूपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति को सामान्य करने में सहायक होना चाहिए। तथापि, प्रमुख खतरा एल-निनो प्रभाव के कारण 2014-15 के दौरान सामान्य से कम मानसून होने से और मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक स्थिति के कारण तेल के उच्चतर मूल्यों से पैदा होता है। उर्वरकों सहित कृषि की निविष्टियों पर सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में वृद्धि करने से संबंधित सरकार के निर्णयों का भी खाद्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव हो सकता है।

मौद्रिक घटनाक्रम

1.44 क्रमिक मौद्रिक सुलभता में जो 2013-14 की शुरुआत में स्फीतिकारी दबावों में कुछ कमी के साथ आरंभ हुई थी, विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिर करने की आवश्यकता के जरिए व्यवधान हुआ। मई 2013 में, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा नकदी की मात्रात्मक सुलभता में धीरे-धीरे कमी लाने के संकेत थे। इसके बाद पूंजी बहिर्वाहों में जो उछाल आया, उससे रुपये के मूल्य में तेजी से अवमूल्यन हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बहाल करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में वृद्धि की और घरेलू मुद्रा बाजार नकदी को संकुचित किया।

1.45 मध्य-जुलाई 2013 में किये गए उपायों में सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर में 200 आधार बिन्दु (बीपीएस) का इजाफा करके उसे 10.25 प्रतिशत करना; दैनिक नकदी समायोजन निधि (एलएएफ) उधार को संबंधित बैंकों की निवल मांग और सावधि देनदारियों (एनडीटीएल) के 0.5 प्रतिशत तक सीमित करना; और न्यूनतम दैनिक नकदी आरक्षण अनुपात (सीआरआर) अपेक्षा को 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 99 प्रतिशत करना शामिल हैं। नकदी प्रबंध हुडियों की साप्ताहिक नीलामी भी नकदी उपलब्ध कराने के लिए आयोजित की गई थी।

इन उपायों ने मांग दर को एमएसएफ दर तक पहुंचा दिया जिससे एमएसएफ दर प्रभावी पॉलिसी दर बन गई।

1.46 विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता कम होने के पश्चात्, भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 सितम्बर 2013 की अपनी मध्य-तिमाही समीक्षा के बाद से आपवादिक उपायों को चरणबद्ध तरीके से सामान्य रूप में लाने का कार्य शुरू किया। ब्याज दर की परिधि को सामान्य मौद्रिक नीतिगत प्रचालनों के समनुरूप बनाया गया। ऐसा करने के लिए 20 सितम्बर, 2013 और 29 अक्टूबर 2013 के बीच एमएसएफ दर को 3 चरणों में घटाकर 8.75 प्रतिशत किया गया तथा साथ ही रेपो दर को 2 चरणों में प्रत्येक बार 25 आधार बिन्दु बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत किया गया ताकि मुद्रास्फीति और स्फीतिकारी संभावनाओं पर काबू पाया जा सके। बैंकों द्वारा बनाये रखे जाने वाले न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष को अपेक्षित 99 प्रतिशत से घटाकर 95 प्रतिशत किया गया ताकि बैंकों को नकदी का बेहतर प्रबंधन करने में थोड़ी स्वतंत्रता मिल सके। नकदी वर्धन के एक अतिरिक्त उपाय के रूप में और सावधि मुद्रा बाजार को विकसित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग व्यवस्था के एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत की समतुल्य राशि के 7 दिवसीय और 14 दिवसीय साप्ताहिक परिवर्तनीय दर वाले रेपो की शुरुआत की।

1.47 भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 जनवरी, 2014 को मौद्रिक नीति की अपनी तीसरी तिमाही समीक्षा में मुद्रास्फीति बढ़ने के जोखिम के कारण रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की वृद्धि करके उसे 8 प्रतिशत पर ला दिया। इस उपाय का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति कम करने के मार्ग पर सुरक्षित ढंग से ले जाना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जून, 2014 को अपने दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण में पॉलिसी रेपो दर को 8 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा और सांविधिक नकदी अनुपात में 50 आधार बिंदुओं की कमी की, जिससे वह 23 प्रतिशत से कम होकर 22.5 प्रतिशत पर आ गई। इस प्रकार, आरबीआई बैंकों से अपेक्षा करता है कि वे अपनी सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता कम करें ताकि वे निजी क्षेत्र को अधिक उधार देने में समर्थ हो सकें।

1.48 वर्ष 2013-14 के पूर्वार्ध में नकदी की तंगी की स्थितियां बनी रहीं जो विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिर करने के नीतिगत उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती हैं। मुद्रा बाजार 2013-14 की पहली तिमाही के दौरान व्यवस्थित बने रहे जब मांग दर रिवर्स रेपो और एमएसएफ दरों द्वारा निर्धारित परिधि के बीच मंडराती रही और पॉलिसी (रेपो) दर के नजदीक रही। तथापि, जुलाई और अगस्त 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा दर में व्याप्त अस्थिरता पर काबू पाने के लिए किए गए आपवादिक उपायों ने मुद्रा बाजार पर असर डाला और बाद में इससे मुद्रा बाजार दरें परिधि से बाहर चली गईं।

मुद्रास्फीति पर काबू पाने एवं विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता लौटाने के लिए आरबीआई ने मौद्रिक नीति में सख्त रुख अपनाया।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान शेष और विदेशी ऋण

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

1.49 वैश्विक निर्यातों और आयातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2000 के क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत से बढ़ता हुआ वर्ष 2013 में क्रमशः 1.7 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत हो गया। भारत के कुल वस्तु व्यापार में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिसका सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 2000-01 के 21.8 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 44.1 प्रतिशत हो गया।

1.50 भारत का वस्तु निर्यात 2013-14 में 312.6 बिलियन अमरीकी डॉलर (सीमा शुल्क आधार पर) तक जा पहुंचा। इसने पिछले वर्ष के दौरान की 1.8 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। अप्रैल-मई 2014 में, निर्यातों में 2013 की तदनु रूप अवधि की तुलना में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरी सामान और रसायन तथा संबद्ध उत्पादों का निर्यात 2013-14 में कुल निर्यातों के आधे हिस्से से अधिक था। 2012-13 की तुलना में 2013-14 में आयातों

के मूल्य में 8.3 प्रतिशत की गिरावट हुई जिसकी वजह तेल-भिन्न आयातों में 12.8 प्रतिशत की गिरावट हुई। पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) के आयातों के मूल्य में वर्ष 2013-14 में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के कारण सोने का आयात 2011-12 के 1078 टन से कम होकर 2012-13 में 1037 टन तथा और कम होकर 2013-14 में 664 टन रह गया। मूल्य के संदर्भ में, सोने और चांदी के आयात में 2013-14 में 40.1 प्रतिशत की गिरावट हुई और वह 33.4 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया। 2013-14 में आयातों में हुई जबरस्त गिरावट और साधारण निर्यात वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत का व्यापार घाटा 2012-13 के 190.3 बिलियन अमरीकी डॉलर से कम होकर 137.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया जिससे कैंड में कमी आई।

सेवा व्यापार

1.51 सेवा निर्यातों में 2012-13 के 2.4 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालिया वर्षों में सेवा व्यापार में अधिशेष (निवल सेवाएं) भारत के बढ़ते वस्तु व्यापार घाटे को वित्तपोषित करने का मुख्य स्रोत रहा है। 2006-07 से 2012-13 के दौरान इस अधिशेष ने वस्तु व्यापार घाटे के औसतन लगभग 38 प्रतिशत हिस्से को वित्तपोषित किया। जहां 2012-13 में, निवल सेवाओं ने वस्तु व्यापार घाटे के 33.2 प्रतिशत को वित्तपोषित किया, वहीं 2013-14 में सेवा निर्यातों में हुई साधारण वृद्धि और उनके आयातों में हुई गिरावट के परिणामतः निवल सेवाओं ने वस्तु व्यापार घाटे के लगभग आधे हिस्से को वित्तपोषित किया।

भुगतान शेष

1.52 वर्ष 2013-14 में, विशेषकर अंतिम तीन तिमाहियों में भारत के भुगतान शेष की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यूरो क्षेत्र के संकट और कतिपय प्रमुख आयातों के लिए लोचहीन घरेलू मांग के परिणामस्वरूप 2011-12 के दौरान भुगतान शेष पर देखा गया दबाव 2012-13 और 2013-14 की पहली तिमाही में भी जारी रहा। 2012-13 में कैंड में भारी वृद्धि हुई और यह 88.2 बिलियन अमरीकी डॉलर (स.घ.उ. का 4.7 प्रतिशत) के रिकार्ड स्तर पर जा पहुंचा तथा यह 2011-12 के 78.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से कहीं अधिक हो गया। 2011-12 और 2012-13 में खतरनाक रूप से अवहनीय स्तरों पर रहने के बाद, 2013-14 में भुगतान शेष की स्थिति में हुआ सुधार एक राहत जैसा है। तथापि, 2013-14 में सामने आए परिणाम मिलेजुले थे: पहली तिमाही में कैंड के ऊंचे स्तर जिसके बाद धीमा सुधार हुआ; मई 2013 तक पूंजी प्रवाहों के जरिए आम तौर पर पर्याप्त वित्तपोषण किया गया; जून-अगस्त 2013 में तेजी से सुधार जिसके बाद सितंबर-नवंबर 2013 में स्थिति में उछाल आया। जून-अगस्त 2013 में हुआ सुधार यूएस फेड द्वारा परिसंपत्तियों की खरीद को निश्चित रूप से कम किए जाने को लेकर बाजार में व्याप्त आशंका के कारण हुआ। उसके बाद प्रवाहों में आया उछाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवासी जमाराशियों और बैंकों के विदेशी उधार कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहन प्राप्त विशेष अदलाबदली मार्ग (स्वॉप विंडो) के कारण हुआ।

1.53 2012-13 में कैंड की वृद्धि मुख्यतया कमजोर पड़ते निर्यातों और अपेक्षाकृत स्थिर आयातों से उत्पन्न व्यापार घाटे में बढ़ोतरी के कारण हुई। स्थिर आयातों की वजह कच्चे पेट्रोलियम आयातों पर भारत की निर्भरता और वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत से ही बढ़ते स्वर्ण आयात हैं। हालांकि उच्च कैंड का वित्तपोषण पर्याप्त था और 2008 के संकट से पूर्व व्याप्त सामान्य प्रवृत्तियों की तर्ज पर था, लेकिन 2011-12 के दौरान और मई 2013 से व्याप्त अपर्याप्तता ने यह संकेत दिया कि कैंड की आरंभिक सीमा से परे, इसका वित्तपोषण एक समस्या खड़ी कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2008 के संकट के बाद की अवधि में, जोखिम लेने से अधिकाधिक बचने की प्रवृत्ति बनी हुई है, जिसके कारण पूंजी प्रवाहों और रुपये की विनिमय दर पर प्रभाव पड़ सकता है।

मांग में कमी एवं अनावश्यक आयातों पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप व्यापार घाटा कम हुआ एवं कैंड भी कम हुआ।

1.54 सरकार ने शीघ्रतापूर्वक किए गए इन उपायों के जरिए स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किए – सोने जैसे अनावश्यक आयातों पर प्रतिबंध लगाना; सोने और चांदी पर सीमा शुल्क में वृद्धि करके उसे 10 प्रतिशत की ऊंचाई पर लाया जाना, अर्ध-सरकारी बांडों के जरिए और विदेशी वाणिज्यिक उधारों के उदारीकरण के जरिए पूंजी प्रवाहों में वृद्धि करने के उपाय करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (बैंक) और बैंकों के विदेशी उधारों के लिए विशेष अदलाबदली मार्ग (स्वॉप विंडो) भी स्थापित की जिससे 34 बिलियन अमरीकी डॉलर जुटाए गए। इन उपायों के परिणामस्वरूप, अगली तीन तिमाहियों में और 2013-14 के संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए भुगतान शेष की स्थिति में भारी बदलाव हुआ। अधिक निर्यातों और अपेक्षाकृत कम आयातों के चलते व्यापार घाटा 2012-13 के 10.5 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद का 7.9 प्रतिशत रह गया।

1.55 2013-14 में भुगतान शेष आधार पर व्यापार घाटे में हुई 48.0 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल गिरावट में से, सोने और चांदी के आयात में हुई कमी ने लगभग 47 प्रतिशत, पीओएल-भिन्न और स्वर्ण-भिन्न आयातों में हुई कमी ने 40 प्रतिशत और अधिक आयातों ने 25 प्रतिशत का योगदान किया। पीओएल के तहत अधिक आयातों और डीजीसीआईएंडएस (वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय)-भिन्न आयातों में हुई वृद्धि ने नकारात्मक रूप से इस कटौती में योगदान किया जो 2012-13 की तुलना में 2013-14 में 12 प्रतिशत तक रही।

1.56 निवल अदृश्य अधिशेष प्रति तिमाही 28-29 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर स्थिर रहे जिनके परिणामस्वरूप 2013-14 में 115.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का समग्र निवल अधिशेष रहा। सॉफ्टवेयर सेवाओं में साधारण सुधार हुआ जो 2012-13 के 63.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से बढ़कर 2013-14 में 67.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। कारक भिन्न सेवाएं 2012-13 के 64.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 73.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गईं। ऐसा अंशतः कारोबारी सेवाओं के धनात्मक हो जाने के कारण हुआ जहां 2012-13 के 1.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के बहिर्वाह के मुकाबले 2013-14 में 1.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवल अंतर्वाह हुआ। इस प्रकार कैंड 2012-13 के 88.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले कम होकर 2013-14 में 32.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। 2013-14 में कैंड सकल घरेलू उत्पादन का 1.7 प्रतिशत था 2008 के संकट-पूर्व स्तरों की तुलना में बेहतर है।

1.57 पूंजी प्रवाह (निवल) 2012-13 के 92.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से तेजी से कम होते हुए 2013-14 में 47.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गए। यह गिरावट मूलतः पोर्टफोलियो निवेश में कमी और “अल्पावधिक ऋण” तथा “अन्य पूंजी” के निवल बहिर्वाह को प्रतिबिंबित करती है। तथापि, अंशतः घरेलू और अंशतः विदेशी कारकों के कारण तिमाहियों में भी बड़ी घट-बढ़ हुई। विशेष स्वाप विंडो के जरिए पूंजी अंतर्वाहों में वृद्धि करने के उपाय के परिणामस्वरूप लगभग 34 बिलियन अमरीकी डॉलर के भारी अंतर्वाह प्राप्त हुए।

1.58 इन अंतर्वाहों के साथ-साथ कैंड के अपेक्षाकृत कम स्तरों के चलते 2013-14 में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। मार्चात 2013 के 292.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले मार्चात 2014 में विदेशी मुद्रा भंडार 304.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर थे। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा भंडार में मार्चात 2014 में भुगतान शेष आधार पर 15.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की भंडार वृद्धि के मुकाबले मामूली अंकों में 12.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई। इस अंतर की वजह विभिन्न मुद्राओं में हो रहे उतार-चढ़ाव के कारण अमरीकी डॉलर से इतर मुद्राओं में धारित परिसंपत्तियों में हुई मूल्यांकन हानि और सोने की कीमतों में हुई गिरावट है। 20 जून, 2014 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 314.9 बिलियन अमरीकी डॉलर थे।

2013-14 में पूंजी प्रवाह साधारण रहे, परन्तु विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया।

1.59 2013-14 में मई 2013 में रुपये के मूल्य में गिरावट शुरू हो गई। यह मूल्यहास जून और अगस्त 2013 में अधिक उजागर हुआ जो माह दर माह आधार पर 5 प्रतिशत से अधिक था। सितंबर 2013 में मुद्रा दर प्रति अमरीकी डॉलर गिरकर 63.75 रुपये के स्तर पर आ गई। उसके बाद, कैड कम करने और पूंजी प्रवाहों को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2013 में रुपया वापस प्रति अमरीकी डॉलर 61.62 रुपये के औसत स्तर पर आ गया। तदनंतर रुपया एक परिधि में ही रहा और 2013-14 में स्थिर रहा। इस प्रकार 2014-15 में अब तक मुद्रा दर 2013-14 के उत्तरार्ध में देखे गए पैटर्न को प्रतिबिंबित करती है जब विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) प्रवाहों में उछाल से विदेशी मुद्रा और इक्विटी बाजारों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा था; लेकिन इक्विटी सूचकांकों में वृद्धि के मुकाबले रुपए की मूल्य वृद्धि सीमित ही रही है।

विदेशी ऋण

1.60 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकबारगी जमा राशि जुटाने से भारत के विदेशी ऋण पर असर पड़ा। भारत का विदेशी ऋण स्टॉक मार्च 2012 के 360.8 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले मार्च 2013 में 404.9 बिलियन अमरीकी डॉलर था। दिसम्बर, 2013 के अंत तक यह बढ़कर 426.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। भारत के विदेशी ऋण में अधिकांशतः दीर्घावधिक ऋण शामिल हैं और ये नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर ही रहे हैं जिसका कारण व्यापक हित ग्राही समीकरणों को देखते हुए, विशिष्ट पूंजीगत अन्तर्वाहों के विविध ऋण पर लगाए गए विवेकपूर्ण प्रतिबंध हैं।

विकास की बहाली हेतु प्राथमिकताएं

1.61 दोनों घाटे काफी हद तक नियंत्रणीय सीमा में रहने के चलते, मन्द विकास और स्फीतिकारी दबावों के बृहद आर्थिक परिणामों पर तत्काल ध्यान दिया जाना जरूरी है। अल्पकालिक स्थिरीकरण के उपायों के अलावा, नीतिगत स्तर पर व्यापक श्रृंखलाबद्ध संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिससे कि आपूर्ति पक्ष के दबावों को हल्का किया जा सके और मांग को बढ़ाने के लिए क्षेत्र सम्बंधित प्रोत्साहन दिए जा सकें। विकास को बहाल करने की दृष्टि से कतिपय विशिष्ट प्राथमिकताएं इस प्रकार तय की गई हैं।

- विकास दर को बनाए रखने के लिए निवेश की बहाली बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए परियोजनाओं की स्वीकृति में तेजी तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ-साथ क्षेत्र-वार विशिष्ट निवेश प्रोत्साहन नीतियों का होना अत्यन्त आवश्यक है।
- मध्यम आवधिक संदर्भों में देखें तो अनवरत उच्चतर विकास के लिए उत्पादकता बढ़ाने वाले संरचनागत सुधारों का होना बहुत जरूरी है।
- निवेश बहाली के प्रयासों से जुड़ी वे नीतियां हैं जो विनिर्माण क्षेत्र के लिए जरूरी है जिसके कि महत्वपूर्ण विपणन और विनिर्माण प्रभाव होते हैं। कराधान नीतियों व प्रशासन को सहज और सरल बनाना, ऐसे बोझिल कानूनों का निरसन जोकि बाजार पहुंच को बाधित करते हैं, फर्मों में प्रवेश/निकास तथा उनका विस्तार, वाणिज्यिक विवादों के लिए विवाद निपटान के कार्यवाही तंत्र का नवीकरण करना आदि वे प्रमुख उपाय हैं जिनके कारण नीतियों में निश्चितता का महत्वपूर्ण घटक लाया जा सकता है। नीतिगत सुनिश्चितता अनवरतता और पारदर्शिता के माहौल से आगे चल कर कारोबारी भावना को बढ़ावा मिलेगा।
- बृहद आर्थिक स्थिरता का सुदृढ़ीकरण जो स्थिर एवं तीव्रतर विकास का मूलधार है, राजकोषीय अनुशासन, नियंत्रणीय चालू खाता शेष और मूल्य स्थिरता पर टिका है। इन नीतिगत चुनौतियों में ये शामिल हैं:
 - पूंजीगत व्यय में कोई समझौता किए बगैर राजकोषीय घाटे पर काबू बनाए रखना;

विकास पुनरुद्धार की प्राथमिकताओं में ये शामिल हैं: निवेश पुनरुद्धार, बृहद आर्थिक स्थिरता का सुदृढ़ीकरण, गैर-कृषि रोजगारों का सृजन, अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और कृषि विकास को बढ़ावा देना।

- कैंड को सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के 2-2.5 प्रतिशत के बीच रखना। यह भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यदि विकास-बहाली होने पर तेल-भिन्न आयात बढ़ जाएं और तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाए। इसलिए इससे सतत निर्यात विकास में सहायक नीतियां अपनाना प्रासंगिक होगा।
- मुद्रास्फीति घटाने के प्रयासों को और तीव्र और त्वरित किया जाना ताकि न सिर्फ प्रत्यक्ष तौर पर दिखने वाले बृहत आर्थिक परिणामों का मुकाबला किया जा सके बल्कि बाहरी चुनौतियों का ज्यादा प्रभावी ढंग से सामना करने में एक मौद्रिक गुंजाइश बनाए रखने के लिए आर.बी.आई. को समर्थ बनाया जा सके।
- मानव-आबादी के लाभ लेने हेतु गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना होगा। चूंकि कृषि क्षेत्र अभी भी काफी तादाद में लोगों को रोजगार दे रहा है, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, विनिर्माण तथा श्रम-प्रधान अन्य सेवा क्षेत्रों पर नीतिगत ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
- शहरी तथा ग्रामीण संदर्भ में भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना जो सुदृढ़ विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और तालमेल बैठा सकते हैं, आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने और उन्हें दुबारा हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है।
- कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक दर पर स्थिर विकास के चलते सतत आर्थिक विकास संभव है। इसके लिए इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादकता, कृषि संरक्षण और बीमा की जरूरत है और साथ ही प्रापण, विपणन, परिवहन, भण्डारण तथा प्रसंस्करण की नीतियों पर नए सिरे से विचार किए जाने की महती आवश्यकता है।

2014-15 के लिए संभावनाएं

1.62 5 प्रतिशत से कम विकास के मौजूदा दौर में आगमन बड़ी तेजी से हुआ। परियोजना क्रियान्वयन में विलम्ब, मंद घरेलू भावनाओं और कतिपय अनिश्चित ग्लोबल परिदृश्य के साथ-साथ अवसंरचनात्मक बाध्यताओं ने सामान्य मंदी में योगदान दिया जिसके साथ-साथ वृहद आर्थिक स्थिरीकरण विशेषकर चुनौतीपूर्ण हो गया है। इन कारकों के चलते जोखिम से बचने की प्रवृत्ति आई तथा निवेश गतिविधियों में काफी अनिश्चितता बढ़ी। चालू वृहद आर्थिक स्थिति राजकोषीय उत्प्रेरण को रोकती है। इसी प्रकार, विकास को बहाल करने की दृष्टि से मौद्रिक नीतिगत आकलनों और परिकलन का काम भी निरन्तर जारी मुद्रास्फीति के कारण दूभर हो गया है और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय परिस्थितियों में व्याप्त अनिश्चितता और अभी हाल में रुपए के मूल्य में हुई गिरावट के कारण और भी पेचीदा हो गया है। सरकार और आर.बी.आई. द्वारा किए गए लक्षित उपायों से विदेशी आर्थिक स्थितियां महत्वपूर्ण स्तर तक सुधरीं, भले ही भारत निवेशकर्ताओं के संवेगों के और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत परिवर्तनों के प्रति जोखिम ग्रस्त रहा। विकास प्रक्रिया की गति बहाल करने के लिए घरेलू स्तर पर वृहद-आर्थिक सन्तुलन और दक्षता कौशल को बढ़ाए जाने की जरूरत होती है। इसके लिए इस दिशा में नीतियां निर्धारित करते समय राजकोषीय समेकन पर अडिग रहना और अवसंरचनात्मक बाधाओं को पार किया जाना जरूरी है। यद्यपि इस दिशा में कई उपाय किए गए हैं, लगभग 7-8 प्रतिशत पर विकास दर को हासिल करना इस वर्ष और अगले वित्त वर्ष के बाद ही संभव हो सकेगा।

1.63 2014-15 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कुछ सुधार होने पर ग्लोबल आर्थिक गतिविधियों के कुछ मजबूत होने की उम्मीद है। यूरोपीय क्षेत्र में वर्ष 2012 और 2013 (आई.एम.एफ., डब्ल्यू.ई.ओ. अप्रैल, 2014) में देखे गए संकुचन के मुकाबले 1 प्रतिशत के उपर की विकास दर दर्ज करने की संभावना है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीतिगत उपाय, नकारात्मक निक्षेप सुविधा ब्याजदर की

संरचनागत रुकावटों को दूर करने के लिए किये गए कुछ उपायों के बावजूद, लगभग 7-8 प्रतिशत की विकास दर को हासिल करना इस वर्ष और अगले वित्त वर्ष के बाद ही संभव होगा।

शुरूआत करने से आर्थिक गतिविधियों का बढ़ना संभावित है। इसके अतिरिक्त, अमरीका में रीयल क्षेत्र में निष्पादन (जो कि कालान्तर में कम होना संभावित है) प्रमुख कारक है जोकि वर्ष 2014-15 में वैश्विक आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, विकासशील एशियाई देशों में विकास की संभावना सामान्यतया लाभकर है जहां मुद्रास्फीति, अवसंरचनात्मक गत्यावरोधों और बाहरी असन्तुलों से जूझना होगा। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में मंदी एक अहम मुकाम पर पहुंच गई है।

1.64 बढ़ी हुई अस्थिरता के साथ-साथ गिरावट की स्थिति, जो कि मिसाल के तौर पर, भारत में 2008-09 के बाद नियत निवेश में देखी गई, अक्सर ऐसे आघातों (उदाहरणतः सामान्य से कम मॉनसून और/अथवा तेल की कीमतों में वृद्धि) के अंतरण चैनलों और प्रभावों को अधिक पैना कर देती है तथा सकारात्मक माहौल बनाने में बाधा खड़ी करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर मूल्यों पर उपादान लागत पर स.घ.उ. में केवल क्रमिक पुनरुद्धार कर सकती है जो 2014-15 में 5.4-5.9 प्रतिशत के बीच में होना अनुमानित है। इसमें यह अनुमान लगाया गया है कि अप्रैल 2014 में औद्योगिक क्षेत्र में देखी गई विकास बहाली को वर्ष की शेष अवधि में भी जारी रहेगी और सामान्य तौर पर तेल कीमतों के सकारात्मक परिदृश्य बने रहेंगे (मध्यपूर्व एशिया में हालिया घटनाक्रमों में व्याप्त अनिश्चितता के बावजूद) और इन सुस्पष्ट अस्थिरवादी आघातों (इसमें औसत से कम स्तर का मानसून भी शामिल है) के न रहने की प्रत्याशा की गई है। उपर्युक्त श्रेणी में विकास एक तीव्र गति को दर्शाता है, जिसे सुस्थिर चालू खाते में के साथ बेहतर बाहरी आर्थिक स्थितियों, धीमे पूंजी अंतवाहों, सुधरी हुई राजकोषीय स्थितियों तथा दूसरी तरफ आपूर्ति के क्षेत्र में बेहतर तथा प्रचुर विद्युत उत्पादन और विनिर्माण और कतिपय गैर सरकारी क्षेत्र में सेवाओं में हुए सुधार से मदद मिलेगी।

1.65 2014-15 में निम्नलिखित कारणों से विकास दर के उपर्युक्त श्रेणी में कमोवेश बने रहने का अनुमान है:- (i) निवेश चक्र को गतिशील बनाने के लिए शुरू किए गए उपायों (जिनमें परियोजना मंजूरी और उद्योगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन शामिल हैं) का असर केवल धीरे-धीरे हो रहा है; (ii) कतिपय एशियाई अर्थव्यवस्थाओं खासकर चीन में सकारात्मक विकास; (iii) मुद्रास्फीति का अभी भी बढ़ा हुआ स्तर नीतिगत दरों को कम करने के लिए आर.बी.आई. के कार्यक्षेत्र को बाधित कर रहा है; और (iv) औसत से कम स्तर का मानसून होने की संभावना। भू-राजनैतिक तनावों के अधिक लंबे समय तक चलने के कारण भी जोखिम उभरा है। सकारात्मक परिप्रेक्ष्य से देखें तो विशाल परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन के लिए संस्थागत सुधार और प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उम्मीद से कहीं ज्यादा सुदृढ़ सुधार जैसे कारकों से भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंची दरों पर विकास हासिल करने में सहायता मिल सकती है।

क्षेत्रक विकास

1.66 आगे मुख्य क्षेत्रक मुद्दों और घटनाक्रम की रूपरेखा दी गई है। ये घटनाक्रम उस बृहत आर्थिक परिदृश्य का हिस्सा हैं जो पिछले खण्डों में बताया गया है।

कृषि एवं खाद्य प्रबन्धन

1.67 पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में खासी तरक्की की गई है। 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में खाद्यान्न के अंतर्गत समग्र क्षेत्रीय कवरेज में लगभग 40 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक वर्ष 2013-14 में 264.40 मिलियन टन खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना है जो कि पिछले पांच वर्षों के दौरान के औसत उत्पादन की तुलना

विनिर्माण में हुए बेहतर निष्पादन, भुगतान शेष की बेहतर स्थिति और सामान्य वैश्विक विकास पुनरुद्धार से 2014-15 में, अर्थव्यवस्था में 5.4-5.9 प्रतिशत की दर पर विकास होने की संभावना है।

वर्ष 2013-14 में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन देखा गया।

में 20 मिलियन टन की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2012-13 में बागवानी उत्पादों के 265 मिलियन टन रहने का अनुमान किया गया है और ये पहली बार खाद्यान्नों तथा तिलहन के उत्पादन से अधिक बढ़ गए हैं।

1.68 कृषि तथा इससे सम्बद्ध दूसरे क्षेत्रों में भारी उत्पादन की वजह इस क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में हुई सुस्थिर वृद्धि रही है जो इस क्षेत्र में (निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2006-07 के 14.9 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 21.2 प्रतिशत (2004-05 के मूल्यों पर) हो गया। तथापि, कृषि तथा इससे सम्बद्ध क्षेत्रों में कुल जी.सी.एफ. में सार्वजनिक व्यय की सहभागिता (जिसमें सार्वजनिक निवेश और इनपुट सब्सिडी शामिल हैं) 2006-07 के 25 प्रतिशत से कम होती हुई 2013-14 में 14.7 प्रतिशत रह गई है। कृषि अनुषंगी स.घ.उ. के अनुपात के रूप में निजी निवेश 2007-08 के 12.6 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 18.1 प्रतिशत हो गया है।

1.69 2014-15 के मानसून में एल निनो के संभावित आगमन जैसी चिन्ताएं बरकरार हैं, जब प्रशान्त महासागर का सतहगत तापमान कई महीनों के लिए औसत से अधिक बढ़ जाता है तथा इसके कारण कई इलाकों में मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस घटना का भारत की कृषि और आगे चलकर खाद्यान्न मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुल खाद्यान्न और तिलहन का करीब 60 फीसदी हिस्सा खरीफ फसलों में उत्पादित होने के कारण और कृषि योग्य खेती में केवल 35 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित होने के चलते, भारतीय कृषि अभी भी काफी हद तक वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितम्बर) भारत में होने वाली कुल वर्षा में से लगभग 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी अदा करता है। जून 2014 में मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक सब-नार्मल/डेफीशिएंट दक्षिण-पश्चिम मानसून की संभाव्यता 71 प्रतिशत है तथा एल-निनो की संभावना 70 प्रतिशत है। तथापि, एल निनो का असर वर्ष के आकाशीय और अस्थायी संवितरण पर निर्भर होगा। पिछले पांच वर्षों के दौरान 11 जून तक मौसम विभाग के 36 उप-मंडल कार्यालयों और जिलों में वर्षा वितरण का तुलनात्मक अध्ययन इस वर्ष बेहतर वर्षा वितरण की संभावना व्यक्त करता है। तथापि, जलाशयों की भण्डारण स्थिति भी पिछले वर्ष और पिछले दस वर्षों के औसत से बेहतर है।

1.70 अन्य बातों के साथ-साथ, चुनिंदा कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में विस्तार के कारण खाद्यान्न उत्पादन में इज़ाफा हुआ है। सरकारी खरीद में काफी वृद्धि हो जाने के कारण केन्द्रीय पूल में 01 जून 2014 को विद्यमान स्थिति के अनुसार 77.7 मिलियन टन अनाज का बड़ा भंडार मौजूद है। खाद्यान्न की प्रतिव्यक्ति निवल उपलब्धता जो कि 2009 में 162.1 कि.ग्रा. वार्षिक थी बढ़कर 2013 में 186.5 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष हो गई है। इसी प्रकार, खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता भी 12.7 कि.ग्रा. वार्षिक से बढ़कर 15.8 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष हो गई है।

1.71 हालांकि ये उत्पादन अनुमान भारतीय कृषि क्षेत्र में प्रचुरता के संकेत दे रहे हैं, तथापि, कतिपय चिन्ताएं भी बनी हुई हैं। भारतीय कृषि में उत्पादकता का स्तर ग्लोबल मानकों से अभी भी काफी कम है। 1980 के दशक के बाद से चावल और गेहूं के उत्पादन स्तर में काफी अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है जबकि कपास की फसल ने पिछले दशक में आश्चर्यजनक रूप से उछाल भरी है, ऐसा मुख्यतः बी.टी. कॉटन के कारण हुआ है; दालों तथा मोटे अनाज में भी थोड़ी वृद्धि देखी गई है। नई प्रौद्योगिकी और स्तरीय मशीनों, उपकरण आदि अवदानों के बिना वांछित उत्पादन स्तर को हासिल करना मुश्किल है। उर्वरकों के प्रयोग के घटते स्तर के कारण मिट्टी का अवक्रमण और जलस्तर में हो रही खतरनाक कमी खासकर पंजाब तथा हरियाणा में जहां के फसल के तौर-तरीकों में ऐसा होता है, आदि अन्य प्रमुख चिन्ताएं हैं। पोषाहार आधारित सब्सिडी नीति, जिसके क्षेत्राधिकार में यूरिया नहीं है, की नए सिरे से समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

1980 के दशक के बाद चावल और गेहूं के उत्पादकता स्तरों में खास वृद्धि नहीं हुई है।

1.72 सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की कीमतों के कारण उर्वरकों के उपयोग में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सब्सिडी के सीधे अन्तरण पर गठित कार्यदल ने किसानों को उर्वरक सब्सिडी चरणबद्ध रूप से सीधे अदा किए जाने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों पर विचार किए जाने की जरूरत है। पंजाब और हरियाणा में फसल विविधीकरण की स्कीम लागू की गई है और इससे आशा है कि तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा तथा किसान फसल विकल्पों को चुनने के लिए प्रोत्साहित होंगे। भारतीय कृषि में सीमित मात्रा में पूंजी की उपलब्धता वाले छोटे और सीमान्त कृषि क्षेत्रों की बहुलता ही भारतीय कृषि के यांत्रिकीकरण में एक भारी बाधा बनी हुई है।

1.73 कृषि जिनसे देशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दिया जाना जरूरी है। बाजार संबंधी उपादानों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली दखलअन्दाजियां वास्तव में व्यापार में बाधाएं ही खड़ी करती हैं। जरूरत इस बात की है कि कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय सामान्य बाजार विकसित किया जाए, जहां घरेलू बाजार में एक समान कर हों तथा कृषि उत्पादों के लिए एक दीर्घ-आवधिक सुस्थिर व्यापार नीति को प्रोत्साहन दिया जाए।

1.74 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) हेतु 11 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से खाद्यान्न खरीद की विकेन्द्रीकृत प्रणाली को सभी राज्यों में लागू किए जाने की जरूरत है। इससे परिवहन की लागत, पारगमन सम्बन्धी नुकसान तथा अन्य हानियों से बचा जा सकेगा, इससे खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ेगी, खुले बाजार में खाद्यान्न की कीमतों में कमी और इस प्रकार खाद्यान्न सब्सिडी भी घटेगी।

उद्योग और अवसंरचना

1.75 सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उद्योग क्षेत्र ने 2012-13 में 1.0 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की थी जोकि कम होकर अब 2013-14 में 0.4 प्रतिशत रह गई है। इस खराब प्रदर्शन की मुख्य वजह खनन में संकुचन और विनिर्माण क्षेत्र में अवमन्दन का होना है। 2013-14 में विनिर्माण और खनन क्षेत्र सम्बन्धी स.घ.उ. में क्रमशः 0.7 प्रतिशत तथा 1.4 प्रतिशत की कमी हुई है। इसके निहित कारणों के मूल में निवेश विशेषकर 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान निजी कॉरपोरेट क्षेत्र के निवेश में आई बड़ी मंदी रही है।

खनन उत्पादन 2013-14 में लगातार तीसरे वर्ष भी कम रहा।

1.76 आईआईपी आंकड़ों के अनुसार, खनन उत्पादन 2013-14 में लगातार तीन वर्ष से कम होता रहा तथा इसमें 0.6 प्रतिशत की गिरावट हुई। के.जी.-6 बेसिन से उत्पादन घटने के कारण प्राकृतिक गैस का उत्पादन बहुत गिर गया है। पिछले वर्ष के 4.0 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में विद्युत उत्पादन में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो हालिया वर्षों में क्षमता निर्माण में वृद्धि के कारण संभव हो सका है।

1.77 निर्माण क्षेत्र में व्याप्त मंदी के कारण इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों में क्षमता से कम उपयोग हुआ है। 2013-14 में इस्पात तथा सीमेंट उपभोग के स्तर में क्रमशः 0.6 तथा 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र में सबसे कमजोर निष्पादकों में से एक क्षेत्र रहा है। इसके सूचकांक में 2012-13 में 6.0 प्रतिशत की गिरावट हुई तथा और 2013-14 में 3.6 प्रतिशत की गिरावट हुई।

1.78 आठ प्रमुख उद्योगों यथा- कोयला, उर्वरक, विद्युत, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात और सीमेंट में औसत विकास दर 2012-13 के दौरान के 6.5 प्रतिशत से गिरकर 2013-14 में 2.7 प्रतिशत रह गई। विकास में यह गिरावट मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल में संकुचन तथा कोयले, उर्वरक और रिफाइनरी उत्पादों के मंद विकास के कारण रही है।

1.79 लगातार चल रही मंदी ने कारपोरेट क्षेत्र के निष्पादन को भी प्रभावित किया है। बिक्री वृद्धि विशेष रूप से सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की बिक्री वृद्धि 2011-12 के पहली तिमाही के 24.9 प्रतिशत से कम होती हुई 2013-14 की तीसरी तिमाही में 4.5 प्रतिशत पर सिमट गई। 2013-14 की तीसरी तिमाही में क्षमता उपयोगिता (सी.यू.) व्यापक रूप से समान रही। 2013-14 में दूसरी तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में तैयार वस्तुओं की सूची के बिक्री अनुपात में भी गिरावट देखी गई।

1.80 1000 करोड़ रुपए या इससे अधिक की लागत वाली कुल 239 केन्द्रीय अवसंरचना परियोजनाओं में से 99 नवीनतम सूची के संदर्भ में विलंबित बताई गई हैं और 11 परियोजनाओं के बारे में अर्थात् पिछले महीनों में कार्य समापन की तिथि (फरवरी, 2014 की फ्लैश रिपोर्ट, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के संदर्भ में अतिरिक्त विलंब की सूचना दी गई है। अतिरिक्त विलम्ब की यह अवधि 1 से 26 महीनों की हो सकती है। ये सभी परियोजनाएं पेट्रोलियम, विद्युत, इस्पात तथा कोयला क्षेत्रों से संबंधित हैं।

1.81 अवसंरचनात्मक सेवाओं में, रेलों द्वारा ढोए गए माल, प्रमुख पत्तनों द्वारा और नागर विमानन क्षेत्र द्वारा निष्पादित (कार्गो आयात के सिवाय) 2013-14 के दौरान तुलनात्मक रूप से ज्यादा वृद्धि हुई है। सड़क क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में 2013-14 के दौरान 33 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज कराई है, जबकि 2012-13 में यह वृद्धि 26.5 प्रतिशत रही थी।

1.82 उद्योगों में लगाया गया सकल बैंक ऋण के अन्तर्वाहों में 2012-13 के 17.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में 14.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। खनन क्षेत्रों में दिया गया ऋण अन्तर्वाह 2013-14 के दौरान 0.05 प्रतिशत की दर पर स्थिर बना रहा। 2013-14 के दौरान विद्युत क्षेत्र के निष्पादन के मद्देनजर दिए गए ऋण प्रवाह में 24.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोलियम, रसायन और रासायनिक उत्पादों, मूल धातुएं, परिवहन और सभी इंजीनियरिंग क्षेत्रों ने विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 में कमतर विकास दर दर्शाई है। प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में बैंक ऋण की वृद्धि की दर का औसत जो 2011-12 में 44.8 प्रतिशत था, घटकर 2013-14 में 17.7 प्रतिशत पर सीमित हो गया। दूरसंचार क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में निरन्तर गिरावट देखी गई है।

1.83 प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह (एफडीआई) ने 2012-13 में 60.9 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2013-14 में 22.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराई है। हाल के वर्षों में सेवाओं, निर्माण, दूरसंचार, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर, औषधि तथा भेषज, ऑटोमोबाइल उद्योग, विद्युत, धातु उद्योगों तथा होटल और पर्यटन क्षेत्रों ने अधिकतम एफडीआई प्रवाहों को आकृष्ट किया है।

सेवा क्षेत्र

1.84 2001 से 2012 की अवधि के दौरान भारत का सेवा क्षेत्र 9 प्रतिशत की सी. ए.जी.आर. के साथ अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक तेजी से बढ़ता तथा शेष दुनिया में दूसरे नम्बर पर सबसे तेज उभरते क्षेत्र के रूप से सामने आया है। 10.9 प्रतिशत सी.ए.जी. आर. के साथ चीन विश्व में पहले नम्बर पर है। विदेशी मुद्रा जुटाने, निर्यात वृद्धि और रोजगार मुहैया कराने में सेवा क्षेत्र का योगदान विशेष रूप से सराहनीय है। रोजगार सृजन में सेवा क्षेत्र की भागीदारी 1993-94 के 19.7 प्रतिशत थी जोकि बढ़कर 2011-12 में 26.9 प्रतिशत हो गई है।

1.85 उद्योगों की तरह, सेवा क्षेत्र भी पिछले दो वर्षों के दौरान धीमे विकास का शिकार रहा है। विकास में यह मंदी व्यापार, होटलों तथा रेस्टोरेंट और परिवहन,

उद्योग में मंदी कारपोरेट क्षेत्र में व्याप्त कमतर बिक्री-वृद्धि में प्रतिबिम्बित हुई।

2013-14 में उद्योग को प्राप्त ऋण प्रवाह की वृद्धि कम रही।

भण्डारण और संचार की संयुक्त श्रेणी में तेज रही थी। तथापि, वित्तपोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा तथा कारोबारी सेवा के क्षेत्रों में काफी विकास जारी रहा।

वित्तीय मध्यस्थता

1.86 एक सुदृढ़ बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के उभरने के लिए वित्तीय सुधार बेहद जरूरी हैं। एक कार्यक्षम वित्तीय तंत्र विकास, वित्तीय समावेशन और स्थिरता को बढ़ावा देगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम का पारित होना, वस्तुओं के वायदा व्यापार के विनियामक पर्यवेक्षण को वित्त मंत्रालय के तहत लाना और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण 2013-14 के प्रमुख घटनाक्रम हैं।

1.87 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र जिसमें वैश्विक वित्तीय संकट के ठीक बाद पर्याप्त समुत्थानशीलता दिखाई दी, पर पिछले दो वर्षों के दौरान वैश्विक और घरेलू आर्थिक मंदी के कारण असर पड़ा है। वर्ष 2012-13 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की परिसम्पत्तियों की गिरती गुणवत्ता चिंता का एक बड़ा सबब रही है, जब बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में तेजी से बढ़ोत्तरी हो गई। बैंकिंग क्षेत्र का सकल एनपीए मार्च, 2011 में दिए गए कुल ऋण के 2.36 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2014 में कुल ऋण का 3.90 प्रतिशत हो गया (अंतिम)। इस मंदी के फलस्वरूप और ऋण-निवेश के उच्च अनुपात के चलते कुछ उद्योग और अवसंरचना क्षेत्रों नामतः वस्त्र उद्योग, रसायन, लोहा और इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण और दूरसंचार के एनपीए में तेजी से वृद्धि देखी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (2013) में पांच क्षेत्रों-अवसंरचना, लोहा और इस्पात, वस्त्र उद्योग, विमानन और खनन-की दबावग्रस्त क्षेत्र के रूप में पहचान की है। सरकारी क्षेत्र के बैंक भी आम तौर पर 'उद्योग' क्षेत्र के प्रति और विशेष रूप से ऐसे दबावग्रस्त क्षेत्रों के प्रति जोखिमग्रस्त हैं।

1.88 नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है, 1 जनवरी, 2004 को अथवा उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। यह भारतीय पेंशन व्यवस्था में एक बड़े सुधार के रूप में है और इसमें व्यक्तिगत खाते, सुस्पष्ट अंशदान प्रणाली अपनाकर भारत में वृद्ध नागरिकों के लिए एक स्थायी समाधान की बुनियाद रखी गई है। 7 मई, 2014 तक एनपीएस के तहत 67.41 लाख सदस्य नामांकित किए गए हैं और इसकी संचित निधि 51,147 करोड़ ₹ है। 1 मई, 2009 से एनपीएस को भारत में सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया था जिसमें वे स्वैच्छिक आधार पर शामिल हो सकते हैं। वर्ष 2010 में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कामगारों के लिए शुरू की गई स्वावलम्बन योजना जो आरंभ में 2010-11 में पंजीकरण करवाने वाले लाभार्थियों के लिए तीन वर्ष के लिए शुरू की गई थी, को अब 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में नामांकित लाभार्थियों के लिए पांच वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह इस योजना के तहत अंशदान के लाभ 2016-17 तक मिलते रहेंगे।

1.89 वित्तीय क्षेत्र को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप लाने के लिए उसमें सुधार लाने की दृष्टि से सरकार ने 24 मार्च, 2011 को एफएसएलआरसी गठित किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय वित्तीय क्षेत्र में संस्थागत, कानूनी और विनियामक फ्रेमवर्क तथा प्रचालनात्मक परिवर्तनों पर विधायी और गैर-विधायी दोनों प्रकार की विस्तृत सिफारिशों की हैं। एफएसएलआरसी द्वारा प्रस्तावित भारतीय वित्तीय संहिता (आईएफसी) के मसौदे में ऐसे उपबंध हैं जो अधिकांश मौजूदा वित्तीय कानूनों का स्थान लेंगे। एफएसएलआरसी ने एक संशोधित वित्तीय विनियामक संरचना तैयार की है जो प्रत्येक संगठन के लिए स्पष्ट उद्देश्य निहित करके और यह हितों के टकराव से बचते हुए जवाबदेही बढ़ाएगी। इस परिवर्तित व्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकार के लिए संबंधित कार्यकलापों के लिए किफायत बरतना भी सुसाध्य होने की व्यवस्था की गई है।

1.90 वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की 24 अक्टूबर, 2013 को हुई आठवीं बैठक में परिषद ने निर्णय लिया कि विनियामक स्वैच्छिक रूप से अभिशासन वर्धन वाली ऐसी सिफारिशों को अपनाएंगे जिनके लिए विधायी परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है। इस कदम के परिणामस्वरूप, प्रारूप भारतीय वित्तीय संहिता के अभिशासन वर्धन के गैर विधायी पहलुओं को स्वेच्छा से अपनाने के संबंध में एक पुस्तिका निकाली गई है और एक एमआईएस विवरण तैयार किया गया है जो इसके अनुपालन पर नजर रखेगा।

1.91 आईएफसी को कार्यान्वित करने के लिए अनेक नए संगठनों की स्थापना की जरूरत पड़ेगी। एफएसडीसी ने चार नए संगठनों के संस्थागत निर्माण की शुरुआत करने का निर्णय लिया: समाधान निगम (आरसी) जो दबावग्रस्त वित्तीय फर्मों का पता लगाएगा और उनसे संबंधित कार्य करेगा: सरकारी ऋण प्रबंधन एजेंसी जो सरकार के लिए घरेलू और विदेशी उधार की प्रबंध व्यवस्था करेगी; वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण जो वित्तीय एजेंसियों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा; और वित्तीय आंकड़ा प्रबंधन केन्द्र जो एफएसडीसी के भीतर ही डाटाबेस का कार्य करेगा। इनसे भारतीय वित्तीय तंत्र का एक समग्र चित्र उभरेगा।

मानव विकास

1.92 बड़ी और युवा आबादी वाले भारत को मानव-आबादी की एक महत्तर स्थिति प्राप्त है। यहां कार्यक्षम आबादी का अनुपात 2001 में 58 था जोकि अनुमानतः अब बढ़कर 2021 तक 64 प्रतिशत पर पहुंचने वाला है। हालांकि इससे नए अवसर तो मिलते हैं लेकिन यह कई चुनौतियां भी खड़ी करती है। नीति नियामकों को देश की विकास परक नीतियां इस तरह से बनानी होंगी जोकि प्रचुरतः विद्यमान युवा आबादी पर लक्षित हों। मानव आबादी के लाभ हमें हमेशा नहीं मिलेंगे। अतः देश की आबादी को स्वस्थ, शिक्षित और पर्याप्त तौर पर कुशल बनाने के लिए समय रहते कुछ पूर्वोपाय कर लेने चाहिए।

1.93 संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट (एच.डी.आर. 2013) के अनुसार, भारत का मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) 2012 में 0.554 था जोकि 2012 की एच.डी.आर. के अनुसार 134 की तुलना में फिसलते हुए 136 पर आ पहुंचा है। भारत चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम सहित मध्यम मानव विकास श्रेणी में शामिल देश है। इन देशों की इसी श्रेणी में बेहतर समग्र एच.डी.आई. रैंकिंग है। कई विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत में शिक्षा तथा स्वास्थ्य संकेतकों के मौजूदा अन्तराल को पाटने के लिए, शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य का प्रसार और तेजी एवं गहनता के साथ करना होगा। भारत में जीवन प्रत्याशा 2012 में 65.8 वर्ष थी, जबकि श्रीलंका में यह 75.1 वर्ष तथा चीन में 73.7 वर्ष है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं पर किया गया व्यय 2008-09 में 6.8 प्रतिशत था जोकि बढ़कर 2013-14 में 7.2 प्रतिशत हो गया है (बजट अनुमान) जिसमें शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया तथा इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर किया जाने वाला खर्च भी 1.3 प्रतिशत से बढ़कर 1.4 प्रतिशत हो गया है।

1.94 निर्धनता अनुपात 2004-05 में 37.2 प्रतिशत था जोकि घटकर 2011-12 में 21.9 प्रतिशत रह गया है। समग्र संदर्भ में देखें तो निर्धनों की जो संख्या 2004-05 में 407.1 मिलियन थी, वह घटकर 2011-12 में 269.3 मिलियन रह गई है। 2004-05 से 2011-12 की अवधि में, रोजगार विकास (सीएजीआर) केवल 0.5 प्रतिशत था, जबकि 1999-2000 से 2004-05 की अवधि में यह 2.8 प्रतिशत रहा था। तथापि, सामान्य अवस्थानुसार (मूल + अनुषंगी) बेरोजगारी दर लगभग 2 प्रतिशत पर मंडराती रही है।

यदि समय रहते कार्रवाई न की गई तो मानव-आबादी का लाभ हमेशा उठाने की संभावना नहीं रहेगी।

सतत विकास और जलवायु परिवर्तन

1.95 सतत विकास सार्वभौमिक साम्यता हासिल करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। विकास की तदर्थवादी कारोबारी सामान्य दृष्टि के कारण अवहनीय उपभोग का पैटर्न सामने आया है जो कि मूलतः विकसित देशों की वजह से ही है। मानव-कृत्य ही जलवायु में परिवर्तन की असल वजह हैं। ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) का उत्सर्जन स्तर 2000 और 2010 के बीच औसत 2.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर बढ़ा है जबकि 1970 और 2000 के बीच यह 1.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष हुआ करता था। 2010 में भारत में प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन का स्तर 1.7 मीट्रिक टन रहा, जोकि विश्व के प्रतिव्यक्ति औसत 4.9 मीट्रिक टन से अभी भी काफी कम है।

1.96 इस समय, सरकारें जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के बारे में दो नए करारों पर काम कर रही हैं। ये दोनों ही करार नए ग्लोबल दिशा-निर्देश होंगे जिन पर आधारित कार्रवाइयों को अगले वर्ष अमली जामा पहनाया जाएगा। रियो + 20 मैन्डेट के अनुसरण में ग्लोबल समुदाय एक वहनीय विकास परक उद्देश्यों (एसडीजी) की स्थापना करने के कार्य में लगा है। संभावित है कि 2015 के अंत तक इन्हें सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) में मिला दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में काम जारी है और एसडीजी से सम्बन्धित कई विषयपरक केन्द्रक क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है।

1.97 इस ग्लोबल समझौते में अत्यंत महत्वपूर्ण और अहम बात यह है कि इस नई संरचना में विकसित और विकासशील देशों की क्या हैसियत होगी। किसी भी भावी करार में भारत की चिन्ताओं और इसके विकासपरक सरोकारों का सम्यक ध्यान रखा जाना चाहिए। जरूरत यह सुनिश्चित किए जाने की है कि इस नए समझौते में समता साम्यता और साझे किन्तु विभेदीकृत दायित्वों को सुदृढ़तापूर्वक शामिल किया जाए। ग्लोबल वायुमंडलीय संसाधनों तक सभी की “समान” पहुंच और विकसित देशों का ऐतिहासिक दायित्व इन अंतर्राष्ट्रीय करारों के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं का निर्धारक होना चाहिए। इसमें यह अवश्य ही सुनिश्चित किया जाए कि विकासशील देशों को अपेक्षित ‘कार्बन गुंजाइश’ और ‘विकास परक गुंजाइश’ पर्याप्त रूप में दी जाए। इसके क्रियान्वयन के तौर-तरीकों का मामला भी अहम है। सतत विकास लक्ष्यों के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी और ग्रीन क्लाइमेट फंड के गैर-पूंजीगत होने से ग्लोबल विचारविमर्श की साख को जोखिम हो सकता है।

1.98 भारत में बारहवीं पंचवर्षीय योजना में सतत सम्प्रेषणीयता पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत ने 1990 और 2011 के दौरान जीडीपी के प्रतियूनिट कार्बन उत्सर्जन में 20 प्रतिशत की कमी की है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर जनवरी, 2012 में 23 गीगावाट तक जा पहुंची है, जोकि कुल विद्युत उत्पादन क्षमता के 12 प्रतिशत के करीब है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना और जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजनाओं (एसएपीसीसी) के कार्यान्वयन में अच्छी-खासी प्रगति हुई है। नौ राज्यों के एसएपीसीसी को समर्थन दिया जा चुका है।

1.99 भारत की निम्न कार्बन रणनीति की संचयी लागत का अनुमान एक विशेषज्ञ समूह द्वारा 2011 के मूल्यों के आधार पर 2010 और 2030 के बीच 834 बिलियन अमरीकी डॉलर किया गया है। चूंकि इस कार्य के लिए अपेक्षित संसाधन की मात्रा बहुत बड़ी है, अतः इसके चलते भारत के प्रयासों में अड़चन आ सकती है। ग्लोबल विमर्श धरती के संसाधनों के उचित तथा निष्पक्ष बंटवारे, अमीर तथा गरीब राष्ट्रों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने, अनुपयोगी उपभोग को समाप्त करने, स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने, संसाधनों के उपयोग में लगातार दक्षता लाने के अवसर मुहैया कराता है। इस सब के मूल में निहित है—वैश्विक अधिकारों और दायित्वों-दोनों का ही न्यायसंगत बंटवारा।

2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या और अनुपात में उल्लेखनीय कमी देखी गई थी।

2010 में भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 1.7 मीट्रिक टन था, जो 4.9 मीट्रिक टन की वैश्विक औसत से काफी कम था।

नए जलवायु करारों में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि विकासशील देशों को अपेक्षित ‘कार्बन गुंजाइश’ और ‘विकास गुंजाइश’ प्रदान की गई है।

अध्याय 2

मुद्दे और प्राथमिकताएं

रोजगार और आय की वृद्धि के लिए अनिवार्य निवेश के पुनरुद्धार के लिए त्रिमार्गी दृष्टिकोण अपना अपेक्षित है जो भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को बढ़ाते हुए कार्य करेगा। सर्वप्रथम, सरकार को अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति, राजकोषीय समेकन और खाद्य-बाजार के सुधारों के लिए ढांचा स्थापित करते हुए निम्न मुद्रास्फीति को सुनिश्चित करना होगा। दूसरा, इसे कर और व्यय में सुधार के माध्यम से सरकारी वित्त साधनों को वहनीयता के मार्ग पर लाना होगा। कर सुधारों में जीएसटी, डीटीसी और अधिक सुनिश्चित कर प्रशासन अपेक्षित है। व्यय-सुधारों में सार्वजनिक सेवाओं, राजसहायता संबंधी कार्यक्रम के लिए नए प्रारूपों, और जवाबदेही के लिए तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारत को एक परिपक्व बाजार अर्थव्यवस्था के लिए विधिक और विनियामक ढांचों की आवश्यकता है। इसमें पुराने प्रचलित कानूनों को निरस्त करने और बाजार की विफलताओं से निपटने के लिए राज्य की क्षमता सृजित करने की आवश्यकता है।


सुधार कार्यक्रम

2.2 आज भारत में निर्णायक चुनौती रोजगार और वृद्धि सृजन की है। रोजगार फर्मों द्वारा निवेश और वृद्धि करने पर सृजित होते हैं। अतः फर्मों के लिए निवेश करने का उपयुक्त वातावरण सृजित करना महत्वपूर्ण है। हाल ही में, व्यवसाय चक्र में गिरावट में निवेश का पतन देखा गया है। निवेश का पुनरुद्धार सरकार की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर होना चाहिए।

2.3 निवेश दीर्घावधिक विकास संभावनाओं के आधार पर किए जाते हैं। भारत में निवेश के पुनरुद्धार की कुंजी भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की प्रवृत्ति के पुनरुद्धार में निहित है। सुधार इन तीन मोर्चों पर आवश्यक है: निरंतर निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति के लिए ढांचा सृजित करना, कर और व्यय सुधार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय साधनों को सतत मार्ग पर स्थापित करना, और सुचारित बाजार अर्थव्यवस्था के लिए विधिक और विनियामक ढांचा सृजित करना।

2.4 सर्वप्रथम, सरकार को अनिवार्य रूप से सुदृढीकरण के माध्यम से मौद्रिक नीति के ढांचे को स्थापित करके, और अन्न के लिए प्रतिस्पर्द्धी राष्ट्रीय बाजार सृजित करके निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति की अनिश्चितता कम होगी और स्थिर व्यावसायिक वातावरण पुनः स्थापित होगा। इसके अतिरिक्त, निम्नतर मुद्रास्फीति संभावनाओं से घरेलू पारिवारिक वित्तीय बचत बढ़ेगी और निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे।

2.5 दूसरा, सार्वजनिक वित्तीय साधनों को सतत मार्ग पर लाने की आवश्यकता है। भारत को तीव्र राजकोषीय सुधार, टीथ, बेहतर लेखांकन पद्धतियों और उन्नत बजटीय प्रबंधन के साथ एक नए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफआरवीएस) अधिनियम की आवश्यकता है। उच्च गुणवत्ता वाला राजकोषीय समायोजन प्राप्त करने के लिए कर और व्यय दोनों पर सुधारों की आवश्यकता



स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

चित्र 2.1 : जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी निवेश

दीर्घ अवधि विकास संभावनाओं में सुधार से निवेश को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।

है। कर व्यवस्था सरल, निश्चित और स्थिर होनी चाहिए। इसमें एकल-दर माल एवं सेवा कर (जीएसटी), एक सरल प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी), और कर प्रशासन के बदलाव की आवश्यकता है।

2.6 सरकारी के व्यय सुधार में तीन घटक शामिल हैं: राजसहायता कार्यक्रमों को कीमत संबंधी राजसहायताओं से हटाकर आय समर्थित राजसहायताओं में स्थानांतरित करना, सरकार के खर्च को सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान की ओर केंद्रित करना, और उत्तरदायित्व की प्रणालियों में सुधार के माध्यम से परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

2.7 राजकोषीय उत्तरदायित्व और कर व व्यय सुधार मध्यम अवधि का कार्यक्रम है और इसे क्रियान्वित करने में दो से तीन वर्ष लगने की संभावना है। तथापि सरकार द्वारा इन सुधारों में से कुछ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते ही इसके सकारात्मक प्रभावों के दृष्टिगोचर होने की संभावना है। ऋण पात्रता निर्धारण में सुधार, निम्नतर मुद्रास्फीति, पूंजी की निम्नतर लागत, और बेहतर व्यवसायिक आत्मविश्वास जिसके परिणामस्वरूप दीर्घावधिक पहलों के जवाब में अल्पावधिक हितलाभों का उपार्जन होगा।

2.8 तीसरा, सरकार के सामने भारत के लिए सुचारित बाजार अर्थव्यवस्था के विधिक आधार को स्थापित करने का कार्य है। यह सावधानीपूर्वक क्रियान्वित की जाने वाली परियोजना होनी चाहिए क्योंकि इसमें विधिक, विनियामक और प्रशासनिक परिवर्तन शामिल हैं। इसके अंतर्गत व्यवसायों को स्थिर वातावरण में प्रचालन की अनुमति देने के लिए राज्य की क्षमता का निर्माण करना शामिल है। इसमें स्पष्ट उद्देश्यों, शक्तियों, लोचशीलता और उत्तरदायित्व के साथ विनियामकों को स्थापित करना निहित है।

2.9 सैद्धांतिक रूप से, यहां समादेश और नियंत्रण अर्थव्यवस्था बनाम बाजार अर्थव्यवस्था के विधिक और विनियामक ढांचे के बीच मूलभूत अंतर है। समादेश और नियंत्रण अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलाप उन क्रियाकलापों तक सीमित हैं जिनकी सरकार द्वारा अनुमति दी गई है। बाजार अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था फलती-फूलती है क्योंकि राज्य केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब 'बाजार विफलता' अर्थात् एकाधिकारी शक्ति या बाह्यताओं की स्थिति उत्पन्न होती है। परिणामस्वरूप, कानून सभी क्रियाकलापों की अनुमति देता है जब तक कि राज्य उन्हें बाजार विफलता के परिदृश्य में विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं कर देता। वर्तमान स्थिति के विपरीत-जहां, अनेक पाबंदियां भले ही सोद्देश्यपूर्ण हों किन्तु स्थिर संरचना का हिस्सा नहीं हैं-ये पाबंदियां ज्ञात और सुनिश्चित विनियामक व्यवस्था का हिस्सा होनी चाहिए।

2.10 वैश्विक आर्थिक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था में ढांचागत कमजोरी से अर्थव्यवस्था में निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भूमि के प्रयोग की अनुमति, बिजली जल, और अन्य निविष्टियों जैसे अन्य मुद्दों तथा दीर्घावधि वित्त प्राप्त करने जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वित्तीय क्षेत्र अभी भी गहरा और विकसित नहीं है। श्रम बाजारों में लोचशीलता के अभाव ने रोजगार सृजन ने बाधा खड़ी की है। खाद्य बाजारों में व्याप्त अवरोध उच्च खाद्य मुद्रास्फीति को और बढ़ाता है।

2.11 वर्ष 1991 का उदारीकरण औद्योगिक क्षेत्र पर केंद्रित था। हालांकि उद्योग को उदारीकृत किया गया और उसे विश्व में किसी से खरीदने और किसी को भी बेचने की अनुमति दी गई थी यद्यपि कई राज्यों में भारतीय किसानों से अभी भी केवल सरकार द्वारा नामित कृषि मूल्य और विपणन समितियों (एपीएमसी) से खरीदने और लाइसेंसयुक्त निकायों को ही बेचने की अपेक्षा की जाती है। किसानों को अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की अनुमति नहीं दी जाती है। एक राष्ट्रीय बाजार अभी विकसित होना बाकी है।

अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के लिए डिफॉल्ट सेटिंग को 'निषिद्ध जब तक कि अनुमति न हो' से 'अनुमति जब तक निषिद्ध न हो' में बदले जाने की आवश्यकता है।


2.12 इस सुधार कार्यक्रम के तीन अवयव हैं: अल्पावधिक स्टोक-ऑफ-द-पेन सुधार, मध्यम अवधि के सुधार जिन्हें अधिशासी निर्णयों या वित्त विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है और संस्थागत परिवर्तन के लिए दीर्घावधिक सुधार। दीर्घावधिक सुधारों में क्षमता तथा संस्थानों के निर्माण का चुनौतीपूर्ण कार्य शामिल है जो बाजार अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करता है। उदाहरणार्थ इसमें उपादान बाजार, व्यवसायों, वित्तीय क्षेत्र विनियमन, पूंजी प्रवाह, और खाद्य बाजारों के लिए विधि और विनियामक पर्यावरण में परिवर्तन शामिल हैं। सुधार के लिए एक सुविकसित तर्क प्रक्रिया वित्त के क्षेत्र में निहित हैं, जहां वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) ने भारतीय वित्तीय संहिता का मसौदा तैयार किया है, जिसमें भारतीय वित्तीय बाजारों के समादेश और नियंत्रण विनियामक ढांचे को आधुनिक विधिक और संस्थागत ढांचे से बदलना प्रस्तावित है। अनेक क्षेत्रों में इसी तरह की सुधार परियोजनाएं अपेक्षित हैं। सतत रोजगार सृजन और आम सृजन के इस मार्ग को उपर्युक्त सभी तक ले जाना है। भारत की दीर्घावधिक विकास संभावनाओं में सुधार लाने से वर्तमान में प्रतिपुष्टि मिलेगी और थोड़े ही समय में निवेश में वृद्धि होगी।

व्यावसायिक चक्र की परिस्थितियां

2.13 वर्ष 2008 के बाद, अर्थव्यवस्था में आर्थिक परिदृश्य की बदतर स्थिति और निवेश चक्र में गिरावट देखने में आई। विस्तारात्मक राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों से वर्ष 2010-11 और 2011-12 में जीडीपी वृद्धि में बढ़ोतरी हुई। तथापि, राजकोषीय घाटे में और सतत उच्च मुद्रास्फीति में परिणामी बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप स्थूल आर्थिक नीति के विस्तारात्मक स्वरूप में परिवर्तन हुआ। मई 2013 में, बाह्य वातावरण की स्थिति और खराब हुई जिसके परिणामस्वरूप रुपये का एकदम मूल्यहास हुआ और 2012-13 की प्रथम छमाही में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई।

विकास और रोजगार

2.14 हाल ही के वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यवसायिक चक्र की परिस्थितियों में आई गिरावट को झेलना पड़ा। इस व्यवसायिक चक्र का सर्वोत्तम समय वर्ष 2006-07 था। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2013-14 में गिर कर 4.7% रह गई। वर्ष 2006-07 में भारत में विश्व भर की सुदृढ़ आर्थिक स्थितियों के समर्थन से निर्यातों में 22.51% की वृद्धि देखने में आई। वर्ष 2012-13 में, निर्यातों में 1.82% की गिरावट आई। निर्यात वृद्धि वर्ष 2013-14 में बढ़कर 4.1% तक हो गई।



स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

चित्र 2.2 : स्थिर मूल्यों पर जीडीपी की वार्षिक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर

वृद्धि दर		2006-07	2012-13	2013-14
जीडीपी वृद्धि	वास्तविक	9.57	4.47	4.74
जीएसटी	वास्तविक	13.82	0.78	-0.11
निजी कर जीएसटी	वास्तविक	17.94	-3.2	3.1
निर्यात	डालर	22.51	-1.82	4.31
मुद्रास्फीति	सीपीआई (आईडब्ल्यू) में परिवर्तन	6.70	10.44	9.7

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस), और श्रम ब्यूरो।


टिप्पणी: जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है; जीएसटी सकल निर्धारित पूंजी निर्माण है, सीपीआई (आईडब्ल्यू) औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है।

सकल स्थिर पूंजी निर्माण

2.15 निजी निगमित क्षेत्र का सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) (स्थिर कीमतों पर) वर्ष 2006-07 में 17.94% की वृद्धि से एकदम गिर कर वर्ष 2012-13 में 3.2% रह गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र और कच्चे माल की आपूर्तियां प्राप्त करने और वित्त पोषण संबंधी कठिनाइयों के कारण अनेक निवेश परियोजनाओं में ठहराव आ गया। वैश्विक परिस्थितियों द्वारा मांग की परिस्थितियां भी बाधित हुई। जीएफसीएफ (स्थिर कीमतों पर) वर्ष 2006-07 में 13.82% बढ़ा परंतु वर्ष 2012-13 में केवल 0.78% बढ़ा, और वर्ष 2013-14 में, इसमें 0.11 की गिरावट आई (आकृति 2.2)। वर्ष 2008 के बाद प्रारंभिक पुनर्लाभ वर्ष 2013 में बंद हो गया।

मुद्रास्फीति

2.16 अन्य उभरते बाजारों के विपरीत, जहां आर्थिक संकट के बाद के वर्षों में मंदी आई थी, भारत में वृद्धि और निवेश में मंदी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के बढ़े हुए स्तरों के साथ-साथ थी (आकृति 2.4)। मंदी की संभावना ने स्थूल आर्थिक नीति के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं।




स्रोत: श्रम ब्यूरो

2.17 भारत में मुद्रास्फीति विदेशी मुद्रा के हस्तक्षेप को अवरुद्ध करने में आई समस्याओं से उबरते हुए तीव्र क्रेडिट वृद्धि के साथ 2005-06 के बाद बढ़नी प्रारंभ हुई। हालांकि नीतिगत ब्याज दरें बढ़ाए गए थे, तरलता निरंतर बढ़ती रही, और परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति का समग्र स्वरूप सरल बना रहा।

2.18 पश्च दृष्टि के हितलाभ के साथ, यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2011-12 में सरकार द्वारा प्रवृत्त राजकोषीय और मौद्रिक उत्प्रेरक अत्यधिक साबित हुई और इसने उच्च मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया। विस्तृत विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि वर्ष 2010 की प्रथम तिमाही के बाद से ही आर्थिक संकट के बाद के राजकोषीय प्रेरक ने समग्र आर्थिक क्रियाकलापों के दीर्घावधिक रुझानों से ऊपर उन्हें उठाया है। इसने वैश्विक मांग के कम होने और वास्तविक विनिमय दर के बढ़ने से निर्यातों पर होने वाले ऋणात्मक प्रभाव को प्रभावहीन बना दिया है। इस प्रेरक का निवल प्रभाव वर्ष 2012 के प्रारंभ तक सकारात्मक परिणामी अंतराल को सतत बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से अधिक था।

निवेश


2.19 2004-07 तक उच्च वृद्धि वाले वर्षों के दौरान, उच्च साख वृद्धि की सहायता से अत्यधिक संख्या में परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया था। निवेश संबंधी क्रियाकलापों ने वैश्विक आर्थिक संकट में कठिनाइयों का सामना करना प्रारंभ कर दिया था। इन कठिनाइयों को घरेलू कारकों ने और बढ़ा दिया था।



स्रोत: सीएसओ

चित्र 2.3 : स्थिर मूल्यों पर सकल निर्धारित पूंजी निर्माण की वृद्धि दर

चित्र 2.4 : वर्ष-दर-वर्ष सीपीआई मुद्रास्फीति



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)


चित्र 2.5 : बैंक क्रेडिट की वृद्धि दर

2.20 आर्थिक संकट से निर्यात मांग को कम कर दिया और अनिश्चितता को बढ़ा दिया था। भारत में कीमत में स्थिरता की कमी से अनिश्चितता और बढ़ गई थी। निवेश के लिए योजना की आवश्यकता होती है और वृद्धि, कीमतों और ब्याज दरों के लिए भावी मूल्यों का पूर्वानुमान करना और अधिक कठिन हो गया। चूंकि मांग मंद पड़ गई थी, इसलिए कुछ मौजूदा परियोजनाएं अव्यवहार्य हो गईं। समय पर ठेका देने और अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने में राज्य की सीमित क्षमता के कारण और परियोजनाओं को बंद करने, बेचने या वापस लेने के लिए ढांचे की कमी के चलते आगे कठिनाइयां और बढ़ गईं।

2.21 अनेक बड़ी परियोजनाएं पर्यावरण, वन और भूमि अधिग्रहण या प्रतिस्पर्द्धा के लिए अपेक्षित कच्चे माल के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप अनेक परियोजनाओं को रुकवा दिया गया (आंकड़े 2.6 और 2.7) अनेक फर्मों ने आर्थिक संकट से पहले तेजी के दौर में स्वयं को बैंक ऋण में और अधिक सशक्त बना लिया था। जब स्थितियां बदली, उनको तुलनपत्र संकट का सामना करना पड़ा। ये फर्म परियोजनाओं को बंद करने, दावों को निपटाने और ऋणों का पुनर्भुगतान करने में असक्षम थी। इसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई, इसके आगे परिणामस्वरूप कंपनियों के लिए ऋणों के और बैंकों के लिए डूबी हुई परिसंपत्तियों के पुनर्भुगतान में कठिनाइयां आईं।

वैदेशिक वातावरण


2.22 घरेलू बाजारों में उधारी की लागत में 15 जुलाई 2013 के बाद एकदम उठान आया। वैश्विक आर्थिक संकट के बाद की अवधि में 'बड़ी मंदी' के प्रारंभ होने के बाद उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने गैर-परंपरागत मौद्रिक नीति के साधनों को प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए अमरीकी फेडरल रिजर्व ने मौद्रिक नीति जो शून्य निम्नतर सीमा तक पहुंच गया था, को सरल बनाने के लिए परिसंपत्तियों को खरीदने की घोषणा की जो आमतौर पर मात्रात्मक सुविधा (क्यूई) कहलाई। मई 2013 में अमरीका ने संकेत दिया कि इन गैर-परंपरागत पद्धतियों को कम करना प्रारंभ किया जाएगा। इससे उभरते बाजारों (ईएम) से पूंजी का तीव्र बहिर्गमन होगा और उनकी विनिमय दरों पर दबाव कम होगा। अन्य ईएम मुद्राओं की तरह रुपये में भी अवमूल्यन का दबाव देखने में आया (चित्र 2.8)।



स्रोत: थॉमसन राइटर डाटाबेस


2.23 भारत, ब्राजील और टर्की सहित कुछ ईएम ने इस अवमूल्यन के जवाब में ब्याज दरों को बढ़ाया (आकृति 2.9)। वर्ष के अधिकांश भाग में पूंजी की लागत उच्च बनी रही क्योंकि वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता से केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति स्वरूप को सख्त रखने के लिए प्रोत्साहन मिला।

मुद्दे और प्राथमिकताएं



स्रोत: सीएमआई कैपेक्स डाटाबेस


चित्र 2.6 : पूर्णता की अवसंरचना परियोजना दर



स्रोत: सीएमआई कैपेक्स डाटाबेस

चित्र 2.7 : कार्यान्वयन परियोजनाओं का मूल्य जिनको रोका गया।

चित्र 2.8 : 2013-14 में उभरती हुई बाजार मुद्राएं



स्रोत: थॉमसन राइटर डाटाबेस

निवेश में गिरावट

2.24 प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियां निःसंदेह एक कारक थी जिनके कारण भारत में व्यवसाय चक्र में मंदी आई। तथापि, वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 तक के स्थूल आर्थिक परिणामों के लिए स्पष्टीकरण का अधिकांश भाग घरेलू कारकों में निहित है। मुद्रास्फीति अनिश्चितता, व्यवसाय करने में कठिनाइयों, तरलता संबंधी सख्त परिस्थितियां और संविदा आमंत्रित करने और अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में आने वाली कठिनाइयों से निवेश बाधित हुआ है।

मुद्रास्फीति की अनिश्चितता


2.25 निम्न और प्रतिपाद्य मुद्रास्फीति में, घर और फर्मों भविष्य के बारे में योजनाएं बना सकते हैं, उन्हें कम जोखिम उठाना पड़ेगा और निवेश कर सकते हैं। हाल ही के वर्षों में मुद्रास्फीति की अनिश्चितता की विशेषता मुद्रास्फीति में उत्कर्ष और मुद्रास्फीति की अस्थिरता द्वारा बताई गई है। उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति ने निवेश परियोजनाओं से होने वाले भावी लाभों के बारे में प्रेक्षण करना कठिन बना दिया है। विशेषकर, अवसंरचना फर्मों द्वारा जोखिम लेने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि इन परियोजनाओं में भविष्य में अनेक दशकों तक नकदी का प्रवाह शामिल है। जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संबंधी मुद्रास्फीति फरवरी 2006 से आगे त्वरित हुआ था, तब मुद्रास्फीति अस्थिरता में तत्संगत वृद्धि हुई थी। यह आकृति 2.10 में दर्शाया गया है, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष की सीपीआई मुद्रास्फीति की एक-वर्षीय आवर्ती अस्थिरता दर्शाई गई है। इससे क्रमशः भावी मुद्रास्फीति का अनुमान लगाना और भविष्य के बारे में योजना बनाना और भी कठिन हो गया।

2.26 इसके अतिरिक्त, राजकोषीय समस्याओं (आकृति 2.11) ने निजी क्षेत्र द्वारा ली गई उधारी को और बढ़ा दिया। बड़ा राजकोषीय घाटा (आकृति 2.11) चालू खाते पर भी छा गया। जून-अगस्त, 2013 में, उच्च राजकोषीय घाटे और उच्च चालू खाता घाटे (सीएडी) वाले देशों ने अपनी विनिमय दरों पर सर्वाधिक दबाव डेला। कम और अचानक अवमूल्यन से व्यवसायिक वातावरण की अनिश्चितता में वृद्धि हुई।

व्यावसायिक आत्मविश्वास में गिरावट


2.27 यहां भारत में प्रचालन कर रही फर्मों द्वारा झेली गई कठिनाइयों के बारे में चिंता बढ़ती रही है। हालांकि एक सरकार जो बाजार की विफलताओं को दूर करने के लिए कतिपय तरीकों से फर्मों पर प्रतिबंध लगाती है, वैद्य है यद्यपि भारतीय परिदृश्य की विशेषता अनेक सरकारी हस्तक्षेप हैं जो बाजार की विफलताओं में संबद्ध नहीं हैं। सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त प्रक्रियाएं प्रायः अनिश्चितता और लागत को आरोपित करते हैं। कर नीति और कर प्रशासन के आचरण ने भी इस तरह के सरोकारों को बढ़ाया है। इन समस्याओं से फर्मों के लिए बढ़ी हुई लागतें, विलंब और अधिक जोखिम को उत्पन्न करने में मदद मिली है।

चित्र 2.9 : 2013-14 में उभरती हुई अर्थव्यवस्था व्याज दर



स्रोत: सीएसओ

चित्र 2.10 : मुद्रास्फीति अस्थिरता



स्रोत: सीएसओ

चित्र 2.11 : जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा

	भारत	ब्राजील	दक्षिण कोरिया	दक्षिण अफ्रीका	टर्की
व्यवसाय करने की सरलता	134	116	7	41	69
व्यवसाय शुरू करना	179	123	34	64	93
निर्माण अनुमतियों का निपटारा	182	130	18	26	148
बिजली प्राप्त करना	111	14	2	150	49
सम्पत्तियों को पंजीकृत करना	92	107	75	99	50
ऋण प्राप्त करना	28	109	13	28	86
निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना	34	80	52	10	34
करों का भुगतान	158	159	25	24	71
सीमा पार व्यापार	132	124	3	106	86
संवैधानिक प्रवर्तित करना	186	121	2	80	38
ऋणशोधना क्षमता का समाधान	121	135	15	82	130

स्रोत : विश्व बैंक, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2014

2.28 विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया डूइंग बिजनेस रिपोर्ट यह दर्शाता है कि भारत 2014 में विश्व के 189 देशों में से 124 स्थान पर है (सारणी 2.2)। वैश्विक फर्मों के पास विकल्प है कि वे कहां निवेश करें, जो वहां पर व्यवसाय करने की सरलता पर आधारित है। उसी तरह से, कई बड़ी भारतीय कंपनियां देश के बाहर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) होते हैं और इसका चुनाव करते हैं कि वे कहां निवेश करना चाहते हैं। भारत में 3102 बड़ी कंपनियों की एक जांच में, इनमें से 373 ने निर्गामी एफडीआई किया है जो उनकी कुल परिसम्पत्तियों के 1 प्रतिशत से अधिक है। जिन कंपनियों ने निर्गामी एफडीआई की है उनकी परिसम्पत्तियां 3102 कंपनियों की कुल परिसम्पत्तियों का 15.8 प्रतिशत है।

2.29 हालांकि, भारत ने “डूइंग बिजनेस इन इंडिया” के संकलन में प्रयुक्त विधि को लेकर आपत्ति की है, फर्मों और राज्य के बीच हस्तक्षेप के अधिकांश पहलुओं पर सुधार का एक सतत कार्यक्रम अपेक्षित है। विश्व बैंक के ‘डूइंग बिजनेस’ संबंधी स्कोर पर उभरते बाजारों के मूल्यांकन को सुमेलित करने का तत्काल उद्देश्य रखा जाना चाहिए।

वित्तीय प्रणाली

2.30 निवेश में गिरावट वित्तीय साधनों की उपलब्धता और लागत की कठिनाइयों से और बढ़ गई है। सर्वप्रथम दावा घरेलू सामान और वास्तविक परिसंपत्तियों जैसे कि सोना और भूखंडों की बचत पर दूसरा दावा जो अवशिष्ट (अर्थात् वित्तीय बचत) पर है, संसाधन का पूर्व-क्रय है जो राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है (सारणी 2.3) हाल ही के वर्षों में बचत दर में गिरावट और अत्यधिक राजकोषीय घाटे के साथ, निजी क्षेत्र को उपलब्ध फर्म से बाहर की बाह्य पूंजी कम हुई है।

2.31 ऋण की तेजी के दौरान, बैंक ऋण वृद्धि 30% से अधिक थी। अवसंरचना और प्राकृतिक संसाधनों में आई कठिनाइयों से इन फर्मों में कुछेक के लिए अपने ऋणों का भुगतान करना और कठिन हो गया है। अवसंरचना के लिए उच्च ऋण विस्तार की परिणति बैंकों की परिसंपत्ति-देयता की बेमेलताओं के रूप में हुई है। सारणी 2.4 में कुल बैंक ऋण में अवसंरचना ऋण की बढ़ती हिस्सेदारी को दर्शाया गया है। हाल ही में, बैंक उधारकर्ताओं और अवसंरचना क्षेत्रों तक अपनी ऋण निवेश की सीमाओं को पहुंच रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों की संपदा गुणवत्ता में सकल ‘अवर्जक परिसंपत्तियों’ (एनपीए) से सकल अग्रिमों का अनुपात बढ़ने के कारण गिरावट आई है।

मुद्दे और प्राथमिकताएं

सारणी 2.2 : ‘व्यवसाय करने’ पर
विश्व में दर्जा

जीडीपीएमपी के प्रतिशत के रूप में

घरेलू वित्तीय बचत	7.1
सरकारी उधार	7

स्रोत: सीएसओ

टिप्पणी: जीडीपीएमपी बाजार मूल्यों पर जीडीपी है।

सारणी 2.3 : जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू
वित्तीय बचत और कुल सरकारी उधार

वर्ष	बैंक क्रेडिट के हिस्से के रूप में अवसंरचना क्रेडिट (%)
2004	4.43
2005	7.18
2006	7.49
2007	7.42
2008	8.68
2009	9.73
2010	11.71
2011	13.36
2012	13.42
2013	13.87

स्रोत: आरबीआई

सारणी 2.4 : बैंक क्रेडिट के हिस्से के
रूप में अवसंरचना क्रेडिट

अवसंरचना

2.32 अवसंरचना और प्राकृतिक संसाधनों में निवेश का प्रथम दौर जो 2002 में प्रारंभ हुआ था, अनेक समस्याओं को जन्म दिया। इनमें जटिल सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) संबंधी ठेकेदारी को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित राज्य की क्षमता में कमी प्रतिबिंबित हुई हैं।

2.33 भ्रष्टाचार के आरोप, और जांच प्राधिकारियों और न्यायालयों के हस्तक्षेपों से अनेक परियोजनाओं में रुकावट आई और फर्मों बुरी तरह प्रभावित हुई। भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय नियंत्रण की समस्याओं के परिणामस्वरूप परियोजनाएं रुक गई। एकीकृत आयोजना के दोष के फलस्वरूप अनेक समस्याएं जैसे कि बंदरगाह जिनमें रेलवे लाइन की कमी या विद्युत संयंत्र जिनमें कोयला आपूर्ति की कमी थी, उत्पन्न हुई।

2.34 प्रतिस्पर्धी उद्योग के विनियामक के रूप में सरकार की भूमिका के सामने अवसंरचना सेवाओं के उत्पादक के रूप में सरकार की भूमिका के बीच पृथक्करण के अभाव से, उदाहरण के लिए मालवाहक ट्रेनों में, असमान अवसर क्षेत्रों की स्थिति उत्पन्न हुई। इससे आगे निवेश और बाधित हुआ। अवसंरचना परियोजनाएं निगमित बंधपत्रों के माध्यम से सर्वोत्तम ढंग से वित्तपोषित होती हैं। तथापि भारत में निगमित बंधपत्र बाजार का नितान्त अभाव है। निगमित बंधपत्र बाजार के अभाव में, अवसंरचना परियोजनाओं को बैंकों से और विदेशी मुद्रा में उधारी का सहारा लेना पड़ा। सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली में, परियोजनाका सशक्तिकरण परियोजना द्वारा उठाए गए जोखिमों के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय फर्मों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। भारतीय परिदृश्य में, सशक्तिकरण प्रायः यांत्रिक ढंग से ऋण: ईक्विटी के 70:30 के अनुपात का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया गया है।

2.35 वहां अवसंरचना की नई परिसंपत्तियों को विकसित करने और उन्हें प्रचालित करने में काफी अंतर है। आने वाले वर्षों में हम जीडीपी मान परिसंपत्तियों के प्रचालन कंपनियों के हाथों में होने की आशा कर सकते हैं, जबकि अवसंरचना के निर्माता प्रत्येक वर्ष छोटे तुलन पत्रों के साथ नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। यह परिपक्वता अभी तक अमल नहीं हुई है। प्रचालन कंपनियां जो कम जोखिम उपादेयता वाली हैं उभर कर नहीं आई हैं। निर्माताओं के संतुलित तुलनपत्र हमेशा बड़ी परिसंपत्तियों के साथ सज्जित रही हैं।

2.36 अधिक शक्ति प्राप्त फर्मों ने अत्यधिक समृद्ध यातायात प्रेक्षकों के आधार पर और समस्याओं की आशंका वाली सविदाओं का परिक्रामण कर पाने की आशा में बोली लगाने में गलतियां की हैं। परिक्रामण प्रक्रिया में कभी-कभी दुराचार के आरोपों और न्यायालयों के हस्तक्षेपों का सामना करना पड़ा है।

2.37 इन समस्याओं ने एकत्रित रूप से बड़ी संख्या में रुकी हुई परियोजनाओं, अनेक अवसंरचना और प्राकृतिक संसाधन फर्मों के लिए तुलनपत्र संकट और उनको ऋण देने वाले बैंकों के लिए कठिनाइयों को जन्म दिया है। तदनंतर, अवसंरचना और प्राकृतिक संसाधनों में निवेश की गति मंद हुई है। भारत में अवसंरचना निवेश का प्रथम दौर डिजाइन संबंधी त्रुटियों के विन्यास पर आधारित रहा है जिन्हें अब दूर किए जाने की आवश्यकता है।

अल्प अवधि के लिए दीर्घावधिक मुद्दे किस प्रकार महत्व रखते हैं

2.38 परंपरागत विचारधारा में, अल्पावधिक उद्देश्यों के सामयिक अनुसरण और निरंतर दीर्घावधिक विकास के मूलाधार को पोषित करने की आवश्यकता के बीच तनाव रहा है। एक आधुनिक बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था, तथापि दीर्घावधिक वृद्धि को पोषित करने वाली, के उत्थान से चार चैनलों के माध्यम से अल्पावधि प्रभावित होती है। प्रत्याशित जीडीपी वृद्धि, स्टॉक बाजार में मूल्यांकन, घरेलू वस्तुओं का व्यवहार और विदेशी पूंजी प्रवाह।

अवसंरचना सविदा और वित्तीयन के वर्तमान नमूने की पुनः जांच किए जाने की आवश्यकता है।

और अधिक नीति स्थिरता, उच्च दीर्घावधि विकास तथा एक कानूनी और विनियामक ढांचा जो एक बाजार अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है उससे निवेश के पुनर्जीवन में मदद मिलेगी।

2.39 प्रथम चैनल निजी फर्मों विदेशी और घरेलू दोनों की दृष्टि में जीडीपी वृद्धि की प्रत्याशाओं के माध्यम से निकलता है। जब यह आशा होती है कि भारत के पास दीर्घावधि में जीडीपी की उच्च वृद्धि होगी, ये फर्मों भारत में अपने निवेश को बढ़ा देती हैं, जो अल्पावधिक वृद्धि को बढ़ाती है। यहां निरंतर यातायात विकास के लिए दीर्घावधिक प्रेक्षकों का विशेष महत्व है, जो अवसंरचना परियोजनाओं की व्यवहार्यता को प्रभावित करते हैं।

2.40 दूसरा चैनल स्टॉक बाजार से होकर जाता है। स्टॉक बाजार आने वाले दशक में लाभांश वृद्धि के बारे में प्रत्याशाएं करता है और वर्तमान स्टॉक कीमत में इसे निर्मित करता है। जब दीर्घावधि में उच्च जीडीपी वृद्धि की प्रत्याशा होती है, स्टॉक कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे बाजार मूल्य और प्रतिस्थापन लागत के बीच अंतराल बढ़ता है, जो निवेश को बढ़ाने में सहायक है। उससे अल्पावधिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

2.41 तीसरा चैनल घरेलू वस्तुओं के बीच से निकलता है। अब दीर्घावधि में जीडीपी की उच्च वृद्धि की आशा होती है, घरेलू वस्तुएं भविष्य में अपनी आय के बारे में और अधिक आत्मविश्वासी हो जाती हैं और कम बचत करके प्रतिक्रिया दिखाते हैं जिसमें और अधिक उधारी का माध्यम भी शामिल है। इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है और अल्पावधिक वृद्धि होती है। इन तंत्रों के उत्थान से, जिनके माध्यम से औपचारिक वित्तीय प्रणाली व्यक्तियों को ऋण देने में सक्षम होती हैं, अंतर्ग्रस्त परिमाण बढ़ गए हैं। इसके अतिरिक्त, निम्न मुद्रास्फीति के बारे में आत्मविश्वास घरेलू वस्तुओं के लिए वास्तविक परिसंपत्तियों के आकर्षण को कम करेगा।

2.42 चौथा चैनल विदेशी निवेशकों के व्यवहार से होकर निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश-सूची बनाने के बारे में उत्कृष्ट तथ्य 'गृह अभिनत' है, जहां वैश्विक निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों में बहुत कम धन लगाते हैं। जब यह आशा होती है कि भारत में दीर्घावधि में जीडीपी की उच्च वृद्धि होगी, तभी वैश्विक वित्तीय फर्मों को भारत के साथ जुड़ कर संगठनात्मक पूंजी निर्मित करने को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में संवर्द्धित पूंजी प्रवाह से अल्पावधिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

2.43 विगत के भारत की तुलना में और अनेक अन्य देशों की तुलना में भी भारत में आज ये चैनल और सुदृढ़ हो गए हैं। जीडीपी में निजी सकल पूंजी निर्माण की हिस्सेदारी, जोकि दीर्घावधि संबंधी तर्क की अनुक्रिया में बदलने वाला प्रमुख पैरामीटर है, विगत मूल्यों और अनेक अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक बड़ी है।

2.44 इससे नीति निर्माता उन पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं जो भारत में जीडीपी की दीर्घावधिक वृद्धि पर विशेष प्रभाव डालेंगी। इसके अतिरिक्त, व्यवसाय करना सरल बनाने पर तथा नीति संबंधी स्थिर वातावरण प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करने से निवेश आकर्षक होगा। बाजार अर्थव्यवस्था संवर्द्धित निवेश, संवर्द्धित उपभोक्ता मांग, और संवर्द्धित पूंजी प्रवाह के साथ इन पहलुओं के प्रति अनुक्रिया दिखाएंगी, जिससे निवेश का पुनरुद्धार होगा और अल्पावधि में उच्च जीडीपी वृद्धि का उपार्जन होगा।

मुद्रास्फीति

2.45 मुद्रास्फीति के प्रभावी रूप से रोकने के लिए, खाद्य मुद्रास्फीति को रोकने के लिए खाद्य बाजारों पर से नियंत्रण हटाने के साथ-साथ एक अभिहित आश्रय निश्चित करने वाला एक मौद्रिक नीति ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता है।

मौद्रिक नीति


2.46 आंकड़े दर्शाते हैं कि मुद्रास्फीति भारतीय अर्थव्यवस्था में गहराई से संस्थापित हो रहे हैं। मुद्रास्फीति संबंधी आशाएं काफी ऊंची हैं और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में छिटपुट वृद्धियां गैर-खाद्य कीमतों पर बिखरी हुई हैं। व्यवसाय चक्र में गिरावट और अल्प प्रयुक्त क्षमता के बावजूद, मुद्रास्फीति बनी हुई है। इस मुद्रास्फीति जनित मंदी से निपटने के लिए त्रिआमी रणनीति की आवश्यकता है।

मुद्दे और प्राथमिकताएं

2.47 प्राकृतिक घटकों, प्रौद्योगिकी में बदलाव और उपभोक्ताओं की पसंद के कारण कीमतों में सापेक्ष परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन इससे समग्र मुद्रास्फीति के बारे में स्पष्टता नहीं मिलती है जो कि एक व्यक्ति अर्थशास्त्रीय घटना होती है।

2.48 वर्ष 2010 से भोज्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है जो गैर भोज्य पदार्थों की तथा सामान्य मुद्रा स्फीति के रूप में व्याप्त हो गयी है। इस विस्तार से यही पता चलता है कि एक समुचित वित्तीय नीति व्यवस्था का अभाव है। अतः एक ऐसे औपचारिक वित्तीय नितिगत ढांचे की जरूरत है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को उद्देश्यों की स्पष्टता से अवगत (सीपीआई मुद्रा स्फीति लक्ष्य) कराया जा सके और इस लक्ष्य की दिशा में उसे प्रचालनात्मक स्वायत्तता दी जा सके। कई विकसित और उदीयमान बाजारों ने इस रणनीति का प्रयोग किया है और इससे निम्न और स्थायी मुद्रास्फीति के रूप में परिणाम भी सामने आये हैं। परिणामस्वरूप इससे निवेश और रोजगार के विकास के लिये एक अनुकूल वातावरण मिला है। एक धीमी और स्थाई मुद्रास्फीति दर से देश में और देश के बाहर दोनों जगह मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखने में मदद मिलती है।

2.49 कुछ देशों में विनिमय दर से मुद्रास्फीति तक की सक्रमण अवस्था जो कि एक मामूली लंगर का काम करती है, एक कठिनाई बन गयी है। फिर भी भारत में यह संक्रमणीय स्थिति थोड़ा आसान है। चित्र 2.12 से रुपये-डॉलर के उछाल का पता चलता है। इस उछाल में दो स्पष्ट और संरचनात्मक घटनायें दिखाई दी हैं। जिनमें पहली मई 2003 में और दूसरी मार्च 2007 में। रुपया-डॉलर उछाल 1.84 प्रतिशत से बढ़कर 8.65 प्रतिशत हो गया है।



चित्र 2.12 : रुपया-डॉलर में अस्थिरता

स्रोत : आरबीआई और लेखक की संगणना

2.50 प्रतिशत पर रुपया-डॉलर के विनिमय की औसत आस्थिरता ईएमएस में बाजार निर्धारित विनिमय दर की अस्थिरता के बहुत निकट है। अतः इस अर्थव्यवस्था में विनिमय दर की अस्थिरता के साथ बहुत अधिक समायोजन करना पड़ा है और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अपना ध्यान अमेरिकी डॉलर से हटा सकते हैं और रुपये के मूल्य को घरेलू खपत मूल्य पर टिका सकते हैं।

खाद्य मुद्रास्फीति

2.51 खाद्य पदार्थों के बाजार में ऐसी कई जटिल समस्याएँ हैं, जिनके समाधान की जरूरत है। अनाज के बाजार में संसाधनों का गलत आवंटन हुआ है जिसका कारण यह है कि निवेश-निर्गत के बाजार के हर क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप है। सम्पन्नता के बढ़ने के साथ-साथ खाद्य पदार्थों की मांग में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गयी है। ऐसा विशेष रूप से उत्कृष्ट पदार्थों जैसे कि फलों सब्जियों और उन प्रोटीनों के मामलों में हुआ है जिनका लोग तभी उपभोग कर सकते हैं जब वे धनी हो पाते हैं। वर्तमान में मांग में आये इस परिवर्तन से खाद्य आपूर्ति अपर्याप्त

रह रही है क्योंकि कई कठोर अड़चने आड़े आ रही हैं और एक गैर-प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था चल रही है। अतः इसके परिणामस्वरूप कीमतों में एक ठोस परिवर्तन लाने की जरूरत है जिससे की आपूर्ति में एक ईकाईगत परिवर्तन लाया जा सके।

टिकाऊ लोक वित्त

2.52 लोक वित्त को एक टिकाऊ रास्ते पर ले आने में तीन तत्व शामिल होते हैं- बेहतर लेखा प्रणाली और बजट प्रबन्धन और नया एफआरबीएम अधिनियम, पूरा न किये जाने पर जिसका प्रभाव दिखाई देता है; प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को तर्क संगत और सरल बनाना; और व्यय सुधार।

राजकोषीय जिम्मेदारी

2.53 केन्द्र सरकार की वित्तीय स्थिति जितनी दिखाई देती है उससे भी ज्यादा बुरी है, जैसा कि 2006 से 2014 तक की मुद्रास्फीति से स्वतः ही प्रकट है। मुद्रास्फीति के इन झटकों से बकाया ऋण के मूल्य में काफी कमी आयी है। इससे गृहस्थ लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा है लेकिन सरकार के कर्ज का बोझ जरूर कम हुआ है। भविष्य में इस प्रकार के मुद्रास्फीति के झटकों की आगे संभावना नहीं है।

2.54 अब एक वित्तीय नीतिगत ढांचे पर नये सिरे से विचार किये जाने की जरूरत है। इसको नये एफआरबीएम एक्ट में समविष्ट किया जाना चाहिए। इस संशोधित अधिनियम में व्यापार चक्र पर विचार करने की जरूरत है और इसमें इतने सख्त दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए कि इसकी अनदेखी न की जा सके।

वित्तीय दबाव


2.55 हाल के वर्षों में निजी निवेश के वित्त पोषण की समस्या काफी तीव्र हो गयी है। मुद्रास्फीति के ऊंचा रहने और वास्तविक ब्याज दर के कम रहने के कारण वित्तीय बचत गडबड़ा गई है। जैसा कि चित्र 2.13 से स्पष्ट है घरेलू वित्तीय बजट जो कि 2010-11 में जीडीपी के 7.09 प्रतिशत तक आ गयी है। इसके साथ ही केन्द्र और राज्य (दोनों को मिलाकर) ने घरेलू बाजार से 7.1 प्रतिशत ऋण ले रखा है। संसाधनों के पूर्व क्रयधिकार के कारण निजी क्षेत्र के लिए विदेशी वित्त पोषण को लेकर कई कठिनाइयां सामने आ रही है। इसके समाधान के लिए एक त्रि-आयामी रणनीति की जरूरत है जैसे कि वित्तीय घाटे को कम करना, वित्तीय दमन को कम करना (जैसे कि संसाधनों के पूर्वक्रयधिकार को कम करना और गृहस्थों के साथ अच्छा सलूक करना) और मुद्रास्फीति में कमी लाना।

2.56 जहां तक सार्वजनिक ऋण की बात है, भारत वित्तीय फर्मों पर इस बात के लिए जोर दे रही है वे सरकार को सांविधिक तरलता के अनुपात में ऋण उपलब्ध करे और अन्य वित्तीय फर्मों को भी निवेशपरक दिशा निर्देश जारी करें। संसाधनों को प्राप्त करने के इस तरीके को 'वित्तीय दबाव' के नाम से जाना जाता है। इससे उन परिवारों को प्रोत्साहन मिलता है जो भारतीय वित्तीय फर्मों में अपनी परिसम्पत्ति नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि इससे उनकी सोने की खरीद करने, जमीन जायदाद खरीदने और देश के बाहर सम्पदा खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सरकार को वित्तीय दबाव नहीं बनाना चाहिए और एक व्यावसायिक सार्वजनिक ऋण प्रबन्धन एजेंसी गठित करनी चाहिए जो कि खुले बाजार में सरकारी बन्ध पत्रों का विक्रय कर सके।

कर सुधार

2.57 एक शासित और नियन्त्रित अर्थव्यवस्था में, कानून के अलावा कर और सब्सिडी का प्रयोग उन उत्पाद बढ़ाने वाली या हतोत्साहित करने वाली गतिविधियों के लिये किया जाता है जिसको कि केंद्रीय नियोजक एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक समझते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि दरों और छूटों की संख्या कई गुना हो गयी है। औद्योगिक नीति जहां से सरकार विजेताओं का चयन करती है, सामान्यता असफल हो गयी है। अंततः बिगड़े हुए मूल्य संकेतकों के

एक नए प्रभावी एफआरबीएम अधिनियम की आवश्यकता।



स्रोत: इकॉनॉमिक आउटलुक डाटाबेस सीएमआईई

चित्र 2.13 : जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू वित्तीय बचत

कारण संसाधनों का आवंटन गलत हो गया है और उत्पादकता की वृद्धि भी धीमी हुई है। अधिकतर बाजार अर्थव्यवस्थाओं में जटिल कर प्रणाली के स्थान पर सरल और युक्तिगत प्रणाली को अपनाया जा रहा है।

2.58 भारत की जटिल कर प्रणाली में संरचनात्मक और प्रशासनिक दोनों ही प्रकार की समस्याएँ आती हैं। इस कर व्यवस्था का प्रयोग औद्योगिक नीति के संचालन में होता है जहाँ कि राज्य कतिपय आर्थिक क्रियाकलापों के लिए छूट और रियायत देते हैं। असमान और उच्च कर दरों के कारण तथा समान आर्थिक कार्यों पर असमान कर दरों को लगाये जाने के कारण फर्मों और परिवारों के व्यवहारों में बिगाड़ आ गया है। इसके अलावा कर प्रशासन के गलत ढंग से काम करने के कारण कानूनी जोखिम होता है। और परिवारों और फर्मों पर लागत का बोझ बढ़ जाता है।

2.59 भारत में यदि कर प्रणाली में सुधार कर लिया जाता है तो व्यापार कार्य सरल हो जायेगा और उत्पादकता तथा उत्पादकता की वृद्धि में बढ़ावा मिलेगा। ऐसे भार-साझा तंत्र के आधार पर निकाला जाना चाहिए जहाँ कि जनता के एक बड़े हिस्से पर कम दर से कर लगाया जाता है। ऐसा एक कारगर तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अप्रिय करों जैसे कि उपकर, सर्वार्थ और ऐसे कर जो कि प्रत्येक संग्रहण पर लगाये जाते हैं जैसे कि लाभांश वितरण कर, चलते रहने चाहिए कर सम्बन्धी गड़बड़ियाँ को कमतर करने से क्षमता में वृद्धि होगी और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में तेजी आयेगी।

जीएसटी

2.60 इस बारे में सहमति है कि जीएसटी भारत के अप्रत्यक्ष कर के सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सभी वर्तमान अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर जीएसटी को लाने से एक राष्ट्रीय बाजार पैदा होगी, एक के बाद एक लगने वाले कर समाप्त हो जायेंगे और आयात तथा निर्यात पर लगने वाले करों का सही ढंग से समायोजन हो सकेगा। इससे भारत में होने वाले उत्पादन और यहाँ से होने वाले निर्यात में प्रतिस्पर्द्धा में सुधार आ सकेगा।

2.61 केन्द्रीय जीएसटी (सेन जीएसटी) का क्रियान्वयन जीएसटी की दिशा में पहला कदम हो सकता है। एक बाद केन्द्रीय जीएसटी को लागू कर दिया जाय और केन्द्रीय जीएसटी में सूचना प्रौद्योगिकी काम करने लगे तो केन्द्र और राज्य दोनों को ही जीएसटी की दिशा में बढ़ना सरल हो जायेगा।

डी.टी.सी.

2.62 चूँकि जीएसटी अप्रत्यक्ष करों का ही एक रूपान्तरण है, अतः डीटीसी के लिए जरूरी है कि वर्तमान आयकर नियमों के स्थान पर आधुनिक तथा सुस्पष्ट नियम स्थापित किये जाने चाहिए। जहाँ तक जी.एस.टी का सम्बन्ध है, इसका उद्देश्य यह है कि इसे सरल होना चाहिए तथा इसकी अवधारणा सुस्पष्ट होनी चाहिए तथा उन बड़ी संख्या वाले विशेष मामलों और छूटों को हटा दिया जाना चाहिए जो विशेष हित समूहों का पक्ष लेते हैं। अब इस कर प्रणाली को औद्योगिक नीति से दूर तथा साधारण कार्य संरचना के लिए किसी न किसी क्रियाकलाप को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

2.63 जीएसटी की तरह डीटीसी का भी लाभ मिल सकेगा। इससे वैयक्तिक और कार्पोरेट निर्णय प्रक्रिया की गड़बड़ हटा सकेगी मुकद्दमेबाजी कम होगी और कर संग्रहण में सुधार आयेगा।

फर्मों पर कराधान

2.64 फर्मों ज्यादातर वैयक्तिक शेयर धारकों की होती हैं। जब व्यक्तियों पर कर लगता है तो फर्मों पर कर लगाये जाने से दोहरे कराधान की समस्या पैदा हो जाती है। शेयरधारकों की दृष्टि से किसी फर्म के निवेश के कर पश्चात् रिटर्न का निर्धारण कराधान के दो स्तरों पर होता है-कार्पोरेशन कर दर और लाभांश वितरण कर।

एक केन्द्रीय जीएसटी समग्र जीएसटी की दिशा में पहला कदम हो सकता है।

छूटों को वापस लेने से कर व्यवस्था सरल हो सकेगी।

2.65 फर्मों पर कराधान को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्य निकाय ने दो प्रकार की समस्याएं सामने रखी हैं। पहला-घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फर्म उसी देश में निवेश करती हैं जहां करों की दर कम होती है। दूसरे फर्मों पर उच्च दर से कर लगाने से पूंजी निर्माण में अवरोध आता है जिससे मजदूरी की दर कम करनी पड़ती है। मजदूरों की मजदूरी से उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है और फर्मों का पूंजी भण्डार बढ़ने से कर्मचारियों की उत्पादक क्षमता भी बढ़ती है।

2.66 भारत ई एम में आने वाला एक ऐसा देश है जहां कार्पोरेशनों पर लगने वाले कुल कर की दर काफी अधिक है। अतः ईएम का मध्यमान मूल्य का अनुपालन करना वांछनीय होगा। इससे भारत विदेशी और भारतीय फर्मों के लिए निवेश का एक प्रतिस्पर्द्धात्मक लक्ष्य स्थान साबित हो सकेगा।

कर प्रशासन

2.67 'डुइंग बिजनेस रिपोर्ट 2014' ने भारत को कर भुगतान शीर्ष के अंतर्गत 189 देशों में 158वें स्थान पर रखा है सम्पूर्ण कर प्रणाली की कई समस्याएँ हैं जैसे कि कानूनों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन, बार-बार संशोधन किया जाना विशेषकर उस समय जब एक्जिक्यूटिव न्यायालय में कर का दावा नहीं कर पाते हैं और विशेष कर स्थानान्तरण के मामले में मनमाना कर दावा करना। इसके साथ ही बड़ी संख्या में वाद पड़े हैं और कर व्यवस्था भी विदेशी निवेशकों के अनुकूल नहीं है।

व्यय सुधार

2.68 सरकार के व्यय में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे कि न्यूनतम लागत से वांछित लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके लिए बजट प्रक्रिया और लेखा प्रणाली में परिवर्तन करने की जरूरत है, इसके अलावा सब्सिडी में सुधार करने तथा सार्वजनिक हित पर ध्यान दिये जाने की भी जरूरत है और इसके लिए समर्थन एवं उत्तरदायित्व का तंत्र भी जरूरी है।

व्यय सुधार के तहत उत्तरदायित्व के लिए एक आधार तन्त्र तैयार किया जाना चाहिए।

बजट प्रक्रिया

2.69 इस समय भारत में किसी सरकारी विभाग को दो तंत्रों से संसाधन प्राप्त होता है: बजट प्रक्रिया जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है और दूसरी बजट प्रक्रिया जो कि योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है। इससे दोनों के ही उत्तरदायित्व गड़मगड़ हो जाते हैं और बजट कार्य में बार-बार असफलता आ जाती है क्योंकि ऐसा कोई बिन्दु नहीं होता है जहां कि बजट कार्य में सख्ती से निर्णय लिये जा सकें।

2.70 एक और अधिक कारगर बजट प्रक्रिया अपनाई जा सकती है जिसको कि परिणाम, लक्ष्य या वैकल्पिक लक्ष्य को प्राप्त करने की भाषा में पूरा किया जा सकता है। एक ठोस बजट प्रक्रिया में हमारा ध्यान ऐसे परिणाम पर जाना चाहिए जो कि नागरिकों को मालुम पड़े या स्वतंत्र निकायों द्वारा जिनका मापन हो सके अर्थात् हमें सरकारी विभागों के आंतरिक क्रियाकलापों पर बहुत जोर नहीं देना चाहिए। बजट आवंटन को हमें ठोस लक्ष्य के साथ जोड़कर देखना चाहिए और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी इन विभागों पर डाली जानी चाहिए।

2.71 कामकाज में प्रगति लाने के लिए एक समर्थनकारी व्यवस्था (फीडबैक लूप) स्थापित करने के लिए चार तत्वों की जरूरत है पहला काम यह है कि बजट प्रक्रिया को एक में मिलाया जाय तथा इसे वित्त मंत्रालय में पूरा किया जाय। दूसरी बात प्रत्येक मंत्रालय के कामकाज का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाय और साथ ही स्वतंत्र संगठनों का भी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाय, जो कि तकनीकी ज्ञान पर आधारित हो। तीसरी बात है बजट प्रक्रिया की जिसमें बजट सम्बन्धी अड़चनें, इसके परिणाम और लक्ष्य आते हैं। चौथी बात उन परिणामों के

सेट की है जो तब पैदा होते हैं जब विभाग इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो जाता है। इससे संसाधनों को पीछे वापस लेने में मदद मिलेगी और उन व्यय के आवंटनों में संशोधन किया जा सकेगा जिनसे परिणाम प्राप्त नहीं हो सके थे।


2.72 भारत की नकद आधारित लेखा प्रक्रिया की बहुत अधिक आलोचना हुई है। अर्जन आधारित प्रणाली की ओर बढ़ने से बेहतर स्पष्टता हासिल हो सकेगी तथा और भी भले निर्णय लिये जा सकेंगे। ऐसा वहां हो सकता है जहां कि आय और व्यय का मापन उक्त वर्ष के क्रियाकलापों के रूप में किया जाता है। उदाहरणार्थ किसी वर्ष में यदि फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है तो इस पर आने वाले खर्च का हिसाब उसी वर्ष में होता है— चाहे ऐसी सब्सिडी का वास्तविक भुगतान किसी भी वर्ष में क्यों न हों। संक्षेप में यही कहना है कि सरकार एक संशोधित अर्जन आधारित प्रणाली की ओर बढ़ सकती है।

सब्सिडी

2.73 सब्सिडी योजना में जितना पैसा दिया जाता है उतना पैसा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। खाद्य सब्सिडी जैसे कार्यक्रम में अतिशीर्ष (ओवर हेड) लागत बहुत आती है। दूसरे मामले जैसे कि उर्वरक सब्सिडी में व्ययसे संसाधनों का आवंटन विकृत हो जाता है जिससे उत्पादकता अवरूद्ध हो जाती है (बॉक्स 2.1)।

2.74 सब्सिडी कार्यक्रम तब समस्या प्रधान हो जाते हैं जब उनसे कीमतों में परिवर्तन अवरूद्ध हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप संसाधनों का आवंटन दूसरी जगह हो जाता है। जब डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो माध्यम स्थित में अर्थव्यवस्था डीजल से दूर हट जाती है लेकिन यह समायोजन तब बिगड़ जाता है जब डीजल की कीमतों में वास्तव में वृद्धि नहीं होती है। जब अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ता है तो अनाज उत्पादन के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है, उपभोक्ता चाहे अनाज से इतर वस्तु ही क्यों न चाहते हों।

2.75 गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की उत्तरोत्तर पहचान करना और उनको नकद राशि देना आसान है। बायोमेट्रिक की नई प्रौद्योगिकी से उनकी पहचान करने और मोबाइल फोन के माध्यम से उनको भुगतान करने से कार्यक्रमों को तैयार करने की नई संभावनाओं का एक दायरा पैदा हुआ है। इससे वर्तमान सब्सिडी कार्यक्रमों की तुलना में कम खर्च से भी गरीबी में कमी लाई जा सकती है।



स्रोत: विभिन्न बाजार दस्तावेज

चित्र 2.14 : खाद्य, ईंधन और उर्वरक सब्सिडी, जीडीपी के एक हिस्से के रूप में

अनाजों की खरीद और उनका संचितरण करने के बजाय गरीब परिवारों को नकद राशि दिये जाने से सब्सिडी बिल में बचत हो सकेगी।

बॉक्स 2.1 : संसाधनों का गलत आवंटन

उर्वरक सब्सिडी यूरिया पर बहुत अधिक सब्सिडी दी जाती है। किसान लगभग 5360 रुपये प्रतिटन की दर से भुगतान करते हैं जबकि सरकार 11,760 रुपये प्रति टन के हिसाब से भुगतान करती है। अतः पोषक आधारित सब्सिडी (एन बी एस) व्यवस्था के अंतर्गत 2010 से अन्य उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी को सीमित कर दिया गया है।

नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P) और पोटैश (K) का सही अनुपात, जिसमें कि इनका प्रयोग हो सकता है, 4:2:1 होता है। इसी अनुपात में पौधे इन पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं। विक्रित और त्रिर्यक सब्सिडी से किसानों में यह गलत अवधारणा पैदा हो गई है कि यूरिया जो कि नाइट्रोजन का मुख्य प्रदाता है, सस्ती होती है और बाकी सब उर्वरक महंगे होते हैं। इसी कारण से भारत में उर्वरकों का प्रयोग 8.2:3.2:1 के अनुपात में हो रहा है।

एक ईकाई K के लिए, 4 ईकाई N जो कि जरूरी है, के बजाय, 8.2 ईकाई N को मृदा में डाला जा रहा है। इस प्रकार 4.2 ईकाई N का जो अतिरिक्त प्रयोग हो रहा है उसका परिणाम शून्य या नकारात्मक है।

इस प्रकार यूरिया की खरीद जो कि जरूरत से ज्यादा हो रही है, लगभग 50 लाख मीट्रीटन की होती है। इस मद पर किसान और सरकार क्रमशः 2680 करोड़ रुपये और 5860 करोड़ रुपये व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं। इस लागत को अंततः उपभोक्ता ही वहन करते हैं जो कि खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतों और कर की उच्च दरों के रूप में वहन की जाती हैं। इसके अलावा कृषि उत्पादन पर इसका शून्य या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इस विकृत नीति के कारण इस क्षेत्र में निजी निवेश अवरूद्ध हो गया है विशेष कर यूरिया के मामले में, और आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ गई है। इस तरह से उर्वरक सब्सिडी से सबको नुकसान होता है चाहे वे किसान, फर्म, कर दाता और उपभोक्ता ही क्यों न हों।

2.76 सब्सिडी कार्यक्रमों के तर्कसंगत विश्लेषण में तब मदद मिल सकती है यदि सार्वजनिक हित और सब्सिडी पर किये जाने वाले सभी सरकारी खर्च का सरकार की लेखा-प्रणाली और बजट दस्तावेज में वर्गीकरण किया जाए। इससे सब्सिडी का सम्पूर्ण मानचित्र प्राप्त करना संभव होगा और बजट प्रक्रिया को और न्यायसंगत बनाया जा सकेगा। योजना/गैर-योजना की स्थिति से हम सब्सिडी/सार्वजनिक हित की ओर बढ़ते हैं तो हमारे विचार सुस्पष्ट हो सकेंगे। यह बात योजना आयोग की सार्वजनिक व्यय के प्रबंधन संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति, जिसके अध्यक्ष श्री सी. रंगराजन हैं, के जुलाई 2011 के निर्देश से तालमेल खाती है।

शिक्षा

2.77 हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केन्द्र और राज्य दोनों के खर्च को मिला दें तो यह आंकड़ा 2007-08 के 62,063 करोड़ रुपये से बढ़कर 2011-12 में 147,750 करोड़ रुपये तक पहुंचा हुआ दिखाई देता है। चित्र 2.15 से प्रकट होता है कि प्रति बच्चा यह खर्च 2007-08 के 5202 रुपये से बढ़कर 2011-12 में 11,418 करोड़ रुपये हो गया है जोकि बहुत अधिक है।


2.78 अब माता-पिता के पास यह विकल्प है कि वे अपने बच्चे को चाहे पब्लिक स्कूल में भेजे या प्राइवेट स्कूल में। पब्लिक स्कूलों में उनको शिक्षा, यूनीफार्म, मध्याह्न भोजन और पुस्तकों पर कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ता है।

2.79 माता-पिता अब बहुत अच्छी स्थिति में हैं जिससे वे अपने बच्चों के सर्वोत्तम हितों का साधन कर सकते हैं। चित्र 2.16 में ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक व प्राइवेट स्कूलों में दाखिल बच्चों के अनुपात को दर्शाया गया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त है और सरकार प्रति बच्चे पर लगभग 1000 रुपये प्रतिमाह खर्च करती है। फिर भी उस अवधि में व्यय सरकारी स्कूलों में प्रति बच्चे पर होने वाले खर्च में 112.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई थी जिस समय धनाढ्य होते कुछ परिवारों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल लिया था। इससे प्राथमिक शिक्षा पर किये जाने वाला सार्वजनिक व्यय बच्चों की शिक्षा में कितना कारगर सिद्ध होगा इस बात को लेकर चिंता व्याप्त है।

2.80 चित्र 2.17 में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के परिणामों को तुलनात्मक रूप से दर्शाया गया है। ग्रामीण भारत के निजी स्कूल क्षमतापूर्ण ढंग से काम नहीं करते हैं। तीसरी कक्षा के केवल 59 प्रतिशत छात्र ही कक्षा एक की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इससे यही प्रकट होता है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है। वर्ष 2006 में यह स्थिति मात्र 50 प्रतिशत की थी। हाल के वर्षों में जहां एक ओर सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र खर्च अधिक बढ़ गया है वहीं दूसरी ओर इनकी शिक्षा में 32.4 प्रतिशत की गिरावट आयी है।


2.81 साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में सरकारी कार्यक्रमों के डिजाइन को फिर से देखें जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2006-07 से 2011-12 में खर्च में 138 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वर्तमान कार्यक्रमों के माध्यम से व्यय के अधिक्च के साथ।

2.82 प्रारंभिक शिक्षा का यह उदाहरण अपर्याप्त फीडबैक लूप दर्शाता है: परिणाम में विफलता आ जाने पर संसाधन, प्रबंधन में पूर्ण रूप से न तो कोई परिवर्तन होता है और न ही मूलभूत सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोई बदलाव आता है।




स्रोत: शिक्षा पर बजटीय खर्च का विश्लेषण विभिन्न रिपोर्टों एवं डीआईएसई, विभिन्न रिपोर्ट

चित्र 2.15 : सरकार द्वारा किया गया प्रति बच्चा व्यय



स्रोत: एएसईआर, विभिन्न रिपोर्टें

चित्र 2.16 : विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ रहे ग्रामीण बच्चों



स्रोत: एएसईआर, विभिन्न रिपोर्टें

चित्र 2.17 : कक्षा तृतीय में ग्रामीण बच्चों जो कक्षा प्रथम स्तर के पाठ पढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य

2.83 भारत की स्वास्थ्य नीति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अस्पतालों पर जोर दिया गया है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर अस्पताल के विस्तरों, डाक्टरों और नर्सों की संख्या बहुत कम है अतः स्वास्थ्य नीति की सफलता के लिए और अधिक उपायों की जरूरत है। स्वास्थ्य के परिणाम जैसे कि डायरिया, मलेरिया, बच्चों और नवजात शिशुओं की मृत्युदर में कमी को बजट संसाधनों के माध्यम से ही लाया जा सकता है। अब 'सार्वजनिक हित' के सीमित बजट संसाधनों पर ध्यान देने की जरूरत है तथा उस खर्च को भी वहन करना है जिसे निजी व्यक्ति स्वयं वहन नहीं कर सकता है।

2.84 स्वास्थ्य विभाग का सर्वाधिक सशक्त हस्तक्षेप जल और स्वच्छता सुविधाओं के क्षेत्र में हो सकता है। (सारणी 2.5)। महामारी से संबंधित हस्तक्षेप जैसे कि टीकाकरण कार्यक्रम, रोगों का नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र की प्रकृति के होते हैं। जलाशयों और नालियों की स्वच्छता से मलेरिया पर नियंत्रण कायम किया जा सकता है। ऐसे कार्यों पर अन्य किसी को नहीं बल्कि सरकार को ही खर्च करना होता है। सरकार को सर्वप्रथम इसी कार्य पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च के प्रति हमारी सोच में मूलभूत तथा रणनीतिक परिवर्तन लाने की जरूरत है।

अवसंरचना

2.85 अवसंरचनाओं में सरकार की भूमिका को नियोजन, अनुबंध और विनियमन के रूप में विभाजित किया जा सकता है।

नियोजन निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिससे कि अवसंरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न घटकों के बीच परस्पर संबंध स्थापित होना जरूरी है। उदाहरण के लिए जहां-जहां भी समुद्री पत्तन हों वहां-वहां रेलवे और सड़कों का होना जरूरी है।

अनुबन्ध के अंतर्गत किसी अवसंरचना के निर्माण के लिए निजी निर्माताओं को ठेका देना होता है। अवसंरचना से सम्बन्धित सरकार के कार्य का नियोजन, अनुबन्ध और विनियमन में विभाजित किया जा सकता है।

जब एक बार कोई परिसम्पत्ति चालू हो जाती है तो इसके विनियमन की समस्या पैदा होती है क्योंकि शक्तियों के एकाधिकार से बाजार से विफलता की स्थिति पैदा हो जाती है।

2.86 हमें यह देखना है कि सरकार द्वारा किये जा रहे नियोजन के कार्य से अनुबन्ध का काम विशिष्ट संगठनों जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को ही दिये जाय और विनियमन का कार्य स्वतंत्र विनियामक को दिये जाएं।

2.87 परिवहन से सम्बन्धित नियोजन में हमें परिवहन से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर एक समेकित दृष्टि रखने की जरूरत होती है। ऊर्जा से सम्बन्धित नियोजन कार्य में दूसरे सभी पहलुओं के प्रति एक समेकित दृष्टि रखनी जरूरी है। नियोजन की प्रक्रिया में राजनीतिक विचारों उदाहरण के तौर पर राजनैतिक दल यह निर्णय करें कि पिछड़े राज्यों अथवा ऐसे राज्यों जहां पर कानून और व्यवस्था की अधिक समस्या है, तब उनकी आर्थिक व्यवहार्यता क्या है, में परिवहन आधारभूत संरचना बनाया जाना आवश्यक है।

2.88 एक बार बन्दरगाह अथवा राजमार्ग बनाए जाने का निर्णय लिये के पश्चात संविदा कार्य में, पीपीपी संविदाओं की जटिलता के साथ निपटने के विशेषीकृत कौशल की आवश्यकता होती है। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में पिछली दशब्दी की कई कठिनाइयां, जटिल पी.पी.पी. परियोजनाओं को खरीदने और संविदा करने में राज्य की क्षमता में कमी के कारण होती है। इस कार्य का अलग करने से संविदा के विशेषीकृत क्षेत्र के स्वतंत्र संगठन के गठन की आवश्यकता होगी।

वर्ग	2005	2012
सुलभ शौचालय		
ग्रामीण	18.70	24.75
शहरी	56.84	60.20
पानी की सुलभता		
ग्रामीण	82.20	90.71
शहरी	94.15	96.67

स्रोत: विश्व विकास संकेतक।

सारणी 2.5 : जनसंख्या का प्रतिशत जिनको जल और स्वच्छता सुविधाएं सुलभ हैं

अवसंरचना में सरकार की भूमिका को सार्थक रूप से योजना, अनुबंध एवं विनियमन में विभक्त किया जा सकता है।

2.89 एक बार किसी परिसम्पत्ति के कार्यकरण के पश्चात् एक आर्म-लैंगे स्वतन्त्र विनियामक की आवश्यकता होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड का एक हिस्सा होने के नाते विनियामक की नजर होती है, सरकारी आधारभूत संरचना परिसम्पत्तियों का निगमीकरण ताकि विनियामक मार्केटप्ले फर्मों से जैड स्केप देखे तथा उनके साथ स्वमित्व न्यूडल वे में बर्ताव कर सके।

2.90 इसके अलावा किसी आधारभूत संरचना परियोजना के जोखिमों की शुरू की अवस्था में धीरे-धीरे कम करना उपयोगी होगा शुरू की अवस्था का जोखिम है राजनैतिक जोखिम, निर्माण जोखिम, निर्यात जोखिम, विनियामक जोखिम और प्रथम वर्ष की टार्लिंग का ट्रैफिक जोखिम। ये पर्याप्त जोखिम है।

2.91 एक बार परिसम्पत्ति के शुरू हो जाने तथा प्रथम वर्ष से टार्लिंग राजस्व का पता चल जाने के पश्चात् जोखिम तेजी से घटने शुरू हो जाते हैं। उस बिन्दु से आगे आने वाले जोखिमों में शामिल है विनियामक जोखिम तथा ट्रैफिक विकास जोखिम।

2.92 अभी तक भारत में उन सभी बड़ी संविदाओं पर बल दिया है जिनमें ये सभी जोखिम सम्मिलित हैं। यह आशा की जाती है कि डिवलेपर और अप्रेटर का संघ, सामुहिक रूप से इन संविदाओं पर बोली लगाएंगे। तथापि गैर-सरकारी क्षेत्र की जोखिम सहन करने की क्षमता सीमित है विशेष रूप से तब जब यह राजनैतिक जोखिम, निर्माण जोखिम, विनियामक जोखिम सहित राजनैतिक जोखिमों द्वारा प्रेरित है।

2.93 संविदा की एक वैकल्पिक रणनीति की आवश्यकता है। एक परिसम्पत्ति, सार्वजनिक तुलन-पत्र पर स्टे कर सकती है। परिसम्पत्ति बनाने के लिए दी गई पहली संविदा एक इंजीनियरिंग संविदा होगी जहां निर्माण कम्पनी का, राजनैतिक और विनियामक जोखिम से संरक्षण किया जाता है। सरकारी और निर्माण कम्पनी निर्माण जोखिम से निबटने के लिए मिल-जुल कर कार्य करेगी परिसम्पत्ति का भुगतान बजट से किया जाएगा।

2.94 द्वितीय संविदा एक गैर सरकारी फर्म को दी जाएगी जो परिसम्पत्ति एक वर्ष तक उक्त टोल कर सके तथा टोल राजस्व के मौजूदा स्तरों के बारे में आंकड़े तैयार कर सके।

2.95 यह दीर्घावधि की स्टेज अथवा 20 वर्ष की संविदा की स्टेज तय करेगी जिसमें टोलिंग और रख रखाव शामिल होगा। समर्पित आप्रेंटिंग कम्पनियों का एक नया संवर्ग, अर्थात् “उपयोगिताएं” उभरेगा जो यह भूमिका निभाएगा। ये परियोजनाएं उच्च स्तर के दीर्घावधि बान्ड बाजार वित्त पोषण को समाहित करने में समर्थ होंगे तथा इनसे कम टोल एकत्र होगा। यह फर्म सरकार के लिए नकद प्रवाह बनाएंगी जो कि परिसम्पत्ति का निर्माण करने के मूल व्यय को पूर्ति करेगा।

2.96 इस तरीके से निर्माण फर्मों, जिन्हें नई परिसंपत्तियां निर्मित करने में विशेषज्ञता हासिल है, और प्रचालन फर्मों, जिन्हें मौजूदा परिसंपत्तियां संचालित करने में विशेषज्ञता हासिल है, के बीच पृथक्करण पैदा किया जा सकता है।

प्राकृतिक संसाधन

2.97 प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में, जहां वैश्विक व्यापार होता है, वहीं भारत में अन्वेषण और निष्कर्षण के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन तब प्राप्त किए जाते हैं जब परिवहन लागत अथवा कर को शामिल न करते हुए विश्व मूल्यों के साथ मूल्य निर्धारण समता होती है। यदि फर्मों को भारत में प्रति यूनिट निष्कर्षित खनिज पर अपेक्षाकृत कम राजस्व प्राप्त होता है तो अन्वेषण और निष्कर्षण में निवेश का स्तर कम रहेगा।

2.98 नीलामी आधारित अधिप्राप्ति अथवा नियत मूल्य पर अधिप्राप्ति दोनों को ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सरकार के लिए एक निश्चित प्रतिशत का राजस्व तय करके इससे बचा जा सकता है जिसमें सरकार निजी फर्मों

अवसंरचना परियोजना के प्रारंभिक चरण में राजनैतिक जोखिम, निर्माण जोखिम, विनियामक जोखिम और यातायात जोखिम होता है।

के साथ अन्वेषण, निष्कर्षण और विश्व मूल्यों में होने वाली घटबढ़ से जुड़े जोखिमों को साझा करते हुए एक भागीदार बन जाती है।

2.99 उपभोक्ताओं द्वारा झेली जा रही मूल्य संबंधी विकृतियों को हटाने के लिए मजबूत आधार मौजूद है, जैसेकि कोयले के लिए प्रशासित मूल्य। ये नियत मूल्य उच्चतर मूल्यों के कारण कम खपत होने से बाजार की कार्रवाई को मंद कर रहे हैं और बाजार अर्थव्यवस्था की लोचशीलता को कम कर रहे हैं। गरीबों के लिए वाउचर इस दिशा में बढ़ने का एक तरीका है जिनके जरिए परिवारों को एक निश्चित रुपया भुगतान किया जाता है और परिवार बाजार मूल्य अदा करता है। एक अद्भुत योजना जिसके जरिए इनमें से कई समस्याएं एक साथ ही सुलझाई जा सकती हैं, वह है राज्य सरकारों को दिए जाने वाले राजस्व हिस्से में से भुगतान करना, जो इस पैसे का उपयोग गरीबों के लिए वाउचर कार्यक्रम चलाने के लिए करेंगी। सरकार के राजस्व हिस्से को इस वाउचर कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ राज्यों को अंतरित करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

बाजार अर्थव्यवस्था की बुनियाद

2.100 भारत देश भर में लाखों-लाख उद्यमियों की उद्यमशीलता को प्रेरित करके अपने दीर्घावधिक विकास के रूप को जारी रख सकता है। लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता जो 1950 के दशक में प्रभुत्व और नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत छीन ली गई थी, को बहाल किए जाने की जरूरत है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि प्रभुत्व और नियंत्रण अर्थव्यवस्था के लिए बनी सरकारी शक्ति को समाप्त किया जाए और बाजार आधारित व्यवस्था के लिए एक उपयुक्त ढांचा तैयार किया जाए। इस संस्थागत परिवर्तन के लिए एक दीर्घावधिक, सतर्क और व्यवस्थागत प्रयास किए जाने की जरूरत है।

बाजार असफलताओं का समाधान

2.101 केंद्रीय नियोजन के अंतर्गत, क्या उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है, ये सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते थे। 1960 और 1970 के दशक में ऐसे कई कानून अधिनियमित किए गए जिनके कारण उत्पाद और उत्पादन बाजारों, दोनों के कार्यकरण में सरकार का दखल बहुत बढ़ गया था। 1970 के दशक के उत्तरार्ध से सरकार के हस्तक्षेप को कम करने में कुछ प्रगति हुई है। आज स्थिति यह है कि कुछ मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप और कुछ मामलों में सरकार की अपर्याप्त भागीदारी की अनमेल स्थिति साथ-साथ बनी हुई है।

2.102 बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका के संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि बाजार की असफलता की अवधारणा है, अर्थात् एक ऐसी स्थिति जिसमें निजी क्षेत्र के व्यक्तियों की बेलगाम कार्रवाइयों के कारण अपेक्षा से कम परिणाम प्राप्त होते हैं। बाजार - असफलता की तीन श्रेणियां होती हैं - एकाधिकार शक्ति, बाहरी कारकों का प्रभाव और बेतरतीब सूचना। बाजार-असफलता की अवधारणा राज्य की दखल कार्रवाई को निर्देशित करने का फ्रेमवर्क मुहैया कराती है। राज्य की दखल कार्रवाई शुरू करने से पूर्व यह जरूरी है कि बाजार का असफलता होना सिद्ध कर दिया जाए। यह दिखा दिया जाना चाहिए कि दखल कार्रवाई से बाजार-असफलता का समाधान हो जाएगा और यह दखल कार्रवाई वास्तविक विश्व की राजनीति और लोक प्रशासन की समस्त त्रुटियों के बीच भी कार्य करेगी। इसके अलावा सरकारी, दखल कार्रवाई की जो कीमत समाज को चुकानी पड़ी है, उसकी तुलना में इससे प्राप्त लाभ अधिक होने चाहिए।

सरकारी शक्ति को चुनौती

2.103 भारत में पहले चरण में किए गए सुधारों का ध्यान विनियंत्रण करने पर था : इसमें केंद्रीय नियोजन की व्यवस्था को भंग करना और सरकार द्वारा की जा रही अनुचित दखल कार्रवाई को समाप्त करना शामिल था। उदाहरण के तौर पर, भारत में कई वित्तीय विनियामक वित्तीय फर्मों के उत्पादन और प्रक्रियाओं के

सभी कानूनों की पुनः जांच किए जाने की आवश्यकता है जो सरकार को बाजार में हस्तक्षेप करने का अधिकार देते हैं।

ब्यौरेवार कार्य प्रक्रिया में घुलमिल जाते हैं। इस प्रकार का लाइसेंस परमिट राज सरकारी सुधारों के जरिए खत्म करना आसान है, जैसेकि किसी विनियमन को निरस्त करना अथवा कानून को भंग करना अथवा किसी सरकारी संगठन को बंद करना।

2.104 हालांकि सरकार की अनुचित दखल कार्रवाई समाप्त करने का काम पूरा होने में बहुत कुछ करना शेष है, यह जरूरी है कि सुधारों के दूसरे दौर को महत्व दिया जाए। यह बाजार-असफलताओं का समाधान करने वाली सरकारी संरचनाओं का निर्माण करने का सकारात्मक एजेंडा है। केवल सरकार ही सार्वजनिक कल्याण जैसेकि रक्षा, पुलिस और न्यायपालिका की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकती है। केवल सरकार ही एकाधिकारों, बाहरी कारकों के प्रभाव और बेतरतीब सूचना से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती है। प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उन्नत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित फर्मों के इस माहौल में बाजार-असफलता का सटीक समाधान करने के लिए सरकार को पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए।

2.105 इसके लिए सरकार में क्षमता होनी चाहिए। भारत को एक योग्य, कार्यदक्ष, लागत को कम करने वाले ऐसे सरकारी संगठनों को स्थापित करने का अनुभव नहीं है जो केंद्रीय नियोजन के खतरों से बचते हुए बाजार-असफलता का सफल समाधान कर सकें। अब भारत में ज्ञान का ऐसा भंडार चाहिए जिसमें कानून निर्माण, एजेंसी संरचना, संगठन संरचना, प्रक्रिया मैनुअल और मानव संसाधनों के बारे में बताया गया हो। इसके जरिए एक कारगर सरकार बनाई जा सकती है। प्रभुत्व और नियंत्रण व्यवस्था बनाने और चलाने के मौजूदा तरीके अब नई जरूरतों के बारे में सोचने-विचारने के लिए उपयोगी नहीं रह गए हैं।

उद्देश्य, शक्तियां, लोचशीलता, जवाबदेही

2.106 प्रत्येक सरकारी संगठन एक कारिन्दा है और संसद द्वारा प्रतिनिधित्व की गई भारत की जनता शासक। प्रत्येक शासक-कारिन्दा संबंध में, सही निष्पादन हासिल करने के लिए कारिन्दा का उद्देश्य भली प्रकार समझा जाना चाहिए, परिणामों का आकलन होना चाहिए और इन आकलनों के परिणाम होने चाहिए। अस्पष्ट रूप से तैयार किए गए उद्देश्यों के परिणामस्वरूप जवाबदेही क्षीण होती है। एक बार स्पष्ट उद्देश्य परिभाषित हो जाने के बाद, कानूनों को चाहिए कि वे कारिन्दा को कम-से-कम सेवक प्रतिरोधी कठोर शक्तियां दें जिनके जरिए उद्देश्य हासिल किया जाए। यदि विस्तृत और व्यापक शक्तियां दी जाती हैं तो शक्ति के दुरुपयोग का अधिक खतरा बना रहता है।

2.107 जिस हद तक उल्लिखित उद्देश्यों को हासिल किया गया है, उन्हें परिणामों पर जोर देते हुए सांख्यिकीय दृष्टि से आकलित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड दिए जाने और परिणामों का आकलन किसी स्वतंत्र निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर, शिक्षा का परिणाम है बच्चों का ज्ञान। दि ऑगेनाइजेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट (पीसा) देश में 15 वर्ष के बच्चों के विज्ञान और गणित के ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय रूप से तुलनीय पैमाना है: यह एक स्पष्ट रिपोर्ट कार्ड हो सकती है जो 10वीं कक्षा की शिक्षा तक सरकारी तंत्र के निष्पादन को उजागर करे।

2.108 इस दृष्टिकोण से जवाबदेही आएगी। प्रत्येक सरकारी संगठन का नेतृत्व अच्छा कार्य कर सकता है, जब उद्देश्य की स्पष्टता हो, जब न्यूनतम शक्तियां दी गई हों, तथा जब परिणाम का आकलन किया जाता हो। जब जवाबदेही के बहुत से तन्त्र हो, अधिक आप्रेशनल स्वायत्तता का मामला बनता है, जिसके माध्यम से संगठन का नेतृत्व, परिणाम देने के क्रम में संगठन को पुनः आकार दे सकता हो।

कानूनों को विनियमन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विनियामकों को सीमित शक्तियां देने की आवश्यकता है।

कारोबार करने की आसानी

2.109 हाल ही के वर्षों में भारत में कार्य कर रही फर्म फर्म और सरकार के बीच इंटरफेस में समस्याओं का सामना कर रही है। इसमें शामिल हैं स्वास्थ्य-सुरक्षा-पर्यावरण विनियमन, कम्पनियों का विनियमन, विधिक प्रणाली का कार्यकरण तथा कर-नीति की समस्याएं तथा कर प्रशासन।

2.110 लम्बे विलम्ब मंहगे पड़ते हैं। सरकार के साथ सम्बन्धों का प्रबन्धन करने के लिए आर्बिट्रिट वरिष्ठ प्रबन्धन समय वह समय है जो उत्पादन में सुधार लाने के लिए आर्बिट्रिट किया जा सकता था। भारत में कारोबार करने की लागत ने भारतीय और वैश्विक फर्मों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाया है ताकि वे विश्व में कहीं भी निवेश कर सकें। इससे छोटा कारोबार स्थापित करना तथा सरकार के उत्पीड़न के बिना उन्नति करना कठिन हो गया है।

2.111 फर्मों और राज्यों में इंटरफेस के सभी पहलुओं में व्यापक परिवर्तन की अभी आवश्यकता है। इसमें बाजार की कमियों का निवारण करने तथा मजबूती जबाबदेही तन्त्र, जिसके माध्यम से सार्वजनिक निकाय विश्व स्तरीय दक्षता देते हैं, पर राज्य का ध्यान केन्द्रित करना है।

कारक बाजारों में सुधार लाना

2.112 वर्ष 1991 में औद्योगिक और आयात लाइसेंसिंग का समाप्त किया जाना, भारत में उत्पाद बाजार में सुधार की ओर उठाए गए कदमों में से पहला कदम था। निर्मित फर्मों को उत्पादन करने और आयात और निर्यात को खरीदने तथा बेचने की अनुमति देते हुए उत्पादों के बाजारों (कृषि उत्पाद नहीं) को उदार बनाया गया था। इस्पात और सीमेन्ट पर मूल्य नियन्त्रण को हटा दिया गया था।

2.113 श्रम, भूमि और पूंजी सम्बन्धी कारक बाजारों में तथापि कोई सुधार नहीं किया गया। यह विकास और रोजगार सृजन के लिए बाधा सिद्ध हुआ है। भारत में श्रम गहन उत्पादन में वैश्विक हब बनने की क्षमता है। तथापि भारत में श्रम कानूनों ने भारत में बड़े पैमाने के उत्पादन में रूकावट डाली है। भूमि की स्पष्ट हकदारी, भूमि अधिग्रहण और भूमि प्रयोग में परिवर्तन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे सरकार के प्रत्येक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। इसी प्रकार मुम्बई में, लन्दन, न्यूयार्क और सिंगापुर की तरह अन्तरराष्ट्रीय वित्त केन्द्र बनने की क्षमता है। तथापि यह सम्भावना, भारत में वित्तीय विनियमन की कमियों के कारण रूक गई है। कारक बाजार सुधार की सरकार द्वारा तत्काल प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।

वित्तीय प्रणाली

भारतीय वित्त संहिता का मसौदा

2.114 भारतीय वित्त प्रणाली, आज की अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं और भविष्य में अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। भारत में वित्तीय विनियमन के ढांचे में अधिकांश परिवर्तन, समय की मांग के अनुसार किए गए हैं। इसमें वित्त का विनियमन करने के लिए विनियामकों को अधिकार देने वाले विभिन्न कानूनों में पीस मील परिवर्तन किया जाना है।

2.115 पिछले दस वर्ष में विशेषज्ञ समितियों की श्रृंखला के माध्यम से सुधारों की दिशा के बारे में एक सहमति उभर कर आई है। जिससे भारत वित्त की असफलता पर सैंकड़ों भारतीय विशेषज्ञों और अनुसन्धान निकायों को शामिल किया है। तथापि प्रस्तावित बहुत से परिवर्तन, मौजूदा कानूनों की आधारभूत संरचना के अनुरूप नहीं रहे हैं। आधारभूत कानूनों की समीक्षा करने, इन्हें पुनः बनाने के लिए एफ.एस.एल.आर. सी. का गठन किया गया था ताकि वित्तीय प्रणाली के लिए प्रत्येक नए कदम को

कारोबार करने के लिए इसे आसान और सस्ता बनाना उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

भारतीय वित्त संहिता मसौदा वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियमों में उपभोक्ता संरक्षण को उच्च मुख्य स्थान देता है।

समाविष्ट किए बिना मौजूदा कानूनों को बार-बार संशोधित किए बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को तैयार करने के लिए भारतीय वित्त में सुधार लाया जा सके।

2.116 आयोग जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2013 में प्रस्तुत की, का कार्य था, विनियामकों, सरकार, विनियमितों और उपभोक्ताओं जिनके संरक्षण विनियम तैयार किया जा रहा है, के बीच आधारभूत व्यवस्था को चुनौती देना। एफ.एस.एल.आर.सी. ने नए कानून का मसौदा प्रस्तावित किया: भारतीय वित्तीय संहिता। इस कानून ने उपभोक्ता संरक्षण को सभी विनियमों में उच्च स्थान पर रखा है। कर दाता पर भार डाले बिना उपभोक्ता का संरक्षण करने के क्रम में विनियामक व्यक्ति किराया विनियम अपनाते हैं तथा वित्तीय फर्मों के फेल होने के जोखिम को कम करते हैं। वे पालिसी धारक का संरक्षण करते हैं तथा उपभोक्ता संरक्षण विनियमों और निवारण संघों के माध्यम से अनप्रयुक्त उत्पादों की बिक्री को रोकते हैं। जब वित्तीय सुधार असफल हो जाते हैं, शेयर धारकों को असफलता का पूरा खामियाजा भुगतना होता है अपितु अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं पर होने वाले इसके परिणामों को, संकल्प निगम के माध्यम से रोका जाना चाहिए। प्रणालीबद्ध विनियमन के माध्यम से सरकार और विनियामक, वित्तीय सेवाओं में होने वाली बड़े पैमाने की रूकावट को रोकते हैं। आदेश और नियन्त्रण के पूर्व दृष्टिकोण के स्थान पर यह वित्तीय प्रणाली में वित्तीय अभिकरणों द्वारा तार्किक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।

कारोबार करने के लिए इसे आसान और सस्ता बनाना उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

2.117 भारत में पिछली समितियों की रिपोर्टों की सिफारिशों का विषय रहा है, प्रगति के विरुद्ध वित्तीय समिकरणों द्वारा खड़ी की गई रूकावटें। विनियामकों को स्पष्ट उद्देश्य और अधिकार देकर इस मुद्दे का एफ.एस.एल.आर.सी. द्वारा निवारण किया गया है। विनियामक को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि विनियम की, उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता है तथा यह उसकी शक्तियों में है कि तथा विनियम का लागत लाभ विश्लेषण यह दर्शाता है कि अतिरिक्त लागत, चाहे मौद्रिक अथवा अन्यथा जो इस विनियम के अनुसार है, अर्थव्यवस्था को स्पष्ट लाभ देने के लिए है।

2.118 “भारतीय वित्तीय संहिता, विधायी कार्य सूची पर है। मौजूदा वित्तीय विनियामकों ने” अडाप्शन आफ गवर्नेन्स एन्हांसिंग एण्ड नान लैजिस्टिव कोड” की उनके द्वारा अनुपालन किए जाने की वचनबद्धता प्रकट की है जिनके माध्यम से संहिता के मसौदे के कुछ पहलुओं का, मौजूदा अभिकरणों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह विधायी तथा गैर-विधायी कार्य अब भारत में वित्तीय सुधारों का केन्द्र बिन्दु है।

पूँजीगत नियन्त्रण

2.119 भारतीय अर्थव्यवस्था के परिपक्व होने की एक मुख्य विशेषता रही है फर्मों का अन्त राष्ट्रीयकरण। फर्मों, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार, आरुढ़ बाउन्ड एफ.डी.आई., वस्तुओं और सेवाओं के आयात, विदेशी इक्विटी पूँजी, विदेशी ऋण पूँजी तथा विदेशी डेरिवेटिव बाजार के माध्यम से जुड़े हैं।

फेमा के अन्तर्गत पूँजीगत नियन्त्रण, तीव्र वैश्विक अर्थव्यवस्था का समर्थन नहीं करता।

2.120 विदेशी विनियम प्रबन्धन अधिनियम, 1999 पर आधारित पूँजीगत नियन्त्रण का प्रयोग करते हुए देश-पार के क्रियाकलापों में रूकावट आती है, पूँजीगत जैसेकी सभी क्रियाकलाप फेमा की धारा 6 के अन्तर्गत आते हैं जिनमें से उनकी मनाही होती है जब तक कि स्पष्ट रूप से उनकी अनुमति नहीं दी जाए। यह धारा 5 के विपरीत है जो कि चालू लेखा को कवर करता है तथा इस दर्शन का प्रतिबिम्ब है तथा जब तक वर्जित नहीं किया जाए, सभी प्रकार के लेन देन की अनुमति देता है। पिछले 15 वर्ष में अधीनस्थ विधान के, पूँजीगत प्रवाह के सम्बन्ध में हजारों पृष्ठ लिखे गए

हैं। इतने बड़े कानून के नियम का उल्लंघन और कानूनी जोखिम। इस क्षेत्र की आधारभूत वास्तविकताओं उस सुशासन से हटा लिया गया है, जिसकी भारत कल्पना करता है। भारत में कारोबार करने की लागत को कम करने के लिए एक घटक के रूप में देश पार क्रियाकलापों के अत्यधिक सरलीकरण की आवश्यकता है।

2.121 उदाहरण के तौर पर एफ.डी.आई. के लिए एक सिंगल विन्डो प्रभावकारी रूप से बनाई जा सकती है यदि फेमा के अन्तर्गत सभी प्रकार के नियम बनाने का अधिकार भारत सरकार के एक विभाग के पास हो तथा स्पष्ट रूप से नकारात्मक सूची को छोड़कर सभी प्रकार के लेनदेन की अनुमति हो।

भोजन

2.122 एक क्षेत्र जो भारत के उदारीकरण और प्रतियोगिता में पीछे रहता आ रहा है, वह है भोजन (खाद्य) सेवाओं और उद्योग के क्षेत्र में भारतीय उत्पादकों ने कार्रवाई की पर्याप्त आजादी हासिल कर ली है तथा वे पूरे भारत वर्ष और विश्व का मुकाबला करते हैं। भोजन (खाद्य) के क्षेत्र में भारतीय उत्पादकों को पर्याप्त प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ता है। सरकार किसी उत्पादक को अपने पड़ोसी अथवा पड़ोसी जिले को मुक्त रूप से बिक्री करने की अनुमति नहीं देती। जटिल नियन्त्रण और प्रणाली प्रचलन में है।

2.123 अनाज (खाद्यान्न) के बाजार में एक व्यापक केन्द्रीय आयोजना प्रणाली प्रचलन में है। राज्य सरकारें लागत कीमतों, जैसकि उर्वरक, पानी और बिजली को नियन्त्रित करती हैं, राज्य निर्गत कीमतों का निर्धारण करता है तथा उस प्रशासनिक तन्त्र के साथ गैर-सरकारी व्यापार को बढ़ाता है जो खरीद करता है। राज्य भंडारण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने है। राज्य वितरण में गैर-सरकारी व्यापार को बढ़ावा देता है, जिससे खाद्यान्न का देश-भर में वितरण हो सके। केन्द्रीय आयोजना प्रणाली, देश को तीन प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। दृष्टिगोचर लागत, प्रचालन और सुपुर्दगी की सीधी लागत है। इसके अलावा लीकेज, अकार्यकुशलता और गैर-वैधानिकता की छिपी हुई लागत भी होती है जो कि सार्वजनिक प्रणाली के साथ-साथ चलती है। तथापि सबसे महत्वपूर्ण लागत है, संसाधनों का अकार्यकुशलता उपयोग और उत्पादन का ढांचा जोकि केन्द्रीय आयोजनाकार की पसन्द के अनुसार चलता है। कृषि क्षेत्र के अपर्याप्त विकास के कारण यह दीर्घाविधि के लिए आवश्यक था। शायद वह समय आ गया है जब और प्रतियोगी दाया ला करके कई अकार्य कुशलताओं को समाप्त किया जा सके।

2.124 हाल ही की दशाब्दियों में भारत में बढ़ती हुई आय के कारण लोगों का रुझान गेहूं और चावल जैसे मुख्य अनाज से शिफ्ट होकर बेहतर वस्तुओं जैसे सब्जियों, फल, अन्डे, दूध और मांस की तरफ हुआ। बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधन, खरीद प्रतिमानों में इस रुझान को दर्शाते हुए पुनः आबंटित हो जाएंगे। सापेक्ष कीमतों में हल्के से परिवर्तन अर्थात् पालक की कीमत में गेहूं की कीमत के अनुपात में संसाधनों का आबंटन गेहूं से पालक में हो जाएगा। आदेश और नियन्त्रण की जटिलताओं ने इस प्रक्रिया में बाधा डाली है। परिणामस्वरूप सापेक्ष कीमतों में एक बड़े शिफ्ट से अपेक्षित आपूर्ति का रुझान भी होना अपेक्षित है। इससे खाद्य में मुद्रास्फीति आई है।

2.125 सरकार द्वारा किए जाने वाले अन्य हस्तक्षेप भी समस्याकारी है। पहला है, लेन-देन और भण्डारण पर प्रतिबन्ध। इसमें शामिल है, राज्य स्तर के ए.पी.एम.सी. कानून, आवश्यक वस्तु अधिनियम और राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक उपाय जो कि उत्पादन और भण्डारण के निर्णय को विकृत करते हैं।

केन्द्रीय आयोजना खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू को कवर करती है।

उपभोक्ताओं और किसानों दोनों का कल्याण तब हो सकता है, जब कृषि बाजारों को उसी तरीके से आजादी दी जाए जैसे उत्पादकों को आर्थिक आजादी दी गई थी।

बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाएं, किसानों और उत्पादकों का संरक्षण करने के लिए, बाजार के संकेतों को नष्ट किए बिना आय का समर्थन, खाद्य और रोकड़ अन्तरण प्रदान करती है।

2.126 एक ओर समस्या अन्तर राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित है। उद्योग और सेवाओं में, भारतीय उत्पादक, अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण के कारण उन्नत हुए हैं। उत्पादकों ने बाजार के बड़े आकार की बढ़ोतरी के कारण फायदा उठाया है। निम्नलिखित में विशेषीकरण हुआ है: भारतीय आयात पूंजीगत गहन कम्प्यूटर हार्डवेयर और निर्यात श्रम गहन कम्प्यूटर साफ्टवेयर। राजतन्त्रीय नीतियों को समाप्त करना, 1979 से भारत के विकास के बढ़ने का मुख्य स्रोत रहा है।

2.127 भारत को कृषि उत्पादन के माध्यम से खुशहाली प्राप्त करने का अद्वितीय अवसर प्राप्त हुआ है। यहां के मौसल के अनुसार वर्ष भर में कई फसले उगाई जा सकती हैं। जबकि विश्व में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अपनी भूमि पर अनाज का बड़े पैमाने पर यांत्रिक उत्पादन करते हैं। उच्च कीमत कृषि के एक बड़े हिस्से के लिए अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत इन सभी क्षेत्रों में उत्पादक और नियतिक बन सकता है। इससे उत्पादन प्रक्रिया के सभी प्रतिभागियों को उच्च कीमत मिलेगी। कृषि में जीविका से गरीबी का अभिप्राय नहीं होना चाहिए।

कृषि का उदारीकरण

2.128 खाद्य अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की सबसे बड़ी रूकावटें हैं राज्य के ए.पी.एम.सी. कानून। उन्होंने कृत्रिम रूप से खरीदांश सृजित कर दिए हैं जिनके पास बाजार की शक्ति है। प्रस्तावित आदर्श ए.पी.एम.सी. अधिनियम, 2003 एक पर्याप्त हल है, क्योंकि इसमें ए.पी.एम.सी. का कोई योगदान नहीं रह जाता। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों ने कराधान और तकनीकी अपेक्षाओं के कारण देश के भीतर ही व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाए हैं। आगे का रास्ता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को निरस्त कर दिया जाए जो कि राज्य सरकारों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का समर्थकारी अधिनियम है। यह अधिनियम, खाद्य के समेकित प्रतियोगी राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप नहीं है।

2.129 संसद को, संविधान के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय बाजार का विधान बनाने का अधिकार है जो इसे देश भर में किसानों और व्यापारियों के लिए आजादी से बेचने और खरीदने का विधान बनाने की समर्थता प्रदान करता है। यह कानून ए.पी.एम.सी. कानूनों तथा किसानों के राज्य और राज्य के बाहर बिक्री करने के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबन्धों का अतिक्रमण कर सकता है। ऐसे कानून के अन्तर्गत, ए.पी.एम.सी. प्रतियोगी बाजार में, व्यापारिक संगठनों की तरह एक संगठन मात्र रह जाएगा। इसके अलावा भारत के संविधान के अन्तर्गत संसद ऐसे आयोग के गठन का विधान बना सकती है, जो प्रतियोगिता विरोधी पद्धतियों के लिए देश की निगरानी कर सकता है। एक राष्ट्रीय बाजार का गठन करने के लिए केन्द्र सरकार को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची और समवर्ती सूची के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता है ताकि ए.पी.एम.सी. की एकाधिकार शक्तियों को समाप्त किया जा सके तथा खाद्य बाजार को प्रभावित करने वाले अन्य दण्डात्मक और कठोर राज्य कानूनों को बदला जा सके।

2.130 खाद्य अर्थव्यवस्था में परम्परागत हस्तक्षेप के हटाए जाने के साथ-साथ, खाद्य के क्षेत्र में तीन राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक बेहतरी पर प्राथमिकता निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। ज्ञान को बढ़ाना, भावी व्यापार का वित्तीय विनियमन और सूचना हस्तक्षेप जो भण्डारण में बाजार के असफल होने का निवारण कर सके।

2.131 खाद्य के क्षेत्र में 'सार्वजनिक बेहतरी' के तीन समूह हैं। पहला है वैज्ञानिक अनुसन्धान और विस्तार। ज्ञान, गैर प्रतिद्वन्द्वी और शामिल किए जाने योग्य है; गैर-सरकारी क्षेत्र के पास, ज्ञान बढ़ाने के लिए अपर्याप्त प्रोत्साहन हैं। अतः

फार्म में निवेश और उत्पादन की बढ़ोतरी की कुंजी है, कृषि का उदारीकरण

विश्वविद्यालय में वैश्विक रूप से बहु प्रतियोगी अनुसंधान कार्यक्रम के सार्वजनिक वित्त पोषण की भूमिका है ताकि देश भर के उत्पादकों को चालू अनुसंधान का ज्ञान प्रसारित किया जा सके।

2.132 दूसरा, वस्तुओं को भावी व्यापार का क्षेत्र है। संगठित वित्तीय व्यापार की मानकीकृत बाजार असफलता, वस्तु भावी व्यापार में विहित है। वस्तु भावी व्यापार, आधुनिक खाद्य क्षेत्र के लिए आवश्यक है क्योंकि यह भावी कीमतों के लिए पूर्वानुमान लगाता है जो देश भर में फसल बोने और भण्डारण के निर्णय देता है।

2.133 तीसरा गोदाम का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में असफलता में शामिल है भण्डारण में दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में उत्पादक और भण्डारण की सुविधाओं का प्रयोग करने वालों के बीच सही सूचना के आदान प्रदान का अभाव। सुरक्षित भण्डारण, सूचना आधारित पहलें, इस असममित जानकारी को कम कर सकती है। भण्डारण विकास और विनियामक प्राधिकरण ने, देश भर में भण्डारण के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में सूचना प्रणाली की सार्वजनिक बेहतरी करने का कार्य शुरू किया है। इससे भण्डारण में बाजार की असफलता के कारण का निवारण होगा।

संस्थागत परिवर्तनों को संस्थागत बनाना

2.134 खुशहाली की तरफ भारत की यात्रा, मुख्यतः श्रम का तथा पूंजी का बेहतर तरीके से प्रयोग करना है, अर्थात् उत्पादन बढ़ाने में जबकि फर्मों की उत्पादकता फर्मों के प्रबन्धकों के निर्णय का परिणाम होता है, इन निर्णयों को सरकारी नीतियों, कानूनों और विनियमों द्वारा आकार मिलता है। पिछले 20 वर्ष में, कई मुख्य पहलें ने, कर नीति को युक्तियुक्त बनाने, व्यापार के प्रतिबन्धों को समाप्त करने लाइसेंस राज को कम करने, विनियम दर को फ्लोट करने और इक्विटी बाजार गठित करने सहित उत्पादन की दर को बढ़ाया है।

2.135 इस अध्ययन ने राज्य की क्षमता: कानूनों अभिकरण के संगठन, संगठनात्मक संरचना प्रक्रिया पद्धति और मानव संसाधन जिसके माध्यम से राज्य की प्रभावकारिता प्राप्त की जा सकती है, ये संशोधन करने की समस्या पर बल देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन की कार्य सूची का खाका तैयार किया है।

2.136 पूर्व में सुधार आकस्मिक और अनियमित रूप में हुए हैं जिससे संकट पैदा हुआ तथा नीतिगत समस्याओं के प्रति लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। नीति का मुख्य उद्देश्य संस्थागत परिवर्तन को संस्थागत बनाने से होना चाहिए ताकि प्रत्येक समय संस्थाओं में प्रक्रिया निरन्तर चलती रहे इस बात की प्रवाह नहीं करते हुए कि अल्पावधि संकट है अथवा किसी प्रकार के व्यक्ति निर्णय ले रहे हैं।

2.137 अन्तरराष्ट्रीय अनुभव का लाभ उठाते हुए, इस प्रक्रिया में उत्पादकता आयोग का गठन करके, उसका सहयोग लिया जा सकता है जोकि परामर्शदात्री विशेषज्ञ निकाय होगी। यह मैटरिक्स बनाएगी तथा ऐसे क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी जहां परिणामों की आवश्यकता है। यह उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से कानूनों, विनियमों, संगठनात्मक ढांचों और प्रक्रिया डिजाइन की समीक्षा करेगी। यह एक सांविधिक निकाय होना चाहिए जो यह समीक्षा करवा सके तथा इसके निष्कर्ष आम जनता तक रख सके तथा इसकी कोई कार्यकारी शक्तियां नहीं होगी।

2.138 कई उन्नत देशों ने इन तंत्रों के माध्यम से संस्थागत परिवर्तन लाने के लिए इस प्रक्रिया को संस्थागत बनाया है। तथापि सामान्यता धीमे विकास वाले ऐसे देश हैं जो प्रत्येक 20-25 वर्ष में एक बार दोहरे विकास का आंकड़ा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत भारत का सकल घरेलू उत्पाद प्रत्येक 10 वर्ष या इससे पहले दोगुना हो जाता है। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप सरकारी ढांचे के लिए भारत में और अधिक संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता

किसानों को खरीदने और बेचने के सम्बन्ध में उतनी ही आजादी होनी चाहिए जितनी अन्य उत्पादकों को है।

संस्थाओं में सुधार लाने की निरन्तर प्रक्रिया का गठन किया जाए।

है। उत्पादकता आयोग के डिजाइन में संशोधन किया जाए, जिसमें प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात भारत में सरकार के व्यापक पुनः डिजाइन की आवश्यकता को दर्शाया जाए।

निष्कर्ष

2.139 आर्थिक नीति का अन्तिम लक्ष्य उच्च विकास के सतत पुनः जागरण को को विकसित करना जिसमें सैकड़ों लाखों अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां सृजित हों। अच्छी गुणवत्ता की नौकरियां उच्च उत्पादकता वाली फर्मों द्वारा सृजित की जाती हैं, अतः यह कार्यसूची शोचनीय है कि कैसे फर्मों का सृजन किया जाए तथा कैसे फर्म उच्च उत्पादकता प्राप्त करें।

2.140 श्रम कानून, फर्मों के लिए बड़े प्रोत्साहन देते हैं ताकि वे कम दक्षता वाले कामगारों की एक बड़ी संख्या को नहीं रखें। इन समस्याओं के कारण नई फर्मों का प्रवेश और गठन रुक जाता है। यह मौजूदा कारोबार का संरक्षण करता है चाहे कम मात्रा में तथा प्रवेश और प्रतियोगिता को सीमित करता है। भारत के अद्वितीय जनसांख्यिकी आंकड़ों को प्रयोग करना तथा नए सुधारों को लाना अनिवार्य है।

2.141 दीर्घकालीन पहलों की खोज, अर्थव्यवस्था को लघुकाल में फीडबैक प्रदान करेगी जिससे उपभोग और निवेश में बढ़ोतरी होगी। आज भारत में दीर्घावधि और लघु अवधि प्राथमिकताओं के बीच सामन्जस्य है। साथ ही इन नीतिगत पहलों का गहरा प्रभाव पीछे रह जाएगा। जब स्थानपर एकल व्यक्तियों और फर्मों को खुले अवसर दिए जाने की नीति होगी तो नए परिदृश्य को समझने में आर्थिक अधिकारकों को समय लगेगा कि वे इसमें किस प्रकार इष्टतम रूप से कार्य करें। संगठनात्मक पूंजी गत ढांचा तैयार करने में फर्मों को समय लगेगा और वचनबद्धता की आवश्यकता होगी। अतः हम 3 वर्ष की अवधि परिकल्पित कर सकते हैं जिसमें सुधारों को लागू किया जाएगा इसके बाद की अगले तीन वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था नए माहौल को आत्मसात करलेगी तथा उच्चतर रुझान की विकास दर प्राप्त करेगी।

अध्याय 3

लोक वित्त

वर्ष 2013-14 में केंद्र सरकार के राजकोषीय परिणाम, जो मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) में निर्धारित राजकोषीय समेकन के लक्ष्यों की तर्ज पर ही थे, विकास में आई मंदी से उभरी बृहत-आर्थिक चुनौतियों, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के ऊंचे स्तरों और निवेश की धीमी वृद्धि के बावजूद हासिल किए गए थे। राज्यों की वित्तीय स्थिति समेकन के पथ पर मजबूती से कायम है, जहां राज्यों के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के 2.2 प्रतिशत पर रखने की बजटीय व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्यों द्वारा राजकोषीय समेकन का कड़ाई से पालन किया जाना ही वह कुंजी है जिससे वांछित बृहत आर्थिक परिणाम हासिल किए जाएंगे। हालांकि 2004-08 में किए गए राजकोषीय समेकन का आरंभिक चरण उच्चतर वृद्धि के कारण संभव हो पाया था और इस प्रकार राजस्व-प्रेरित था, इसलिए अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि के मौजूदा संदर्भ में इस गति को बनाए रखना वाकई चुनौतीपूर्ण होगा। पिछले दो वर्षों में व्यय को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान दिया जाता रहा है; इसे जारी रखने की जरूरत है, विशेषकर तब यदि राजस्व अपेक्षा से कम रहते हैं; लेकिन ऐसा करते हुए व्यय की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए।

सिंहावलोकन

3.2 राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद मुख्य राजकोषीय संकेतक, अर्थात् राजकोषीय घाटे (एफडी) को लक्ष्य स्तर सीमा (संघ-उ० का 3.0 प्रतिशत) से धीरे-धीरे कम करते हुए 2007-08 में संघ-उ० के 2.5 प्रतिशत तक लाया गया था। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान मुद्रा की विस्तारवादी राजकोषीय नीति का रुख कुल मांग में आई गिरावट और बड़े प्रोत्साहनों के जरिये अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार करने की आवश्यकता के चलते उचित था। तथापि, 2010-11 तक भी मुद्रा प्रसार की निरंतर जारी उच्चतर मुद्रास्फीति के रूप में बृहद-आर्थिक निहितार्थ रहे, जिसके परिणामस्वरूप कठोर मौद्रिक नीति अपनाना आवश्यक हो गया तथा धीरे-धीरे निवेशों और संघ-उ० वृद्धि में गिरावट आई जिसका परिणाम यह हुआ कि कम राजस्वों के जरिये सरकारी वित्त साधन स्वतः विनियमित हुए। इस तरह राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया कठिन हो गई है और ऐसे व्यय को सीमित करके लागू करनी पड़ी है, जो सं.अ. स्तर पर किए गए हैं। इसीलिए राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता इष्टतम से कम रही।

3.3 2012-13 में राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति मुख्यतः आर्थिक मंदी के कारण हुई कर-राजस्व में कमी, को उच्चतर व्यय यौक्तिकीकरण और संकुचन से प्रतिसंतुलित करके की गई थी। 2013-14 का बजट, जो वैश्विक आर्थिक वातावरण में व्याप्त अनिश्चितता के कायम रहते हुए और पिछले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की न्यूनतम संघ-उ० वृद्धि दर की पृष्ठभूमि में पेश किया गया था, में आर्थिक गुंजाइश के सृजन और संसाधन तलाशने का प्रयास किया गया था ताकि राजकोषीय समेकन की व्यापक रूपरेखा के भीतर समावेशी विकास के उद्देश्य को हासिल किया

सकारात्मक नीतिगत कार्रवाई ने सरकार की राजकोषीय गिरावट को रोकने और राजकोषीय समेकन पर बने रहने में सहायता की।

जा सके। इस प्रकार राजकोषीय घाटे को 2012-13 (सं.अ.) में 5,20,925 करोड़ रुपये के स्तर की तुलना में, जो संघ-उ० का 5.2 प्रतिशत बैठता है, 2013-14 में राजकोषीय घाटे (एफडी) को 2013-14 के बजट अनुमानों (ब.अ०) में 5,42,499 करोड़ रुपये (संघ-उ० का 4.8 प्रतिशत) रखने का प्रयास किया गया था। राजस्व घाटा (आरडी) 2012-13 (सं.अ०) में 3,91,244 करोड़ रुपये रहा था, जो संघ-उ० का 3.9 प्रतिशत था, और 2013-14 (ब.अ०) में 3,79,838 करोड़ रुपए था जो संघ-उ० के 3.3 प्रतिशत के बराबर है।

3.4 चूंकि पारंपरिक रूप से एफडी पर संघ-उ० के अनुपात के रूप में निगरानी रखी जाती है, एफडी में कमी अनुमानित संघ-उ० में वृद्धि अथवा संपूर्ण एफडी में कमी या दोनों का परिणाम हो सकती है। संकट के बाद की अवधि में, 2009-10 और 2011-12 को छोड़कर, अनुमानित संघ-उ० वृद्धि एफडी की वृद्धि से अधिक थी जो एफडी को 2009-10 के 6.5 प्रतिशत से घटाकर 2013-14 (सं.अ०) में संघ-उ० के 4.6 प्रतिशत तक लाने में सहायक रही (सारणी 3.1 और चित्र 3.1)।


वर्ष	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (संघ-उ० के प्रतिशत के रूप में)
एफआरबीएम का अधिनियमन				
2003-04	3.5	4.3	0.0	79.7
2004-05	2.4	3.9	0.0	62.3
2005-06	2.5	4.0	0.4	63.0
2006-07	1.9	3.3	-0.2	56.3
2007-08	1.1	2.5	-0.9	41.4
2008-09	4.5	6.0	2.6	75.2
2009-10	5.2	6.5	3.2	81.0
2010-11	3.2	4.8	1.8	67.5
2011-12	4.4	5.7	2.7	76.4
2012-13	3.6	4.9	1.8	74.6
2013-14 (ब.अ०)	3.3	4.8	1.5	70.0
2013-14 (सं.अ०)	3.3	4.6	1.3	70.6
2013-14 (अ०)	3.2	4.5	1.2	70.9

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज

टिप्पणियाँ : ब.अ. : बजट अनुमान अनंतिम : अनंतिम वास्तविक (अलेखापरीक्षित)

सं.अ. : संशोधित अनुमान

चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुपात केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के राष्ट्रीय लेखा 2004-05 शृंखला पर आधारित है।



सारणी 3.1 : केन्द्र सरकार के घाटे की प्रवृत्तियाँ

चित्र 3.1 : राजकोषीय घाटे और स.घ.उ. वृद्धि में प्रवृत्तियाँ

2013-14 के लिए राजकोषीय नीति


3.5 2013-14 के लिए राजकोषीय नीति का उद्देश्य यह था कि उत्पादनकारी प्रयोजनों और निवेश के लिए अर्थव्यवस्था के संसाधनों के बृहत्तर प्रवाह को सुगम बनाकर विकास-प्रक्रिया का पुनरुद्धार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि तरजीही फ्लैगशिप स्कीमों के तहत संसाधन आबंटन की पर्याप्त उपलब्धता रहे। इस

प्रकार 2013-14 के लिए राजकोषीय नीति के दोहरे उद्देश्य थे; पहला, विकास प्रक्रिया के पुनरुद्धार में सहायता करना; और दूसरा, 2013-14 के लक्षित एफडी स्तरों को प्राप्त करना। 2013-14 के बजट में सरकारी खर्च को वहनीय सीमाओं के भीतर नियंत्रित करने के लिए राजस्व वृद्धि और व्यय यौक्तिकीकरण की नीति का पालन किया गया। संघ-उ० और कर का अनुपात 2012-13 ब०अ० के 10.7 प्रतिशत और 2012-13 सं०अ० के 10.4 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 ब०अ० में 10.9 प्रतिशत रहने का अनुमान था। कर राजस्व के लिए परिकल्पित वृद्धि सं०अ० 2012-13 (सं०अ०) के मुकाबले 19.1 प्रतिशत थी। कुल व्यय में 2012-13 सं०अ० के मुकाबले 2013-14 ब०अ० में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान था। परिणामस्वरूप, एफडी गिरकर संघ-उ० के 4.8 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान था (सारणी 3.2)।

ऋण-भिन्न प्राप्तियां

3.6 चूंकि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, तब सरकारी वित्त साधनों और अर्थव्यवस्था संबंधी सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए प्राप्तियों और व्यय की संभावित प्रवृत्तियों पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं ताकि घाटे के ऐसे अनुमान पर पहुंचा जा सके जो स्वीकार्य हो और एफआरबीएम अधिनियम लक्ष्यों को और मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) के अनुसार राजकोषीय समेकन के मार्ग के अनुरूप हों।

3.7 2013-14 के बजट में 2012-13 (सं०अ०) के मुकाबले ऋण-भिन्न प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियों और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों को जोड़कर) में 23.4 प्रतिशत की वृद्धि परिकल्पित की गई थी। 2012-13 में, निवल कर राजस्व (सकल कर राजस्व में राज्यों का निवल हिस्सा) 740256 करोड़ रुपए और कर-भिन्न राजस्व 137357 करोड़ रुपए था जिससे मिलकर राजस्व प्राप्तियां 877613 करोड़ रुपए की बैठती हैं। ब०अ० 2013-14 में राजस्व प्राप्तियां 10,56,330 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, जिसमें केन्द्र को 8,84,078 करोड़ रुपये का निवल कर राजस्व और 1,72,252 करोड़ रुपये का कर-भिन्न राजस्व समाविष्ट है। 66,468 करोड़ रुपये की ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों (विनिवेश सहित) को मिलाकर, ऋण-भिन्न प्राप्तियां 11,22,798 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था। ब०अ० आंकड़ा 2013-14 सं०अ० में घटाकर 10,29,251 करोड़ रुपये किया गया था (चित्र 3.2) जिसका मुख्य कारण समग्र आर्थिक गिरावट के चलते कर राजस्व में अनुमान से कम वृद्धि और विनिवेश में बजटीय व्यवस्था से कम वसूली होना था।



चित्र 3.2 : ब०अ० 2013-14 के मुकाबले सं०अ० में ऋण-भिन्न प्राप्तियों में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

आर.आर.:	राजस्व प्राप्तियां	जी.टी.आर.:	सकल कर राजस्व
टी.आर.-सी.:	कर राजस्व	एन.टी.आर.:	कर-भिन्न राजस्व
एन.डी.सी.आर.:	ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति	एन.डी.आर.:	ऋण-भिन्न प्राप्ति

प्रत्यक्ष कर

3.8 2013-14 के बजट में 2012-13 सं०अ० के मुकाबले प्रत्यक्ष कर में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि परिकल्पित की गई थी। 2013-14 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण

सारणी 3.2 : केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियाँ और व्यय (संघ-उ० के अनुपात के रूप में)

मदें	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (ब.अ.)	2013-14 (सं.अ.)	2013-14 (अन्तिम)
1. राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख)	8.8	10.1	8.3	8.7	9.3	9.1	8.9
(क) कर राजस्व (राज्यों का हिस्सा घटकर निवल)	7.0	7.3	7.0	7.3	7.8	7.4	7.2
(ख) कर-भिन्न राजस्व	1.8	2.8	1.4	1.4	1.5	1.7	1.8
2. राजस्व व्यय	14.1	13.4	12.7	12.3	12.6	12.4	12.1
जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय							
(क) ब्याज अदायगियाँ	3.3	3.0	3.0	3.1	3.3	3.4	3.3
(ख) मुख्य सचिव	2.1	2.1	2.3	2.4	1.9	2.2	2.2
(ग) रक्षा व्यय	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1
3. राजस्व घाटा (2-1)	5.2	3.2	4.4	3.6	3.3	3.3	3.2
4. पूँजीगत प्राप्तियाँ	7.0	5.2	6.1	5.3	5.4	5.0	4.8
जिसमें से निम्नलिखित से हुई प्राप्तियाँ							
(क) ऋणों की वसूली	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
(ख) अन्य प्राप्तियाँ (मुख्यतया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश)	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2
(ग) उधार और अन्य देयताएँ	6.5	4.8	5.7	4.9	4.8	4.6	4.5
5. पूँजीगत व्यय	1.7	2.0	1.8	1.6	2.0	1.7	1.7
6. ऋण भिन्न प्राप्तियाँ 1+4(क)+4(ख)	9.4	10.6	8.8	9.1	9.9	9.4	9.3
7. कुल व्यय [2+5=7(क)+7(ख)]	15.8	15.4	14.5	13.9	14.6	14.0	13.8
जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय							
(क) आयोजनागत व्यय	4.7	4.9	4.6	4.1	4.9	4.2	4.0
(ख) आयोजना-भिन्न व्यय	11.1	10.5	9.9	9.9	9.8	9.8	9.8
8. राजकोषीय घाटा [7-6]	6.5	4.8	5.7	4.9	4.8	4.6	4.5
9. प्राथमिक घाटा [8-2(क)]	3.2	1.8	2.7	1.8	1.5	1.3	1.2

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज और लेखा महानियंत्रक (सीजीए)।

टिप्पणी: \$ इसमें बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित प्राप्तियाँ शामिल नहीं हैं जो केन्द्र सरकार के नकद शेष में रहेंगी और व्यय के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी।

6,61,389 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया था जो आयकर और कारपोरेट कर दोनों राजस्वों में गिरावट के चलते 2013-14 सं०अ० में कम करके 6,30,821 करोड़ रुपये कर दिया गया था (सारणी 3.3)। सं०घ-उ० के अनुपात के रूप में, 2013-14 (सं०अ०) में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 5.6 प्रतिशत था जो 2012-13 के 5.5 प्रतिशत की तुलना में मामूली सा अधिक था।

3.9 2013-14 के बजट में उच्चतर प्रत्यक्ष कर राजस्व अनुमानित किए गये थे जो वित्त वर्ष 2013-14 की शुरुआत में सं०घ-उ० वृद्धि के पूर्वानुमानित निम्नतम बिंदु पर पहुंचकर पुनः बढ़ने और बॉक्स 3.1 में सूचीबद्ध उपायों के पूर्वानुमानित प्रभाव के आधार पर किया गया था।

बॉक्स 3.1 : प्रत्यक्ष करों के लिए बजट 2013-14 में शुरू किए गए मुख्य उपाय

वैयक्तिक आयकर

बजट 2013-14 में न तो विद्यमान कर स्लैबों में और न ही वैयक्तिक आयकर की दर में बदलाव किए गये। तथापि, कम आय की श्रेणी (आय जो 5 लाख रुपये से अधिक न हो) में व्यक्तिगत करदाताओं को कर राहत देने के लिए, देय आयकर की राशि के समान अथवा 2000 रु की राशि, जो भी कम हो, के रूप में कर छूट प्रदान की गई थी। इसके अलावा, वैयक्तिक आयकरों से अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए, बजट 2013-14 में एक करोड़ रु से अधिक आय वाले निवासी व्यक्ति की कुल आय पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगाया गया था।

कारपोरेट कर

कारपोरेट आय कर की दरों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। तथापि, वैयक्तिक आयकर की तरह, राजस्व-वृद्धि के उपाय के रूप में, यदि किसी घरेलू कंपनी की आय 10 करोड़ रुपये से अधिक हो, तो अधिभार 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत और अन्य के मामले में यदि कर योग्य आय 10 करोड़ रुपये से अधिक हो, तो अधिभार 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया था। आय-कर अधिनियम में एक नया अध्याय XII-घक शामिल किया गया है जो ऐसी असूचीबद्ध कंपनियों के कदाचार को रोकने के लिए है जो लाभांश वितरण कर से बचने के लिए लाभांशों का भुगतान करने की बजाए शेयरों की वापसी खरीद करती हैं। इसके अतिरिक्त, मान्यताप्राप्त संस्था में कारोबारित कृषि पण्यों को छोड़कर, अन्य पण्यों के संबंध में पण्य व्युत्पादों की बिक्री पर 0.01 प्रतिशत की दर से पण्य लेन-देन कर (सीटीटी) लगाया शुरू किया गया था।

स्रोत : राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय।

सारणी 3.3 : कर राजस्व के स्रोत

(₹ करोड़)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (ब.अ.)	2013-14 (सं.अ.)	2013-14 (अंतिम)
प्रत्यक्ष कर (क)	367648	438477	488113	553705	661389	630821	633473
वैयक्तिक आयकर	122475	139069	164485	196512	240919	236194	237789
निगम कर	244725	298688	322816	356326	419520	393677	394677
अप्रत्यक्ष कर (ख)	244737	344530	391738	473792	564254	518770	496231
सीमाशुल्क	83324	135813	149328	165346	187308	175056	172132
उत्पाद शुल्क	102991	137701	144901	175845	196805	178787	169469
सेवा कर	58422	71016	97509	132601	180141	164927	154630
सकल कर राजस्व #	624528	793072	889177	1036235	1235870	1158905	1133832
सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व							
प्रत्यक्ष कर (क)	58.9	55.3	54.9	53.4	53.5	54.4	55.9
वैयक्तिक आयकर	19.6	17.5	18.5	19.0	19.5	20.4	21.0
निगम कर	39.2	37.7	36.3	34.4	33.9	34.0	34.8
अप्रत्यक्ष कर (ख)	39.2	43.4	44.1	45.7	45.7	44.8	43.8
सीमाशुल्क	13.3	17.1	16.8	16.0	15.2	15.1	15.2
उत्पाद शुल्क	16.5	17.4	16.3	17.0	15.9	15.4	14.9
सेवा कर	9.4	9.0	11.0	12.8	14.6	14.2	13.6
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व							
प्रत्यक्ष कर (क)	5.7	5.6	5.4	5.5	5.8	5.6	5.6
वैयक्तिक आयकर	1.9	1.8	1.8	1.9	2.1	2.1	2.1
निगम कर	3.8	3.8	3.6	3.5	3.7	3.5	3.5
अप्रत्यक्ष कर (ख)	3.8	4.4	4.3	4.7	5.0	4.6	4.4
सीमाशुल्क	1.3	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5
उत्पाद शुल्क	1.6	1.8	1.6	1.7	1.7	1.6	1.5
सेवा कर	0.9	0.9	1.1	1.3	1.6	1.5	1.4
सकल कर राजस्व #	9.6	10.2	9.9	10.2	10.9	10.2	10.0

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज और लेखा महानियंत्रक (सीजीए)।

टिप्पणी: ब.अ. : बजट अनुमान अ. : अन्तिम वास्तविक आंकड़े (असंपरीक्षित)

इसमें (क) तथा (ख) में उल्लिखित कर तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कर और "अन्य" कर शामिल हैं।

1. प्रत्यक्ष करों में व्यय संबंधी कर ब्याज, सम्पत्ति, उपहार तथा सम्पदा शुल्क शामिल हैं।

2. चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद सीएसओ की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।

अप्रत्यक्ष कर

3.10 2013-14 के बजट में 2012-13 सं०अ० के मुकाबले अप्रत्यक्ष करों में 20.3 प्रतिशत की वृद्धि परिकल्पित की गई थी। 2013-14 में कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण 5,64,254 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया था जिसे सं०अ० 2013-14 में कम करके 5,18,770 करोड़ रुपये किया गया था (सारणी 3.3)। सं०घ०उ० के अनुपात के रूप में, अप्रत्यक्ष कर 2013-14 (सं०अ०) में 4.6 प्रतिशत थे जो 2012-13 के 4.7 प्रतिशत से मामूली से कम थे। चिन्ता का मुख्य मुद्दा यह है कि उनके बजटीय स्तरों से तुलना करने पर वृद्धि में हुई गिरावट व्यापक आधार की रही है जिसमें सभी अप्रत्यक्ष कर, अर्थात् उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और सेवा कर शामिल हैं। सीमा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में क्षेत्र-विशिष्ट उपाय बॉक्स 3.2 में दिए गये हैं।

संग्रहण दरें

3.11 संग्रहण दरें आयातों पर प्रतिकारी और विशेष अतिरिक्त शुल्कों सहित सीमा-शुल्क के समग्र विस्तार की संकेतक हैं। इनकी गणना एक वर्ष (या अवधि) में आयातों के कुल मूल्य और इन शुल्कों से संग्रहीत राजस्व के अनुपात के रूप में की जाती है और इस प्रकार ये व्यापार-भारित शुल्कों की द्योतक हैं। पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण पण्य समूहों के लिए तथा उनके साथ-साथ सभी पण्यों के अनुपात के रुख सारणी 3.4 में दर्शाये गए हैं। इसके अलावा, करों में अन्य छूटें भी हैं, और इस तरह एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के भाग के रूप में, परित्यक्त शुल्क (कर व्यय) का विवरण प्रकाशित किया जा रहा है।

सारणी 3.4 : चुनिंदा आयात समूहों की संग्रहण दरें

क्रम संख्या	वस्तु समूह	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	खाद्य उत्पाद	19.3	4.2	2.5	3.1	2.9	3.2
2.	पी ओ एल	5.7	2.7	1.9	5.6	2.8	1.5
3.	रसायन	21.6	16.4	13.9	16.9	14.0	16.3
4.	मानव-निर्मित रेशे	30.1	17.0	22.0	29.6	21.9	31.3
5.	कागज तथा अखबारी कागज	10.3	8.4	7.7	7.9	7.0	7.3
6.	प्राकृतिक रेशे	12.6	5.6	4.3	4.6	3.3	4.5
7.	धातुएं	24.3	16.8	17.4	22.0	19.7	22.7
8.	पूँजीगत वस्तुएं	15.7	12.5	11.3	12.9	11.5	11.7
9.	अन्य	6.1	4.0	3.8	3.9	3.7	4.7
10.	पी ओ एल-भिन्न	12.8	8.7	7.6	8.5	7.4	8.2
कुल		10.4	6.9	5.9	7.7	6.0	6.0

स्रोत: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

टिप्पणी: *संग्रहण दर को राजस्व संग्रहण (बुनियादी सीमा शुल्क + प्रतिकारी शुल्क) का छूटों के लिए असमायोजित आयातों के मूल्य के प्रति प्रतिशतता में व्यक्त अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

क्रम सं. 1 में अनाज, दालें, चाय, दूध तथा क्रीम, फल, सब्जियां, पशु वसा तथा शर्करा शामिल हैं।

क्रम सं. 3 में रसायन तत्व, समिश्र, भेषज, रंजक तथा रंगाई सामग्री, प्लास्टिक एवं रबड़ शामिल हैं।

क्रम सं. 5 में लुगदी तथा रद्दी कागज, अखबारी कागज, गत्ते तथा विनिर्मित उत्पाद एवं मुद्रित किताबें शामिल हैं।

क्रम सं. 6 में कच्ची ऊन तथा रेशम शामिल हैं।

क्रम सं. 7 में लोहा तथा इस्पात और अलौह धातुएं शामिल हैं।

क्रम सं. 8 में गैर-इलैक्ट्रॉनिक मशीनरी, परियोजना आयात तथा वैद्युत मशीनरी शामिल हैं।

बॉक्स 3.2 : अप्रत्यक्ष करों के लिए बजट 2013-14 में शुरू किए गए मुख्य उपाय

सीमा शुल्क

क. सामान्य

(i) ऐसे भारतीय यात्री के लिए जो एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहा है अथवा ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपना निवास स्थान भारत में स्थानांतरित कर रहा है, आभूषण के संबंध में शुल्क-मुक्त संबंधी अनुमति पुरुष यात्री के मामले में 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये और महिला यात्री के मामले में 20,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये की गई थी।

(ii) जलयानों/वायुयानों के चालक दल के सदस्य के लिए शुल्क-मुक्त अनुमति 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की गई थी।

ख. क्षेत्र-विशिष्ट परिवर्तन:

I. कृषि/कृषि प्रसंस्करण/बागवानी क्षेत्र:

- छिलका रहित जई पर बुनियादी सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया और सुपारी पर बुनियादी सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।
- अपरिष्कृत और सफेद/परिष्कृत चीनी के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया और चुकंदर के बीजों पर 5 प्रतिशत का रियायती बुनियादी सीमा शुल्क लगाया गया।
- परिष्कृत खाद्य तेलों पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया।

II. आटोमोबाइल

- नयी यात्री कारों और अन्य मोटर वाहनों (महंगी कारें) जिनका सीआईएफ मूल्य 40,000 अमरीकी डालर से अधिक हो अथवा पेट्रोल से चालित वाहनों के लिए जिनकी इंजन क्षमता 3000 सीसी से अधिक हो, और डीजल से चालित वाहनों के लिए जिनकी इंजन क्षमता 2500 (सीसी) से अधिक हो, पर बुनियादी सीमा शुल्क 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया। 800 सीसी या इससे अधिक की क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर बुनियादी सीमा शुल्क 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया।

III. धातुएं और पॉलिमर

- स्टेनलैस स्टील वायर क्लोथ स्ट्राइप पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया और कंटेनलिटिक कन्वर्टर और उनके पुर्जों के विनिर्माण में इस्तेमाल के लिए वॉश कोट पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। कतिपय उप-शीशों के तहत आने वाली गाल्वनीकृत इस्पात चादरों को दिनांक 01.03.2011 के पूर्व प्रभाव से निर्यात शुल्क से पूर्णतया छूट दे दी गई।
- लोहे अथवा स्टेनलैस स्टील स्क्रेप (सीटीएच-7204) सहित स्टील स्क्रेप तथा अल्युमिनियम स्क्रेप (सीटीएच 7602) पर बुनियादी सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया।
- लोह अयस्क के छरों पर 5 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया गया।

IV. बहु-मूल्य धातुएं

- मूल्यवान और अर्ध-मूल्यवान पत्थरों के आरंभिक रूपों पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया। सोने पर शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया और चांदी पर यह शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। स्वर्ण अयस्क और सांद्रणों पर तथा मानक सोने के विनिर्माण में इस्तेमाल हेतु गोल्ड डोर बार पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया गया।

(जारी)

बॉक्स 3.2 : अप्रत्यक्ष करों के लिए बजट 2013-14 में शुरू किए गए मुख्य उपाय (...जारी)

- 2) बहु-मूल्य धातु से बने अथवा बहु-मूल्य धातु से युक्त धातु से बने आभूषण और उनके हिस्से और बहुमूल्य धातु के अथवा बहुमूल्य धातु के साथ अन्य धातु से बने सोने या चांदी के सामान और उनके हिस्सों वाली मदों पर लगाये जाने वाला सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया।

V. पूंजीगत वस्तुएं/अवसंरचना

- 1) वाष्प कोयले पर बुनियादी सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर 2 प्रतिशत तथा सीवीडी 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया तथा बिटुमिनस कोयले पर बुनियादी सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत और सीवीडी 6 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया।
- 2) चमड़े और फुटवीयर उद्योग में इस्तेमाल के लिए 20 विशिष्ट मशीनरी पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया।
- 3) वैद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए उत्पादन करने वाली कंपनी को आपूर्ति हेतु आयात की गई द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और प्राकृतिक गैस (एनजी) को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दे दी गई।

VI. वायुयान और पोत

- (1) यॉट और मोटर बोटों पर बुनियादी सीमा-शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया और जहाज संबंधी मरम्मत यूनियों द्वारा आयात की गई वस्तुओं का उपयोग करने की समय सीमा 3 माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई।
- (2) विमानों के रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉल के लिए ऐसे कार्यकलापों में लगी यूनियों द्वारा आयात किए गए उपकरणों के परीक्षण और पुर्जों के उपयोग/संस्थापना के लिए समय अवधि को तीन माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया।

VII. पर्यावरण संरक्षण

- (1) हाईब्रिड और इलैक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माताओं को आपूर्ति करने के लिए लीथियम आयन बैट्री पैक के विनिर्माण हेतु लीथियम आयन आटोमोटिव बैट्री को बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट दे दी गई है।
- (2) इलैक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के विशिष्ट पुर्जों के लिए छूट की समय सीमा (शून्य बीसीडी, 6 प्रतिशत सीवीडी और शून्य एसएडी) 31 मार्च 2015 तक और दो वर्ष के लिए बढ़ा दी गई।

VIII. वस्त्र उद्योग

- (1) सभी श्रेणियों के कच्चे रेशम (खुला रेशम) पर बुनियादी सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जबकि वस्त्र उद्योग मशीनरी और पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

IX. स्वास्थ्य

- (1) एड्स, क्षय रोग, मलेरिया के निवारण हेतु वैश्विक निधि (जीएफएटीएम) द्वारा वित्तपोषित संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के अंतर्गत आयातित विशिष्ट वस्तुओं को बुनियादी सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट दे दी गई।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

I. कृषि/कृषि प्रसंस्करण/बागवानी क्षेत्र/पशुपालन

- (1) टोपियोका सागो के विनिर्माण में विशेष रूप से इस्तेमाल और विनिर्मित की जाने वाली टोपियोका स्टार्च और टोपियोका सागो (साबूदाना), मेहंदी पाउडर या पेस्ट पर, जिसे किसी अन्य सामग्री के साथ मिश्रित न किया गया हो और आईएस विनिर्देशन सं० 5470:2002 का अनुपाल करने वाले पशु चारे के ग्रेड के डाई-कैल्शियम फास्फेट (डीसीपी) पर उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट दे दी गई है।
- (2) शक्कर पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत (सैनवैट रहित) और 6 प्रतिशत (सैनवैट सहित) कर दिया गया।

II. आटोमोबाइल

- (1) एसयूवी पर उत्पाद शुल्क 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया जबकि ट्रक शैसी (87060042) पर यह शुल्क 14 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत कर दिया गया।

III. धातुएं

- (1) जस्ता/सीसा पिघला कर विनिर्मित की गई चांदी पर 4 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया गया।
- (2) स्टेनलेस स्टील “पट्टा पट्टी” पर संयोजित कर 30,000 रुपये प्रति मशीन प्रति माह से बढ़ाकर 40,000 प्रति मशीन प्रति माह कर दिया गया।

IV. वायुयान और पोत

- (1) जहाजों और अन्य नौकाओं को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दे दी गई। परिणामतः जब इन जहाजों और नौकाओं का आयात किया जाएगा तो इन पर कोई सीवीडी नहीं लगाया जाएगा।
- (2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के उपबंधों के अनुसार जहाज और नौकाएं [सीईटीएच 8901, 8902, 8904, 8905 (उप-शीर्ष 8905 20 को छोड़कर) अथवा 8906] विनिर्मित करने वाले भारतीय शिपयार्ड को आपूर्ति किया गया इस्पात कतिपय शर्तों के अध्वधीन उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया।

V. वस्त्र उद्योग

- (1) हाथ से बने कालीनों और नारियल जटा अथवा पटसन से बने कालीनों और फर्श पर बिछाने की सामग्री भले ही हाथ से बनी हो या न बनी हो, को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट दे दी गई है।
- (2) बजट 2011-12 से पूर्व का “शून्य उत्पाद शुल्क मार्ग” ब्रांड युक्त तैयार परिधानों और अन्य तैयार माल के संबंध में बहाल कर दिया गया है। यह “शून्य उत्पाद शुल्क मार्ग” इस समय उपलब्ध सैनवैट मार्ग के अतिरिक्त है।

(जारी)

बॉक्स 3.2 : अप्रत्यक्ष करों के लिए बजट 2013-14 में शुरू किए गए मुख्य उपाय (जारी)

VI. स्वास्थ्य

- (1) ब्रांड युक्त आयुर्वेदिक औषधियों और यूनानी, सिद्ध होम्योपैथिक अथवा बायोकेमिक पद्धति की औषधियों को एमआरपी आधारित मूल्यांकन के तहत लाया गया, जिसमें एमआरपी से 35 प्रतिशत की छूट दी गई।
- (2) औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के तहत यथापारिभाषित अनुसूचित ऐसे फार्मूलेशनों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई जिन्हें उक्त औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) में निहित उपबंधों के अनुसरण में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत पंजीकृत न किए गये परिसरों में पुनः मुद्रण, पुनः लेबलिंग, पुनः पैकिंग अथवा स्टिकर लगाने के अध्वधीन लाया गया था।
- (3) एड्स, क्षय रोग और मलेरिया के निवारण हेतु वैश्विक निधि (जीएफएटीएम) द्वारा वित्तपोषित संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के अंतर्गत देश में ही अधिप्राप्त किये गए विशिष्ट माल को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट दे दी गई।

VII. इलैक्ट्रोनिक्स/हार्डवेयर

- (1) 2000 रुपये से अधिक के खुदरा मूल्य वाले मोबाइल फोनों पर उत्पाद शुल्क एक प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया।
- (2) पवनचालित बिजली के जेनरेटरों के लिए रोटार ब्लेडों और मध्यवर्ती वस्तुओं और, रोटार ब्लेडों के हिस्सों, पुर्जों के विनिर्माण के लिए आवश्यक विशिष्ट वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट दे दी गई।

VIII. मूल्यवान धातुएं

- (1) स्वर्ण अयस्क अथवा सांद्रण या गोल्ड डोर बार से विनिर्मित सोने की छड़ों, तोला छड़ों को छोड़कर, पर उत्पाद शुल्क 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया।

IX. पूंजीगत वस्तुएं/अवसंरचना

- (1) विद्युत उत्पादक संयंत्रों के भीतर इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी, यंत्र और उपकरणों की सभी मदों को और बृहद विद्युत परियोजना नामतः नोर्थइस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) की कामेंग जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) स्थापित करने के लिए आवश्यक संघटकों या कच्चे माल को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट दे दी गई।
- (2) लोहे और इस्पात की विनिर्माण सामग्री से रेल अथवा ट्रामवे ट्रैक के विनिर्माण में इस्तेमाल ऐसी रेलों के मूल्य पर लगाये गये उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट दे दी गई जिन पर उत्पाद शुल्क अदा किया गया था। ऐसी रेलों पर अदा किए गये शुल्क का कोई क्रेडिट नहीं लिया गया था।

X. एमएसएमई क्षेत्र

- (1) मिट्टी की ईंटों (सीईटीएच 69010010) और छत्त की टाइलों (सीईटीएच 69051000), सेरेमिक इमारती ईंटों और कृषि फसलों के अपशिष्ट पदार्थ से विनिर्मित पार्टिकल/फाइबर बोर्ड को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट दे दी गई।
- (2) स्पट किये गए बांस के बोर्डों और बांस की फ्लोरिंग टाइलों पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर बिना सैनवैट क्रेडिट के 2 प्रतिशत और सैनवैट क्रेडिट के साथ 6 प्रतिशत कर दिया गया।

सेवा कर

पूर्वव्यापी छूट: दिनांक 01.10.2012 से पूर्व की अवधि में भारतीय रेल द्वारा मुहैया कराई गई विभिन्न कर योग्य सेवाओं पर लगाए गए सेवा कर पर पूर्वव्यापी प्रभाव से दी गई छूट बढ़ा दी गई।

छूट को युक्तिसंगत बनाना: पहले कर योग्य सेवा का मूल्य ऐसे सभी निर्माण सेवाओं के लिए प्रभारित सकल राशि का 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया था जहां सेवा प्राप्त करने वाले पर इस प्रकार प्रभारित राशि में भूमि का मूल्य भी शामिल किया जाता था। इस छूट को युक्तिसंगत बनाया गया ताकि बड़े मूल्य वाले निर्माणों के संबंध में, कर योग्य सेवा का हिस्सा सकल राशि का 30 प्रतिशत होगा।

छूटों की समीक्षा: निम्नलिखित छूटों को युक्तिसंगत बनाया गया:

- अब तक सामान्य जन सुविधा के किसी अन्य प्रयोजन के लिए सेवा प्रदान करने वाले धर्मार्थ संगठनों के लिए निर्धारित छूट सीमा 25 लाख रुपये प्रति वर्ष थी। 01.04.2013 के बाद उन्हें 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष की आरंभिक सीमा के तहत शामिल किया जाएगा।
- ऐसे रेस्तरां को छोड़कर जिनके पास (i) एयरकंडिशनिंग और (ii) शराब पेश करने का लाइसेंस हो, को दी गई छूट को युक्तिसंगत बनाया गया; “शराब पेश करने का लाइसेंस” की शर्त हटा दी गई। इसलिए 01.04.2013 से वर्ष के दौरान किसी भी समय अपनी स्थापना के किसी भी भाग में एयरकंडिशनिंग अथवा सेंट्रल एयरहीटिंग वाले रेस्तरांओं में दी गई कर योग्य सेवा पर सेवा कर लगाया जाएगा।
- अचल सम्पत्ति को किराये पर देकर और आम जनता को वाहन खड़ा करने आदि जैसी किसी भी शिक्षा संस्था द्वारा दी गई सेवाओं जैसी कुछ छूटों को वापस ले लिया गया है।
- कुछ कर छूटें जैसेकि चावल की भण्डागारण और भंडारण प्रबंध व्यवस्था के तौर पर दी जाने वाली सेवाओं, स्टैम शैल आदि के तौर पर कोई ब्लड बैंक द्वारा दी जा रही सेवाओं पर छूट को बढ़ा दिया गया है।

करमाफी योजना: सेवा कर के आधार को व्यापक करने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने हेतु वीसीईएस शुरू की गई थी। इस योजना के तहत इन तरीकों से एक-कालिक कर माफी दी गई है (i) व्याज दंड की माफी; (ii) अदायगी बंद कर देने वाले, अदायगी न करने वाले या पंजीकरण न करवाने वाले अथवा ऐसे सेवा प्रदाताओं को अदालती कार्यवाही से प्रतिरक्षा दी गई है जिन्होंने अक्टूबर 2007 से दिसम्बर 2012 के दौरान अपनी कर-विवरणियों में अपनी वास्तविक देनदारियां प्रकट नहीं की हैं बशर्ते कि ऐसे व्यक्तियों ने “अपने देय कर” की अदायगी कर दी है।

स्रोत: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

3.12 सभी अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्वों में हुई कमी मुख्यतः सामान्य आर्थिक मंदी, शुल्क दरों (सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दोनों) में कटौती, शुल्क योग्य वस्तुओं की आयात मात्रा में कमी और विभिन्न छूटों के कारण थी। इसके कारण राजस्वों में वृद्धि करने के उपाय करना अति आवश्यक हो गया है जैसेकि कर छूटों को वापस लेना/युक्तिसंगत बनाना; कर आधार को व्यापक करना; मुक्त व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करते समय सावधानी बरतना; निवारण के जरिये अनुपालन को बढ़ाना; कर कानूनों का सरलीकरण; अवरूद्ध राजस्व का परिसमापन और बकाया की वसूली; तथा लंबित मामलों का त्वरित निपटान। इन छूटों द्वारा उत्पन्न रूकावट का एक प्रातिनिधिक संकेतक सीमा-शुल्कों की संग्रहण दर है। यह पाया गया है कि 2007-08 और 2012-13 के बीच चुनिंदा आयात समूहों के लिए संग्रहण दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। इसलिए सीमा शुल्क नीति की व्यवस्था को नए सिरे से देखना आवश्यक हो गया है।

कर व्यय

3.13 विभिन्न अनुसूचियों में यथा अधिसूचित करों की सांविधिक दरें करों की वास्तविक अथवा प्रभावी दरों से भिन्न होती हैं, जो कर संबंधी उन उपबंधों के कारण हो सकता है जो (i) करदाताओं के करयोग्य व्यय, आय अथवा निवेश से कटौती या छूट, (ii) कर देयता को स्थगित करने, अथवा (iii) तरजीही कर दरों को अनुमत करते हैं। 2006-07 में पहली बार कर-व्यय विवरण संसद में प्रस्तुत किया गया था और इसमें कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा है। 2013-14 के व्यय-बजट में, कंपनी आय कर में छूटें देने के कारण परित्यक्त कर 2011-12 में 61,765.3 करोड़ ₹ पर और 2012-13 में 68,007.6 करोड़ ₹ अनुमानित था (न्यूनतम वैकल्पिक कर का निवल)। कंपनी करदाताओं के मामले में, त्वरित मूल्यहास के कारण कटौती, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थित निर्यातोन्मुखी एककों के निर्यात से होने वाले लाभों में कमी और बिजली एवं खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के उपक्रमों के लाभ कुछ बड़े प्रोत्साहनों में से थे। वैयक्तिक आयकर के तहत छूट की मद में परित्यक्त कर 2011-12 और 2012-13 में क्रमशः 32,230 करोड़ ₹ और 36,857.5 करोड़ ₹ पर अनुमानित था। इसका बड़ा भाग आयकर अधिनियम की धारा 80ग के तहत कतिपय निवेशों और संदायों पर दी गई छूटों तथा वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमाओं के परिणामस्वरूप था।

कर व्यय अथवा केन्द्रीय करों से परित्यक्त राजस्व की मात्रा हालिया वर्षों में वृद्धि का रुख दर्शा रही है।

3.14 इसी प्रकार, उत्पाद शुल्क व्यवस्था में विभिन्न छूटों पर परित्यक्त कर 2011-12 और 2012-13 में क्रमशः 195, 590 करोड़ ₹ और 206,188 करोड़ ₹ पर अनुमानित था। सीमा शुल्क व्यवस्था के तहत परित्यक्त कर राजस्व 2011-12 में 236,852 करोड़ ₹ और 2012-13 में 253,967 करोड़ ₹ पर अनुमानित था। यद्यपि कर-व्ययों या केन्द्रीय करों से परित्यक्त राजस्व की मात्रा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में वृद्धि का रूझान दिखा रही है, क्योंकि ये अनुमान कतिपय पूर्वानुमानों पर आधारित हैं, तथापि उनकी व्याख्या सावधानी से की जानी है। किंतु कर अधिप्राप्ति में सुधार करने के लिए छूटों की समीक्षा करने और आवश्यकता होने पर उनमें से प्रत्येक के लिए सनसेट खंड के साथ उन्हें निष्पादित किए जाने की जरूरत है।

कर-भिन्न राजस्व

3.15 केन्द्रीय कर-भिन्न राजस्व में मुख्यतः सरकार की ब्याज और लाभांश प्राप्ति, केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं जैसेकि केन्द्रीय पुलिस बल की आपूर्ति, पासपोर्ट और वीजा जारी करना, कंपनियों, पेटेंटों और अनुज्ञप्ति शुल्कों का

पंजीकरण, अपतटीय तेल क्षेत्रों से रायल्टी की प्राप्तियां और दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्रों से विभिन्न प्राप्तियां शामिल हैं। बजट 2013-14 से कर-भिन्न राजस्व में 2012-13 (सं.अ.) की तुलना में 32.8 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित थी जिससे वास्तविक अनुमान (2012-13) के उपलब्ध होने पर 2012-13 की तुलना में 25.4 प्रतिशत अर्थात् 172,252 करोड़ ₹ की वर्षानुवर्ष वृद्धि तय थी। बजट 2013-14 में कर-भिन्न राजस्व मुख्यतः मार्च, 2013 में निर्धारित दूरसंचार नीलामी से प्रत्याशित प्रतिफलों के आधार पर अनुमानित था। इससे प्राप्त धनराशि को 2013-14 के शुरूआती दिनों में जमा किए जाने की आशा थी। यह आंकड़ा सं.अ. 2013-14 में बढ़ाकर 193,226 करोड़ ₹ तक संशोधित किया गया। सीजीए के अनुसार, 2013-14 में कर-भिन्न राजस्व 1,99,233 करोड़ ₹ था जो मुख्यतः उच्च लाभांशों और लाभों तथा व्याज प्राप्तियों की मद में 2012-13 की अपेक्षा 45 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।

ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

3.16 ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूलियां, विनिवेश प्राप्तियां और प्रकीर्ण प्राप्तियां शामिल हैं। 2012-13 में 16,268 करोड़ ₹ के मुकाबले बजट 2013-14 में ऋणों की वसूलियां 10,654 करोड़ ₹ की रहीं। कर्जों की वसूलियों से राजस्व में गिरावट केन्द्र से राज्यों को ऋण मध्यवर्तिता के खिलाफ मुख्यतः बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के कारण होती रही है। विनिवेश आगमों के संबंध में बजट 2013-14 से 55,814 करोड़ ₹ का अनुमान था। परंतु यह आंकड़ा मंद पड़े वित्त बाजार की स्थितियों और समग्रतः आर्थिक मंदी के कारण ब.अ. 2013-14 में काफी घटाकर 25,841 करोड़ ₹ तक कर दिया गया। एनडीसीआर 2012-13 के 42,158 करोड़ ₹ से घटकर सं.अ. 2013-14 में 36,644 करोड़ ₹ रह गया था। कंपनियों ने 2013-14 में विनिवेश किया और उनसे प्राप्तियां इस प्रकार हुईं: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (260 करोड़ ₹), आईटीडीसी (30 करोड़ ₹), एमएमटीसी (572 करोड़ ₹), एनएफएल (101 करोड़ ₹), नेइवेलि लिगनाइट कारपोरेशन (358 करोड़ ₹), एसटीसी (5 करोड़ ₹), पीजीसीआईएल (1637 करोड़ ₹), ईआईएल (497 करोड़ ₹), एनएचपीसी (2131 करोड़ ₹), बीएचईएल (1887 करोड़ ₹) और आईओसी (5341 करोड़ ₹)/शेष 3000 करोड़ ₹ की वसूली केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र एक्सचेंज (सीपीएसई) पर व्यापारित निधि (सीपीएसई-ईटीएफ) से की गई।


विनिवेश कार्यक्रम को वित्तीय बाजार की मंद रही परिस्थितियों के चलते सीमित सफलता मिली है।

व्यय के रुझान

3.17 व्यय की मद में बजट 2013-14 में कुल व्यय का अनुमान 16,65,297 करोड़ ₹ का था जो 2012-13 (सं.अ.) तथा 2013-14 (वास्तविक) की राशि से क्रमशः 16.3 प्रतिशत और 18.1 प्रतिशत अधिक था। 2013-14 (ब.अ.) के कुल व्यय में प्रत्याशित वृद्धि पूंजीगत व्यय (सं.अ. 2012-13 की अपेक्षा 36.6 प्रतिशत) में पूर्वानुमानित वृद्धि पर मुख्यतः आधारित थी, जबकि राजस्व व्यय में सं.अ. 2012-13 की तुलना में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना थी।

3.18 2013-14 के बजट में आयोजना व्यय का अनुमान 5,55,322 करोड़ ₹ का था जो स.घ.उ. का 4.9 प्रतिशत और सं.अ. 2012-13 की राशि से 29.6 प्रतिशत अधिक था। ब.अ. 2013-14 में 11,09,975 करोड़ ₹ का आयोजना भिन्न व्यय जो स.घ.उ. का 9.8 प्रतिशत था, सं.अ. 2012-13 की तुलना में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिबिम्बित करता है। इस कुल व्यय में बढ़ोतरी की क्षतिपूर्ति अधिक उच्च ऋण-भिन्न प्राप्तियों से किए जाने की आशा की गई। 2013-14


(सं.अ.) का कुल व्यय बजट विहित स्तरों से काफी नीचे था जैसाकि चित्र 3.3 में दर्शाया गया है।




चित्र 3.3 : ब.अ. 2013-14 की तुलना में हुए कुल व्यय का परिवर्तन (करोड़ रुपये में)

टी.ई.: कुल व्यय एनपीई: आयोजन-भिन्न व्यय पी.ई.: योजना व्यय
आर.ई.: राजस्व व्यय सी.ई.: पूंजीगत व्यय

3.19 कुल राजस्वों के बजट-विहित स्तरों से 5.1 प्रतिशत तक कम हो जाने के परिणामस्वरूप, कुल व्यय को बाद में संशोधित करके करीब 4.5 प्रतिशत तक कम करके 2013-14 सं.अ. में 15,90,434 करोड़ रु० तक किया गया जो आयोजना व्यय, विशेषकर पूंजीगत व्यय में पर्याप्त कटौती के रूप में सामने आया, जबकि आयोजना भिन्न व्यय (एनपीई) अपरिवर्तित रहने दिया गया (चित्र 3.3)। निरंतर जारी आर्थिक मंदी के चलते, सरकारी व्यय को मुद्रास्फीति विशेषकर गरीबों के लिए प्रभावी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार, चूंकि कर आधिक्य (अनुमानित स.घ.उ. वृद्धि और कर वृद्धि का अनुपात) आर्थिक मंदी के कारण कमजोर बना रहा, अतः व्यय को युक्तियुक्त करके घटाना पड़ा ताकि सं.अ. 2013-14 में समग्र राजकोषीय स्थिति को दृढ़ किया जा सके (चित्र 3.4क और 3.4ख)।



चित्र 3.4क : व्यय में वार्षिक वृद्धि



चित्र 3.4ख : स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में व्यय

सब्सिडी

3.20 2008-09 के बाद से केन्द्रीय राजस्व घाटे में बढ़त के प्रधान कारणों में से एक कारण सब्सिडियों का उत्तरोत्तर बढ़ते जाना रहा है। सीजीए के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 2013-14 में प्रधान सब्सिडियों का योग 2,47,596 करोड़ रुपए रहा जो सं.अ. के आंकड़ों से बहुत अधिक रहा। कुल सब्सिडियों में तीव्र वृद्धि हुई है जो 2007-08 के स.घ.उ. के 1.42 प्रतिशत से बढ़ती हुई 2013-14 के सं.अ. में 2.26 प्रतिशत तक पहुंच गयी है (सारणी 3.5)।

3.21 खाद्य सब्सिडी में इजाफा होता रहा है जिसकी वजह भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद की अधिक लागत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्नों के लिए नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में बढ़ता अंतर है। उर्वरक सब्सिडी का अंशतः विनियंत्रण हुआ है, हालांकि यूरिया की कीमतें अभी सीमा के अंदर है; इसी प्रकार पेट्रोल की कीमतें विनियंत्रित कर दी गई हैं तथा डीजल की कीमतों

(करोड़ ₹)

सब्सिडी शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14(सं.अ.)
खाद्य पदार्थ	58443	63844	72822	85000	92000
उर्वरक	61264	62301	70013	65613	67971
पेट्रोलियम	14951	38371	68484	96880	85480
उप जोड़	134658	164516	211319	247493	245451
कुल सब्सिडियां	141351	173420	217941	257079	255516
स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में	2.18	2.22	2.42	2.56	2.26

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज़

सारणी 3.5 : मुख्य सब्सिडियों में व्याप्त रुझान

में 0.50 पैसे प्रति लीटर की मासिक बढ़ोतरी करायी जा रही है। तेल विपणन कंपनियों (ओएनसी) की अल्प वसूलियां अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों के अनुसरण में बढ़ती रही हैं। अल्प वसूलियां 2007-08 में 77,123 करोड़ रुपए से बढ़कर 2013-14 में 1,39,869 करोड़ रुपए हो गई हैं। प्रति माह प्रति परिवार को आर्थिक सहायताप्राप्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सिलिंडरों की अप्रैल 2014 से अधिकतम संख्या 9 से बढ़कर 12 तक कर दी गई है। राजकोषीय घाटे और चालू खाता घाटे (सीएडी) के बृहत् स्तरों का एकल विशालतम घटक उस असामर्थ्य का परिणाम है जो तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हुई वृद्धि को देशी बाजार पर अंतरित करने से रोकता है। इसके अलावा, तंत्र से रिसाव भी सब्सिडी में समग्र बढ़त के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष पत्र के वर्किंग पेपर 'दि फिस्कल एण्ड वेलफेयर इम्पैक्ट्स ऑफ रिफार्मिंग फ्यूल सब्सिडीज़ इन इंडिया (आनंद एट ऑल 2013) में दिखाया गया है कि भारत में ईंधन सब्सिडी को खराब ढंग से लक्षित किया गया है जहां 10 प्रतिशत समृद्धतम परिवार निर्धनतम 10 प्रतिशत परिवारों की तुलना में सात गुना लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हैं। इसी प्रकार, खाद्य मदों के मामले में, योजना आयोग के लक्षित पीडीएस (2005) संबंधी निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन में कहा गया है कि गरीब जनता को वितरित अन्न के प्रत्येक एक किलोग्राम के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय पूल से 2.4 कि. ग्रा. अन्न जारी किया। वर्तमान तंत्र के जरिए सब्सिडी प्राप्त मदों के प्रदाय की लागत को लेकर इसके गंभीर निहितार्थ हैं।

ब्याज अदायगियां

3.22 यद्यपि विशिष्ट रूप से राजकोषीय नीति का जोर मुख्य संकेतक अर्थात् स.घ.उ. के भाग के रूप में व्यक्त राजकोषीय घाटे पर है, तथापि राजकोषीय घाटे के कुल स्तर भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बाद में ब्याज अदायगियों में खर्च हो जाते हैं। ब्याज अदायगियों का आधार पूर्ववर्ती वर्ष में संचयी ऋण और चालू वर्ष


	बकाया आंतरिक देयताएं	आंतरिक देयताओं पर ब्याज	उधारों की औसत लागत (प्रतिशत प्रतिवर्ष)
	(करोड़ ₹)		
2009-10	2874683	192567	7.5
2010-11	3212521	212707	7.4
2011-12	3765153	251634	7.8
2012-13	4295575	290278	7.7
2013-14(ब.अ.)	4856266	347888	8.1
2013-14(सं.अ.)	4782585	355438	8.3

सारणी 3.6 : केन्द्र सरकार की बकाया आंतरिक देयताओं पर ब्याज

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज़

टिप्पणी: 1. उधार की औसत लागत 'टी' वर्ष में ब्याज भुगतान की 'टी-1' वर्ष में बकाया देयताओं की प्रतिशतता है।
2. बकाया आंतरिक देयताओं में राज्यों को दिए गए एनएसएसएफ ऋण शामिल नहीं हैं जिन पर केन्द्र की कोई ब्याज देयता नहीं है।
3. पहले के अंकों में सूचित ब्याज अदायगी के आंकड़े भिन्न हो सकते हैं क्योंकि ये आंकड़े 1999-2000 अर्थात् एनएसएसएफ के गठन से सरकार द्वारा प्रदत्त एनएसएसएफ पर ब्याज अदायगियों को घटाकर हैं।

में ऋण का वृद्धिकारी निर्धारण है। स.घ.उ. के भाग के रूप में ब्याज अदायगियां एफआरबीएम के बाद की अवधि में कम होती रही थीं। किन्तु 2011-12 में राजकोषीय गिरावट के साथ-साथ वित्तीय संकट के दौरान सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय विस्तार और मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए अपेक्षाकृत कड़ी ब्याज दर प्रणाली के कारण, स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में ब्याज अदायगियां संकटोत्तर अवधि में बढ़ गई जिसके परिणामस्वरूप देयताओं के संचयी भंडार में बढ़ोत्तरी हो गई (चित्र 3.5)। उधार की औसत लागत 2012-13 के 7.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 2013-14 (सं.अ.) में 8.3 प्रतिशत पर रखी गई है (सारणी 3.6)।



चित्र 3.5 : स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में ब्याज संदाय

वेतन भत्ते और पेंशन

3.23 वेतन, भत्ते और पेंशन 2007-08 के स.घ.उ. में 1.2 प्रतिशत का हिस्सा थे जो बढ़कर 2009-10 के स.घ.उ. का 2.3 प्रतिशत हो चुके थे। ऐसा मुख्य रूप से 2008-09 और 2009-10 में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के पंचाट के कार्यान्वयन के कारण हुआ। 2013-14 (सं.अ.) में स.घ.उ. के 1.7 प्रतिशत के स्तर पर रहने से इनमें कुछ कमी आयी है। पेंशन घटक में बढ़त का कारण अनिश्चित अंशदान वाली पूर्ववर्ती पेंशन योजना में व्यय के अलावा 1 जनवरी, 2004 को या इसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले नए सदस्यों के लिए प्रवर्तित अंशदायी योजना है और इसमें धीरे-धीरे वृद्धि होते रहने की संभावना है। केवल पेंशन घटक ही 2003-04 के 15905 करोड़ रुपए से बढ़कर 2013-14 (अ) में 74606 करोड़ रुपए हो गया।

केन्द्रीय आयोजना परिव्यय

3.24 आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) (केन्द्रीय योजना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता) और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (सीपीएसई) के आंतरिक एवं बजट-बाह्य संसाधन केन्द्रीय योजना परिव्यय के दो प्रधान घटक हैं। 2013-14 (ब.अ.) का जीबीएस 5,55,322 करोड़ रुपए था जिसमें 1,36,254 करोड़ रुपए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए तथा 4,19,068 करोड़ रुपए केन्द्रीय योजना के लिए था।

3.25 केन्द्रीय योजना परिव्यय (ब.अ. 2013-14 में कुल परिव्यय के भाग के रूप में बजटीय सहायता) के क्षेत्रवार बड़े आबंटन इस प्रकार थे: ऊर्जा (3.07 प्रतिशत); सामाजिक सेवा (45.48 प्रतिशत); परिवहन (17.52 प्रतिशत); संचार (1.42 प्रतिशत); ग्रामीण विकास (10.21 प्रतिशत); कृषि और सहबद्ध कार्य (4.44 प्रतिशत); और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण (0.29 प्रतिशत)। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता ब.अ. 2013-14 में 1,36,254 करोड़ रुपए थी। आयोजना भिन्न घटक से आयोजना घटक में व्यय की प्राथमिकता पुनः निर्धारित करने का कार्य बारहवीं योजना परिव्यय को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

पूरक अनुदान मांगें

3.26 इस सांविधानिक उपबंध को देखते हुए कि कोई भी व्यय संसदीय संस्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता, ब.अ. से अधिक व्यय की अतिरिक्त राशि का प्रबंध पूरक अनुदान मांगों के जरिए किया जाना होता है। अतिरिक्त रकमों का एक अंश एक बजट शीर्ष से दूसरे बजट शीर्ष में पुनर्विनियोग के जरिए जिसमें निवल नकद व्यय नहीं होता, और नकद व्यय कराने वाली अतिरिक्त मांगों के जरिए उपलब्ध कराया जाता है। परवर्ती पक्ष की मात्रा का समग्र राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति में प्रभाव होता है।

3.27 हालिया वर्षों में पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडियों का कम प्रावधान नकद व्यय वाली पूरक अनुदान मांगों का महत्वपूर्ण कारण रहा है। 2013-14 में, प्रस्तुत तीन पूरक अनुदान मांगों में से जिनका कुल योग 74,321.26 करोड़ रुपए था, लगभग 24,255 करोड़ रुपए पेट्रोलियम उर्वरक और खाद्य सब्सिडियों की मद में था।

सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया तथा इसे 18 महीनों में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अधिदेश प्राप्त हुआ है।

2013-14 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक परिणाम

राजस्व परिणाम

3.28 विभिन्न करों और विनिवेश प्राप्तियों की दृष्टि से पूर्ववर्ती खंड में वर्णित ऋण-भिन प्राप्तियों में अनुमानित वृद्धि असल में नहीं हुई और वर्तमान वित्त वर्ष में वास्तविक स्थिति राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति को चुनौती देना तथा राजकोषीय समायोजन की गुणता पर पड़े प्रभाव को इंगित करती है। सीजीए द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम वास्तविक आंकड़ों (अ) के अनुसार, 2013-14(अ) में कुल कर राजस्व वर्षानुवर्ष 10 प्रतिशत के हिसाब से बढ़कर 11,33,832 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस स्तर की वृद्धि सं.अ. (10.2 प्रतिशत पर) में परिकल्पित स्तर से कम है और ब.अ. 2013-14 में उल्लिखित 10.9 प्रतिशत के स्तर से पर्याप्त रूप में कम पड़ती है।

3.29 सकल कर राजस्व (जीटीआर) 2013-14 के बजट में 1,23,5870 करोड़ रुपए पर विहित था। ब.अ. के अनुपात के रूप में 2013-14 (अ) में जीटीआर 92.1 प्रतिशत था जो विगत पांच वर्ष के औसत 97.5 प्रतिशत से कम है। इस कमी का मुख्य कारण अप्रत्यक्ष करों नामतः उत्पाद शुल्क (ब.अ. का 86.1 प्रतिशत), सीमा-शुल्क (ब.अ. का 91.9 प्रतिशत) और सेवा कर (ब.अ. का 85.8 प्रतिशत) का खराब निष्पादन है। इसके विपरीत, 2013-14 के दौरान कर-भिन राजस्व में मुख्यतः लाभांशों, लाभों और ब्याज प्राप्तियों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में करीब 45 प्रतिशत (1,99,233 करोड़ रुपए) की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ऋण-भिन पूंजीगत प्राप्तियों में, विनिवेश प्राप्तियों के कारण 2013-14 (अ) में उल्लेखनीय कमी रही क्योंकि 55,814 करोड़ रुपए की बजट-विहित रकम में से केवल 27,555 करोड़ रुपए की वसूली हो पाई है। इस प्रकार कुल ऋण-भिन प्राप्तियों की दृष्टि से कुल स्थिति 2013-14 (अ) में ब.अ. के 94 प्रतिशत के हिसाब से 10,55,336 करोड़ रुपए पर थी जो आकांक्षी लक्ष्य की तुलना में राजस्व सृजन में इष्टतम से निम्नतर परिणाम इंगित करता है।

व्यय की स्थिति

3.30 राजकोषीय घाटे में कटौती की प्रक्रिया जारी रखने की दृष्टि से राजकोषीय स्थिति का सूक्ष्म अनुवीक्षण करने के कारण व्यय में कुछ सुधार हुआ और ब. अ. 2013-14 (सं.अ. 2012-13 की तुलना में) में उल्लिखित 16.3 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि के मुकाबले में 2013-14 के कुल व्यय में वास्तविक वृद्धि को सीजीए (अ) के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 10.9 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया। ब.अ. के अनुपात के रूप में, 2013-14(अ) में आयोजना भिन राजस्व व्यय ब.अ. के 100 प्रतिशत पर था। आयोजना व्यय को ब.अ. के 81.6 प्रतिशत पर रखा गया और यह व्यय पंचवर्षीय औसत रकम से बहुत कम रहा। 2013-14 में आयोजना पूंजीगत व्यय में सं.अ. के स्तरों की तुलना में 3139 करोड़ रुपए की कमी हो गई। किन्तु बड़ी सब्सिडियों में बढ़ोत्तरी करने से वे 2,47,596 करोड़ रुपए (ब.अ. का 112 प्रतिशत) तक पहुंच गई।

घाटे की स्थिति

3.31 सीजीए द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के 4.5 प्रतिशत पर रखा गया है जिससे सं.अ. के संबंध में अधिक निष्पादन इंगित हो रहा है। वर्ष 2013-14 (अ) का राजकोषीय घाटा 5,08,149 करोड़ रुपए था जो सं.अ. 5,24,539 करोड़ रुपए का 96 प्रतिशत हिस्सा था। यह प्रतिशत, पंचवर्षीय औसत 98.1 प्रतिशत से काफी कम है। इसके साथ ही, राजस्व घाटे को सं.अ. के 97.3 प्रतिशत पर रखा गया जो पंचवर्षीय चल औसत 96.9 प्रतिशत से अधिक है। 2013-14 में प्रभावी राजस्व घाटा स.घ.उ. के

हालिया वर्षों में मुख्य चिंता कर संग्रह में आए धीमेपन को लेकर रही है जो औद्योगिक उत्पादन में मंदी और कंपनी लाभों में गिरावट का सम्मिलित प्रभाव है।

2013-14 में बजटविहित स्तरों के मुकाबले आयोजना व्यय में काफी कमी रही है।

राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत के बजट-विहित स्तर के मुकाबले 2013-14(अ) में 4.5 प्रतिशत पर अनुमानित था।


सारणी 3.7 : केन्द्र सरकार के वित्त साधन

क्रम सं	मर्दे	2012-13 वास्तविक	2013-14			सं.अ. 2013-14 की तुलना में घट-बढ़	सं.अ. के प्रतिशत के रूप में	ब.अ. के प्रतिशत के रूप में	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में
			(ब.अ.)	(सं.अ.)	अर्नतिम	समग्र	2013-14 अर्नतिम	2013-14 अर्नतिम	2013-14 अर्नतिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राजस्व प्राप्तियां (2+3)	877613	1056330	1029251	1015279	-13972	98.6	96.1	8.9
	सकल कर राजस्व	1036235	1235870	1158905	1138832	-20073	98.3	92.1	10
2.	कर (केन्द्र को निवल)	740256	884078	836025	816046	-19979	97.6	92.3	7.2
3.	कर-भिन	137357	172252	193226	199233	6007	103.1	115.7	1.8
4.	ऋण भिन पूंजी प्राप्तियां (5+6)	42158	66468	36644	40057	3413	109.3	60.3	0.4
5.	ऋण की वसूली	16268	10654	10803	12502	1699	115.7	117.3	0.1
6.	विनिवेश प्राप्तियां	25890	55814	25841	27555	1714	106.6	49.4	0.2
7.	कुल ऋण-भिन प्राप्तियां (1+4)	919771	1122798	1065895	1055336	-10559	99	94	9.3
	ज्ञापन मर्दे								
	निगम कर	356326	419520	393677	394677	1000	100.3	94.1	3.5
	आयकर	196512	240919	236194	237789	1595	100.7	98.7	2.1
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	175845	196805	178787	169469	-9318	94.8	86.1	1.5
	सीमा शुल्क	165346	187308	175056	172132	-2924	98.3	91.9	1.5
	सेवा कर	132601	180141	164927	154630	-10297	93.8	85.8	1.4
	जोड़ (ज्ञापन मर्दे)	1026630	1224693	1148641	1128697	-19944	98.3	92.2	9.9
	राज्यों को अंतरण	291547	346992	318230	318230	0	100	91.7	2.8
8.	आयोजना-भिन व्यय (क) + (ख)	996742	1109975	1114902	1110400	-4502	99.6	100	9.8
	(क) राजस्व लेखा में	914301	992908	1027688	1023047	-4641	99.5	103	9
	जिसमें से								
	(1) व्याज अदायगियां	313169	370684	380066	377502	-2564	99.3	101.8	3.3
	(2) मुख्य सब्सिडियां	247493	220972	245451	247596	2145	100.9	112	2.2
	(3) पेंशन	69478	70726	74076	74606	530	100.7	105.5	0.7
	(ख) पूंजी लेखा पर	82441	117067	87214	87353	139	100.2	74.6	0.8
9.	आयोजना व्यय (12+13)	413625	555322	475532	453085	-22447	95.3	81.6	4
	(क) राजस्व लेखा	329208	443260	371851	352543	-19308	94.8	79.5	3.1
	(ख) पूंजी लेखा	84417	112062	103681	100542	-3139	97	89.7	0.9
10.	कुल व्यय (8+9)	1410367	1665297	1590434	1563485	-26949	98.3	93.9	13.8
11.	राजस्व व्यय (8क+9क)	1243509	1436168	1399539	1375590	-23949	98.3	95.8	12.1
12.	पूँजी आस्तियां के सृजनार्थ अनुदान	115513	174656	121283	129839	8556	107.1	74.3	1.1
13.	पूँजी व्यय (8ख+9ख)	166858	229129	190895	187895	-3000	98.4	82	1.7
14.	राजस्व घाटा (1-11)	365896	379838	370288	360311	-9977	97.3	94.9	3.2
15.	प्रभावी राजस्व घाटा (14-12)	250383	205182	249005	230472	-18533	92.6	112.3	2
16.	राजकोषीय घाटा (7-10)	490596	542499	524539	508149	-16390	96.9	93.7	4.5
17.	प्राथमिक घाटा (14-8(क) (1)	177427	171815	144473	130647	-13826	90.4	76	1.2

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज और लेखा महानियंत्रक।

2 प्रतिशत पर रखा गया जो 1.5 प्रतिशत के बजट विहित स्तर से अधिक है। राजकोषीय घाटे में कमी कर राजस्वों और विनिवेश प्राप्तिओं में गिरावट के बावजूद और सविसडियों, व्याज और पेंशन भुगतानों के बजटीय व्यवस्था से अधिक होने के बावजूद हासिल की गई। विभिन्न संकेतकों का निष्पादन सारणी 3.7 में प्रदर्शित है।

3.32 कुल मिलाकर, 2008 के वैश्विक संकट से तुरंत पहले और इसके बाद में दो चरणों वाली राजकोषीय नीति का स्वरूप दीर्घावधिक विश्लेषण में ज्ञात हो सकता है। ऋण-भिन प्राप्तिओं तथा कुल व्यय (स.घ.उ. के अनुपात के रूप में) के बीच के अंतर से राजकोषीय घाटे की मात्रा प्रतिबिम्बित होती है और राजकोषीय नीति के समेकन से हटकर विस्तार की ओर तक के दो चरणों के दौरान उसमें हुआ बदलाव चित्रित होता है; जैसाकि चित्र 3.6 में दर्शाया गया है।



चित्र 3.6 : ऋण-भिन प्राप्तियां और कुल व्यय में रुझान (स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)

केन्द्रीय बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण

3.33 बजट में संयवहारों का वर्गीकरण अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान को सुकर करने हेतु अभिकल्पित है और यह संस्थागत व्यवस्थाओं के जरिए संसद के प्रति जवाबदेही के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हालांकि व्यय, राजस्व, और घाटों में कमी-बेशी का पारम्परिक विश्लेषण लोक वित्त की प्रवृत्तियों को समझने

के लिए उपयोगी है, केन्द्र सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण ही के जरिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर बजट के प्रभाव जैसे विशाल वृहत् आर्थिक विश्लेषण के लिए ये संव्यवहार आवश्यक हो जाते हैं। बजट का ऐसा विश्लेषण निर्दिष्ट करता है कि 2012-13 (सं.अ.) में ₹ 13,98,274 करोड़ के कुल व्यय में से उपभोग व्यय ₹ 2,69,339 करोड़ और सकल पूंजी निर्माण पर व्यय रु. 77,974 करोड़ था (परिशिष्ट सारणी 2.21)। शेष अर्थव्यवस्था में वित्तीय निवेश तथा ऋण ₹ 48,261 करोड़ के थे। अंतरण भुगतान में शेष व्यय के होने के कारण, ऐसे वित्तीय अंतरण कुल व्यय का 71.7 प्रतिशत थे। 2013-14 (ब.अ.) में, ₹16,58,033 करोड़ के कुल अनुमानित व्यय में से, उपभोग व्यय ₹ 3,15,318 करोड़ और सकल पूंजी निर्माण ₹ 97,498 करोड़ आंका गया है। शेष अर्थव्यवस्था में ₹11,42,858 करोड़ के अंतरण भुगतान कुल व्यय 68.9 प्रतिशत थे।

3.34 कार्यात्मक शीर्षों के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार ₹ 6,96,260 करोड़ की सामाजिक और आर्थिक सेवा (व्यापक रूप से कुल विकास परिव्यय को शामिल करते हुए) 2013-14 (ब.अ.) में कुल व्यय का 42 प्रतिशत था। सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 3,80,272 करोड़ अनुमानित किया गया जो कुल व्यय का 22.9 प्रतिशत बैठता है। राज्यों को सहायता-अनुदान, संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना भिन्न अनुदान, खाद्य एवं अन्य उपभोक्ता सब्सिडियों, सरकारी ऋण पर ब्याज, पेंशन और अन्य राष्ट्रों को सहायता जैसी मदें कुल व्यय की अनाबंटनीय श्रेणी के रूप में 35.1 प्रतिशत के हिसाब में हैं।

सरकारी ऋण

3.35 ऋण नीति में स्थायी, संपोषणीय, विवेकपूर्ण और बाजारोन्मुखी सक्रिय ऋण प्रबंधन को बनाए रखने पर जोर दिया गया है। ऋण-नीति के उद्देश्यों के अनुसरण के लिए, सरकार ने प्रतिभूतियों में नकदी बढ़ाने और आवर्ती जोखिम घटाने तथा नगद-अधिशेष का उपयोग करने के उद्देश्य से प्रतिभूतियों का वापसी क्रय और अंतरण किया जिसके परिणामस्वरूप 2013-14 के बाजार-उधार में 15,000 करोड़ रुपये की कमी आई और वे 4,68,902 करोड़ रुपये के स्तर तक आ गए। इसके अलावा, निवेशकों की संख्या बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार विकसित करने के लिए सरकार ने मुद्रास्फीति-सूचकांकित बांड प्रवर्तित किए।

3.36 केन्द्र सरकार की कुल बकाया देयताएं 50,70,601 करोड़ रुपये आंकी गईं जो मार्च, 2013 (सारणी 3.8) के अंत में स.घ.उ. के 50.1 प्रतिशत के तुल्य थीं। भारत सरकार की कुल देयताओं में भारत की संचित निधि में उल्लिखित ऋण और देनदारियां (तकनीकी रूप से सरकारी ऋण के रूप में परिभाषित) तथा सरकारी खाते में उल्लिखित देनदारियां (अन्य देनदारियों के रूप में ज्ञात) शामिल हैं। मार्च अंत 2013 में लोक ऋण 39,41,855 करोड़ रुपये था जो सकल घरेलू उत्पाद के 39 प्रतिशत के समतुल्य था जबकि अन्य देयताएं 11,28,747 करोड़ रुपये थीं जो सकल घरेलू उत्पाद के 11.2 प्रतिशत के समतुल्य थीं। कुल लोक ऋण में से आंतरिक ऋण 95.5 प्रतिशत था और शेष विदेशी ऋण है (अंकित मूल्य पर)। 2013-14(सं.अ.) में बकाया आंतरिक और विदेशी ऋण तथा अन्य देयताएं 55,87,149.33 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। घरेलू ऋण पर अधिक निर्भरता होने से ऋण पोर्टफोलियो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में व्याप्त अस्थिरता के चलते सुरक्षित रहते हैं और इससे मुद्रा संबंधी जोखिम भी कम हो जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, केन्द्र और राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं 2009-10 में 77.7 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 69.7 प्रतिशत हो गयी। यह मुख्यतः इस वजह से है कि देयताओं के वृद्धिकारी अनुमान में हुई बढ़ोत्तरी अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही है। वैश्विक संकट के कारण केन्द्र की देयताओं के स्तर में भारी वृद्धि हुई क्योंकि राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ गया। राजकोषीय घाटा संकट से पूर्व के 1,50,000 करोड़ रुपये से कम की स्थिति से बढ़कर 5,15,990 करोड़ रुपये हो गया जिससे देयताओं के भंडार में और वृद्धि हुई। 2010-11 में अनुमानित सकल

मुख्य विशेषता 2012-13 (सं.अ.) की तुलना में 2013-14 (ब.अ.) में पूंजी निर्माण में 30.8 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि और सामाजिक सेवाओं में 24.9 प्रतिशत के स्तर पर हुई वृद्धि है जिससे इंगित होता है कि बजट में उच्च निवेश और समावेशी विकास पर जोर दिया जा रहा है।

	मार्चात				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अन्तिम)	2013-14 (सं.अ.)
(सघड के प्रतिशत के रूप में)					
1. आंतरिक देयताएं	52.4	48.5	47.9	48.4	47.7
क) आंतरिक ऋण	35.9	34.2	35.7	37.2	37.5
i) बाजार उधार	27.0	26.6	27.9	29.5	30.4
ii) अन्य	9.0	7.6	7.7	7.7	7.1
ख) अन्य आंतरिक देयताएं	16.5	14.3	12.2	11.2	10.2
2. विदेशी ऋण (बकाया)*	2.1	2.0	1.9	1.8	1.6
3. कुल बकाया देयताएं	54.5	50.5	50.4	50.1	49.4

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज, सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारतीय रिजर्व बैंक
टिप्पणी : # आंतरिक ऋण में बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के लिए ₹ 88,773 करोड़, 2009-10 के लिए ₹ 2,327 करोड़ के निवल उधार शामिल हैं।
* विदेशी ऋण के आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा विदेशी स्रोतों से लिए गए उधारों के द्योतक हैं और पारंपरिक विनियम दरों पर आधारित हैं।
चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. अनुपात सीएसओ के राष्ट्रीय लेखा 2004-05 शृंखला पर आधारित है।

घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि से इंगित होता है कि ऋण भार में उल्लेखनीय कमी हुई थी। तथापि, 2012-13 और 2013-14 में अपेक्षाकृत कम अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के बावजूद ऋण और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है लेकिन कुल मिलाकर स्थिर रहा है क्योंकि इन दोनों वर्षों के दौरान घाटे के समान स्तर रहे हैं और उल्लेखनीय राजकोषीय समेकन किया गया है।

केन्द्रीय सरकार के विभागीय उद्यमों का कार्य-निष्पादन

डाक विभाग

3.37 2012-13 में डाक विभाग की सकल प्राप्तियां ₹9366.50 करोड़ पर रहीं। वर्ष के दौरान सकल और निवल कार्य-चालन व्यय क्रमशः ₹15,481.15 करोड़ और ₹14,792.38 करोड़ था, जो ₹5425.88 करोड़ के घाटे में परिणत हुआ है। 2013-14 सं.अ. के अनुसार, सकल प्राप्तियों के ₹9787.52 करोड़ तक होने की बजटीय व्यवस्था की गई है, जिसमें सकल और निवल कार्य-चालन व्ययों के क्रमशः ₹16464.05 करोड़ तथा ₹15806.93 करोड़ होने का अनुमान है ₹6019.41 करोड़ का घाटा अनुमानित किया गया है। डाक विभाग द्वारा शुरू किए गए नए उपायों में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना और मोबाइल मनी ट्रांसफर सेवा भी है।

रेलवे

3.38 वर्ष 2012-13 के दौरान 85,263 करोड़ रुपए के माल ढुलाई अर्जन संशोधित लक्ष्य से 693 करोड़ ₹ अधिक थे जो 2011-12 की तुलना में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि है। 2012-13 के दौरान यात्री अर्जन (अन्य कोचिंग अर्जनों सहित) 2011-12 के 30,963 करोड़ ₹ की तुलना में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 34,377 करोड़ ₹ रहे। 2012-13 के समग्र यातायात राजस्व, 2011-12 की तुलना में 19.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, 1,23,901 करोड़ ₹ रहा। यातायात बकायों में 168 करोड़ ₹ के अतिरिक्त संचयन को हिसाब में लेते हुए, 2012-13 के लिए रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियां 1,23,733 करोड़ ₹ रही। जबकि 2011-12 में यह 1,04,110 करोड़ ₹ था। 2013-14 के लिए सकल यातायात प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 1,40,500 करोड़ ₹ था।

3.39 वर्ष 2012-13 के दौरान 84,012 करोड़ ₹ के सामान्य कार्यचालन व्यय 2011-12 की तुलना में 12.7 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं। सामान्य कार्यचालन व्ययों के संशोधित अनुमान 2012-13 के 84,012 करोड़ ₹ की तुलना में 2013-14

सारणी 3.8 : केन्द्र सरकार की बकाया देयताएं

देश के ऋण की मात्रा में सकारात्मक परिवर्तन का एक रूप केन्द्र और राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताओं में, स.घ.उ. के अनुपात के रूप में, गिरावट आना रहा है।

में 97,060 करोड़ ₹ रहे जबकि 2013-14 (सं.अ.) में कुल कार्यचालन व्यय 1,27,260 करोड़ ₹ रहे।

3.40 विविध प्राप्तियों और विविध व्यय के निवल अंतर को हिसाब में लेने पर वर्ष 2012-13 में रेलवे का निवल राजस्व 13,615 करोड़ ₹ था। वित्त वर्ष के लिए 5349 करोड़ ₹ की लाभांश देयता का पूर्णतया निर्वहन करने के पश्चात् 2012-13 के दौरान रेलवे ने लगभग 8266 करोड़ ₹ का आधिक्य सृजित किया। 2013-14 के दौरान लाभांश देयता के संशोधित अनुमान 7840 करोड़ ₹ थे। रेलवे के प्रचालनात्मक अनुपात में मामूली ह्रास रहा, जो 2012-13 में 90.2 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 (सं.अ.) में 90.8 प्रतिशत रहा। प्रभारित पूंजी और पूंजी निधि से निवेश के अनुपात के रूप में निवल राजस्व 2012-13 में 7.4 प्रतिशत रहा जबकि 2013-14 के लिए 7.6 प्रतिशत का संशोधित अनुमान रखा गया।

3.41 2012-13 के लिए आयोजना परिव्यय 60,100 करोड़ ₹ था। इसकी तुलना में 2012-13 के दौरान वास्तविक व्यय 50,383 करोड़ ₹ था जिसमें 9,531 करोड़ ₹ के आंतरिक रूप से सृजित संसाधन और भारतीय रेल विकास निगम द्वारा 15,142 करोड़ ₹ के बाजार उधार शामिल हैं, इनमें रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए 108 करोड़ ₹ के उधार भी शामिल हैं। वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक आयोजना परिव्यय के 63,363 करोड़ ₹ होने की बजटीय व्यवस्था की गई है, जो अभी तक का उच्चतम आयोजना निवेश है। आयोजना को 26,000 करोड़ ₹ की संबन्ध (41.0 प्रतिशत), 14,260 करोड़ ₹ के आंतरिक संसाधनों (22.5 प्रतिशत), रेलवे सुरक्षा निधि से 2,000 करोड़ ₹ (3.2 प्रतिशत) और 21,103 करोड़ ₹ के अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (33.3 प्रतिशत) जिसमें आईआरएफसी के माध्यम से 15,103 करोड़ ₹ के बाजार उधार शामिल हैं, के जरिए वित्तपोषित करने की बजटीय व्यवस्था की गई है। वर्ष के दौरान आय और व्यय की प्रवृत्तियों के अनुरूप वर्ष 2013-14 का संशोधित आयोजना परिव्यय 59,359 करोड़ ₹ रखा गया था।

प्रसारण

3.42 वर्ष 2013-14 में प्रसार भारती का कुल व्यय 3624.91 करोड़ ₹ था और अर्जित कुल राजस्व 1622.74 करोड़ ₹ (अनंतिम) था। सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 5583 करोड़ ₹ की कुल राशि को मूलतः अनुमोदित किया था, अर्थात् सामान्य अनुदान-सहायता के तौर पर 186 करोड़ ₹ और ऑल इंडिया रेडियो एवं दूरदर्शन के जरिए कार्यान्वित की जा रही आयोजना-स्कीमों के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु 5397 करोड़ ₹। ये स्कीमों मुख्यतः इन श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं (i) प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (3500 करोड़ ₹), (ii) विषय सामग्री विकास और प्रचार-प्रसार (186 करोड़ ₹) और विशेष परियोजनाएं (140 करोड़ ₹)। मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय अब संशोधित करके 3826 करोड़ ₹ कर दिया गया है।

राज्यों का राजकोषीय निष्पादन

3.43 समेकित स्तर पर राज्यों के घाटे संबंधी सभी प्रमुख संकेतकों के 2013-14 में बेहतर होने की बजटीय व्यवस्था की गई थी जो तेरहवें वित्त आयोग में यथापरिकल्पित राजकोषीय समेकन को आगे बढ़ाने के राज्यों के उद्देश्य को इंगित करता है (सारणी 3.9)। जहां समेकित राजस्व अधिशेष के 2012-13 (सं.अ.) के 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.4 प्रतिशत हो जाने की बजटीय व्यवस्था की गई है, वहीं सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) और प्राथमिक घाटे (पीडी) के 2012-13 (सं.अ.) के 2.3 प्रतिशत एवं 0.8 प्रतिशत से गिरकर 2013-14 में क्रमशः 2.2 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत हो जाने की बजटीय व्यवस्था की गई है। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में पूंजी व्यय में बजटीय वृद्धि 2012-13 (सं.अ.)

राज्यों ने एफआरबीएम अधिनियम के अधिनियमन के बाद से कारगर राजकोषीय सुधार हासिल किया है।

के 2.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 2013-14 (ब.अ.) में 2.4 प्रतिशत करने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घाटा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यय की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा रहा है। विखंडित स्तर पर, जीएफडी-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2013-14 में केवल चार राज्यों में एफसी-XIII द्वारा निर्धारित किये गए लक्ष्यों से अधिक रहने की बजटीय व्यवस्था की गई है।

मद		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (सं.अ.)	2013-14 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
(स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)							
I.	कुल प्राप्तियां (क + ख)	15.8	15.6	15.1	15.2	16.2	16.5
	क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)	12.3	11.9	12.0	12.2	13.3	13.5
	1. कर प्राप्तियां जिसमें	8.6	8.2	8.7	9.0	9.5	9.8
	राज्य का अपना कर राजस्व	5.7	5.6	5.9	6.2	6.5	6.7
	2. कर-भिन्न प्राप्तियां जिसमें से	3.8	3.7	3.3	3.2	3.8	3.7
	ब्याज प्राप्तियां	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	ख. पूंजी प्राप्तियां जिसमें से	3.5	3.7	3.1	3.0	2.9	3.0
	ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
II.	कुल संवितरण (क + ख + ग)	15.7	15.7	14.9	15.0	16.5	16.5
	(क) राजस्व	12.1	12.4	12.0	11.9	13.1	13.1
	(ख) पूंजी	3.3	3.1	2.7	2.6	3.1	3.1
	(ग) ऋण और अग्रिम	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3
III.	राजस्व घाटा	-0.2	0.5	0.0	-0.3	-0.2	-0.4
IV.	सकल राजकोषीय घाटा	2.4	2.9	2.1	1.9	2.3	2.2

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

टिप्पणी : (1) नकारात्मक (-) चिह्न घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।

(2) चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात सीएसओ की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।

(3) पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखाएं शामिल हैं।

(4) पूंजी संवितरण लोक लेखाओं को छोड़कर हैं।

सारणी 3.9 : राज्य सरकारों की प्राप्तियां और संवितरण

समेकित सामान्य सरकार

3.44 जैसा कि पहले बताया जा चुका है, केन्द्र का राजकोषीय घाटा (एफडी) ब. अ. 2013-14 में स.घ.उ. का 4.8 प्रतिशत अनुमानित किया गया था, जो सं.अ. 2013-14 के अनुसार संशोधित हो कर 4.6 प्रतिशत हो गया था। राज्यों के राजकोषीय घाटे में स.घ.उ. के 2.2 प्रतिशत का आंशिक सुधार हो जाने के चलते (सारणी 3.9) केन्द्र और राज्यों का संयुक्त राजकोषीय परिणाम 2012-13 के 7.4 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में स.घ.उ. का 6.9 प्रतिशत रखा गया था (सारणी 3.10)।

3.45 जनवरी 2013 में डॉ वार्डोवी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित, चौदहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों को निम्नलिखित शामिल करते हुए संशोधित किया गया था:

“आयोग आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) और गृह मंत्रालय की तारीख 04 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 655(अ) के अनुरूप आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन पर उत्तरवर्ती या पुनर्गठित राज्यों को उपलब्ध संसाधनों को भी ध्यान में रखेगा और इस अधिसूचना के संदर्भ के तहत आने वाले मामलों पर, उत्तरवर्ती अथवा पुनर्गठित राज्यों के लिए संस्तुतियां करेगा।”

संभावनाएं

3.46 दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य में संभावनाओं को पहले ही राजकोषीय समेकन की रूपरेखा के संदर्भ में रेखांकित किया जा चुका है जिससे 2016-17 में राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 3.0 प्रतिशत हो जाएगा। वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था ने 2013-14 में राजकोषीय समेकन का अपना लक्ष्य हासिल किया।

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	(ब.अ.)	(सं.अ.)				
1	2	3	4	5	6	7
I. कुल प्राप्तियां (क + ख)	27.8	28.5	27.6	27.2	27.8	28.5
क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)	19.8	18.7	20.3	18.8	20.2	20.9
1. कर प्राप्तियां	16.5	15.2	16.0	16.0	16.8	17.6
2. कर-भिन्न प्राप्तियां	3.4	3.5	4.2	2.8	3.4	3.3
ब्याज प्राप्तियां	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
ख. पूंजी प्राप्तियां	8.0	9.8	7.4	8.5	7.6	7.5
जिसमें से						
(क) विनिवेश	0.0	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5
(ख) ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1
II. कुल संवितरण (क + ख + ग)	28.4	28.6	27.5	26.9	28.1	28.4
(क) राजस्व	24.1	24.4	23.5	22.9	23.9	23.9
(ख) पूंजी	3.9	3.8	3.4	3.2	3.5	4.2
(ग) ऋण और अग्रिम	0.4	0.4	0.6	0.7	0.6	0.4
III. राजस्व घाटा	4.3	5.7	3.2	4.1	3.7	2.9
IV. सकल राजकोषीय घाटा	8.3	9.3	6.9	7.6	7.4	6.9

स्रोत: केन्द्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

टिप्पणी: 1. चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात सीएसओ की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।

2. कुल संवितरणों में केन्द्र और राज्य सरकारों के पुनर्भुगतान शामिल नहीं है और कुल प्राप्तियों में केन्द्र और राज्य सरकारों की नकद शेष में घटबढ़ और रिजर्व बैंक से राज्य सरकारों के अर्थोपाय संबंधी अग्रिम शामिल नहीं हैं।

3. विनिवेश आंकड़ों में इन राज्यों को प्रकीर्ण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल नहीं हैं।

4. केन्द्रीय सरकार के बजट दस्तावेजों से अन्तः सरकारी लेन-देनों को समायोजित किया गया है।

लेकिन ऐसा व्यय (मुख्य रूप से आयोजना/पूंजी व्यय) में कटौती करके हासिल किया गया जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए फायदे का सौदा नहीं है।

3.47 खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडियों से जुड़े महत्वपूर्ण राजकोषीय जोखिम का समाधान करना भी उच्च स्तरीय राजकोषीय स्थिति हासिल करने के लिए जरूरी है। सब्सिडियां उत्पादन में विकृति लाने के अलावा, दुर्लभ संसाधनों की बर्बादी को दंडित नहीं करतीं, बल्कि बढ़ावा ही देती हैं। इसलिए, सभी सब्सिडियों के मामले में एक विस्तृत सुधार योजना तैयार किए जाने की जरूरत है जिसमें स्पष्ट रूप से दीर्घावधिक उद्देश्य निश्चित किए जाएं और सुधारों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाए; लाभार्थियों की पहचान की जाए और चरणबद्ध रूप से नकद सब्सिडियों को सीधे उनके खातों में जमा किया जाए; और समय के साथ-साथ मूल्यवृद्धि करके उन्हें बाजार के स्तर तक लाया जाए।

3.48 करों में होने वाले उछाल में सुधार लाना एक अन्य चुनौती है। राजस्व में बजटीय लक्ष्यों की तुलना में कम वृद्धि; करों में विशेषकर अप्रत्यक्ष करों में हुई वृद्धि उत्साहवर्धक नहीं रही है और सरकार के सामने यह भारी भरकम कार्य है कि संसाधनों में वृद्धि करने के उपाय किए जाएं। प्राप्तियां जुटाने के अधिक प्रयास और सुधार करके ऋण-भिन्न प्राप्तियों में हुई समग्र कमी पर काबू पाया जा सकता है।

3.49 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शुरू करने से राज्य सरकारों की संसाधन जुटाने की क्षमता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, यह मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में व्याप्त लागत वृद्धि में कमी लाने और कर-दक्षता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय का काम भी करेगा, और इस तरह यह विकास प्रक्रिया में सहायक होगा।

सारणी 3.10 : समेकित सामान्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण (स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)

राजकोषीय समेकन वर्तमान संदर्भ में और आने वाले वर्षों, दोनों में ही अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण बना रहेगा जिसमें समायोजन की गुणवत्ता पर जोर दिया जाता रहेगा।

अध्याय 4


कीमतें तथा मौद्रिक प्रबंध

पिछले वर्षों की तुलना में, मुद्रास्फीति में गिरावट के संकेत देखे गए जब 2013-14 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति तीन वर्ष के निम्नतम 5.98 प्रतिशत स्तर तक आ पहुंची। हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक से अधिक बना रहा, फिर भी, इसमें भी कमी के संकेत देखे गए हैं जहां सीपीआई (नई श्रृंखला) मुद्रास्फीति 2012-13 के 10.21 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में लगभग 9.49 प्रतिशत हो गई। लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2013-14 में ऊंचाई पर डटी रही। चूंकि मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर पर नहीं थी इसलिए केंद्रीय बैंक द्वारा कठोर मौद्रिक नीति का रुख अपनाया गया। मई 2013 में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) द्वारा मौद्रिक विस्तार में कमी करने के संकेतों के बाद रुपए के मूल्य में हुई कमी ने भी महंगाई की स्थिति पर असर डाला। रुपया बेलगाम गिरता रहा और अगस्त के अंत तक ₹ 68 के निम्न स्तर तक आ गया। लेकिन, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर शीघ्र कार्रवाई की और इसकी अस्थिरता एवं सट्टेबाजी को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के स्तरों को नीचे लाने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है और इसने 2013-14 की चौथी तिमाही में उच्च दरें बनाई रखी हैं। भविष्य में देखें तो, भारत में थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों के कम होने की संभावना है जिससे मौद्रिक सुलभता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हालांकि, भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार सामान्य से कम मानसून की भविष्यवाणी एल-निनो के प्रभाव, कच्चे तेल और गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों को पास-श्रू करने में बढ़ोतरी और विनिमय दर की अस्थिरता के कारण मुद्रास्फीति की संभावना का खतरा बरकरार है।

मुद्रास्फीति संबंधी रूझान

4.2 जैसाकि सरकार द्वारा सख्त मौद्रिक नीति अपनाए जाने से पता चलता है, 2013-14 के दौरान भारत में मुद्रास्फीति की उच्च दर बनी रही तथा यह स्थिति भारतीय रिजर्व बैंक के लिए संतोषजनक नहीं थी। विभिन्न मुद्रास्फीति सूचकांकों का तुलनात्मक विवरण सारणी 4.1 में दिया गया है।

4.3 हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति जो व्यापार योग्य थोक वस्तुओं या सेवाओं के मूल्यों को प्रदर्शित करती है, पिछले दो वर्षों के दौरान के 7 और 9 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 2013-14 में 5.98 प्रतिशत के कम स्तर पर पहुंच गई। (सारणी 4.1)



वर्ष	डब्ल्यूपीआई	सीपीआई-आई डब्ल्यू	सीपीआई-आई डब्ल्यू
2011-12	8.94	8.39	-
2012-13	7.35	10.44	10.21
2013-14	5.98	9.68	9.49

स्रोत : आर्थिक सहायकार का कार्यालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), श्रम ब्यूरो, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी : डब्ल्यूपीआई का अर्थ थोकमूल्य सूचकांक; सीपीआई-आई डब्ल्यू का अर्थ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक; तथा सीपीआई-एनएस का अर्थ सीपीआई नई श्रृंखला है।

सारणी 4.1 : वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

चित्र 4.1 : डब्ल्यूपीआई और सीपीआई-आई डब्ल्यू मुद्रास्फीति

स्रोत : आर्थिक सहायकार का कार्यालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और श्रम ब्यूरो

ऐसा आर्थिक मंदी के दौर के बाद विश्वभर में मांग के कमजोर पड़ने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के मूल्यों में कमी आने और साथ ही सब्जियों के मूल्यों में मौसम जन्य कारणों से अधिक कमी होने के कारण हुआ।

4.4 जैसाकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति से ज्ञात होता है, खुदरा मूल्यों में वृद्धि 2011 से लगभग 8 प्रतिशत से ऊपर के स्तर पर बनी हुई है तथा यह वृद्धि 2012-13 में 10 प्रतिशत से भी अधिक के स्तर पर पहुंच गई। यह रुझान खाद्य पदार्थों के मूल्यों में काफी हद तक उच्च और स्थिर वृद्धि बने रहने के कारण उत्पन्न हुआ जिसमें 2013-14 की चौथी तिमाही में ही मामूली कमी देखी गई जिससे वित्त वर्ष 2013-14 के आखिरी समय में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में मामूली कमी आई और मूल्य वृद्धि की दर 9 और 10 प्रतिशत के बीच रही। चित्र 4.1 में डब्ल्यूपीआई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) श्रृंखला के बीच अंतर तथा चित्र 4.2 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-नई श्रृंखला (सीपीआई-एनएस) में वृद्धि दर्शाई गई है।

4.5 खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि 2011 से ही मुद्रास्फीति का मुख्य कारण रही है। मौसमजन्य कारणों से खाद्य पदार्थों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई तथा 2013-14 के आरंभ में बढ़कर दो अंकों पर पहुंच गई किंतु कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि तथा सामान्य एवं सुवितरित मानसून के कारण अंतिम तिमाही में घटकर औसतन 6.22 प्रतिशत (डब्ल्यूपीआई) और 9.22 प्रतिशत (सीपीआई एनएस) के स्तर पर पहुंच गई। डब्ल्यूपीआई तथा सीपीआई मुद्रास्फीति में अंतर मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में खाद्य वस्तुओं को उच्च महत्व दिए जाने के कारण है।


थोक मूल्यों में वृद्धि का रुझान

4.6 डब्ल्यूपीआई और उप-सूचकांकों में वृद्धि की वार्षिक और तिमाही दरें सारणी 4.2 में दर्शाई गई हैं। 2013-14 में हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में सबसे अधिक योगदान खाद्य पदार्थों तथा ईंधन के मूल्यों से हुआ है (चित्र 4.3)


	समग्र खाद्य वस्तुएं	संयोजित खाद्य वस्तुएं	एनएफएम उत्पाद (कोर)	ईंधन तथा विद्युत
भारंश	100	24.31	55.00	14.91
वार्षिक मुद्रास्फीति				
2011-12	8.94	7.24	7.28	13.96
तिमाही मुद्रास्फीति				
2012-13 Q1	7.54	9.12	5.15	11.90
2012-13 Q2	7.87	9.07	5.71	9.72
2012-13 Q3	7.29	8.89	4.70	10.62
2012-13 Q4	6.74	10.02	3.95	9.22
2013-14 Q1	4.84	7.71	2.58	7.70
2013-14 Q2	6.63	11.83	2.36	11.92
2013-14 Q3	7.05	11.95	3.08	10.83
2013-14 Q4	5.38	6.22	3.74	10.11

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी

टिप्पणी : एनएफएम: गैर खाद्य विनिर्मित पदार्थ



स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी



स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

चित्र 4.2 : सीपीआई-एनएस (संयोजित) मुद्रास्फीति

सारणी 4.2 : डब्ल्यूपीआई और उप-सूचकांकों में व्याप्त मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

चित्र 4.3 : डब्ल्यूपीआई खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति

4.7 डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति 2013-14 के दौरान निरंतर उच्च स्तर पर बनी रही तथा तीसरी तिमाही में 11.95 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। यह स्थिति अनाज, सब्जियों, अंडों, मछली और मांस (ईएफएम) के मूल्यों में उच्च वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई (सारणी 4.3)। फलों और सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि मुख्य रूप से मौसमी कारणों से हुई।

4.8 ईएफएम के मूल्यों से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इनकी उच्च मांग प्रदर्शित हुई। अनाज के मूल्यों में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी तथा कृषि लागत में वृद्धि होने के कारण हुई। इनमें से 2013-14 की चौथी तिमाही में फलों और सब्जियों के मूल्यों में सबसे अधिक तेजी से कमी आई जिससे उस तिमाही में समग्र खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 6.22 प्रतिशत रह गई। मुद्रास्फीति उत्पन्न करने वाले संरचनात्मक और नीति संबंधी कारणों का अभी समाधान किया जाना है (बॉक्स 4.1)

अनाज, सब्जियां तथा अंडे, मछली और मांस के मूल्यों में वृद्धि 2013-14 में खाद्य मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि में प्रमुख कारण रही।

	प्राथमिक विनिर्मित खाद्य वस्तुएं					विनिर्मित खाद्य वस्तुएं	
	अनाज	दालें	सब्जियां	दूध	ईएफएम	चीनी	खाद्य तेल
भारोश	3.37	0.72	1.74	3.24	2.41	1.74	3.04
वार्षिक मुद्रास्फीति							
2011-12	3.86	2.52	-1.95	10.31	12.73	5.10	12.55
तिमाही मुद्रास्फीति							
2012-13 तिमाही1	6.36	16.20	53.79	11.56	17.12	5.16	10.35
2012-13 तिमाही2	11.06	30.68	8.34	7.05	14.63	15.40	10.82
2012-13 तिमाही3	17.73	18.30	-0.15	6.23	13.33	14.67	9.44
2012-13 तिमाही4	18.36	13.56	14.64	4.49	11.67	9.98	6.05
2013-14 तिमाही1	16.45	5.92	4.70	4.19	11.45	7.56	0.99
2013-14 तिमाही2	15.53	-11.94	72.08	4.93	15.15	-3.48	-2.60
2013-14 तिमाही3	10.91	-9.33	79.18	6.51	13.73	-7.19	-0.31
2013-14 तिमाही4	9.08	-5.08	7.36	8.49	10.79	-5.53	-1.14

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी

सारणी 4.3 : खाद्य पदार्थों के डब्ल्यूपीआई के उपसमूहों में वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

बॉक्स 4.1 : मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए सरकार की प्राथमिकताएं

मुद्रास्फीति अर्थात् कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीति में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना अपेक्षित है:


- बाजार मूल्य को अपनाना:** इस तथ्य के प्रति सजग रहना महत्वपूर्ण है कि डीजल मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने, विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने, तथा आमतौर पर लागू मूल्यों के बजाय बाजार द्वारा निर्धारित मूल्यों को अपनाने से शीघ्र ही छिपी हुई मुद्रास्फीति से मुक्ति मिल जाएगी। बावजूद इसके, सब्सिडी तथा राजकोषीय घाटे में परिणामी कमी के कारण मुद्रास्फीति में कमी होने का उल्लेखनीय प्रभाव सामने आएगा।
- सार्वजनिक कार्यक्रमों की दक्षता में सुधार लाना तथा मजदूरी-मूल्य के अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि पर रोक लगाना:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) जैसी स्कीमों के लिए चुनी गई परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र से उत्पादन में अनुपातिक विकास नहीं हो पा रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत बढ़ती हुई मजदूरी के कारण कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी और साथ ही इससे मजदूरी-मूल्य के अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इसका समाधान यह है कि महात्मा गांधी नरेगा स्कीम जैसे महत्वाकांक्षी सार्वजनिक नीतिगत कार्यक्रमों के लिए उत्पादन बढ़ाने वाली परियोजनाओं का चयन किया जाए।
- किसानों के लिए सरकारी सहायता को तर्कसंगत बनाना:** यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य और अधिप्रापण के माध्यम से किसानों की सहायता करने की नीति को जारी रखा जाना है तो इसके लिए आवश्यक है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को सोच-समझकर उत्पादन लागत से जोड़ा जाए। अधिप्रापण के लिए एक निश्चित सीमा या प्रतिबंध का होना आवश्यक है तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा 14-15 प्रतिशत तक मंडी शुल्क/कर वसूल करने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर उच्च राशि का बोनास भुगतान करने को रोका जाना चाहिए। अनुभवों से यह ज्ञात होता है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अपनी आर्थिक लागत को वसूल करते हुए अनाज के मूल्यों को कम करने के लिए बाजार में पर्याप्त स्टॉक जारी करने में सफल नहीं रहा है। जबकि किसानों को निर्यात पर प्रतिबंधों को धीरे-धीरे कम करते हुए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है, वहीं एफसीआई को बाजार से अधिक दक्षतापूर्वक स्टॉक अधिप्राप्त करने तथा वायदा व्यापार के जरिए जोखिम प्रबंधन करने के बारे में जानने की आवश्यकता है।
- एपीएमसी अधिनियमों की भूमिका:** राज्य एपीएमसी अधिनियमों के कारण एकाधिकार सृजित हुआ है तथा वितरण में अदक्षता की स्थिति उत्पन्न हुई है। इनके कारण कृषि वस्तुओं के लिए एक राष्ट्रीय बाजार सृजित करने के मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है। इस एकाधिकार को समाप्त करने तथा राज्य सरकारों को एपीएमसी को राजस्व प्राप्ति के लिए उदार स्रोत के रूप में मानने से रोकने के साथ ही निजी क्षेत्र में, जहां मध्यवर्ती स्तरों में कमी लाने की संभावना रहती है, वैकल्पिक व्यापारिक मंच स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रचार किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि इस कार्य में समय लग सकता है, अतः फलों और सब्जियों को तत्काल एपीएमसी अधिनियम के दायरे से बाहर किया जाए। प्रोसेसर को इस बात की सक्षमता प्रदान की जाए कि वह एपीएमसी के अंतर्गत किसी मंडी शुल्क कर का भुगतान किए बिना ही किसानों से सीधे खरीद कर सके।
- सरकारी घाटे की भूमिका:** राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अंतर्गत कड़े समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करके राजकोषीय घाटे को कम किया जाए।

ईंधन की मूल्य वृद्धि-नियंत्रणमुक्त करने और रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव

4.9 पिछली तीन तिमाहियों में ईंधन की मूल्य वृद्धि दो अंकों में बनी रही जो काफी हद तक वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल, विनिमय दरों और लागू मूल्यों में परिवर्तन के कारण हुआ। तेल विपणन कंपनियों को 50 पैसे प्रतिमाह तक डीजल का खुदरा मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी गई। विशेषकर अनेक राज्यों में बिजली प्रशुल्क को संशोधित करने और उसमें वृद्धि करने तथा वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल मूल्यों तथा रुपये के अवमूल्यन में वृद्धि होने, जो विशेषकर अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा मई 2013 में अपने निवेश को क्रमिक रूप से कम करने की घोषणा किए जाने बाद हुई, के कारण हाई स्पीड डीजल जैसे अनेक उप संघटकों के घरेलू मूल्यों में वृद्धि हुई।


4.10 गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं में मूल्यवृद्धि अर्थात् कोर मुद्रास्फीति वर्ष भर 2.5-3.5 प्रतिशत के आस-पास बनी रही जिसका कारण अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी तथा विकास की दर घट जाना है। खाद्य पदार्थों तथा ईंधन के मूल्यों में वृद्धि से भिन्न एनएफएम में मूल्यवृद्धि अंशतः आधार प्रभाव के कम होने तथा रसायनों, मशीनों और वस्त्र समूह के भीतर मुद्रास्फीति जन्य दबाव के कारण हुई (चित्र 4.4)

4.11 एचएसबीसी द्वारा मापित आदान मूल्य सूचकांक में अक्टूबर, 2013 में 64.5 के 16 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद गिरावट का रुख प्रदर्शित हुआ। क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) का निर्गम मूल्य सूचकांक, जिसका डब्ल्यूपीआई कोर मुद्रास्फीति से सुदृढ़ सहसंबंध है, में पिछले कुछ महीनों के दौरान कुछ कमी आने के पश्चात् मई 2014 में वृद्धि प्रदर्शित हुई जो आगामी महीनों के दौरान कोर मुद्रास्फीति पर दबाव में वृद्धि का सूचक है (चित्र 4.5)।



स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी

चित्र 4.4 : डब्ल्यूपीआई-कोर में अंशदान (2013-14)



स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी और एचएसबीसी

चित्र 4.5 : निविष्टि/निर्गम मूल्य सूचकांक और डब्ल्यूपीआई-कोर

उपभोक्ता वस्तुओं की मूल्य वृद्धि संबंधी रुझान

4.12 वर्ष के अधिकांश महीनों के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति दो अंकों के आस-पास बनी रही। सीपीआई-एनएस (संयोजित) मुद्रास्फीति, जो 2013-14 की तीसरी तिमाही में 10.40 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर थी, चौथी तिमाही में खाद्य पदार्थों के मूल्यों के तेजी से घटकर 8.37 प्रतिशत हो जाने के कारण कुछ कम हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिवर्तनशील मुद्रास्फीति को लक्षित करने हेतु एक ढांचे के लिए सीपीआई-एनएस को एक सांकेतिक स्थिरक के रूप में प्रयोग में लाने का निर्णय लिया है (बॉक्स 4.2)। 2013-14 की तीसरी तिमाही से शहरी सीपीआई-एनएस मुद्रास्फीति की तुलना में ग्रामीण मुद्रास्फीति की दर उच्च बनी हुई है।


4.13 आमतौर पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान सीपीआई-एनएस (संयोजित) में लगभग 50 प्रतिशत मुद्रास्फीति खाद्य क्षेत्र में हुई है। सीपीआई-एनएस खाद्य मुद्रास्फीति के प्रेरक तत्व डब्ल्यूपीआई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी तत्वों के ही समान हैं जिसमें सब्जियों, अनाज और प्रोटीन मदों का योगदान 80 प्रतिशत से अधिक है।

हालांकि हेडलाइन सीपीआई-एनएस में 2013-14 की चौथी तिमाही में कमी आई है किंतु सेवा की अधिकता वाले संघटकों द्वारा दबाव के कारण अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतें अपरिवर्तित रहीं।

बॉक्स 4.2 मौद्रिक नीति ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए गठित उर्जित पटेल समिति

मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए 12 सितंबर 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर उर्जित आर पटेल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। इस समिति का मुख्य कार्य मौजूदा मौद्रिक नीति ढांचे को पारदर्शी और पूर्वानुमेय बनाने की दृष्टि से संशोधित और सुदृढ़ बनाने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों के संबंध में सुझाव देना था। समूह ने जनवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तथा देश में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशों की:

1. एक परिवर्तनशील मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण (एफआईटी) ढांचे के लिए सीपीआई (संयोजित) को एक सांकेतिक निर्धारक के रूप में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। सीपीआई का एक सांकेतिक निर्धारक के रूप में चयन मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित किया गया कि सीपीआई निकटता से जीवन निर्वाह लागत को प्रदर्शित करता है तथा अन्य निर्धारकों की तुलना में मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर अधिक प्रभाव डालता है।
2. मुद्रास्फीति की लक्ष्य दर 4 प्रतिशत हो तथा 2 प्रतिशत का सह्यता बैंड दो वर्ष की समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जाए।
3. लक्ष्य जोन का परिवर्तन पथ अंशकित किया जाए ताकि मुद्रास्फीति को 12 महीनों की अधिकतम अवधि में लगभग 10 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से कम करके 8 प्रतिशत तक तथा आगामी अधिकतम 24 महीनों की अवधि में 6 प्रतिशत तक किया जा सके।
4. प्रशासित मूल्यों तथा ब्याज दरों को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि ये मौद्रिक नीति के संचयन तथा मूल्य स्थिर को प्राप्त करने में बाधक के रूप में कार्य करते हैं।




चित्र 4.6 : सीपीआई-एनएम मुद्रास्फीति: ग्रामीण, शहरी और संयोजित

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

4.14 खाद्य तथा ईंधन में मुद्रास्फीति अर्थात् कोर मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई-एनएस मुद्रास्फीति स्थिर तथा निरंतर बनी रही जिसका कारण सेवा-संचलित संघटकों जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा, घरेलू वस्तुओं तथा अन्य क्षेत्रों से दबाव कम होना है। सीपीआई सेवाओं के संबंध में उच्च मुद्रास्फीति से मजदूरी के दबाव की भूमिका और अन्य द्वितीय-दौर के प्रभाव को दर्शाता होता है।

आवास सूचकांक

4.15 आवास निर्माण जिसकी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में समग्र मुद्रास्फीति में 10 प्रतिशत भागीदारी है, में हाल के महीनों में कुछ कमी आई है। (चित्र 4.7)। राष्ट्रीय आवास निर्माण बैंक (एनएचबी) रेसीडेक्स जो आवासीय इकाइयों के मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला एक तिमाही सूचकांक है, इसी प्रकार के रुझान को प्रदर्शित करता है।



स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

चित्र 4.7 : सीपीआई-एनएस आवास-निर्माण क्षेत्र में मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति की संभावनाएं

4.16 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए परिवारों के तिमाही मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण में 3 महीने पहले और 1 वर्ष पहले की अवधियों के संबंध में

श्रेणी	3 माह		1 वर्ष	
	सितंबर 2013	मार्च 2014	सितंबर 2013	मार्च 2014
सामान्य	87.3	89.2	92.5	94.1
खाद्य उत्पाद	84.3	88.6	89.0	93.8
गैर खाद्य उत्पाद	77.5	80.6	80.9	87.5
घरेलू टिकाऊ वस्तुएं	73.6	70.5	80.1	81.5
आवास निर्माण	81.9	85.5	87.3	91.6
सेवाएं	74.9	83.1	82.8	90.4


स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 4.4 : मुद्रास्फीति की संभावनाएं

परिवारों की मुद्रास्फीति को शामिल किया गया है। इसमें अल्पावधिक मुद्रास्फीति दबाव के संबंध में उपयोगी सूचना प्राप्त होती है क्योंकि यह वैयक्तिक उपभोग आंकड़ों पर आधारित होता है। सारणी 4.4 से यह ज्ञात होता है कि सितंबर 2013 और मार्च 2014 के बीच की 6 महीने की अवधि में 3 महीने और 1 वर्ष में मूल्य वृद्धि की संभावना व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत में मामूली वृद्धि हुई है।

वैश्विक वस्तुओं के मूल्यों के अपरिवर्तित बने रहने की संभावना है

4.17 2013-14 के दौरान वैश्विक स्थिति में सुधार जारी रहा और आशा है कि इसमें 2014-15 के दौरान और सुधार होगा। तथापि हाल में विश्व के अनेक भागों में उत्पादन में अधिक वृद्धि और सुधार की अस्थिर प्रकृति के कारण विश्वस्तर पर वस्तुओं के मूल्यों



स्रोत: आईएमएफ

में कमी आई है। वायदा बाजारों से ज्ञात होता है कि अधिकांश वस्तुओं के मूल्य गेहूं, कॉफी और मक्का की संभावना आगामी 12 महीनों (चित्र 4.8) में घट रही हैं या अपरिवर्तित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मई 2014 में जारी कमोडिटी प्राइस आउटलुक एंड रिस्क में इसी प्रकार की टिप्पणी की गई है। उपयुक्त आपूर्ति के कारण अन्य ईंधन मूल्यों में कमी आने की संभावना है जबकि सोना का वायदा मूल्य अपरिवर्तित रहा है। चीन द्वारा मांग में कमी आने की आशंका के कारण आगामी वर्ष के दौरान तांबे के मूल्य में कमी आने की आशा है।

4.18 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अप्रैल 2014 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में अनुमान लगाया गया है कि विश्व के उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों में 2014 और 2015 के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि क्रमशः 1.5 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत रहेगी (जबकि 2013 में 1.4 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई थी) तथा उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों (ईएमडीई) में मूल्य वृद्धि 2014 और 2015 में क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत रहने की संभावना है (2013 में यह आंकड़ा 5.8 प्रतिशत था)। भारत सहित विकासशील देशों में खाद्य वस्तुओं तथा ईंधन सहित अन्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि में कमी होने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति की संभावना

4.19 आर बी आई ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को जनवरी, 2015 तक लगभग 8 प्रतिशत तथा जनवरी, 2016 तक 6 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जहां तक थोक मूल्य सूचकांक का संबंध है यद्यपि कतिपय खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि तथा वैश्विक वस्तुओं (कच्चा तेल, तिलहन) के मूल्यों में वृद्धि के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में 6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, इसके वर्ष 2014 के अन्त तक कम होने की संभावना है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार 2014-15 के दौरान विश्वभर में प्रयोग में लाई जाने वाली अधिकांश वस्तुओं की कीमत में कोई विशेष बदलाव न होने की आशा है जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों तथा भारत सहित विकासशील देशों में मूल्यवृद्धि में कमी आने का संकेत है।


चित्र 4.8 : आईएमएफ वस्तु संभावनाएं

हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के 2014 के अंत तक नरम होने की संभावना है। तथापि, संभावित असामान्य मानसून और कच्चे तेल की अधिक कीमत से खतरे की संभावना है।

4.20 जैसे ही मुद्रास्फिति कम होती है यह आशा की जाती है कि आरबीआई और अधि क अनुकूल रवैया अपनाएगा और मुद्रास्फिति कम करेगा। हालांकि वर्ष 2014-15 के दौरान सामान्य से कम मानसून होने की संभावना और इराक में संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों का प्रभाव इस दृष्टिकोण में सबसे बड़ा जोखिम है। मौसम विभाग ने 70 प्रतिशत स्थिति के विपरीत चक्र की संभावना के कारण लंबी अवधि के औसतन मौसम के आधार पर 93 प्रतिशत सामान्य से भी कम मानसून होने का पूर्वानुमान लगाया है।

मौद्रिक प्रबन्ध

4.21 धीरे-धीरे मौद्रिक स्थिति को सुखद बनाने का सिलसिला, जिससे एक तरफ जहां वित्त वर्ष 2013-14 की शुरूआती अवधि में स्फीतिकारी दबाव कुछ कम हुए हैं, मुद्रा बाजार के स्थयीकरण की अधिक आवश्यकता से बाधित हुई है। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट में 25 आधार बिन्दु की कटौती के साथ वित्त वर्ष 2013-14 की शुरूआत की। मई 2013 में पूंजी वर्हिवाहों में अचानक तेजी आने से हुई वृद्धि के कारण रुपए का तेजी से अवमूल्यन हुआ जिसके बाद यूएस फेड के प्रमाणात्मक सस्ती मुद्रा (त्वरित अनुमान) कार्यक्रम में मुद्रा को नियंत्रित करने की संभावना के संकेत दिखाई दिए। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई माह के अल्पावधिक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की और विदेशी मुद्रा बाजार में फिर से स्थिरता बहाल करने के लिए घरेलू मुद्रा बाजार नकदी पर नियंत्रण किया (चित्र 4.9)



चित्र 4.9 : प्रमुख नीति दरों पर एक नजर

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

4.22 मध्य जुलाई 2013 में किए गए बड़े उपाय इस प्रकार हैं:

1. सीमान्त स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दरें 200 आधार बिन्दु तक 10.25 प्रतिशत बढ़ाई गई जिससे रेपो एमएसएफ कॉरीडोर व्यापक हुआ।
2. दैनिक एमएसएफ उधार अधिक सांविधिक नकदी अनुपात धारिता के विरुद्ध असीमित पहुंच की पहले की परिपाटियों के मुकाबले संबंधित बैंकों के निबल मांग और समय देयता (एनडीटीएफ) के 0.5 प्रतिशत पर सीमित किया गया
3. बैंकों के लिए न्यूनतम दैनिक नकदी-आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) अपेक्षा 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी गई थी।
4. नकदी प्रबंधन हुंडियों (सीएमबी) की साप्ताहिक नीलामियां भी मुद्रा बाजारों से नकदी की निकासी के लिए आयोजित की गई थीं।

4.23 इन उपायों ने शीघ्रवधि ब्याज-दर को बढ़ाकर एमएसएफ दर तक पहुंचा दिया, जिसका कारण नीति उद्देश्य की तर्ज पर प्रभावी नीति दर के रूप में एमएसएफ दर को अपनाना था। विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिर हास का अनुसरण करते हुए, रिजर्व बैंक ने एफओएमसी द्वारा यह निर्णय लेने के पश्चात् कि सितम्बर में यथाअनुमानित क्यूई कार्यक्रम को धीरे-धीरे कम नहीं किया जाएगा, अंशांकित तरीके से विशिष्ट उपायों


का सामान्य बनाना प्रारंभ किया। ब्याज-दर कॉरिडोर का साधारण मौद्रिक नीति प्रचालनों तक पुनर्निर्माण किया गया था, जिसके तहत 20 सितम्बर, 2013 से अक्टूबर, 2013 के बीच एमएसएफ दर को तीन चरणों में 8.75 प्रतिशत तक घटाया गया जबकि मुद्रास्फ़ीति और मुद्रास्फ़ीति अनुमानों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुनर्खरीद दर को प्रत्येक 25 आधार बिन्दुओं के दो चरणों में बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत तक किया गया था।

4.24 बैंकों द्वारा अनुरक्षित न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष को उन्हें मुहैया कराए गए लिखत अपेक्षा के 99 प्रतिशत से कम करके 95 प्रतिशत किया गया था ताकि बैंकों को उनकी नकदी स्थिति के बेहतर अनुरक्षण के लिए लोच उपलब्ध कराई जा सके। अतिरिक्त नकदी-वृद्धि उपाय के रूप में और अवधिक मुद्रा बाजार का विकास करने के लिए, आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत की समकक्ष धनराशि हेतु, अक्टूबर 2013 में 7-दिवसीय और 14-दिवसीय अवधि वाली विभिन्न दर अवधिक पुनर्खरीदें शुरू की थीं। सीआरआर और एसएलआर दरें वर्षभर समान बनी रहीं (सारणी 4.5)।

4.25 भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फ़ीति अनुमानों को स्थिर बनाने और दूसरे चरण के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए, इसकी तीसरी तिमाही समीक्षा के भाग के रूप में मुद्रास्फ़ीति के जोखिमों के कारण पुनर्खरीद दर को 25 आधार बिन्दु बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया। यह प्रयास अवस्फ़ीतिकारी मार्ग पर अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रूप से अग्रसर करने के उद्देश्य से किया गया था।

मौद्रिक संचय में प्रवृत्तियाँ

4.26 वर्ष 2013-14 के दौरान नकदी संबंधी नीतिगत उपायों को प्रतिबिम्बित करते हुए निवल घरेलू आस्तियों में तेजी आयी। बैंकों को अदला-बदली की सुविधा दी जाने की दृष्टि से गई विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआर (बी) जमा राशि के संघटन में बढ़ोतरी की गई जिससे समग्र जमा राशियों की वृद्धि को बढ़ावा मिला। चूंकि मार्च 2014 के अन्त में आरक्षित मुद्रा (एम₀) की वृद्धि में 14.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि स्थूल मुद्रा (एम₃) में 13.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई (चित्र 4.10)



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

आरक्षित मुद्रा

4.27 एम₀ में पिछले वर्ष में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 के दौरान आरक्षित मुद्रा में बढ़ोतरी का मुख्य कारण केन्द्र को दिया गया निवल आरबीआई ऋण था। यह वृद्धि मुख्यतः रेपो दर में भिन्न-2 मियादी दरों (जो अक्टूबर 2013 में आरंभ की गई थी) के कारण थी, एमएसएफ और खुले बाजार प्रचालनों के माध्यम से निवल खरीद, नकदी समायोजन

लिखत	2012-13	2013-14
		प्रतिशत में
सीआरआर	4.0	4.0
एसएलआर	23.0	23.0

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 4.5 : सीआरआर और एसएलआर दरें

चित्र 4.10 : एम₀ और एम₃ की त्रैमासिक वृद्धि

सुविधा (एलएफ) उधार की सीमा का अनुकरण करते हुए इस नकदी समायोजन सुविधा के अन्तर्गत प्रचालनों में कमी करके आंशिक तौर पर प्रति संतुलित करने और रिजर्व बैंक के साथ सरकारी संतुलन बनाने के कारण थी।

4.28 पुनर्मूल्यन लाभ के कारण निवल विदेशी आस्तियों में तेजी से हुई बढ़त से निवल घरेलू आस्तियां बढ़ी हैं। (एनडीए) (चित्र 4.11) इससे एम0 में और अधिक संतुलित एनडीए-एनएफए के मिश्रित नेतृत्व को फिर से लाने में मदद मिली है। पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित करने से एनएफए में 2012-13 के मुकाबले 2013-14 में 3.5 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

संकेतक	वर्ष 2013-14 में प्रतिशत परिवर्तन
एम ₃	13.3
आम जनता के पास करेंसी	9.4
बैंकों के पास मांग जमा पूंजी	6.9
बैंकों के पास कुल जमा पूंजी	14.7
‘भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां	-41.2

एम₃ में परिवर्तन के स्रोत

सरकार के पास निवल बैंक ऋण	12.6
वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक ऋण	13.9
बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	16.1
आम जनता के प्रति मुद्रा की निवल देयता	11.9
बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	12.3

ज्ञापन मर्दे

मुद्रा का वेग	1.2
निवल घरेलू आस्तियां	12.6
निवल घरेलू ऋण	13.4

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक


स्थूल मुद्रा (एम₃)

4.29 वर्ष 2013-14 के दौरान एम₃ की 13.3 प्रतिशत की वृद्धि दर मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक के 2013-14 के वार्षिक नीति विवरण में लगाए गए 13.0 प्रतिशत वृद्धि के सांकेतिक पूर्वानुमान के अनुरूप थी। हालांकि यह पिछले वर्ष के दौरान दर्ज की गई 13.6 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले मामूली सी कम थी। पिछले वर्ष की तुलना में स्थूल मुद्रा की वृद्धि में आई कमी मुख्यतः आम जनता के पास करेंसी में हुई कम वृद्धि तथा घटकवार मियादी जमा राशियां थीं।

4.30 वर्ष 2013-14 के दौरान आम जनता के पास करेंसी में पिछले वर्ष की 11.5 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 9.4 प्रतिशत की कमी आई। बैंकों के पास मांग जमा राशियों में पिछले वर्ष के दौरान 6.0 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 2013-14 में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि मियादी जमा राशियों की वृद्धि दर 14.0 प्रतिशत की तुलना में 13.9 प्रतिशत पर मामूली सी घटी। एम₃ के स्रोत पक्ष के संबंध में वर्ष 2013-14 के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण में हुई वृद्धि से पिछले वर्ष में 13.5 प्रतिशत से इस वर्ष में 13.9 प्रतिशत का सुधार दिखाई दिया (सारणी 4.6)

मुद्रा गुणक


4.31 मार्चान्त 2014 में मुद्रा गुणक (एम₃ से एम₀ का अनुपात) मार्च 2013 की तुलना में 5.5 पर अपरिवर्तित रहा (चित्र 4.12)। मौद्रिक स्थिति में और अधिक गिरावट हुई है जब एम₃ और संचयी घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात को मापा गया जो 2012-13 में 78.2 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 79.2 प्रतिशत हो गया (चित्र 4.13)।



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक


चित्र 4.11 : निवल विदेशी आस्तियों में वृद्धि

सारणी 4.6 : एम₃ में वृद्धि के स्रोत



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 4.12 : मुद्रा गुणक



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 4.13 : सकल घरेलू उत्पाद में चुनिंदा मौद्रिक समुच्चय

लगातार आए इस सुधार का श्रेय देश में फैलाई गई बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय क्षेत्र के विकास को दिया जा सकता है।

2013-14 में नकदी की स्थिति

4.32 वर्ष 2013-14 के पूर्वाद्ध में नकदी स्थितियां कठोर बनी हुई हैं जो मुख्यतः मुद्रा बाजार के दबावों को स्थिर करने के नीतिगत उद्देश्यों को प्रतिबिम्बित करती है। तथापि रिजर्व बैंक के साथ केन्द्रीय सरकार के बढ़ते नकदी शेष, त्रैमासिक अग्रिम, कर बहिर्वाह तथा त्योहार के समय मुद्रा के परिचालन में वृद्धि ने वर्ष 2013-14 में नकदी की कमी को और बढ़ाया है। नकदी की इस बदतर स्थिति, जिसने वित्तीय स्थितियों को प्रभावित किया है, पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ने ओएमओ खरीद नीलामी, ऑवरनाइट रेपो, एमएसएफ और रेपो की विनिमय मियादी दरों के माध्यम से नकदी उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए हैं।

4.33 वैसे भी रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाली निधियों में एनडीटीएल के 1.5 प्रतिशत अंश से बढ़ोतरी हुई जिसमें ओवर नाइट रेपो के अन्तर्गत एनडीटीएल का 0.5 प्रतिशत मियादी रेपो के अन्तर्गत एनडीटीएल का 0.5 प्रतिशत और एनडीटीएल लगभग 0.5 प्रतिशत निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा से बनता है। 2013-14 में बैंक एनएसएफ के जरिए किसी भी तरह के और अधिक नकदी घाटे को पूरा कर सकते हैं। बैंकों के विदेशों में उधार देने की आरबीआई की अदला-बदली सुविधा के अन्तर्गत तीव्र पूंजी अन्तर्वाहों तथा अनिवासी जमा निधियों (30 नवम्बर, 2013 तक प्रचालनरत) ने घरेलू नकदी को सुलभ करने में उल्लेखनीय रूप से मदद की है। ऋण जमा राशियों में वृद्धि के बीच के कम अन्तर ने भी नकदी स्थिति को बेहतर किया है।

नकदी प्रबन्धन

4.34 भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक स्थिति के अनुरूप वर्ष 2013-14 में सक्रियता से नकदी का प्रबन्धन किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान एलएएफ, ओएमओ, और सीआरआर के सही उपयोग करके सावधानीपूर्वक नकदी का प्रबंध करने का कार्य आरम्भ किया गया है। लगभग 52,000 करोड़ रुपये की निवल नकदी आउटराइट


अंतिम शुक्रवार को बकाया	नकदी अन्तःक्षेपन	केन्द्र का अधिशेष	कुल
		(हजार करोड़ रुपये में)	
2013-14 ति1	-76.19	-1.47	-77.66
2013-14 ति2	-121.04	31.34	-89.70
2013-14 ति3	-117.19	100.83	-16.36
2013-14 ति4	-218.0	109.40	-108.59

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

ओएमओ के जरिए अंतःक्षेपित की गई, इसके अलावा 91,800 करोड़ रुपये का औसत दैनिक निवल नकदी अन्तःक्षेपण एलएएफ, एमएसएफ और मियादी रेपो के जरिए किया गया (सारणी 4.7)।

4.35 वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही के मुकाबले 2013-14 की पहली तिमाही में नकदी स्थिति में सुधार आया, जो आरबीआई के पास सरकार के नकदी शेष में खासतौर से जून 2013 में आई कमी तथा जमा राशि और निर्यात वृद्धि के बीच का अन्तर उल्लेखनीय रूप से कम होने के कारण हुआ। वर्ष 2013-14 की दूसरी तिमाही में रिजर्व बैंक के कम्फर्ट के भीतर कायम नकदी घाटे के साथ, जुलाई 2013 के पूर्वाद्ध में नकदी स्थिति सन्तोषजनक स्तर पर बनी हुई है।


4.36 तथापि, घरेलू वायदा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता के बावजूद बाजार में सुलभ नकदी स्थिति को कुछ सीमा तक सुगम बनाया गया, रिजर्व बैंक ने नकदी कम करने के



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 4.14 खाद्य भिन्न ऋण और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जमा राशियों में वृद्धि

सारणी : नकदी प्रचालनों का संक्षिप्त विवरण



चित्र 4.15 : एलएएफ पर प्रतिबन्ध के बाद
एमएसएफ की ओर बढ़ना


स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

कतिपय उपायों की घोषणा की जैसे कि एलएएफ के अन्तर्गत उधार की सीमा तय करना (चित्र 4.15), एमएसएफ की दर बढ़ाना और न्यूनतम दैनिक सीआरआर की आवश्यकता में बढ़ोतरी करना, जिसने अन्तर-बैंक नकदी को प्रभावित किया और जिसके कारण मुद्रा बाजार दर कठोर हुई और एमएसएफ के लिए बैंकों के संसाधनों में वृद्धि हुई।

4.37 इन उपायों के परिणामस्वरूप एलएएफ के अन्तर्गत औसतन दैनिक-नकदी अन्तःक्षेपण जुलाई 2013 से सितम्बर 2013 तक बढ़ा। जो मुख्यतः बैंकों के एमएसएफ के लिए संसाधनों में वृद्धि करने के कारण हुआ। आरबीआई के पास सरकारी नकदी शेषों में वृद्धि और अग्रिम कर बहिर्वाहों ने भी सितम्बर 2013 में प्रणाली में नकदी दबावों को और बढ़ाया। अग्रिम कर बहिर्वाह से होने वाले नकदी दबाव को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को एमएसएफ के जरिए दो दिवसीय निधि की पेशकश की (चित्र 4.16)।


4.38 अपनायी गई नीति की वजह से 2013-14 की दूसरी तिमाही के दौरान नकदी स्थिति खराब हो गई थी जो विशिष्ट मौद्रिक उपायों के धीरे-धीरे सामान्य हाने से अक्टूबर, 2013 में काफी सुखद हो गई। यद्यपि पर्व-त्यौहार के अवसर पर मुद्रा का प्रचालन बढ़ता है, नवम्बर, 2013 में इसकी उपलब्धता कम रखी गई, पूंजी अन्तर्वाह और ऋण वृद्धि धीमी होने के कारण घरेलू नकदी की स्थिति सुखद रही। नवम्बर के बाद मुद्रा बाजार में नकदी पर दबाव अधिकांशतः मौसमी था। अग्रिम कर अन्तर्वाह की वजह से दिसंबर 2013 और मार्च 2014 में नकदी की उपलब्धता कम रही। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक में अत्यधिक सरकारी शेष से फरवरी 2014 में नकदी की उपलब्धता कम हुई। (चित्र 4.17)

4.39 भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी और मार्च 2014 में सावधि रेपो के जरिए नकदी की कम उपलब्धता के प्रति अनुक्रिया की। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की कार्यात्मक प्रक्रिया को तत्काल रेपो प्रचालन से सावधि रेपो में बदलने की मंशा जाहिर




स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 4.16 : एमएसएफ के जरिए मासिक
नकदी अंतःक्षेपण



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 4.17 : आरबीआई के पास केन्द्र सरकार का
मासिक अधिशेष



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 4.18 : मुद्रा बाजार दरें

की है। उरिजीत पटेल समिति की रिपोर्ट में भी प्रचालनात्मक प्रक्रिया में इस परिवर्तन की सिफारिश की गई है और इस कदम से बैंकों को अपनी नकदी आवश्यकता संबंधी आयोजना बनाने में सहायता मिलनी चाहिए और मुद्रा बाजार को मजबूत बनाने, मौद्रिक नीति प्रसारण और अधिक बढ़ाने में भी सहायता मिलनी चाहिए।

मुद्रा बाजार दर

4.40 भारत में मुद्रा बाजार दर (चित्र 4.18) भारत औसत मांग मुद्रा दर का पता लगाते हैं और प्रचलित नीति दरों के लिए ये बाजार आधारित प्रतिपत्र होते हैं। इस सहसंबंध को देखते हुए मुद्रा बाजार दर प्रचलित नकदी स्थिति को दर्शाती है, जिसमें दरें नकदी स्तर के साथ विपरीत रूप से संबंधित होती हैं, मुद्रा बाजार दरें अप्रैल 2014 के दौरान नरम हुईं, जो नकदी की सहज स्थिति दर्शाती हैं।

केन्द्रीय सरकार का बाजार उधार

4.41 दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से भारत सरकार का सकल बाजार उधार के लिए 5,79,009 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था की गई थी, इसकी तुलना में 5,63,500 करोड़ रुपये बजटीय उधार कार्यक्रम का 97.32 प्रतिशत जुटाया गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांकित प्रतिभूतियों को सक्रिय रूप से सुदृढ़ करने की पहल की। वित्तीय वर्ष 2014-15 में उन्मोचन दबाव को कम करने के लिए 31,672 करोड़ रुपये के लिए संस्थागत निवेशकों के साथ सरकारी प्रतिभूतियों में भारी परिवर्तन के कार्य किए गए।


4.42 मार्च 2014 में 15590 करोड़ रुपये की दो वापसी खरीद नीलामी की गई। वापसी खरीद और कायापलट के कार्य भविष्य में बढ़ते उन्मोचन के दबाव को कम करने के लिए किए गए और ऋण सुदृढ़ीकरण के अलावा उधार कार्यक्रम पर इसके अच्छे प्रभाव पड़ने की आशा है। 2013-14 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों का भारत प्रतिफल 8.45 प्रतिशत है जबकि 2012-13 के दौरान यह 8.36 प्रतिशत था। भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के प्रारंभिक निर्गमों का माह-वार संचयी भारत औसत प्रतिफल चित्र 4.19 में दिया गया है।

4.43 2013-14 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत परिपक्वता पिछले वर्ष के दौरान 13.50 वर्षों से बढ़कर 15.05 वर्ष हो गई। 2013-14 के दौरान 17,451 करोड़ रुपये के 26 निर्गमों का हस्तांतरण किया गया जबकि 2012-13 में 1,823 करोड़ रुपये के 3 निर्गमों का हस्तांतरण किया गया था, जो विशेषकर जुलाई-सितम्बर 2013 के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है।

राजकोषीय हुण्डियां

4.44 मार्च अंत 2014 में 91 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों की बकाया राशि क्रमशः 1,2,761 करोड़ रुपये, 76,417 करोड़ रुपये और 1,36,956 करोड़ रुपये थी। 2013-14 के दौरान राजकोषीय हुण्डियों का निवल निर्गम 39,371 करोड़ रुपये है जबकि 2012-13 में यह 32,771 करोड़ रुपये था।

4.45 पिछले वर्ष की तुलनीय अवधि के दौरान 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों के लिए औसत अप्रत्यक्ष प्रतिफल 2013-14 के दौरान 90 आधार बिन्दु बढ़ा जैसाकि सारणी 4.8 में दर्शाया गया है। विनिमय दर की अस्थिरता कम करने के लिए 13वें अवसर पर जुलाई सितंबर 2013 के दौरान 107,195 करोड़ रुपये के लिए नकदी प्रबंधन हुण्डियां जारी की गईं। नकदी प्रबंधन हुण्डियों का प्रतिफल 10.36 प्रतिशत से 12.28 प्रतिशत था।



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 4.19 : प्राथमिक निर्गमों की संचयी भारत औसत प्राप्ति

राजकोषीय हुण्डियां	2012-13	2013-14
पतिशत में		
91 दिन	8.19	8.86
182 दिन	8.01	8.86
364 दिन	7.79	8.89

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 4.8 : राजकोषीय हुण्डियों के लिए औसत अप्रत्यक्ष प्रतिफल

राज्य सरकारों द्वारा बाजार उधार

4.46 राज्य सरकारों ने 2013-14 के दौरान सकल आधार पर 1,96,664 करोड़ रुपए जुटाया जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि 1,77,239 करोड़ रुपए थी। 2013-14 में निवल बाजार उधार 1,64,585 करोड़ रुपए है जबकि पिछले वर्ष यह 1,46,451 करोड़ रुपए था। राज्य उधारों के लिए भारित औसत प्रतिफल भारित औसत विस्तार 2013-14 में मामूली रूप से बढ़ा (सारणी 4.9)।

नकदी प्रबंध

केन्द्रीय सरकार

4.47 केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2013-14 की शुरुआत 16,604 करोड़ रुपए के अधिशेष नकद शेष के साथ की परन्तु तुरन्त ही 12 जून 2013 तक अपनी व्यय वचनवद्धता की वजह से अर्थोपाय अग्रिम की सहायता ली। 7 दिसम्बर, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक नकदी शेष सकारात्मक रहा। 2013-14 के दौरान 42 दिनों के लिए भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम पर आश्रित रही और 3 अवसरों पर 9 दिनों के लिए जमा रकम से अधिक की निकासी की, जबकि पिछले वर्ष 40 दिनों के लिए अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लेना पड़ा था। जमा रकम से अधिक कोई निकासी नहीं हुई। भारत सरकार के पास वित्तीय वर्ष के अंत में 128,442 करोड़ रुपए नकदी शेष था।

राज्य सरकार

4.48 पिछले वर्ष की तरह की वर्ष 2013-14 के लिए राज्य सरकारों के लिए कुल सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा 10,240 करोड़ रुपए रखा गया था। मौजूदा सीमा से 50 प्रतिशत सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा बढ़ायी गई और 11 नवम्बर, 2013 से 15,360 करोड़ रुपए की गई। वर्ष 2013-14 के दौरान 13 राज्यों ने अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लिया जबकि 2012-13 में 8 राज्यों ने अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लिया था। 12 राज्यों ने विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सहायता ली जबकि 2012-13 में 9 राज्यों ने यह सहायता ली थी और 2012-13 में 6 राज्यों की तुलना में 8 राज्यों ने जमा रकम की सहायता की।

सरकारी प्रतिभूति बाजार में घटनाक्रम

4.49 10 वर्षीय राजकोषीय हुण्डी प्रतिफल वक्र की दिशा दर्शाती है। 10 वर्षीय दरें भी सरकार का प्रोक्सी ऋण जोखिम हैं। बेंचमार्क 10 वर्षीय प्रतिफल (चित्र 4.20) भी अधिक चालू खाता घाटा और खुदरा मुद्रास्फीति की जो चिन्ताएं हैं इसकी वजह से मई 2013 के अंत में कठोर होने लगा।

4.50 समय से पहले बांड क्रय कार्यक्रम के क्षीण होने संबंधी 22 मई 2013 को एफओएमसी द्वारा संकेत मिलने के परिणामस्वरूप सरकारी प्रतिभूतियों की औने-पौने बिक्री हुई जिससे प्रतिफल कम मिला। 10 वर्षीय प्रतिफल 19 अगस्त 2013 को 9.27 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंचा और जुलाई-अगस्त 2013 में आशा से परे थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के कारण ओएमओ खरीद नीलामी की घोषणा होने के बावजूद उसी स्तर पर बना रहा। सितम्बर, 2013 में रेपो दर कठोर होने के कारण 10 वर्षीय प्रतिफल 8.83 प्रतिशत था जिसके बाद 8.5 और 9.0 प्रतिशत के दायरे में बना रहा।


मौद्रिक प्रबंध के लिए संभावना

4.51 भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नपा-तुला तरीका अपनाया, जिसका लक्ष्य विकास और मुद्रास्फीति के प्रबंधन के बीच संतुलन बनाना है। पण्य योग्य वस्तुओं पर कम होते वैश्विक मूल्य दबाव और विनिमय दर की अस्थिरता में कमी होने के चलते, आगामी वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति नरम हो सकती है। मौद्रिक प्रबंध संबंधी चुनौती का सामना करने में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण तथा आपूर्ति पक्ष की ऐसी बाधाओं को दूर करने से भी सहायता मिलेगी जो खाद्य वस्तुओं की मूल्य स्फीति बढ़ाते हैं। संभावना है कि ये सभी कारक मिलकर इस वित्त वर्ष के उत्तरार्ध में मौद्रिक सुलभता के लिए गुंजाइश पैदा करेंगे।

	2012-13	2013-14
		प्रतिशत में
भारित औसत प्रतिफल	8.84	9.18
भारित औसत बढ़त	0.71	0.75

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 4.9 : राज्य उधारों के लिए भारित औसत प्रतिफल भारित औसत बढ़त



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 4.20 : 10 वर्षीय राजकोषीय हुण्डियों पर प्रतिफल

अध्याय 5

वित्तीय मध्यस्थता

वित्तीय बाज़ार भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। वर्ष 2013-14 में उनका कार्य-निष्पादन अधिकांश मध्यवर्ती संस्थाओं के विकास में पिछले वर्षों की तुलना में आए धीमेपन को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र में परिसंपत्तियों की गुणवत्ता को लेकर चिंताओं में बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार ने संगत बाज़ार विनियामकों के साथ मिलकर वित्तीय समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण सहित इन चुनौतियों का संज्ञान लिया और वित्तीय बाज़ारों में नई चेतना फूंकने की दृष्टि से कई नीतिगत पहलें कीं। पीएफआरडीए अधिनियम तथा 2013-14 में एफएसएलआरसी रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण वित्तीय क्षेत्र के दूसरे चरण के सुधारों की दिशा में एक अहम मील का पत्थर हैं।

5.2 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उसकी वित्तीय प्रणाली एक अहम बुनियादी विकास आधार है। इसके केंद्र में संगठित वित्तीय व्यापार का कामकाज है। इन बाज़ारों से सरकार तथा बड़ी फर्मों द्वारा सीधे संसाधन जुटाया जाता है। कतिपय परिवार सीधे इस बाज़ार में निवेश करते हैं। वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं अन्य परिवारों को बाज़ार से जोड़ती हैं। वित्त यह निर्धारित करता है कि इस निवेश का आवंटन कार्य कौशल की दृष्टि से कैसे किया जाए। अतः वित्तीय पद्धति को मजबूत करने की अपेक्षा के अनुसार सोच-विचार करने के बाद उपाय किए गए हैं और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सर्वोत्कृष्ट पद्धतियों को अपनाया गया है।

5.3 वित्तीय क्षेत्र सुधारों की रफ्तार वित्तीय नवोन्मेष के साथ-साथ नहीं बढ़ी है। भारत में विनियामक दृष्टिकोण घटनाओं पर कार्रवाई करने का रहा है न कि सकारात्मक रहते हुए उनका पूर्वानुमान करने का।

5.4 तेजी से बदलते हुए विश्व में, वित्तीय नीति को भविष्य के उस भारत जो उसका जनमानस बनाना चाहता है, की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। सकारात्मक उपायों की अगली लहर संस्थागत बुनियादी ढांचे की मजबूती से गुजर कर जाएगी, जिसमें संगठन तथा कानून दोनों शामिल होंगे और वित्तीय प्रक्रियाओं में सुधार और परिमार्जन करते हुए तथा सोच-विचार करके लिए गए नीतिगत निर्णयों से एक ऐसे वैश्विक भारत का सृजन होगा जिसमें अधिक सुस्पष्टता, सुसंगतता और पारदर्शिता होगी। यह अध्याय भारतीय वित्त क्षेत्र की हाल की घटनाओं और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले गतिशील वित्तीय क्षेत्र के निर्माण में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को रेखांकित करता है।

	(प्रतिशत)	
	2012-13	2013-14
बैंक क्रेडिट	14.1	13.9
(क) खाद्य क्रेडिट	18.6	2.1
(ख) गैर-खाद्य क्रेडिट	14.0	14.2
औसत जमा राशि	14.2	14.1
(क) मांग जमा राशि	5.9	7.8
(ख) समय जमा राशि	15.2	14.8
निवेश	15.4	10.3
(क) सरकारी प्रतिभूति	15.5	10.4
(ख) अन्य अनुमोदित	-11.5	-33.6

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 5.1 : क्रेडिट जमा राशि तथा निवेश की संवृद्धि दर

बैंक क्रेडिट

कुल जमा, बैंक क्रेडिट, एवं निवेश

5.5 कुल जमा की संवृद्धि दर पिछले वर्ष की 14.2 की तुलना में 2013-14 में संतुलित होकर 14.1 हो गई (सारणी 5.1)। यह बढ़ोतरी मुख्यतः अनिवासी भारतीयों के द्वारा जमा की राशि में एक बड़ी अभिवृद्धि के कारण हुई। बैंक क्रेडिट में बढ़ोतरी 2012-13 में 14.1% की तुलना में 2013-14 में 13.9% तक बढ़ी। गैर-खाद्य क्रेडिट संवृद्धि 14% की तुलना में 14.2% हो गई। क्रेडिट संबद्ध उच्च जमा राशि पिछले वर्ष के 77.9% की तुलना में मार्च 2014 के अंत तक कुछ कम होकर 77.8% हो गई (चित्र 5.1)

5.6 वित्त वर्ष 2013-14 दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों द्वारा बैंक क्रेडिट में बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में मंदी थी। सरकार में व्यवसायिक बैंक निवेश पिछले वर्ष के 28.0% की तुलना में मार्च 2014 के अंत में 26.9% पर था जो कि धीमापन दर्शाता है। परिणामस्वरूप मार्च 2013 के अंत में 29.7% का निवेश जमा अनुपात मार्च 2014 के अंत में कम होकर 28.7% हो गया (चित्र 5.2)


अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की ब्याज दरें

5.7 भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक मूल्य सूचकांक महंगाई दर में कमी होने के कारण 2013-14 की प्रथम तिमाही के दौरान मुद्रा नीति में कमी की तथा 3 मई 2013 को रेपो दर में 25 बेसिस पाइंट की कटौती करते हुए उसे 7.25% कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2013-14 की द्वितीय तिमाही में 15 जुलाई 2013 को घोषित अपनी मुद्रा नीति में असाधारण बढ़ोतरी की ताकि विदेशी मुद्रा में अत्यधिक अस्थिरता से निपटा जा सके। विदेशी मुद्रा में स्थिरता आने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 सितम्बर, 2013 से धीरे-धीरे अपने असाधारण उपायों को वापस लेना आरंभ कर दिया। ब्याज दर को सामान्य मुद्रा नीति के अनुरूप बनाने का कार्य मार्जिनल स्टैण्डिंग फेसिलिटी रेट (एमएसएफ) के साथ तीन चरणों में 10.25% से 8.75% करते हुए पूरा किया गया जबकि महंगाई दर में कमी लाने की दृष्टि के साथ-साथ रेपो दर को 25 बेसिस पाइंट के दो मर्तबा किए उपाय से बढ़ाकर उसे 7.75% कर दिया गया। मुद्रास्फीति के उच्च स्तर तथा स्फीति की संभाव्यता के मद्देनजर जनवरी 2014 में मुद्रा नीति दर में 25 बेसिस पाइंट की बढ़ोतरी करते हुए उसे 8% कर दिया गया।

घरेलू आवधिक जमा तथा उधार की ब्याज दर


5.8 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने इस नीतिगत उपाय की प्रतिक्रिया में अपने जमा तथा उधार की ब्याज दर समायोजित की (सारणी 5.2)। वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 की प्रथम तिमाही के दौरान मुद्रा नीति में राहत के कारण बैंकों द्वारा बकाया रुपये के आधार पर औसत भारित उधार की ब्याज दर में 2013-14 की पहली तिमाही में क्रमशः 37 बेसिस पाइंट और 7 बेसिस पाइंट की कमी आई जबकि मध्यम अवधि क जमा दर में 32 बेसिस की बढ़ोतरी हुई। (सारणी 5.3)

5.9 वर्ष 2013-14 की द्वितीय तिमाही में आरबीआई द्वारा उठाए गए असाधारण कदमों के कारण सितंबर, 2013 तक जमा तथा उधार की ब्याज दरों में मजबूती आई। वर्ष के दौरान ब्याज की आधार दर अनुदार बनी रही जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मध्यम अवधि दर में 35 बेसिस पाइंट की बढ़ोतरी हुई। बैंकों की जमा तथा ब्याज के उधार पर मुद्रा नीति का मुद्रा बाजार दर नीति की तुलना में कम असर होता है जोकि क्रेडिट बाजार की संरचनात्मक कठोरता का प्रदर्शित करता है। क्रेडिट बाजार पर मुद्रानीति के सीधे-सीधे असर के सम्मुख अवरोध बनने वाले तत्वों में नियत जमा



स्रोत: आरबीआई

चित्र 5.1 : क्रेडिट जमा अनुपात



स्रोत: आरबीआई

चित्र 5.2 : निवेश जमा अनुपात

	(प्रतिशत)	
	मार्च '13	मार्च '14
मध्यम अवधि जमा दरें	7.42	7.74
मध्यस्थ आधार दर	10.20	10.25

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: आरबीआई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।

सारणी 5.2 : एससीबी की जमा और उधार की ब्याज दर (आरआरबी के अलावा)

	(प्रतिशत)	
	मार्च '13	मार्च '14
बकाया रुपया ऋण	12.27	12.19
नया रुपया ऋण	11.53	11.64

स्रोत: आरबीआई

सारणी 5.2 : भारित औसत उधार की ब्याज दर (डब्ल्यूएलआर)

राशि पर पुनर्मूल्य निर्धारण की कठोरता, सरकारी उधार की सीमा, एनपीए, उच्च मुद्रास्फूर्ति तथा पर्याप्त अनौपचारिक वित्त शामिल हैं।

अनिवासी भारतीयों के लिए ब्याज दरें

5.10 जमा राशि के प्रकार के आधार पर अनिवासी भारतीयों के लेखा पर लागू होने वाले ब्याज की दरों की दो सीमाएं हैं। अनिवासी (बैंक) विदेशी मुद्रा पर ब्याज दर [एफसीएनआर(बी)] आरबीआई द्वारा अभी तक विनियमित की जाती हैं। एफसीएमआर(वी) 1-3 वर्ष हेतु दर अपरिवर्तित रही। विदेशी मुद्रा दबाव के मद्देनजर आरबीआई ने 3-5 वर्ष की समाप्ति अवधि जमा पर अगस्त 2013 में लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट से 100 बेसिस पाइंट से 400 बेसिस पाइंट बढ़ोतरी की। इन कदमों को मार्च 2014 में वापस ले लिया गया।

क्रेडिट का क्षेत्र-वार प्रयोग

5.11 2013-14 में उपलब्ध 47 बैंकों का कुल बैंक क्रेडिट क्षेत्रीय प्रस्तरण का गैर-औसतन डाटा लगभग 95 प्रतिशत बैंक क्रेडिट तथा गैर-खाद्य क्रेडिट यह दर्शाता है कि प्रमुख क्षेत्रों में से कृषि, सेवाएं, प्राथमिकता क्षेत्र में 2012-13 की तुलना में उच्च संवृद्धि हुई है जबकि उद्योग के लिए 2012-13 की तुलना में कमी आई है। (सारणी 5.4)

	(प्रतिशत)	
	2012-13	2013-14
कुल बैंक क्रेडिट	13.6	14.0
खाद्य क्रेडिट	15.9	-3.6
गैर-खाद्य क्रेडिट	13.5	14.3
कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र	7.9	13.5
उद्योग (माइक्रो, लघु, मध्यम तथा भारी)	15.1	13.1
सेवाएं	12.6	16.1
कार्मिक ऋण	14.7	15.5
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	8.4	22.0

स्रोत: आरबीआई

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण

5.12 सार्वजनिक क्षेत्र के बकाया प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम राशि ने मार्च 2012 के अंत की तुलना में मार्च 2013 के अंत में 13.4% की बढ़ोतरी दर्शायी (सारणी 5.5)। इसी तरह से निजी बैंकों की बकाया प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम राशि ने 14.3% तथा इसी अवधि में विदेशी बैंकों ने 5.3% की वृद्धि को दर्शायी है। सारणी 5.6 क्षेत्र द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र उधार (पीएसएल) की वृद्धि को दर्शाती है।

कृषि ऋण

5.13 कृषि क्षेत्र में 2012-13 में 6,07,375.62 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई। वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों ने 152.77 लाख नए किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जिससे मार्च 2013 तक वित्तपोषित कृषि ऋण खातों की संख्या बढ़कर 7.04 करोड़ हो गई। उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 के लिए 7,00,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के दौरान 7,30,766 करोड़ रु. की राशि वितरित की गई। अधिकांश ऋण अनुसूचित वाणिज्य बैंको द्वारा दिया गया परन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों ने भी 2013-14 में अपनी भागीदारी में बढ़ोतरी की। (सारणी 5.7)

वित्तीय मध्यस्थता

	(प्रतिशत)	
	मार्च '13	मार्च '14
बकाया रुपया ऋण	12.27	12.19
नया रुपया ऋण	11.53	11.64

स्रोत: आरबीआई

सारणी 5.3 : भारत औसत ऋण की ब्याज दर (डब्ल्यूएलआर)

सारणी 5.4 : सकल बैंक क्रेडिट के क्षेत्रीय नियोजन की वृद्धि

	(प्रतिशत)	
	2011-12	2012-13
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	10.62	13.47
निजी क्षेत्र के बैंक	14.98	14.30
विदेशी बैंक	20.71	5.33

स्रोत: आरबीआई

सारणी 5.5 : प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों की वृद्धि

	(प्रतिशत)	
	2012-13	2013-14
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	7.9	13.5
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	12.8	33.6
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3.1	18.1

स्रोत: आरबीआई

सारणी 5.6 : क्षेत्र द्वारा क्रेडिट के प्राथमिक क्षेत्र नियोजन में वृद्धि

बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

5.14 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने वैश्विक वित्त संकट के तत्काल बाद पर्याप्त लचीलापन प्रदर्शित किया था परन्तु पिछले दो वर्षों के दौरान उस पर वैश्विक तथा घरेलू आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा। वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभ संवृद्धि में कमी आई क्योंकि क्रेडिट आफ-टेक में मंदी थी और ब्याज दरों में मंदी थी। परिसंपत्ति गुणवत्ता में गिरावट आई, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। तथापि, भारतीय बैंकों की पूंजी परिस्थिति, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित मजबूत थी तथा निर्धारित न्यूनतम से अधिक थी।

मद	करोड़ रुपए में	
	2011-12	2012-13
आय	741628	861398
ब्याज से आय	655284	763612
अन्य आय	86344	97787
व्यय	659969	770233
ब्याज व्यय में विस्तार	430356	513803
मध्यवर्ती संस्था लागत (कार्यात्मक व्यय)	137572	156585
प्रावधान तथा आकस्मिकता धनराशि	92042	99845
कार्यात्मक लाभ	173700	191010
कुल लाभ	81658	91165
ब्याज से कुल लाभ (स्प्रेड)	224928	249809
कुल परिसंपत्तियां	8320890	9573334
कुल आय	311272	347595

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

5.15 वर्ष 2012-13 के दौरान बैंकों के तुलन पत्र में समग्र संवृद्धि में और कमी आई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वर्ष 2012-13 के समेकित तुलन पत्र की संवृद्धि पिछले वर्ष 15.8% जो कि पिछले वर्ष के 15.1% की तुलना में कम है (सारणी 5.8)। इस कमी का प्रमुख कारण बैंकों के ऋण में कमी होना थी। क्रेडिट बढ़ोतरी में कमी वास्तविक अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में मंदी के साथ-साथ बैंकों द्वारा निरंतर जोखिम लेने से बचना था। हालांकि बैंकिंग क्षेत्र के तुलन पत्र में मंदी प्रदर्शित होती है, जमा-जो कि देयता पक्ष में सबसे बड़ा घटक होता है- में वर्ष 2012-13 में बढ़ोतरी जारी रही, प्रमुखतः चालू तथा बचत खाते (कासा) की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की मदद से कासा का अंश लगभग 33% बना रहा। बकाया आधार पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के क्रेडिट-डिपोजिट अनुपात, मौटे तौर पर लगभग 79 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा।

5.16 वर्ष 2012-13 में सभी उत्पादकता वाले क्षेत्रों- कृषि, उद्योग तथा सेवाओं में क्रेडिट संवृद्धि में मंदी चलती रही। सबसे अधिक मंदी कृषि तथा उससे संबंधित गतिविधियों में थी। उद्योग के भीतर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी क्रेडिट की वृद्धि में मंदी रही। इसके अतिरिक्त, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में क्रेडिट की मंदी सेवा क्षेत्र में क्रेडिट की मंदी समग्र मंदी का एक प्रमुख कारण था। केवल खुदरा ऋण ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसने 2012-13 में अपनी बढ़ोतरी को बनाये रखा।

5.17 वर्ष 2012-13 में बैंकों का निवेश 2011-12 के 16.1% से बढ़कर 17.0% हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सिक्योरिटी) में बैंकों के निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में मंदी रही। इसकी तुलना में बैंकों के गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में पांच गुणा बढ़ोतरी देखी गई।

5.18 वर्ष 2012-13 में क्रेडिट संवृद्धि में मंदी के कारण ब्याज द्वारा होने वाली आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह वह अवधि थी जब ब्याज दर भी कम होने लगी थी जो

(प्रतिशत)

	2012-13	2013-14
सहकारी बैंक	18.31	16.21
आरआरबी	10.48	11.31
वाणिज्यिक बैंक	71.21	72.48

स्रोत: भारतीय बैंक संघ (आईबीए) आरबीआई और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

सारणी 5.7 : कृषि क्षेत्र को वितरित एजेंसी-वार क्रेडिट

सारणी 5.8 : एससीबी का कार्य परिणाम

क्रेडिट विकास में धीमापन रहा।

पिछले वर्षों के दौरान बढ़ी थी। ब्याज व्यय की बढ़ोतरी भी वर्ष के दौरान धीमी रही, परन्तु इसकी संवृद्धि ब्याज द्वारा अर्जित आय से अधिक थी जिसके कारण बैंकों की कार्यात्मक संवृद्धि तथा कुल लाभ पर प्रतिकूल दबाव पड़ा।

5.19 लाभ के दो प्रमुख सूचक, परिसंपत्तियों पर लाभ (आरओए) तथा प्रतिभूति पर लाभ (आरओई) में वर्ष 2011-12 के दौरान कुछ कमी रही जो बैंकों के कुल लाभ में मंदी को दर्शाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान आरओए तथा आरओई क्रमशः 1.03 तथा 13.84 प्रतिशत पर थे (सारणी 5.9)। सैकेण्डरी मार्किट में धीमी निष्पादकता तथा क्रेडिट ऑफ-टेक में कमी के कारण बैंकों ने वर्ष 2012-13 के दौरान पब्लिक इश्यू के माध्यम से कुल 300 करोड़ रुपए ही जुटाए। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में बैंकों का प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से संसाधन जुटाना दुगने से भी अधिक होकर वर्ष 2012-13 में 26200 करोड़ रु० हो गया।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

5.20 जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (बाजेल II के अंतर्गत) की पूंजी पद्धति व्याप्त स्तर पर मार्च 2012 के अंत में 14.24% की तुलना में मार्च 2013 के अंत में कम होकर 13.88% रह गया। तथापि, औसत स्तर पर पूंजी स्थिति में कमी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी परिस्थिति में धीमेपन के कारण थी।

बैंकिंग क्षेत्र की अनर्जक परिसंपत्तियां

5.21 वर्ष 2012-13 के दौरान, बैंकों की अनर्जक परिसंपत्तियों में तेज बढ़ोतरी के चलते बैंकिंग क्षेत्र में परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट एक बड़ी चिंता रही। सकल एनपीए दिए गए सकल ऋण के अनुपात की तुलना में पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के 3.1% से बढ़कर 2012-13 में 3.6 प्रतिशत हो गए। परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट सबसे अधिक स्पष्ट भारतीय स्टेट बैंक समूह में थी जिसका मार्च 2013 के अंत में सकल नान-पर्फॉर्मिंग अनुपात (जीएनपीए) मार्च 2013 के अंत तक 3.6 प्रतिशत हो कर एनपीए अनुपात बढ़कर उच्च 5 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया। भारतीय स्टेट बैंक समूह से दूसरे स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक थे।

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सुधार में बढ़ोतरी

5.22 मंदी तथा उच्च लेवरेज स्तर के कारण कतिपय उद्योग तथा बुनियादी क्षेत्र ढांचा अर्थात् वस्त्र-उद्योग, रसायन, लोहा तथा स्टील, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण तथा दूरसंचार क्षेत्रों में एनपीए में बढ़ोतरी अनुभव की जा रही है। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए की समग्र स्थिति में मार्च 2011 में कुल क्रेडिट अडवांस 2.36% से मार्च 2014 (अनंतिम) में कुल क्रेडिट अडवांस का 3.90 प्रतिशत हो गया। जबकि सभी क्षेत्रों के एनपीए में बढ़ोतरी हुई, बुनियादी क्षेत्र के ढांचे में यह विशिष्टतः तीव्र थी जहां क्रेडिट अडवांस की प्रतिशतता के रूप में एनपीए मार्च 2011 के 3.23 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2014 में 8.22 प्रतिशत हो गया।

5.23 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के जीएनपीए में बढ़त की प्रवृत्ति देखी जा सकती है जो कि मार्च 2010 (59,972 करोड़ रु०) के स्तर से चार गुना बढ़कर मार्च 2014 में (2,04,249 करोड़ रु०) (अनंतिम) हो गया। 2008-09 के 2.09% की तुलना में मार्च 2014 (अनंतिम) में एनपीए 4.4% हो गए।

एनपीए की समस्या का समाधान

5.24 संकट के उत्तरवर्ती वर्षों में बैंकिंग प्रणाली तथा बैंक समूहों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट आई है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में एनपीए तथा ऋणों की पुनः भुगतान अनुसूची का सबसे अधिक दबाव है। आरबीआई ने दिसंबर 2013 में जारी अपनी

	(प्रतिशत)	
	2011-12	2012-13
परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	1.08	1.03
इक्विटी पर प्रतिफल	14.60	13.84

स्रोत: आरबीआई

सारणी 5.9 : एससीबी के लिए परिसंपत्तियों एवं इक्विटी पर प्रतिफल

एनपीए का विकास चिंता का विषय है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में पांच क्षेत्रों की दबावग्रस्त क्षेत्रों के रूप में पहचान की है— बुनियादी ढांचा, लोहा तथा स्टील, वस्त्र उद्योग, विमानन तथा खनन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उद्योग के क्षेत्र में सामान्यता उच्च ऋण जोखिम हैं और विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में उसका ऋण जोखिम अधिक है। बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी का मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एनपीए की पद्धति आधारित पहचान करना, अर्थव्यवस्था में संवृद्धि में कमी आना तथा पूर्व में बैंकों द्वारा अत्यधिक ऋण प्रदान करना है, विशेषकर अच्छे समय के दौरान।

5.25 एनपीए की समस्या के निदान हेतु सरकार द्वारा की गई कतिपय पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बैंकों द्वारा अपने मुख्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण में वसूली हेतु नोडल अधिकारियों को नियुक्त करना।
- बैंकों द्वारा हानिजनक परिसंपत्तियों की वसूली पर बल देना तथा बैंकों के परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के समाधान एजेंटों को पदनामित करना।
- बैंकों की राज्य स्तरीय समितियों को राज्य सरकारों के साथ मुद्दों के समाधान हेतु सक्रिय होने के निदेश देना।
- बैंकों के बीच सूचना की साझेदारी के आधार पर नए ऋण मंजूर करना।
- एनपीए का क्षेत्र/गतिविधि-वार विश्लेषण करना
- चेतावनी चिन्हों की शीघ्र पहचान करते हुए एनपीए पर करीबी नजर रखना और दबाव जैसे संकेतों की शीघ्र पहचान करके बैंकों द्वारा यथाशीघ्र सुधारात्मक उपाय करना, वसूली से संबंधित नियमों में संशोधन करना तथा क्रेडिट मूल्यांकन तथा क्रेडिट की उत्तरवर्ती मॉनीटरिंग करना (बॉक्स 5.1)।

परिसम्पत्ति गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

बॉक्स 5.1 : हाल ही में 30 जनवरी-2014 को जारी आरबीआई की द्रुत चेतावनी पद्धति की मुख्य विशेषताएं

आरबीआई ने वित्तीय दबाव की शीघ्र पहचान और उसके निदान हेतु तत्परता से उठाए गए कदमों और ऋण प्राप्तकर्ता से समुचित रूप से वसूली करने तथा अर्थव्यवस्था में दबाव ग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनः प्राप्ति के संबंध में हाल ही में निर्देश जारी किए हैं तथा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की शीघ्र पहचान और उसके निदान हेतु विभिन्न सुझाव दिए हैं। बैंकों के लिए अब विशेष उल्लेख खातों (एसएसए) का तीन उप श्रेणियों में वर्गीकरण करना अपेक्षित होगा;

1. एसएमए-0: मूलधन तथा ब्याज में अत्यधिक विलम्ब नहीं परन्तु दबाव के प्रारंभिक चिन्ह दृष्टिगोचर
2. एसएमए-1: मूलधन तथा ब्याज में 31-60 दिन का विलम्ब
3. एसएमए-2: मूलधन तथा ब्याज में 61-90 दिन का विलम्ब

इस फ्रेमवर्क के अन्य अहम प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:

1. केन्द्रीकृत रिपोर्टिंग तथा बड़े ऋणों के संबंध में सूचना का प्रचार-प्रसार
2. विधान की योजना समयबद्ध रूप से सहमति बनाते हुए ऋणदाता की समिति का शीघ्र सृजन
3. ऋणधारक को योजना पर सामूहिक तौर पर तथा शीघ्र सहमत होने की दशा में विशेष प्रोत्साहन। दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए निदान योजना के चलते बेहतर विनियामक उपचार अथवा सहमति नहीं होने की दशा में शीघ्र प्रावधान।
4. ऋण भुगतान अनुसूची की पुनर्संरचना में सुधार करना, बड़ी राशि के ऋणों हेतु एक कारगर योजना बनाते हुए और हानि को समुचित भागीदारी के आधार पर (प्रमोटर तथा क्रेडिटर के बीच) बांटते हुए उसके स्वतन्त्र मूल्यांकन को आदेशात्मक बनाना।
5. समाधान में मदद नहीं करने वाले ऋण प्राप्तकर्ता के लिए ऋण को भविष्य में अधिक मंहगा बनाना।
6. परिसंपत्तियों के बिक्री के लिए और उदारीकृत विनियामक उपचार:
 - ऋण प्राप्तकर्ता को ऋणात्मक परिसंपत्तियों की बिक्री पर होने वाली हानि के लिए भुगतान में अधिक समयावधि का प्रावधान करना, परन्तु शर्त यह होगी कि इस प्रकार की हानि का पूर्ण रूप से खुलासा किया गया है।
 - ऋण प्राप्तकर्ता लम्बी अवधि के लिए वित्तपोषण/पुनः वित्तपोषण पा सकते हैं जिसे ऋण के भुगतान की पुनर्संरचना नहीं माना जाएगा।
 - दबावग्रस्त कम्पनियों की खरीद हेतु विशिष्ट संस्थाओं को सहायक खरीद की मंजूरी प्रदान करना।
 - एआरसी के बेहतर काम काज के लिए उपायों के सुझाव दिए गए हैं।
 - क्षेत्र-विशिष्ट की कम्पनियों तथा प्राइवेट इक्विटी फर्मों को दबाव ग्रस्त परिसंपत्ति बाजार में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार तथा आरबीआई द्वारा अब तक उठाए कदमों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एनपीए वसूली में सुधार आया है। ये मार्च 2010 के 9726 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2014 तक 27,633 करोड़ रुपए हो गई है।

- पुनर्संचित मानक खाते पर प्रावधान 2.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.75 प्रतिशत कर दिए गए हैं।
- नए पुनर्संचित मानक खातों पर प्रावधान 2014-15 की चार तिमाही की अवधि तक के लिए बढ़ाते हुए 31 मार्च, 2015 से 3.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान

5.26 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान संस्थाओं का एक ऐसा विषम समूह है जो भिन्न प्रकार वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा मोटे तौर पर इन्हें वित्तीय संस्थाओं (एफआई) तथा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में समूहबद्ध किया जा सकता है।

वित्तीय संस्थाएं

5.27 भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन तथा अधीक्षण के अंतर्गत चार वित्तीय संस्थाएं थीं। भारतीय आयात निर्यात बैंक (एक्विम), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), नेशनल हाऊसिंग बोर्ड (एचएचबी) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)। वर्ष 2012-13 के दौरान एफआई द्वारा जुटाए गए कुल संसाधन पिछले वर्ष की तुलना में कम थे। लघु अवधि तथा दीर्घ अवधि रूप से जुटाए गए दोनों प्रकार के संसाधनों में कमी आई जबकि विदेशी मुद्रा संसाधनों में तीव्र बढ़ोतरी हुई। विदेशी मुद्रा ऋण में हुई बढ़ोतरी मुख्यतः एक्विम के संबंध में थी क्योंकि वर्ष के दौरान बाध्य ऋण दोगुने से भी अधिक हो गए।

5.28 वित्तीय संस्थानों द्वारा बाह्य संसाधनों से जुटाई गई धनराशि वर्ष 2012-13 में 73.4 प्रतिशत तक बढ़ गई जबकि आंतरिक संसाधनों से जुटाई गई धनराशि 9.3 प्रतिशत तक कम हो गई (तालिका 5.10) धनराशि के आवंटन के मामले में नए आवंटन में 13.6 प्रतिशत तक की तेज गिरावट हुई जबकि अन्य आवंटनों में प्रयुक्त धनराशि में 586.5 प्रतिशत की तीव्र संवृद्धि दर्ज की गई (तालिका 5.11)।

5.29 वित्तीय संस्थानों की वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय कार्य-निष्पादकता में सुधार हुआ क्योंकि उनका कार्यात्मक तथा कुल लाभ दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्तीय संस्थानों के कार्यात्मक व्यय में वेतन पर हुआ अधिक व्यय मुख्य कारण था। वर्ष 2012-13 के दौरान सभी वित्तीय संस्थानों के आरओ लगभग स्थिर रहे, जबकि सिडबी तथा एनएचबी का आरओए सबसे अधिक था। पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय संस्थानों का औसत स्तर पर कुल एनपीए में मुख्यतः एक्विम, सिडबी तथा एनएचबी का उच्च एनपीए था। वित्तीय संस्थानों में नाबार्ड का सबसे कम एनपीए था तथा उसमें वर्ष के दौरान ओर सुधार आया। सभी वित्तीय संस्थानों की सीआरएआर वर्ष 2012-13 में पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। तथापि सभी वित्तीय संस्थानों ने सीआरएआर को 9 प्रतिशत के न्यूनतम निर्धारित लक्ष्य से ऊपर बनाए रखा।

5.30 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान 31 मार्च, 2013 की स्थिति तक एनबीएफसी का बैंक की परिसंपत्ति में 13.0 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वित्तीय समावेश के अधिकाधिक महत्व के मद्देनजर एनबीएफसी को लघु तथा खुदरा क्षेत्र, दोनों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती वित्तीय संस्था माना जाता है। एनबीएफसी को उनके सार्वजनिक रूप से जमा राशि को आधार बनाकर, अर्थात् क्या वह सार्वजनिक रूप से जमा राशि ग्रहणकर्ता (एनबीएफसी-डी) है या नहीं (एनबीएफसी-एनडी) दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या में जून 2012 के अंत में 12,385 से कम होकर 30 जून, 2013 में

(₹ करोड़)

	2011-12	2012-13
एकत्रित संसाधन		
दीर्घ अवधि	96100	47000
लघु अवधि	105200	65900
विदेशी ऋण	10400	20100
कुल	211700	133000
कुल बकाया	201600	191300

स्रोत: संबंधित विदेशी संस्था

सारणी 5.10 : विदेशी संस्थाओं द्वारा संसाधनों का जुटाया जाना

(प्रतिशत)

	2012-13
निधियों का स्रोत	27.1
आंतरिक	-9.3
बाह्य	73.4
अन्य	225.4
निधियों का नियोजन	27.1
नया नियोजन	-13.6
पिछली उधारी का पुनर्भुगतान	17.6
अन्य नियोजन	586.5
ब्याज का भुगतान	26.2

स्रोत: संबंधित विदेशी संस्था

सारणी 5.11 : एमआई की निधियों के स्रोत और नियोजन के तरीके में भिन्नता

बॉक्स 5.2 : छोटे व्यवसायियों तथा निम्न आय परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवा सम्बद्ध समिति

आरबीआई ने डा नेचिकेत मोर की अध्यक्षता में सितंबर 2013 में छोटे व्यवसायियों तथा निम्न आय परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने हेतु एक समिति गठित की थी। इस समिति की रिपोर्ट 7 जनवरी, 2014 को जारी की गई।

इस समिति की सिफारिशों की प्रमुखता वित्तीय समावेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसी पद्धति की आवश्यकता है जो किसी मोडल-विशेष से परे हटकर बहु-मोडल तथा भागीदारी आधारित मोडल हो। विशिष्टतः किसी पूर्ण सेवा राष्ट्रीय बैंक और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय बैंकों, एनबीएफसी तथा वित्तीय बाजार के बीच समिति द्वारा की गई सभी मुख्य सिफारिशें ये हैं कि सामान्य बड़े संस्थानों पर ध्यान देने की बजाय विशेषज्ञों के बीच विशेषज्ञता तथा भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। समिति की राय में वित्तीय स्थिरता को अथवा उपभोक्ता के प्रति जिम्मेवारी से समझौता किए बिना इस प्रकार का दृष्टिकोण उच्च गुणवत्ता वाला वित्तीय समावेश हासिल करने में अधिक प्रभावी होगा। सीसीएफसी द्वारा की गई सिफारिशों में से मुख्य इस प्रकार हैं:

1. प्रत्येक नागरिक को आधार नम्बर जारी करते समय एक यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिकी बैंक खाता उपलब्ध कराया जाए।
2. समकक्ष स्तर प्रदान करते हुए लाईसेंसिंग क्षेत्र न्यून प्रविष्टि अवरोध, पेमेंट बैंक, होलसेल कन्ज्यूमर बैंक तथा होलसेल इन्वेस्टमेंट बैंक सहित वित्तीय रूप से अधिक केन्द्रीत बैंक
3. क्षेत्रीय बैंकों के लिए जोखिम आधारित सर्वेक्षण प्रक्रिया का विकास तथा नए बैंकों के सृजन से पहले मौजूदा बैंकों का सुदृढीकरण।
4. नाबार्ड सिडबी तथा एनएचबी को मार्केट मेकर बनाने तथा जोखिम आधारित क्रेडिट एनहैंसमेन्ट प्रदान करने की दृष्टि से पुर्न-अभिविन्यास।
5. एनबीएफसी की परिभाषा को दो श्रेणियों में विभाजित करते हुए समेकित करना। मुख्य निवेश कम्पनी तथा अन्य एनबीएफसी/एनबीएफसी-एन डी को व्यवसाय संपर्ककर्ता के रूप में बहाल करना।
6. प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में हालांकि समिति छोटे किसानों, छोटे व्यवसायियों तथा कमजोर वर्ग को दी जाने वाली प्राथमिकता की मौजूदा नीति से सहमत है परन्तु वह अर्थव्यवस्था के एक अथवा अधिक क्षेत्र में अथवा क्षेत्र-विशिष्ट में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की सिफारिश करती है। सरकारी आर्थिक सहायता को परिदान अथवा अनुदान राशि के रूप में देने की बजाय लाभ का सीधा अंतरण किया जाए।
7. आरबीआई द्वारा नियमित सभी वित्तीय फर्मों को उत्पादों के संबंध में उपभोक्ता को सलाह देने से पहले उनकी स्थिरता के मूल्यांकन हेतु सभी आंतरिक अपेक्षाएं पूरी करनी होती हैं।

12,225 हो गई। इस अवधि के दौरान एनबीएफसी-डी 271 से कम होकर 254 रह गए तथा व्यवस्थात्मक रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी की संख्या इस अवधि में 370 से बढ़कर 417 हो गई।

वित्तीय समावेशन

5.31 वित्तीय समावेशन सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य देश की संभाव्य संवृद्धि क्षमता प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों को वित्तीय सेवाएं मुहैया करवाई जाएं जो अभी तक इसके दायरे से बाहर रहे हैं। बैंकिंग सेवा का लाभ ऐसे लोगों तक पहुंचाने जो अभी तक उससे बाहर थे, के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा समय-समय पर उनके पहलें की गई हैं। वर्ष 2013-14 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2012-13 के 4432 शाखाओं की तुलना में 7840 शाखाएं खोली हैं। उनमें जनवरी, 2014 तक लगभग 96,853 एटीएम थे जबकि 2012-13 के अंत में इनकी संख्या 69652 थी। बॉक्स 5.2 तथा 5.3 इस क्षेत्र के कई नए विकासों को रेखांकित करते हैं।

बॉक्स 5.3 : निजी क्षेत्र को नए बैंकिंग लाइसेंस

आरबीआई ने 22 फरवरी, 2013 को निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु मार्ग निर्देश जारी किए जिसमें नए बैंक बनाने के लिए आवेदन मांगे गए थे जिसके लिए 25 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों की जांच हेतु भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति गठित की गई। समिति ने सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट 25 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत कर दी। इसके आधार पर आरबीआई द्वारा आवेदनों की आंतरिक जांच की गई तथा इन मार्ग निर्देशों के अंतर्गत 2 अप्रैल, 2014 को दो आवेदकों को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया अर्थात् आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनेसियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड।

करोड़ रुपये में

	2012-13	2013-14
ऋण	16982	42383
इक्विटी	15473	13269
आईपीओ	6528	1236
आईपीओ की संख्या	33	38
आईपीओ साईज	198	33
प्राइवेट प्लैसमेंट	361462	276054
यूरो इश्यू (एडीआर)/जीडीआर	उन	उन
जोड़	393917	331728

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड

वित्तीय बाज़ार

बाज़ार का कार्य-निष्पादन तथा संभावनाएं

5.32 वर्ष 2013-14 के दौरान प्राथमिक बाज़ार के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई (तालिका 5.12)। इक्विटी पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाई गई संकलित राशि में 14.2% की गिरावट हुई। 2013-14 के दौरान 33 करोड़ ₹ के मध्यमान आईपीओ आकार के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसी) और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग 2012-13 की तुलना में 83.33 प्रतिशत तक नीचे चला गया। निगम ऋण का पब्लिक इश्यू 2013-14 में 149 प्रतिशत तक बढ़ा जबकि उसी अवधि के दौरान निजी नियोजन 23.5 प्रतिशत तक गिरा।

म्यूचुअल फंडों द्वारा संसाधन जुटाया जाना

5.33 वर्ष 2013-14 के दौरान म्यूचुअल फंडों द्वारा 53,783 करोड़ रुपये जुटाए गए जो वर्ष 2012-13 में 76,539 करोड़ की तुलना में 23.1 प्रतिशत कम थी (सारणी 5.13)। प्रबंधन के तहत परिसम्पत्तियां (एयूएम) के अंतर्गत मार्केट मूल्य 31 मार्च, 2014 को 8,25,240 करोड़ था जबकि 31 मार्च, 2013 को यह 7,01,443 करोड़ रुपये था जो कि 17.6 प्रतिशत अधिक है।

द्वितीयक बाज़ार

5.34 भारतीय बैंचमार्क सूचकांक बीएसई सेनसेक्स तथा एनएसई निफ्टी ने वर्ष 2013-14 में क्रमशः 18.8 तथा 18.0 प्रतिशत बढ़त प्राप्त की (तालिका 5.3)। चुने गए विश्व सूचकांकों के बीच (तालिका 5.15) एसएण्डपी सूचकांक ने कलैण्डर वर्ष 2013-14 के दौरान सबसे अधिक 29.6% वृद्धि दर्ज की। जबकि सेनसेक्स तथा निफ्टी ने इसी अवधि के दौरान क्रमशः 9.0 तथा 6.8 प्रतिशत बढ़त दर्ज की थी।

5.35 31 मार्च, 2014 के अंत में भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड में 1710 विदेशी संस्थागत निवेशक पंजीकृत थे जबकि पंजीकृत उप-खाता बढ़कर 6344 हो गए। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल विदेशी संस्थागत निवेश 8.9 बिलियन अमरीकी डालर था (आकृति 5.4)। वर्ष 2013-14 में बीएसई तथा एनएसई के इक्विटी मार्केट में नकद खरीद की श्रेणी में मार्केट टर्नओवर क्रमशः 5,21,664 करोड़ तथा 28,08,489 करोड़ था जबकि वर्ष 2012-13 में यह क्रमशः 5,48,774 तथा 27,08,279 करोड़ रुपये था। इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में सभी तीनों एक्सचेंजों बीएसई, एनएसई तथा एमसीएक्स ने टर्नओवर की दृष्टि से बढ़ोतरी दर्ज की थी। मुद्रा डेरिवेटिव श्रेणी में 2013-14 में एचएससी तथा एमसीएक्स-एसएक्स में कान्ट्रैक्ट तथा टर्नओवर में गिरावट हुई।


वित्तीय मध्यस्थता

सारणी 5.12 : प्राथमिक बाज़ार के माध्यम से संसाधन गतिशीलता

	(₹ करोड़)	
क्षेत्र	2012-13	2013-14
यूटीआई	4629	401
सार्वजनिक	6808	4543
निजी	65102	48838
कुल	76539	53783

स्रोत: सेबी

सारणी 5.13 : म्यूचुअल फंडों द्वारा संसाधन गतिशीलता में प्रवृत्ति



स्रोत: एनएसई एवं बीएसई

चित्र 5.3 : एनएसई और बीएसई का अंतिम मूल्य

सूचकांक	12 पर 13 में % परिवर्तन
एस एंड पी बीएसई सेनसेक्स	9.0
एनएसई सी एन एक्स निफ्टी	6.8
एस एंड पी 500	29.6
डीएएक्स	25.5
एफटीएसई 100	14.4
निक्की 225	56.7
हंग सेंग	2.9
ब्राजील इबोवेस्पा	-15.5
कोस्पी	0.7
डो जॉस इंडस औसत	26.5
स्ट्रेट टाइम्स एसटीआई	0.0
शंघाई एसई	-6.7
सीएसी 40	18.0

स्रोत: बूमवर्ग

सारणी 5.14 : विश्व में प्रमुख बाजारों का प्रदर्शन (%)

	(₹ करोड़)	
	नकद	इक्विटी
2012-13	3257086	38704572
2013-14	3341338	47575571

स्रोत: बीएसई, एनएसई और एमसीएक्स-एसएक्स

सारणी 5.15 : बाज़ार व्यापार की मात्रा

एक्सचेंज	संविदाओं की संख्या	व्यापार मूल्य (करोड़ रुपये)	दैनिक औसत व्यापार मूल्य (करोड़ रुपये)
एनएसई			
2012-13	959243448	5274465	21706
2013-14	660192530	4012513	16445
एमसीएक्स-एसएक्स			
2012-13	597310766	3303179	13593
2013-14	398584890	2422410	9928
यूएसई			
2012-13	23766846	132861	547
2013-14	47479296	301620	1236
बीएसई			
2012-13	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2013-14	39157195	244312	3016

स्रोत: एनएसई, एमसीएक्स-एसएक्स, यूएसई तथा बीएसई

प्रारंभिक बाजार पहले


5.36 यह उपखण्ड पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय व्यवस्था की पहुंच व दक्षता बढ़ाने हेतु नियामक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है।

निगम बांड बाजार विकसित करने के उपाय

5.37 निगम बांड बाजार की वृद्धि को बढ़ाने तथा नियामक पद्धति को सुधारने के लिए, सभी बाजार नियामकों तथा वाणिज्य मंत्रालय (एमसीए) के परामर्श से विभिन्न नीतिगत सुधार उपायों को कार्यान्वित किया गया।

- आयकर अधिनियम, सिक्युरिटाइजेशन एंड विकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्युरिटी इंटेरेस्ट (एसएआरएफईएसआई), एक्ट एमसीए के द्वारा कार्यान्वित विनियमों में संशोधन के द्वारा व्यापार ऋण के कार्यान्वयन के लिए विधिक रूपरेखा को मजबूत करना।
- दीर्घावधि समावेशन तथा निवेशकों के लिए स्थिर वर्ग को सक्षम बनाने के लिए, पेंशन निधि, भविष्य निधि, बीमा निधि इत्यादि के लिए निवेशक मार्गदर्शिका में शिथिलता लाना।
- कवर्ड बांड्स, म्युचुअल बांड्स, क्रेडिट डिफॉल्ट स्विप्स, क्रेडिट एनहांसमेंट्स तथा सिक्क्युरिटाइजेशन रिसिप्ट्स जैसे नवजात उत्पादों के लिए नियामक बाधाओं या विधि को हटाने या नवीन उत्पादों का प्रारंभ।
- कम्पनी नियमावली (जमाओं की स्वीकृति) 1975 में जमाओं की परिभाषा में सुधार
- प्रतिभूति ऋणों के लिए कर नीति में सुधार सुनिश्चित करके प्रतिभूति ऋण बाजार का विकास
- जी-सेक (जी-सेक) के कारपोरेट बांड एफआईआईएस, बांड पर विदहोलिडिंग टैक्स (डब्ल्यूएचटी) का युक्तिकरण
- बीमा/पेंशन निधि की निवेश शर्तों में छूट प्रदान करना ताकि इस प्रकार की निधियों में कारपोरेट बांडों की सहभागिता को बढ़ाया जा सके।
- बैंकों के द्वारा टिर-2 पूंजी को बढ़ाने के लिए, कारपोरेट के सार्वजनिक निर्गमों को बढ़ावा देना, विशेषकर सबसे बैंकों को आम जमाकर्ताओं के द्वारा एक अधि क विश्वसनीय संस्था के रूप में देखा जाने लगा है।
- नकदी को बढ़ाने के लिए, रेपो बाजार में सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु बीमा कंपनियों को स्वीकृति प्रदान करना। आरबीआई, ने कॉरपोरेट-ऋण रेपों में

सारणी 5.16 : मुद्रा प्रचालनों में प्राप्तियां



स्रोत: सेबी

चित्र 5.4 : कुल एफआईआई निवेश

न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकता को भी कम कर दिया है। कॉरपोरेट ऋण में ऋण को कमर्शियल पेपर्स, जमाओं के प्रमाणपत्र तथा गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए कम से कम एक वर्ष की वास्तविक परिपक्वता की स्वीकृति दी गई है।

- क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप्स (सीडीएस) मार्किट में बाजार निर्माताओं की सहभागिता के लिए बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फंड को स्वीकृति प्रदान करना ताकि इस उत्पाद के व्यापार में सुधार किया जा सके।
- शेयर बाजार में, कारपोरेट बांडों में व्यापार के लिए व्यापार गारंटी का निर्माण तथा सेंट्रल काउंटर पार्टी (सीसीपी) की स्थापना करना।
- सूचना के विखंडन के निराकरण के लिए व्यापारिक संग्रह, निपटान मान तथा बकाया राशि पर, कारपोरेट बांड्स के लिए जोखिम प्रबंधन व्यवस्था तथा नवीन व्यापारिक मंच जिसमें केन्द्रीकृत डाटाबेस भी सम्मिलित है।

निजी स्थापन तथा सार्वजनिक निर्गम के लिए कारपोरेट बांड्स पर तालिका 5.17 एवं 5.18 में आंकड़े दिये गये हैं।

	इश्यू	वसूली गई राशि (₹ करोड़)
2010-11	10	9451.17
2011-12	20	35610
2012-13	20	16982
2013-14	35	42382.97
2014-15	1	264.7

स्रोत: सेबी

सारणी 5.18 : सार्वजनिक मुद्दों पर विवरण

	2012-13	2013-14	2014-15*
केवल एनएसई में सूचीबद्ध			
इश्यू की संख्या	1295	837	94
राशि (करोड़ ₹)	206187.25	140713.04	9122.8
केवल बीएसई में सूचीबद्ध			
इश्यू की संख्या	1094	997	194
राशि (करोड़ ₹)	72473.84	78805.14	10651.75
एनएसई एवं बीएसई में सूचीबद्ध			
इश्यू की संख्या	100	90	12
राशि (करोड़ ₹)	82800.91	56536	3800
कुल			
इश्यू की संख्या	2489	1924	300
राशि (करोड़ ₹)	361462	276054.18	23574.55

स्रोत: एनएसई एवं बीएसई

*अप्रैल 2014 में

सारणी 5.17 : व्यापारिक बोडों के निजी स्थापन

सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी को बढ़ाना।

5.38 प्रतिभूति संविदा (नियमन) विनियम (एससीआरआर) 1957, सभी सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए गैर-प्रोत्साहक, सार्वजनिक हिस्सेदारी के लिए 25% (उन उपक्रमों को छोड़कर जो सरकारी स्वामित्व में हैं और जिसकी सीमा 10% है) प्रदान करता है। सेबी ने एससीआरआर के नियम 19(2) तथा 19 (क) के सम्बन्ध में, न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी (एमपीएस) आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का सूत्रपात किया है।

- विवरणिकाओं के माध्यम से लोगों को शेयर जारी करना।
- प्रोत्साहकों के पास रखे हुए शेयर को, विवरणिकाओं के माध्यम से लोगों को विक्रय के लिए प्रस्तुत करना तथा प्रोत्साहकों के पास रखे शेयरों को द्वितीय बाजार के माध्यम से, ओएफएस के द्वारा, शेयर बाजार के द्वारा विक्रय करना। यह एक नए संस्थागत श्रेणीक्रम कार्यक्रम के साथ युग्मित है।
- सार्वजनिक शेयरधारकों को, प्रोत्साहकों/प्रोत्साहक समूह धारकों को उन अधि कारों के पूर्ववर्ती हक से अधिकार जारी करना। इसी प्रकार की शर्तें बोनस मुद्दों पर भी लागू होती हैं।

5.39 इन आदेशों का अनुपालन न करने वाली कम्पनियों को जारी किया गया है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) तथा 18,799 करोड़ रु. उनके एमपीएस के कम्पनी सम्मेलन के माध्यम से जुटा गयी।

द्वितीय बाजार पहल

5.40 द्वितीयक बाजार में, यह एक व्यस्त बाजार था क्योंकि कई बाजार खण्डों को उदार बनाया गया था तथा नए उत्पाद जैसे कि वायदा निवेश दर को प्रारंभ किया गया। अन्य योजना तथा सुधारों में शामिल हैं।

लघु तथा मध्यम उपक्रम (एसएमई) खण्ड

5.41 लघु तथा मध्यम उपक्रमों के लिए रूप-रेखा, जिसमें अचानक उछाल वाली कंपनियां सम्मिलित हैं, तथा आईपीओ को बनाने की आवश्यकता के बिना एसएमई एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करना था, को केन्द्रीय बजट 2013-14 में घोषित किया गया था। तथापि जानकारी निवेशकों के लिए निर्गम को प्रतिबंधित किया जाएगा। यह वर्तमान एसएमई मंचों में एक अतिरिक्त मंच होगा जिसमें एक आईपीओ के माध्यम से तथा व्यापक निवेश सहभागिता के साथ सूचीबद्ध किया जा सकेगा। ऐसा पूंजीगत बाजार में एसएमई पहुंच को बढ़ाने के लिए किया गया था।

प्रतिभूति विनिमय कर (एसटीटी) का सामंजस्य तथा कमी

5.42 वर्ष 2013-14 में, एसटीटी को वायदा समता के लिए 0.01% से कम करके 0.017% किया गया है। इसी समय गैर-कृषिगत वस्तुगत बाजार सौदों पर वस्तुगत विनिमय कर (सीटीटी) दर को, वायदा समता पर, इसी दर को सुसंगत बनाया गया है।

बाहरी बाजार पहल

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई)

5.43 के.एम. चंद्रशेखर समिति के सुझावों के अनुसरण में, सेबी ने, 7 जनवरी 2014 को, भारत में पोर्टफोलियो निवेश करने के लिए, विदेशी निवेशकों के सम्बन्ध में, पंजीकरण तथा प्रक्रिया के लिए, एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। आरबीआई ने 25 मार्च, 2014 को सेबी के साथ, एफपीआई शर्तों की घोषणा के साथ, इन सुझावों की अनुपालना की।

5.44 सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, पंजीकृत, पोर्टफोलियो निवेशकों को, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक आरएफपीआई कहा जाएगा। वर्तमान पोर्टफोलियो निवेशक वर्ग, नामतः एफआईआई तथा सेबी के साथ पंजीकृत योग्यता प्राप्त निवेशकों जीएफटी को आरएफपीआई के तहत, समावेशित किया जाएगा। एक आरएफपीआई, भारत में, मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर, एक पंजीकृत ब्रोकर के माध्यम से, भारत की किसी कम्पनी के परिवर्तनीय डिबेंचर्स तथा शेयरों को खरीद तथा बेच सकता है तथा सुसंगत सेबी दिशानिर्देशों/विनियमों के सम्बन्ध में, लोगों को प्रस्तुत किये गए परिवर्तनीय डिबेंचर्स को खरीद तथा बेच सकता है। एक आरएफपीआई सरकारी प्रतिभूतियों तथा कारपोरेट ऋणों में निवेश के लिए पात्र होगा तथा शेयर बाजार पर सभी विनिमय व्यापार व्युत्पन्न सौदे आरबीआई तथा सेबी द्वारा निर्धारित सीमा का विषय होंगे। इस कार्य को भारत में सभी एफपीआईआई के लिए; विदेशी निवेश को एक धारा में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एडीआर/जीडीआर योजना की समीक्षा

5.45 योजना की वैधानिक स्पष्टता तथा सरलीकरण की आवश्यकता; भारतीय कम्पनी तथा विदेशी निवेशक की आवश्यकता; नए कम्पनी कानून तथा वित्तीय

पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को सरल बनाएंगे।

बाजार में वर्तमान विधायन का ध्यान में रखते हुए अमेरिकन डिपॉसिटरी रिसिप्ट (एडीआर) ग्लोबल डिपॉसिटरी रिसिप्ट (जीडीआर) स्कीम, 1993 की समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की गई है। इस समिति ने 27 नवम्बर, 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार किया तथा समिति द्वारा सुझाई गई नई योजना को आवश्यक टैक्स सम्बन्धी सुधारों के साथ दूसरे चरण में सूचित किया जा सकता है।

आईएफसी समुद्र-पारीय बांड कार्यक्रम

5.46 भारतीय वित्तीय संहिता (आईएफसी), विश्व बैंक समूह का एक सदस्य ने, भारत के पूंजी बाजार को मजबूत करने के लिए, समुद्र पारीय रुपया जो कि अपने प्रकार की सबसे बड़ी योजना है- एक बिलियन अमेरिकी डॉलर का समुद्रपारीय बांड कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आईएफसी, रुपया से सम्बन्धित बांड जारी करेगा तथा इसका प्रयोग देश में निजी क्षेत्र में निवेश के वित्तीयन को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। आईएफसी का समुद्रपारीय बांड कार्यक्रम गहनता लाने तथा समुद्रपारीय रुपया बाजार की विविधता में सहायक सिद्ध होगा तथा भारतीय कम्पनियों के निवेश के लिए एक प्राकृतिक स्रोत के लिए कारगर होगा।

एफआईआई सीमा को बढ़ाकर 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया।

एफआईआई ऋण सीमा में वृद्धि

5.47 भारत सरकार ने, भारत के उभरते बृहत आर्थिक परिप्रेक्ष को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई के सुझाव के, घरेलू ऋण (जी-सेक के साथ-साथ कारपोरेट ऋण) में एफआईआई निवेश की सीमा को उत्तरोत्तर बढ़ाया है। अब, एफआईआई ऋण की सीमा जो कि पहले 66 बिलियन अमेरिकन डॉलर थी बढ़कर 81 बिलियन (कारपोरेट बांड 5, बिलियन अमेरिकी डालर तथा जी-सेक 30 बिलियन अमेरिकी डालर) हो गई है।

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी)

5.48 वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार, वित्तीय क्षेत्र के कानूनों के नवीनीकरण को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 24 मार्च, 2011 को एफएसएलआरसी की स्थापना की। आयोग ने 22 मार्च, 2013 को अपनी रिपोर्ट पेश की। आईएफएसएलआरसी ने संस्थागत कानूनी तथा विनियामक रूपरेखा; तथा भारतीय वित्तीय क्षेत्र में कार्यात्मक परिवर्तनों पर व्यापक सुझाव प्रस्तुत किये हैं। आयोग के सुझावों को मोटे तौर पर, दो भागों वैधानिक तथा गैर-वैधानिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है।

एफएसएलआरसी रिपोर्ट, वित्तीय सुधारों में एवं महत्वपूर्ण मीता के पत्थर को चिन्हित करती है।

5.49 सुझावों का वैधानिक पहलू, गैर-क्षेत्रीय, सिद्धांत आधारित उपागम के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र के नियामक वास्तु की वैधानिक रूपरेखा के नवजीवन से सम्बन्धित है तथा ऐसा करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो वर्तमान नियामक अभिकरणों तथा नए अभिकरणों के निर्माण का सुझाव है। आयोग ने, वित्तीय क्षेत्र के लिए एक सात अभिकरण संरचना का सुझाव दिया है। एफएसएलआरसी के गैर वैधानिक पहलू से सम्बन्धित सुझाव में, व्यापक रूप से उपभोक्ता सुरक्षा की संवृद्धि के लिए सुशासन संवृद्धि सिद्धांतों की प्रकृति, वित्तीय क्षेत्र नियमन के कार्यों में, उनकी रिपोर्टिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में पारदर्शिता, नियामक संस्थाओं के साथ उनके इंटरफेस पर बृहत पारदर्शिता तथा अनिवार्य सार्वजनिक सलाह, लागत-लाभ विश्लेषण के समावेशन के माध्यम से नियमन-निर्माण प्रक्रिया में व्यापक पारदर्शिता सम्मिलित हैं। एफएसएलआरसी के सुझावों पर वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद (एफएसडीसी)

सम्मेलन में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। 24 अक्टूबर 2013 को होने वाले आठवें एफएसडीसी सम्मेलन में समिति ने निर्णय लिया कि नियामक सुशासन को बढ़ावा देने वाले उन सुझावों को स्वैच्छिक रूप से अपनाएंगे जिनके लिए यथोचित रूप से संभावित समय के अंतर्गत वैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है। प्रस्ताव निगम (आरसी), पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी (पीडीएमए), फाइनेंशियल सेक्टर अपीलेट ट्रिब्यूनल (ईएसएटी) तथा फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट सेन्टर (एफडीसी) जैसे नए अभिकरणों की स्थापना के लिए एक रोडमैप के निर्धारण के लिए योजना दृष्टिकोण के साथ एक कार्य बल की स्थापना का भी निर्णय लिया गया।

5.50 गैर-वैधानिक सुशासन-संवर्धन सिद्धांत के बारे में एकसमान तर्क आधारित समझ को विकसित करने में मदद करने तथा नियामकों के कार्य को सरल बनाने को ध्यान में रखते हुए, एक विस्तृत 'गाइडेंस हेंडबुक' को तैयार किया गया जिसमें आवश्यक रूप से सुशासन-संवर्धन प्रावधान/सुझाव, उनके तार्मिक, वैश्विक सुशासन व्यवहार के उपयुक्त उदाहरण तथा कार्यान्वयन पर निर्देश समाहित है।

5.51 इन सुझावों में, उपभोक्ता संरक्षण, खुदरा उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियमों के निर्माण की आवश्यकता, नियामक संस्थाओं को नोटिस, पारदर्शिता, बोर्ड सम्मेलनों में पारदर्शिता, रिपोर्टिंग, अनुमोदन, जांच, न्यायनिर्णयन, दण्ड का लगाया जाना तथा सामर्थ्य निर्माण से संबंधित मुद्दे सम्मिलित हैं। नियामकों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के लिए ताकि क्रियात्मक स्तर पर संसक्ति सुनिश्चित हो, एफएसएलआरसी सुझावों के गैर-वैधानिक पहलुओं पर आरबीआई के कार्यालय में अन्तः तकनीकी समूहों में भी विचार-विमर्श किया गया।

5.52 इसी दिशा में, सरकार का आरसी, पीडीएमए, एफएसएटी तथा एफडीएमसी पर कार्यदलों के माध्यम से तथा एफएसएलआरसी के वैधानिक पहलू की प्रक्रिया, आईएफसी मसौदे का उचित तालमेल, उपरोक्त योजना के तालमेल से उनके उचित एकीकरण के लिए विभिन्न अभिकरणों/नियामकों के कार्य में समन्वय, सामर्थ्य निर्माण के लिए तकनीकी कार्यक्रम का प्रबंधन के द्वारा तथा प्रबंधन सूचना (एमआईएस) को मजबूत करके, संस्थागत संरचनाओं को ठोस रूप देने का विचार है।

वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद सचिवालय

5.53 वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, अन्तः नियामक समन्वय का संवर्धन, तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से, सरकार ने दिसम्बर 2010 में, शीर्ष स्तर पर वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद (एफएसडीसी) की स्थापना की है। परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं तथा वित्तीय क्षेत्र नियामक अथॉरिटी के अध्यक्ष, वित्त सचिव तथा/या सचिव, आर्थिक मामले मंत्रालय विभाग, सचिव, वित्त सेवा विभाग तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार सदस्य के रूप में होते हैं। परिषद अर्थव्यवस्था के बृहत-प्रशासनिक पर्यवेक्षण को मॉनीटर करती है। तथा अन्त-नियामक समन्वय तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास मुद्दों को संबोधित करती है। यह वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय समावेशन पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करती है।

5.54 वर्ष 2013-14 में इसकी तीन बार बैठक हुई तथा वर्ष 2014-15 में दो बार मिल चुकी है इन सम्मेलनों के दौरान, परिषद, परिसम्पत्ति गुणवत्ता की स्थिति, देश में बैंकिंग व्यवस्था की पूंजीगत पर्याप्तता, वित्तीय साक्षरता के लिए

एफएसएलआरसी रिपोर्ट, वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण पर बल देती है।

एफएसडीसी ने मुख्य वित्तीय स्थिर मुद्दों की समीक्षा की है।

बॉक्स 5.4 : एफएसएलआरसी के अंतर्गत वित्तीय स्थिरता बोर्ड

वर्ष 2009 में जी20 के तत्वाधान में, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की स्थापना, राष्ट्रीय अंतरिटी, स्टैंडर्ड सैटिंग बॉडीस तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को एक साथ लाने, सुभेधता को संबोधित करने तथा कठोर नियामकों को कार्यान्वित करने, पर्यवेक्षण करने तथा वित्तीय स्थिरता के हितों को संबोधित करने के लिए की गई। भारत, एफएसबी का सक्रिय सदस्य है। आर्थिक मामले विभाग में, एफएसडीसी सचिवालय, विभिन्न वित्तीय क्षेत्र नियामकों तथा अन्य सार्थक अभिकरणों के साथ, एफएसबी के साथ भारत के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए तालमेल करता है। एफएसबी के एक सदस्य के रूप में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आईएमएफ) में, भारत ने जी-20 के तत्वाधान में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नियामक तथा पर्यवेक्षण रूपरेखा के आर्थिक संकट के बाद के सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत, जहां कहीं आवश्यकता हो अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा सर्वश्रेष्ठ व्यवहार को स्वीकार करने के लिए चरणबद्ध रूप से तथा स्थानीय परिस्थितियों के अंशांकन करने के प्रति वचनबद्ध रहा है।

राष्ट्रीय रणनीति, एफएसएलआरसी के सुझाव, संयुक्त राज्य अमेरिका में परिमाणात्मक सुलभता के कम होने का प्रभाव तथा उठाए जाने वाले निवारक कदम, कम्पनी अधिनियम 2013 में निर्धारित 'कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस' रेसोल्यूशन मेकेनिज्म को सरल बनाने के लिए नियामकों/सरकारों द्वारा उठाने वाले कदम, बाहरी क्षेत्र सुमेधता पर मूल्यांकन, बैंकों के द्वारा बेसल 111 कम्पलाइंट केपिटल इंस्ट्रूमेंट का जारी किया जाना इत्यादि (कृपया बॉक्स 5.4 देखें) की समीक्षा करती हैं।

मुख्य बाजार के लिए वैश्विक प्रतियोगिता

5.55 हाल ही के वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के एक नये युग एक प्रमुख विकास रहा है। भारत में दो सर्वाधिक बड़े बाजार रुपये तथा निफ्टी हैं। इन दोनों ही बाजारों में विदेशी स्थानों पर सक्रिय व्यापार का विकास हुआ है। विदेशी उपभोक्ताओं के पास एक ऑर्डर भेजने का विकल्प है वे भारत या कहीं और अपना ऑर्डर भेज सकते हैं; भारत में फर्मों तथा परिवार धीरे-धीरे विदेशी चुनाव का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत मुख्य बाजार में, प्रतियोगिता करने की अपनी क्षमता खो चुका है।

5.56 तालिका 5.19 रुपये के लिए वैश्विक बाजार की संरचना को प्रदर्शित करती है। ₹ में दैनिक गतिविधि 50.58 बिलियन डॉलर जुड़ गई है। विदेशी बाजार एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी के रूप में उभरा है। सारणी 5.20 निफ्टी के लिए वैश्विक बाजार की संरचना प्रदर्शित करती है। खुली व्यवस्था में आधे से भी अधिक, अब विदेशी है।

5.57 10 वर्ष पहले, इन दोनों क्षेत्रों में ही वैश्विक बाजार व्यवहारिक रूप से अनुपस्थित था। भारतीय वित्तीय व्यवस्था पर विदेशी बाजार के बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि एक प्रमुख बाहरी आघात है। वैश्विक प्रतियोगिता निजी खिलाड़ियों के लिए अधिक समर्थ बनने के लिए दबाव उत्पन्न करती है जो कि एक सकारात्मक विकास है। तथापि, देशी बाजार के दृष्टिकोण में नीतिगत समस्याएं अवरोधक की भूमिका अदा करती है। इस वैश्विक प्रतियोगिता के परिणाम छः तत्वों पर निर्भर है:

1. विदेशी निवेशकों के विरुद्ध पूंजीगत नियंत्रण में मतभेद हैं;
2. प्रायः स्थिति सीमा तथा हाशिये पर नियमों में तकनीकी गड़बड़ियां हैं;
3. गैर-आवासीय सहभागियों के साथ कर-व्यवहार में अनिश्चितता है।
4. भारत का बाजार प्रत्येक समय खुला नहीं रहता है।
5. यहां पर नौकरशाही तथा प्रक्रियागत बंधन है।
6. अन्य प्रतियोगी बाजारों की तुलना भारत का घरेलू बाजार में कम विकसित है।

(खुले हित के यूएस बिलियन डॉलर)

	व्यापारिक विनिमय	ओटीसी
समुद्र तटीय	10.6	20.9
अप तटीय	1.4	17.6

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय समझौता बैंक

सारणी 5.19 : रुपये के लिए विदेशी व्यापार

(खुले हित के यूएस बिलियन डॉलर)

	व्यापारिक विनिमय	ओटीसी
समुद्र तटीय	22.1	6.9
अप तटीय	0.0	22-8

स्रोत: एनएसई और एसजीएक्स

सारणी 5.20 : निफ्टी के लिए वैश्विक बाजार

बीमा तथा पेंशन

बीमा

5.58 प्रत्येक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वस्थ तथा विकासशील बीमा क्षेत्र का होना अति आवश्यक है। यह बचत व्यवहारों को बढ़ावा देता है, शहरी तथा ग्रामीण उपक्रमों तथा व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है तथा अवसंरचनात्मक विकास के लिए एक दीर्घावधि निधि का निर्माण करता है। इसलिए, बीमा का विकास निरंतर आर्थिक वृद्धि की सहायता के लिए आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा तथा पेंशन सुधारों से एक परिपक्व बीमा उद्योग को भी लाभ होता है। 2000 में इसके प्रारंभ के साथ से, बीमा उद्योग में सहभागियों की संख्या 7 बीमाकर्ता (जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी भी शामिल है), 4 सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक बीमाकर्ता, विशिष्ट बीमाकर्ता तथा सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) से बढ़ गई है। तथापि 53 बीमाकर्ताओं से यह सं. 31 मार्च, 2014 तक 2000 राष्ट्रीय युवा बीमाकर्ताओं तक पहुंच चुकी है जो कि जीवन गैर जीवन तथा पुनः बीमा खण्डों में कार्य कर रहे हैं।

जीवन बीमा

5.59 वर्ष 2013-14 में बीमाकर्ताओं ने पहले वर्ष का 1,19,641 करोड़ रु० का निम्नांकन किया था। जो कि पिछले वर्ष 2012-13 में 1,07,361 करोड़ था, जो कि बीमा क्षेत्र में 11.44 की वृद्धि प्रदर्शित करता है। निजी क्षेत्र के बीमा के प्रीमियम में 4.01 प्रतिशत की कमी देखी गई जबकि एलआईसी ने 17.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

गैर जीवन बीमा

5.60 वर्ष 2013-14 में गैर जीवन बीमा कर्ता जिसमें अकेले स्वास्थ्य बीमाकर्ता तथा विशेषीकृत (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम (इसीजीसी) तथा एग्रीकल्चर इंशोरेंस कम्पनी (एआईसी) सम्मिलित है।) ने पिछले वर्ष 2012-13 में 69,089 करोड़ रु० की तुलना में 77,583 करोड़ मूल्य के प्रीमियम का बीमा किया जो कि 12.23 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है (सारणी 5.21)

सूक्ष्म बीमा

5.61 बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा जारी सूक्ष्म बीमा नियामकों ने जरूरतमंद क्षेत्रों में बीमा को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक प्रोत्साहन दिए हैं। 2011-12 की तुलना में 2012 की समाप्ति तक 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, सूक्ष्म बीमा क्षेत्र में 17,052 सूक्ष्म बीमा एजेंट कार्य कर रहे थे। सूक्ष्म जीवन बीमा में 50.36 लाख पॉलिसियों के अंतर्गत, व्यक्तिगत नया कारोबार प्रीमियम वर्ष में 109.68 करोड़ रुपए था जो कि 2011-12 में 46.20 लाख पॉलिसियों के अंतर्गत बढ़ गया 115.68 करोड़ रुपए से थोड़ा ही कम है। 2012-13 में 139.81 लाख जीवन के तहत समूह कारोबार की राशि 218.03 करोड़ प्रीमियम रहा।

बीमा अंतर्प्रवेश और सधनता

5.62 बीमा अंतर्प्रवेश को किसी दिए गए वर्ष में, अंतलिखित प्रीमियम के साथ स.घ.उ. के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी प्रकार बीमा सधनता को किसी दिए गए वर्ष में अंतलिखित प्रीमियम के कुल जनसंख्या के साथ अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बीमा अंतर्प्रवेश 2000 में 2.3 प्रतिशत (1.8 प्रतिशत जीवन और 0.7 प्रतिशत गैर जीवन) से 2012 में 3.96 प्रतिशत (3.17 प्रतिशत जीवन और 0.78 प्रतिशत गैर जीवन) की वृद्धि हुई है।

पेंशन क्षेत्र

5.63 नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है, को जनवरी 2004 को अथवा उसके बाद सरकारी सेवा में भर्ती होने वाले नए

	(प्रतिशत)	
	2012-13	2013-14
गैर-सरकारी बीमाकर्ता	25.26	15.37
सार्वजनिक बीमाकर्ता	14.60	9.86

स्रोत: बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण

सारणी 5.21 : सार्वजनिक तथा गैर-सरकारी बीमाकर्ता द्वारा अंतः लिखित प्रीमियम में वृद्धि

कर्मचारियों पर लागू किया गया। 07 मई, 2014 तक 51,139 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ एनपीएस के अंतर्गत कुल 67.41 लाख लोगों का पंजीयन किया गया है। 01 मई, 2009 से एमपीएस को स्वैच्छिक आधार पर भारत के सभी नागरिकों हेतु खोला गया है। 2010 में आरंभ हुई स्वावलंबन योजना जिसे शुरू में 2010-11 में पंजीकृत हुए लाभभोगियों हेतु तीन वर्षों के लिए शुरू किया गया था को अब 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में पंजीकृत हुए लाभभोगियों हेतु पांच वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। अतः अब मूलभूत एनपीएस नमूने के कस्टोमाइज्ड वर्जन जिसे एनपीएस कंपनी क्षेत्र नमूना के नाम से जाना जाता है, को भी दिसम्बर, 2011 से शुरू किया गया ताकि व्यवस्थित क्षेत्र की संस्थाओं को उनके मौजूदा और भावी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत इसके कंपनी नमूने से जोड़ा जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों जो एनपीएस हेतु उपस्थिति के बिन्दु की भी भूमिका निभाते हैं, से उनकी वेबसाइट पर ऐसे लिंक की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। जिससे व्यक्तिगत उपभोक्ता अपना एनपीएस खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं।

एनपीएस के तहत 66 लाख अभिदाता पंजीकृत किये जा चुके हैं।

5.64 पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएसआरडीए) अधिनियम, 2013 को सितंबर, 2013 में संसद द्वारा पारित किए जाने के उपरांत 01 फरवरी, 2014 से प्रभावी बना दिया गया है। पीएसआरडीए अधिनियम, 2014 पीएसआरडीए के

संवैधानिक स्तर की जिम्मेदारी दिलवाना चाहता है ताकि इस स्तर से वह अपनी विनियामक और विकासशील भूमिका को कारगर तरीके से निभा सके तथा एनपीएस के माध्यम से अभी तक किसी आर्थिक सुरक्षा से वंचित रहने वाले काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सके।

चुनौतियां और दृष्टिकोण

- वित्तीय बाजार नकदी की कमी से ग्रस्त रहते हैं;
- प्रमुख उद्देश्य बंधपत्र-मुद्रा-व्युत्पन्न (बीसीडी) नेक्सस का विकास इक्विटी बाजार की गुणवत्ता के स्तर जैसा होना चाहिए;
- बैंकों के तुलन-पत्र की गुणवत्ता के बारे में तथा गैर-वित्तीय फर्मों के सबसेट से जुड़ी चिंताएं होती हैं;
- अधिकतर घरेलू कार्य अभी भी वित्तीय व्यवस्था के व्यापक हिस्से से कटे हुए हैं। वित्तीय समावेशन की बैंक केन्द्रित अवधारणा का सीमित मान है।;
- अवसरचनात्मक वित्तीयन की अगली लहर थी एक सक्षम बांड बाजार की आवश्यकता होगी;
- एफएसएलआरसी ने आईएफसी मसौदा प्रस्तावित किया है जो कि भारतीय वित्तीयन की समस्याओं को संबोधित करती है तथा एक आधुनिक वित्तीय व्यवस्था के लिए कार्यविधि तैयार करती है।

बीसीडी गठजोड़ को विकसित करना एक प्राथमिकता है।

आगे की दिशा

भारतीय वित्तीय संहिता

5.65 22 मार्च, 2013 को वित्तीय क्षेत्र के वैधानिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, सरकार को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट एफएसएलआरसी मसौदा, भारतीय वित्तीय संहिता अंतर्विष्ट था। आयोग ने आईएफसी विशेषज्ञों की समिति के एक दशक मतैक्य के आधार पर, आईएफसी कोड बनाया जो कि अधिकतर मौजूदा वित्तीय कानूनों को प्रतिस्थापित करता है। इसने भारतीय वित्तीय व्यवस्था की मौजूदा कमियों को संबोधित करके खोजा तथा यह आने वाले 30 वर्षों की भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

5.66 आईएफसी वित्तीय नियमन के लिए जहां आवश्यक हो स्पष्ट उद्देश्यों को जोड़ता है। ये हैं: उपभोक्ता संरक्षण, माइक्रो प्रूडेंशियल रेग्यूलेशन, प्रस्तावना, व्यवस्थागत जोखिम कर्मा, व्यवस्थित, ऋण प्रबंधन, पूंजी नियंत्रण तथा मौद्रिक नीति। प्रत्येक क्षेत्र में, सक्षिप्त उद्देश्य बताए गए हैं तथा वित्तीय अभिकरणों को सक्षिप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।

5.67 आईएफसी औपचारिक प्रक्रिया पर अत्यधिक बल देता है जिसके माध्यम से वैधानिक, कार्यकारी तथा न्यायिक कार्य, वित्तीय नियामकों में स्थान ग्रहण करते हैं। कानून का शासन तथा उत्तरदायित्व के सिद्धांत, नियामकों के बीच जांच तथा संतुलन को बेहतर परिवेश के निर्माण में प्रयोग किये जाते हैं।

5.68 वर्तमान वित्तीय नियामक वास्तु, पिछली शताब्दी की घटनाओं के माध्यम से, किसी स्थिर नमूने के बिना सामने आए हैं। एफएसएलआरसी ने एक परिवर्तित वित्तीय नियामक वास्तु को तैयार किया है जो कि प्रत्येक संगठन के लिए उद्देश्य की स्पष्टता को प्राप्त करके उत्तरदायित्व को बढ़ावा देगी तथा हितों के विवाद को दूर रखेगी। परिवर्तित प्रबंध क्षेत्र तथा स्केल, निजी तथा सरकारी क्षेत्र के लिए संबंधित गतिविधियों की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

5.69 एफएसएलआरसी ने निर्णय लिया है कि जब तक आईएफसी ड्राफ्ट एक बिल है जिसे एफएसएलआरसी द्वारा प्रस्तावित बहुत से परिवर्तनों के लिए संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता है, को किसी वैधानिक परिवर्तन के बिना स्वैच्छिक रूप से लागू किया जा सकता है। उत्कृष्ट व्यवहारों के लिए उदाहरण प्रदान करने तथा एफएसएलआरसी के द्वारा सुझाए गए उपायों के अनुपालन में वित्त मंत्रालय ने भारतीय वित्तीय व्यवस्था के मसौदे की गैर-वैधानिक तत्व तथा सुशासन संवर्धन को अपनाने पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है।

अध्याय 6

भुगतान संतुलन

भारत की भुगतान संतुलन (बीओपी) की स्थिति में 2013-14 में विशेषकर अंतिम तीन तिमाहियों में नाटकीय सुधार हुआ है। इसका अधिकांश श्रेय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों और कुछ हद तक समग्र वृहद् आर्थिक मंदी को जाता है जो विदेशी क्षेत्र में घटी। चालू खाता घाटा (सीएडी) में 2012-13 में 88.2 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद सघउ के 4.7%) के रिकार्ड उच्च स्तर से तेजी से गिरकर 2013-14 में 32.4 बिलियन अमरीकी डालर (सघउ के 1.7%) रह गया। 2011-12 और 2012-13 में सघउ के 4% से ऊपर खतरनाक अवहनीय स्तरों पर रहने के उपरांत, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार राहत देता है और इस बेहतर होती स्थिति को बरकरार रखने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे-जैसे सीएडी में कमी आई, निवल पूंजी प्रवाह 2012-13 में 92.0 बिलियन अमरीकी डालर से कम होकर 2013-14 में 47.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, और वह भी तब जब अनिवासी भारतीय (एनआरआई) स्कीम/बैंकों के विदेशी उधार के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष स्वैप विंडो से ही 34.0 बिलियन अमेरिकी डालर प्राप्त हुए। इससे विदेशी ऋण के स्तर में कुछ बढ़ोतरी हुई लेकिन यह नियंत्रणीय स्तरों पर बना रहा। 2013-14 में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार के होते हुए भी वर्ष के दौरान रुपए में अत्यधिक अवमूल्यन के लिए आंशिक तौर पर बाधक शक्तियों और फोरेक्स बाजार में अभिव्यय अपेक्षाओं को उत्तरदायी माना जा सकता है। हाल में रुपए में स्थिरता आई है, जिससे फोरेक्स बाजार में कुल मिलाकर विश्वास का भाव परिदृष्ट होता है जैसाकि बेहतर अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के लिए परिवर्तनों को लेकर अन्य वित्तीय बाजारों में होता है। इस आशावाद को, निवेशों के अंतर्वाह हेतु सहायक वातावरण बनाकर पोषित व निर्मित करने की जरूरत है ताकि अभी तक अनिश्चित वैश्विक वातावरण में वैदेशिक स्थिति को सम्पोषित किया जा सके।

वैश्विक आर्थिक वातावरण

6.2 ऐसा प्रतीत होता है कि हाल के कुछ महीनों में वैश्विक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और इसमें और अधिक सुधार की आशा है। हाल में वैश्विक विकास में बढ़ोतरी मुख्यतः उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और कुछ उभरते बाजार व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में केन्द्रित है। वित्तीय बाजार की आसान होती स्थितियों और क्रमिक रूप से उभरते उपभोक्ताओं व व्यवसायिक विश्वास में क्रमिक सुधार से वृद्धि में सहायता मिली है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से अधिक प्रबल विदेशी मांग से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के विकास में मदद मिलेगी।

6.3 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) (अप्रैल 2014) ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2013 में 3.0% 2014 में 3.6 प्रतिशत और 2015 में और अधिक 3.9% की मजबूती का अनुमान लगाया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2014 में पर्याप्त वृद्धि अर्थात् 2.2% की वृद्धि की आशा है जबकि उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 4.9% की वृद्धि दर का अनुमान है, जो 2013 में आउटकम की अपेक्षा थोड़ा बेहतर है (सारणी 6.1)। विस्तारित आर्थिक कार्यकलाप

वर्ष-दर-वर्ष % बदलाव

	2012	2013	अनुमान	
			2014	2015
वैश्विक आउटपुट*	3.2	3.0	3.6	3.9
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	1.4	1.3	2.2	2.3
संयुक्त राज्य	2.8	1.9	2.8	3.0
यूरो क्षेत्र@	-0.7	-0.5	1.2	1.5
जापान	1.4	1.5	1.4	1.0
यूनाइटेड किंगडम	0.3	1.8	2.9	2.5
उदीयमान व विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	5.0	4.7	4.9	5.3
चीन	7.7	7.7	7.5	7.3
भारत#	4.7	4.4	5.4	6.4
विश्व व्यापार परिमाण (वस्तुएं व सेवाएं)	2.8	3.0	4.3	5.3

सारणी 6.1 : वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक
प्रोजेक्शन्स: अवलोकन

स्रोत: आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक अपडेट, अप्रैल, 2014

टिप्पणी : * त्रैमासिक अनुमान वैश्विक क्रय शक्ति-समानता अधिमान के 90 प्रतिशत के लिए है।

@ लैट्विया को छोड़कर

भारत के लिए आंकड़े और अनुमान राजकोषीय वर्ष आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं और आउटपुट वृद्धि बाजार कीमतों पर जीडीपी पर आधारित है। तदनुसार कारक लागत पर वृद्धि अनुमान 4.6, 5.4 तथा 6.4 प्रतिशत क्रमशः 2013, 2014 तथा 2015 के लिए।

के अनुरूप, विश्व व्यापार की धीरे-धीरे बहाली का अनुमान भी है; यद्यपि इसकी गति पूर्व वैश्विक संकट से अपेक्षाकृत धीमी है।

6.4 ईएमई अधिक मुश्किल विदेशी वित्तीय वातावरण से तालमेल बिठा रहा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निवेशक कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर विकास व मौद्रिक नीति की संभावनाएं होते हुए भी नीतिगत कमजोरी व हानियों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। ईएमई में वृद्धि के संयत तरीकों से बढ़ोत्तरी की आशा है। अधिक प्रबल विदेशी मांग के होते हुए भी घरेलू कमजोरी की निरंतरता के चलते ईएमई की संभावनाएं कुछ अनिश्चित हैं। कुछ देशों में कारपोरेट को नुकसान की संभावनाओं की स्थिति में परिवर्तनशील पूंजी प्रवाह व उच्चतर ब्याज दरें चिंता का मुख्य विषय बनी हुई हैं और वित्तीय स्थितियों के निरंतर सख्त होने से निवेश और विकास में कमी आ सकती है। आईएमएफ (डब्ल्यूईओ अप्रैल 2014) के अनुसार, संभावनाओं में सुधार के बावजूद, वैश्विक बहाली अभी भी कमजोर है और उद्योगपति के लिए पर्याप्त जोखिम बना हुआ है। इनमें भू-राजनीतिक जोखिम, फैलाव का जोखिम और निवेशकों की ओर से अत्यधिक जोखिम से बचने के नए दौर शामिल हैं जिसके परिणामतः वित्तीय बदहाली और अधिक बिगड़ सकती है। दबावग्रस्त यूरो क्षेत्र में, विकास के कमजोर व क्षीण बने रहने का अनुमान है क्योंकि अधिक ऋण व वित्तीय विखण्डन से घरेलू मांग रुकी हुई है।

6.5 विकसित देशों में वित्तीय स्थिति के सामने कई चुनौतियां हैं। बाण्ड बाजार विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उधार मौद्रिक नीतियों में परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदी है क्योंकि विदेशी निवेशक स्थानीय बाजारों में इकट्ठे हो गए हैं और प्रतिकूल हालातों के हल्के से अंदेश से निवेश वापस ले सकते हैं। ऋण विस्तार के अधिक लंबे अंतराल एवं बढ़ते कारपोरेट मुनाफे के उपरांत, उभरते हुए बाजारों की आधारभूत संरचना कमजोर हुई है। नीति निर्माताओं के सामने मजबूत विकास और वित्तीय स्थिरता को बरकरार रखते हुए अधिक संतुलित व स्थायीवत वित्तीय क्षेत्र में संक्रमण के जोखिम का प्रबंधन मुख्य चुनौतियां होंगी।

6.6 भारतीय अर्थव्यवस्था में बाह्य-क्षेत्र के मोर्चे पर काफी सुधार आया है जो हॉल ही के महीनों में अधिक लचीला बन गया है। 2013-14 के दौरान भारत

की भुगतान संतुलन की स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिला है क्योंकि मजबूत वैश्विक बहाली और रुपए के अवमूल्यन के बीच मर्चेन्डाइज निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। जबकि भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुख्यतः सोने का आयात और सोने के अंतर्राष्ट्रीय दामों में पर्याप्त गिरावट को सीमित करने के लिए किए गए बहुत से उपायों के कारण आयात में गिरावट आई है निम्न सीएडी और विदेशी विनिमय आरक्षित निधि के जमा होने से मुद्रा के नीचे की ओर दबाव एवं भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता में कमी आने लगी।

6.7 भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से अधिकाधिक जुड़ रहा है जैसाकि इसके बाह्य क्षेत्र के दुतरफा लेन-देन के आकार से स्पष्ट है जो 2013-14 में देश के जीडीपी के लगभग 113% तक पहुंच गया। वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव को विभिन्न साधनों जैसे व्यापार, वित्त और विश्वास से दूर किया जा सकता है। अतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं में किसी प्रतिकूल/अप्रत्याशित घटना से भुगतान संतुलन में बाधा आ सकती है।

भुगतान संतुलन घटनाक्रम

भारत के भुगतान संतुलन का सिंहावलोकन

6.8 2013-14 के दौरान आउटकम में तीव्र सुधार देखा गया था और सीएडी 2012-13 एवं 2011-12 में क्रमशः 88.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 78.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 32.4 तक सीमित था। भारत के भुगतान संतुलन पर दबाव, जो 2011-12 के दौरान यूरो जोन संकट और कुछ मुख्य आयातों की अप्रत्याशित घरेलू मांग के रूप में देखा गया, 2012-13 और 2013-14 की पहली तिमाही में भी जारी रहा। तथापि भारत में पूंजी प्रवाह (निवल) उच्च रहा और यह 2012-13 में बढ़े सीएडी के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त था जिससे आरक्षित निधि में 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का थोड़ा सा संचय हुआ। कमजोर निर्यात स्तर और अपेक्षाकृत स्थिर आयात स्तर के कारण व्यापार घाटे में हुई बढ़ोतरी की वजह से 2012-13 में सीएडी के स्तरों में अधिक अंतर हो गया। कच्चे पेट्रोलियम आयात पर भारत की निर्भरता और आयातों में बढ़ोतरी, वैश्विक वित्तीय संकट के आगमन में सोने के आयात के बढ़े स्तरों की वजह से थी। 2012-13 और 2013-14 में पेट्रोलियम से इतर तेल ल्यूब्रीकेंट (पीओएल) और सोने चांदी से इतर आयातों में गिरावट आई।

6.9 पूंजी प्रवाह (निवल) 2011-12 में 65.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2012-13 में 92.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 2013-14 में 47.9 अमेरिकी डॉलर हो गया (सारणी 6.2)। यह नरमी निश्चित रूप से “अल्पकालिक ऋण” और “अन्य पूंजी” में पोर्टफोलियो निवेश और निवल बहिर्वाह में तीव्र मंदी को प्रतिबिंबित करती है। तथापि, गत वित्तीय वर्ष में तिमाहियों में काफी भिन्नताएं थीं, जो अंशतः घरेलू और विदेशी कारकों से स्पष्ट है। मई 2013 के उत्तरार्ध में, निश्चित कार्रवाई के संकेत के रूप में बाजार द्वारा आस्तियों की खरीद के अपने कार्यक्रम को बंद करने संबंधी यूएस फेड द्वारा लिए गये निर्णय से विश्वभर में ऋण बाजारों से धन वापस लिया जाने लगा, जिससे ईएमई की मुद्राओं का तेजी से अवमूल्यन हुआ। अधिक सीएडी वाले देशों में बहिर्वाह का परिमाण अधिक था और उनकी मुद्राओं का तेजी से अवमूल्यन हुआ। चूंकि भारत में पहली तिमाही में व्यापार घाटा काफी अधिक था, बाजार के बारे में इन नकारात्मक अटकलों से विदेशी संस्थागत निवेश (एफ आईआई) ऋण क्षेत्र में तेजी से बहिर्वाह हुआ जिससे मई 2013 और अगस्त 2013 के बीच रुपए का 13% तक अवमूल्यन हुआ।

क्र. सं०	मद	2009-10	2010-11	2011-12 ^{बीआर}	2012-13 ^{बीआर}	2013-14 ^{बी}
I	चालू खाता					
1	निर्यात	182442	256159	309774	306581	318607
2	आयात	300644	383481	499533	502237	466216
3	व्यापार संतुलन	-118202	-127322	-189759	-195656	-147609
4	अदृश्य (निवल)	80022	79269	111604	107493	115212
	क-सेवाएं	36016	44081	64098	64915	72965
	ख-अंतरण	52045	53140	63494	64034	65276
	ग-आय	-8038	-17952	-15988	-21455	-23028
	चालू खाता शेष	-38180	-48053	-78155	-88163	-32397
II	पूंजी खाता					
i.	विदेशी सहायता	2890	4941	2296	982	1032
ii.	विदेशी वाणिज्यिक उधार	2000	12160	10344	8485	11777
iii.	अल्पावधिक ऋण	7558	12034	6668	21657	-5044
iv.	बैंकिंग पूंजी जिसमें से अनिवासी जमा	2083	4962	16226	16570	25449
	जमा	2922	3238	11918	14842	38892
v.	विदेशी निवेश	50362	42127	39231	46711	26386
	क. एफडीआई	17966	11834	22061	19819	21564
	ख. पोर्टफोलियो निवेश	32396	30293	17170	26891	4822
vi.	अन्य प्रवाह	-13259	-12484	-7008	-5105	-10813
	पूंजी खाता शेष	51634	63740	67755	89300	48787
	पूंजी खाता (भूल-चूक सहित)	51622	61104	65323	91989	47905
III	भूल-चूक	-12	-2636	-2432	2689	-882
IV	समग्र शेष	13441	13050	-12831	3826	15508
V	आरक्षित निधि परिवर्तन (+ वृद्धि को दर्शाता है - कमी को दर्शाता है)	-13441	-13050	12831	-3826	-15508

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

पी.आर.: अंशतः संशोधित

पी: प्राथमिक

6.10 सरकार, गैर आवश्यक वस्तुओं जैसे सोने के आयात पर प्रतिबंध, सोने-चांदी में सीमा शुल्क में 10% तक की सबसे अधिक बढ़ोत्तरी और अर्ध-सरकारी बंधपत्रों के द्वारा पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के उपायों व विदेशी व्यावसायिक उधार के उदारीकरण के माध्यम से स्थिति को सही करने के लिए तेजी से हरकत में आई। भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] और बैंक के विदेशी उधार के लिए एक विशेष स्वैप विंडो की व्यवस्था भी की जिसके माध्यम से 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्र किए गए। अतः 2013-14 में निवल पूंजी अंतर्वाह में नरमी, एक बारगी पावतियों को छोड़कर, बहुत अधिक थी। एक बारगी प्रवाहों से रुपए के बारे में बाजार के नकारात्मक भाव और क्रमिक रूप में भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार को दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप विनिमय दर में तेजी से सुधार और 2013-14 में 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल संचय हुआ।

चालू खाता घटनाक्रम 2012-13

6.11 2011-12 में आयात व निर्यात, दोनों में मजबूत वृद्धि दर्ज करने के उपरांत, 2012-13 में मर्चेन्डाइज व्यापार (भुगतान संतुलन आधार पर) में मंदी देखी गई जिससे निर्यात स्तर में 2011-12 में 309.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 306.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट और आयात स्तर में हल्की सी बढ़ोत्तरी हुई और यह 502.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इसके परिणामतः व्यापार घाटे में 2011-12 में 189.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2012-13 में 195.7 बिलियन अमेरिकी

सारणी 6.2 : भुगतान संतुलन
(अमेरिकी डॉलर मिलियन में)

डालर की बढ़ोत्तरी हुई। निर्यात में गिरावट मुख्यतः यूरो जोन संकट के बाद विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी से उत्पन्न वैश्विक मांग में कमजोरी आने की वजह से थी, जिसकी व्यापार के वैविध्य से अंशतः ही प्रतिपूर्ति की जा सकती है। पीओएल-भिन्न आयात में आंशिक कमी आई जबकि पीओएल आयात में रूकावट से अपेक्षाकृत अधिक आयात हुआ। कच्चे तेल के मूल्यों में उछाल आने पर (भारतीय समूह) 2011-12 के आरंभ में पीओएल के निवल आयात में 99.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की तेजी आई और अगले दो वर्षों में यह 103.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऊंचाई पर बना रहा। इसी तरह, 2011-12 में सोने चांदी का आयात 61.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऊंचाई तक बढ़ा और 2012-13 में इसमें केवल थोड़ी सी नरमी आई। अतः 2012-13 में व्यापार घाटा अधिक व्यापक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा।

6.12 सेवा और अंतरण, दो मुख्य संघटकों (प्रत्येक लगभग 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के अंतर्गत निवल अंतर्वाह के अपेक्षाकृत स्थिर स्तरों से, यह आय में निवल बहिर्वाह (मुख्यतः निवेश आय) ही था, जो समग्र निवल अदृश्य संतुलन के स्तरों में कमी को व्यक्त करता है। निवल अदृश्य अधिशेष 2011-12 में 111.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना 2012-13 में 107.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर था। गैर-कारक लेखा सेवाओं में सॉफ्टवेयर सेवा का वर्चस्व बना हुआ है और इसमें 2012-13 में निवल आधार पर 4.2% की वृद्धि हुई जिसमें कुल लाभ 63.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अन्य सेवाओं में व्यापक रूप से कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। निजी अंतरण 2012-13 में, मौटे तौर पर उसी स्तर पर बना रहा, जिस पर 2011-12 में था। मानक लेखा व्यवहार के अनुसार निवेश आय को व्यय के नाम से दर्ज किया गया है जिसमें लाभ/ब्याज आदि का प्रत्यावर्तन शामिल होता है। यह रफ्तार से आगे बढ़ रहा है जो 2011-12 से सीएडी के बाह्य वित्तपोषण के अत्यधिक संचयन को दर्शाता है। 2012-13 में निवेश आय (निवल) व्यय, सीएडी का 25.4% था।

6.13 व्यापार घाटे की बढ़त बने रहने और इसके थोड़े और बढ़ने एवं निवल अदृश्य संतुलन में कमी आने से सीएडी 2011-12 में 78.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2012-13 में 88.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। जीडीपी के अंश के तौर पर, सीएडी जो 2011-12 में 4.2% या 2012-13 में बढ़कर 4.7% की ऐतिहासिक ऊंचाई पर चला गया। यह बढ़ोत्तरी इस तथ्य की वजह से भी है कि रुपए की विनिमय दर में अवमूल्यन के कारण अमेरिकी डॉलर में जीडीपी मौटे तौर पर दोनों वर्षों में 1.8 ट्रिलियन के समान स्तर पर बना रहा।

2013-14 में चालू खाता घटनाक्रम

6.14 प्रमुख संकेतकों के संदर्भ में 2011-12 से मौटे तौर पर देखा गया रूझान 2013-14 की पहली तिमाही में भी जारी रहा। आयात के लगातार 9 तिमाहियों में लगभग 120-130 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति तिमाही) और अधिकांश तिमाहियों में आयात (दो वित्त वर्षों की अंतिम तिमाही को छोड़कर) 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से नीचे बने रहने से व्यापार घाटा अप्रैल-जून 2013 तक नौ तिमाहियों के लिए प्रत्येक तिमाही में लगभग 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर या अधिक ऊंचाई पर बना रहा। पहली तिमाही में व्यापार घाटा की बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से 2013-14 के प्रथम दो माह में सोने चांदी का अधिक आयात करने की वजह से थी। अमेरिकी फेडरेशन द्वारा खरीदी गई परिसम्पत्तियों को क्रमिक रूप से कम करने की आशंका को ध्यान में रखते हुए विश्व बाजार में उत्पन्न सोच के अनुरूप व्यापार घाटे में वृद्धि हुई जिसके परिणाम स्वरूप रुपए का अधिक तेजी से अवमूल्यन हुआ। इससे भारत में आवश्यक रूप से सीएडी की स्थिरता के बारे में चिंताएं प्रतिबिंबित हुईं। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात को बढ़ावा देने और आयात, खासकर सोने व गैर-अनिवार्य वस्तुओं के आयात को कम करने व पूंजी प्रवाह में बढ़ोत्तरी के लिए बहुत से समन्वित उपाय किए। इसके

परिणामस्वरूप, विदेशी मोर्चे पर पर्याप्त सुधार हुआ है (वित्त मंत्रालय के अर्धवार्षिक आर्थिक विश्लेषण 2013-14 में स्थायित्व संबंधी सरोकारों व किए गए उपायों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है)।

6.15 किए गए उपायों से अंतिम तीन तिमाहियों व 2013-14 में पूरे वित्तीय वर्ष में भुगतान संतुलन में नाटकीय बदलाव आया। अंतिम तीन तिमाहियों में निर्यात में लगभग 80 बिलियन अमरीकी डालर प्रति तिमाही का उछाल और आयात में 114 बिलियन अमरीकी डालर प्रति तिमाही की नरमी आई। इससे इन तीनों तिमाहियों में व्यापार घाटे में 30-33 बिलियन प्रति तिमाही का संकुचन हुआ। इसके परिणामतः कुल मिलाकर, निर्यात निष्पादन 2012-13 में 306.6 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2013-14 में 318.6 बिलियन अमरीकी डालर; आयात में 2012-13 में 502.2 बिलियन अमरीकी डालर से 466.2 बिलियन अमरीकी डालर की कमी; और व्यापार घाटे में 147.6 बिलियन अमरीकी डालर की कमी रही, जो 2012-13 से 48 बिलियन अमरीकी डालर कम था। जीडीपी के अंश के रूप में, भुगतान संतुलन पर व्यापार घाटा 2012-13 में 10.5% की तुलना में 2013-14 में जीडीपी का 7.9% था।

6.16 2013-14 बनाम 2012-13 में व्यापार घाटे का अपघटन इंगित करता है कि भुगतान संतुलन आधार पर व्यापार घाटे में कुल 48.0 बिलियन अमरीकी डालर की कमी में से, सोने-चांदी के आयात में लगभग 47% की कमी आई, पीओएल-भिन्न और स्वर्ण भिन्न आयात में कमी 40% थी और निर्यात में परिवर्तन की हिस्सेदारी 25% थी। पीओएल व डीजीसीआईएण्डएस-भिन्न (वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय) के अंतर्गत आयात का 2012-13 की तुलना में 2013-14 में कमी की प्रक्रिया में 12% तक का नकारात्मक योगदान रहा।

6.17 2013-14 में निवल अदृश्य अधिशेष 28-29 बिलियन प्रति तिमाही पर स्थिर बना रहा जिसके फलस्वरूप कुल मिलाकर 115.2 अमरीकी डालर का निवल अधिशेष रहा। सॉफ्टवेयर सेवाओं में 2012-13 में 63.5 बिलियन अमरीकी डालर से 2013-14 में 67.0 बिलियन अमरीकी डालर का थोड़ा सुधार हुआ। तथापि, अकारक सेवाओं में यह 2012-13 में 64.9 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अंशतः 73.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, क्योंकि सभी तिमाहियों में व्यवसायिक सेवाओं ने सकारात्मक प्रदर्शन किया और इसीलिए 2012-13 में 1.9 बिलियन अमरीकी डालर के बहिर्वाह की तुलना में 2013-14 में 1.3 बिलियन का निवल अंतर्वाह था। व्यवसाय सेवाएं पूर्व में 2007-08 व 2008-09 में सकारात्मक थी। निजी अंतरण जो 2012-13 में 64.3 बिलियन अमरीकी डालर था, में थोड़ा सुधार हुआ और 2013-14 में यह 65.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। तथापि 2013-14 में निवेश आय-व्यय 23.5 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि 2012-13 में यह 22.4 बिलियन अमरीकी डालर था। हाल की तिमाहियों में सकल बहिर्वाह के स्तरों में बढ़त रही है, जो निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति आईआईपी के बड़े स्तरों को दर्शाता है जो 2011-12 और 2012-13 में निवल वित्तीय आवश्यकताओं के बड़े स्तरों का परिणाम है।

6.18 व्यापार में पूर्ववर्ती विकास और भुगतान संतुलन के अदृश्य लेखों के परिणामस्वरूप 2013-14 में सीएडी में थोड़ी नरमी आई और यह 2012-13 में 88.2 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 32.4 बिलियन डालर पर आ गया। जहां तक तिमाही परिणामों का संबंध है, अप्रैल-जून 2013 में सीएडी 21.8 बिलियन अमरीकी डालर था और जुलाई-सितंबर, 2013 में नरम होकर यह लगभग 5.2 बिलियन अमरीकी डालर, अक्टूबर-दिसंबर 2013 में 4.1 बिलियन अमरीकी डालर और जनवरी-मार्च, 2014 में 1.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। जीडीपी के अनुपात के रूप में 2013-14 में सीएडी 1.7% था और विनियम दर अवमूल्यन से तुलना करने पर यह 2008 में संकट पूर्व हासिल स्तरों की तुलना में सकारात्मक था।

2012-13 में पूंजी/वित्त लेखा

6.19 जहां तक वृहद् अर्थव्यवस्था की पहचान का संबंध है, एक क्षेत्र में संसाधन व्यय को किन्हीं अन्य क्षेत्रों से उधार के जरिये वित्तपोषित करने की जरूरत होती है और निरंतर ऊंचे चालू खाता घाटा के लिए भारत में पर्याप्त निवल पूंजी/वित्त प्रवाह अपेक्षित होता है। विदेशी विनिमय की मांग व आपूर्ति में किसी भी असंतुलन, चाहे बाधित हो अथवा आवर्ती हो, से रुपए की विनिमय दर में बदलाव होगा। विश्लेषणात्मक प्रयोजनों के लिए इन प्रवाहों को अल्पकालिक व दीर्घकालिक और ऋण व ऋण भिन्न प्रवाहों के हिसाब से 2x2 स्कीमों में वर्गीकृत करना उपयोगी होगा। वर्गीकरण की इस स्कीम का प्रवाह की स्थिर/अथवा अस्थिर प्रकृति के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है।

6.20 वित्तपोषण के लिए अधिमानता क्रम में, स्थायी निवेश प्रवाह जैसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और स्थिर ऋण प्रवाह जैसे विदेशी सहायता, विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और अनिवासी भारतीयों के जमा आधार पर किया जाता है, जिससे ऐसे रुपए का व्यय अनिवार्य हो जाता है जिसे पूरा आहरित कर लिया गया है। सर्वाधिक परिवर्तनशील प्रवाह एफआईआई निवेश है जिसके बाद अल्पकालिक ऋण व एफसीएनआर जमा की बारी आती है। जबकि 2008 के संकट के बाद से निवल वार्षिक आधार पर एफआईआई काफी हद तक सकारात्मक रहा, इसमें बड़े चक्रीय घुमाव आते रहे और एक इकाई निवल प्रवाह प्रदान करने के लिए सकल प्रवाह के संदर्भ में बड़े परिमाण अपरिहार्य बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में, यह देखा जा सकता है कि 1990 के बाद और वैश्विक वित्तीय संकट के पूर्व सीएडी, मोटे तौर पर, नरम रहा और इसका वित्तपोषण आसान था। वस्तुतः संकट से ठीक पहले भारतीय रिजर्व बैंक का फोकस विनिमय दर के प्रबंधन व अधिशेष पूंजी प्रवाह के सफाये पर था। 2008 के संकट के उपरांत सीएडी में बढ़त बनी रही है जो स्तर 2008 से पूर्व कई बार था।

6.21 2012-13 में, निवल पूंजी प्रवाह 92.0 बिलियन अमरीकी डालर था और एफआईआई अंतर्वाह (निवल) सर्वाधिक 27.6 बिलियन अमरीकी डालर एवं दीर्घकालिक ऋण (निवल) 21.7 बिलियन अमरीकी डालर था। इसके अलावा बैंकों द्वारा कुल मिलाकर काफी अधिक विदेशी उधार था जो वित्त के परिवर्तनशील स्रोतों पर निर्धारण को इंगित करते हैं। वार्षिक आधार पर, इस तथ्य के कारण एफआईआई निवल प्रवाह 2008 के संकट के बाद उच्च स्तर पर था, ऐसा इसलिए था क्योंकि निवेशकों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं से लाभ में आस्था हो गई थी, जो 2009 में वैश्विक संकट के प्रति लोचशीलता को दर्शाता है। यूरो जोन संकट के कारण 2011-12 में निवल अंतर्वाह में कुछ कमी थी। अंतर वार्षिक आधार पर, जोखिम में परिवर्तन की अटकलों के कारण एफआईआई प्रवाह में काफी बदलाव था, जिसका भारी वित्तीय आवश्यकता की दशा में रुपये की विनिमय दर पर अचानक प्रभाव पड़ा था।

6.22 जबकि 2010-11 से ईसीबी के तहत निवल प्रवाह में गिरावट का रुझान 2012-13 में भी जारी रहा। आयात हेतु व्यापार ऋण पर बढ़ती निर्भरता 2011-12 से 6.7 बिलियन अमरीकी डालर से 2012-13 में 21.7 बिलियन डालर तक निवल व्यापार ऋण में तीव्र वृद्धि हुई। वस्तुतः, पूंजी प्रवाह 2011-12 के दौरान 65.3 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 3.5%) से 2012-13 में 40.0 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर से 92.0 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 4.9%) हो गया। पूंजी अंतर्वाह, ऊंचे सीएडी के वित्तपोषण हेतु पर्याप्त थे और 2012-13 में विदेशी मुद्रा भण्डार में 3.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया तथापि अंतर वर्ष में प्रथम तीन तिमाहियों में, तिमाही-दर-तिमाही उच्चतर प्रवाह थे, निवल पूंजी प्रवाह कम था अथवा सीएडी के वित्तपोषण के लिए बमुश्किल पर्याप्त था लेकिन

चौथी तिमाही में, जबकि निवल पूंजी प्रवाह के स्तर में अचानक से कमी आई, सीएडी में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से नरमी आई जिससे 2.7 बिलियन अमरीकी डालर आरक्षित निधि का संचय हुआ।

2013-14 में पूंजी/वित्त लेखा

6.23 2013-14 में परिणाम मिश्रित थे। 2013-14 की पहली तिमाही में उच्चतर सीएडी का वित्तपोषण काफी हद तक पूंजी प्रवाह के माध्यम से हुआ; लेकिन 2012-13 की चौथी तिमाही में देखी गई नरमी 2013-14 में भी जारी रही। यू. एस. द्वारा मई, 2013 में अपनी आस्तियों की खरीद को वापस लेने संबंधी सूचना और इसकी प्रतिक्रिया से विश्वभर में फोरेक्स बाजारों से काफी अधिक पूंजीगत बहिर्वाह रहा। यह एफआईआई के ऋण क्षेत्र में अधिक मुखरता से अभिव्यक्त हुआ। ऐसी दशा में, हालांकि जुलाई-सितम्बर, 2013 के सीएडी में तीव्र गिरावट थी, निवल पूंजी अंतर्वाह नकारात्मक हो गया जिससे आरक्षित निधि में उस तिमाही में 10.4 बिलियन अमरीकी डालर की भारी गिरावट आई। पहली दो तिमाहियों में एफडीआई निवल अंतर्वाह अच्छा बना रहा और भारत में निरंतर अंतर्वाह को बहिर्गामी एफडीआई के निम्न व्यय का आश्रय मिलना हालांकि तीसरी तिमाही में एफआईआई के प्रवाह में बदलाव था, और भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष स्वैप सुविधा एवं बैंकिंग विदेशी उधार कार्यक्रम की प्रतिक्रिया में एनआरआई जमा के अंतर्गत भारी अंतर्वाह था, अन्य प्रवाह स्तरों में कुछ कमी थी। इसके परिणामस्वरूप इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय रिजर्व बैंक के विशेष स्वैप विंडो को भारी मुनाफा सीधे भारतीय रिजर्व बैंक की फोरेक्स आरक्षित निधि में चला गया, तीसरी तिमाही में आरक्षित निधि में 19.1 बिलियन अमरीकी डालर की संचयन हुआ। हालांकि चौथी तिमाही में एफडीआई अंतर्वाह में मंदी आई, विदेशी एफडीआई के कारण उच्चतर बहिर्वाह के साथ-साथ अल्पकालिक ऋण के बहिर्वाह से भारत में निवल पूंजी अंतर्वाह में नरमी आई।

6.24 अतः पूरे वर्ष के लिए, निवल पूंजी अंतर्वाह पूर्व वर्ष में 92.0 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 47.9 बिलियन अमरीकी डालर था। जबकि निवल एफडीआई 21.6 बिलियन अमरीकी डालर था, पोर्टफोलियो निवेश (मुख्यतः एफडीआई) 4.8 बिलियन अमरीकी डालर, ईसीवी, 11.8 बिलियन अमरीकी डालर और गैर-निवासी भारतीय जमा 38.9 बिलियन अमरीकी डालर था, अल्पकालिक ऋण 5.0 बिलियन अमरीकी डालर, बैंकिंग पूंजीगत आस्ति 6.6 बिलियन अमरीकी डालर और अन्य पूंजी 10.8 बिलियन अमरीकी डालर के कारण पर्याप्त बहिर्वाह थे। सीएडी के स्तर के साथ क्रमिक निवल पूंजी अंतर्वाह के कारण 2013-14 में भुगतान संतुलन पर आरक्षित संचयन 15.5 बिलियन अमरीकी डालर था। आरक्षित निधि के संचयन से विदेशी विनिमय आरक्षित निधि का अंबार लग गया जो मई, 2014 के अंत में 300 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया (सारणी 6.3)।

विदेशी मुद्रा भंडार

6.25 मार्च, 2014 को विदेशी मुद्रा भंडार को भुगतान संतुलन पर आरक्षित निधि में परिवर्तन और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित आस्तियों के मूल्यन में बदलाव में अपघटन किया जा सकता है, जिन्हें अमरीकी डालर में अंकित किया जाता है। मार्चांत, 2014 में भुगतान शेष आधार पर 15.5 बिलियन आरक्षित निधि संचयन की तुलना में विदेश विनिमय आरक्षित निधि में महज 12.2 बिलियन अमरीकी डालर की मामूल सी बढ़ोतरी हुई क्योंकि क्रास-करेंसी में उतार-चढ़ाव एवं सोने के मूल्यों में गिरावट के कारण अमेरीकी डालर से भिन्न धारित डालर आस्तियों के मूल्यन में हानि हुई थी। मई, 2014 के अंत में विदेशी विनियम आरक्षित निधि 312.2 बिलियन अमरीकी डालर था। (सारणी 6.3)

क्र० सं०	वर्ष (मार्चात में)	विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि	पूर्व वर्ष की तुलना में आरक्षित मुद्रा में कुल वृद्धि(+)/कमी (-)	भुगतान संतुलन आधार पर आरक्षित मुद्रा में वृद्धि(+)/कमी (-)	मूल्यांकन प्रभाव के कारण आरक्षित मुद्रा में वृद्धि (+)/कमी (-)
1	2008-09	252.0	(-)57.7	(-)20.1	(-)37.6
2	2009-10	279.1	(+)27.1	(+)13.4	(+)13.7
3	2010-11	304.8	(+)25.7	(+)13.1	(+)12.6
4	2011-12	294.4	(-)10.4	(-)12.8	(+)2.4
5	2012-13	292.0	(-)2.4	(+)3.8	(-)6.2
6	2013-14	304.2	(+)12.2	(+)15.5	(-)3.3

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

6.26 विदेशी मुद्रा कोष मार्चात 2014 में, मार्चात 2013 में 292.0 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर की तुलना में 304.2 बिलियन अमरीकी डालर था। विदेशी मुद्रा आस्तियां विदेश विनियम आरक्षित निधि की मुख्य घटक हैं और मार्चात 2014 में 276.4 बिलियन अमरीकी डालर थी। मार्चात 2014 में आरक्षित निधि का दूसरा प्रमुख घटक, 21.6 बिलियन अमरीकी डालर पर सोना था जो मार्चात 2013 में इससे निम्नतर था। मार्च, 2014 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और आरक्षित निधि किशत की स्थिति क्रमशः 4.5 बिलियन अमरीकी डालर व 1.8 बिलियन अमरीकी डालर थी।

6.27 भारत ऐसे देशों में से एक है जिसके पास विदेशी मुद्रा का भारी भण्डार है तथा विशेष तौर पर यह देखते हुए कि कुछ अन्य प्रमुख रिजर्व होल्डर ऐसे राष्ट्र हैं जिनके पास विशाल चालू खाता अधिशेष है। (सारणी 6.4)। भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप सुरक्षित संकेतको के बढ़े हुए स्तरों के मुकाबले आसान उपायों हेतु था ताकि 2013-14 में विकास के विशिष्ट संदर्भ में, सामान्य रूप से भण्डारों के संचय की विशिष्ट दर/लक्ष्य को लक्षित किए बिना रुपए की विनिमय दर को प्रबन्धित किया जा सके और घट-बढ़ के मामले में सतर्कता बरती जा सके।

विनिमय दर का स्तर

6.28 रुपए के साथ ही अन्य उभरते बाजारों व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं के अवमूल्यन की संभाव्यता यूएस फंड द्वारा इसकी आस्तियों की खरीदों को क्रमशः कम करने की घोषणा के परिणामस्वरूप मई, 2013 में सामने आई। जबकि उस समय निवल आधार पर पूंजी प्रवाह, मोटे तौर पर जारी रहा, नुकसान संबंधी संभाव्यता पर रुपए में तेजी से अवमूल्यन हुआ जिससे बढ़े सीएडी और एफआईआई ऋण भाग के कारकों के मेल से उत्पन्न रुपए की अपेक्षाएं प्रभावित हुईं। तथापि, रुपयों में लोच आई जब यूएस फंड में बाद में वास्तव में क्रमिक कमी आई।

6.29 2013-14 में, रुपए का माह-दर-माह अवमूल्यन शुरू हो गया था जिसकी शुरुआत मई 2013 में हो गई थी। अवमूल्यन प्रक्रिया जून 2013 और अगस्त 2013 में अधिक सुस्पष्ट हो गई थी, जब माह-दर-माह के आधार पर 5 प्रतिशत से भी बहुत अधिक अवमूल्यन हुआ था। सितम्बर 2013 में रुपए की औसत विनिमय दर रु० 63.75 प्रति अमरीकी डालर पर अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर थी इसके बाद सरकार द्वारा सीएडी में घटोतरी को दूर करने और भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा पूंजी प्रवाह में बढ़ोतरी के लिए किए गए उपायों के फलस्वरूप अक्टूबर 2013 में रुपया 61.62 रुपया प्रति डालर के स्तर पर पहुंच गया। 2013-14 में रुपया, तदनन्तर रेंज बाध्य और स्थिर रहा है (सारणी 6.5)।

भुगतान संतुलन

सारणी 6.3: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में परिवर्तनों का संक्षेप (अमरीकी बिलियन डालर)

क्र० सं०	देश	मार्चात, 2014 को विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (अमरीकी बिलियन डालर)
1	चीन	3950.0 [#]
2	जापान	1325.1
3	स्वीटजरलैंड	546.6
4	रूस	486.2
5	ब्राजील	363.9
6	कोरिया गणराज्य	354.4
7	चीन पीआर हांगकांग	331.6
8	भारत	304.2
9	जर्मनी	207.8
10	फ्रांस	173.4
11	थाईलैंड (दिसम्बर 2013)	171.1
12	इटली	154.3

स्रोत: आईएमएफ चीन व भारत को छोड़कर
नोट: *www.pbc.gov.cn ट्रेडिंग इकॉनॉमिक्स

सारणी 6.4 : कुछ प्रमुख देशों की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि।

वर्ष/माह	औसत विनिमय दरें ^a				आरबीआई निवल बिक्री(-)देक खरीद (+) (अमरीकी डालर)
	अमरीकी डालर	पाउंड स्टर्लिंग	यूरो	जापानी येन*	
2012-13 (वार्षिक औसत)	54.41 (-11.9)	85.98 (-11.2)	70.07 (-6.0)	65.85 (-7.8)	-2601
2013-14 (वार्षिक औसत)	60.50 (-10.1)	96.30 (-10.7)	81.17 (-13.7)	60.40 (9.0)	8992
2013-14 (मासिक औसत)					
अप्रैल 2013	54.38 (0.04)	83.20 (-1.4)	70.77 (-0.2)	55.71 (3.1)	518
मई 2013	55.01 (-1.1)	84.11 (-1.1)	71.38 (-0.9)	54.51 (2.2)	-107
जून 2013	58.40 (-5.8)	90.47 (-7.0)	77.07 (-7.4)	59.99 (-9.1)	-2252
जुलाई 2013	59.78 (-2.3)	90.78 (-0.3)	78.20 (-1.4)	60.00 (-0.02)	-5976
अगस्त 2013	63.21 (-5.4)	97.87 (-7.2)	84.18 (-7.1)	64.57 (-7.1)	-2464
सितम्बर 2013	63.75 (-0.8)	101.10 (-3.2)	85.12 (-1.1)	64.27 (0.5)	-3548
अक्टूबर 2013	61.62 (3.5)	99.20 (1.9)	84.10 (1.2)	63.00 (2.0)	3928
नवम्बर 2013	62.63 (-1.6)	100.88 (-1.7)	84.53 (-0.5)	62.63 (0.6)	10087
दिसम्बर 2013	61.91 (1.2)	101.40 (-0.5)	84.82 (-0.3)	59.83 (4.7)	3483
जनवरी 2014	62.07 (-0.3)	102.27 (-0.9)	84.56 (0.3)	59.68 (0.3)	-1929
फरवरी 2014	62.25 (-0.3)	102.97 (-0.7)	84.97 (-0.5)	61.02 (-2.2)	-530
मार्च 2014	61.01 (2.0)	101.41 (1.5)	84.36 (0.7)	59.65 (2.3)	7782

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

a. एफईडीआई बाजार संकेतिक दरें। मई, 2012 से आंकड़े आरबीआई की संदर्भ दरें हैं।

* प्रति 100 येन

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले महीने/वर्ष के दौरान मूल्य वृद्धि (+) और अवमूल्यन (-) प्रतिशत में दर्शाता है। पूर्णकित करने के कारण आंकड़े शायद मेल न खाएं: एफईडीआई बाजार सांकेतिक दर मई 2012 के बाद के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ दरों में

6.30 रुपए की सालाना औसत विनिमय दर 2010-11 में 45.56 प्रति अमरीकी डालर से बढ़कर 2011-12 में रुपए 47.92 प्रति अमरीकी डालर हुई और 2012-13 में बढ़कर रुपए 54.41 प्रति अमरीकी डालर हो गई थी। 2013-14 में यह और बढ़कर 60.50 रुपए प्रति अमरीकी डालर हो गई थी। अंतर-वर्ष अवमूल्यन के स्तरों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह बढ़त के वृहद् रुझान के भीतर दुतरफा गति को दर्शाता है। जबकि अवमूल्यन को अंशतः सीएडी स्तरों और निवल पूंजी प्रवाह द्वारा इसके वित्तपोषण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। 2013-14 में अंतिम छमाही में मासिक औसत विनियमन दर में हलचल भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप को दर्शाती है ताकि पूंजी खाता बढ़ सके, जो वर्ष के आरंभ में कम था। 2014-15 में विनिमय दर 2013-14 की दूसरी छमाही के समान पैटर्न को दर्शाता है। इसके साथ ही एफआईआई प्रवाह, विदेशी विनिमय और इक्वटी बाजारों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, परन्तु रुपए की वृद्धि इक्वटी सूचकांक वृद्धि के मुकाबले सीमित रही है। “विनिमय दर संतुलन” के संदर्भ में रुपए की विनिमय दर के स्तर द्वारा भुगतान संतुलन की मूलभूत बातें प्रतिबिंबित होनी चाहिए और इस संबंध में वास्तविक विनिमय दरें संकेतक का काम करती हैं जिन्हें ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है।

6.31 वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) वास्तविक विनिमय दर की माप है और इसे भारत और इसके प्रमुख व्यापार साझेदारों के बीच सापेक्ष मूल्य विभेदक के लिए समायोजित मामूली विनिमय भारित दर (ज्यामितीय माध्य) के

सारणी 6.5 : प्रति विदेशी मुद्रा रुपए की विनिमय दरें और विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर की बिक्री/खरीद

रूप में परिभाषित किया गया है। आरईआई देश की प्रतिस्पर्धात्मकता का संकेतक है। इससे पूर्व देश में कोई एक मिश्रित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) नहीं था, भारतीय रिजर्व बैंक मूल्य अनुपात के मापन के लिए आरईआई के प्रकाशनार्थ थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का उपयोग करता था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) को सीपीआई को नई श्रृंखला के मुहैया होने पर, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय ने रुपए के आरईआई सूचकांकों की गणना के लिए इसका प्रयोग किया है।

6.32 रुपए का उपयुक्त मूल्यन माना जाता है यदि आरईआई 100 अथवा आधार वर्ष के मूल्य के समीप है। अन्य सभी बातें समान रहने पर उच्चतर घरेलू मुद्रास्फीति बनाम इसके व्यापार साझेदार आरईआई के मूल्य में बढ़ोतरी व्यक्त होगी और इस कारण एक मत यह है कि इसे आधार वर्ष के स्तरों पर रखने के लिए नॉमिनल विनिमय दर का अवमूल्यन होना चाहिए। जैसा कि सीजीआई के आधार पर आरईआई में उतार-चढ़ाव (आधार वर्ष 2004-05 = 100) से स्पष्ट है, रुपए का अत्यधिक मूल्यन है, भले ही वर्ष की प्रथम छमाही में व्यापक अवमूल्यन का रुझान है। (सारणी 6.6)। अधिक मूल्यन के स्तर निर्यात पर आधारित भार आधारित छह-मुद्रा के संदर्भ में काफी उच्चतर है। तथापि, आरईआई के संबंध में आधार वर्ष 2012-13 होने पर मूल्यहास व तदुपरांत रुपए में अवमूल्यन है अतः आरईआई के विश्लेषण के संदर्भ में आधार वर्ष का चयन व समूह में प्रयुक्त मुद्राएं महत्वपूर्ण हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड (ओपी-एड दिनांक 23.6.2014) में मार्टिन केजलर और अरविंद सुब्रह्मण्यम द्वारा हॉल ही में लेखा में क्रय सामर्थ्य समता (पीपीपी) एप्रोच अपनाकर विश्व बैंक के नवीनतम पीपीपी अनुमानों का उपयोग कर यह पता लगाया गया है कि रुपए में निरंतर अपने संतुलन मूल्य से 30% अधिक अवमूल्यन हुआ है। चूंकि निवल पूंजी प्रवाह, जिन्हें रुपए की विनिमय दर में बढ़ोतरी के लिए प्रोत्साहित किया गया था की, प्रकृति ऋण की थी, इसमें विदेशी ऋण के लिए निहितार्थ थे।

आधार वर्ष 2004-05 (अप्रैल-मार्च) = 100

मासिक औसत	एनईआईआर	एनईआईआर में पूर्व वर्ष अवधि/माह की तुलना में मूल्यवृद्धि (+)/ अवमूल्यन (-)	आरईआई	आरईआई में वर्ष पूर्वावधि/माह की तुलना में मूल्यवृद्धि (+)/ अवमूल्यन (-)
मार्च 2012	81.60		118.88	
मार्च 2013	76.01	-6.9	120.72	1.5
2013-14 (पी)				
अप्रैल 2013	75.97	-0.1	120.87	0.1
मई 2013	75.29	-0.9	121.20	0.3
जून 2013	70.51	-6.3	114.22	-5.8
जुलाई 2013	68.89	-2.3	112.99	-1.1
अगस्त 2013	64.61	-6.2	107.56	-4.8
सितंबर 2013	63.95	-1.0	107.64	0.1
अक्टूबर 2013	65.57	2.5	111.11	3.2
नवम्बर 2013	64.78	-1.2	111.61	0.5
दिसम्बर 2013	65.27	0.8	111.34	-0.2
जनवरी 2014	65.14	-0.2	109.88	-1.3
फरवरी 2014	64.90	-0.4	109.41	-0.4
मार्च 2014	66.27	2.1	112.29	2.6

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक.

नोट: विनिमय दर, मासिक औसत-नए सीपीआई पर आधारित है; पी: अनंतिम

विदेशी ऋण

6.33 भारी ब्याज अंतरों के कारण पूंजी प्रवाह की ऋण विविधताओं पर विवेकपूर्ण प्रतिबंधों से विदेशी ऋण प्रबंधन नीति के कारण भारत का विदेशी ऋण प्रबंधन योग्य सीमाओं में रहा है। भारत का विदेश ऋण मार्च, 2013 के अंत तक 404.9 बिलियन

सारणी 6.6 : भारतीय रुपये की सामान्य प्रभावी विनिमय दर (आईआईआर) तथा वास्तविक रूप से प्रभावी विनिमय दर की सूची (6-मुद्रा व्यापार आधारित प्रभाव)

अमरीकी डालर (2,220,410 करोड़ रुपए) था जिसमें मार्च, 2012 के अंत तक 360.8 बिलियन अमरीकी डालर (1,844,167 करोड़ रुपए) के स्तर की तुलना में 44.1 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्ज की गई। विदेशी ऋण (मार्च, 2013 के अंत तक और मार्च, 2012 के अंत तक, दोनों) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने विदेश ऋण आंकड़ों में दी गई सूचना के अनुसार बैंकों के प्रतिभूतिकृत ऋणों का समावेश किए जाने के कारण विभिन्न प्रकाशनों में सूचित की गई पिछली मात्राओं से अधिक है। घटक-वार, दीर्घकालिक ऋण 9.1% बढ़कर मार्च, 2012 के अंत में 282.6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर मार्च, 2013 के अंत में 308.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि अल्पावधि ऋण (मूल परिपक्वता के अनुसार ऐसा ऋण जिसका अन्यथा उल्लेख न किया जाए) 23.7% बढ़कर मार्च, 2012 के अंत में 78.2 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर मार्च, 2013 के अंत में 96.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो आयात के बढ़े स्तरों को दर्शाता है।

6.34 भारत का विदेशी ऋण स्टॉक मार्च, 2013 के अंत में लगभग 21.1 बिलियन अमरीकी डालर (5.2%) से बढ़कर दिसंबर, 2013 के अंत में 426.0 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। विदेशी ऋण बढ़ोतरी मुख्यतः दीर्घावधि ऋण, विशेष रूप से, एनआरआई जमा के कारण हुई है। एनआरआई जमा में तीव्र वृद्धि सितम्बर-नवम्बर, 2013 के दौरान स्वैप स्कीम के तहत जुटाए गए नए एफसीएनआर (बी) जमा को दर्शाता है जिसका विवरण इस अध्याय के पिछले भागों में दिया गया है।

6.35 भारत के विदेशी ऋण में दीर्घावधि ऋण अभी भी बना हुआ है। दिसंबर, 2013 के अंत में दीर्घावधि विदेशी ऋण 333.3 बिलियन अमरीकी डालर था जो कुल विदेशी ऋण का 78.2% है जबकि शेष 21.8% ऋण अल्पावधि के हैं। मार्च, 2013 के स्तर से दीर्घावधि ऋण बढ़कर दिसंबर, 2013 तक 25.1 बिलियन अमरीकी डालर (8.1%) हो गए जबकि अल्पावधि ऋणों में 4.0 बिलियन अमरीकी डालर (4.1%) की कमी आई जो आयातों के स्तरों में गिरावट को दर्शाता है।

6.36 ईसीबी, एनआईआर जमा और बहुपक्षीय ऋण जो दीर्घावधि ऋण के प्रमुख घटक हैं, कुल विदेश ऋण का 67.0% हैं जबकि अन्य घटकों (अर्थात् द्विपक्षीय ऋण, निर्यात ऋण, आईएमएफ और रुपया ऋण) का 11.2% हैं। इस प्रकार, दीर्घावधि ऋण अपने सभी घटकों को मिलाकर कुल विदेशी ऋण का 78.2% बनता है जबकि शेष अल्पावधि ऋण (21.8%) दिसंबर, 2013 तक है (सारणी 6.7)।

(विदेशी ऋण का कुल प्रतिशत)

क्र. सं.	घटक	मार्च 2012पीआर	मार्च 2013पीआर	सितंबर 2013पीआर	दिसम्बर 2013क्यूआर
1	बहुपक्षीय	14.0	12.7	13.1	12.3
2	द्विपक्षीय	7.4	6.2	6.2	5.6
3	आईएमएफ	1.7	1.5	1.5	1.4
4	निर्यात ऋण	5.3	4.4	4.1	3.9
5	वाणिज्यिक उधार	33.3	33.5	32.6	31.5
6	एनआरआई जमा	16.2	17.5	18.7	23.2
7	रुपए का ऋण	0.4	0.3	0.3	0.3
8	दीर्घकालिक ऋण (1 to 7)	78.3	76.1	76.5	78.2
9	अल्पकालिक ऋण	21.7	23.9	23.5	21.8
10	कुल विदेशी ऋण (8+9)	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत: वित्त मंत्रालय व आरबीआई

नोट : पीआर: आंशिक संशोधित; क्यूआर: तीव्र अनुमान

6.37 दिसंबर, 2013 तक भारत के कुल विदेश ऋण की मुद्रा संरचना में अमरीकी डालर का प्रभुत्व सर्वाधिक रहा जिसमें अमरीकी डालर कुल ऋण का 63.6% रहा। इसके बाद विदेशी ऋण सर्वाधिक भारतीय रुपए में (19.4%) और

सारणी 6.7: विदेशी ऋण के संघटक

फिर एसडीआर में (7.1%), जापानी येन में (5.0%) तथा यूरो में (3.1%) रहा। सरकार (संप्रभु) के विदेशी ऋण की मुद्रा संरचना से एसडीआर मूल्य वर्द्धित ऋण (39.3%) की एक अलग ही पूर्व प्रबलता का पता चलता है जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) बहुपक्षीय एजेंसियों तथा आईएमएफ के द्वारा एसडीआर आबंटनों के अंतर्गत विश्व बैंक की आसान ऋण विंडो से ऋण के लिए उत्तरदायी है। अमरीकी डालर मूल्यवर्द्धित ऋण का हिस्सा 27.9%, जापानी येन मूल्यवर्द्धित ऋण का हिस्सा (16.5%), भारतीय रुपया (12.4%) तथा यूरो (3.9%) था। दिसंबर, 2013 में, सरकार (संप्रभु) का विदेशी ऋण 76.4 बिलियन अमरीकी डालर था जो भारत के कुल विदेशी ऋण का 17.9% है जबकि गैर-सरकार विदेशी ऋण 349.5 बिलियन अमरीकी डालर था जो कुल विदेशी ऋण का 82.1% था।

6.38 वर्ष दर वर्ष भारत के विदेशी ऋण स्टॉक में ढांचागत परिवर्तन देखने में आया है। सरकारी ऋणदाताओं तथा सरकारी ऋण का हिस्सा सिकुड़ने तथा गैर-रियायती निजी ऋण में बढ़ोतरी के कारण कुल ऋण में रियायती ऋण का हिस्सा कम हो गया। 1991-2000 की अवधि के दौरान कुल ऋण में रियायती ऋण का अनुपात 42.9% (औसत) से कम होकर 2001-2010 में 28.1% तथा बाद में दिसंबर, 2013 के अंत तक 10.6% रह गया। गैर-सरकारी ऋण के बढ़ते हुए हिस्से से यह स्पष्ट है कि ये ऋण 2000 के दशक के दौरान कुल ऋण का 65.6% है जबकि 1990 के दशक के दौरान 45.3% है। विगत पांच वर्षों के दौरान गैर-सरकारी ऋण कुल ऋण के 70% से अधिक रहा और दिसंबर, 2013 के अंत में 82.1% रहा।

6.39 चूंकि प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति कार्रवाई के संदर्भ में विदेशी अति संवेदनशीलता के बारे में नई चिंताओं को देखा गया, इसलिए प्रमुख विदेशी ऋण संकेतकों (सारणी 6.8) पर दृष्टि डालना उपयोगी होगा, जिनमें से कुछ तो परंपरागत संकेतक हैं और वे केवल राहत का भाव देते

वर्ष	विदेशी ऋण (बिलियन अमरीकी डालर)	कुल जीडीपी की तुलना में कुल विदेशी ऋण	ऋण सेवा अनुपात	विदेशी ऋण की तुलना में विदेशी निधियां	कुल विदेशी ऋण की तुलना में रियायती ऋण	विदेशी विनिमय प्रारक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि विदेशी ऋण का अनुपात	कुल विदेशी ऋण की तुलना में अल्पावधि विदेशी ऋण
1990-91	83.8	28.7	35.3	7.0	45.9	146.5	10.2
1995-96	93.7	27.0	26.2	23.1	44.7	23.2	5.4
2000-01	101.3	22.5	16.6	41.7	35.4	8.6	3.6
2005-06	139.1	16.8	10.1#	109.0	28.4	12.9	14.0
2006-07	172.4	17.5	4.7	115.6	23.0	14.1	16.3
2007-08	224.4	18.0	4.8	138.0	19.7	14.8	20.4
2008-09	224.5	20.3	4.4	112.2	18.7	17.2	19.3
2009-10	260.9	18.2	5.8	106.9	16.8	18.8	20.1
2010-11	317.9	18.2	4.3	95.9	14.9	21.3	20.4
2011-12	360.8	20.5	6.0	81.6	13.3	26.6	21.7
2012-13 पीआर	404.9	21.8	5.9	72.1	11.2	33.1	23.9
2013-14 पीआर (दिसम्बर अंत)	426.0	23.3	-	69.0	10.6	31.5	21.8

स्रोत: वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: आं.सं.: आंशिक संशोधन; त्व.प्रा.: त्वरित प्राक्कलन

- खंडित अवधि हेतु नहीं निकाले गए हैं।

*: अल्पावधि ऋण मूल रूप से परिपक्वता पर आधारित है।

#: 6.3 प्रतिशत निकाला गया है जिसमें 7.1 बिलियन अमरीकी डालर के भारत सहस्त्राब्दि जमा राशियों (आईएमडी) की अदायगी और 23.5 बिलियन अमरीकी डालर की अदायगी को शामिल नहीं किया गया है। ऋण सेवा अनुपात विदेशी मौजूदा प्राप्तियों (सरकारी अंतरणों का निवल) के संबंध में सकल ऋण सेवा का अनुपात है।

सारणी 6.8 : भारत के मुख्य विदेशी ऋण संकेतक (प्रतिशत)

हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार मार्च, 2013 के अंत में 72.1% के मुकाबले दिसंबर, 2013 के अंत में कुल विदेशी ऋण स्टॉक के लिए 69.0% का कवर प्रदान किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अल्पावधि विदेशी ऋण का अनुपात मार्च, 2013 के अंत में 33.1% की तुलना में दिसंबर, 2013 के अंत में 31.5% था। कुल विदेशी ऋण की तुलना में रियायती ऋण का अनुपात बहुत तेजी से कम हो गया जो मार्च, 2013 के अंत में 11.2% के मुकाबले दिसंबर, 2013 के अंत में 10.6% था।

अंतर्राष्ट्रीय तुलना

6.40 विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी 2014 जिसमें वर्ष 2012 के विदेशी ऋण संबंधी आंकड़े हैं, के आधार पर बीस सर्वाधिक ऋणग्रस्त विकासशील देशों के कुल विदेशी ऋण की अंतर्राष्ट्रीय तुलना को दर्शाती है कि भारत, कुल विदेशी ऋण स्टॉक के अनुसार चीन तथा ब्राजील के पश्चात् तीसरे स्थान पर था। भारत का विदेशी ऋण स्टॉक तथा सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) अनुपात के अनुसार यह 20.8% पर विश्व में चौथे सबसे निचले स्थान पर था जबकि चीन 9.2% पर सबसे निचले स्थान पर था (सारणी 6.9)। विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा विदेशी ऋण को उपलब्ध कराए गए कवर के अनुसार भारत 71.4% के साथ सातवें स्थान पर था।

सारणी 6.9 : शीर्ष 20-ऋणदाता देशों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना, 2012

क्र. सं.	देश	कुल विदेशी ऋण स्टॉक (मिलियन अमरीकी डालर)	सकल राष्ट्रीय आय की तुलना में कुल ऋण (प्रतिशत)	कुल विदेशी ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण (प्रतिशत)	कुल ऋण की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार (प्रतिशत)
1	चीन	754009	9.2	67.6	441.8
2	ब्राजील	440478	19.9	7.4	83.9
3	भारत	379099	20.8	24.6	71.4
4	मैक्सिको	354897	30.7	20.4	45.2
5	टर्की	337492	43.1	29.9	29.6
6	इंडोनेशिया	254899	29.9	17.6	42.7
7	हंगरी	203757	173.4	11.2	21.8
8	दक्षिण अफ्रीका	137501	36.6	20.3	32.0
9	कजाखिस्तान	137014	79.0	6.8	16.2
10	यूक्रेन	135067	77.9	25.7	16.8
11	थाइलैंड	134223	38.2	42.4	129.1
12	रोमानिया	131889	78.9	20.5	31.2
13	अर्जेंटीना	121013	26.3	11.6	33.0
14	मलेशिया	103950	35.5	45.2	132.5
15	कोलम्बिया	79051	22.4	13.5	46.1
16	वेनेजुएला	72097	19.4	26.9	13.7
17	पाकिस्तान	61867	25.5	4.2	16.6
18	फिलिपीन्स	61390	24.6	13.8	119.7
19	वियतनाम	59133	44.1	16.7	43.2
20	पेरू	54148	29.4	15.8	115.1

स्रोत: विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी, 2014

नोट: देशों का अनुक्रम सारणी में दिए गए कुल विदेशी ऋण के परिमाण के आधार पर व्यवस्थित है। 2011 में समग्र रूप में विदेशी ऋण स्टॉक में भारत का चीन, रूस संघ व ब्राजील के बाद चौथा स्थान था। रूस संघ को प्रादेशिक विश्लेषणों से बाहर रखा गया है क्योंकि यह अब उच्च आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत है।

संभावनाएं

6.41 वर्ष 2013-14 के उत्तरार्ध के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार वास्तव में तेज था और अनावश्यक आयातों पर प्रतिबंध तथा कतिपय प्रकार के पूंजी प्रवाह के लिए सीमित अवधि के प्रोत्साहनों जैसे असाधारण उपायों और आयातों पर समग्र आर्थिक मंदी के कारण था। मध्यकालिक संदर्भ में अच्छे परिणाम को बरकरार रखना एक चुनौती है क्योंकि कुछ प्रतिबंधों को धीरे-धीरे वापस लिए जाने की आवश्यकता है तथा न सिर्फ यूएस फ्रेड द्वारा परिसंपत्ति खरीद को कम किए जाने के प्रति बल्कि कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उदार मौद्रिक नीति-अवस्थिति से अंततः बाहर आने के प्रति भी तालमेल बिठाने की जरूरत है। अभी तक अनिश्चित वैश्विक माहौल और सभी प्रकार के जोखिम से मुंह मोड़कर पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए प्रायः क्षेत्र छोड़ने के दौर में, घटनाचक्र की कड़ाई से निगरानी और नुकसान की संभावना के आकलन के लिए तंत्र बनाने की आवश्यकता है ताकि इस स्थिति का सामाना करने के उपाय किए जा सकें।

6.42 विदेशी व घरेलू, दोनों कारणों की वजह से दोनों किस्म के घाटों के स्तरों में बढ़त हुई। इसलिए नीति को केन्द्र तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को घरेलू बाजारों पर पूरी तरह अंतरित करने पर और घरेलू बचतों को बढ़ावा देने पर एक इस तरह निवेश-विकल्प के रूप में स्वर्ण बुलियन की भूख को कम करने पर होना चाहिए। 2013-14 में भुगतान संतुलन की स्थिति में हलचल का एक प्रमुख सबक यह था कि सीएडी (निहितार्थ से व्यापार घाटा) के स्तर महत्वपूर्ण है और तत्काल संदर्भ में, आवश्यकता यह सुनिश्चित करने की है कि यह ऐसे स्थायीवत स्तरों तक सीमित रखा जाए जिनका पूंजी प्रवाह के स्थिर स्रोतों द्वारा आसानी से वित्तपोषण किया जा सकता है।

6.43 हालांकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकास के रफ्तार पकड़ने से निर्यात में बढ़ोत्तरी के लिए कुछ आसानी होती है फिर भी घरेलू अर्थव्यवस्था में सघट वृद्धि में तेजी, घरेलू उपभोक्ताओं को वैश्विक तेल मूल्यों का अपर्याप्त पास-श्रू, और अनावश्यक आयातों पर प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने से भुगतान संतुलन की स्थिति पर संभवतः दबाव आ सकता है। कड़ी निगरानी और उभरते संदर्भों में नीतियों को ईमानदारी से नियोजन से, यह संभावना है कि 2014-15 में सीएडी लगभग 45 बिलियन अमरीकी डालर (सघट का 2.1%) तक सीमित हो सकता है, जिसका वित्त पोषण पूरी तरह से पूंजी/वित्तीय प्रवाह के स्थायी स्रोतों से होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप इस संबंध में किसी प्रमुख हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना एक स्थिर विनिमय दर का माहौल बनेगा।

अध्याय 7

अंतरराष्ट्रीय व्यापार

वर्ष 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट और इसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई मंदी ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि विश्व के एक कोने में पैदा होने वाला स्पंदन व्यापार चैनल के माध्यम से अन्यो के बीच दूसरे हिस्सों तक तेजी से पहुंच सकता है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट ने विश्व व्यापार (माल एवं सेवाएं दोनों) को वर्ष 2009 में 19.8% की एकदम नकारात्मक गिरावट के साथ झकझोर कर रख दिया था। इस वित्तीय संकट से पहले पांच वर्ष के लिए (2003-2007) विश्व व्यापार मूल्य 16.6% (मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर-सीएजीआर) की जबरदस्त वृद्धि के साथ बढ़ा और इस संकट के बाद के पांच वर्षों में यह 9.9% की मंद गति से बढ़ा। वैश्विक रुझान को देखते हुए, भारत के निर्यातों (माल एवं सेवाएं) में भी वित्तीय संकट के पूर्व के पांच वर्षों (2003-2007) में 30.1% की जबरदस्त वृद्धि हुई थी जिसके बाद वित्तीय संकट के बाद के पांच वर्षों (2009-2013) में 16.0% की मंद वृद्धि हुई। हालांकि अब इसकी संभावना बेहतर है, फिर भी विश्व और भारतीय व्यापार के लिए अभी भी स्थिति कमजोर बनी हुई है जिसमें 2008 के वित्तीय संकट के प्रघात अब भी दृष्टिगोचर हैं।

विश्व व्यापार

7.2 विश्व व्यापार के परिमाण की वृद्धि, जो वर्ष 2011 में 6.01% तक के पुनर्लाभ के पश्चात् वर्ष 2012 में घट कर 2.8% रह गई थी, ने हालांकि 3.0% की धीमी वृद्धि के साथ दोबारा पुनर्लाभ के संकेत दिए हैं। यहां भूमिकाएं बदलती प्रतीत हो रही हैं क्योंकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, जिनका व्यापार मोर्चे पर संकट के दुष्प्रभाव में निष्पादन खराब रहा था, ने उस उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) से बेहतर पुनर्लाभ के संकेत दिए हैं जो स्वयं भी एक न एक घरेलू संकट में उलझी हुई हैं। (सारणी 7.1)

भारत का माल व्यापार

7.3 भारत का माल व्यापार वर्ष दर वर्ष महत्व में बढ़ता रहा है जिसमें वैश्विक निर्यात और आयात में इसका हिस्सा वर्ष 2000 में क्रमशः 0.7% और 0.8% से वर्ष 2013 में क्रमशः 1.7% और 2.5% तक, यद्यपि धीरे-धीरे बढ़ा है। विश्व में शीर्ष निर्यातकों और आयातकों में भारत की रैंकिंग विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, निर्यात में वर्ष 2000 की 31वीं रैंक से सुधर कर वर्ष 2011 में 19वीं रैंक और उन्हीं वर्षों में आयात में 26वीं रैंक से सुधर कर 12वीं रैंक हो गई है। भारत के कुल माल व्यापार से जीडीपी अनुपात में भी वर्ष 2000-01 के 21.8% से वर्ष 2013-14 के 44.1% के रूप में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

भारत की निर्यात वृद्धि

7.4 विगत पांच वर्षों में, भारत की निर्यात वृद्धि में वर्ष 2008 के संकट के दुष्प्रभाव के रूप में 2009-10 में और यूरो क्षेत्र के आर्थिक संकट और वैश्विक मंदी के परिणाम के रूप में वर्ष 2012-13 में दो बार नकारात्मक दौर में होने के कारण काफी

	(प्रतिशत परिवर्तन)			
	वास्तविक		प्रेक्षण	
	2012	2013	2014	2015
विश्व व्यापार परिमाण (माल और सेवाएं)	2.8	3.0	4.3	5.3
आयात				
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	1.1	1.4	3.5	4.5
ईएमडीई	5.8	5.6	5.2	6.3
निर्यात				
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	2.1	2.3	4.2	4.8
ईएमडीई	4.2	4.4	5.0	6.2

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व इकॉनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2014

सारणी 7.1 : व्यापार परिमाणों में वृद्धि का रुझान

उतार-चढ़ाव देखने में आया है। भारत का निर्यात वर्ष 2013-14 के दौरान 325 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य के मुकाबले 312.6 बिलियन अमरीकी डालर था, हालांकि पूर्व वर्ष के दौरान 1.8% की ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में 4.1% की धनात्मक वृद्धि हुई है।

7.5 वर्ष 2013-14 में मासिक निर्यात वृद्धि दरों में उतार-चढ़ाव रहा है। जुलाई से अक्टूबर 2013 तक चार महीनों के लिए निरंतर दो अंकों में रहने के बाद, ये नवंबर 2013 से जनवरी 2014 तक तीन महीनों के लिए घट कर एक अंकीय हो गई, अगले दो महीनों में ऋणात्मक दौर में रही और पूरे वर्ष के लिए 4.1% की धनात्मक परंतु निम्न वृद्धि पर रुकी। अप्रैल 2014 में, निर्यात वृद्धि 5.3% पर थोड़ी बेहतर थी और मई 2014 में 12.4% की वृद्धि के साथ छः महीने के अंतराल के बाद वापस दो अंकीय हो गई हालांकि यह निम्न आधार पर है।

व्यापार मात्रा और इकाई मूल्य

7.6 वर्ष 2012-13 में, जबकि अमरीकी डालर में निर्यात वृद्धि ऋणात्मक थी परंतु प्रमुखतः निर्यात के इकाई मूल्य की वृद्धि में 14.2 प्रतिशतता बिंदुओं की गिरावट के कारण रूप के संबंध में यह वर्ष 2011-12 की 28.3% से घटकर वर्ष 2012-13 में 11.5% हो गई थी (सारणी 7.2)। निर्यात मात्रा वृद्धि में उपांतिक रूप से 1.0 प्रतिशतता बिंदुओं की गिरावट आई। निर्यातों की इकाई मूल्य वृद्धि में गिरावट क्रमशः रसायनों और संबंधित उत्पादों के निर्यातों की इकाई मूल्य वृद्धि में गिरावट तथा कुछ अन्य मदों जैसे कि खनिज ईंधनों, स्नेहकों और संबंधित सामग्री व विविध विनिर्मित वस्तुओं की इकाई मूल्य वृद्धि में गिरावट के कारण थी। निर्यातों की मात्रा वृद्धि में गिरावट मशीनरी और यातायात उपस्कर तथा प्रमुखतः पदार्थों द्वारा वर्गीकृत विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धि में गिरावट के कारण थी।

7.7 आयातों के क्वांटम सूचकांक के वर्ष 2011-12 में ऋणात्मक 20.9% से सुधर कर वर्ष 2012-13 में धनात्मक 6.1% होने के बावजूद, आयातों के इकाई मूल्य में 66.9 प्रतिशतता बिंदुओं की उच्च गिरावट के कारण रुपये के संबंध में आयात भी पिछले वर्ष के 39.3% से घटकर वर्ष 2012-13 में 13.8% रह गया था। आयातों के इकाई मूल्य में उच्च गिरावट पेय पदार्थों व तंबाकू तथा विविध विनिर्मित वस्तुओं को छोड़कर लगभग सभी मदों के इकाई मूल्य में गिरावट के कारण थी, जबकि आयातों की मात्रा में थोड़ा सुधार रसायनों और संबंधित उत्पादों की मात्रा; मशीनरी व यातायात उपस्कर तथा विविध

2012-13 में -1.8 प्रतिशत तक गिरावट के बाद 2013-14 में निर्यात वृद्धि में हल्की बहाली हुई।

आम धारणा के विपरीत, 2012-13 में मात्रा के रूप में पूंजीगत वस्तुओं के आयात में कोई गिरावट नहीं हुई।

सारणी 7.2 : व्यापार निष्पादन: मात्रा और इकाई मूल्य सूचकांक

	निर्यात				आयात				(प्रतिशत में परिवर्तन)	
									आयात-निर्यात स्थिति	
	रुपए में	अमरीकी डालर	परिमाण	यूनिट मूल्य	रुपए में	अमरीकी डालर	परिमाण	यूनिट मूल्य	निवल	आय
2001-02	2.7	-0.6	0.8	1.0	6.2	2.9	4.0	2.8	-2.1	-1.8
2002-03	22.1	20.3	19.0	2.9	21.2	19.4	5.8	14.3	-9.8	7.4
2003-04	15.0	21.1	7.3	7.5	20.8	27.3	17.4	3.1	3.6	11.2
2004-05	27.9	30.8	11.2	14.9	39.5	42.7	17.2	18.9	-3.5	7.3
2005-06	21.6	23.4	15.1	6.1	31.8	33.8	16.0	14.0	-6.0	8.2
2006-07	25.3	22.6	10.2	13.7	27.3	24.5	9.8	15.1	-1.3	8.8
2007-08	14.7	29.0	7.9	5.1	20.4	35.5	14.1	1.9	2.6	10.7
2008-09	28.2	13.6	9.0	16.9	35.8	20.7	20.2	13.8	2.5	11.7
2009-10	0.6	-3.5	-1.1	1.0	-0.8	-5.0	9.9	-10.0	12.3	11.1
2010-11	35.2	40.5	15.2	13.8	23.4	28.2	8.0	13.0	1.1	16.1
2011-12	28.3	21.8	8.9	20.2	39.3	32.3	-20.9	74.9	-31.5	-25.4
2012-13	11.5	-1.8	7.9	6.0	13.8	0.3	6.1	8.0	-1.6	6.3
2013-14	15.9	4.1	उ.न.	उ.न.	1.7	-8.3	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, (डीजीसीआईएण्डएस) कोलकाता के आंकड़ों से संगणित।

टिप्पणी: निर्यात एवं आयात की मात्रा एवं यूनिट मूल्य सूचकांक नए आधार (1999-2000=100) के साथ हैं।

उ.न. : उपलब्ध नहीं

विनिर्मित वस्तुओं में वृद्धि के कारण था। इस प्रकार, सामान्य धारणा के विपरीत, जहां तक मात्रा का संबंध है पूंजीगत वस्तुओं के आयात में कोई गिरावट नहीं थी। इसलिए पूंजीगत वस्तुओं के आयातों के मूल्य में गिरावट या तो पूंजीगत वस्तुओं की आयात कीमत में गिरावट के कारण या निम्न इकाई मूल्य की पूंजीगत वस्तुओं के आयात को अपनाने के कारण थी।

7.8 वर्ष 2012-13 में व्यापार की निवल वस्तु विनिमय के संबंध में वृद्धि, निर्यातों के इकाई मूल्य सूचकांक से आयातों के इकाई मूल्य सूचकांक का अनुपात, हालांकि अभी -16 प्रतिशत पर ऋणात्मक थी वह 2011-12 में -31.5 प्रतिशत की तुलना में सुधरा। यह 66.9 प्रतिशतता बिंदुओं तक आयातों की इकाई मूल्य सूचकांकों में उच्च गिरावट और 14.2 प्रतिशतता बिंदुओं तक निर्यातों की इकाई मूल्य सूचकांक के अपेक्षाकृत न्यून गिरावट के कारण था। आयात की क्षमता को प्रतिबिंबित करते हुए व्यापार के रूप में आय व्यापार के रूप में निवल वस्तु विनिमय में सुधार के कारण 6.3 प्रतिशत और निर्यातों की मात्रा में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सुधरा, जो 2011-12 में केवल एक प्रतिशतता बिंदु तक गिरा।

भारत और उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईडीई) का निर्यात निष्पादन

7.9 विश्व माल निर्यात में ईडीई का हिस्सा वर्ष 2000 में 25.4% से बढ़कर वर्ष 2012 में 42.3% हो गया है (सारणी 7.3)। इस बढ़ोतरी का लगभग 60% हिस्सा ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साऊथ अफ्रीका) देशों के लिए था जिनका हिस्सा 7.6% से बढ़कर 10.1% हो गया था। ब्रिक्स देशों में, सर्वाधिक बढ़ोतरी चीन के हिस्से में है, जिसके बाद रूस, भारत और ब्राजील का नंबर आता है। चार नई औद्योगिकीकृत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं (एनआईईई) के हिस्से में 1 प्रतिशतता बिंदु की गिरावट आई है। यह प्रमुखतः ईडीई के अपेक्षाकृत उच्चतर सीएजीआर के कारण था जो 2000-10 के दौरान एनआईईई के 8.4% की तुलना में 13.9% पर था। यह वर्ष 1990 की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है जब ईडीई की निर्यात वृद्धि एनआईईई की निर्यात वृद्धि से अधिक ऊंची थी।

निर्यात का निवल वस्तु-विनिमय और आय में 2011-12 की तुलना में 2012-13 में सुधार हुआ।

1990 के दशक के विपरीत 2000 के दशक में ईकाई का निर्यात प्रदर्शन एनआईईई की तुलना में बेहतर था।

सारणी 7.3 : विश्व निर्यातों में निर्यात वृद्धि और हिस्सेदारी: भारत और चुनिंदा देश

	मूल्य (बिलियन अमरीकी डालर)	सीएजीआर		विकास दर (%)		विश्व निर्यात में हिस्सा (%)				हिस्से में परिवर्तन 2012/ 2000
		1990-99	2000-12	2012	2013 (जनवरी- सितम्बर)	1990	2000	2012	2013 (जनवरी- सितम्बर)	
ईडीई जिसमें	7660	7.2	13.8	3.3	2.0	19.9	25.4	42.3	42.9	17.0
चीन	2049	13.6	19.2	7.9	8.0	1.8	3.9	11.3	11.8	7.4
रूस	529	उन	14.4	1.4	-1.4	उन	1.7	2.9	2.8	1.3
मैक्सिको	371	14.4	6.9	6.1	2.1	1.2	2.6	2.1	2.1	-0.6
भारत	297	7.9	17.6	-2.0	4.7	0.5	0.7	1.6	1.7	1.0
मलेशिया	227	12.4	7.2	-0.3	-1.3	0.9	1.5	1.3	1.2	-0.3
ब्राजील	243	4.8	13.1	-5.3	-1.6	0.9	0.9	1.3	1.3	0.5
थाईलैंड	228	10.9	10.5	0.8	-1.0	0.7	1.1	1.3	1.2	0.2
इण्डोनेशिया	189	8.0	9.2	-6.0	-5.2	0.7	1.0	1.0	1.0	0.0
दक्षिण अफ्रीका	87	1.4	9.3	-9.9	-5.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.0
एनआईईईस	1700	8.4	8.2	-0.1	उन	7.7	10.4	9.4	उन	-1.0
कोरिया रिपब्लिक	548	9.2	10.1	-1.3	1.3	1.9	2.7	3.0	3.0	0.3
हांगकांग	443	8.7	6.8	3.3	3.3	2.4	3.2	2.4	2.5	-0.7
सिंगापुर	408	9.0	9.5	-0.3	-0.6	1.5	2.2	2.3	2.2	0.1
ताइवान	301	6.8	6.1	-2.3	उन	1.9	2.3	1.7	उन	-0.7
विश्व	18092	5.6	9.1	0.1	1.2	100.0	100.0	100.0	100.0	—

स्रोत: अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, आईएमएफ जनवरी, 2014 से परिकलित।

नोट: एनए : उपलब्ध नहीं

7.10 वर्ष 2000 और 2010 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में व्यापार हिस्सों में एकदम परिवर्तन प्रमुखतः चीन के व्यापार के कारण था जिसमें 20.3% की उच्चतम वृद्धि दर देखी गई और जो तीन ब्रिक्स देशों—रूस, भारत और ब्राजील में निम्नतर सीमा तक रही। जबकि 2012 में, चीन और मैक्सिको को छोड़कर अधिकांश ईडीई और एनआईई की वृद्धि दरें निम्न या ऋणात्मक रही, 2013 में (जनवरी-सितंबर) 8.0% के साथ केवल चीन और इसके बाद 5.0 के साथ भारत ने अच्छी वृद्धि पाई थी।

7.11 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, 2014 की प्रथम तिमाही में, यूरोपीय संघ और सिंगापुर को छोड़कर अन्य सभी बड़े देशों की निर्यात वृद्धि दरें ऋणात्मक रही जैसा कि चीन (-3.8%), हांगकांग (-1.8%), इंडोनेशिया (-1.8%), जापान (-3.9%), थाइलैंड (-1.0%), दक्षिण अफ्रीका (-4.2%) और रूस (-1.8%) के मामले में अथवा निम्न रही जैसा कि अमरीका (2.5%), मलेशिया (3.6%) और आस्ट्रेलिया (2.0%) के मामले में।

7.12 वर्ष 2014 की प्रथम तिमाही में आयात वृद्धि दरें भी इंडोनेशिया (-6.3%), मलेशिया (-1.5%), थाइलैंड (-15.4%) और आस्ट्रेलिया (-3.1%) में ऋणात्मक वृद्धि तथा अमरीका (2.0%), चीन (1.7%), और हांगकांग (1.0%) में निम्न वृद्धि के साथ वही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। केवल यूरोपियन संघ (5.2%), जापान (5.6%) और सिंगापुर (4.2%) की अपेक्षाकृत अच्छी वृद्धि दरें थी।

निर्यात संघटन और क्षेत्रवार निष्पादन

7.13 भारत के निर्यात बास्केट में वर्ष 2000-01 से 2013-14 के बीच सुस्पष्ट संघटनात्मक परिवर्तन हुए हैं जिसमें पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग पांच गुणा बढ़कर 20.1% तक हो गई जो कि इसकी 33.5% वृद्धि (सीएजीआर) द्वारा प्रक्षेपित हुई (सारणी 7.4)

	प्रतिशत हिस्सा		सीएजीआर	वृद्धि का प्रतिशत ^१
	2000-01	2013-14	2000-01 to 2012-13	2013-14
I प्राथमिक उत्पाद	16.0	15.6	16.9	4.7
(क) कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	14.0	13.8	17.0	5.1
(ख) अयस्क एवं खनिज	2.0	1.8	16.5	1.4
II विनिर्मित वस्तुएं	78.8	63.7	15.1	4.6
(क) आरएमजी सहित वस्त्र	23.6	9.7	8.0	14.6
(ख) रत्न एवं आभूषण	16.6	13.1	15.9	-5.2
(ग) अभियांत्रिकी वस्तुएं	15.7	19.8	19.1	8.8
(घ) रसायन एवं संबंधित उत्पाद	10.4	13.2	19.5	5.9
(ड.) चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादन	4.4	1.8	8.0	16.7
(च) हाथ से बने कालीन सहित हथकरघा	2.8	0.4	-0.3	10.9
III पेट्रोलियम, अपरिष्कृत एवं उत्पाद	4.2	20.1	33.5	3.0
कुल निर्यात	100.0	100.0	17.2	4.1

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस डाटा से परिकलित

टिप्पणी: ^१अमरीकी डालर के रूप में वृद्धि दर

7.14 जबकि यहां प्राथमिक उत्पादों के हिस्से में थोड़ी गिरावट रही है, विनिर्मित वस्तुओं के हिस्से में 15.1 प्रतिशत बिंदुओं की गिरावट थी। विनिर्मित वस्तुओं के अंतर्गत चार बड़ी मदों में रत्न और आभूषण तथा वस्त्र (आरएमजी सहित) के हिस्सों में गिरावट आई जिसमें परवर्ती मद में 9.7 प्रतिशत तक की यह गिरावट आधे से अधिक रही है। दो प्रमुख विनिर्मित वस्तु मदों, इंजीनियरिंग वस्तुओं और रसायनों और संबंधित उत्पादों की हिस्सेदारियों में उनकी लगभग 20% सीएजीआर होने के कारण वृद्धि हुई है। वर्ष

सारणी 7.4 : भारत के निर्यातों का जिस संघटन

2000-01 से 2013-14 के बीच विनिर्मित वस्तुओं की निर्यात हिस्सेदारियों में गिरावट इन मर्दों की अमेरिका जैसे मुख्य गंतव्यों को निर्यात हिस्से में गिरावट के कारण है। इन मर्दों में, अमेरिका को किए गए वस्त्रों और रत्न व आभूषणों के निर्यात के हिस्सों में गिरावट आई जबकि रसायनों व संबंधित मर्दों और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यातों के हिस्सों में बढ़ोतरी हुई। यूरोपीय संघ के मामले में, वस्त्रों, इंजीनियरिंग वस्तुओं और रसायनों व संबंधित उत्पादों के हिस्सों में बढ़ोतरी हुई जबकि रत्न व आभूषणों तथा चमड़े के हिस्सों में गिरावट आई। चीन के मामले में, वस्त्रों और इंजीनियरिंग वस्तुओं के हिस्सों में बढ़ोतरी तथा रसायनों व संबंधित उत्पादों के हिस्से में गिरावट आई। इस प्रकार भारत के निर्यात में संघटनात्मक परिवर्तनों के साथ-साथ दिशात्मक परिवर्तन भी हो रहे हैं।

7.15 निर्यात के हाल के क्षेत्रवार कामकाज (सारणी 7.5) से पता चला है कि जहां 2012-13 में कई क्षेत्रों में नकारात्मक विकास जोन में आते हैं वहीं 2013-14 में रत्नों, आभूषणों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को छोड़कर अन्य सभी बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि रही है। 2014-15 (अ०) के प्रथम दो महीनों में इंजीनियरिंग सामानों (21.7 प्रतिशत), पेट्रोलियम उत्पादों (14.0 प्रतिशत) समुद्री उत्पादों (40.1 प्रतिशत) और वस्त्र (13.2 प्रतिशत) क्षेत्रों के कामकाज में और भी सुधार हुआ है।

7.16 निर्यात के क्षेत्रवार कामकाज की दिलचस्प बात यह है कि कई श्रमिक साध्य निर्यात क्षेत्रों ने वर्ष 2013-14 में बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2013-14 में वस्त्र निर्यात में 14.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। भारत के कुल वस्त्र निर्यात में यूरोपीय युनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा आधा होता है और वर्ष 2013-14 में इन बाजारों में हमारा वस्त्र निर्यात क्रमशः 13.5 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत रहा है। एक दूसरी बात यह है कि चीन को किया जाने वाला भारतीय वस्त्रों का निर्यात बढ़ा है और इसमें चीन का हिस्सा 2010-11 के 2 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 5 प्रतिशत हो गया जो और भी बढ़कर 2013-14 में 7 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अन्य श्रमिक साध्य क्षेत्र जैसे कि चमड़ा और चमड़ा उत्पादों का निर्यात वृद्धि 16.7 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर रही है। 2013-14 में कुल चमड़ा निर्यात का लगभग 72 प्रतिशत यूरोपीय युनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया जिसमें क्रमशः 15.4 प्रतिशत और 27.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कार्पेट समेत हस्तशिल्प का निर्यात भी दो अंकों में अर्थात् 10.9 प्रतिशत तक पहुंच गया है जबकि 2013-14 में कुल निर्यात में इसका हिस्सा केवल 0.4 प्रतिशत ही था।

7.17 भारत के निर्यात क्षेत्र की एक प्रमुख बात बढ़ता हुआ विदेशी मूल्य संवर्द्धन और घटता हुआ घरेलू मूल्य संवर्द्धन है। सभी देशों और महाद्वीपों में उत्पादन प्रक्रिया का विखण्डन आर्थिक वैश्वीकरण का तेजी से प्रमुख विशेषता बनता जा रहा है। ऐसा विशेष कर भारत की अर्थव्यवस्था में देखने में आता है। ध्यान देने की बात है कि विभिन्न देशों में बाद के चरण या प्रक्रिया में मध्यवर्ती भागों या घटकों का उत्पादन किया जाता है और फिर बाद में उनका अन्य देशों को आगे के उत्पादन के लिए निर्यात कर दिया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के इस बढ़ते हुए विखण्डन के कारण विश्व व्यापार की न केवल विभिन्न अंतिम उत्पादों के बारे में विशेषज्ञता हासिल कर रहे देशों के मद्दे नजर विचार किया जाना चाहिए बल्कि इस पर उत्पादों के उत्पादन के विभिन्न घटकों या प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता की भी दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। व्यापार की भूमिका और घरेलू रोजगार और आय सृजन में व्यापार के अंशदान पर भी तदनुसार विचार किया जाना चाहिए (बॉक्स 7.1)।

भारत के आयात में वृद्धि

7.18 आयात वृद्धि में तेजी से गिरावट आयी है जो कि 2011-12 के 32.3 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 0.3 प्रतिशत तक आ गया है और 2013-14 में इसमें 8.3 प्रतिशत की गिरावट आयी है। ऐसा इसलिए हुआ है कि गैर तेल आयात में 12.8 प्रतिशत की कमी आयी है। आयात के अन्य बड़े मर्दों पेट्रोलियम आयल और लुब्रीकेन्ट्स (पी०ओ०एल०), जिनका 2013-14 के कुल निर्यात में 36.7 प्रतिशत का हिस्सा था, में 0.7 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई है। यह मामूली वृद्धि पीओएल

वृद्धि	2012-13	2013-14(अ)
सकारात्मक	<ol style="list-style-type: none"> 1. पेट्रोलियम उत्पाद 2. रसायन 3. कृषि एवं सहायक उत्पाद 4. चमड़ा एवं उत्पाद 5. समुद्री उत्पाद 	<ol style="list-style-type: none"> 1. पेट्रोलियम उत्पाद 2. इंजीनियरिंग सामान 3. रसायन 4. कृषि एवं सहायक उत्पाद 5. वस्त्र 6. चमड़ा एवं उत्पाद 7. समुद्री उत्पाद 8. अन्य एवं खनिज
नकारात्मक	<ol style="list-style-type: none"> 1. इंजीनियरिंग सामान 2. रत्न एवं आभूषण 3. वस्त्र 4. इलेक्ट्रॉनिक सामान 5. अयस्क एवं खनिज 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रत्न एवं आभूषण 2. इलेक्ट्रॉनिक सामान
सकल	-1.8	4.1

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस आंकड़ों पर आधारित
टिप्पणी: अ.=अनन्तिम

सारणी 7.5 : निर्यात के क्षेत्रवार कामकाज

कई श्रम साध्य निर्यात क्षेत्रों का 2013-14 में तुलनात्मक दृष्टि से कामकाज बेहतर रहा है।

बॉक्स 7.1 : भारत के निर्यात में संवर्द्धित घरेलू मूल्य और विदेशी अवयव का आकलन

1995 से 2011 के दौरान भारत के निर्यात में आयात अवयव तेजी से बढ़कर 11 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक हो गया था। आयात अवयव (या विदेशी संवर्द्धित मूल्य) में तुलनात्मक रूप से व्यापारिक निर्यात में वृद्धि हुई है जो कि इसी अवधि के दौरान 11 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत (सारणी 1) हो गया है। एकक जिस के स्तर पर निर्यात के आयात अवयव में सबसे ज्यादा वृद्धि जहाज और नौका (लगभग 60 प्रतिशत प्वायण्ट) में हुई है फिर उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक (20 प्रतिशत प्वाइंट से अधिक) का स्थान है।

सारणी 1 : भारत के व्यापारिक और कुल निर्यात में घरेलू और विदेशी वर्धित मूल्य का हिस्सा

हिस्सा	1995	1998	2000	2003	2005	2007	2009	2011
व्यापारिक निर्यात	घरेलू वर्धित मूल्य	88.83	87.78	84.34	82.94	75.96	74.62	74.28
	विदेशी वर्धित मूल्य	11.17	12.22	15.66	17.06	24.04	25.38	25.72
कुल निर्यात	घरेलू वर्धित मूल्य	89.49	88.4	85.32	85.26	79.81	76.61	78.02
	विदेशी वर्धित मूल्य	10.51	11.6	14.68	14.74	20.19	23.39	21.98

स्रोत: विश्व निवेश-निर्गत डाटा बेस (डब्ल्यू आई ओ डी) के निवेश-निर्गत सारणी के आधार पर परिगणित।


हालांकि वर्ष 2008 में भारत के निर्यात में 24 प्रतिशत पर विदेशी वर्धित मूल्य का हिस्सा चीन के 33 प्रतिशत, मलेशिया और थाईलैण्ड के 38 प्रतिशत, फिलीपीन्स के 42 प्रतिशत, कोरिया के 43 प्रतिशत, वियतनाम के 46 प्रतिशत और ताईवान के 40 प्रतिशत से कम था। इस प्रकार विश्व मूल्यशृंखला में समेकन की मात्रा की दृष्टि से कई उदीयमान उत्तर-पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि ताईवान, कोरिया, फिलीपीन्स, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैण्ड और चीन से बहुत पीछे है लेकिन दक्षिण अफ्रीका, इण्डोनेशिया और ब्राजील भारत से भी पीछे हैं। यद्यपि 1998 से 2007 की अवधि के दौरान सकल दृष्टि से निर्यात में वृद्धि हुई है फिर भी लगभग सभी असंगठित जिंसों के मामले में सकल निर्यात में घरेलू वर्धित मूल्य में गिरावट का रुख देखने में आया है। परम्परागत रूप से निर्यातानुमुखी क्षेत्र जैसेकि वस्त्र, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद, दवाइयों और औषधियों, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और सहायक क्षेत्रों में कई वर्षों से घरेलू वर्धित मूल्य में गिरावट का रुख देखने में आया है। घरेलू वर्धित मूल्य सूती वस्त्रों में 5 प्रतिशत प्वायण्ट, रेडिमेड वस्त्रों में 4 प्रतिशत प्वायण्ट और दवाओं तथा औषधियों में 8 प्रतिशत प्वायण्ट की कमी आयी है। 1998 से 2011 के दौरान कुल निर्यात में घरेलू वर्धित मूल्य चीन और भारत के मामले में काफी कम अर्थात् 10 प्रतिशत प्वायण्ट तक कम हो गया है और ब्राजील के मामले में 4 प्रतिशत की मामूली गिरावट आयी है। इण्डोनेशिया के मामले में इसका विलोम रुख दिखाई दिया है जहां कि निर्यात में घरेलू वर्धित मूल्य में (6 प्रतिशत प्वायण्ट) की वृद्धि हुई है।

स्रोत: डॉ॰ देव कुमार दास के आईसीआरआईआईआर, इस्टिमेटिंग डोमेस्टिक वॉल्यू एडेड एण्ड फारेन कन्टेन्ट्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट पर किए गए अध्ययन के आधार पर जिसको आर्थिक मामले का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था।

(2.6 प्रतिशत) में हुई साधारण मात्रा वृद्धि के कारण हुई है और ऐसा कच्चे तेल की कीमत उसके औसत कीमत से (इण्डियन बास्केट) से थोड़ा कम होने के बावजूद हुआ है जोकि 2012-13 के 108.0 अमेरिकी डॉलर/बीबीएल से कम होकर 2013-14 में 105.5 अमेरिकी डॉलर/बीबीएल हो गया है।

7.19 आयात का एक प्रमुख मद सोना है जिसका आयात 2011-12 के 1078 टन से कम होकर 2013-14 के 1037 टन हो गया था जो आगे और भी कम होकर 2013-14 में 664 टन तक आ गया था। यह सब कुछ तब हुआ जब सरकार ने कई उपाय किए थे। मूल्य की दृष्टि से सोने और चांदी के आयात में वर्ष 2013-14 में 40.1 प्रतिशत कम होकर 33.4 बिलियन अमेरिकी डालर तक हो गया था। पूंजीगत माल एक अन्य बड़ा आयात वर्ग है।

7.20 2012-13 और 2013-14 दोनों ही वर्षों में इनके आयात में क्रमशः 3.4 प्रतिशत और 14.7 प्रतिशत की कमी आयी है, जो कि एक चिंता का विषय है (सारणी 7.6)। पूंजीगत माल के मामले में इलेक्ट्रिकल और मशीन टूल्स को छोड़कर मशीनरी और परिवहन उपकरणों के आयात में वर्ष 2013-14 में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी आयी है। हालांकि पूंजीगत माल के आयात की प्रमात्रा में वर्ष 2012-13 में वास्तव में वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।



चित्र 7.1 : पीओएल आयात

सरकार द्वारा किए गए कई उपायों के कारण वर्ष 2013-14 में सोने के आयात में तेजी से कमी आयी है।

जिन्स समूह	प्रतिशत हिस्सा		सीएजीआर से 2012-13	वृद्धि दर (प्रतिशत)*
	2000-01	2013-14		
I. खाद्य एवं संबद्ध उत्पाद	3.3	3.2	21.5	-15.9
जिसमें से				
1 अनाज	0.0	0.0	16.0	3.8
2 दलहन	0.2	0.4	29.1	-25.5
3 खाद्य तेल	2.6	2.1	19.6	-16.9
II. ईंधन	33.5	40.4	21.9	0.4
जिसमें से				
4 पीओएल	31.3	36.7	21.6	0.7
III. उर्वरक	1.3	1.4	24.0	-28.0
IV. पूंजीगत वस्तुएं	10.5	11.9	23.0	-14.7
जिसमें से				
5 इलेक्ट्रिकल एवं मशीनी औजारों को छोड़कर	5.9	5.2	20.6	-14.5
6 इलेक्ट्रिकल मशीनरी	1.0	1.0	20.4	-2.0
7 परिवहन संबंधी उपकरण	1.4	3.3	30.6	-12.8
V. अन्य	52.5	38.4	18.5	-14.4
जिसमें से				
8 रसायन	5.9	5.7	19.2	4.3
9 मोती, कीमती पत्थर अर्द्ध कीमती पत्थर	9.7	5.3	13.7	5.7
10 सोना और चांदी	9.3	7.4	23.0	-40.1
11 इलेक्ट्रिक वस्तुएं	7.0	6.9	20.0	-1.5
कुल आयात	100.0	100.0	21.0	-8.3

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस डाटा से संगणित।

टिप्पणी: *अमरीकी डालर में वृद्धि दर।

व्यापार घाटा

7.21 वर्ष 2013-14 में आयात में आई कमी और निर्यात वृद्धि के सामान्य रहने के कारण भारत के व्यापार घाटे में 27.8% की कमी आई है। निरपेक्ष रूप से देखें तो यह व्यापार घाटा वर्ष 2012-13 के दौरान 190.3 बिलियन अमेरिका डॉलर से कम होकर 137.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। हालांकि पीओएल घाटे में कोई भी बदलाव नहीं आया जो कि पिछले दो सालों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आस-पास लटक रहा था। सोने तथा पूंजीगत मात्रा दोनों के ही आयात में कमी आने के कारण गैर पीओएल घाटा 2012-13 के 87.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से तेजी से कम होकर 2013-14 में 35 बिलियन तक आ गया।

व्यापार घाटा

7.22 2013-14 में उत्तरी अमेरिका (9.1%) और अफ्रीका (7.2%) को किए जाने वाले निर्यात में अच्छी वृद्धि हुई थी। जबकि यूरोप (4%) और एशिया (1.7%) को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि धीमी रही। तथा लैटिन अमेरिका (-20%) और सीआईएस तथा बाल्टिक देशों (4.7%) को होने वाले निर्यात में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका को होने वाले निर्यात में 8.3% की वृद्धि हुई थी वहीं ईयू 27 को होने वाले निर्यात में मात्र 2.2% की वृद्धि हुई है इसका कारण यह था कि यूरोपीय समुदाय से मंदी आ गई थी। संयुक्त अरब अमीरात में -16% की गिरावट आई। एशिया को किया जाने वाला निर्यात अभी भी भारत के निर्यात का लगभग 50% है। जहां एक ओर, आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स) को किए जाने वाले भारत के निर्यात में 0.5% की मामूली वृद्धि हुई थी, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी एशिया को किए जाने वाले निर्यात में काफी वृद्धि देखने में आई थी। यह निर्यात सार्क के चार देशों (साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिजनल कॉरपोरेशन) अर्थात् श्री लंका, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान साथ ही साथ भूटान को किया जा रहा था। चीन तथा जापान को किए जाने वाले निर्यात में भी क्रमशः 9.5% तथा 11.7% की अच्छी खासी वृद्धि हुई है। क्षेत्रवार सभी पांचों क्षेत्रों से होने वाला आयात में कमी आई है और सर्वाधिक कमी यूरोप से होने वाले आयात में हुई है जो कि -19.3% है।

2012-13 और 2013-14, दोनों ही वर्षों में पूंजीगत माल के आयात के मूल्य में तेजी से कमी आयी है।

सारणी 7.6 : भारत के आयातों की
जिन्सवार संरचना

दक्षिण एशिया को होने वाले भारत के निर्यात में अच्छी प्रगति रही और सार्क के प्रमुख देशों को होने वाले निर्यात में ऊंची वृद्धि दर रही है।

7.23 वर्ष 2013-14 में 58% पर भारत के व्यापार में इसके 15 शीर्षस्थ व्यापारिक भागीदारों का हिस्सा लगभग वही रहा है जो इसके पहले के वर्षों में रहा है। भारत के तीन शीर्षस्थ व्यापारिक भागीदार चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त अरब अमीरात हैं। जिनका स्थान आगे-पीछे होता रहा है। निर्यात-आयात अनुपात जिससे द्विपक्षीय व्यापार संतुलन से प्रकट होता है (सारणी 7.7), 2013-14 में अपने शीर्षस्थ 15 व्यापारिक भागीदारों ने चार देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय व्यापार अतिरेक का है। यह देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर तथा हांगकांग। और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रहने वाले निर्यात-आयात अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई है। स्विटजरलैंड के साथ होने वाले व्यापार के द्विपक्षीय व्यापार घाटे में तेजी से कमी आई है जो कि 2012-13 के 31.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 2013-14 में 17.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो गया। ऐसा सोने के आयात में हुई कमी के कारण हुआ। भारत का चीन के साथ एक बहुत ही उच्च और बढ़ता हुआ द्विपक्षीय व्यापार संबंध है जो कि 2013-14 में गिरकर 6.6% रह गया है इन दोनों एशियाई देशों के बढ़ते महत्व को देखते हुए भारत को चीन के लिए एक व्यापक व्यापार रणनीति तैयार करनी चाहिए जिसमें चीन को निर्यात करने की भारतीय क्षमता पर विशेष ध्यान देना चाहिए (बॉक्स 7.2)।

रैंक	देश	कुल व्यापार में हिस्सा				आयात-निर्यात अनुपात*			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
		(अ)				(अ)			
1	चीन	9.50	9.15	8.32	8.63	0.36	0.33	0.26	0.29
2	यूएसए	7.30	7.31	7.76	8.06	1.26	1.49	1.43	1.76
3	यूईई	10.72	9.14	9.54	7.82	1.03	0.98	0.93	1.05
4	सऊदी अरब	4.04	4.75	5.53	6.39	0.23	0.18	0.29	0.33
5	स्विटजरलैंड	4.11	4.57	4.21	2.78	0.03	0.03	0.03	0.09
6	जर्मनी	3.00	2.95	2.73	2.66	0.57	0.51	0.51	0.59
7	हांगकांग	3.18	2.94	2.55	2.63	1.10	1.24	1.55	1.74
8	इण्डोनेशिया	2.52	2.71	2.55	2.60	0.57	0.45	0.36	0.33
9	ईराक	1.56	2.48	2.59	2.55	0.08	0.04	0.07	0.05
10	सिंगापुर	2.73	3.17	2.67	2.53	1.38	2.02	1.82	1.85
11	कुवैत	1.96	2.20	2.23	2.39	0.18	0.07	0.06	0.06
12	बेल्जियम	2.32	2.20	1.97	2.24	0.67	0.69	0.55	0.59
13	नाइजीरिया	2.08	2.20	1.87	2.23	0.19	0.18	0.23	0.19
14	कतार	1.16	1.73	2.07	2.19	0.06	0.06	0.04	0.06
15	कोरिया	2.29	2.16	2.19	2.18	0.36	0.34	0.32	0.34
	कुल शीर्षस्थ 15 देश	58.46	59.64	58.78	57.89	0.54	0.49	0.48	0.53
	कुल	100.00	100.00	100.00	100.00	0.68	0.63	0.61	0.69

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड डाटा से संगणित।

टिप्पणी : *0 से 1 के बीच आयात एवं निर्यात के सहगुणांक का मतलब यह है कि भारत का आयात निर्यात से अधिक है तथा एक से अधिक सहगुणांक का मतलब यह है कि भारत का निर्यात आयात से अधिक है।

सारणी 7.6 : प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ भारत का व्यापार-हिस्सा तथा आयात-निर्यात अनुपात

बॉक्स 7.2 : भारत से चीन को निर्यात की संभावना

2013-14 में भारत से चीन को किए जाने वाला व्यापार 2000-01 में 2.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 68.9 बिलियन हो गया। चीन का भारत में कुल व्यापार वर्ष 2000-01 में 2.5% था जो कि 2013-14 में बढ़कर 8.6 हो गया। तथा भारत का चीन में कुल व्यापार 2001 की तुलना में 0.7 से बढ़कर 2013 में 1.6 हो गया। भारत का चीन में आयात सीएजीआर में 31.2 प्रतिशत बढ़ गया जो कि चीन से निर्यात के सीएजीआर के 24.9% की तुलना में अधिक था।

तथापि, भारत का चीन को होने वाला निर्यात, चीन को कुल आयात (लगभग 1% हिस्सा) में एक छोटा ही अनुपात है, 2008 में भारत के कुल द्विपक्षीय निर्यात की संभावना 28.4 बिलियन डॉलर आंकी गई थी जिसके 2012 (तालिका 1) में बढ़कर 53.4 बिलियन होने की संभावना थी। वर्ष 2013-14 में भारत से चीन को किया जाने वाला वास्तविक निर्यात 14.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2008 में, चीन के वास्तविक द्विपक्षीय निर्यात में भारत की निर्यात संभावना लगभग तीन गुना थी और आगे 2012 में 'साढ़े तीन गुना बढ़ गई जिसका कारण 2012 में चीन में भारत के निर्यात में कमी आना था। चीन एक बहुत महत्वपूर्ण बाजार है जहां पर भारत की निर्यात संभावना का पर्याप्त रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। भारत की व्यापक व्यापार संभावना को चीनी बाजार के विविध क्षेत्रों में प्राथमिक तथा श्रम-साध्य उत्पाद से तकनीक आधारित उपायों के विभिन्न स्तरों तक अब व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

जारी...

बॉक्स 7.2 : भारत से चीन को निर्यात की संभावना (जारी...)

सारणी 1 : चीन को निर्यात की संभावना : 2004-12 के दौरान प्रमुख मद

खण्ड	मदों का विवरण	निर्यात संभावना 2012 में (मिलियन अमेरीका डालर)	अनुपात			सीएजीआर 2008-12
			2004	2007	2012	
5	खनिज पदार्थ	19520	7.6	9.7	36.6	14.9
16	मशीनरी तथा तकनीकी उपकरण	13828	43.2	55.9	25.9	-3.8
6	रसायन उत्पाद	3952	9.1	5.8	7.4	11.1
17	वाहन, वायुयान तथा पोत	3391	5.4	4.3	6.4	16.7
7	प्लास्टिक तथा इसके पदार्थ	2647	7	5.4	5	9.7
18	नेत्र, फोटोग्राफ तथा सिनेमेटोग्राफी	2385	6	4.5	4.5	12.3
15	बेस मेटल तथा इसके उत्पाद	2352	7.8	7	4.4	2.8
11	वस्त्र तथा वस्त्र उत्पाद	1493	4.9	2.3	2.8	18.6
कुल निर्यात		53357	100	100	100	6.9

स्रोत: लेखक का अनुमान श्रम कामरेड, ऑनलाइन एक्सेसड ऑन 25 अक्टूबर, 2013 पर आधारित है।

नोट: आंकलित की गई निर्यात संभावना 'मोडीफाइड ट्रेड क्रिएटिंग इफेक्ट' वाइनर मॉडल का विस्तार पर आधारित है। द्विपक्षीय व्यापार का प्रवाह का प्रयोग करते हुए 6 अंकों के मद पर आंकलित किया गया है।

चीन को किये जाने वाली प्रमुख संभावित वस्तुओं में खनिज उत्पादों के अतिरिक्त मशीनरी तथा यांत्रिक उपकरण तथा रसायन के उत्पाद हैं जिसमें भारत के द्विपक्षीय निर्यात की लगभग 1/3 संभावना निहित है। भारत को निर्यात की संभावना मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है जिसमें मध्यावधि में लगभग 90.2% के लिए प्रमुख क्षेत्र उत्तरदायी हैं जिसमें से अधिकतर विनिर्माण क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। एक व्यापक इंडो-चाइना व्यापार रणनीति जो कि भारत के घरेलू चिंताओं के मुद्दों जैसे कि सस्ती चाइना वस्तुओं को डम्प करना, के बारे में ध्यान देती है को पारस्परिक रूप से फायदेमंद बनाया जा सकता है।

स्रोत: डॉ एसके मोहन्ती (2013) द्वारा किए गए अध्ययन 'एक्सामिनिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियास एक्सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रोल इन ए ग्लोबल इकॉनामी पार्टली अफेक्टेड बाय रिसेशन, जिसका प्रायोजन भारत सरकार आर्थिक कार्य मंत्रालय ने किया था, पर आधारित है।

भारत का सेवा व्यापार

7.24 वाणिज्यिक सेवा व्यापार में, भारत वर्ष 2012 में वैश्विक निर्यात में 3.4% हिस्सेदारी के साथ छठे बड़े निर्यातक के स्थान पर रहा तथा वैश्विक आयात में 3.0% हिस्सेदारी के साथ, सातवें बड़े आयातक के स्थान पर रहा। पांच वर्षों में 2008 से पहले (2003-04 से 2007-08) सेवा निर्यात वृद्धि (सीएजीआर) 35.4% तीव्र थी तथा उपरोक्त तरीके से, वाणिज्यिक निर्यात वृद्धि 25.8% थी। पांच वर्ष के पिछले संकट में (2008-09 से 2012-13) सेवा निर्यात वृद्धि, जो 8.3 प्रतिशत थी व्यापार निर्यात वृद्धि के 12.8% से कम थी। 2012-13 में 145.7 अमेरिकी डॉलर का सेवा निर्यात 2.4% की न्यून वृद्धि को दर्शाता है जो कि पिछले वर्ष 14.2% की तुलना में अत्यधिक कम थी। इसमें 2013-14 में 4% वृद्धि के साथ थोड़ा सा सुधार हुआ, (सारणी 7.8) व्यापारिक वाणिज्यिक वृद्धि

वस्तु समूह	हिस्सा (प्रतिशत)		सीएजीआर 2002-03 to 2013-14	विकास दर	
	2002-03	2013-14		2012-13	2013-14
यात्रा	16.0	11.8	16.6	-2.5	-0.4
परिवहन	12.2	11.5	19.1	-5.0	0.3
बीमा	1.8	1.4	17.2	-15.4	-4.8
जीएनआईई	1.4	0.3	4.8	20.1	-14.9
विविध	68.6	75.0	20.8	4.9	5.6
साफ्टवेयर सेवाएं	46.2	45.8	19.7	5.9	5.4
गैर साफ्टवेयर सेवाएं	22.4	29.1	22.7	3.4	5.9
जिसका:					
व्यवसाय सेवाएं	3.9	18.8	38.3	9.8	0.1
वित्तीय सेवाएं	3.3	4.4	23.1	-17.1	34.4
संचार सेवाएं	3.9	1.6	10.4	5.4	43.0
कुल सेवा निर्यात	100.0	100.0	19.8	2.4	4.0

स्रोत: आरबीआई डाटा पर आधारित

टिप्पणी: जीएनआईई=सरकार अन्यत्र शामिल नहीं

सारणी 7.7 : भारत का सेवा निर्यात

भी इसी प्रकार रही। तथापि 45.8 प्रतिशत हिस्सा सॉफ्टवेयर सेवाओं का तथा 29.1 प्रतिशत हिस्सा गैर सॉफ्टवेयर का रहा है और इसमें क्रमशः 5.4% तथा 5.9% की वृद्धि हुई अन्य सभी प्रमुख वर्गों में बहुत ही कम या नकारात्मक वृद्धि हुई।

7.25 अन्य सभी प्रमुख वर्गों ने सेवा आयात जो कि 2012-13 में थोड़ा सा 3.2 बढ़ा 2013-14 में घटकर 2.8 हो गया, नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। हाल के वर्षों में भारत के बढ़ते व्यापार घाटे के वित्तीयन में निवल सेवाएं एक प्रमुख स्रोत रही हैं। वर्ष 2006-07 से 2012-13 के दौरान कुल मिलाकर वाणिज्यिक व्यापार घाटे का लगभग 38% का वित्त पोषण हुआ। जहां 2012-13 में निवल सेवाओं में वाणिज्यिक व्यापार घाटे का 33.2% वित्त पोषण हुआ वहीं 2013-14 के दौरान सेवा आयातों में गिरावट तथा सेवा निर्यात में मंदी के साथ निवल सेवाओं ने वाणिज्यिक व्यापार के 49.4% तक वित्तीयन किया।

व्यापार घाटा भारतीय परिप्रेक्ष्य

7.26 व्यापार घाटा व्यापार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अध्ययन के अनुसार व्यापार घाटे में एक प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप उस देश के वास्तविक आयात में 0.4% की वृद्धि होती है।

7.27 मार्च 2014 के अन्त तक, भारत में लघु-अवधि व्यापार घाटे (1 वर्ष तक) का कुल अन्तर्वाह 6.02400 तक पहुंच चुका था जो कि साल-दर-साल 9.7 की अवनति को प्रदर्शित करता है। 100.2 बिलियन अमेरिका डॉलर के आधार पर वर्ष 2013-14 में अन्तर्वाही व्यापार घाटा 2012-13 की तुलना में 18.4% कम था जबकि व्यापार घाटे के बहिर्वाह में वृद्धि 4.0% थी। जिसके परिणाम स्वरूप 2012-13 में 21.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल अन्तर्वाह की तुलना में 2013-14 में व्यापार घाटे के तहत 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था का निवल निकास हुआ था।

7.28 वर्ष 2012 में न्यून वृद्धि के पश्चात्, व्यापार घाटा 2012-13 में बढ़कर 14.2% हो गया। 2013-14 में यह कम होकर 10.5% हो गया। निवल बैंक के प्रतिशत के रूप में निर्यात ऋण, जो कि पिछले वर्षों में लगातार कम होता रहा है, 23 मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार लगभग 9% से अधिक से था 21 मार्च 2014 को गिरकर 3.8% रह गया (सारणी 7.9)। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों को व्यापार ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। (बॉक्स 7.3)

तिथि को बकाया	निर्यात ऋण (करोड़ रु०)	अन्तर (प्रतिशत)	एनबीसी प्रतिशत के रूप में निर्यात ऋण
23 मार्च 2001	43321	10.7	9.3
28 मार्च 2008	129983	23.9	5.5
22 मार्च 2013	207618	14.2	3.9
21 मार्च 2014	229429	10.5	3.8

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: एनबीसी = निवल बैंक ऋण

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में आंकड़ों में, आरबीआई से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरवी) के आंकड़ों को अलग रखा गया।

सारणी 7.9 : निर्यात ऋण

व्यापार नीति

नवीन व्यापार नीतिगत उपाय

7.29 18 अप्रैल 2013 को विदेशी व्यापार नीति में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नीतिगत कदम उठाए हैं। जो कि संघीय बजट 2013-14 में घोषित नीति और भारतीय रिजर्व बैंक की अपनी आर्थिक एवं क्रेडिट नीतियों में घोषित कदमों के अलावा हैं (बॉक्स 7.3)

बॉक्स 7.3 : हाल ही में कुछ चयनित नीतिगत उपाय

बजट सम्बन्धी

- चमड़े के निर्माण तथा चमड़े की वस्तुओं जिसमें फुटवियन भी सम्मिलित हैं, के लिए निर्धारित शुल्क को 7.5% से घटाकर 5% करना।
- अपरूप, कीमती तथा अर्ध कीमती पत्थरों पर शुल्क को 10% से घटाकर 2% करना।
- चावल की भूसी जिससे कि तेल निकाला जा चुका है, निर्यात शुल्क को वापिस लेना।
- वायुयान रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉल उद्योग को छूट।

जारी...

बॉक्स 7.3 : हाल ही में कुछ चयनित नीतिगत उपाय (जारी....)

- सिले हुए वस्त्र उद्योग के लिए, कॉटन के लिए फाइबर स्टेज पर शून्य उत्पाद शुल्क तथा मानवनिर्मित फाइबर से बने बटा सन के लिए फाइबर स्टेज पर 12% शुल्क। हस्तनिर्मित कार्पेट तथा जूट एवं कॉयर के कपड़े से निर्मित फर्श गलीचे को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है।
- जहाज तथा पोत को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई तथा आयातित जहाज तथा पोत पर कोई प्रतिकारी शुल्क न होना।

ऋण सम्बन्धी

- उच्च लागत सीमा, जिसको छ% माह से अधिक 200 आधार बिन्दु (बीपीएस) से संशोधित के बारे में 15 नवम्बर, 2011 को छ% से अधिक 350 आधार बिन्दु किया गया जो कि 30 जून 2014 तक लागू होगा।
- व्यापार ऋण का लाभ उठाने के लिए, व्यापार ऋण की अवधि को चलन प्राप्त तथा व्यापार लेन-देन से जोड़ा जाना चाहिए।
- साफ्टवेयर निर्यात या वस्तुओं को पूर्ण निर्यात को भारत में वापिस लाने तथा कार्यान्वयन के लिए बढ़े हुए समय को निर्यात की तारीख से 12 माह से कम करके 9 माह करना। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित इकाइयों के कार्यान्वयन तथा भारत से निर्यात की तारीख से 12 माह के भीतर वस्तुओं/साफ्टवेयर/ सेवाओं के पूरे मान को वापिस लाया जाना चाहिए।

2013-14 में विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीतिगत उपाय

- इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए द रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंटेरेस्ट एंड सबवेन्शन स्कीम को 101 टैरिफ लाइन तक बढ़ाया गया। इस योजना की वैधता को भी 31 मार्च 2014 तक बढ़ाया गया। ब्याज आर्थिक सहायता की दर को भी 01.08.2013 तक 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया।
- निर्यात के एफओबी मूल्य के 2% या 5% की दर पर ड्यूटी क्रेडिट के लिए लगभग 130 नए उत्पाद शामिल किए गए हैं। जिसमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, औषधि एवं वस्त्र उत्पाद शामिल हैं।
- मार्केट लिंकड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एमएलएफपीएस) के अंतर्गत लगभग 57 नए उत्पाद और दो नए देशों को सम्मिलित किया गया है। इन्क्रोमेहता स्पोर्ट्स इन्कन्वीजेशन स्कीम को वर्ष 2013-14 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसमें 1.4.2013 से 53 लैटिन अमेरिकी तथा अफ्रीकी देशों को सूची में शामिल किया गया है।
- इन्क्रोमेहता स्पोर्ट्स इन्कन्वीजेशन स्कीम को वर्ष 2013-14 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसमें 1.4.2013 से लैटिन अमेरिकी तथा अफ्रीका देशों की सूची में शामिल किया गया है।
- (एमएलएफपीएस) को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ को किये जाने वाले निर्यात के उद्देश्य से 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दिया गया है। जैसा अध्याय 61 तथा 62 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं (वस्त्र एवं परिधान) के मामले में किया गया है।
- फोकस प्रोडक्ट स्कीम्स (एफपीएस) फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस) विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना (पीकेजीयूआई) को स्क्रिप्स का सेवाकर के भुगतान में प्रयोग किया जा सकता है।
- दो नए शहरों को उत्कृष्ट निर्यात का शहर (टीआईआई) घोषित किया गया है। ये शहर हैं: गुडगांव (वस्त्र) और मोरबी (सिरामिक टाइल्स एवं सेनेट्री वेयर्स)
- 10/7/2013 को निर्यात के (एफओबी) मूल्य के 2% की दर से ड्यूटी क्रेडिट के लिए लगभग 160 नए उत्पाद शामिल किये गए हैं जिनमें 153 हाइटेक उत्पाद भी शामिल हैं (15/8/2013 से लागू)।
- मार्केट लिंकज धोकरन प्रोडक्ट स्कीम (एमएलएफपीएस) के तहत उत्पादों को शामिल किया गया है जिसमें 2% अतिरिक्त लाभ भी है।

राज्य-वार निर्यात संवर्धन के लिए नीति

7.30 निर्यातों का राज्य-वार प्रदर्शन (सारणी 7.10) शीर्ष पर गुजरात के बाद महाराष्ट्र के साथ केवल दो राज्यों का प्रभुत्व दर्शाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक तीसरे और चौथे

	मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर)	हिस्सा			वृद्धि दर
		2011-12	2012-13	2013-14	
1 गुजरात	73498	21.3	20.4	23.5	19.7
2 महाराष्ट्र	71661	22.4	22.1	22.9	7.9
3 तमिलनाडु	26937	9.1	9.0	8.6	-0.7
4 कर्नाटक	17821	5.1	5.8	5.7	1.7
5 आंध्र प्रदेश	15353	5.2	4.8	4.9	7.3
6 उत्तर प्रदेश	13309	3.5	3.6	4.3	21.6
7 हरियाणा	10657	3.0	3.2	3.4	9.2
8 पश्चिम बंगाल	10496	2.9	3.1	3.4	11.3
9 दिल्ली	9329	2.7	2.9	3.0	8.8
10 पंजाब	7063	1.9	2.2	2.3	8.8
11 राजस्थान	5915	2.2	2.3	1.9	-15.2
12 मध्य प्रदेश	4374	1.2	1.4	1.4	4.6
13 केरल	4285	2.7	3.2	1.4	-55.1
14 ओडिशा	4005	1.1	1.1	1.3	25.4
कुल निर्यात	312610	100.0	100.0	100.0	4.1

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

टिप्पणी: इसमें केवल वे राज्य शामिल हैं जिनका 2013-14 में भारत के निर्यात में कम से कम 1 प्रतिशत हिस्सा है।

सारणी 7.10 : शीर्ष भारतीय राज्यों का निर्यात प्रदर्शन

स्थान पर हैं। 2013-14 में, लगभग 20 प्रतिशत की उच्च निर्यात वृद्धि दर के साथ गुजरात ने महाराष्ट्र को दूसरे स्थान पर धकेल दिया। अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का निर्यात वृद्धि दो अंकों का था। केरल के निर्यात का हिस्सा 55 प्रतिशत की नकारात्मक निर्यात वृद्धि के कारण आधे से अधिक तक गिर गया। यह मुख्य रूप से मसाले के निर्यातों में गिरावट के कारण हुआ।

7.31 सारणी 7.10 में दिया गया राज्य-वार निर्यात केवल निर्देशात्मक है क्योंकि आंकड़ों में कुछ दोष हैं। आंकड़ों को सीमाशुल्क से सूचना के अनुसार संकलित किया गया है और डीजीसीआईएंडएस की ओर से इसका कोई सत्यापन नहीं किया गया है। किसी एक शिपिंग बिल में निर्यातक द्वारा केवल एक उत्पत्ति का राज्य कूट दिया जा सकता है। एक राज्य से अधिक राज्यों से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को शामिल करते हुए बहु बीजकों वाले शिपिंग बिलों के मामले में, अलग-अलग प्रविष्टि करने का कोई प्रावधान नहीं है। सीमाशुल्क की दैनिक व्यापार विवरणी (डीटीआर) में उत्पत्ति के राज्य की गैर-रिपोर्टिंग काफी अधिक है और निर्यातकों की प्रवृत्ति वस्तुओं की उत्पत्ति के वास्तविक राज्य की बजाय उन विशेष वस्तुओं के लिए उत्पत्ति के राज्य के रूप में उन राज्यों की सूचना देने की है जिस राज्य से वे संबंधित हैं/जिस राज्य से बंदरगाह (जिसके माध्यम से निर्यात हुआ है) संबंधित है/जिस राज्य से उन्होंने वस्तुएं 'क्रय' की है। गैर-निर्माण निर्यातकों के मामले में समस्या और भी विकट है जो केवल क्रय के स्थान को जानते हैं न कि वस्तुओं के उत्पादन के स्थान को। आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इन दोषों को दूर किया जाना आवश्यक है।

7.32 केन्द्र सरकार राज्यों को निर्यात अवसंरचना विकास एवं संबद्ध गतिविधि (एएसआईडीई) योजना के लिए राज्यों को सहायता के माध्यम से निर्यात करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है जो राज्यों के निर्यात प्रदर्शन पर आधारित है। एएसआईडीई योजना के लिए परिव्यय में दो घटक हैं: राज्य घटक (कुल परिव्यय का 80 प्रतिशत) और केन्द्र घटक (कुल परिव्यय का 20 प्रतिशत)। वित्त वर्ष (2013-14) के लिए एएसआईडीई योजना हेतु 745.1 करोड़ ₹ (संशोधित अनुमान) आवंटित किया गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

7.33 फरवरी 2006 में एसईजेड अधिनियम और नियमावली अधिसूचित होने के बाद से लगभग आठ वर्षों की अवधि में 566 एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 388 को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में कुल 184 एसईजेड निर्यात कर रहे हैं। समग्र रूप से एसईजेड में 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 12,83,309 व्यक्तियों के कुल रोजगार में से 11,48,605 व्यक्ति फरवरी 2006, जब एसईजेड अधिनियम लागू हुआ, के बाद सृजित वृद्धिशील रोजगार हैं। यह अवसंरचना निर्माण के लिए विकासकों द्वारा सृजित रोजगार के अतिरिक्त है। एसईजेड से वास्तविक निर्यात 2012-13 में 4,76,159 करोड़ ₹ से बढ़कर रुपये के संदर्भ में 4.0 की वृद्धि दर्ज करते हुए 2013-14 में 4,94,077 करोड़ ₹ तक हो गया है। 31 मार्च 2014 तक एसईजेड में कुल निवेश एसईजेड अधिनियम 2005 के बाद स्थापित नए अधिसूचित एसईजेड में 2,73,379 करोड़ ₹ सहित लगभग 2,96,663 करोड़ ₹ है। एसईजेड में, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

प्रतिपाटन उपाय

7.34 2013 में, सभी देशों द्वारा 283 प्रतिपाटन जांच शुरू की गई जिसमें दोगुने से भी अधिक जांच शुरू करने के साथ ब्राजील ने भारत को पीछे छोड़ दिया (सारणी 7.11)। 2013 में, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों आगे थे, जिन्होंने प्रतिपादन जांच शुरू करने में भारत को तीसरे स्थान पर धकेल दिया।

	1995	2002	2004	2008	2011	2012	2013	1995-2013
1 ब्राजील	5	8	8	24	16	47	54	334
2 स. रा. अमरीका	14	35	26	16	15	11	39	508
3 भारत	6	81	21	55	19	21	29	702
4 ऑस्ट्रेलिया	5	16	9	6	18	12	20	267
5 अर्जेंटीना	27	10	12	19	7	13	19	312
6 कनाडा	11	5	11	3	2	11	17	183
7 इण्डोनेशिया	-	4	5	7	6	7	14	110
8 चीन	-	30	27	14	5	9	11	211
9 कोलंबिया	4		2	6	4	2	11	67
10 दक्षिण अफ्रीका	16	4	6	3	4	1	10	227
सभी देश	157	311	220	218	165	209	283	4519

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन

सारणी 7.11 : प्रतिपाटन उपाय 1995-2013 के शीर्ष दस उपयोगकर्ताओं द्वारा शुरू की गई जांच

विश्व व्यापार संगठन वार्ता और भारत

7.35 3 से 7 दिसम्बर तक बाली, इंडोनेशिया में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के नौवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक संस्था के रूप में विश्व व्यापार संगठन की विश्वसनीयता सुदृढ़ हुई है। परिणाम ने यह सुनिश्चित किया कि विकास का पहलू दोहा दौर में ध्यान के केन्द्र में रहे। इसने विकासशील देशों के मध्य भारत की नेतृत्व भूमिका की पुनः पुष्टि की और वार्ता में इसकी रचनात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। भारत ने करार को सफलता तक पहुंचाने और उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने एक ऐसा परिणाम सुनिश्चित किया जो इसके सर्वोच्च राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करता है। यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया कि कार्य लगे रहने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हुए भारत खाद्य सुरक्षा, आजीविका की सुरक्षा और इसके गरीबों के कल्याण से संबंधित मूलभूत मुद्दों पर कभी समझौता नहीं करेगा (बॉक्स 7.4)।

बॉक्स 7.4 : बाली में भारत और विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन: मुख्य मुद्दे

व्यापार सुगमता (टीएफ)

बाली में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देशों का टीएफ करार में शामिल होना था। अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ भारत की लगातार कोशिश के परिणामस्वरूप अंततः कार्यान्वयन कठिनाइयों के समाधान के लिए या तो वार्ता पाठ के अवांछित हिस्से का विलोपन हुआ या उसमें उपयुक्त बदलाव किया गया। बाली मंत्रिस्तरीय निर्णय ने एक ऐसा कार्य करने के लिए एक तैयारी समिति स्थापित किया जो टीएफ करार के शीघ्र लागू होने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। भारत ने करार के तहत अपेक्षित प्रतिबद्धताओं की श्रेणी पर भारत की अधिसूचना का मसौदा तैयार करने के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श शुरू किया है।

खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग से संबंधित मंत्रिस्तरीय निर्णय

जी-33 (भारत सहित विश्व व्यापार संगठन में 46 विकासशील देशों का एक समूह) ने खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग हेतु निर्वाह करने वाले किसानों से खाद्यान्नों के क्रय के मुद्दे को बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की कार्यसूची में लाने का निर्णय लिया। विश्व व्यापार संगठन में भारत की लगातार स्थिति यह रही है कि आजीविका, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास से संबंधित मामले अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विकासशील देशों के लिए विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के तहत यथा प्रदत्त विशेष और विभेदात्मक व्यवहार आवश्यक है। यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) जैसे अन्य बहुपक्षीय मंचों में सदस्य राष्ट्रों की प्रतिबद्धता के भी पूर्ण अनुरूप है जहां गरीबी और भूख के खिलाफ लड़ाई को उच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि कोई अंतरिम समाधान स्थायी समाधान नहीं हो सकता है और न ही इसे समाप्त किया जा सकता है जब तक कि बातचीत के जरिए कोई स्थायी समाधान न हो। यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य सुरक्षा पर किसी संतोषजनक निर्णय के बिना भारत बाली पैकेज को क्षेत्रीय संतुलन रहित मानता है और इसलिए, इसका समर्थन करने में असमर्थ होगा। खाद्य सुरक्षा प्रस्ताव पर परिणाम ने व्यापार नियमों में कुछ असंतुलों को दुरुस्त करना शुरू करने के लिए एक अवसर प्रदान किया है जो विश्व व्यापार संगठन में असंतुलों की ऐतिहासिक विरासत के हिस्से हैं।

न्यूनतम विकसित देशों (एलडीसी) के लिए शुल्क मुक्त कोटा मुक्त बाजार पहुंच

दिसम्बर 2005 के हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा के तत्वों में से एक एलडीसी को शुल्क मुक्त कोटा मुक्त (डीएफव्यूएफ) पहुंच प्रदान करना था। इस मुद्दे पर दिसम्बर 2013 में बाली में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में लिया गया मंत्रिस्तरीय निर्णय यह कहता है कि वे देश जिन्होंने उत्पादों के कम से कम 97 प्रतिशत के लिए इस प्रकार

जारी...

बॉक्स 7.4 : बाली में भारत और विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन: मुख्य मुद्दे (जारी....)

की पहुंच प्रदान नहीं की है वे शामिल उत्पादों की संख्या में सुधार करेंगे। भारत एलडीसी को यह सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बना जब जब इसने 2008 में एलडीसी के लिए शुल्क मुक्त प्रशुल्क वरीयता (डीएफटीपी) योजना की घोषणा की। इस योजना की घोषणा एलडीसी को अपने व्यापार पहलों में सहयोग देने के लिए की गई और भारत की कुल प्रशुल्क लाइनों के लगभग 85 प्रतिशत पर शुल्क मुक्त पहुंच तथा प्रशुल्क लाइनों के लगभग 9 प्रतिशत पर वरीयता पहुंच प्रदान किया गया। केवल 6 प्रतिशत प्रशुल्क लाइनें अपवर्जन सूची में थे। इसके अलावा, 2005 के हांगकांग मिनिसट्रियल मेंडेट के तहत प्रतिबद्धताओं के पूरा करने के साथ ही शुल्क युक्त सूची के अंतर्गत अतिरिक्त उत्पाद कवरेज के लिए कुछ एलडीसी के अनुरोध को पूरा करने और मूल प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए सरकार ने पुरानी स्कीम का विस्तृत संस्करण प्रकाशित किया है। 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी डीएफटीपी स्कीम भारत की 96.4% टेरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करती है और 2% लाइनों को जरजीही ड्यूटी का लाभ लेंगी। अपवर्जन सूची में, बिना शुल्क रियायत वाली महज 1.6% टेरिफ लाइनों को रिटेन किया हुआ है। नई विस्तारित स्कीम से उत्पत्ति संबंधी नियमावली के संदर्भ में कुछ प्रक्रियात्मक सरलीकरण भी होगा। वर्तमान में, 48 में से 31 एलडीसी इस योजना के लाभार्थी हैं। इनमें से, 21 लाभार्थी अफ्रीका से हैं।

द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग

7.36 अब तक, भारत ने 10 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 5 वरीयता व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं तथा ये एफटीए/पीटीए पहले से ही प्रभावी हैं। वर्तमान में, भारत 18 एफटीए पर वार्ता की प्रक्रिया में है (बॉक्स 7.5)।

बॉक्स 7.5 : भारत की क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था: हाल के घटनाक्रम

भारत-ईयू द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौता (बीटीआईए): वार्ता वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता उपाय, व्यापार के तकनीकी अवरोधों, व्यापार सुगमता और सीमाशुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर), और भौगोलिक संकेत (जीआई) के क्षेत्रों में जून 2007 में शुरू हुआ। अब तक वार्ता के पन्द्रह दौर और कई अंतर-सत्र तथा मुख्य मध्यस्थ-स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया है। ब्रुसेल्स में 15 अप्रैल 2013 को एक मंत्रिस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)-सेवा और निवेश समझौता: सेवाओं और निवेश पर समझौते पर वार्ता के निष्कर्षों की घोषणा 20 दिसम्बर 2012 को आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में की गई। मंत्रिमंडल ने 19 दिसम्बर 2013 को समझौते को अनुमोदित और मंजूर किया। आसियान सचिवालय को समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए तारीख सूचित करने के लिए कहा गया है।

भारत-थाईलैंड सीईसीए: 82 मदों पर शीघ्र उपज योजना को कार्यान्वित किया गया। व्यापार वार्ता समिति (टीएनसी) का 29वां दौर 16-18 दिसम्बर 2013 को तय था किन्तु आंतरिक अशांति के कारण थाईलैंड द्वारा रद्द कर दिया गया। अगले दौर के लिए तारीख अभी तय किया जाना है।

भारत ईएफटीए बीटीआईए: यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ इस द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौता (बीटीआईए) का 13वां और अंतिम दौर 25-29 नवम्बर 2013 तक आयोजित किया गया। शामिल क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, आईपीआर, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता उपाय, उत्पत्ति का नियम, व्यापार सुगमता और सीमाशुल्क सहयोग हैं।

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए/सीईसीए: वार्ता का नौवां दौर 29-30 जुलाई 2013 को वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया जिसके बाद नई दिल्ली में 9-10 दिसम्बर 2013 को अंतर-सत्र चर्चा की गई। शामिल क्षेत्रों में वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और संबंधित मुद्दे हैं।

भारत-इजराइल एफटीए: वार्ता का आठवां दौर इजराइल में 24-26 नवम्बर 2013 तक आयोजित किया गया। शामिल क्षेत्रों में वस्तुओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सीमाशुल्क प्रक्रिया और प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन शामिल हैं।

भारत-चिले पीटीए: पीटीए के विस्तार पर चर्चा करने के लिए अब तक, पांच संयुक्त प्रशासन समिति बैठकों/वार्ता का दौर आयोजित किया गया है। भारत चिले पीटीए के मुद्दे पर चर्चा के लिए दोनों देशों के बीच अधिकारी स्तर की बैठक फरवरी 2014 में आयोजित की गई। शामिल क्षेत्रों में वस्तुओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, एसपीएस और टीबीटी हैं।

भारत-कनाडा एफटीए: जून 2013 में ओटावा, कनाडा में आठवां दौर आयोजित किया गया। अगला दौर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। शामिल क्षेत्रों में वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, एसपीएस और टीबीटी हैं।


भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए/सीईसीए: अब तक वार्ता के पांच दौर आयोजित किए गए हैं। पांचवां दौर मई 2013 में केनबरा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। शामिल क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश और आईपीआर से संबंधित मुद्दे हैं।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौता: आरसीईपी समझौता आसियान + छह एफटीए सहयोगियों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड) के बीच है नवम्बर 2012 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं की घोषणा के आधार पर 10 आसियान राष्ट्रों और इसके छह एफटीए सहयोगियों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी के लिए वार्ता मई 2013 में शुरू हुआ। चौथा दौर 31 मार्च से 4 अप्रैल 2014 तक नैनिंग, चीन में आयोजित किया गया। वार्ता का अगला दौर 22-27 जून, 2014 तक सिंगापुर में नियत है।

चुनौतियां एवं संभावनाएं

चुनौतियां

7.37 विश्व निर्यात में भारत के व्यापारिक माल के निर्यात का हिस्सा 1990 (जिसके बाद भारत में आर्थिक सुधार शुरू किया गया) में 0.5 प्रतिशत से 2013 में केवल 1.7 प्रतिशत तक बढ़ा, जबकि उसी अवधि के दौरान चीन का हिस्सा 1.8 प्रतिशत से 11.8 प्रतिशत तक बढ़ा। इस प्रकार विश्व व्यापारिक माल के निर्यातों के हिस्से में भारत और चीन के बीच चौड़ी खाई है। यह अंतर सेवा निर्यातों में कम है (चित्र 7.2)।



चित्र 7.2 : विश्व में निर्यात हिस्सा: भारत और चीन की तुलना

7.38 भारत को विश्व व्यापारिक माल के निर्यातों के इसके हिस्से को 2013 में 1.7 प्रतिशत से अगले पांच वर्षों में कम से कम 4 प्रतिशत के सम्मानित अनुमानित आंकड़े तक बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए जिसके लिए निर्यातों को लगभग 30 प्रतिशत के सीएजीआर तक बढ़ाना चाहिए। यह असंभव नहीं है, क्योंकि 2003-04 से 2007-2008 के दौरान, भारत का निर्यात 2 वर्ष में 29 और 31% की विकास दर से 20% वार्षिक दर से अधिक दर से निरन्तर बढ़ा। इसे मीडियम अवधि में प्राप्त करना, एक बड़ी चुनौती है जिसके लिए कुद आसाधारण कदम उठाए, एक बड़ी चुनौती है जिसके लिए कुछ आधारभूत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जैसे उत्पाद विविधता, निर्यात आधारभूत संरचना तैयार करना, उपयोगी एफ०टी०ए०/क्षेत्रीय व्यापार करार पर केन्द्रित होना व्युत्क्रमी कर संरचना का निवारण, निर्यात पदोन्नति योजनाओं को व्यक्तिगत बनाना और व्यापार को सुकर बनाने के लिए कदम उठाना। (वॉक्स 7.6)

वॉक्स 7.6 : भारत के जिस व्यापार क्षेत्र में कुछ मुख्य मुद्दे

भारत के निर्यात क्षेत्र को विश्व निर्यात के हिस्से के मामले में अभी आगे बढ़ाना है, तथापि अलग-अलग समय में इसका उच्च विकास हुआ है। इस क्षेत्र के कुछ मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं।

उत्पाद विविधता:- जबकि भारतीय निर्यात बास्केट में बाजार विविधता और संरचना परिवर्तन रहे हैं, लेकिन मांग आधारित उत्पाद विविधता नहीं हुई है। वर्ष 2013 में चार अंकीय एच०एच० स्तर पर विश्व के 100 मुख्य आयातों में भारत की केवल 5 मद्दे थी तथा इनका हिस्सा 5% और इससे अधिक था। इसके बावजूद हीरा (21.0%) और आभूषण की मद्दे (11.2%) जिनको दोहरे अंक का हिस्सा था, की छोड़कर, अन्य तीन मद्दों का हिस्सा केवल 6-7% था। विश्व की आयात की 100 मुख्य मद्दों में तीन-ई, आयात, इलैक्ट्रॉनिक, इलैक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग मद्दे- और कुल वस्त्र की मद्दे शामिल थीं। यद्यपि हाल ही के वर्षों में इंजीनियरिंग वस्तुओं की संख्या में बढ़ोतरी एक सकारात्मक चिन्ह है, भारत अन्य प्रतियोगी देशों से बहुत पीछे है। इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर क्षेत्र को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जो कि भारत द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी करार पर हस्ताक्षर करते समय, जो वास्तविक रूप से उस समय डगमगा गया था जो भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र विकास की आरम्भिक अवस्था में था, जबकि नए औद्योगिक देशों और विकसित देशों ने पहले ही यह कर लिया था। अभी तक हमारा केन्द्र बिन्दु उस निर्यात पर था, जो हम कर सकते हैं (अथवा आपूर्ति आधारित), अब हमें उन मद्दों की है ओर अंतरित होना है जिनके लिए विश्व की मांग है तथा हमारे पास उसकी आधार भूत क्षमता है। मांग आधारित निर्यात बास्केट विविधता दृष्टिकोण तथा तीन ई-के प्रति अन्तरण से, भारत को अधिक लाभान्वित प्राप्त होगा।

निर्यात आधारभूत संरचना:- निर्यात आधार भूत संरचना, विशेषकर बन्दरगाहों से संबंधित आधारभूत संरचना, जो व्यापार को प्रभावित करती है, पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हालांकि हमारे सर्वोत्तम बन्दरगाहों में स्टेट ऑफ आर्ट-प्रौद्योगिकी नहीं है जैसाकि सिंगापुर, रोटटरडम और शंघाई में है। बन्दरगाह जारी.....

बाक्स 7.6 : भारत के जिंस व्यापार क्षेत्र में कुछ मुख्य मुद्दे (जारी....)

आधारभूत संरचना मुद्दों में शामिल हैं सड़क की खराब हालत और बन्दरगाह से इसका जुड़ा होना, जाम, वैसल बर्thing में देरी, कारगो के रखरखाव की तकनीक और उपस्कर की दयनीय स्थिति, कंटेनीकृत कारगो की पहुंच की कमी, तथा बार-बार ईन्टीआई सर्वर का डाऊन होना अथवा रखरखाव जिससे कई दौर से गुजरना पड़ता है, लीड समय में बढ़ोतरी होती है, विनिमय लागत बढ़ती है तथा बाजार की प्रतियोगिता से परे होना पड़ता है। निर्यात आधारभूत संरचना, युद्ध स्तर पर तैयार की जाए। जैसेकि भारत के हवाई अड्डों और मेट्रोरेल में तेजी से बड़े परिवर्तन लाए गए हैं, उसी प्रकार समुद्री बन्दरगाहों को प्राथमिकता दी जाए।

उपयोगी क्षेत्रीय व्यापार ब्लाक पर ध्यान देना:- भारत के कुछ एफटीए/आरटीए/सीईए के कारण व्युत्क्रम शुल्क संरचना जैसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें कुछ फिनिशड वस्तुओं पर आयात शुल्क शून्य है अथवा अन्य देशों में आयात की जाने वाली कच्ची सामग्री पर लगने वाले शुल्क से कम है अथवा अन्य देशों से आयात की जाने वाली कच्ची सामग्री पर लगने वाले शुल्क से कम है। इसके अलावा घरेलू क्षेत्र, जोकि जीविका से जुड़ा है, वह भी उपर्युक्त से प्रभावित हुआ है। भारत को क्षेत्रीय और द्विपक्षीय करारों की तरफ झुकाव के कारण अर्धपूर्ण और परिणामोन्मुखी एफटीए/आरटीए/सीईए होने चाहिए। अतः ऐसी मदें, जिनके लिए शुल्क में रियायत दी गई है तथा घरेलू उत्पादन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव, के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करके मौजूदा आरटीए/एफटीए/सीईए की वास्तविक जांच-पड़ताल किए जाने की आवश्यकता है। भारत की, यूएस ईयू के बीच टीएफटीए जैसे नए खतरों, जो विश्व का सबसे बड़ा मुक्तव्यापार क्षेत्र, निवेश का संरक्षण और अनावश्यक विनियामक बाधाओं को हटाता है, का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी बीच कुछ नए उपयोगी आरटीए/एफटीए/सीईए की भी आवश्यकता है जिनके लिए वार्ता पहले ही शुरू कर दी गई है पणधारियों की और भागेदारी, मनमुटाव को कम करने में मदद कर सकती है।

इनवर्टिड शुल्क संरचना:- इनवर्टिड शुल्क संरचना भारतीय निर्मित वस्तुओं को, घरेलू बाजार में फिनिशड उत्पाद आयातों के मुकाबले अप्रतियोगी बना रही है क्योंकि फिनिशड वस्तुओं पर, कच्चे सामग्री अथवा माध्यस्थ उत्पादों की तुलना में कम दरों पर कर लगाया जाता है। इससे घरेलू मूल्य एडिशन हतोत्साहित होता है। यह इनवर्शन ने केवल आधारभूत सीमा शुल्क के कारण है, अपितु, अन्य अतिरिक्त करों के लिए भी। जापान और दक्षिण कोरिया और एशियन जैसे देशों के साथ क्षेत्रीय/द्विपक्षीय एफटीए से, इन सांझेदार देशों के साथ शून्य अथवा कम शुल्क वाली अन्तिम वस्तुओं के संबंध एक नई इनवर्टिड शुल्क जैसी स्थिति पैदा हो गई है जबकि अन्य देशों से इन मदों की सामग्री के लिए उच्च शुल्क है। इनवर्टिड शुल्क, अलग-अलग क्षेत्रों में लगाया जाता है। इससे बचा जाना चाहिए तथा विभिन्न पणधारियों के बीच सही संतुलन होना चाहिए।

निर्यात संवर्धन योजनाएं:- मल्टीपल और ओवरलैपिंग निर्यात संवर्धन योजनाएं हैं जिसके केन्द्र बिन्दु के कई बाजार था कई उत्पाद है तथा विदेश व्यापार नीति में प्रत्येक वर्ष कई बाजार शामिल हो रहे हैं। एक बात जो व्यापार नीति उपायों की लघु चुनिन्दा सूची से भी स्पष्ट दिखाई देती है, (बाक्स 7.3) वह है योजनाओं और रियायतों की बाहुल्यता, जो आवधिक रूप से बढ़ती जा रही है। निर्यात संवर्धन योजनाओं को न्यूनतम करने के लिए क्रम में युक्तियुक्त बनाने की आवश्यकता है जिससे विनिमय लागत और व्यापार मुकदमेंबाजी कम हो जाएगी। रियायत की काफी अधिक दरें भी नहीं होनी चाहिए। ड्यूटी प्रतिअदायगी योजना के लिए, एक ही तरह की मदों के संबंध में अलग-अलग दरों के स्थान पर सीमित दरें होनी चाहिए। इससे चीजें सरल हो जाएंगी तथा विवेकाधीन निर्णयों से बचा जा सकेगा। जहां कहीं टैरिफ कम हैं या जिन्हें कम किया जा सकता है, वहां निर्यात प्रोत्साहन वापस ले लिए जाएं क्योंकि शुल्क में रियायतों के कारण लेन देन लागत, प्रसुविधाओं से अधिक हो सकती है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र:- भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के लिए स्पष्ट संकेत दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि हाल ही के वर्षों में नया निवेश मंद हो गया है तथा ग्रीन फील्ड सेज अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुए हैं। जबकि नए उत्पादन क्षेत्रों की योजना बनाई जा रही है, सेज में बहत सा निवेश पहले ही किया जा चुका है जिसकी पूरी क्षमता का दोहन अभी किया जाना है। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सेज की हालत घरेलू टैरिफ क्षेत्र एककों से भी खराब है, जैसाकि एफटीए रियायतों को लागू नहीं किए जाने के मामले में जब सेज, डीटीए में बिक्री करते हैं।

व्यापार को सुकर बनाना:- आधारभूत अड्चनों के अतिरिक्त, प्रक्रियात्मक और दस्तावेजी कारकों के कारण विलंब और उच्च लागत को कम करते हुए व्यापार को सुविधा जनक बनाना एक और बड़ी चुनौती है। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्रकाशन “डूईंग बिजनेस 2014” के अनुसार व्यापार के मामले में भारत का 134वां स्थान है जबकि सिंगापुर का प्रथम और चीन 96वें स्थान पर है। सीमापार व्यापार में भारत का 132, सिंगापुर का प्रथम और चीन का 74वां स्थान है। भारत को सिंगापुर के तीन और चीन के 8 दस्तावेजों के मुकाबले भारत को 9 निर्यात दस्तावेजों की आवश्यकता है। निर्यात करने का समय भारत में 16 दिन तथा सिंगापुर में 6 दिन है। भारत के 20 तथा सिंगापुर के लिए 4 आयात दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। प्रतिकन्टेनर लागत, भारत में 1170 यूएस-डालर, सिंगापुर में 460 यूएस-डालर, चीन में 620 यूएस-डालर और भारत को प्रति कन्टेनर आयात लागत 1250 अमरीकी डालर, सिंगापुर में 440 अमरीकी डालर, और चीन में 615 यूएस-अमरीकी डालर है। इसके अलावा अन्तर-मंत्रालयी विलंब भी होता है। संबंधित मंत्रालयों का एकीकरण करने की मौजूदा पहल सही दिशा में एक कदम है, यद्यपि इसमें बहुत कुछ और किया जाना है। नीति घोषणा और अधिसूचना का जारी किया जाना, साथ-साथ होना चाहिए।

घरेलू और विदेश क्षेत्र नीति को आयात से जोड़ना:- जबकि एक स्थिर कृषि निर्यात नीति की आवश्यकता है, कोई भी घरेलू कमी अथवा अधिकता, निर्यात को प्रभावित करती है। इसी प्रकार बाह्य कमी/अधिकता, घरेलू क्षेत्र को प्रभावित करती है। अतः विशेषतः कृषि के लिए घरेलू और बाह्य-क्षेत्र की नीतियों को कारगर तरीके से, जोड़ने की आवश्यकता है। मुख्य बेमेल को समाप्त करने के लिए अग्रिम आर्थिक और बाजार आसूचना भी आवश्यक है।

यदि इन मुद्दों का निवारण किया जाता है तो इससे भारत के निर्यात में अत्यधिक लाभ होगा।


स्रोत: डा० एच० एस० सी० प्रसाद, डा० आर० सतीश, और सलाम श्याम सुन्दर, भारतीय मर्केन्डाइज निर्यात पर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय वर्किंग दस्तावेज पर आधारित: कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और नीतिगत सुझाव।

संभावनाएं

7.39 आई०एम०एफ० को अप्रैल, 2014 के विश्व आर्थिक आउटलुक ने यह संभावना व्यक्त की है कि विश्व व्यापार 2013 के 3.0% के मुकाबले वर्ष 2014 में 4.3% तथा 2015 में 5.3% हो जाएगा तथा जो एडवॉन्स देशों के निर्यात और आयात विकास में संवर्धन को दर्शाता है। तथापि वास्तविक आधार की तस्वीर सकारात्मक नहीं है क्योंकि बाल्टिक ड्राई सूचकांक, जोकि विश्व व्यापार के बढ़ने का अच्छा सूचक है, लाल निशान पर है। यह वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से निम्नतम चरणों में है तथा यह मई 2008 के 11793 के शीर्ष के मुकाबले 14 अप्रैल, 2014 से अधिकांश दिन 1000 सूचकांक से कम पर रहा। (चित्र 7.3) पांच माह के कम/नकारात्मक विकास के पश्चात् अप्रैल-मई, 2014 में, भारत के निर्यात में वृद्धि यद्यपि एक सकारात्मक चिन्ह है, अपितु यह आंशिक रूप से निम्न आधार के कारण है।

7.40 विश्व और मुख्य व्यापारिक देशों की निर्यात और आयात का त्रैमासिक और मासिक कार्य-निष्पादन, प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। अच्छे विश्व की 2013 का क्यू-3 और क्यू-4 का निर्यात और आयात विकास जारी नहीं रहा। क्यू 1 2014 में यह पिछली तिमाही को 4.3% तथा 2.1% से कम होकर क्रमशः 1.8% तथा 1.9% हो गया। ई०यू० और सिंगापुर को छोड़कर, सभी महत्वपूर्ण देशों का 2014 क्यू 1 निर्यात विकास या तो नकारात्मक है अथवा न्यून है। आयात विकास के मामले में भी, जो भारत सहित अन्य देशों के निर्यात की योग को दर्शाती है, स्थिति बिल्कुल एम समान है। अप्रैल और मई, 2014 के लिए कुछ देशों के लिए उपलब्ध मासिक आयात विकास दर में भी कोई सुधार नहीं है। अतः विश्व व्यापार और भारत का निर्यात हाल ही के अच्छे कार्य-निष्पादन की अनदेखी करते हुए अभी भी अस्थिर है। यह इराक संकट के कारण तेल की बढ़ी कीमतों के बाहरी दबाव के कारण भी डाऊन साइड जोखिम है।

7.41 सेवाओं का विकास काफी हद तक वैश्विक विकास और व्यापार पर निर्भर करता है। बाल्टिक ड्राई सूचकांक का गिरता स्तर, शिपिंग, परिवहन, बन्दरगाह और बीमा तथा संबद्ध सेवाओं में दिखाई देगा। आई०टी० सेवाओं का भविष्य तथापि अच्छा दिखाई देता है जहां गार्नर, 2014 में आई०टी० विश्व-वार खर्च में 3.1% बढ़ोतरी दिखा रहा है तथा एन०ए०एस०एम०/सी०ओ०एम० वर्ष 2014 में भारत आई०टी० कारोबार प्रक्रिया प्रबंधन सेवा में 13-15% का विकास दर्शा रहा है। विदेशी पर्यटकों के भारत में आने की 10.6% की अच्छी दर तथा वर्ष 2014-15 के प्रथम दो माह में विदेशी मुद्रा का 11.4% विकास, भारतीय पर्यटन क्षेत्र के लिए अच्छा है। अतः भारत के सेवा निर्यात के संकेत मिले-जुले हैं।



चित्र 7.3 : बाल्टिक ड्राई सूचकांक
(मासिक औसत)

जबकि जिस विश्व व्यापार और भारत का निर्यात हाल ही के अच्छे कार्य निष्पादन को देखते हुए अभी भी अस्थिर है, भारत के सेवा निर्यात के संकेत मिले-जुले हैं।

अध्याय 8

कृषि और खाद्य प्रबंधन

भारतीय मानसून के ऊपर मंडराते एल नीनो की छाया के कारण कृषि उत्पादन पर इसके असर और उसके परिणामतः खाद्य उत्पादों के मूल्यों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंतित होना स्वाभाविक ही है। महत्वपूर्ण यह है कि खाद्यान्न व तिलहन के रिकार्ड उत्पादन से भारतीय कृषि विगत दशक के दौरान और अधिक सुदृढ़ हुई है। इसके परिणामतः बढ़ी हुई खरीद से भण्डारगृहों में खाद्यान्न के स्टॉक में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। भारत चावल, गेहूं, दूध, फलों व सब्जियों में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। यह देखते हुए कि विश्वभर में अल्पपोषित लोगों में से एक-चौथाई भारत में रहते हैं और चूँकि, औसतन लगभग आधे गृहस्थों के कुल व्यय का लगभग आधा भोजन पर खर्च होता है, इसलिए गरीबी और कुपोषण को समाप्त करने के लिए खेत-से-थाली तक की मूल्य श्रृंखला की दक्षता में बढ़ोत्तरी करना महत्वपूर्ण है।

कृषि क्षेत्र का सिंहावलोकन

8.2 विकास के सहवर्ती के रूप में, सकल घरेलू उत्पाद (सघउ) में कृषि और संबद्ध (यहां इसे इसके बाद कृषि कहा गया है) क्षेत्र में 11वीं योजना के दौरान 15.2% और इसके बाद 2013-14 में 13.9% (अनंतिम अनुमान - पीई) तक की गिरावट आई है। जबकि यह अभी भी कुल रोजगार का लगभग 54.6% है (जनगणना 2011), खेतिहरों की कुल संख्या में 127.3 मिलियन (जनगणना 2001) से 118.7 मिलियन (जनगणना 2011) तक की कमी अभूतपूर्व है। यह खेती से खेती-भिन्न रोजगार की ओर पलायन का संकेत है जिससे हाल के वर्षों में वास्तविक खेती पारिश्रमिक बढ़कर 7 प्रतिशत वार्षिक से अधिक हो गया है।

बागवानी तथा पशुधन के बढ़ते अंशदान से समुत्थानशील कृषि स्पष्ट दिखाई दे रही है।

8.3 कृषि के लचीलेपन से यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में 2002-03 में ऋणात्मक वृद्धि थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान 4.1% की अदभुत औसत वृद्धि दर दर्ज की गई है। 2013-14 के अनंतिम अनुमान के अनुसार, 12वीं योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान कृषि सघउ में क्रमशः 1.4% और 4.7% की वृद्धि दर रही है (सारणी 8.1)

8.4 इसके अलावा, कृषि के संघटन में संरचनात्मक परिवर्तन देखा जा सकता है जो बागवानी, पशुधन और मत्स्यपालन में वैविध्य प्रभाव को दर्शाता है। 2012-13 में बागवानी क्षेत्र ने कृषि सघउ में 30.4 का योगदान किया जबकि पशुधन क्षेत्र ने कुल सघउ में 4.1% से अधिक का योगदान दिया।

क्र. सं.	म्ह	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	कृषि स.घ.उ. में वृद्धि	0.8	8.6	5	1.4	4.7*
	कुल स.घ.उ. में हिस्सा	14.6	14.6	14.4	13.9	13.9*
	जिसमें, कृषि	12.3	12.4	12.3	11.8	उ.न.
2.	कुल जीसीएफ में हिस्सा	7.3	6.3	7.0	7.1	उ.न.
	जिसमें, कृषि	6.7	5.8	6.5	6.5	उ.न.
3.	कृषि स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में जीसीएफ जिसमें, निजी क्षेत्र	20.1	18.5	20.8	21.2	उ.न.
4.	कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात (रोपण व समुद्री उत्पाद सहित)	8.2	8.0	10.1	11.8	11.9(पी)

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) तथा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएण्डएस)

टिप्पणी: स.घ.उ. के त्रैमासिक आंकड़े, 30 मई 2014 के अनुसार, उ.न.: उपलब्ध नहीं, जीसीएफ: सकल पूंजी निरूपण, पी: अनंतिम

8.5 कृषि राज्य का विषय होने के कारण, कृषि उत्पादों व उत्पादन में बढ़ोत्तरी, अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने और खेतिहर समुदाय की आय में बढ़ोत्तरी का मुख्य दायित्व राज्य सरकार का है। उनके प्रयासों में कई केन्द्र प्रायोजित व केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें भी मदद करती हैं।

क्षेत्र उत्पादन और उत्पादकता

8.6 2013-14 में क्षेत्र और उत्पादन में काफी प्रगति दर्ज की गई है। खाद्यान्न के अधीन क्षेत्रफल में लगभग 126.2 मिलियन तक की वृद्धि हुई है; और तिलहन के अंतर्गत 28 मिलियन है. की बढ़ोत्तरी हुई है। खाद्यान्न में 264.4 मिलियन टन (एम.टी.) और तिलहन में 32.4 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ है।

(क्षेत्र: मि.हे.; उत्पादन: मिलियन टन; उपज: किग्रा/हे.)

समूह/वस्तु	क्षेत्र	उत्पादन	उपज
खाद्यान्न^क	126.2 (4.47)	264.4 (2.88)	2095 (-1.55)
चावल	43.9 (2.57)	106.3 (1.05)	2419 (-1.75)
गेहूँ	31.3 (4.33)	95.8 (2.46)	3059 (-1.86)
मोटे अनाज	25.5 (2.98)	42.7 (6.64)	1672 (2.83)
मक्का	9.3 (6.90)	24.2 (8.52)	2602 (1.40)
बाजरा	7.9 (8.22)	9.2 (5.75)	1161 (-3.09)
दालें	25.4 (9.01)	19.6 (7.10)	770 (-2.41)
चना	10.2 (20.00)	9.9 (12.50)	974 (-5.98)
तूर	3.9 (0.00)	3.4 (13.33)	857 (10.44)
तिलहन	28.2 (6.42)	32.4 (4.85)	1149 (-1.63)
मूंगफली	5.5 (17.02)	9.5 (102.10)	1723 (73.17)
रैपसीड एवं सरसो	6.5 (1.56)	7.8 (-2.50)	1208 (-4.28)
कपास^घ	11.7 (-2.50)	36.5 (6.73)	529 (8.85)
गन्ना	5.0 (0.00)	348 (2.11)	70 (0.00)

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी)।

टिप्पणी: *तीसरे अग्रिम अनुमान; ^क-इसमें शामिल हैं: अनाज, मोटे अनाज तथा दालें; ^घ-170 किलो ग्राम प्रत्येक की मिलियन गांठें; कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 2012-13 की तुलना में परिवर्तन को प्रतिशत में दर्शाता है।

8.7 खाद्यान्न उत्पादन में 20 मिलियन टन तक की बढ़ोत्तरी के लक्ष्य को हासिल करने के उपरांत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएसएसएम) के तहत 2016-17 तक अतिरिक्त 25 मिलियन टन खाद्यान्न; 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूँ, 4 मिलियन टन दालें और 3 मिलियन टन मोटे अनाज का उत्पादन करने के नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के

सारणी 8.1 : कृषि क्षेत्र: मुख्य संकेतक
(2004-05 की कीमतों पर प्रतिशत)

खाद्यान्नों एवं तिलहनों का रिकार्ड
उत्पादन अनुमानित है।

सारणी 8.2 : क्षेत्र, 2013-14 में उत्पादन तथा
प्रमुख फसलों की पैदावार प्रतिशत में;
2012-13 के मुकाबले

ए-क्षेत्र की वृद्धि दर, पी-उत्पादन की वृद्धि दर,
वाई- उपज की वृद्धि दर (% वार्षिक)

फसल	(आधार: टीई 1981-82=100)			(आधार: टीई 1993-94=100)					
	1980-81 से 1989-90			1990-91 से 1999-2000			2000-01 से 2013-14*		
	ए	पी	वाई	ए	पी	वाई	ए	पी	वाई
चावल	0.41	3.62	3.19	0.68	2.02	1.34	0.00	1.82	1.82
गेहूं	0.46	3.57	3.10	1.72	3.57	1.83	1.35	2.65	1.29
मोटा अनाज	-1.34	0.40	1.62	-2.12	-0.02	1.82	0.25	2.96	2.70
दालें	-0.09	1.52	1.61	-0.60	0.59	0.93	1.59	3.72	2.10
गन्ना	1.44	2.70	1.24	-0.07	2.73	1.05	1.34	2.10	0.75
तिलहन	1.51	5.20	2.43	0.86	1.63	1.15	2.35	4.71	2.31
कपास	-1.25	2.80	4.10	2.71	2.29	-0.41	3.22	13.53	9.99

स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग।

टिप्पणी: दूसरे एई के अनुसार, मूंगफली, कैस्टर सोड, सीसमम, रैपसीड; तथा सरसों, अलसी, नाइजर सीड; सैफलावर, सनफ्लावर, तथा सोयाबीन।
टीई: त्रैवार्षिक समाप्ति।

माध्यम से फसल प्रणालियों और छोटे व सीमांत किसानों व मूल्य श्रृंखला के प्रजनन व बाजार से संपर्क प्रदान करना है। 12वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत उत्पादन में बढ़ोत्तरी (35%), अवसंरचना व आस्तियों में (35%) उप स्कीमों में (20%) और 10% फ्लैक्सी फंड के माध्यम से की जाएगी। 2013-14 में 1000 करोड़ रु. के आवंटन वाली एक प्रमुख उप स्कीम “ब्रिनिंग ग्रीन रिवाल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया”, से 2011-12 की तुलना में 2012-13 में कार्यान्वयन करने वाले राज्यों में धान उत्पादन में 7% तक की वृद्धि हुई। 8.8 कृषि भूमि के विस्तार की सीमाओं को देखते हुए, उपज में दीर्घकालिक वृद्धि की कुंजी उपज स्तरों में सुधार करना है तथापि, अधिकांश प्रमुख फसलों के मामले में, 2013-14 में उच्चतर पैदावार उत्पादकता की अपेक्षा खेती के क्षेत्र में विस्तार कर हासिल की गई। मूंगफली की पैदावार में सर्वाधिक उछाल देखने में आया जबकि कपास व तूर के मामले में पैदावार में बढ़ोत्तरी पर्याप्त रही, चूंकि ये गिरते/स्थिर खेती क्षेत्र के बावजूद हासिल हुई है (सारणी 8.2)। तथापि 2000-01 से 2013-14 के दौरान सारणी 8.2 के मामले में क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता संयुक्त वृद्धि दर मोटे अनाजों, दालों, तिलहनों और कपास के लिए पिछले दो दशकों की अपेक्षा उच्चतर रही जबकि इनमें चावल व गेहूं में काफी अधिक गिरावट आई है (सारणी 8.3)

8.9 तिलहन, दालों, आयल पाम और बाजरा की एकीकृत स्कीम (आईएसओपीओएम) के परिणामतः विस्तार व उपज बढ़ोत्तरी के माध्यम से 2013-14 (तृतीय एई) में दालों (19.6 एम.टी.), तिलहन (32.4 एम.टी.) और बाजरा (24.2 एम.टी.) का रिकार्ड उत्पादन हुआ। 12वीं योजना में शुरू किए गए तिलहन व ऑयल पाम तकनीक मिशन (टीएमओएण्डओपी) का लक्ष्य कुछ केन्द्रीय व एकीकृत हस्तक्षेपों के जरिये खाद्य तिलहन/तेल के घरेलू उत्पादन में बढ़ोत्तरी करना है जो घरेलू मांग से 50% कम है। विगत 5 वर्षों में क्षेत्र, उत्पादन, और उपज के आंकड़े (परिशिष्ट 1.9 से 1.15) भारतीय कृषि की निरंतर मजबूती की पुष्टि करते हैं।

जलवायु परिवर्तन और इसका प्रभाव

8.10 खरीफ मौसम में कुल उत्पादित खाद्य और तिलहन के 60% और कुल कृषि क्षेत्र के तहत महज 35% सिंचित होने के बावजूद कृषि अभी भी काफी हद तक वर्षा पर निर्भर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कई योजनावधियों में तापमान में काफी गर्मी और निम्नतम औसत और अधिक वर्षा दर्ज की है। 11वीं पंचवर्षी योजनावधि के पांच में से 3 वर्षों में विगत पंद्रह वर्षों

सारणी 8.3 : 1980-81 से 1989-90, 1990-91 से 1999-2000 के दौरान क्षेत्र, उत्पादन की चक्रीय वृद्धि दर तथा प्रमुख फसलों की उपज (आधार टीई 1981-82=100) और 2000-01 से 2013-14 के लिए (आधार टीई 1993-94=100)

उच्च तापमान और उच्च वर्षापात में विभिन्नता के साथ-साथ निम्न औसत वर्षापात की घटनाएं वर्ष दर वर्ष बढ़ रही हैं।

बॉक्स 8.1 : अल नीनो (लिटिल ब्वाय) की पहली और भारतीय मानसून


अल नीनो तब होता है जब प्रशांत महासागर का सतत् तापमान कुछ माह तक लगातार औसत से अधिक रहता है जो विश्व के कई हिस्सों में मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है औसतन, यह प्रत्येक 3-5 वर्ष में घटता है, प्रायः, जून-अगस्त के दौरान बनता है व सामान्यतः 9-12 माह तक रहता है। भारत में यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रभाव अगस्त के आसपास, दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के दौरान अनुभव किया जाता है। जबकि भारत में अधिकांश सूखे अलनीनो से मेल खाते हैं, इसका व्युत्क्रम संबंध इतना प्रबल नहीं है। जबकि भारत में अल नीनो के पूर्व 10 वर्ष में से केवल 6 में वर्षापात में 10% या उससे अधिक की कमी हुई थी, 1997 में जब अलनीनो का प्रभाव सबसे बुरा था, भारत में वर्षापात सामान्य से 2% अधिक था।

रबी उत्पादन में परिवर्तन

गत दशक में अलनीनों 2002, 2004, 2006 व 2009 में हुआ। जबकि केवल 2002-03 ही एक ऐसा वर्ष था जब भारत में कृषि सहबद्ध क्षेत्र में वृद्धि दर नकारात्मक रही और औसत वर्षापात में सामान्य की अपेक्षा 20% की गिरावट आई, 2009-10 में लगभग 40 वर्षों का सबसे विकट सूखा पड़ा, कुल वर्षापात में सामान्य से 23% की गिरावट थी। अलनीनों की विगत चार घटनाओं के दौरान खरीफ और रबी के उत्पादन में परिवर्तन की तुलना से पता चलता है कि यह प्रभाव खरीफ मौसम पर अधिक था (आकृति 1)

इस मानसून मौसम के लिए विस्तारित रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (आईएमडी द्वारा प्रदत्त ईआरएफएस) मौसमी पूर्वानुमान केंद्रीय, दक्षिणी व उत्तर-पश्चिम भारत में वर्षापात क्षेत्रों में निम्नतर वर्षापात की संभाव्यता की ओर इंगित करता है, जिससे चावल, सोयाबीन, कपास, बाजरा, ज्वार, मूंगफली व गन्ने की फसल प्रभावित हो सकती है।

पांचवें दक्षिण एशियाई जलवायु आउटलुक फोरम (एसएससीओएफ-5) सत्र में दक्षिणी पेनिनसुला व केंद्रीय भारत में मुख्य रूप से मानसून में वर्षापात में कमी का पूर्वानुमान था।



चित्र-1 : 2002-03, 2004-05, 2006-07 तथा पिछले वर्ष की तुलना में 2009-10 में खरीफ तथा रबी उत्पादन (खाद्यान्न एवं तिलहन) परिवर्तन खरीफ उत्पादन में परिवर्तन (प्रतिशत)

स्रोत: आईएमडी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि संबंधी आंकड़े एक दृष्टि में; 2013

में 5 वर्ष की तुलना में दीर्घकालिक औसत (एलपीए) में वार्षिक वर्षापात 95% से कम रहा था (12वीं पंचवर्षीय योजना, खण्ड II : 2-3)। 1951-2000 की अवधि के लिए पूरे देश भर के लिए मौसमी वर्षापात 89 सेमी. है।

8.11 भारत में कुल वार्षिक वर्षापात का लगभग 75% दक्षिण पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) में होता है और इस प्रकार यह कृषि निष्पादन को काफी अधिक प्रभावित करता है। 2013 में देशभर में वास्तविक मौसमी वर्षापात एलपीए का 106% था। आईएमडी द्वारा 9 जून को जारी दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम हेतु द्वितीय लंबी रेंज के वर्षापात को इंगित करता है कि मानसून में वर्षापात एलपीए का 93% रहने की संभावना है (मॉडल त्रुटि $\pm 4\%$) और सामान्य/कम वर्षापात की संभाव्यता 71% और अलनीनों की घटना 70% है। बॉक्स 8.1 अलनीनो व भारतीय मानसून के बीच संबंध को रेखांकित करता है।

8.12 वर्षापात के आंकड़े अलनीनों की घटना की संभावना का जायजा लेने में सहायता कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि 1 जून से कम/अत्यल्प संचयी वर्षापात वाले भागों की संख्या पूर्व 5 वर्षों में (-) 44% वर्षापात की अपेक्षा इस वर्ष अधिक है। इसके अलावा, इस अवधि में 80% जिलों में कम वर्षापात/शून्य वर्षापात था (सारणी 8.4)।

8.13 केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की निगरानी वाले जलाशय की क्षमता जल उपलब्धता की बेहतर स्थिति प्रतिबिंबित करते हैं। 12.6.2014 की स्थिति के अनुसार, 154.88 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) के पूर्वी जलाशय स्तर क्षमता के साथ देशभर में 85 महत्वपूर्ण जलाशयों में यह कुल जलाशय क्षमता का लगभग 73% अर्थात् 39,320 बीसीएम (फ़ारएल पर भंडार क्षमता का 25%) था। यह विगत वर्ष के भंडार की स्थिति की तुलना में 20% और गत 10 वर्ष

श्रेणी	11.6.2014	12.6.2013	13.6.2012	08.6.2011	09.6.2010	10.6.2009
सब डिवीजन की संख्या						
अधिक/सामान्य	8	30	23	3	11	2
कम/अल्प	28	6	8	19	19	18
अनावृष्टि	0	0	5	14	6	16
मानसून की विदाई (%)	-44	23	-42	17	-6	-39
जिलों का प्रतिशत वितरण						
अधिक/सामान्य	20	62	15	48	33	25
कम/अल्प	50	32	63	34	39	47
अनावृष्टि	30	6	22	18	28	28

स्रोत: आईएमडी, साप्ताहिक रिपोर्ट दिनांक 11.06.2014

टिप्पणी: अधिशेष: +19% से -19%; कम: 20% से -59%; अल्प: -60% से -99%; अनावृष्टि: 100%

सारणी 8.4 : सब डिवीजनों एवं जिलों में
श्रेणीवार वर्षा एवं अखिल भारतीय वर्षा
समाप्ति 2009-2014
(1 जून से संचयी वर्षा)

के औसत की अपेक्षा 17% अधिक था। विगत में 9 की अपेक्षा केवल 2 जलाशयों में कोई लाइव भंडार नहीं है।

8.14 अल नीनों की घटना महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, झारखण्ड व बिहार में कम वर्षापात से संबद्ध है। अल नीनों के बारे में आईएमडी के पूर्वानुमान की पृष्ठभूमि में, मानसून के विलंब से आगमन के साथ असमान वितरण से उपज की वृद्धि व विकास, विशेषतया खरीफ की झलें तथा तिलहन, प्रभावित हो सकता है और उपज में हानि की सही-सही मात्रा अवधि व दबाव की तीव्रता पर निर्भर करता है।

8.15 सरकार ने लगभग 500 जिलों में आकस्मिक उपायों की व्यवस्था की थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्थायी कृषि मिशन (एनएमएसए), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के आठ मिशनों में से एक है जिनका फोकस समुदाय आधारित विधि के माध्यम से साझा स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने पर है। वर्षापोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी), जिनमें वर्षापोषित क्षेत्रों में किसानों की आय में बढोत्तरी के लिए सर्वांगीण एप्रोच अपनाई जाती है, को 2013-14 में 22 राज्यों में लागू किया गया था और 12वीं योजना के दौरान इसका काफी प्रचार किया जाएगा।

8.16 अन्य पहलों में कार्यनीतिक अनुसंधान व तकनीक निदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रायोजित/प्रतिस्पर्धी अनुदानों के माध्यम से भारतीय कृषि की जलवायु परिवर्तन के प्रति लोचशीलता व संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अधीन नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंस एग्रीकल्चर (एनआईसीआरए) शामिल है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ) 600 जिलों के लिए 12 भाषाओं में कृषि मौसम विज्ञानी परामर्श जारी करता है। जिसके वर्तमान में 4.8 मिलियन किसानों से अधिक सबसक्राइबर्स हैं। जबकि ब्लॉक स्तर पर इन परामर्शी सेवाओं के लिए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा शुरू की गई है।

वृद्धि के प्रेरक

8.17 भारतीय कृषि का एकमात्र लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों की प्रमुखता रहा है (2010-11 में 1.16 हे. तथापि, व्यावहारिक अध्ययन दर्शाते हैं कि उपज में बढोत्तरी के लिए जोत भूमि के छोटे आकार कोई बाधा नहीं है, जिसका निर्धारण, केंद्रित अनुसंधान व निवेश, आधुनिक इनपुट तक पहुंच उपयुक्त तकनीक और समग्र रूप में अभिनव विपणन प्रणालियां, और उपज का कुशलतापूर्वक व प्रभावी ढंग से बिक्री द्वारा होता है।

कृषि और खाद्य प्रबंधन

एल निनो घटना के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की 70 प्रतिशत की कमी को देखते हुए उसके समाधान के लिए आकस्मिक उपाय किए गए हैं।

सकल पूंजी निर्माण

8.18 कृषि सहबद्ध क्षेत्र की मजबूती का श्रेय जीसीएफ (सरकारी व निजी दोनों) के स्थिर विकास, 2007-08 में सघउ के 16.1 प्रतिशत से 2012-13 में 21.2 प्रतिशत (2004-05 के मूल्य) में निरंतर बढ़ोत्तरी को जाता है। तथापि, पब्लिक व्यय (जिसमें पब्लिक निवेश व इनपुट सब्सिडी शामिल है) कृषि क्षेत्र के कुल जीसीएफ में अपना हिस्सा निजी क्षेत्र का अंतरित कर रहा है और 2012-13 में यह 14.7% था। कृषि क्षेत्र से निजी क्षेत्र के कुल सघउ में शेयर कृषि सघउ के प्रतिशत के रूप में भी निजी निवेश बढ़ रहा है और 2012-13 में 18.1 प्रतिशत था (सारणी 8.1)। पब्लिक जीसीएफ की गुणवत्ता, जो अधिकांशतः सब्सिडी में जाती है, चिंता का विषय है। पब्लिक जीसीएफ में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी श्रम-बचाने वाली मशीनों जैसे सिंचाई व जल बचाने वाले उपकरणों में थी (12वीं पंचवर्षीय योजना, खण्ड II: 8), जो स्पष्ट तौर पर घटते ग्रामीण श्रमबल व बढ़ते वास्तविक पारिश्रमिक का परिणाम है।

कृषि क्षेत्र में 85 प्रतिशत से अधिक निवेश निजी क्षेत्र द्वारा किया गया है।

कृषि अनुसंधान व शिक्षा

8.19 कृषि में स्थायीवत वृद्धि को बरकरार रखने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व प्रबंधन के लिए नवप्रवर्तन तकनीकों का विकास करने में सतत् अनुसंधान अपेक्षित है। आईसीएआर ने विशेष लक्षणों वाली फसल की नई किस्में तैयार की हैं जिससे लक्षित कृषि पारिस्थितिकीय हेतु समान उपज उत्पादन व संरक्षा वाली तकनीकों के अलावा विभिन्न जैविक व गैर-जैविक दबावों के प्रति सहनशीलता/प्रतिरोधक क्षमता के साथ-साथ उपज व गुणवत्ता में सुधार होता है। विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय के लिए विभिन्न फसलों की 104 किस्में जारी की गईं। गुणवत्ता वाले बीज किसानों को मुहैया कराने के लिए विभिन्न फील्ड फसलों के संस्तुत 11835 टन ब्रीड बीजों का उत्पादन किया गया था। उन्नत किस्मों को अपनाने व उपज प्रबंधन तकनीकों के परिणामतः हाल के वर्षों में अनाज, दालों व अन्य उपजों में रिकार्ड उत्पादन हुआ है।

बीज

8.20 उपज की 20-25 प्रतिशत पैदावार बीज की गुणवत्ता की वजह से होती है। चूंकि क्रास-परागकणित फसलों में संकर बीज अधिक उपज देते हैं। अतः उनके उत्पादन पर काफी अधिक जोर दिया गया; प्रमाणिक/गुणवत्तापरक बीज, कुल प्रयुक्त बीजों का लगभग 30 प्रतिशत होते हैं, हालांकि फसलों व राज्यों में काफी भिन्नताएं हैं। क्वालिटी बीजों के उत्पादन व वितरण (डीपीक्यूएस) स्कीम हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की विकास व अवसंरचना सुविधाओं के सुदृढीकरण के तहत प्रमाणित बीजों की उपलब्धता 2012-13 में बढ़कर 328.58 लाख क्विंटल हो गई है जबकि आवश्यकता 315.18 लाख क्विंटल की थी।

कृषि संबंधी अनुसंधान से प्रजनक बीजों की नई किस्में सामने आई हैं। इस नीति का जोर बीज बैंक तैयार करने पर है।

8.21 संशोधित नई बीज विकास नीति (एनपीएसडी) के तहत नए नीतिगत उपायों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन बीज स्कीम में नई किस्मों को शामिल करने की प्रक्रिया का सरलीकरण शामिल है। बीज बैंक के सृजन पर भी जोर दिया गया है। बीज श्रृंखला के लिए अच्छी किस्मों और प्रत्येक स्तर पर बीज उत्पादन के लिए उत्तरदायी एजेंसियों की पहचान के लिए 2013-14 में सभी राज्यों के लिए 2016-17 तक की अवधि हेतु बीज रोलिंग योजना की व्यवस्था है।

उर्वरक

8.22 कृषि उत्पादन को बढ़ाने में ऊर्वरकों के बढ़ते उपयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूरिया जो नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है, कुल उर्वरक उपभोग का लगभग

50 प्रतिशत है। भारत की यूरिया की लगभग 80% आवश्यकता देशी उत्पादन से पूरी होती है, लेकिन पोटेशियम और फॉस्फेट की ऊर्वरक जरूरतों के लिए अधिकांशतः निर्यात पर ही निर्भरता है।

8.23 2002-03 की नियत फ्रीजिंग दरों के कारण विद्यमान यूरिया इकाइयों के कम वसूली के समाधान के लिए 2 अप्रैल 2014 से विद्यमान यूरिया इकाइयों के लिए परिशोधित नई मूल्य स्कीम (एनपीएस-III) अधिसूचित की गई है। इसमें रु० 2300 प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम नियत लागत का अनुदान अथवा 2012-13 के दौरान प्रचलित वास्तविक नियत लाभ, जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, ऐसी कुशल इकाइयों की सुरक्षा के लिए रु० 150 प्रति मीट्रिक टन की विशेष क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, जिन्होंने गैस में परिवर्तन किया है और जो 30 से अधिक वर्ष पुरानी हैं।

8.24 गैस, की उपलब्धता की सीमाओं के मद्देनजर, जो नाइट्रोजन ऊर्वरक के उत्पादन हेतु पसंदीदा फीडस्टॉक है और पी तथा के ऊर्वरकों के लिए आयात पर निर्भरता होने के कारण भारतीय कंपनियों को वापसी खरीद की व्यवस्था वाली उत्पादन सेवाओं और भारत में ऊर्वरक की आपूर्ति हेतु दीर्घकालिक करार करने व ऊर्वरक लागतों के लिए विदेश में संयुक्त उपक्रम (जेवी) स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भारतीय निजी/सहकारी-क्षेत्र के संगठनों द्वारा 6 संयुक्त उपक्रम स्थापित किए गए हैं।

8.25 2010 में उत्पाद आधारित सब्सिडी (पीबीएस) से पोषण आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की ओर झुकाव का उद्देश्य मृदा नमी की विशिष्ट दशाओं व फसल की जरूरत के आधार पर ऊर्वरकों के प्रयोग से एनपीके पोषण असंतुलन व गौण व सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना था। 2009-10 और 2012-13 (सारणी 8.5) के बीच एनपीके ऊर्वरकों के उत्पादन, आयात व उपयोग की तुलना दर्शाती है कि 2010 में एनबीएस के रोल आउट से एन यूरिया की उपलब्धता और इसके उपयोग की और झुकाव है (परिशिष्ट 1.19)।

(हजार टन पोषक)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
नाइट्रोजनस ऊर्वरक (एन)					
उपलब्धता	15347	16650	17499	16995	16258
खपत	15580	16558	17300	16820	उ.न.
फास्फेटिक ऊर्वरक (पी)					
उपलब्धता	7077	8025	8531	6338	5302
खपत	7274	8050	7914	6653	उ.न.
पोटैसिक ऊर्वरक (के)					
आयात	2945	4069	3335	1559	1926
खपत	3632	3514	2576	2061	उ.न.
सभी ऊर्वरक (एनपीके)					
उपलब्धता	25369	28744	29365	24892	23526
खपत	26486	28122	27790	25536	उ.न.

स्रोत: ऊर्वरक विभाग।

8.26 स्ट्रेट ऊर्वरकों के उच्चतर उपयोग व पोषक तत्वों के अजीबो गरीब उपयोग के लिए संभवतः सब्सिडीकृत ऊर्वरकों का मूल्यन भी उत्तरदायी है (12वीं योजना हेतु ऊर्वरक उद्योग संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट: 8)। जबकि एनपीके का अनुपात 2009-10 में राष्ट्रीय संस्तुत 4:2:1 के अनुपात से अधिक था, यह स्थिति नाटकीय रूप से खराब हुई है (सारणी 8.6)। एनपीके के गलत उपयोग से मृदा में पोषक तत्वों का असंतुलन हुआ है, विशेषकर हरियाणा व पंजाब में, जिससे इन राज्यों में मृदा की गुणवत्ता में हास हुआ है व भू-उत्पादकता में गिरावट आई है।

सारणी 8.5 : ऊर्वरक की उपलब्धता
(उत्पादन एवं आयात)
एवं खपत

आर्थिक सहायता प्राप्त ऊर्वरकों की कीमतों की वजह से पोषाहार का उपयोग कम हो गया है।


	2009-10	2010-11	2012-13
बिहार	5.3 : 1.5 : 1	5.8 : 1.9 : 1	12.3 : 3.6 : 1
हरियाणा	15.9 : 5.5 : 1	20.4 : 6 : 1	61.4 : 18.7 : 1
पंजाब	18.4 : 5.9 : 1	19.1 : 5.4 : 1	61.9 : 19.3 : 1
अखिल भारत	4.3 : 2 : 1	5.0 : 2.4 : 1	8.2 : 3.2 : 1

स्रोत: कृषि आंकड़े एक दृष्टि में 2013; 12वीं योजना, योजना आयोग के लिए उर्वरक उद्योग विषयक कार्यदल की रिपोर्ट

टिप्पणी: राज्यवार उर्वरक खपत आंकड़ों से परिकलित

8.27 एनबीएस को रॉल-आउट व्यर्थ रहा क्योंकि यूरिया सकी परिधि से बाहर हो गई (12वीं पंचवर्षीय योजना खण्ड II: 14), जिससे पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। जबकि 2010-11 की तुलना में 2012-13 में यूरिया उपयोग में कुल उपयोग 59% से बढ़कर 66% हो गया है। इसी अवधि के दौरान उर्वरक का प्रति हैक्टेयर उपयोग 140 किग्रा० से घटकर 128 किग्रा० रह गया है। कृषि उपज में वर्तमान रुझानों से पता चलता है कि उर्वरकों के उपयोग के सापेक्ष मृदा की उत्पादकता आंशिक रूप से घट रही है।

8.28 एनबीएस के तहत, मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार किसान पी और के उर्वरकों की कीमत का 61 से 75% चुकाते हैं और शेष केन्द्र द्वारा सब्सिडीकृत है। 2013-14 में उर्वरक सब्सिडी 67,971 करोड़ ₹ थी (संशोधित अनुमान सं.अ.) जो 2009-10 की तुलना में 11% अधिक है, जबकि उर्वरक सब्सिडी की मात्रा बढ़ रही है। 2010 से स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी में गिरावट है (आकृति 8.1)



स्रोत : सीएसओ

मशीनीकरण और प्रोद्योगिकी

8.29 मशीनीकरण कृषि क्षेत्र के विकास का एक मुख्य प्रेरक है। खेत की क्षमता व औसत खाद्यान्न उत्पादन का सीधा संबंध है। बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता 2008-09 में 112.7 किवा प्र.घ. से बढ़कर 2011-12 में 142.4 कि.वा.प्र.घ. हो गई है। हालांकि भारत कृषि उत्पादन में एक शीर्ष देश है तो भी फार्म मशीनीकरण का वर्तमान स्तर, राज्यों में भिन्न-2 है और यह विकसित देशों में 90% की तुलना में औसतन लगभग 25% है भा.कृ.अ.प. के अनुसार, उन्नत उपकरणों को अपनाने का आर्थिक लाभ लगभग 80,000 करोड़ प्रतिवर्ष है, जो इस क्षमता का केवल छोटा सा भाग है। इसके परिणामतः गांवों में युवाओं व दस्तकारों के लिए मशीनों के उत्पादन, प्रचालन व रख-रखाव में कृषि संबंधी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। कृषि कार्यबल में काफी अधिक व निरंतर गिरावट के कारण स्थायी उत्पादकता व लाभप्रदता के लिए फार्म मशीनीकरण का उच्चतर स्तर आवश्यक है।

सारणी 8.6 : एनपीके अनुपात अखिल भारतीय, बिहार, पंजाब तथा हरियाणा (2009-10 तथा 2012-13)

संसाधनों के दुरुपयोग एवं इष्टतम से कम उपयोग के लिए एनबीएस की समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

चित्र 8.1 : उर्वरक सब्सिडी: परिमाण तथा स.घ.उ. (वर्तमान कीमतों पर) 2007-08 से 2013-14 (सं.अ.) के प्रतिशत के रूप में

कृषि पैदावार में शीर्ष देशों में होने के बावजूद, भारत में मशीनीकरण औसत स्तर, विकसित देशों में 90 प्रतिशत से काफी कम महज 25 प्रतिशत है।

8.30 फार्म मशीनीकरण की प्रमुख चुनौतियां हैं; प्रथम विभिन्न प्रकार की मृदा व जलवायु क्षेत्र वाले अत्यधिक विविधतापूर्ण कृषि जिसके लिए खास फार्म मशीनरी व उपकरण अपेक्षित होते हैं और द्वितीय, सीमित संसाधनों वाली काफी अधिक छोटी जोत भूमि। 112वीं योजना में छोटे व सीमांत किसानों व क्षेत्रों तक, जिनमें खेती क्षमता कम है, फार्म मशीनीकरण को पहुंचाने के लिए कृषि मशीनीकरण के संबंध में एक समर्पित मिशन शुरू किया गया है।

सिंचाई

8.31 जल कृषि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्व इनपुट है। वर्तमान में 63 मिलियन है० अथवा निवल उपज क्षेत्र के 45% में सिंचाई की जाती है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत 31 दिसम्बर, 2013 तक 64,228 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान राशि जारी की गई थी। एआईबीपी के तहत मार्च, 2012 तक प्रमुख/मध्यम/गौण सिंचाई परियोजनाओं से राज्यों द्वारा सृजित 8054.61 हजार है० की सिंचाई क्षमता का अनुमान है।

8.32 पंजाब-हरियाणा क्षेत्र में अपनाये गये उपज पैटर्न “राइस बाउल ऑफ इंडिया” के परिणामस्वरूप जल स्तर में चिंताजनक कमी आई है। यह दीर्घकाल में स्थायीवत नहीं है। अतः पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों में बाधित उपज और जल संसाधनों के अत्यधिक दोहने की समस्या का सामना करने के लिए तकनीकी नवप्रवर्तन को प्रेरित करने व फसल के विकल्पों के चयन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से 2013-14 में उपज बैविध्यकरण कार्यक्रम बनाया गया जिसका बजट 500 करोड़ रु० था।

ऋण

8.33 कृषि ऋण, कृषि उपज व उत्पादन में सुधार व किसानों की हताशा को कम करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट है। कृषि ऋण प्रवाह को सुधारने एवं खेत ऋण पर ब्याज दर को कम करने के लिए (i) 2013-14 हेतु कृषि ऋण प्रवाह 7,00,00 करोड़ रु० निर्धारित किया गया था और उपलब्धि 7,30,765 करोड़ रुपये थी; जबकि 2012-13 में यह 6,07,375 करोड़ रु० थी; (ii) किसान 7% ब्याज दर पर 3,00,000 रुपये की मूल राशि तक का फसल ऋण ले सकता था। 2013-14 के दौरान उन किसानों के लिए ब्याज की प्रभावी दर 4% थी जो ऋण की तत्परता से चुकौती करते थे; (iii) किसानों को निगोशिएबल भंडारग्रहों प्राप्ति से एनडब्ल्यूआर के एवज में उपज उपरांत व्यावसायिक दर पर ऋण प्रदान किए गए थे। उत्पाद के एनडब्ल्यूआर की अपेक्षा गोदामों में भंडारण को प्रोत्साहित करने के लिए उपज ऋण की दर पर ही किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक छोटे व सीमांत किसानों को उपज उपरांत छह माह की अवधि के लिए ब्याज में कमी का लाभ दिया गया।

बीमा

8.34 कृषि में जोखिम प्रबंधन व जोखिम को कम करने के हिस्से के रूप में विभिन्न उपज बीमा स्कीमों का कार्यान्वयन किया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र के राष्ट्रीय उपज बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) में, जिसे 1 नवम्बर, 2013 को राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम एनएआईएस से प्रतिस्थापित किया गया था, के तीन संघटक हैं: प्रायोगिक आशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) प्रायोगिक मौसम आधारित उपज बीमा स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस) और प्रायोगिक नारियल ताड़ बीमा स्कीम (सीआईपीएस) है। एनसीआईपी को 2013-14 से पूर्ण रूपेण कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसमें परिवर्तन किए गए हैं जैसे प्रमुख उपजों

जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से ‘राइस बाउल ऑफ इंडिया’ में जल सारणी में चिंताजनक कमी आई है।

बढ़ा कृषि ऋण प्रवाह, लक्ष्यों से अधिक है।

संशोधित बीमा स्कीम से बेहतर कवरेज की आशा है।

के लिए ग्राम की पंचायत के समकक्ष इकाई को बीमा इकाई बनाया गया है; किसानों के लाभ के लिए स्थानीय आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, और भूस्खलन के मामले में नुकसान की व्यक्तिपरक खेत स्तरीय आकलन किया जाता है।

8.35 कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) ने कई जिलों में एमएनएआईएस व डब्ल्यूबीसीआईएस लागू कर दी है (सारणी 8.7) और विभिन्न फसलों नामतः कॉफी, रबड़ रोपण, जैव ईंधन पौधों, अंगूर, आम, आलू, रबी मौसम बीमा और वर्षा बीमा/रेनफाल इश्योरेंस के जोखिम को कम करने हेतु फसल बीमा उत्पाद विकसित किए।

कृषि विस्तार

8.36 अंतिम छोर से संपर्क सुनिश्चित करने के लिए उभरती तकनीकी व ज्ञान की जरूरतों को पूरा करने हेतु विस्तार सेवाओं को उन्नत बगनाने की आवश्यकता है। अतः 11वीं योजना से विद्यमान विस्तार व सूचना प्रौद्योगिकी स्कीमों का सुदृढीकरण, विस्तार व उपयुक्त सुधार किया गया है और राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमईटी) के तहत कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमई) के संघटक के रूप में कार्यान्वित किया गया है। कार्यान्वयन व निगरानी में राज्यों के लिए अधिक बड़ी भूमिका की परिकल्पना की गई है। एसएमई के तहत स्कीमों में शामिल है:- जिला स्तर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियां (एटीएमए) जिनकी देशभर में 28 राज्यों व 3 संघ शासित क्षेत्रों के 639 ग्रामीण जिलों में स्थापना की किया गया है इनसे 28.5 मिलियन किसानों, जिसमें 25.6% महिलाएं थी, से है: मास मीडिया और किसान कॉल सेंटर स्कीमें, केन्द्रीय क्षेत्र कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों (एसीएबीसी) स्थापना की स्कीम; किसानों के लिए एसएमएस पोर्टल।

8.37 कृषि तकनीकों/उत्पादों के आकलन, परिष्कार व निदर्शन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आयोजना स्कीम “नवीन केवीके सातत्य, सुदृढीकरण और स्थापना” के अधीन कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) का नेटवर्क स्थापित कर जिला स्तर पर तकनीक अनुप्रयोग का तंत्र बनाया है। अभी तक 637 केवीके को मंजूरी दी गई और 2013-14 के दौरान 102.41 लाख किसान व अन्य हितधारक लाभान्वित हुए हैं।

कृषि उपज की मूल्य नीति

8.38 सरकार की प्रमुख कृषि उत्पादों की मूल्य नीति के दोहरे उद्देश्य हैं:- उत्पादकों को उनकी उपज के लिए उच्चतर निवेश व उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करना और किफायती दामों पर आपूर्ति सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने कतिपय आर्थिक कसौटी के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की है। इसके बाद सरकार ने केन्द्र सरकारों व संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दृष्टिकोण के मद्देनजर प्रत्येक मौसम से पूर्व गन्ने सहित 24 कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। विगत कुछ वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, विशेषकर दालों, तिलहनों व कपास के समर्थन मूल्य में (चित्र 8.2)।

8.39 तथापि गन्ने का मूल्य-निर्धारण आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम, 1955 के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के सांविधिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है। गन्ने के उत्पादन की लागत, रिकवरी दरों और चीनी व इसके उप-उत्पादों नामतः सीरा, खोई तथा प्रेस मड के मूल्य के मद्देनजर, उपयुक्त व लाभप्रद मूल्यों (एफआरपी) की अनुशांसा की गई है। एमएसपी/एफआरपी अर्ध्वगामी, एक दिशागामी होते हैं; इन्हें कुछ वर्षों तक स्थिर रखा गया है। 2013-14 के लिए


	खरीफ 2013		रबी 2013-14	
	जिला	राज्य	जिला	राज्य
एमएनएआईएस	29	13	127	12
डब्ल्यूबीसीआईएस	112	13	123	14

स्रोत: वित्तीय सेवाएं विभाग

सारणी 8.7 : खरीफ 2013 तथा रबी 2013-14 (नवंबर) के दौरान जिलों/राज्यों में कार्यान्वित एमएनएआईएस तथा डब्ल्यू बीसीआईएस

सुदृढीकृत विस्तार स्कीमों के आउटरीच से 28 मिलियन से अधिक किसान लाभान्वित हुए जिनमें से एक-चौथाई महिलाएं थीं।

विगत कुछ वर्षों में एमएसपी और एफआरपी में पर्याप्त बढ़ोतरी देखी गई है।



चित्र 8.2 : चुनीदा कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2007-08 से 2013-14 (₹ प्रति क्विंटल)

स्रोत: डीएसी

निर्धारित एमएसपी/एफआरपी 2009-10 के एमएसपी की तुलना में 27% (गेहूं), से 90% (मूंगफली) अधिक हैं (सारणी 8.8)।

फसल	2013-14	2009-10	प्रतिशत परिवर्तन
धान (सामान्य)	1310	1000	31
ज्वार (हाईब्रिड)	1400	1100	27
मक्का	1310	840	56
अरहर(तूर)	1500	840	79
उड़द	4300	2300	87
मूंगफली	4300	2520	71
सूरजमुखी	3100	1760	76
सोयाबीन (काला)	4000	2100	90
कपास (मध्यम)	3050	1830	67
गेहूं	3700	2215	67
चना	2500	1350	85
रैपसीड/सरसों	3700	2500	48
गन्ना (एफआरपी)	210	129.84	62

सारणी 8.8 : चुनीदा फसलों का एमएसपी/एफआरपी (₹ प्रति क्विंटल) तथा 2009-10 के बाद 2013-14 में प्रतिशत परिवर्तन


स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग।

टिप्पणी: बोनस समेत, जहां कहीं प्रयोज्य हो।

8.40 राज्य सरकारों द्वारा नियत गन्ने के मूल से अधिक मनमाने निर्धारण से चीनी की मिलों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। रंगराजन समिति ने गन्ने के मूल्यों को चीनी के मूल्यों से जोड़कर देखने की सिफारिश की थी, जिसे सभी राज्य सरकारों द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। इस वर्ष अधिशेष शुरुआती स्टॉक और अच्छी पैदावार के कारण चीनी के मूल्यों में कमी आई, जिससे गन्ने के मूल्य का काफी अधिक बकाया रहा। गन्ना किसानों को पूर्व में चीनी के मौसम के बकाया के भुगतान और चालू चीनी मौसम के लिए गन्ने के मूल्य के समय पर नियतन को आसान बनाने के लिए, केन्द्र ने 3 जनवरी, 2014 को चीनी मिलों को अतिरिक्त पूंजी के रूप में 6600 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त बैंक ऋण की परिकल्पना करते हुए चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने हेतु स्कीम (एसईएफएएसयू-2014) अधिसूचित की है। इसके अलावा, निर्यात बाजार के लिए लक्षित कच्ची चीनी के उत्पादन के लिए 3300 रुपये प्रति टन का प्रोत्साहन फरवरी और मार्च, 2014 में दिया गया था। इसे घटाकर अप्रैल एवं मई 2014 में 2277 रुपये कर दिया गया तथा जून और जुलाई 2014 के लिए इसे पुनः 3300 रुपये कर दिया गया। चीनी मिलों को इसका उपयोग किसानों को भुगतान करने के लिए करना था।

बागवानी

8.41 बागवानी क्षेत्र में फलों एवं सब्जियों से लेकर गिरीदार फलों, मसालों औषधीय पौधों, पुष्पों, एवं रोपी जाने वाली फसलें शामिल हैं। इसमें आय अर्जन के अनेक अवसर होते हैं। भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह आम, केला, नारियल, काजू, पपीता और अनार का सबसे बड़ा उत्पादक; और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। बागवानी उत्पादन का अनुमान 265 मिलियन टन लगाया गया था। यह 2008-09 एवं 2012-13 के बीच बागवानी फसलों की पैदावार में 8.6% की वृद्धि के चलते 2012-13 में खाद्यान्न और तिलहनों का उत्पादन बढ़ गया है (सारणी 8.3)।



पहली बार, 2012-13 में बागवानी की पैदावार, खाद्यान्न व तिलहन को मिलाकर कुल पैदावार से अधिक रही।

चित्र 8.3 : कृषि उत्पादन (खाद्यान्न एवं तिलहन) और बागवानी उत्पादन (2001-02 से 2012-13)

स्रोत: डीएसी

8.42 पहले की सभी स्कीमों अर्थात् राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उत्तर पूर्वी और हिमालय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और राष्ट्रीय बांस मिशन को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (एफपीओ) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत लाया गया है। कृषक उत्पादक संगठन/कृषक उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) में संगठित करके किसानों की कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाना इस एकीकृत बागवानी मिशन की विशेषता है (बाक्स 8.2)।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन

8.43 भारतीय कृषि प्रणाली एक सतत कृषि माडल है क्योंकि यह मुख्यतः एक मिश्रित फसल-पशुधन कृषि पद्धति है। पशुधन क्षेत्र से कृषि आय में बढ़ोतरी होती है क्योंकि इससे रोजगार भारवाही पशु और खाद्य मिलती है।

बाक्स 8.2 : 2014 किसान उत्पादक संगठन वर्ष

कृषि मंत्रालय की सभी बड़ी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में कृषक उत्पादक संघों के संवर्धन एवं विकास के विशिष्ट प्रावधान हैं। इन संघों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समावेशी कृषि विकास प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्य नीतियों की एक कार्य नीति बनाई जाती है। दलहनों एवं तिलहनों के लिए एमएसपी के अंतर्गत मूल्य समर्थन संबंधी कार्य करने के लिए, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ को केंद्रीय खरीद एजेंसी निर्दिष्ट किया गया है, और यह खेत पर कृषक उत्पादक संघों के माध्यम से ही कार्य करेगा। सदस्य-आधारित कृषक उत्पादक संघ, एग्रीगेटर्स के रूप में काम करेंगे और उत्पादकों, विशेषकर, छोटे कृषि स्वामियों को मोल-भाव करने की अधिक सुविधा प्रदान करेंगे, मूल्य श्रृंखला में भी इनकी भागीदारी हो सकेगी, इससे अधिक आमदनी और रोजगार पैदा होगा।

कृषक उत्पादक संघों के लिए मार्च, 2013 में जारी किए गए राष्ट्रीय नीति और प्रक्रिया दिशा निर्देशों में कृषक उत्पादक संघों की व्यवस्था के लिए प्रणाली का उल्लेख है। इन संघों को राजीव गांधी कृषि विकास योजना से वित्त पोषण प्राप्त होगा। कृषक उत्पादक समूहों के लिए इक्विटी ग्रांट और क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम 01 जनवरी, 2014 को शुरू की गयी थी। इससे डबल मेंबर इक्विटी के लिए बैंक से 10 लाख रुपये तक का अनुदान और एक करोड़ रुपये तक का बगैर-जमानती ऋण प्राप्त किया जा सकता है। बदले में, ये क्रेडिट गारंटी फंड से 85 प्रतिशत कवर की मांग कर सकते हैं।

वर्ष 2014 को कृषक उत्पादक संघ के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए लघु कृषक कृषि व्यवसाय संगठन एक नोडल संगठन है। कृषक उत्पाद संघों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, सम्मेलन सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

स्रोत: एलएफएसी

डेयरी और कुक्कुट पालन

8.44 भारत का दूध उत्पादन में पहला स्थान है जो विश्व उत्पादन का 17 प्रतिशत होता है। 2012-13 के दौरान, दूध उत्पादन 132.43 मीट्रिक टन पर अपने चरम पर था। दूध की वर्ष-दर-वर्ष औसत वृद्धि दर 4.04 प्रतिशत पर रही जबकि विश्व उत्पादन की वृद्धि दर 2.2% थी। इससे डेरी उद्योग में लगे 70 मिलियन ग्रामीण परिवारों के लिए आय का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होने के साथ-साथ, दूध और दूध से बनी वस्तुओं की उपलब्धता में निरंतर वृद्धि का पता चलता है। इस सेक्टर में लगे ग्रामीण परिवारों में से 70% महिला श्रम शक्ति थी।

8.45 राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम नामक एक विस्तृत नई स्कीम शुरू की गई। इसका उद्देश्य दूध और दूध से बनी वस्तुओं का उत्पादन लगातार बढ़ाना है। राष्ट्रीय डेयरी योजना फेज-I मार्च 2012 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य दुधारू पशुओं की दुग्ध क्षमता बढ़ाना, दूध खरीद के लिए गांव स्तरीय अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार, करना और दूध का काम करने वालों को डेयरी सेक्टर संबंधी बाजार में और अधिक पहुंच उपलब्ध कराना है। दूधारू पशुओं की संख्या 2000 में 62 मिलियन थी जो बढ़कर 2012 में 83.15 मिलियन हो गई है। इस प्रकार देश में उन्नत दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ी है।

8.46 वाणिज्यिक कुक्कुट पालन उत्पादन के लिए सहायक नीतियां बनाने के अलावा सरकार का ध्यान परिवार स्तर पर कुक्कुट पालन व्यवस्था पर है। इसमें आजीविका संबंधी मुद्दों की ओर ध्यान दिए जाने का उल्लेख है। अंडा उत्पादन 2013 में 69.73 बिलियन रहा जबकि कुक्कुट मीट उत्पादन 2.68 मीट्रिक टन होने का अनुमान है (परिशिष्ट 1.20)

मत्स्य पालन

8.47 मत्स्य पालन आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के साथ ही मछली प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। देश में 14.4 मिलियन मछुवारे हैं। भारत का विश्व मछली उत्पादन में दूसरा स्थान है। कुल विश्व उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 5.4 प्रतिशत बैठता है। यह ऐक्वाकल्चर के माध्यम से मछली का बहुत बड़ा उत्पादक भी है। 2013-14 के दौरान मछली का कुल उत्पादन 9.45 मीट्रिक टन जिसमें 6.10 मीट्रिक टन अन्तरदेशीय सेक्टर से और 3.35 मीट्रिक टन समुद्र सैक्टर से है। इस क्षेत्र का योगदान कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1 प्रतिशत होता है और कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत बैठता है।

पशुधन स्वास्थ्य

8.48 पशुधन स्वास्थ्य के मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने और सीमा-पार प्रकृति की पशु बीमारियों से निबटने के प्रयासों को व्यापक रूप से सुदृढ़ करने के लिए विद्यमान घटकों में परिवर्तन और नए घटकों को शामिल कर 12वीं योजना में केंद्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचएण्डडीसी) स्कीम शुरू की गई थी। विभिन्न पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से देशभर में पशुरोग की घटनाओं में कमी आई है जो जनता के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संकेत है। पशुधन क्षेत्र के स्थायीवत विकास के उद्देश्य से सात केंद्रीय प्रायोजित और सात केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) बनाया गया है। इस मिशन को पशुधन उत्पादक प्रणालियों में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक सुधार और सभी हितधारकों की क्षमता का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सभी कार्यकलापों को कवर करने के लिए बनाया गया है।

भारत का विश्व भर में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है और वर्ष दर वर्ष वृद्धि 4 प्रतिशत से अधिक है।

मत्स्य पालन व पशुधन क्षेत्र ग्रामीण ग्रहस्थों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है; कुल जीडीपी में जिनका योगदान क्रमशः 1 प्रतिशत व 4 प्रतिशत से अधिक है।

घरेलू कृषि विपणन

8.49 कृषि वस्तुओं के सुव्यवस्थित विपणन को विनियमित नेटवर्क के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य आपूर्ति व मांग की अबाधित भूमिका के लिए सहायक बाजार वातावरण का सृजन कर किसानों व उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। नियमित बाजारों की संख्या 1950 में 286 थी, जो बढ़कर मार्च 31, 2014 में 7114 हो गई है। इसके अतिरिक्त देश में 22,759 ग्रामीण नियतकालिक बाजार हैं। बाजार का औसत क्षेत्र 114.45 वर्ग किलोमीटर है, जबकि विनियमित बाजार का औसत क्षेत्र 462.08 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें पंजाब में 118.78 वर्ग किलोमीटर से मेघालय में 11.214 वर्ग किलोमीटर की भिन्नता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने (2004) में 5 किलोमीटर (अथवा 80 वर्ग किलोमीटर) के दायरे के भीतर एक बाजार की सिफारिश की। बाजार के कम प्रसार से बाजार से संपर्क की समस्या उत्पन्न होती है।

8.50 भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी की समस्या काफी समय से चलती आ रही है जबकि कई सुधारपरक योजनाएँ चलाई गई हैं। मध्यस्थता की ऊँची कीमतों का कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। कृषि सुधार समिति (2013) ने अवरोध मुक्त राष्ट्रीय बाजार, जो किसानों और ग्राहकों के फायदों के लिए हो की अनुशंसा की थी। बाक्स 8.3 कृषि विपणन सुधार की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

निरंतर खाद्य मुद्रास्फीति के समाधान हेतु “खेत से प्लेट” आपूर्ति श्रृंखला के सर्वांगीण सुधार की जरूरत है।

बाक्स 8.3 : कृषि विपणन में सुधारों की आवश्यकता

भारत में कार्यकुशल कृषि कार्य की स्थापना में सीमित सफलता मिली है। सरकारी-नियमित थोक बाजारों के एकाधिकार के चलते देश की प्रतिद्वन्दी बाजार प्रणाली का विकास रुक सा गया है। कृषि वस्तुओं के बाजार के उदारीकरण के संदर्भ में और वैश्विक बाजार के नई अभिगमन अवसरों का घरेलू खेती समुदाय द्वारा फायदा उठाने के लिए, आंतरिक कृषि विपणन व्यवस्था को एकीकृत और मजबूत करने की आवश्यकता है।

सरकार की विभिन्न समितियों और कार्य दलों ने यह सिफारिश की है कि निजी क्षेत्र को अधिक भागीदारी को आसान बनाने के लिए राज्य के कृषि बाजार पर नियंत्रण को कम किया जाए, विशेषकर कृषि बाजार के विकास के लिए भारी निवेश प्रेरित करने के लिए/मॉडल कृषि उत्पाद विपणन (विकास और विनियमन) [एपीएम (डीआर)] अधिनियम, 2003 को सभी राज्यों में, इसे अपनाने के लिए, परिचालित किया गया था। सुधारों में राज्य कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) की विद्यमान संरचना के भीतर कुछ विषयों के समाधान पर काफी अधिक ध्यान दिया गया है। तथापि वे कृषि उत्पादों के अंतर-राज्य व्यापार में एकाधिकार एवं गैर-प्रतिस्पर्धी परिपाटी का समाधान नहीं कर सकीं। कृषि सुधार समिति (2013) ने पाया कि “कुल मिलाकर एपीएमसी विपणन सेवा/सुविधाओं की आपूर्ति में एक प्रकार की सरकार द्वारा प्रायोजित एकाधिकार प्राप्त संस्था के रूप में उभरी है और इसमें एकाधिकार संबंधी सभी खामियां हैं।

अतः एपीएमसी अधिनियम से भौतिक बाजार नेटवर्क स्थापित करने का मूल उद्देश्य हासिल नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष विपणन जैसे पंजाब में अपनी मंडी, तमिलनाडु में उझावर संघाई, महाराष्ट्र में शेतकारी बाजार, पुणे में हदसपुर बाजार, आन्ध्र प्रदेश में रायथू बाजार, ओडिशा में कृषक बाजार और राजस्थान में किसान मंडी से कुछ सफल पहलें भी हुई हैं।

कुछ उपाय जिनसे बाधामुक्त राष्ट्रीय बाजार बनाने में आसानी होगी:

- (i) किसी बाजार में शीघ्र खराब होने वाले सभी उत्पादों जैसे फल व सब्जियां, दूध व मछली की बिक्री व खरीद की अनुमति।
- (ii) फलों व सब्जियों पर बाजार शुल्क में छूट और कृषि बागवानी उपज पर अत्यधिक कमीशन प्रभारों में कमी करना।
- (iii) राज्यों के प्रत्यक्ष विपणन के प्रयासों की सफलता से सहायता लेना, किसान बाजारों के गठन के लिए एपीएमसी/अन्य बाजार अवसंरचना का उपयोग किया जा सकता है। एफपीओ/स्वयं सहायता समूहों को जो शहरी केंद्रों, मॉल आदि जो खुले स्थानों, के नजदीक हैं को किसान बाजार के गठन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इन्हें प्रत्येक दिन अथवा सप्ताहांत में लगाया जा सकता है जो लोगों की आवा जाही पर निर्भर करता है।
- (iv) कंपनियों को कृषि सहबद्ध कार्यकलापों खाद्य प्रसंस्करण आदि में शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर की अनुमत्य सूची के अंतर्गत “किसान बाजार सुविधा संगठन” को सीएसआर के तहत इस कार्यकलाप को करने के लिए शामिल करना और आपूर्ति श्रृंखला की अवसंरचना की स्थापना में मदद भी करना। यह आईटीसी लिमि० की कई-चौपाल पहल के समान लेकिन सीएसआर के अधीन होगा।
- (v) उपर्युक्त सभी सुविधाकारक कृषि वस्तुओं के वर्तमान व भावी मूल्यों का प्रचार-प्रसार करने के लिए उत्पाद विनियम मंच से लिंक भी बना सकते हैं।

वस्तु वायदा बाज़ार

8.51 वस्तु वायदा बाज़ार की शुरुआत एक आवश्यक महत्वपूर्ण पहल थी जिसका उद्देश्य घरेलू बाज़ार की कार्यकुशलता को सुधारना है। वस्तु वायदा बाज़ार मूल्य खोज प्रणाली को आगे बढ़ाता है और वस्तुओं के मूल जोखिम संचालन हेतु मंच प्रदान करता है। वायदा बाज़ार आयोग (एफ एम ओ), जो वस्तु वायदा बाज़ार का नियामक है, सितम्बर 2013 में, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया था। वर्तमान में 113 वस्तुओं में से केवल 46, जो भावी विनिमय के लिए अधिसूचित हैं, की 6 राष्ट्रीय विनिमय केन्द्रों और 11 वस्तु विशेष विनिमय केन्द्रों में सक्रिय रूप से ट्रेडिंग होती है। कृषि वस्तुओं में वायदा ट्रेडिंग 2013-14 में कुल टर्नओवर का 15.8 प्रतिशत रहा, इसमें खाद्य मदे (रिफाइन्ड सोया आयल, सोयाबीन, चना, रैपसीड/सरसों बीज तथा कोरिएण्डर) 55.56 प्रतिशत और गैर खाद्य-भिन्न मदे (अरण्डी के बीज तथा कपास) 17.46 प्रतिशत था। व्यापार के कुल परिमाण में 39 प्रतिशत की कमी आई तथा कृषि व्यापार 2012-13 की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत रहा। (चित्र 8.4)


8.52 सूचना का असमान प्रचार-प्रसार बाज़ार के मार्ग में बाधा है। कृषि आपूर्ति शृंखला में सभी हितधारकों के लाभ के लिए और विशेषकर किसानों को उपज के पैटर्न व विपणन कार्यनीतियों से संबंधित विवेकपूर्ण व सुविचारित निर्णय लेने में समर्थ बनाने के लिए एफ एम सी मूल्य वितरण स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके तहत, राष्ट्रीय एक्सचेंजों के भावी एवं वर्तमान मूल्य और लगभग 1700 मंडियों से एगमार्कनेट के वर्तमान मूल्य 267 एपीएमसी में संस्थापित मूल्य टिकट/बोर्डों, किसान विकास केन्द्रों व ऐसे अन्य स्थानों से रियल टाइम आधार पर संचालित किए जा रहे हैं, जहां किसानों की आवाजाही अधिक है। किसानों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता में बढ़ोत्तरी करने के लिए ताकि उन्हें मूल्य प्राप्ति तंत्र से लाभ मिलें, आवश्यकता है कि किसान बाजारों सहित सभी बाजारों में इनकी संस्थापना की जाए।

8.53 तथापि, भावी व्यापार को ध्यान में रखते हुए अचानक प्रतिबंध व इसे हटाने की, चालू बंद करने की नीति का पालन किया गया, जिससे बाज़ार में अपारदर्शिता व अनिश्चितता आई और इस मंच के किसानों व अन्य हितधारकों के मुनाफे के लिए मूल्य प्राप्ति तंत्र के साधन के रूप में विकसित करने में अवरोध हुआ है। उत्तरवर्ती मासों के भावी अनुबंध भावी कीमत प्रवृत्तियों का संकेत देते हैं तथा इस प्रकार वे सरकार के लिए आवश्यकतानुसार कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे किसानों को उपज के पैटर्न और खेती में निवेश की सघनता के संबंध में निर्णय लेने में मदद मिल सकती है और वे अपनी मोलभाव करने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। इससे विनिर्माताओं को भी कच्चे माल के साथ ही अपने तैयार माल की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वस्तुतः खरीद एजेंसियां एनएफएसए 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपनी भविष्य की जरूरतों को नियमित आधार पर पूरा कर इस मंच का अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह देखते हुए कि भारत प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं का अग्रणी उत्पादक एवं उपभोक्ता है। अतः वह कीमतों को स्वीकार करने की अपेक्षा वैश्विक कीमतों का निर्धारक हो सकता है। तथापि, चावल तथा गेहूं के मामले में, जहां एमएसपी तंत्र प्रभावी है, व्यापार की गई वस्तुओं का परिमाण कम है। परिणामतः वैश्विक उपभोक्ता वस्तु बाजारों के विपरीत घरेलू बाजार अपनी कीमतों के निर्धारण में सक्षम नहीं है।

भण्डारगृह विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए)

8.54 कारोबार के रूप में एनडब्ल्यूआर की शुरुआत करना एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य न केवल किसानों को बेहतर ऋण सुविधायें मुहैया कराने

वायदा बाज़ार, भावी मूल्य रुझानों के संदेशवाहक के रूप में सरकार को समय पूर्व कार्यवाई करने मदद करता है, जब आवश्यक हो।



स्रोत: एफएमसी

चित्र 8.4. विनिमय केन्द्रों में कुल व्यापार परिमाण में समूह-वार हिस्सा (%) 2011-12 से 2013-14

कृषि उत्पादों का अग्रणी उत्पादक व प्रमुख उपभोक्ता होने के बावजूद भारत ने वैश्विक मूल्य निर्धारक की भूमिका नहीं ली है।

और प्रतिकूल बिक्री से बचाने में सहायता करना है, बल्कि किसानों को ऋण प्रदान करने में निहित जोखिमों को कम करके वित्तपोषण संस्थाओं की सुरक्षा करना भी है। डब्ल्यूडीआरए, एनडब्ल्यूआर के व्यथा का इरादा रखने वाले भण्डारगृहों का पंजीकरण और अधिकृत करने वाले प्राधिकरण के रूप में, एनडब्ल्यूआर विषयक परिणाम के लिए 40 कृषि वस्तुओं को अनुमोदित किया है, जिनमें अनाज, दालें, तिलहन और मसाले शामिल हैं। अभी तक 302 भण्डारगृहों को प्राधिकृत किया जा चुका है, जिनमें से केन्द्रीय भण्डारगृह निगम, राज्य भण्डारगृह निगम, और निजी संगठनों के 10.55 लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता वाले 271 भण्डारगृहों को पंजीकृत किया जा चुका है।

8.55 भण्डारगृहों की गुणवत्ता और सुपुर्दगी पहलुओं को सुधारने के लिए, एफएमसी ने सभी कमोडिटी एक्सचेंजों को डब्ल्यूडीआरए से पंजीकरण कराने के दिशानिर्देश दिए थे। तथापि, चावल और गेहूं के मामले में, किसान रिपोर्ट के अनुसार एनडब्ल्यूआर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे एमएसपी पर गारंटीदाता, प्रापण एजेंसी को, अपने उत्पाद की बिक्री को अधिक लाभप्रद और सुगम पाते हैं। इसके अलावा, ऐसे क्षेत्रों में भी जहां प्रापण अभिकरणों के कुछेक प्रचालन केन्द्र हैं, एनडब्ल्यूआर को सफलता नहीं मिल रही है। अतः, एक मुक्त प्रतिस्पर्धात्मक बाजार इन पहलों के सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए आवश्यक शर्त है।

खाद्य प्रसंस्करण

8.56 होल्डिंग कृषि रोजगार में गिरावट के चलते गैर-कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का, विशेषतः कृषि-आधारित ग्रामीण उद्योगों में, सृजन करना पड़ेगा। कृषि उद्योगों के रूप में अनुप्रवाही बाजार संयोजनों का प्रोत्साहन और विकास करना कृषि की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। 2012-13 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान यह क्षेत्र कृषि की तुलना में लगभग 8.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से अधिक तेजी से वृद्धि कर रहा है। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके द्वारा बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है।

8.57 यद्यपि भारत कई कृषि पण्यों का सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर भी आपूर्ति श्रृंखला में उच्च स्तरीय घाटे हैं। 2010 में फसल कटाई-उपरांत केन्द्रीय अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी) द्वारा आयोजित अध्ययन में घाटों को 0.8 से 18 प्रतिशत के बीच रखा है और उनके लिए कई कारकों को उत्तरदायी ठहराया है, जिसमें संग्रह हेतु सुविधाओं, पैकिंग, भण्डारण, परिवहन और कोल्ड चेन का उपलब्ध नहीं होना तथा कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण का निम्न स्तर शामिल हैं। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां इक्विटी के साथ विकास, नीति की प्रमुख जरूरत है, खाद्य-प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी, ग्रामीण गरीबी, खाद्य सुरक्षा, खाद्य मुद्रास्फीति, उन्नत पोषण और खाद्य सामग्री की बर्बादी की रोक जैसे कई मुद्दों को हल करेगा। इसके लिए, सरकार आधुनिक अवसंरचना और कुशल प्रसंस्करण सुविधाओं के सृजन को महत्व दे रही है। इन पहलों में (i) मेगा फूड पार्कों, (ii) कोल्ड चेन, मूल्य वृद्धि और संरक्षण अवसंरचना, (iii) विद्यमान बूचड़खानों का आधुनिकीकरण और नये बूचड़खानों की स्थापना करना शामिल है।

व्यापार नीति

8.58 भारत, एक बड़े विस्तृत और विविध कृषि के साथ विश्व में चावल, गेहूं, दूध, गन्ने, फलों, सब्जियों का प्रमुख उत्पादक देश है। इसलिए प्रमुख वस्तुओं के तुलन पत्रों में परिवर्तनों से विश्व बाजारों पर संभावित रूप से भारी प्रभाव पड़ेगा। तथापि, भारत बड़े पैमाने पर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र है। और वैश्विक व्यापार में

वायदा बाजार और एनडब्ल्यूआर, दोनों केवल बाजार की प्रतियोगी दशाओं में सफल होंगी।

कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र, जो विकास का अगला वाहक है, के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निजी निवेश आवश्यक है।

कृषि पैदावार में बढ़ोत्तरी के लिए दीर्घकालिक स्थायी व्यापार नीति जरूरी है।

भागीदारी से हिचक रहा है।

8.59 मूल्य वर्द्धित उत्पादों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने, रोजगार का सृजन करने और निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कुछ घरेलू उत्पादों में आधारभूत सीमा-शुल्क को कम कर दिया/हटा दिया गया था। अवमूल्यन का सामना करने और घरेलू किसानों एवं उद्योगों के हितों का संरक्षण करने के लिए कुछ कृषि उत्पादों का आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) बढ़ा दिया गया था (बॉक्स 8.4)।

8.60 घरेलू मूल्य स्थिति के प्रति तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में कृषि वस्तुओं के लिए आमतौर पर एक तदर्थ व्यापार नीति का अनुसरण किया जाता रहा है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार एक बड़ी अनिश्चितता में पड़ जाता है और इस पिरामिड में सबसे नीचे होने की वजह से किसान पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता होने पर भी भारत की विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। कृषि उत्पादों के संबंध में एक स्थिर और दीर्घकालिक व्यापार नीति अत्यंत आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि हाल के वर्षों में कुछ नीतिगत परिवर्तन किए गए: 2011 से चावल और गेहूं के निर्यात की अनुमति दी गई और फरवरी, 2013 के बाद से संसाधित और/अथवा मूल्य वर्द्धित कृषि उत्पादों को निर्यात सीमाओं/प्रतिबंधों से छूट प्रदान की गई है फिर चाहे उनके आधार उत्पाद पर निर्यात का प्रतिबंध ही क्यों न लगा हो। इससे किसानों को लाभ होगा, कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।

मापने योग्य परिणाम

8.61 विभिन्न स्कीमों, सब्सिडियों तथा कार्यक्रमों के जरिए कृषि प्रोत्साहन के सभी प्रयासों के परिणामतः इस वर्ष खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। तथापि, अर्थव्यवस्था के लिए कृषि उत्पादों की पैदावार उपलब्धता व निर्यात के स्तर अधिक महत्वपूर्ण हैं।

उत्पादकता स्तर

8.62 यह प्रेरणादायक है कि अंगूर, केला, कसावा, मटर प पपीता की पैदावार में भारत का प्रथम स्थान है। भारतीय कृषि के उत्पादकता स्तर, प्रयास किए जाने के बावजूद वैश्विक मानकों से काफी कम हैं (सारणी 8.9)।

दूध का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत में गोजातीय मांस उत्पादकता 2238 किग्रा० प्रतिवर्ष के वैश्विक औसत की तुलना में मात्र 1538 किग्रा० प्रतिवर्ष है। यह मुख्यतः अवगीकृत गोजातियों के दुग्ध उत्पादन की

फसल/वस्तु	विश्व औसत (टीई 2011-12)	भारत (टीई 2012)	सर्वाधिक उपज वाले देश (टीई 2012)
खाद्यान्न			
धान	4397	3514	6661 (चीन)
गेहूं	3094	3000	7360 (यूके)
मक्का (कार्न)	5097	2321	8858 (यूएसए)
दालें			
काबुली चना	917	912	1663 (इथोपिया)
पिजन-पीज	786	681	1320 (म्यांमार)
तिलहन			
मूंगफली	1626	1212	4069 (यूएसए)
रैपसीड/सरसों	1855	1163	3588 (यूके)
कपास	769	517	1920 (अस्ट्रेलिया)
गन्ना	70470	69227	125587 (पेरू)

स्रोत: कृषि आंकड़े एक दृष्टि में 2013; खरीफ एवं रबी कीमत नीति रिपोर्ट सीएसीपी

टिप्पणी: टीई - त्रैवार्षिक समाप्ति।

बॉक्स 8.4 : कृषि/कृषि-प्रसंस्करण/वृक्षारोपण क्षेत्र में कर संबंधी उपाय (2013-14)

बीसीडी को बगैर छिले जई अनाज पर 30% से कम करके 15%; अखरोट पर 30% से कम करके 10% कर दिया गया; टूटी काजू गिरी, साबुत काजू गिरी और अन्य पर बीसीडी का निर्धारण इस प्रकार है:

टूटी काजू गिरी (0801 32 10) के लिए 60 रुपए प्रति किलो अथवा 45% जो अधिक हो;

साबुत काजू गिरी (1801 32 20) और अन्य (0801 32 90) के लिए 75 रुपए प्रतिकिला अथवा 45% जो भी अधिक हो;

कच्ची और सफेद/परिष्कृत चीनी के आयात पर बीसीडी को 10% से बढ़ाकर 15% किया गया;

परिष्कृत खाद्य तेलों पर बढ़ाकर 7.5% से 10% किया गया।

डी-आयलड चावल ब्राण्ड के आयल केक पर लगे 10% के निर्यात शुल्क को वापस ले लिया गया;

चुकंदर के बीजों के आयात को 5% के रियायती बीसीडी पर अनुमति प्रदान की गई;

प्राकृतिक रबड़ पर बीसीडी का गैर-प्रकाशन मूल्य बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलो से 30 रुपए प्रति किलो किया गया।

स्रोत: राजस्व विभाग

कृषि पैदावार में बढ़ोत्तरी हेतु तकनीकी नवाचार जरूरी है।

सारणी 8.9 : भारत की उत्पादकता और विश्व औसत तथा प्रमुख फसलों के मामले में सर्वाधिक उपज वाले देश (टी ई 2012) (किग्रा/हे०)

अल्प आनुवांशिक क्षमता और निम्न स्तरीय पोषण के कारण है। नई प्रौद्योगिकी और बेहतर इनपुट के बिना उत्पादकता के इन स्तरों पर वृद्धि में तेजी ला पाना कठिन होगा।?

निवल उपलब्धता और प्रतिव्यक्ति उपलब्धता


8.63 खाद्यान्नों की निवल उपलब्धता वर्ष 2013 में बढ़कर 229.1 मिलियन टन हो गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि को दर्शाता है। खाद्यान्नों की प्रतिव्यक्ति निवल उपलब्धता 164.3 किग्रा प्रतिवर्ष से बढ़कर 186.4 किग्रा प्रतिवर्ष हो गई, और खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता भी इस अवधि (परिशिष्ट 1.16 से 1.18) के दौरान 12.7 किग्रा प्रतिवर्ष से बढ़कर 15.8 किग्रा प्रतिवर्ष हो गई है। दुग्ध की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 295 ग्राम प्रतिदिन है जो वैश्विक औसत से अधिक है जबकि अंडों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता लगभग 55 अंडे प्रतिवर्ष है। फलों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2001-02 में 114 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 172 ग्राम प्रतिदिन हो गई जबकि सब्जियों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता इसी अवधि के दौरान 236 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 350 ग्राम प्रतिदिन हो गई।

8.64 ये कार्य निष्पादन अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कृषि क्षेत्र ही आबादी के अल्प आय और दुर्बल वर्गों के एक विशाल वर्ग के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा का स्रोत है। पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे लौह युक्त बाजरा, प्रोटीन युक्त मक्का और जिंक युक्त गेहूं, में नई फसल किस्मों की शुरूआत करने के लिए न्यूट्री-फार्म संबंधी एक प्रायोगिक कार्यक्रम को कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित नौ राज्यों के 100 जिलों में वर्ष 2013-14 आरंभ की गई। एक उप-स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया गया था जिसकी परिव्यय 200 करोड़ रुपए है।

कृषि निर्यात

8.65 हाल ही के वर्षों में चावल, मक्का, कपास और ग्वार गम जैसे उत्पादों ने परंपरागत कृषि निर्यातों का स्थान ले लिया है। कृषि निर्यात (समुद्री सहित) 2013-14 में 5.1% बढ़ा जबकि 2012-13 में यह 37292 मिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें से उसी अवधि में सिर्फ समुद्री उत्पाद का निर्यात 44.8 प्रतिशत बढ़ा।

8.66 चूंकि 2011 में चावल में निर्यात के आरंभ में कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2010-11 में 2575 मिलियन अमरीका डालर से बढ़कर 2013-14 में 7742 मिलियन अमरीकी डालर हो गयी। कृषि निर्यात में 2008-09 के बीच कुल डेयरी कुक्कुट मीट और समुद्री उत्पादों की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है (रेखचित्र 8.5)।



स्रोत: डीजीसीआईएस

टिप्पणी: *इसमें कृषि और सहबद्ध व समुद्री उत्पाद शामिल हैं।

कुपोषण को समाप्त करने के लिए प्रति व्यक्ति उपलब्धता स्तरों में पर्याप्त सुधार अपेक्षित है।

कृषि निर्यात में 2008-09 की तुलना में 2013-14 में पर्याप्त वृद्धि

आकृति 8.5 : कृषि निर्यात 2008-09 से 2013-14 के प्रतिशत के रूप में कुल कृषि निर्यात और चावल का निर्यात कुल कुक्कुट और डेयरी उत्पादों व प्रीपैरेशन।

खाद्य प्रबंधन

8.67 खाद्य प्रबंधन की नीति का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्नों की समयोचित एवं दक्ष अधिप्राप्ति और वितरण के माध्यम से विशेष रूप से दुर्बल वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें किसानों से लाभकारी मूल्यों पर खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, बफर स्टॉक का निर्माण एवं अनुरक्षण, भंडारण, खाद्यान्नों का सस्ती कीमतों पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना एवं वितरण करना और खाद्यान्नों की कीमतों को स्थिर रखना शामिल है। इसमें एमएसपी और केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) मूल्य इन्स्ट्रुमेंट्स का प्रयोग किया जाता है।


अधिप्राप्ति

8.68 अन्य केन्द्रीय और राज्यीय एजेंसियों के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) नोडल एजेंसी है जो खाद्यान्नों की खुली खरीद, वितरण और भंडारण करता है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ), सीडब्ल्यूसी और एसएफसी वे केन्द्रीय नोडल एजेंसियां हैं जो मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत तिलहन और दालों की खरीद तक करती हैं जब इन वस्तुओं की बाजार दरें एमएसपी से नीचे गिर जाती हैं। तथापि चावल और गेहूं के लिए ये अधिप्राप्ति आपरेशन अत्यधिक सफल पाए गए हैं; वह भी महज कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में।

8.69 अधिप्राप्ति एवं सार्वजनिक वितरण (पीडीएस) में दक्षता बढ़ाने और स्थानीय किसानों को एमएसपी का लाभ प्रदान करने के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्कीम (डीसीपी) धान के लिए अपनाई गई है: पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, केरल और बिहार; 10 जिलों में केएमएस 2013-14 में आंध्र प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार ने गेहूं के लिए डीसीपी को अपनाया है और राजस्थान ने आरएमएस को 2013-14 से केवल अलवर जिले में अपनाया है।

भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत

8.70 खाद्यान्नों की आर्थिक लागत जिसमें एमएसपी (और केन्द्रीय बोनस, यदि प्रयोज्य हो), अधिप्राप्ति संबंधी आकस्मिक व्यय और वितरण की लागत शामिल है, पिछले कुछ वर्षों में काफी अधिक बढ़ गई है। यह वृद्धि न केवल एमएसपी में वृद्धि अपितु अत्यधिक अधिप्राप्ति और आकस्मिक व्यय के कारण हुई है: इस प्रकार यह दर्शाता है कि भारतीय खाद्य निगम को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है (रेखाचित्र 8.6)।



खरीद नीति केवल चावल व गेहूं के लिए और केवल कुछ राज्यों में ही प्रभावी है।

भारतीय खाद्य निगम के कार्य बड़े पैमाने की किरायतों से प्रभावित हैं।

आकृति 8.6 : चावल व गेहूं की खरीद व आर्थिक मूल्य 2009-10 से 2013-14

स्रोत : खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी)

नोट : इसमें कृषि और सहबद्ध व समुद्री उत्पाद शामिल हैं।

कृषि और खाद्य प्रबंधन

8.71 अत्यधिक अधिप्राप्ति करने से भंडारण करना पड़ता है जो बफर मानदंडों (सारणी 8.10) से अधिक हो जाता है जिसे एफसीआई को अगले वर्ष के स्टॉक में शामिल करना पड़ता है। भंडारों का अव-इष्टतम प्रबंधन किए जाने से आर्थिक संसाधनों का अपव्यय होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (बॉक्स 8.5) के पारित हो जाने से एफसीआई के आपरेशनों को सुप्रवाही बनाए जाने की आवश्यकता है।

खाद्य भंडारों के अव-इष्टतम प्रबंधन के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों की बरबादी होती है।

वस्तु	स्टाक 01 जून के अनुसार		बफर-मानदण्ड	
	2013	2014#	1 अप्रैल के अनुसार	1 जुलाई के अनुसार
चावल	33.31	20.65	14.20	11.80
चावल के संदर्भ में मशीन में न कुटी धान		7.61		
गेहूँ	44.39	41.58	7.00	20.10
जोड़	77.70	69.84	21.20	31.90

सारणी 8.9 : खाद्यान्न का स्टॉक एवं बफर मानक (मिलियन टन)

स्रोत : खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

टिप्पणी: # सितम्बर 2013 से एफसीआई, चावल के संदर्भ में एफसीआई तथा राज्य एजेंसियों के पास चावल तथा मशीन में कुटी धान के पृथक आंकड़े देता है।

भंडारण क्षमता

8.72 खाद्यान्नों के केन्द्रीय स्टॉक के भंडारण के लिए राज्यीय एजेंसियों की भंडारण क्षमता, कवर्ड और कवर एंड प्लिंथ (सीएपी) दोनों, दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 34.14 मीट्रिक टन से बढ़कर दिनांक 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार 36.68 मीट्रिक टन हो गई। एफसीआई और राज्यीय एजेंसियों की कुल भंडारण क्षमता 74.35 मीट्रिक टन है। 19 राज्यों में 20.4 मीट्रिक टन की कुल क्षमता वाले गोदामों का निर्माण कार्य निजी उद्यमी (पीईजी) स्कीम के तहत अनुमोदित किया गया। वर्ष 2013-14 के अंत तक इस स्कीम के तहत 12.00 मीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया जा चुका था जिससे कवर्ड गोदाम के स्थान की कमी को कुछ हर तक पूरा कर लिया जाएगा।

बॉक्स 8.5 : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)


सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणता के भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करके खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 10 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। इसमें प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किग्रा खाद्यान्न और अत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों के लिए 3 रुपए प्रति किग्रा चावल, 2 रुपए प्रति किग्रा गेहूँ और 1 रुपए प्रति किग्रा मोटे अनाज की आर्थिक सहायता प्राप्त कीमतों पर प्रत्येक परिवार 35 किग्रा खाद्यान्नों का हकदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवारों की पहचान का कार्य जुलाई, 2014 तक पूरा करना है। अभी तक 11 राज्यों अर्थात् राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वित कर दिया है और इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का मासिक संशोधित टीपीडीएस आवंटन कर दिया गया है। पिछले मानदंडों के अनुसार शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टीपीडीएस के तहत आवंटन कर दिया गया है।

इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों को पोषाहार संबंधी सहायता दिए जाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएं और गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे का जन्म देने के पश्चात् 6 माह तक स्तनपान कराने वाली माताएं कम से कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार होंगी। निर्धारित पोषाहार मानकों के अनुसार, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे पौष्टिक आहार अथवा राशन घर ले जाने के हकदार होंगे। अधिकृत खाद्यान्न अथवा आहार की आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना किए जाने के लिए भी प्रावधान हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में अलग से प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम में टीपीडीएस में सुधार के उपाय भी दिए गए हैं जो केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किए जाएंगे। इन सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, खाद्यान्नों को टीपीडीएस दुकानों तक पहुंचाया जाना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के प्रयोग और विगत कुछ समय में टीपीडीएस के तहत वितरित वस्तुओं का विविधिकरण शामिल है। इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर, टीपीडीएस और अन्य स्कीमों के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता 614.3 लाख टन आंकी गई है। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान गेहूँ और चावल की औसत वार्षिक अधिप्राप्ति 617.8 लाख टन अर्थात् औसत वार्षिक उत्पादन का 33.2% रही है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित वार्षिक खाद्य आर्थिक सहायता 2014-15 की लागतों पर लगभग 1,31,066 करोड़ रुपए है।


स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

खाद्यान्नों का आबंटन और खरीद

8.73 एनएफएस का कार्यान्वयन हो जाने से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) के तहत व्याप्ति 36 प्रतिशत बढ़कर आबादी की लगभग दो-तिहाई (बॉक्स 8.5) हो गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान, 44.5 मीट्रिक टन खाद्यान्नों का आबंटन टीपीडीएस के तहत किया गया था जबकि अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के तहत 5.0 मीट्रिक टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया था। खुले बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त आबंटन, अधिशेष खाद्यान्नों की खरीद के लिए किया गया था। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सितंबर, 2013 में 50 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन बीपीएल के निर्गम मूल्य पर अतिरिक्त बीपीएल परिवारों को 31 मार्च, 2014 तक किए जाने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, 14.58 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन राज्यों को त्योंहारों, आपदा राहत आदि के लिए किया गया था।



चित्र 8.7 (क) : 2002-03 से 2013-14 तक चावल का एमएसपी, आर्थिक लागत एवं केंद्रीय निर्गम कीमतें (₹. प्रति क्विंटल)



चित्र 8.7 (ख) : 2002-03 से 2013-14 तक गेहूँ का एमएसपी, आर्थिक लागत एवं केंद्रीय निर्गम कीमतें (₹. प्रति क्विंटल)

स्रोत: डीएफपीडी

8.74 पीडीएस से संबंधित मूल समस्या सीआईपी का निर्धारण करना है। ऐतिहासिक रूप से सीआईपी बाजार मूल्य के अनुरूप थीं। सीआईपी में वर्ष 2000 से बीपीएल और एएवाई परिवारों के लिए और एपीएल परिवारों के लिए जुलाई, 2002 से अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है यद्यपि वर्ष 2002-03 [आंकड़ा 8.7(क) तथा (ख)] की तुलना में आर्थिक लागत वर्ष 2013-14 में 127% से अधिक हो गई हैं। इस अंतर से नुकसान तथा सब्सिडी हुंडी में वृद्धि हुई है और मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला है।

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू)

8.75 केन्द्र सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) खाद्यान्नों की बाजार आपूर्ति बढ़ाने के लिए समय-समय पर पूर्वनिर्धारित कीमतों/आरक्षित कीमतों पर गेहूँ और चावल की खरीद करता है ताकि खुली बाजार कीमतों में नरमी लाई जा सके और अधिशेष स्टॉक कम किया जा सके। खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [ओएमएसएस(डी)] के तहत वर्ष 2013-14 के दौरान पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए 1500 रुपए प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर थोक


उपभोक्ताओं/छोटे निजी व्यापारियों को निविदा बिक्री के लिए 95 लाख टन गेहूं और राज्यों/संघ क्षेत्रों/सहकारी समितियों के माध्यम से खुदरा बिक्री के लिए 5 लाख टन गेहूं का और लुधियाना से अन्य राज्यों की राजधानियों तक भाड़े सहित आरक्षित मूल्य पर आबंटन किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से खुदरा बिक्री के लिए 5 लाख टन चावल का भी आबंटन किया गया था। इन आबंटनों में से 57.97 लाख टन गेहूं निविदाओं के माध्यम से थोक उपभोक्ताओं/निविदादाताओं को बेच दिया गया था। सामान्यतः खुला बाजार बिक्री योजना की कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि मूल्यों का निर्धारण एमएसपी से अधिक है जो उच्च खाद्य मुद्रा स्फीति की अवधियों के दौरान अनुचित प्रतीत होती है।

खाद्य आर्थिक सहायता

8.76 सरकार गरीबों को आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्नों के माध्यम से न्यूनतम पोषाहार दिए जाने के प्रावधान के अपने दायित्व को पूरा करने और विभिन्न राज्यों में कीमत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सब्सिडी प्रदान करती है। आर्थिक लागत और सीआईपी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता आर्थिक सहायता है जिसकी प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को कर दी जाती है। विगत कुछ वर्षों में खाद्य आर्थिक सहायता (चित्र 8.8) में काफी अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 (संशोधित प्राक्कलन) में खाद्य आर्थिक सहायता 92,000 करोड़ रुपए थी।

8.77 इसके अतिरिक्त यद्यपि, खाद्य सुरक्षा का केन्द्रीय मुद्दा खाद्यान्न है, फिर भी अन्नों से लेकर प्रोटीन युक्त मर्दों के लिए की जा रही विभिन्न प्रकार की मांगों पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता व्यय संबंधी भारत में गृहस्थ उपभोक्ता

खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर बदलते हुए खपत पैटर्न को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।



चित्र 8.8 : खाद्य सब्सिडी: परिणाम एवं स.घ. उ. के प्रतिशत के रूप में (वर्तमान कीमतों पर) 2007-08 से 2013-14 (सं.अ.)

स्रोत: डीएफपीडी

व्यय के मुख्य संकेतक, 2011-12 (एनएसएसओ 2013) के अनुसार, वर्ष 1993-94 और 2011-12 की अवधि के बीच अनाजों पर कुल उपभोक्ता व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 24.2% से घटकर 12% और शहरी क्षेत्रों में 14% से घटकर 7.3% रह गया।

संभावनाएं और चुनौतियां

8.78 खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारतीय कृषि की सतत् मजबूती महत्वपूर्ण है, फिर भी कुछ प्रमुख चिंताएं बरकरार हैं। उत्पादकता की विकास दर वैश्विक मानकों से काफी कम है; 1980 के दशक से हरित क्रांति के उपरांत गेहूं व चावल के उत्पादकता स्तरों में गिरावट आई है। एक अन्य मुद्दा गिरती-उर्वरक उपयोग दक्षता के कारण मृदा का हास है। जबकि यूरियो को एनबीएस नीति के दायरे में लाने की जरूरत है, उर्वरक सब्सिडी को सीधे किसानों को हस्तांतरित करने के लिए नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण हेतु कार्यदल की संस्तुति पर प्राथमिकता देकर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

8.79 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन के संबंध में ऐसे सरकारी हस्तक्षेपों की अधिकता जिन्हें विपणन बाजार के निर्माण के लिए प्रयोग किया गया था, वास्तव

में व्यापार में बाधक का कार्य करते हैं। बाजार की विकृतियों को दूर करने से बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा आएगी एवं कुशलता व विकास प्रोत्साहित होगा और राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने में आसानी होगी। यद्यपि कृषि बाजार एक पूर्ण प्रतियोगी संरचना बनने के लिए पूरी तरह से स्वयं में परिवर्तनशील नहीं है, तो भी प्रतिस्पर्धी बाजार की इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि कृषि आधारित उद्योगों व सेवाओं की बाद में आवश्यकता होती, अतः खेत से प्लेट की आसान मूल्य श्रृंखला के रूप में समग्र समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है जिसमें निर्यात सहित खेती, थोक बिक्री, गोदाम, लाजिस्टिक्स और प्रसंस्करण शामिल हैं। राष्ट्रीय साझा बाजार स्थापित करने के लिए कुछ सुधार जरूरी हैं:-

- (i) एपीएमसी अधिनियम, ईसी अधिनियम, भूमि किरायदारी अधिनियम व वैधानिक तौर पर सृजित ऐसी संरचनाओं की जांच करना जिनके प्रावधान प्रतिबंधात्मक है और मुक्त व्यापार में बाध डालते हैं।
- (ii) वैकल्पिक विपणन उपायों जैसे प्रत्यक्ष विपणन और ठेका खेती का कठोरता से अनुसरण।
- (iii) सामान्य वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के तहत कृषि संबद्ध करों के समावेश की जांच।
- (iv) गैर टेरिफ व्यापार बाधाओं की बजाय टेरिफ हस्तक्षेपों पर आधारित स्थायी व्यापार नीति बनाना।
- (v) कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा विकसित व शुरू करना। निवेश में बढ़ोतरी के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।

8.80 कृषि क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण गरीबी उपशमन, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और ग्रामवासियों की आय में बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल गृहस्थों में से 10.4% घर की मुखिया महिलाएं हैं (जनगणना, 2011), कृषि क्षेत्र के सभी पहलुओं में महिलाओं द्वारा निभाई जा रही उत्पादक भूमिका के मद्देनजर नीतियों, पैकेज प्रौद्योगिकियों व सेवाओं का निर्माण करना आवश्यक है। ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों के अनुभव से पता चलता है कि गरीबी घटाने में कृषि में 1% वृद्धि गैर कृषि क्षेत्रों में होने वाली उतनी ही वृद्धि की तुलना में दुगुना से तीन गुना अधिक प्रभावी है।

8.81 वर्तमान में, भारत एक ओर जहां अत्यधिक खाद्य स्टॉक के चलते आत्मनिर्भर है तो वहीं दूसरी ओर ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति दर्ज होने की अजीबो गरीब स्थिति भी बनी हुई है, जो सरकार के एकमात्र सबसे बड़ा खरीदार बनने की वजह से है। बंपर उत्पादन और स्टॉक के इस परिदृश्य में खाद्य उत्पादन व वितरण के सभी पहलुओं से सरकार का क्रमिक रूप से पार्थक्य आवश्यक है।

8.82 चूंकि भारतीय खाद्य निगम को बड़े पैमाने पर आर्थिक हानि हो रही है, सभी राज्यों द्वारा डीसीपी का अपनाया जाना आवश्यक हो गया है। इससे परिवहन लागत, परिवहन हानि व अन्य नुकसान में बचत होगी; और इसी के साथ, खाद्य उपलब्धता बढ़ेगी, खुले बाजार में खाद्य मूल्यों में कमी आएगी व अंततः खाद्य सब्सिडी कम होगी। चावल, गेहूं की खरीद व वितरण पर लगातार जोर जमीनी हकीकत के विपरीत है, जो उपभोक्ताओं के परिवर्तित हो रहे पसंद संबंधी प्रकार्यों को दर्शाती है। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रणाली अथवा खाद्य स्टॉप से हमारी खाद्य नीति लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी, साथ ही इससे वित्तीय घाटे में कमी भी आएगी।

8.83 इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि एल निनों के संबंध में चेतावनी का कोई कारण नहीं है क्योंकि भारत में खाद्यान्न उपलब्धता की स्थिति काफी अच्छी है और घरेलू उत्पादन में रिकार्ड कायम करने के साथ-साथ केंद्रीय पूल में काफी अधिक स्टॉक है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने जून 2014 के अपने अनाज आपूर्ति विभाग सार में 2014-15 के लिए उपयोग हेतु खाद्यान्नों के विशाल स्टॉक व स्थिर मूल्य अनुपात के संतोषजनक वैश्विक परिदृश्य का पूर्वानुमान लगाया है।

मुख्य चुनौतियों में शामिल हैं— कम उत्पादकता स्तर; उर्वरक उपयोग से गुणवत्ता में गिरावट के कारण मुद्रा की कोटि का निम्नीकरण राष्ट्रीय साझा बाजार के सृजन न होने देने के उत्तरदायी बाजार के निश्चय वर्णन, पुष्कल उत्पादन और भंडारों के वर्तमान संदर्भ में उत्पादन एवं वितरण में सरकार की बदलती भूमिका; उर्वरक एवं खाद्य सब्सिडियों के प्रत्यक्ष अंतरण को चरणबद्ध ढंग से लागू करना।

अलनिनों प्रभाव की वजह से भय का कोई कारण प्रतीत नहीं होता क्योंकि भारत की स्थिति उल्लेखनीय घरेलू उत्पादन एवं केंद्रीय पूल में भारी स्टॉक होने के साथ खाद्यान्न उपलब्धता में खूब अच्छी है।


अध्याय 9

औद्योगिक कार्य-निष्पादन

वर्ष 2008-09 के पश्चात, औद्योगिक क्षेत्र जिसमें विनिर्माण, उत्पादन खनन, बिजली और निर्माण शामिल हैं, ने तीन वर्ष तक आश्चर्यजनक पुनरुद्धार और निरन्तर विकास दिखाया, लेकिन आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष के अवरोधों के मिले-जुले असर के कारण इसने अपनी गति खो दी। वर्ष 2013-14 में औद्योगिक कार्य-निष्पादन लगातार दूसरे वर्ष भी पिछड़ा रहा। सकल घरेलू उत्पाद के अद्यतन अनुमान यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2012-13 में औद्योगिक विकास में केवल 1.0% की बढ़ोतरी हुई और यह 2013-14 में और अधिक मन्दा हो गया तथा इसने 0.4% की थोड़ी ही वृद्धि दर्शाई। हालांकि वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एसआई) के आंकड़े प्राप्त होने पर इन आंकड़ों में वृद्धि संभव है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि औद्योगिक विकास की बहाली में लम्बा समय लगेगा तथा हाल ही में प्राप्त सर्वोच्च विकास तक पहुंचने के लिए कड़ी पहलें करनी पड़ेगी। इसके अलावा, शेष तीन वर्षों में बारहवीं योजना के विनिर्माण क्षेत्र के 10% का तथा खनन क्षेत्र के 5.7% का अनुमानित लक्ष्य प्राप्त करना कठिन कार्य होगा।

9.2 औद्योगिक कार्य-निष्पादन का क्षेत्र-वार विश्लेषण यह दर्शाता है कि (आकृति 9.1) कम कार्य-निष्पादन के मुख्य कारण हैं— खनन क्रियाकलापों में कमी तथा उत्पादन निर्गत की मन्द गति। उत्पादन और खनन क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद, वर्ष 2013-14 में कम होकर क्रमशः 0.7% तथा 1.4% रह गया। इन दो क्षेत्रों के कम कार्य-निष्पादन का मुख्य कारण, विशेषतः 2011-12 और 2012-13 में गैर-सरकारी कारपोरेट जगत द्वारा निवेश में मन्दी रही है, ऐसा रुझान जो कि लगातार चल रहा है, क्योंकि समग्र सकल निर्धारित पूंजीगत गठन में, वर्ष 2013-14 के दौरान और कमी आई है। पंजीकृत उत्पादन क्रियाकलाप, उत्पादन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं तथा शेष एक तिहाई, गैर पंजीकृत उत्पादन क्रियाकलाप है। यह देखा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में गैर पंजीकृत उत्पादन

खनन कार्यों में ठेका दिये जाने और उत्पादन के परिणामों में गिरावट आने जैसे कुछ प्रमुख कारण हैं जिनसे कार्य निष्पादन की स्थिति खराब रही है।



चित्र 9.1 : औद्योगिक जीडीपी की क्षेत्रवार वृद्धि (प्रतिशत)

का हिस्सा समय के साथ कम हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में पंजीकृत उत्पादन का हिस्सा वर्ष 2004-05 से वर्ष 2012-13 में 9.8% से बढ़कर 11.2% हो गया है जबकि अपंजीकृत उत्पादन का हिस्सा वर्ष 2004-05 से वर्ष 2012-13 में 5.4% से कम होकर 4.5% हो गया है।

9.3 इसके अलावा निर्माण क्रियाकलापों में मंदी के कारण इस्पात और सीमेन्ट क्षेत्र में क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाया है। इस्पात और सीमेन्ट की खपत, 2013-14 में क्रमशः 0.6% तथा 3% बढ़ गई। 2001-02 से पहली बार, वर्ष के दौरान डीजल की खपत 0.3% कम हुई। मांग-पक्ष के अवरोधों तथा अन्य कारणों के कारण पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता क्षेत्र के निर्गत में कमी आई। दो प्रमुख उत्पादक उप क्षेत्र जिन्होंने पूर्व में निरंतर विकास दर दिखाई थी; अर्थात् ओटोमोटिव और निर्यातोन्मुखी रत्न और आभूषण क्षेत्र ने वर्ष 2013-14 के दौरान नकारात्मक विकास दर दिखाई। वर्ष 2013-14 की सकारात्मक मुख्य बातें थीं, वस्त्र और इलेक्ट्रिक उपस्कर तथा विद्युत पैदा करने में बहुत अधिक विकास, जो कि ईंधन की आपूर्ति की अड़चनों के क्रम में क्षमता के कम प्रयोग किए जाने के कारण नहीं था।

9.4 नीचे दिए गए क्षेत्रों में, औद्योगिक उत्पादन आकलन की अद्यतन सूची के आधार पर मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन की जांच पड़ताल की जाती है। आई.आई.पी. आधारित आकलन, औद्योगिक कार्य-निष्पादन के तुरन्त आकलन के लिए है तथा इनका सीजन के अनुसार समायोजन नहीं किया जा सकता, अतः ये आंकड़े, उतार-चढ़ाव और कलैन्डर के प्रभावों को नजरअन्दाज करते हैं इन अनुमानों की वार्षिक ए.एस.आई. आधारित आकलनों अथवा मासिक एच.एस.बी.सी. इण्डिया उत्पादन खरीद प्रबन्धक सूचकांकों से तुलना नहीं की जा सकती।

आई.आई.पी. आधारित औद्योगिक कार्य-निष्पादन

खनन और विद्युत

9.5 खनन क्षेत्र का निर्गत, तीसरे लगातार वर्ष अर्थात् 2013-14 में कम होकर 0.6% रह गया। देश में खनिज उत्पादन (परमाणु और छोटे खनिजों के अलावा) की कुल कीमत में से कोयला और लिग्नाइट, कच्चा पेट्रोलियम, लौह अयस्क और प्राकृतिक गैस (प्रयोग की जाने वाली) का आंकलित अंशदान लगभग 92% है। पिछले तीन वर्ष में खनिज सूचकांक में कमी, इन सभी खनिजों में कम उत्पादन के कारण हुई है। कोल का अंश, खनन क्षेत्र का लगभग 41% है तथा इसके उत्पादन में वृद्धि, अध्याय 11 में विस्तृत में चर्चा किए गए संरचनात्मक मुद्दों के कारण आशा से कम रही है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में, के.जी. 6 बेसिन से उत्पादन कम होने के कारण कमी आई है। न्यायालय के आदेश के कारण कुछ हिस्सों में लौह अयस्क के निर्गत में कमी आई है। लौह अयस्क खनन की पुनः अनुमति दे दी गई है लेकिन लौह-अयस्क की वैश्विक कीमतें 2011 के शीर्ष से काफी कम हुई है। पिछले वर्ष की दर्ज 4% विकास दर की तुलना में 2013-14 में विद्युत उत्पादन में 6.1% वृद्धि हुई। विद्युत उत्पादन में पिछले वर्षों में क्षमता बढ़ाए जाने के कारण विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है।

मांग की ओर से पैदा होने वाली अड़चनों तथा साथ ही कुछ अन्य कारकों के कारण पूंजीगत माल के उत्पादन में और टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्र में संकुचन आया है।

पिछले तीन वर्षों में खनिज सूचकांक में संकुचन आने का मुख्य कारण यह है कि कोयला, लिग्नाइट, कच्चा पेट्रोलियम, लौह अयस्क और प्राकृतिक गैसों में उत्पादन या तो कम या साधारण रहा है।

विनिर्माण

9.6 जैसा कि पैरा 9.2 में उल्लिखित है, औद्योगिक विकास में कमी, उत्पादन की रफ्तार में कमी के कारण हुई है क्योंकि यह औद्योगिक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% हिस्सा है। निर्धारित निवेश में मंदी के अतिरिक्त कई घरेलू और आंतरिक कारकों जैसे कि ऊंची ब्याज दर आधारभूत संरचना की अड़चनें, मुद्रा स्फीति दबाव जिनसे आगत लागत बढ़ती है, कुछ क्षेत्रों के लिए घरेलू और बाहरी में कमी, ने मिलकर उत्पादन क्षेत्र में कम विकास में योगदान दिया है। इसके विपरीत विश्व उत्पादन, 2013-14 में सुदृढ़ हो गया। भारत और वैश्विक निर्माण उत्पादन के बीच भिन्न कार्य-निष्पादन का सम्भव कारण है, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में मोटर वाहनों जैसी उपभोक्ता मदों की मांग में वृद्धि। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र सूचकांक पिछले वर्ष की 2% की विकास दर की तुलना में 2013-14 में 12.2% कम हो गया। उपभोक्ता मद क्षेत्र, विशेषतः भारत में ओटोमेटिव क्षेत्र में सीमित घरेलू बाजार से प्रभावित होता है जिससे न्यून प्रति व्यक्ति आय होती है। आई.आई.पी. की उपभोक्ता बास्केट की मुख्य मुद्दे जिनमें 2013-14 के दौरान गिरावट आई, वे हैं—रत्न और आभूषण, यात्री कारों, रंगीन टीवी सैट, और टेलीफोन सैट। रत्न और आभूषण क्षेत्र पर, सोने के सीमित आयात के कारण प्रभाव पड़ा। गैर-उपभोग वस्तु क्षेत्र सूचकांक, पिछले वर्ष दर्ज 2.8% की बढ़ोतरी की तुलना में 2013-14 में 5% बढ़ा। खाद्य पदार्थ उप समूह सूचकांक, जिसमें मुख्यतः गैर उपभोग उत्पाद शामिल हैं, 2013-14 में चीनी में 8.2% कमी होने के कारण 1.1% कम हो गया। माध्यस्थ वस्तु सूचकांक में पिछले वित्त वर्ष की 1.6% की तुलना में वर्ष 2013-14 में 3.1% बढ़ोतरी दर्शाता है। आधारभूत वस्तुओं का कार्य-निष्पादन, पिछले वर्ष के अनुसार लगभग बराबर रहा।

पूंजीगत वस्तुएं

9.7 आई.आई.पी. आकलन का, प्रयोग आधारित औद्योगिक वर्गीकरण, पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र को, उत्पादन क्षेत्र में कमजोर कार्य-निष्पादक के रूप में परिभाषित करता है। पूंजीगत वस्तुओं का सूचकांक 2012-13 में 6% कम हो गया तथा 2013-14 में और 3.6% कम हो गया। तालिका (9.2)। यह क्षेत्र पिछले तीन वर्ष में निर्धारित निवेश की धीमी रफ्तार से प्रभावित हुआ है। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी गति तथा नई परियोजनाओं की संख्या में कमी ने वैश्विक पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। तैयार किए जाने वाले धातु के उत्पाद मशीनरी और उपस्कर और वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र, मंदी के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान, वाणिज्यिक वाहन उत्पादन में 16% की कमी आई। पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र के भीतर केवल इलैक्ट्रिकल मशीनरी में, वर्ष 2012-13 के 0.6% की तुलना में वर्ष 2013-14 में 14.5% विकास दर दर्ज की गई है। भारतीय पूंजीगत वस्तुओं के निम्नतर कार्य निष्पादन के मुकाबले, वैश्विक कार्य निष्पादन बहुत अधिक है। हाल ही के वर्षों में वैश्विक रूप से अत्यधिक तीव्र विकास वाले 5 उत्पादन क्षेत्र रहे हैं अर्थात् (i) आधारभूत धातु (ii) रेडियो, टी.वी. और संचार के उपस्कर (iii) कार्यालयी लेखा और गणन यान्त्रिकी (iv) इलैक्ट्रिकल मशीनरी और एपरेटस, और (v) परिवहन। चिंता की एक दूसरी बात यह है कि आर्थिक मंदी और रुपये के अवमूल्यन से वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान के दौरान पूंजी गत माल के आयात में अचानक गिरावट आ गई है। पिछले दोनों वित्तीय वर्षों में मशीनरी, इलैक्ट्रिकल मशीनरी, परिवहन सामानों और इलैक्ट्रानिक सामानों के आयात में गिरावट का रुख

सावधि निवेश में आई मंदी के अलावा ऐसे कई घरेलू और बाहरी कारण हैं, जैसे कि ब्याज की ऊंची दर, अवसरचलात्मक अवरोध, मुद्रास्फीति का दबाव, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, कुछ क्षेत्रों में घरेलू और बाहरी मांग में कमी जिनके एक साथ हो जाने से विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर कम हुई।

(प्रतिशत)

विस्तृत क्षेत्र	भार	2012.13	2013.14
खनन	14.2	-2.3	-0.6
विनिर्माण	75.5	1.3	-0.8
विद्युत	10.3	4.0	6.1
उपयोग आधारित वर्गीकरण			
आधारभूत माल	45.7	2.4	2.1
पूंजीगत माल	8.8	-6.0	-3.6
मध्यवर्ती माल	15.7	1.6	3.1
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	84.6	2.0	-12.2
उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं	213.5	2.8	5.0
सामान्य सूचकांक			
साधारण तालिका	100.0	1.1	-0.1

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

सारणी 9.1 : विस्तृत क्षेत्र की आईआईपी आधारित वृद्धि दर/उपयोग आधारित वर्गीकरण

आईआईपी आकलनों के उपयोग आधारित वर्गीकरण से पता चलता है कि विनिर्माण के क्षेत्र में पूंजीगत माल की स्थिति खराब रही है।

(प्रतिशत)

	2012-13	2013-14
फेब्रिकेटेड धातु उत्पाद	-4.7	-6.9
मशीनरी व उपकरण	-4.7	-4.7
कार्यालय लेखा और संगठन मशीनरी	-13.9	-15.7
विद्युत मशीनरी	0.6	14.5
मोटर वाहन आदि	-5.3	-9.6
अन्य परिवहन उपकरण	-0.1	5.9
पूंजीगत माल	-6.0	-3.6
विनिर्माण	1.3	-0.8

स्रोत: सीएसओ

सारणी 9.2 : पूंजीगत क्षेत्र और इसके घटकों की आईआईपी आधारित वृद्धि दर

रहा है। पूंजीगत माल का आयात 2012-13 में 3.4 प्रतिशत और 2013-14 में 14.7 प्रतिशत कम रहा है।

आठ प्रमुख उद्योगों का निष्पादन

9.8 आईआईपी बास्केट में आने वाले उद्योगों में से आठ प्रमुख उद्योगों- जैसे कि कोयला, उर्वरक, विद्युत, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इस्पात और सीमेंट जोकि महत्वपूर्ण (कोर) प्रकृति के होते हैं क्योंकि सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों के साथ-साथ अन्य उद्योगों पर जिनका प्रभाव पड़ता है - का एक संकेतात्मक मासिक सूचकांक तैयार किया जाता है जो कि संबंधित मास के अंतिम उत्पादन सूचकांकों पर आधारित होता है।

9.9 इन आठों प्रमुख उद्योगों की औसत वृद्धि दर 2011-12 में 5.0 प्रतिशत और 2012-13 में 6.5 प्रतिशत थी। इन आठ उद्योगों का सूचकांक में वर्ष 2013-14 के दौरान केवल 2.7% की वृद्धि हुई है इसमें जो मामूली वृद्धि हुई है उसका मुख्य कारण यह है कि प्राकृतिक गैस (-13.0%) और कच्चे तेल (-0.2%) की नाकारात्मक वृद्धि देखी गई है तथा कोयला (0.7%), उर्वरक (1.5%) और रिफाइनरी उत्पादों (1.7%) में वृद्धि दर बहुत कम रही है।

कार्पोरेट सेक्टर की प्रगति

9.10 लगातार चल रही मंदी का कार्पोरेट सेक्टर के कामकाज पर भी असर पड़ा है। जहां एक ओर कार्पोरेट सेक्टर के ऋण स्तर में बढ़ोतरी हुई है, वहीं इसके अर्जन और लाभप्रदता पर दबाव देखने में आया है, जिससे ऋण कवरेज का अनुपात बढ़ गया है। इसका आंशिक रूप से बैंकिंग क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा है और गैर कामकाज वाली परिसंपत्तियों में सहवर्ती वृद्धि हुई है। कार्पोरेट क्षेत्र, विशेषकर निजी क्षेत्र की सूची में शामिल विनिर्माता कंपनियों के मामले में, की विक्री में बहुत गिरावट आयी है जो कि 2011-12 के प्रथम तिमाही के 25.3 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 के चौथी तिमाही में 5 प्रतिशत तक हो गई है। (चित्र 9.2), ये वे अंतिम तिमाही हैं जिनके तुलनात्मक आंकड़ों का सेट उपलब्ध है।



हालांकि कार्पोरेट क्षेत्र के ऋण में बढ़ोतरी हुई है, वहीं आय और लाभ पर दबाव बना हुआ है जिसके कारण “डेट कवरेज” अनुपात बढ़ गया है। इससे बैंकिंग क्षेत्र पर भी अंशतः प्रभाव पड़ा है और अनर्जक अस्तियों में वृद्धि हुई है।

चित्र 9.2 : निजी क्षेत्र की सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों का निष्पादन

9.11 सकल व्यय की वृद्धि दर 2011-12 के प्रथम तिमाही के 25.2 प्रतिशत से घटकर 2013-14 की चौथी तिमाही में 5.5 प्रतिशत हो गयी है। ऐसा मुख्य रूप से कच्चे माल और स्टाफ लागत में कम वृद्धि दर के कारण हुआ है। व्याज व्यय की वृद्धि में वर्ष दर वर्ष गिरावट आयी है जोकि वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही के 42.8 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 की चौथी तिमाही में 10.5 प्रतिशत हो गयी है। मूल्य शक्ति, जिसे लाभांश के रूप में देखा जाता है, 2011-12 की दूसरी तिमाही में कम रही है। निवल लाभ और विक्री का अनुपात पिछले तीन सालों (अर्थात् 2011-12 से 2013-14 में) 5-6 प्रतिशत रहा है। 2013-14 की दूसरी तिमाही में यह तेजी से कम हुआ था। उसके बाद 2013-14 की तीसरी तिमाही में इसमें सुधार आया है।

9.12 क्षमता उपयोग, जिसका मापन भारतीय रिजर्व बैंक के आर्डर बुक्स, 24वें दौर इन्वेन्टरीज एण्ड कैपसिटी युटिलाइजेशन सर्वे (ओबीआईसीयूएस) के द्वारा, जैसा कि मापन किया गया है, वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में लगभग एक जैसा ही रहा है। यद्यपि वर्तमान क्षमता उपयोग का स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि के स्तर की तुलना में कम रहा है फिर भी नये आर्डर्स में वर्ष दर वर्ष की तरह तिमाही दर तिमाही में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। अंतिम रूप से निर्मित माल इन्वेन्टरी और विक्री का अनुपात पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में वर्ष 2013-14 की तिमाही में कम रहा है।

बाक्स 9.1 : राष्ट्रीय विनिर्माण नीति और औद्योगिक कोरिडोरों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति

भारत सरकार ने 4 नवम्बर, 2011 के एक प्रेस नोट के माध्यम से एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) को अधिसूचित कर दिया है जिसका उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के हिस्से को बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक करना और एक दशक में लगभग 100 मिलियन रोजगार पैदा करना है। इस नीति में मुख्यतया ऐसे उद्योगों पर जोर दिया गया है जो रोजगार के प्रति संवेदनशील हैं और विनम्र पूंजीगत माल का उत्पादन होता है, जिनका रणनीतिक महत्व है और जिसमें भारत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता है। ये उद्योग छोटे और मध्यम उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के अलावा हैं। इस राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोनों (एनआईएमजेड) का सृजन करके सामूहिककरण को बढ़ावा दिया जाता है। वर्ष 2013-14 तक 16 निम्न घोषित किये जा चुके हैं। इनमें से आठ दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) में हैं। आठ अन्य एनआईएमजेड को सिद्धांत रूप में अनुमोदन दिया गया है जो कि इस प्रकार हैं- (I) महाराष्ट्र में नागपुर, (II) आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर, (III) आन्ध्र प्रदेश (अब तेलंगाना) में मेढक, (IV) आन्ध्र प्रदेश में प्रकाशम, (V) कर्नाटक में तुमकर, (VI) कर्नाटक में कोलार (VII) कर्नाटक में बीदर और (VIII) कर्नाटक में गुलबर्गा

(i) दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी)

डीएमआईसी को दिसम्बर 2006 में भारत सरकार और जापान सरकार के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन के अनुपालन में प्रारम्भ किया गया है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में और महाराष्ट्र में चल रही है। साथ ही साथ इसको रेलवे के वेस्टर्न डेडीकेटेड, फ्रेट कोरिडोर (डीएफसी) के साथ-साथ भी चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य जिससे की डीएफसी के साथ सम्बन्धा स्थापित हो सके और एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार किय जा सके जिसमें विश्व स्तरी प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण हो और अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हों ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके और सतत् विकास हासिल हो सके। 2008 में स्थापित, डीएमआईसी डेवलेपमेंट कारपोरेशन डीएमआईसीडीसी इस परियोजना को लागू करने वाला अधिकरण है। जापानी सरकार ने पहले चरण में इस योजना के लिए 4.5 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकी सहायता भी निहित है, देने की भी घोषणा की है। सभी क्षेत्रों के लिए, केवल उत्तर प्रदेश क्षेत्र की ददरी नोयडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट जोन को छोड़कर, मास्टर प्लान को पूरा कर लिया गया है तथा राज्य सरकारों से सहमति ले ली गई है। नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ प्रारंभिक 40 परियोजनाओं की विभिन्न राज्यों में विकास के विभिन्न स्तरों को मॉडल पहलकदमी के लिए, पहचान की गई है। डीएमआईसी ट्रस्ट ने नौ परियोजनाओं पर निवेश का निर्णय लिया है तथा डीएमआईसीडीसी द्वारा पहले ही इस कार्य को पूरा करने का कार्य चल रहा है।

(ii) चैन्नई- बंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी)

चैन्नई- बंगलुरु - चित्रदुर्गा इंडस्ट्रियल कोरिडोर (लगभग 560 कि.मी.) से कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य लाभान्वित होंगे। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंजेंसी (जेआईसीए) स्टडी टीम ने चैन्नई-बंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर के लिए व्यापक एकीकृत मास्टर प्लान के लिए प्रारंभिक अध्ययन किया तथा विभिन्न क्षेत्रों से कुल 25 प्राथमिक परियोजनाओं की पहचान की। इसका उद्देश्य औद्योगिक अड़चनों को समाप्त करना था। इन परियोजनाओं की प्रगति की निरंतर रूप से निगरानी की जा रही है।

(iii) बंगलुरु-मुम्बई आर्थिक कोरिडोर (बीवीएमईसी) :

भारत तथा ब्रिटेन ने एक नए बंगलुरु-मुम्बई आर्थिक कोरिडोर (बीवीएमईसी) के विकास के लिए एक संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परामर्शदाताओं (मैसर्स एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजिनियर्स प्राइवेट लि. के साथ संयुक्त उपक्रम आईएयू इले-डी फांस तथा क्रिसिल रिस्क एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर साल्यूशन लि.) ने एक व्यवहारिक अध्ययन किया है तथा इसके वर्ष 2014 में पूरा होने की संभावना है। व्यवहारिक अध्ययन के पश्चात् एक संयुक्त परिचालन समूह की स्थापना की जाएगी।

(iv) ईस्ट कोस्ट इकोनामिक कोरिडोर (ईसीईसी) जिसमें विजाग- चैन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी)

शामिल है: कोलकाता-चैन्नई-तृतीकोरिन से जुड़े हुए तथा पूर्व तटीय आर्थिक-गलियारे (ईसीईसी) पर, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने एक संकेतात्मक टिप्पणी तैयार की है तथा एडीबी की सहायता से एक व्यवहारिक अध्ययन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। आन्ध्र प्रदेश पुनर्संगठन अधिनियम 2014 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा किए गए वचन को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन के पहले चरण में विजाग चैन्नई-सेक्शन पर ध्यान केन्द्रित करेगा ताकि अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के भीतर, चैन्नई-विजाग इंडस्ट्रियल कोरिडोर पर अंतिम निर्णय लिया जा सके तथा तदनुसार आगे कार्रवाई की जा सके।

(v) अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी)

सरकार ने जनवरी, 2014 में एक अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी) की स्थापना का ईस्टर्न फ्रीट कोरिडोर (ईडीएफसीओ) को दोनों ही साइड में 150-200 कि.मी. के बैंड के साथ, चरणबद्ध रूप से, सात राज्य शामिल होंगे: पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल। सरकार ने सिद्धांत रूप से एक अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलेपमेंट कोर्पोरेशन (एकेआईसीडीसी) की स्थापना का अनुमोदन भी दे दिया है। वर्ष 2014-15 से एकेआईसी पर तुरंत कार्रवाई के लिए एकेआईसीडीसी की स्थापना का प्रस्ताव है।

क्षेत्रों द्वारा औद्योगिक विकास

सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र

9.13 एमएसएमई क्षेत्र में 31.8% भाग विनिर्माण उद्यमों का और शेष 68.2% भाग सेवा उद्यमों का है। इन उद्यमों में लगभग 55.3% उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। एमएसएमई क्षेत्र में वर्ष 2010-11 तक प्रति वर्ष 11% से अधिक की निरंतर वृद्धि दर्शाई गई है। जबकि वर्ष 2011-12 में वृद्धि दर 19% थी और वर्ष 2012-13 में लगभग 14% थी।

9.14 हाल ही में एमएसएमई पर गठित प्रधान मंत्री कार्यबल और बारहवीं योजना संबंधी कार्यसमूह ने एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का नीतिगत ढांचा इन प्रमुख समितियों की सिफारिशों द्वारा निर्देशित होता है। इस योजना में एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न पहलू शामिल हैं और इसकी प्रमुख सिफारिशें छः व्यापक शीर्षों के अंतर्गत आती हैं: (i) वित्त और ऋण, (ii) प्रौद्योगिकी, (iii) अवसंरचना, (iv) विपणन और प्रापण, (v) कौशल विकास और प्रशिक्षण, और (vi) संस्थागत ढांचा। इस योजना में खादी और ग्रामीण उद्योगों तथा नारियल-जटा क्षेत्रों के लिए पृथक सिफारिशें रखी गई हैं।

9.15 एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन के लिए, अनेक स्कीमें प्रचालन में हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं: (i) प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम; (ii) भारत समावेशी नवाचार निधि; (iii) ऋण आधारित पूंजी संबंधी राजसहायता; (iv) ऋण गारंटी स्कीम; (v) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम; (vi) एमएसई-समूह विकास कार्यक्रम; और (vii) तीन वर्षों के लिए एमएसएमई को गैर-कर हितलाभों के विस्तार की स्कीम। सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति को भी अधिसूचित किया है। नीति में यह अधिदेशित किया गया है कि प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम तीन वर्षों की अवधि के दौरान वित्त वर्ष 2012-13 से आगे एमएसई के कुल उत्पादों और सेवा क्रम के वार्षिक प्रापण का न्यूनतम 20% का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इसके अतिरिक्त इस नीति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए इस 20% लक्ष्य का 4% उपलक्ष्य भी रखा गया है।

9.16 समग्र विनिर्माण में अनौपचारिक क्षेत्र की घटती हिस्सेदारी के मद्देनजर एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ करना अति आवश्यक है। आने वाले वर्षों में लाखों बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए औपचारिक व गैर-औपचारिक दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों का पुनरुद्धार अति आवश्यक है। अतः मुख्य प्रेरकों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। वर्ष 2013-14 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र के पुनरुद्धार और संवर्द्धन के लिए विनिर्माण को गति प्रदान करने के लिए सचिव एमएसएमई की अध्यक्षता में एक-अंतरमंत्रालयी समिति ने अनेक सिफारिशें दीं। वित्त मंत्रालय ने छोटे व्यवसायों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय, राज्य सरकारों, और निजी क्षेत्र के स्टेकधारकों के सहयोग से जून, 2013 में छोटे व्यवसायों पर एक कार्यशाला आयोजित की थी। कार्यशाला के दौरान हुए विचार-विमर्श के आधार पर, आने वाले दिनों में नीतिगत गठन को मार्ग दर्शन देने के लिए बाक्स 9.2 में कुछ कार्य बिंदुओं को सारबद्ध किया गया है।

बारहवीं योजना में एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है और इसकी मुख्य सिफारिशें छः प्रमुख घटकों के तहत आती हैं: (i) वित्त और ऋण, (ii) प्रौद्योगिकी, (iii) अवसंरचना, (iv) विपणन एवं खरीद, (v) कौशल विकास और प्रशिक्षण, और (vi) संस्थागत संरचना।

संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में छोटे कारोबारों का पुनरुद्धार करना आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी के लिए रोजगार सृजित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

वाक्स 9.2 : व्यवसाय के माहौल में सुधार : लघु, मध्यम और दीर्घावधिक संदर्भ में उठाए जाने वाले कदम

आने वाले कुछ वर्षों में सरकार ने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर, छोटे व्यवसायों के लिए व्यवसायिक वातावरण सुधारने के तरीकों पर विचार करना है। हालांकि व्यवसाय को शासित करने वाले कानूनों और विनियमों का समग्र रूप से पुनरुद्धार करना दीर्घावधिक समाधान है, यद्यपि अल्पावधि में अनेक कदम उठाए जा सकते हैं, और अनेक नीतिगत प्रयोग प्रारंभ किए जा सकते हैं।

अल्पावधि में उठाए जाने वाले कदम

1. राज्यों और केंद्र दोनों स्तरों पर व्यवसायों पर लागू सभी नियमों और विनियमों की वेबसाइट सृजित करें। यह केंद्र, राज्यों और उद्यमियों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पोर्टल होगा, बशर्ते कि विनियमन सर्वव्याप्त हो। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा स्थापित ईबिज ने पहले ही कुछ कार्य कर लिया है जिसे आधार बनाया जा सकता है। आने वाले समय में वेबसाइट राज्यों के संपर्क में सर्वोत्तम पद्धतियों को भी ला सकती है।
2. अप्रचलित विनियमों जिन्हें सुरक्षित ढंग से हटाया जा सकता है, के लिए मौजूदा विनियामक परिदृश्य की समीक्षा की जाए। प्रथम सिद्धांतों से एक ऐसे आदर्श विनियामक ढांचे को सृजित करना जो प्रारंभ में केवल एसएमई पर लागू हो सके, और अधिक महत्वाकांक्षी कार्य होगा।
3. निरीक्षणों के विरुद्ध शिकायत निपटान तंत्रों को सुदृढ़ करें। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में यह कहा जाता है कि फर्मों सफलतापूर्वक अपील कर सकती हैं और तीन से पांच दिनों के भीतर निपटान प्राप्त कर सकती हैं। निपटान प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मदद करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि निरीक्षण और निपटान प्रक्रिया में सृजित सभी दस्तावेजों की प्रतियां फर्मों को दी गई हों।
4. मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करें और रिपोर्टिंग/डाटा प्रस्तुतीकरण को जहां तक संभव हो केवल ऑनलाइन मोड में ही करें उदाहरणार्थ नैत्य पंजीकरण, सूचना को बार-बार दर्ज करना और सूचना की रिपोर्टिंग। समिति इस पर ईबिज के साथ कार्य कर सकती है।
5. महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया को निरीक्षक के स्थान पर उच्चतर स्तर के अधिकारियों में निहित करना जो कि आमतौर पर फर्मों के अधिक विश्वासपात्र होते हैं। निरीक्षक का क्षेत्राधिकार दस्तावेजों के उल्लंघन का अवलोकन करना जबकि महत्वपूर्ण शास्तियों के संबंध में क्षेत्राधिकार वरिष्ठ अधिकारियों का होगा।
6. स्व-प्रमाणन और तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणीकरण की प्रणाली सृजित करें। इस प्रणाली को जनहित के लिए कम वरियता वाले या कम महत्वपूर्ण समझे जाने वाले विनियमों के अति विविध निरीक्षणों के स्थानापन्न के रूप में लाया जाए। एक ऐसा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाएं जहां केवल वे उच्च-जोखिम वाले निर्णय बड़ी कंपनियां/कंपनियां ही बार-बार निरीक्षणों के अध्वधीन हों जिनका अनुपालन का कोई रिकार्ड नहीं है।
7. फर्मों को चूकों को/अनुपालन की कमी को दूर करने के लिए समयावधि दी जाए न कि उन्हें तुरंत दंड दें। निरीक्षणों का ध्येय चूककर्ताओं को दंड देने के स्थान पर उनको विनियमों का नियमित रूप से अनुपालन करने में मदद देना होना चाहिए।
8. भूमि का वाणिज्यिक भूखंडों और आवासीय भूखंडों में मौजूदा पृथक्कीरण एमएसएमई स्थापित करने में बाधक है। एक समाधान भूमि को मिश्रित उपयोग के लिए नामित करना और जब वे शुरूआत करें इसे सूक्ष्म उद्यमों को उपलब्ध कराना। एक अन्य समाधान नए औद्योगिक जोनों, जहां विविध प्रकार के क्रियाकलापों के लिए अनुमति प्राप्त की गई है, में पूर्व-अनुमोदित ब्लॉकों को सृजित करना।
9. पर्याप्त भूमि विकास प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बड़ी फर्मों द्वारा धारित की गई है। ये भू-बैंक अप्रयुक्त पड़े हुए हैं। सरकार आबद्ध भूमि को छुड़ाने के लिए 'प्रयोग करो या छोड़ो' वाली नीति बना सकती है ताकि इस भूमि को औद्योगिक संपदा, सामान्य सुविधाओं, उद्भवन इत्यादि के लिए प्रयोग किया जा सके।
10. कर्मचारियों और नियोक्ताओं को लोचशील विकल्प प्रदान किए जाने चाहिए जिनसे विकास और प्रदाताओं की ओर से सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य हितलाभों की व्यापक उपलब्धता झलकती हो जैसाकि नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)।
11. जो नियोक्ता अनियमित कामगारों (दैनिक, साप्ताहिक और अन्य अल्प अवधि का या मौसमी रोजगार) को भर्ती करते हैं और वेतन देते हैं, उनके द्वारा क्रय के लिए कूपन प्रणाली लाई जा सकती है जिसमें कूपन की कीमत में सामाजिक हितलाभों हेतु प्रीमियम शामिल किया गया हो, ताकि वर्तमान में विद्यमान अंशदावों और रिपोर्टिंग की भारी भरकम प्रणाली को बदला जा सके। कूपन को कामगार के आधार नंबर से जोड़ना सरल होना चाहिए, ताकि अनेक फॉर्म दर्ज कराने की आवश्यकता का निराकरण हो सके।
12. वर्तमान में प्रशिक्षुताएं पुराने और बोझिल 1961 अधिनियम के नीचे दबी पड़ी हैं। शिक्षुता अधिनियम को दोबारा लिखा जाना/संशोधित किया जाना चाहिए।
13. अस्थायी रोक और उसके बाद व्यवस्थित तथा तीव्र परिसमापन, पुनरुद्धार या बिक्री विकल्पों को लाते हुए वित्तीय संकट से व्यवस्थित ढंग से निपटने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लिए 2006 के एमएसएमई अधिनियम का संशोधन करें। बिहार के उदाहरण का भी अध्ययन करें, जहां एसएमई वित्तीय संकट से निपटने के लिए एक 'शीर्ष समिति' का सृजन किया गया है।

मध्यम अवधि के कदम

1. राज्यों को व्यवसाय संबंधी विनियमों पर सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा कराएं और देखें कि जांचे गए और परखे गए विनियामक परिवर्तन के लिए क्या आधार बन सकता है।
2. इन जानकारीयों के आधार पर, राज्य द्वारा अनुमोदित नमूना विनियामक ढांचे का सृजन करें जो कि एनआईएमजेड में खुल रहे व्यवसायों के लिए उपलब्ध हों। इस नमूने में स्व प्रमाणन, तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणन, सम्यक प्रमाणन और जोखिम आधारित निरीक्षणों सहित मजदूरी, करों और सुरक्षा/पर्यावरण अनुपालन मानदंडों समेत प्रवेश विनियमन, भूमि/स्थल आवंटन और विकास संबंधी विनियमों पर ब्यौरों के साथ-साथ बाहर निकलने की शर्तों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
3. राज्यों को निःसंदेह नमूना ढांचे से अलग होने की स्वतंत्रता होगी। प्रस्थानों की परिणती देखने के लिए इनकी निगरानी की जा सकती है।
4. व्यवसायिक पर्यावरण और परिवर्तन के लिए समर्थक पर कार्य हेतु ज्ञान आधार के रूप में एक और अधिक स्थायी निकाय (आस्ट्रेलियन उत्पादकता आयोग के अनुरूप) स्थापित किया जा सकता है।

दीर्घावधिक कदम

1. व्यवसाय को शासित करने वाली भारतीय विधि की समग्र रूप से पुनरुद्धार की आवश्यकता है। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग के अनुरूप एक समिति बनाई जा सकती है, जिसमें विशेष रूप से कराधान, मजदूरी, पर्यावरण और सुरक्षा के क्षेत्रों में और अधिक सुप्रवाही और आधुनिक कानूनों का प्रस्ताव अधिदेशित हो। यहां प्राथमिक कार्य प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु विवादित क्षेत्रों में, फिलहाल आम सहमति बनाने पर ध्यान दिया जाना है।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

9.17 विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के माध्यम से औद्योगिक विकास करने में ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राज्य स्वामित्व को उस स्थान पर उचित ठहराया जा सकता है जहां पर राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा तथा बजट उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाले निवेश प्रतिफल के उद्देश्य सामाजिक या विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सार्वजनिक उपक्रम के लिए निजी उद्यम के प्राकृतिक एकाधिकार उपयुक्त नहीं है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसईएस) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका अदा करते हैं। 31 मार्च 2013 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कुल मिलाकर 277 सीपीएसईएस थे जिनमें 229 कार्य कर रहे थे तथा 48 निर्माणाधीन थे। 31 मार्च 2013 तक सभी सीपीएसईएस में वित्तीय निवेश (संपन्न पूंजी दीर्घावधि ऋण) 8,50,599 रहा जो कि 2011-12 की तुलना में 16.6 को वृद्धि प्रदर्शित करता है।

9.18 2012-13 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईएस से कुल लाभ (149) 1,43,559 करोड़ रहा जबकि घाटे वाले (79) सीपीएसईएस से कुल 28,260 करोड़ रु० का घाटा हुआ। एक सीपीएसईएस में न तो लाभ हुआ और हानि भी नहीं हुई। तेल तथा प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लि० राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा कारपोरेशन लि० भारतीय उर्वरक निगम लि० तथा भारत-हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० वर्ष 2012-13 में सर्वाधिक लाभ अर्जन करने वाले सीपीएसईएस थे। भारतीय संचार निगम लि० महानगर टेलीफोन निगम लि०, एयर इंडिया लि० चैन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग क० लि० तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि० 2012-13 में सर्वाधिक घाटे वाले पांच सीपीएसईएस थे। करों तथा शुल्कों का भुगतान, सरकारी ऋणों पर ब्याज तथा लाभांशों के द्वारा सरकारी राजकोष में वृद्धि हुई सीपीएसईएस के कुल योगदान में थोड़ी सी 2011-12 में 1,62,402 करोड़ रु० तथा 2012-13 में 1,62,761 करोड़ रु० की थोड़ी सी ही वृद्धि हुई थी। इसका प्राथमिक कारण सेवा कर तथा विक्रय शुल्क में योगदान में वृद्धि था। तथापि, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में कमी रही।

इस्पात

9.19 2013 में चीन, जापान तथा यूएसए के पश्चात् कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान रहा है। 2013 में लौह स्पंज के उत्पादन में भी भारत अग्रणी था और कुल वैश्विक उत्पादन में 25% का उत्पादन करता था। वर्ष 2013-14 (अंतिम) में भारत में 81.54 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। यह 2012-13 की तुलना में 4% अधिक उत्पादन हुआ था जबकि कच्चे इस्पात की उपयोगिता की क्षमता बढ़कर 82% हो गई। अंतिम पांच वर्षों में घरेलू कच्चे इस्पात उत्पाद में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गई। उत्पादन में इस प्रकार की वृद्धि का कारण कच्ची इस्पात क्षमता में 9.8 प्रतिशत वृद्धि, उच्च उपयोगिता दर तथा घरेलू इस्पात खपत में 7% वृद्धि थी। 2013-14 के दौरान इस्पात खपत में केवल 0.6 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई।

पिछले पांच वर्षों में, घरेलू अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन 7.9 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर बढ़ा। उत्पादन में यह वृद्धि अपरिष्कृत इस्पात क्षमता में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि, उच्च उपयोग दरों और इस्पात के घरेलू उपभोग में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।

वस्त्र

9.20 भारत का वस्त्र तथा कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह भारत के निर्यात में व्यापक योगदान करने वालों में से एक प्रमुख क्षेत्र है, भारत के कुल निर्यात में लगभग 11% का योगदान करता है। वस्त्र उद्योग श्रम आधारित है तथा लगभग 45 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। असंगठित क्षेत्र में इसका प्रमुख प्रभाव है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान, भारत के विनिर्माण क्षेत्रों से संबंधित निर्यात को बढ़ावा देने

के लिए योजना आयोग द्वारा बनाए गए कार्यदल की रिपोर्ट में मार्च 2017 के अन्त तक भारत के वस्त्र तथा कपड़े के निर्यात में 64.41 बिलियन का लक्ष्य तय किया गया है। वैश्विक वस्त्र निर्यात में डब्ल्यूटीओ डाटा 2010 (अधुनातन) में भारत का 9वां स्थान है जबकि चीन, यूरोपीय यूनियन तथा हांग-कांग पहले तीन स्थानों पर है। वैश्विक वस्त्र निर्यात में चीन तथा यूरोपीय यूनियन के पश्चात् भारत का तीसरा स्थान है। भारत के वस्त्र निर्यात का आयातित तत्व बहुत ही निम्न प्रकार का है जो कि कतिपय विशेष रेशों तथा उपसाधनों तक सीमित है।

9.21 भारतीय वस्त्र उद्योग, खुदरा कच्चे माल से तैयार निर्मित उत्पाद के शीर्ष रूप में एकीकृत है। भारत सरकार इस क्षेत्र को तकनीकी स्टरोन्वयन कोष योजना (टीयूएफएस) के तहत पर्याप्त सहायता प्रदान कर रही है। टीयूएफएस के तहत इसके प्रारंभ से 31 मार्च 2014 तक 2,50,000 करोड़ रु० से अधिक का निवेश इस क्षेत्र में किया जा चुका है तथा 18,579.40 करोड़ रु० की सबसिडी प्रदान की गई है। इंटेग्रेटेड टेक्स्टाइल्स पार्क (एसआईटीपी) की योजना एक राजनितिक पहलकदमी है ताकि औद्योगिक समूहों/स्थानों, वैश्विक अवसरचक्रात्मक सुविधाओं से सुसज्जित पार्कों की स्थापना करके उच्च वृद्धि की संभावना को बढ़ावा दिया जा सके। 1900 करोड़ रु० के अनुदान के साथ बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एसआईटीपी योजना को बनाए रखने का सुझाव है। इसमें एसआईटीपी के तहत वेशभूषा निर्माण के लिए अतिरिक्त अनुदान भी सम्मिलित है, को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने (सीसीईए) स्वीकार कर लिया है। 2013-14 में 300 करोड़ रु० का अनुदान दिया गया जो संशोधन के पश्चात् 140 करोड़ हो गया, जिसमें से 111 करोड़ रु० वितरित हो गए हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

औद्योगिक क्षेत्र में कुल पूंजी निर्माण

9.22 वर्ष 2013-14 के लिए मौजूदा बाजार मूल्य पर जीडीपी के अंतिम अनुमानों के अनुसार कुल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) का मूल्य 2011-12 में 31.8 था जो कि 2013-14 में घटकर 28.3 हो गया है। 2013-14 के जीएफसीएफ के विस्तारित अनुमान उपलब्ध नहीं है परंतु स्थिर निवेश की वृद्धि दर में समग्र कमी, वर्ष के दौरान, उद्योग के महत्वपूर्ण खंडों में आगे निवेश में कमी की ओर इशारा करती है। स्थिर मूल्य (2004-05) पर उद्योग पद्धति के द्वारा कुल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) पर उपलब्ध अधुनातन आंकड़ों के अनुसार खनन विनिर्माण तथा निजी औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर निवेश की वृद्धि दर में सुस्पष्ट कमी का अनुमान लगाया गया है। अपंजीकृत विनिर्माण में यह कमी और भी तीव्र रही है जो कि अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों में उपलब्ध राशि की कमी को दर्शाते हैं। समग्र जीसीएफ में क्षेत्रवार हिस्सेदारी देखने से पता चलता है कि समग्र जीसीएफ में अपंजीकृत विनिर्माण की हिस्सेदारी में कमी आई है यह 2010-11 में 5.7% थी जो कि 2012-13 में घटकर 1.9 हो गई। इसी समयावधि में पंजीकृत विनिर्माण में भी कमी आई है यह 29.6% से घटकर 21.9% हो गई (सारणी 9.3)।

2013-14 के जीएफसीएफ के विस्तारित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं परंतु स्थिर निवेश की वृद्धि दर में समग्र कमी, वर्ष के दौरान उद्योग के महत्वपूर्ण खंडों में आगे निवेश की कमी की ओर इशारा करती है।

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
उद्योग में जीसीएफ की वृद्धि की दर	24.2	20.2	-7.6	-8.5
कुल जीसीएफ में क्षेत्रवार हिस्सेदारी				
1. खनन	3.6	3.6	3.5	3.2
2. विनिर्माण	32.9	35.3	27.4	23.7
क. पंजीकृत	27.8	29.6	23.5	21.9
ख. अपंजीकृत	5.1	5.7	3.9	1.9
3. विद्युत	6.2	7	7.3	7.4
4. निर्माण	4.8	4.4	5.4	5.4

स्रोत: सीएसओ

सारणी 9.3 : स्थिर मूल्य (2004-05) पर उद्योग के प्रयोग से कुल पूंजी का निर्माण

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाह

9.23 2013-14 के दौरान कुल एफडीआई अन्तर्वाह (जिसमें साम्यता अन्तर्वाह, कमाई का पुनर्निवेश तथा अन्य पूंजी सम्मिलित है) 36.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। एफडीआई साम्यता अन्तर्वाह 24.30 बिलियन अमेरिका डॉलर था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक था। अप्रैल 2000 से मार्च 2014 तक संचयी एफडीआई अन्तर्वाह 323.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 2013-14 के दौरान निवल एफडीआई अन्तर्वाह 21.6 बिलियन डॉलर था। हाल ही के वर्षों में सेवाएं, निर्माण, दूरसंचार, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर, औषध तथा भेषज, ऑटोमोबाइल उद्योग, ऊर्जा धातुकर्मीय उद्योग, होटल तथा पर्यटन सर्वाधिक एफडीआई अन्तर्वाह आकर्षित करने वाले क्षेत्र रहे हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण का प्रवाह

9.24 2013-14 के लिए बचत आंकड़ों तथा विस्तारित निवेश की अनुपस्थिति में, कुल बैंक ऋण परिनियोजन पर आंकड़े अभी तक औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख खंडों में निवेश की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ संकेत प्रदान करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुपात कुल बैंक ऋण परियोजना के अनुसार वर्ष 2013-14 में उद्योग ऋण के परिनियोजन में मंदी आई लेकिन कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों, सेवाओं तथा निजीऋण करने में वृद्धि हुई। बृहत तथा मध्यम आकार के उद्योगों के लिए कुल बैंक ऋण परिनियोजन वर्ष 2013-14 में तुलनात्मक रूप से कम रहा है। तथापि सूक्ष्म तथा लघु उपक्रमों के लिए ऋण में विशाल वृद्धि परिलक्षित होती है। खनन, अवसंरचना, सीमेंट, कोयला, धातु रत्न तथा आभूषण क्षेत्रों में ऋण वृद्धि में कमी देखी जा रही है जबकि खाद्य परिष्करण निर्माण, चमड़ा, रबड़, शीशे तथा कागज में वृद्धि दिखाई दे रही है।

9.25 2013-14 में उद्योगों में कुल ऋण प्रवाह में 14.9% की वृद्धि आई जोकि 2011-12 में प्राप्त की गई 20.9% वृद्धि तथा 2012-13 में 17.8% वृद्धि की तुलना में कम थी। 2013-14 के दौरान खनन में ऋण प्रवाह लगभग निष्क्रिय 0.5% रहा। 2013-14 में ऊर्जा क्षेत्र के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में इस क्षेत्र में ऋण का प्रवाह 24.9% बढ़ गया। अलग-अलग क्षेत्र में ऋण समावेशन को देखते हुए पेट्रोलियम, रसायन तथा रसायन उत्पाद, आधारभूत धातु, यातायात तथा सभी इंजीनियरिंग क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य रूप से इन देशों में मंदी के कारण, कुल बैंक ऋण में न्यूनतम वृद्धि देखी गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा उद्योगों के लिए ऋण की क्षेत्र वार वृद्धि सारणी 9.4 में प्रदर्शित की गई है।

पर्यावरण-उद्योग कड़ी

9.26 पर्यावरणीय अवनति काफी हद तक, बाजार असफलता के कारण होता है, अर्थात् पर्यावरणीय वस्तुओं एवं सेवाओं का गैर-अस्तित्व या खराब रूप से कार्यशील बाजार। इस संबंध में, पर्यावरणीय अवनति निजी और सामाजिक लागतों (या लाभों) के बीच भिन्नता द्वारा प्रतिबिंबित खपत या उत्पादन बाहरीपन का विशेष मामला है। अच्छी तरह से परिभाषित सम्पदा अधिकारों की कमी इस प्रकार की बाजार असफलता के कारणों में से एक हो सकता है। दूसरी ओर, मूल्य नियंत्रण और आर्थिक-सहायता द्वारा सृजित बाजार विरूपण पर्यावरणीय उद्देश्यों की उपलब्धि को और बढ़ा सकता है।

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14
उद्योग	20.91	17.84	14.97
विनिर्माण	19.75	18.12	14.03
खनन	39.29	18.06	0.05
विनिर्माण उप क्षेत्र			
खाद्य परिष्करण	14.06	24.06	30.24
कस्त्र	15.19	12.78	13.99
पेट्रोलियम तथा न्यूक्लियर ईंधन	-12.47	10.75	1.86
सीमेंट तथा सीमेंट उत्पाद	17.32	21.77	21.37
रसायन तथा उत्पाद	23.66	18.63	17.84
आधार भूत धातु तथा धातु उत्पाद	28.53	20.91	17.75
सभी इंजिनियरिंग	22.09	18.49	14.48
परिवहन उपकरण	23.19	14.12	11.95
अन्य उद्योग	23.26	18.40	6.30

स्रोत: आरबीआई

सारणी 9.4 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण की वृद्धि

9.27 भारत में आर्थिक विकास के स्तर और तरीके, खासकर बड़े और लघु उद्योगों तथा बढ़ती हुई शहरी और ग्रामीण आबादी के संयोजन पर आधारित एक विविध औद्योगिक ढांचे ने पर्यावरण पर दबाव डाला है। कई उद्योगों द्वारा अपनाई गई निर्माण प्रौद्योगिकी ने पर्यावरण पर काफी अधिक भार डाला है, विशेष रूप से गहन संसाधन और ऊर्जा उपयोग के माध्यम से, जैसा कि प्राकृतिक संसाधन क्षीणता (जीवाश्म ईंधन, खनिज, लकड़ी) जल, वायु, तटीय एवं समुद्री तथा भूमि दूषण, स्वास्थ्य जोखिम और प्राकृतिक परितंत्र की अवनति तथा जैस-विविधता की हानि से स्पष्ट है। औद्योगिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में काम आने वाले उच्च अनुपात जीवाश्म ईंधन तथा पेट्रोलियम परिष्करण, लौह एवं इस्पात, अन्य धात्विक और गैर-धात्विक खनिज निष्कर्षण, उर्वरक और सीमेंट जैसे प्रमुख वायु प्रदूषण करने वाले उद्योगों का वायु एवं जल प्रदूषण में अपेक्षाकृत काफी अधिक हाथ है। रसायन आधारित उद्योग के विस्तार के कारण काफी अधिक मात्रा में औद्योगिक एवं खतरनाक कचरे ने गंभीर पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रभाव के साथ कचरा प्रबंधन की समस्या को भी बढ़ाया है। लघु उद्योगों, विशेषकर, ढलाईखानों, रसायन विनिर्माण और ईंट निर्माण भी महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं।

श्रमिक संबंध

9.28 केन्द्र और राज्य दोनों के औद्योगिक संपर्क तंत्रों के निरंतर प्रयासों के कारण औद्योगिक संबंध वातावरण कुल मिलाकर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहा। जबकि 2008 के दौरान सूचित हड़ताल और तालाबंदी की घटनाओं की संख्या 421 थी, यह आंकड़ा समय के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाते हुए दिसम्बर, 2013 तक 181 (अनंतिम) था। इसी प्रकार, 2008 में नष्ट श्रम-दिवस 17.43 मिलियन और दिसम्बर, 2013 तक 3.29 मिलियन (अनंतिम) थे।

9.29 जहां तक स्थानिक/उद्योग-वार हड़तालों और तालाबंदी के प्रसार का संबंध है, विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों (यूटी) में व्यापक भिन्नताएं हैं। मजदूरी और भत्ते, बोनस, कार्मिक, छंटनी और अनुशासनहीनता तथा हिंसा इन हड़तालों और तालाबंदी के मुख्य कारण हैं।

चुनौतियां

निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए व्यवसाय भावना को पुनर्जीवित करना

9.30 चालू औद्योगिक मंदी के मद्देनजर नीति का ध्यान लघु अवधि में मुख्य विकास चालकों को लक्षित करने पर होना आवश्यक है। निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के निवेश का पुनर्जीवन महत्वपूर्ण चालकों में से एक हो सकता है। सार्वजनिक, निजी कॉर्पोरेट और घरेलू क्षेत्रों में संपूर्ण जीएफसीएफ, अर्थात् संयंत्र और यंत्रों और निर्माण-कार्य, 2012-13 के दौरान धीमा हुआ है। एक अनुकूल निवेश वातावरण का निर्माण करने और संपूर्ण व्यवसाय मनोभाव को उठाने के लिए औद्योगिक नीति का राजकोषीय, व्यापार, एफडीआई और विनिमय दर नीतियों के साथ निकट समन्वय की आवश्यकता है। रक्षा और कुछ अन्य क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति से काफी अधिक निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षिक करने की व्यापक संभावना है। विद्यमान विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और नए स्थापित और प्रस्तावित एनआईएमजेड से कई गुणा निवेश हो सकता है बशर्ते कि बाधाओं को दूर किया जाए और एक स्थिर प्रोत्साहन ढांचे की स्थापना की जाए। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए औद्योगिक संकुल को बढ़ावा देना भी निवेश को

भारत में आर्थिक विकास के स्तर को और तरीके, खासकर बड़े और लघु उद्योगों तथा बढ़ती हुई शहरी और ग्रामीण आबादी के संयोजन पर आधारित एक विविध औद्योगिक संरचना, ने पर्यावरण पर दबाव डाला है।

एक हितकर निवेश वातावरण तैयार करना और संपूर्ण व्यापार मनोभाव को ऊपर उठाने के लिए औद्योगिक नीति के राजकोष, व्यापार, एफडीआई और विनिमय दर नीतियों के साथ करीबी समन्वय की आवश्यकता है।

बढ़ावा देगा क्योंकि संकुलों में कम संभार-तंत्र लागतों, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला संबद्धता और श्रमजीवी वर्गों तथा प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच का फायदा होता है।

अवसंरचना अवरोधों को दूर करना

9.31 वर्तमान औद्योगिक मंदी महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाने और अवसंरचना अवरोधों को दूर करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। मध्यम और दीर्घ अवधि में अनुकूल वातावरण के सृजन तथा मजबूत विकास के लिए पिछले वित्त वर्ष के सुधार की गति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अवसंरचना क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य से, कोयला उत्पादन को बढ़ाना, वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति देना, बिजली वितरण की पुनर्संरचना करना, सड़क और रेल नेटवर्क का उन्नयन करना, विनियामक स्वीकृतियों में देरी को कम करना, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा वित्तीय बाधाओं को समाधान करना कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड के तहत परियोजनाओं को सम्पन्न करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन सभी मुद्दों पर अध्याय 11 में विस्तार से चर्चा की गई है।

छोटे व्यवसायों के विकास को सुकर करना

9.32 विनिर्माण का अनियमित/गैर-पंजीकृत हिस्सा पर्याप्त और निम्न लागत वित्तपोषण की कमी, बढ़ती हुई लागतों, आयातों से प्रतिस्पर्धा और आम तौर पर प्रतिकूल व्यापार वातावरण के कारण क्षमता से कम कार्य-प्रदर्शन कर रहा है। जैसे कि पैरा 9.2 में चर्चा की गई है, संपूर्ण जीडीपी में गैर-पंजीकृत विनिर्माण मूल्य वर्धित का हिस्सा कम हो रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण और प्रौद्योगिकी तक सरल पहुंच की कमी है। अनौपचारिक और औपचारिक उद्योग क्षेत्रों के बीच उत्पादन का अंतर विशाल रहा है। छोटे व्यवसायों और अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका रोजगार सृजन लक्ष्य को पूरा करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। औद्योगिक नीति को अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम-साध्य और संसाधन आधारित विनिर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अनौपचारिक क्षेत्र और छोटे व्यवसायों का विकास कानूनों, नियमों और निरीक्षणों की बड़ी संख्या द्वारा बाधित है। छोटे व्यवसायों द्वारा किए गए लगभग सभी गतिविधियों के लिए अलग से प्रचालन अनुपालनों की आवश्यकता होती है। विनियामक और राजकोषीय बोझ के कारण छोटे व्यवसाय मध्यम और औपचारिक बनने से कतराते हैं।

9.33 राज्य सरकारें विनियमनों के विषम समूहों को निरूपित और कार्यान्वित कर रहे हैं। निरीक्षणों और अनुपालनों के अलावा, शोध-अक्षमता छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र में रुग्ण और मृत्युकालिक व्यवसायों के पुनर्जीवन और पुनर्वास को मुश्किल बना देता है। भूमि की खरीद और अधिग्रहण की प्रक्रिया खर्चीली है। भूमि विक्रय और क्रय विलेखों का पंजीकरण, मालिकाना हक का हस्तांतरण और निर्माण अनुमति हासिल करना जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। किराए की मांग बुनियादी स्तर पर व्यापक है। हालांकि कुछ राज्यों ने हाल के वर्षों में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कमद उठाए हैं किन्तु अधिकतर राज्यों में छोटे व्यवसायों के लिए अनुकूल परितंत्र अभी भी काफी दूर है। विश्व बैंक द्वारा भारत की नवीनतम 'व्यवसाय करने की सुगमता' श्रेणी 2014 में 189 देशों में से 131 से नीचे 134 तक चली गई है। सभी राज्यों में लागू किए जाने हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं पर आम सहमति बनाने और स्व-प्रमाणन, ई-फाइलिंग और ई-रिटर्न को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

रोजगार सृजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे व्यवसायों और अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका बहुत अधिक महत्व की है। औद्योगिक नीति को अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम-साध्य और संसाधन आधारित विनिर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभी राज्यों के लिए लागू किए जाने हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं और स्व-प्रमाणन, ई-फाइलिंग तथा ई-रिटर्न को बढ़ावा देने पर आम सहमति बनाए जाने की आवश्यकता है।

मध्यम अवधि में विनिर्माण में संरचनात्मक बदलावों को बढ़ाने की आवश्यकता

9.34 भारतीय उद्योग में सुस्थिर रोजगार सृजन के लिए अच्छी संभावनाओं के साथ कृषि-प्रसंस्करण, वस्त्रों और कपड़ों तथा चमड़ा एवं जूतों के क्षेत्र को और सुदृढ़ करने के लिए काफी अधिक क्षमता है। किन्तु भारतीय विनिर्माण के लिए मध्यम अवधि चुनौतियं निम्न से उच्च तकनीकी क्षेत्रों, निम्न से उच्च मूल्य वर्धित क्षेत्रों और निम्न से उच्च उत्पादकता क्षेत्रों की ओर बढ़ना है। मध्यम तकनीकी उद्योग मुख्य रूप से पूंजी साध्य और संसाधन प्रसंस्करण है और उच्च तकनीकी उद्योग मुख्य रूप से पूंजी और प्रौद्योगिकी साध्य हैं। संपूर्ण जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को संभावित 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय विनिर्माण को मांग में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाने वाले क्षेत्रों में वैश्विक बाजार पर कब्जा करने की आवश्यकता है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से उच्च प्रौद्योगिकी और पूंजी साध्य हैं। इस प्रकार के उच्च तकनीकी उद्योग सुस्थिर रोजगार में कम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं किन्तु ये पूंजी संग्रह और कौशल विकास तथा ज्ञान आधार में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में दृढ़ आधार प्राप्त करने के लिए, नीति का जोर प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान और विकास, नवाचार और कौशल विकास पर सार्वजनिक और निजी व्यय के स्तर को ऊपर उठाने पर होना चाहिए। सारणी 9.5 विनिर्माण में भारत द्वारा सामना की जा रही वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तुलनात्मक तस्वीर प्रदान करती है।

देश	जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा	कुल विनिर्माण में एमएचटी का हिस्सा	कुल निर्यातों के प्रतिशत के रूप में एमएचटी निर्यात	विश्व के निर्यात में कुल निर्यात का हिस्सा
चीन	34.1	40.7	59.9	14.6
दक्षिण कोरिया	27.7	53.4	71.8	4.3
थाईलैंड	36.6	46.1	58.0	1.5
जापान	20.5	53.7	79.0	6.04
जर्मनी	19.2	56.7	72.0	10.4
भारत	14.9	32.2	27.0	2.0

स्रोत : यूएनआईडीओ

एमएचटी: मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण

संभावनाएं

9.35 निकट-अवधि औद्योगिक उछाल नीतिगत परिवेश में निरंतर सुधार और उच्चतम निवेश दरों की त्वरित वापसी पर आश्रित है। संपूर्ण बृहत-आर्थिक परिवेश में सुधार के साथ ही उद्योग के पुनर्जीवित होने और अगले दो वर्षों में विकास उत्तरोत्तर बढ़ने की संभावना है।

9.36 एचएसबीसी भारतीय विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अप्रैल 2014 में 51.3 से मामूली रूप से बढ़कर मई 2014 में 51.4 तक हुआ। यह विनिर्माण गतिविधियों और घरेलू तथा निर्यात आदेशों में कुछ सुधार दिखाता है। बिजली उत्पादन और सीमेंट, इस्पात, उर्वरक और कोयला उत्पादन के लिए चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों के लिए नेतृत्व सूचक सुधार दर्शाता है। रेलवे मालभाड़ा उपार्जन और निर्यात में भी वृद्धि हुई है जिससे आने वाले महीनों में संवर्धित औद्योगिक गतिविधियों की उम्मीदें बढ़ी हैं। आठ प्रमुख अवसंरचनागत सहायक उद्योगों के सूचकांक में अप्रैल 2014 में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि अप्रैल 2013 में यह 3.7 प्रतिशत थी। इसके अलावा, आईआईपी आधारित समग्र औद्योगिक विकास अप्रैल 2013 में दर्ज 1.5 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले अप्रैल 2014 में 3.4 प्रतिशत था।

भारतीय विनिर्माण के लिए मध्यम अवधि चुनौती निम्न से उच्च तकनीकी क्षेत्रों, निम्न से उच्च मूल्य-वर्धित क्षेत्रों और निम्न से उच्च उत्पादकता क्षेत्रों की ओर बढ़ना है।

सारणी 9.5 : वैश्विक विनिर्माण साथियों की तुलनात्मक तस्वीर

संपूर्ण बृहत-आर्थिक वातावरण में सुधार के साथ उद्योग के पुनर्जीवित होने की आशा है और अगले दो वर्षों में विकास में क्रमिक तेजी आ सकती है।

अध्याय 10

सेवा क्षेत्र

भारत का सेवा क्षेत्र, जोकि वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान और उसके तुरंत बाद भी समुत्थानशील बना रहा, लगातार बनी वैश्विक और घरेलू मंदी के दबाव में आ गया जिससे पिछले दो वर्षों में, इसमें सामान्य से कम वृद्धि रही। तथापि, 2014-15 में पुनरुद्धार की झलक दिखाई दे रही है जहां वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और व्यापार में हुए सुधार के संकेत और सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन, परिवहन साधन और खुदरा कारोबार जैसे कुछेक प्रमुख सेवाओं में प्रतिबिम्बित हो रहे हैं। विभिन्न सूचकांक और अनुमान भी भारत के सेवा कारोबार में सुधार दर्शाते हैं।

10.2 सेवा क्षेत्र जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) का लगभग 57 प्रतिशत योगदान है, ने गत कुछ वर्षों में तीव्र प्रगति की है और अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी और तेज उभरते क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। इसके अतिरिक्त, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख क्षेत्र होने के चलते, सेवा क्षेत्र ने विदेश निवेश प्रवाहों, निर्यातों और रोजगार में काफी योगदान दिया है। भारत के सेवा क्षेत्र में अनेक क्रियाकलाप आते हैं जिनके कई विशेषताएं और आयाम हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार जैसी कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिनमें उच्च प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता की जरूरत होती है, जबकि हज्जामों और नलकारों जैसी कुछ सेवाएं सामान्य हैं। परिवहन जैसी कुछेक सेवाएं औद्योगिक क्षेत्र के साथ अधिक जुड़ी हैं और कुछ पर्यटन जैसे क्षेत्र अधिक रोजगार से जुड़े हुए हैं। रेलवे और पत्तन जैसी कुछ सेवाएं अवसंरचना की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, जबकि निर्माण जैसी कुछ सेवाएं उद्योग के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार, इसमें कई अंतर्वेशन और बहिर्वेशन की सीमा रेखाएं हैं। इस अध्याय में न केवल विभिन्न सेवा पहलुओं का उल्लेख है, बल्कि कई महत्वपूर्ण सेवाओं का भी वर्णन है।

सेवा क्षेत्र: अन्तरराष्ट्रीय तुलना

वैश्विक सेवाएं—सकल घरेलू उत्पाद

10.3 2012 में वैश्विक सेवाओं के सकल घरेलू उत्पाद में 2011 की तुलना में अचानक वृद्धि हुई और 2.7 से बढ़कर 3.8 प्रतिशत (स्थिर मूल्यों पर) हो गया और 2012 में इसमें 72.7 ट्रिलियन अमरीकी डालर वैश्विक स.घ.उ. में (चालू मूल्यों पर) 65.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। समग्र स.घ.उ. की तरह, सकल घरेलू उत्पाद सेवाओं में भी यू.एस. का पहला स्थान है, जापान और चीन, क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सकल घरेलू उत्पाद (चालू मूल्यों पर) के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 15 देशों में, भारत का स्थान 10वां है और 2012 में सकल घरेलू उत्पाद में 12वां स्थान रहा। तथापि, 2001 से 2012 की 11 वर्ष की अवधि के दौरान, भारत अपने सीएजीआर (संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर) के साथ चीन के 10.9 प्रतिशत से कुछ

ही कम 9.0 प्रतिशत पर दूसरा सबसे तेज बढ़ता सेवा क्षेत्र है। रूस का स्थान 5.4 प्रतिशत के साथ तीसरा रहा जिसमें दूसरे स्थान से काफी अंतर है। यद्यपि 2011 की तुलना में चीन के 8.1 प्रतिशत के बाद भारत के 7.2 प्रतिशत से 2012 में सेवा क्षेत्र में सबसे उच्च वृद्धि दर रही, फिर भी दोनों देशों के लिए 2011 के मुकाबले मामूली गिरावट रही। इसके विपरीत, अमरीकी सेवा सेक्टर 2012 में बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गई। जोकि 2011 की तुलना में तीन गुणा से अधिक रहा। जापान और रूस की सेवा के विकास में भी वृद्धि रही। सकल घरेलू उत्पाद सेवाओं के संदर्भ में शीर्ष 15 देशों में, केवल चीन के अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद में उसका (चीन) हिस्सा 2012 में 44.6 प्रतिशत रहा। यह 50 प्रतिशत की तुलना में कम है (सारणी 10.1)

सारणी 10.1: सेवाओं में निष्पादन: अन्तरराष्ट्रीय तुलना

देश	स्थान	सेवा वृद्धि दर						सेवाओं का हिस्सा					सेवा निर्यात वृद्धि					
		समग्र जीडीपी	सेवाएं जीडीपी	(प्रतिशत)			सीजीएआर 2001-12	जीडीपी में			सेवाओं में हिस्सा	2013 में कुल निर्यात में सेवाओं का हिस्सा	(प्रतिशत)			सीए जीआर 2001-13		
				वर्षा-नु-वर्ष	2001	2011		2012	2001	2011			2012	2001	2012		2013	
1	संयुक्त राज्य	1	1	2.9	1.9	6.5	2.1	77.2	78.9	79.2	75.0	81.2	29.5	-3.6	5.4	5.0	7.7	
2	चीन	2	3	10.3	9.5	8.1	10.9	40.5	43.4	44.6	27.7	35.7	8.6	9.1	8.4	8.7	16.6	
3	जापान	3	2	1.8	0.5	2.4	0.6	69.9	72.7	72.3	63.9	69.7	16.8	-6.9	0.0	1.0	7.0	
4	जर्मनी	4	4	2.5	2.8	1.4	1.2	69.0	68.5	66.6	64.6	70.2	16.5	5.6	-1.1	8.0	10.8	
5	फ्रांस	5	5	1.8	2.4	0.5	1.4	75.0	79.2	79.2	69.9	74.9	28.7	-0.5	-8.1	8.3	9.4	
6	यूके	6	6	2.7	1.5	1.4	2.1	73.3	77.9	78.8	73.8	78.9	34.9	-0.8	-1.5	0.6	7.8	
7	ब्राजील	7	8	1.8	2.7	1.7	3.6	67.1	67.0	68.5	59.4	62.7	13.4	-2.7	4.6	-1.7	12.9	
8	रूस	8	10	3.3	3.3	4.8	5.4	55.7	58.9	60.1	58.6	62.3	11.1	17.3	6.8	12.7	15.9	
9	इटली	9	7	2.6	0.9	-1.5	0.4	69.9	73.3	73.8	63.1	68.5	17.5	2.1	-2.2	5.6	5.6	
10	भारत	10	12	7.5	8.2	7.2	9.0	51.3	55.7	56.9	24.0	28.1	32.8	4.8	5.4	4.8	20.2	
11	कनाडा	11	9	3.5	2.4	1.8	2.6	65.8	71.2	71.1	74.7	76.5	14.5	-3.6	-0.9	0.3	6.2	
12	ऑस्ट्रेलिया	12	11	3.9	3.3	2.9	3.2	69.6	69.4	69.5	74.2	75.5	17.1	-8.9	2.7	-0.1	9.4	
13	स्पेन	13	13	3.6	1.2	-0.3	2.5	64.8	70.9	71.6	62.0	74.9	31.4	6.0	-3.8	5.5	8.3	
14	मैक्सिको	14	14	-0.2	4.6	4.5	3.0	63.3	60.3	60.1	56.1	61.9	4.9	-7.5	3.6	21.3	4.0	
15	दक्षिण कोरिया	15	15	4.3	2.6	2.5	3.4	58.5	57.5	57.7	62.6	76.4	16.6	-4.9	17.3	1.3	11.8	
विश्व				2.8	2.7	3.8	2.6	68.9	65.9	65.9	39.1	44.0	19.8	0.1	2.2	5.5	9.9	

स्रोत: सकल घरेलू उत्पाद के लिए संयुक्त राज्य राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी से, रोजगार के लिए विश्व बैंक और आईएलओ डाटाबेस से और सेवा व्यापार के लिए डब्ल्यूटीओ डाटाबेस से संगणित (1 जून, 2014 को परिगणित)

टिप्पणी: स्थान व हिस्सा चालू मूल्यों (2012) पर आधारित हैं; वृद्धि दरें स्थिर मूल्यों पर (अमरीकी डालर) पर आधारित हैं; सकल घरेलू उत्पाद सेवाओं में निर्माण क्षेत्र शामिल नहीं है; 2012 में नियोजन आंकड़े हेतु: चीन, ब्राजील और मैक्सिको के लिए 2011 आंकड़ा, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, दक्षिण कोरिया के लिए 2010, रूस और ऑस्ट्रेलिया के लिए 2009 और कनाडा के लिए 2008 दिए गए हैं। 2001 के लिए भारत का रोजगार आंकड़ा 2000 के है। 2001 के लिए वैश्विक रोजगार शेयर का आंकड़ा 2000 के है।

वैश्विक सेवाएं रोजगार

10.4 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं की हिस्सेदारी 65.9 प्रतिशत रही। किन्तु 2012 में रोजगार में हिस्सेदारी केवल 44.0 प्रतिशत रही। तथापि, 15 शीर्ष देशों में (सकल घरेलू उत्पाद) के संदर्भ में), भारत और चीन को छोड़कर, सकल घरेलू उत्पाद सेवाओं और रोजगार सेवाओं दोनों की हिस्सेदारी अधिक रही और एक दूसरे के आस-पास रही। चीन में, आय सेवाएं और रोजगार सेवाएं दोनों की हिस्सेदारी कम रही। भारत के मामले में सेवाओं के क्षेत्र में 2012 में 56.9 प्रतिशत की आय में उच्च हिस्सेदारी रही जबकि रोजगार में 28.1 प्रतिशत की कम हिस्सेदारी रही और दोनों के बीच अंतर 2001 में 27.3 प्रतिशत बिन्दुओं से बढ़कर 2012 में 28.8 प्रतिशत बिन्दु हो गई।

वैश्विक सेवा कारोबार

10.5 2001 से 2013 तक गत 12 वर्षों में 9.9 प्रतिशत के सीएजीआर के साथ जोरदार वृद्धि के पश्चात्, वैश्विक सेवा निर्यात वृद्धि घटती-बढ़ती रही है। 2001 में यह

0.1 प्रतिशत रही जो बढ़कर 2004 में 21.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गयी थी। यह तेजी से कम होकर 2009 में नकारात्मक 9.4 प्रतिशत हुई, यह तीव्र गति से पुनः वापस 2010 में 9.8 प्रतिशत और 2011 में 12.2 प्रतिशत पर आ गयी, लेकिन 2012 में घटकर 2.2 प्रतिशत रह गई। यह 2013 में फिर से बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गयी। सेवाओं के शीर्ष निर्यातकों में, 20.2 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ भारत में सबसे तेज वृद्धि हुई जिसके बाद 16.6 प्रतिशत पर चीन का स्थान रहा। 2013 में, भारत की सेवा निर्यात वृद्धि 2012 में 5.4 प्रतिशत से गिरकर 4.8 प्रतिशत रह गई जबकि चीन की निर्यात वृद्धि 8.4 प्रतिशत से मामूली रूप से सुधरकर 8.7 प्रतिशत हो गयी।

वैश्विक सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

10.6 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) विश्व निवेश रिपोर्ट, 2014 के अनुसार, 2013 में वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह 1.45 ट्रिलियन अमरीकी डालर रहा 9 प्रतिशत बढ़ा। यह 2012 में गिरावट के बाद उत्साहजनक प्रवृत्ति दर्शाता है। विकासशील देशों ने 2013 में अपना प्रभुत्व बनाए रखा और 778 बिलियन अमरीकी डालर अथवा कुल एफडीआई प्रवाह का 54 प्रतिशत प्राप्त किया। अंकटाड का अनुमान है कि कुल एफडीआई प्रवाह 2014 में 1.6 ट्रिलियन अमरीकी डालर, 2015 में 1.7 अमरीकी डालर और 2016 में 1.8 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ सकता है, विकसित देशों की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो सकती है। कुछ उभरते बाजारों की दुर्बलता और नीतिगत अनिश्चितता से संबंधित जोखिम तथा क्षेत्रीय अस्थिरता एफडीआई की वृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

10.7 सेवा क्षेत्र का हिस्सा घोषित ग्रीन फील्ड परियोजनाओं और विलयन तथा आधिप्राप्ति का II सबसे अधिक बना रहा। 2013 में, सेवा क्षेत्र में ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में एफडीआई का मूल्य 20 प्रतिशत बढ़कर 385 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में एफडीआई के कुल मूल्य में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, सीमा-पार एमएंडए में सेवा क्षेत्र 2013 में 7 प्रतिशत गिरकर 155 बिलियन अमरीकी डालर रह गया जबकि एमएंडए में कुल एफडीआई मूल्य में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारत का सेवा क्षेत्र

10.8 भारत में सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय और राज्यों की आय व्यापार प्रवाह, एफडीआई अंतर्वाह और रोजगार में योगदान के अर्थ में प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं।

सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद

10.9 2013-14 के दौरान, उपादान लागत पर (वर्तमान कीमतों पर) सकल घरेलू उत्पाद में 57 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत की सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग सेवाओं में शामिल होता है। यह 2000-01 की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है। निर्माण सेवा को शामिल करते हुए इसकी हिस्सेदारी 64.8 प्रतिशत है। 2000-01 से 2013-14 की अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र का सीएजीआर सकल घरेलू उत्पाद 8.5 प्रतिशत अधिक रहा है जबकि इसी अवधि के दौरान समग्र सकल घरेलू उत्पाद 7.1 प्रतिशत सीएजीआर अधिक रहा।

10.10 2013-14 की अवधि के दौरान, सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रही जबकि 2012-13 में मामूली रूप से कमतर रही। यह व्यापार, होटलों और रेस्तराओं और परिवहन, भण्डारण और संचार के संयुक्त श्रेणी की वृद्धि दर में गिरावट के चलते रहा जो कि वित्तपोषण, बीमा, स्थावर-सम्पदा और व्यापार

2000-01 से 2013-14 के दौरान समग्र स.घ.उ. के मुकाबले स.घ.उ. सेवा क्षेत्र की वृद्धि अधिक रही। इसमें गिरावट के बावजूद, 2013-14 में स.घ.उ. सेवाओं की वृद्धि समग्र स.घ.उ. में 4.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 6.8 प्रतिशत रहा।

सेवाओं में 12.9 प्रतिशत की जबर्दस्त वृद्धि के बावजूद 2012-13 के दौरान 5.1 प्रतिशत से गिरकर 3.0 प्रतिशत रह गई। निर्माण, सीमा रेखा सेवा समावेशन, जो 2012-13 से अच्छा निष्पादन नहीं कर रहा है, 2013-14 में केवल 1.6 प्रतिशत बढ़ा।

10.11 उप-क्षेत्रवार मुख्य सेवाएं बैंकिंग और बीमा (11.8 प्रतिशत) और स्थावर-सम्पदा, आवासों का स्वामित्व और कारोबारी सेवाएं (10.0 प्रतिशत) 2012-13 के दौरान वृद्धि दर के संदर्भ में बेहतर निष्पादनकर्ता रहे जबकि रेलवे (0.3 प्रतिशत) और होटल और रेस्तरां (0.5 प्रतिशत) का प्रदर्शन खराब रहा। (सारणी 10.2)

सारणी 10.2 : भारतीय सेवा क्षेत्र का हिस्सा और विकास (उपादान लागत पर)

	2000-01	2011-12 [@]	2012-13 [*]	2013-14 ^{**}
व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	14.5 (5.2)	17.4 (1.2)	17.2 (4.5)	24.0 (3.0)[#]
व्यापार	13.2 (5.0)	15.9 (1.0)	15.8 (4.8)	—
होटल एवं रेस्तरां	1.3 (7.0)	1.5 (3.8)	1.4 (0.5)	—
परिवहन, भंडारण और संचार	7.6 (9.2)	7.3 (9.4)	7.5 (6.0)	—
रेलवे	1.1 (4.1)	0.7 (7.5)	0.8 (0.3)	—
अन्य साधनों से परिवहन	5.0 (7.7)	5.4 (8.6)	5.6 (6.6)	—
भंडारण	0.1 (6.1)	0.1 (2.9)	0.1 (8.6)	—
संचार	1.5 (25.0)	1.1 (11.2)	1.1 (6.5)	—
वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यापार सेवाएं	14.1 (3.5)	16.5 (11.3)	17.2 (10.9)	18.5 (12.9)
बैंकिंग एवं बीमा	5.4 (-2.4)	5.7 (12.9)	5.9 (11.8)	—
स्थावर संपदा, आवासीय एवं व्यापार सेवाओं का स्वामित्व	8.7 (7.5)	10.7 (9.9)	11.4 (10.0)	—
संचार, सामाजिक एवं निजी सेवाएं	14.7 (4.6)	13.8 (4.9)	14.3 (5.3)	14.5 (5.6)
लोक प्रशासन एवं रक्षा	6.5 (1.9)	5.9 (4.2)	6.0 (3.4)	—
अन्य सेवाएं	8.2 (7.0)	7.8 (5.4)	8.2 (6.8)	—
निर्माण	6.0 (6.1)	8.2 (10.8)	8.1 (1.1)	7.8 (1.6)
कुल सेवाएं	51.0 (5.1)	54.9 (6.6)	56.3 (7.0)	57.0 (6.8)
कुल सेवाएं (निर्माण सहित)	57.0 (5.2)	63.1 (7.1)	64.4 (6.2)	64.8 (6.2)
कुल सकल घरेलू उत्पाद	100.0 (4.1)	100.0 (6.7)	100.0 (4.5)	100.0 (4.7)


स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी: हिस्सा चालू कीमतों के संबंध में है और वृद्धि सतत् कीमतों के संबंध में है; कोष्ठक के आंकड़े वृद्धि दर्शाते हैं; * प्रथम संशोधित अनुमान, @ द्वितीय संशोधित अनुमान, ** अंतिम अनुमान; # वर्ष 2013-14 के संबंध में व्यापार, होटल और रेस्तरां तथा परिवहन भण्डारण और संचार दोनों का हिस्सा शामिल है।

सेवाओं की राज्य-वार तुलना

10.12 2012-13 के दौरान, विभिन्न राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवाओं के हिस्से की राज्य-वार तुलना यह दर्शाती है कि सेवा क्षेत्र, भारत के अधिकांश राज्यों में अग्रणी क्षेत्र है। (चित्र 10.1)। चंडीगढ़, दिल्ली, केरल, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नागालैंड, त्रिपुरा और कर्नाटक जैसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा अखिल भारतीय हिस्से से अधिक है। चंडीगढ़ और दिल्ली का सूची में प्रथम स्थान है तथा इसका प्रत्येक हिस्सा 86.9 प्रतिशत है तथा इसके बाद 66.1 प्रतिशत के साथ मिजोरम का स्थान है। राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवाओं की हिस्सेदारी जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, अरुणाचल प्रदेश की 29.9 प्रतिशत और सिक्किम की 30.6 प्रतिशत को छोड़कर 40 प्रतिशत से अधिक रही। 2012-13 के दौरान, बिहार की सबसे अधिक सेवा वृद्धि 17.2 प्रतिशत थी जिसके बाद 17.1 प्रतिशत पर गोवा का स्थान रहा। दूसरी ओर, अरुणाचल प्रदेश की 4.8 प्रतिशत सबसे कम सेवा वृद्धि रही जिसके बाद केरल का 5.5 प्रतिशत रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान, गोवा और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्य सेवा क्षेत्र में लगातार द्विअंकीय वृद्धि दर्शाते रहे हैं। गोवा पर्यटन के क्षेत्र में और त्रिपुरा बैंकिंग और बीमा के विकास के क्षेत्र में अग्रणी रहा है।

चित्र 10.1 : 2012-13 में सेवा क्षेत्र का शेर और वृद्धि



स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिगणित।

टिप्पणी: हिस्सा वर्तमान कीमतों पर, वृद्धि दर स्थिर (2004-05) कीमतों पर।

भारतीय सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

10.13 सेवा क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र में एफंडीआई प्रवाह और सीमा पार फर्मों की भूमिका से सूक्ष्म रूप से जुड़ी है। एफंडीआई के संबंध में सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों का वर्गीकरण करने में अनेकथता बनी रहती है तथापि, वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं, निर्माण विकास दूर-संचार, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर तथा होटल एवं पर्यटन के सम्मिलित एफंडीआई हिस्से के सेवाओं के एफंडीआई हिस्से के मोटे अनुमान के रूप में लिया जा सकता है। यद्यपि इसमें कुछ गैर-सेवा घटक भी शामिल हो सकते हैं। अप्रैल 2000-नवम्बर, 2014 की अवधि के दौरान यह हिस्सा संचयी एफंडीआई इक्विटी प्रवाह का 45% है। यदि निर्माण क्षेत्र में, सीमा रेखा समावेश शामिल नहीं की जाती है तो यह गिरकर 34 प्रतिशत हो जाएगी। पांच सेवा क्षेत्र भी ऐसे क्षेत्र हैं जो अर्थव्यवस्था में उच्चतम संचयी एफंडीआई प्रवाह को प्रभावित कर रहे हैं तथा वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएं अप्रैल 2000-मार्च, 2014 की अवधि के दौरान 39.5 बिलियन अमरीकी डालर के साथ सूची में सबसे ऊपर रहीं। इसके पश्चात दूसरे सेवा क्षेत्रों का स्थान है-निर्माण कार्य विकास (23.3 बिलियन अमरीकी डालर) दूर संचार (14.2 बिलियन अमरीकी डालर) तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर (12.8 बिलियन अमरीकी डालर) यदि अन्य सेवाओं अथवा सेवा सम्बद्ध क्षेत्रों जैसे व्यापार (2.4 प्रतिशत) सूचना और प्रसारण (1.7%), परामर्शदात्री सेवाएं (1.1%) निर्माण (आधारभूत संरचना) क्रियाकलाप (1.2%), पत्तन (0.8%), कृषि सेवाएं (0.8%), अस्पताल और डायग्नोस्टिक केन्द्र (1.1%), शिक्षा (0.4%), हवाई भाड़े सहित हवाई परिवहन (0.2%) और थोक व्यापार (0.1%) का हिस्सा भी इसमें शामिल किया जाता है, तो सेवा क्षेत्र में संचयी एफंडीआई प्रवाह (2000-01 से 2013-14) का कुल हिस्सा 54.7% हो जाएगा। वर्ष 2013-14 में, सेवा क्षेत्र में एफंडीआई का अंतर्वाह (निर्माण सहित शीर्ष पांच क्षेत्र) तेजी से 37.6 प्रतिशत गिरकर 6.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि एफंडीआई अंतर्वाह में समग्र वृद्धि 6.1 प्रतिशत थी। इसके परिणामस्वरूप, कुल एफंडीआई में शीर्ष पांच सेवाओं की हिस्सेदारी गिरकर लगभग एक-छह हो गई (सारणी 10.3)

सारणी 10.3: उच्चतम एफ॰डी॰आई॰ अंतर्प्रवाह आकर्षित करने वाली सेवाएं


रैंक	क्षेत्र	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)				कुल में प्रतिशत	वृद्धि दर	
		2011-12	2012-13	2013-14	संचयी अंतर्प्रवाह (अप्रैल-2000-मार्च, 2014)		2012-13	2013-14
1	सेवा क्षेत्र (वित्तीय एवं गैर वित्तीय)	5216	4833	2225	39460	18	-7.3	-4.0
2	निर्माण कार्य संबंधी विकास #	3141	1332	1226	23306	11	-57.6	-8.0
3	दूरसंचार *	1997	304	1307	14163	7	-84.8	29.9
4	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	796	486	1126	12817	6	-38.9	31.7
5	होटल एवं पर्यटन	993	3259	486	7118	3	228.2	-85.1
	कुल शीर्ष पांच सेवाएं	12143	10214	6370	96864	45	-15.9	-37.6
	कुल एफ॰डी॰आई॰ अंतर्प्रवाह	46556	34298	36396	217581	100	-26.3	6.1

स्रोत: औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के आंकड़ों पर आधारित।

टिप्पणी: # टाउनशिप, आवास निर्मित अवसंरचना और * रेडियो पेंजिंग, सेल्युलर मोबाइल, मूल टेलीफोन सेवाएं दर्शाते हैं।

भारत का सेवा निर्यात

10.14 विश्व सेवा के निर्यात में भारत के सेवा निर्यात का हिस्सा जो 1990 में 0.6 प्रतिशत से 2000 में 1.1 प्रतिशत और उसके बाद 2013 में 3.3 प्रतिशत तक बढ़ा। विश्व पण्य वस्तु निर्यात से इसके हिस्से में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत के सेवा निर्यात की विकास दर 1996 से (2009 को छोड़कर) सभी वर्षों में विश्व की विकास दर से अधिक रही है। 2013 में इसमें उलटफेर हुआ है। (चित्र 10.2)




चित्र : 10.2 वाणिज्यिक सेवाओं की निर्यात वृद्धि: भारत और विश्व

स्रोत : 1 जून, 2014 को डब्ल्यूटीओ द्वारा बेस से परिगणित

10.15 जबकि सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात, जिनमें भारत की कुल सेवा निर्यात का 46 प्रतिशत है 2012-13 में 5.9 प्रतिशत से गिरकर 2013-14 में 5.4 प्रतिशत रह गया, यात्रा में लगभग 12 प्रतिशत की हिस्सेदारी है जो 0.4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाती है। तथापि, वित्तीय सेवाओं के वैश्विक निर्यातों के साथ आगे बढ़ने पर भारत की वित्तीय सेवाओं के निर्यात में 2013-14 में 34.4 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की गई।

भारत में सेवा रोजगार

10.16 गत दो दशकों में रोजगार की क्षेत्रवार हिस्सेदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आया है। चित्र 10.3) जिनमें कृषि का हिस्सा 1993-94 में 64.8 प्रतिशत से गिरकर 2011-12 में 48.9 प्रतिशत हो गया और उद्योग में 15.6 प्रतिशत से बढ़कर 24.3 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान रोजगार में सेवाक्षेत्र की हिस्सेदारी 19.7 प्रतिशत से बढ़कर 26.8 प्रतिशत हो गई।




चित्र : 10.3 रोजगार की क्षेत्र-वार हिस्सेदारी
यूपीएसएस

स्रोत: श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के इनपुट पर आधारित जिसे विभिन्न दौरे से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) प्रयोग करता है।

टिप्पणी: यूपीएसएस भूजल प्रिंसिपल सब्सिडियरी स्टेट्स

भारत की सेवा मुद्रास्फीति

10.17 थोक मूल्य सूचकांक जैसे सामान्य मुद्रास्फीति संकेतकों में सेवा क्षेत्र में मुद्रास्फीति शामिल नहीं की जाती है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में केवल आंशिक रूप से शामिल की जाती है जहां चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन और मनोविनोद परिवहन और संचार तथा आवास जैसे मदों को शामिल किया जाता है। फिलहाल भारत में सेवा आंकड़ों का संग्रहण मजबूत करने के कुछ प्रयास किए गए थे और सेवा मूल्य सूचकांकों (एसपीआई) को रेलवे, डाक, टेलीकाम और बैंकिंग क्षेत्रों के लिए प्रायोगिक आधार पर विकसित किए गए हैं। रेलवे सेवा मूल्य सूचकांक में केवल किराया भाड़ा और पैसंजर सेवाएं शामिल हैं चूंकि आधार वर्ष में 68.4: 31.6 पर किराया भाड़ा और पैसंजर अर्जनों के बीच अनुपात के साथ यातायात राजस्व अर्जनों का 99 प्रतिशत बनता है। बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांकों में प्रत्यक्ष सेवाएं जिसके लिए बैंक प्रभार शुल्क, कमीशन और ब्रोकरेज आदि हैं और मध्यवर्ती सेवाएं दोनों शामिल हैं। डाक सेवा मूल्य सूचकांक डाक विभाग के आंकड़ों पर आधारित हैं और जिसमें कोरियर सेवाएं शामिल नहीं हैं, उन्हें कम महत्वपूर्ण माना जाता है। दूरसंचार सेवा मूल्य सूचकांक को भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण (ट्राई) की निष्पादन संकेतक रिपोर्ट के आधार पर सेल्युलर सेवाओं के लिए विकसित किए गए हैं। यद्यपि ये सूचकांक प्रारंभिक चरण में हैं, वर्ष 2009-10 और 2010-11 से क्रमशः दूर संचार और बैंकिंग सेवाओं में मुद्रास्फीति में ये गिरावट दर्शाते हैं; 2011-12 से रेलवे सेवाओं के लिए मुद्रास्फीति



चित्र : 10.4 सेवा मूल्य सूचकांक (एसपीआई)

स्रोत: डीआईपीपी से इनपुट पर आधारित।

टिप्पणी: *अनंतिम 2013-14 हेतु: रेलवे के लिए आंकड़ा जनवरी 2014 तक है। डाक के लिए जून, 2013 तक के लिए है और दूरसंचार के लिए दिसम्बर, 2013 तक के लिए है।

में तेजी से वृद्धि हुई और 2008-09 से डाक सेवाओं के लिए मुद्रास्फीति बहुत मामूली थी। (चित्र 10.4)

प्रमुख सेवाएं: समग्र निष्पादन

10.18 वर्ष 2013-14 के दौरान भारत में विभिन्न सेवाओं के कुछ उपलब्ध संकेतक पर्यटन के बेहतर निष्पादन को दर्शाते हैं; 2012-13 में गिरावट के बाद दूरसंचार और विमानन में तेजी को दर्शाते हैं; और व्यापार और औद्योगिक क्रियाकलाप में मंदी के चलते नौवहन और रेलवे में खराब निष्पादन को दर्शाते हैं (सारणी 10.4)। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) के अनुमान सीमित फर्म स्तरीय आंकड़ों से लिए गए हैं, 2012-13 में परिवहन, संचार तंत्र, विमानन, होटल और दूरसंचार जैसे क्षेत्र में कम निष्पादन दर्शाते हैं। परिवहन संचार तंत्र और थोक व्यापार जैसे कुछेक क्षेत्र के 2013-14 में अच्छा प्रदर्शन किए जाने का अनुमान है। आगामी वर्षों में अधिकतर क्षेत्रों में बेहतर निष्पादन करने का अनुमान है। मार्किट एचएसबीसी की सेवा जीएमआई (परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स) के अनुसार भारत की सेवा क्षेत्र ने नए व्यापार आदेशों में पुनः सुधार होने पर मई के दौरान लगभग एक वर्ष में पहली बार विस्तार किया है जिसमें 48.5 के अप्रैल के पठन से मई में 50.2 तक सूचकांक वृद्धि और 11 महीने में आउटपुट में पहली बार बढ़ोतरी को इंगित करता है। 50 से उपर का पठन दर्शाता है कि क्षेत्र में विस्तार हो रहा है जबकि 50 से नीचे का पठन दर्शाता है कि सेवा क्षेत्र घट रहा है।

10.4 भारत के सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन: कुछ संकेतक

क्षेत्र	संकेतक	इकाई	अवधि				
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
उड्डयन	एयरलाइन यात्री (घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय)*	मिलियन	77.4	88.9	99.6	97.7	103.3
दूरसंचार	दूरसंचार कनेक्शन (वायरलाइन और वायरलेस) ^ब	लाख	6212.8	8463.3	9513.5	8980.2	9330.2
पर्यटन	विदेशी पर्यटकों का आगमन ^क	मिलियन	5.17	5.78	6.31	6.58	6.97
	पर्यटकों के आगमन से विदेशी विनिमय की आय ^क	यूएस \$ मिलियन	11136	14193	16564	17737	18133
नौवहन	भारतीय नौवहन का सकल टनभार ^ग	मिलियन जीटी	9.69	10.45	11.06	10.45	10.49
	जहाजों की संख्या ^ग	संख्या	1003	1071	1122	1158	1213
पत्तन	पत्तन यातायात	मिलियन टन	850.0	885.5	911.7	933.7	980.5
रेलवे	रेलवे द्वारा भाड़ा यातायात ^ग	मिलियन टन	887.8	921.7	969.1	1008.1	1050.2
	रेलवे का निवल टन कि.मी. ^ग	मिलियन	600548	625723	667607	691658	651869
भण्डारण	भण्डारण क्षमता	लाख एमटी	106.0	103.5	100.3	102.3	105.6
	भण्डारों की संख्या	संख्या	487	479	468	469	471

स्रोत: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, पर्यटन मंत्रालय, नौवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और केन्द्रीय भण्डार निगम (भारतीय एग्जिम बैंक द्वारा संकलित)।

टिप्पणी: (क) कैलेंडर वर्ष, उदाहरणार्थ 2009 के लिए 2009-10; (ख) आगामी वित्त वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार; (ग) 2009-10 से 2012-13 तक माल ढुलाई आधार पर जबकि 2013-14 के लिए माल लदान आधार पर है। * विदेशी एयरलाइनों में अंतर्राष्ट्रीय यात्री शामिल हैं; जीटी का अर्थ सकल टन; एमटी का अर्थ मीट्रिक टन।

प्रमुख सेवाएं: क्षेत्रवार निष्पादन

10.19 सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार, निर्यात और भावी संभावनाओं के संदर्भ में उनके महत्व पर आधारित भारत की कुछेक प्रमुख वाणिज्यिक सेवाओं को इस भाग में विस्तार से पेश किया गया है। अन्य अध्यायों में शामिल कुछ प्रमुख सेवाओं की संभावित सीमा तक प्रतिलिपिकरण को रोकने के लिए ध्यान रखा गया है।

होटलों और रेस्त्राओं सहित पर्यटन

10.20 विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद के अनुसार, वर्ष 2012 में विश्व यात्रा ने वैश्विक स.घ.उ. का 6.6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर और पर्यटन क्षेत्र ने वैश्विक

स.घ.उ. का 9 प्रतिशत का योगदान दिया और 260 मिलियन से अधिक रोजगारों का सृजन किया (विश्व के कुल रोजगार का 11 में 1)। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के आंकड़ों के अनुसार, विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आगमनों के साथ विश्व पर्यटन विकास की पुनः बहाली हुई है जो 2012 में 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 5.0 प्रतिशत हो गई।

10.21 विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अनुमानों के अनुसार, भारत में पर्यटन क्षेत्र ने 2012 में भारत का स.घ.उ. का लगभग 6.6 प्रतिशत का योगदान दिया और 39.5 मिलियन नौकरियां दी गईं जो अपने कुल रोजगार का 7.7 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में 2013 से 2023 तक 7.9 प्रतिशत का वार्षिक औसत दर पर विकास होने का अनुमान है। विश्व अंतर्गामी पर्यटन आगमनों में भारत की हिस्सेदारी सीएजीआर 6.9 प्रतिशत के साथ 1997 में 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 0.63 प्रतिशत हो गई जो कि इसी अवधि के दौरान विश्व के सीएजीआर 3.9 प्रतिशत के मुकाबले काफी अधिक रही। घरेलू पर्यटन के आकार ने भी अनुमानित 1.1 बिलियन सलाना यात्रा दौरों को पहले ही पार कर लिया है।

10.22 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के चलते 2009 में खराब निष्पादन के पश्चात्, भारत में विदेशी पर्यटक आगमनों (एफटीए) और डॉलर के संदर्भ में विदेशी मुद्रा अर्जनों (एफईई) में 2010 में पुनः तेजी से सुधार आया। तथापि, खासकर यूरोपीय संघ में मंदी के चलते विदेशी पर्यटक आगमनों (एफटीए) और विदेशी विनिमय अर्जनों (एफईई) में डॉलर के संदर्भ में गिरावट आई, हालांकि, 2013 में, विदेशी पर्यटक आगमनों में तेजी से वृद्धि हुई। यद्यपि, रुपए के संदर्भ में विदेशी मुद्रा अर्जन, विनिमय दर घट-बढ़ का प्रतिबिंब है। चिंता का विषय यह है कि डॉलर के संदर्भ में विदेशी मुद्रा अर्जन में अत्यधिक कमी आयी है जबकि विदेशी पर्यटक आगमनों में यह गिरावट अपेक्षाकृत कम रही है (सारणी 10.5)। यह उच्च व्ययी पर्यटकों के मुकाबले अपेक्षाकृत बैक-पैकर्स के उच्च अंतर्प्रवाह को दर्शाता है।

10.23 भारत ने अपने पर्यटन क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया है। पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक अध्ययन, विश्व आर्थिक मंच, 2013 ने भारत को 140 देशों में से नीचे 65वें स्थान पर रखा है। प्रतिस्पर्धा के अपने तीन स्तम्भों में, भारत को पर्यटन प्राकृतिक संसाधनों पर 21, कारोबारी माहौल को आरामदेह बनाने पर 67, किंतु पर्यटन और देशांतर के लिए अपने विनियामक फ्रेमवर्क पर सबसे खराब 110वां रैंक दिए गए हैं जोकि पर्यटन उद्योग के लिए प्रस्पर्धात्मक लाभों में उनके तुलनात्मक प्राकृतिक और आर्थिक हितों को परिवर्तित करने की भारत की असमर्थता दर्शाता है।

परिवहन से संबंधित कुछ सेवाएं

पोत परिवहन

10.24 किसी भी देश के वस्तु और सेवा दोनों व्यापार का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसमें भारतीय व्यापार की कुल प्रमात्रा का लगभग 95 प्रतिशत तथा उसके मूल्य का 68 प्रतिशत समुद्री परिवहन द्वारा होता है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार भारत के पास 10.49 मिलियन के सकल टन भार के साथ 1213 जहाजों का बेड़ा था तथा भारत के सरकारी क्षेत्र के भारतीय पोत परिवहन निगम का 31.30 प्रतिशत का सबसे बड़ा हिस्सा है। इनमें से 9.31 मिलियन सकल टन भार वाले 367 जहाज भारत के विदेशी व्यापार में लगे हैं जबकि बाकी तटीय व्यापार में लगे हैं। विकासशील देशों में भारत के पास सबसे बड़े व्यापारिक जलपोतों/बेड़ों के होने के बावजूद, 1 जनवरी, 2014 की स्थिति के अनुसार आईएसएल शिपिंग स्टैटिक्स एण्ड मार्केट रिव्यू के मुताबिक कुल विश्व डीडब्ल्यूटी का केवल 0.9 प्रतिशत हिस्सा होने के साथ पंजीकृत सबसे बड़े 'डेड वेट टनभार' में 35 पंजीकरण में भारत का स्थान 18वां है। 'फ्लैग ऑफ कन्वीनीयन्स' को छोड़ कर हांगकांग 8.6 प्रतिशत हिस्से के साथ सर्वाधिक डीडब्ल्यूटी वाला देश है जबकि चीन का हिस्सा 4.4 प्रतिशत है। यूएनसीटीएडी के अनुसार,

भारत ने अपने पर्यटन क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया है और प्रतिस्पर्धात्मक लाभों में उनके तुलनात्मक प्राकृतिक और आर्थिक हितों को परिवर्तित करने में असमर्थ रहा।

संकेतक	वृद्धि दर (प्रतिशत)				
	वर्षा-नु-वर्ष				
	2009	2010	2011	2012	2013
एफटीए (संख्या में)	-2.2	11.8	9.2	4.3	5.9
एफईई (अमेरिकी डॉलर में)	-5.9	27.5	16.7	7.1	2.2
एफईई (रुपए में)	4.7	20.8	19.6	21.8	12.0

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय

सारणी 10.5 : भारत का पर्यटन निष्पादन

2012 में मालवाहक के 9.8 मिलियन बीस फुट के समकक्ष इकाई (टीईयू) के साथ माल वाहक जहाज प्रचालनों के संदर्भ में विकासशील देशों में भारत का स्थान 1.6 प्रतिशत विश्व शेयर के साथ आठवां था।

10.25 भारत विश्व में जहाज का खेमा उठाने वाले में से शीर्ष पर बना हुआ है। 2013 में 27.9 प्रतिशत (डीडब्ल्यूटी के संदर्भ में) के विश्व शेयर के साथ भारत ने आईएसएल शिपिंग सांख्यिकी तथा बाजार समीक्षा के अनुसार 12.46 मिलियन डीडब्ल्यूटी ने 341 जहाजों का खेमा बनाने वाले देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है। भारत समुद्री यात्रियों की जरूरतों की पूर्ति करने वाले मुख्य देशों में से भी एक है। 2010 में 7.5 प्रतिशत शेयर के साथ भारत का तीसरा स्थान रहा, भारत ने वैश्विक नौवहन उद्योग को 46,497 अधिकारी दिए। यद्यपि पोत परिवहन क्षेत्र 2008 से ही आर्थिक संकटों से जुझता रहा है, वर्ष 2013 भारतीय पोत परिवहन कम्पनियों के लिए इससे भी अधिक चुनौती भरा रहा। इस दौरान पोत के सभी वर्गों में अत्यंत अल्प चार्टर किराए एवं माल दरों के कारण नकदी प्रवाह समस्याओं का सामना करना जारी रहा जैसाकि अन्तरराष्ट्रीय देशों में देखा गया। कम पोत परिवहन दौर से निकलते हुए नकदी प्रवाह समस्याओं को भारतीय अर्थव्यवस्था में कटौती द्वारा आगे संयोजित कर लिया गया। उच्च घरेलू ब्याज दरों के साथ नए जहाजों की खरीद कम हो गई। बाल्टिक ड्राई सूचकांक, माल व्यापार तथा पोत सेवाओं का बैरोमीटर जो कि 20 मई, 2008 को 11,793 की ऊंचाई पर था। 13 मई, 2014 को 982 पर नीचे पहुंच गया।

10.26 भारत के विदेशी व्यापार में वाहन में भारतीय जहाजों की संख्या में तेजी से कमी आयी है। 1980 के दशक के अंत में 40 प्रतिशत से यह भारत के कुल तेल आयात में 16.3 प्रतिशत हिस्से के साथ 2012-13 में गिरकर 9.1 प्रतिशत रह गई। नेशनल काउन्सिल ऑफ एप्लाइड रिसर्ज (एनसीईआर) अध्ययन के अनुसार राष्ट्रीय पोत परिवहन टन भार में 5 प्रतिशत की बचत करता है अथवा माल भाड़े के बिल का अतिरिक्त 17 प्रतिशत अर्जित करता है। 2012-13 में लगभग 79.2 बिलियन अमरीकी डालर की कुल माल भाड़ा बिल के साथ तथा इस मद्देनजर कि भारत का आयात और निर्यात कार्गो का 90 प्रतिशत विदेशी पोत परिवहन कंपनियों द्वारा वहन किया जाता है, राष्ट्र के रूप में भारत को 71.3 बिलियन अमरीकी डालर के कुल माल भाड़ा बिल अदा किए जाने का अनुमान है जो कि निवल विदेश मुद्रा प्रवाह है।

10.27 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार भारतीय जहाज की औसत आयु 1999 में 15 वर्ष से बढ़कर 18.1 वर्ष हो गई है (कुल जहाज का 43.85 प्रतिशत 20 वर्ष से अधिक आयु के है जबकि 16-20 आयु समूह में 10.66 प्रतिशत है) के साथ मौजूदा भारतीय जहाज पुराने हो रहे हैं। इस प्रकार भारत की पोत परिवहन बेड़े को बढ़ाए जाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि यह कम से कम भारत की व्यापारिक प्रमात्राओं को ढोने में समर्थ हो सके।

पत्तन सेवाएं

10.28 पोत परिवहन सेवाओं के निष्पादन और व्यापारिक माल का पत्तनों की क्षमता के साथ घनिष्ठ संबंध है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पत्तनों की कुल क्षमता लगभग 1425 मिलियन टन हो गई है। 2013-14 के दौरान सभी पत्तनों पर हुआ कुल यातायात पिछले वर्ष के 5.02 प्रतिशत से बढ़कर 980.49 मिलियन टन रहा। प्रमुख पत्तनों का कार्गो थ्रुपुट 1.78 प्रतिशत रहा जबकि गैर-प्रमुख पत्तनों ने 9.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

10.29 भारत सरकार ने नीतिगत कदम उठाए हैं ताकि पत्तनों में निजी निवेश को बढ़ाया जा सके। बाजार स्थितियों पर आधारित टैरिफ को नियत करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी प्रचालकों को अधिक लचीलापन वाले नई टैरिफ दिशा-निर्देश

इसके मद्देनजर कि भारत के विदेशी कारोबार में भारतीय जहाजों का हिस्सा 1980 के दशक के अंत में 40 प्रतिशत से तेजी से गिरकर 2012-13 में 9.1 प्रतिशत हो गया और मौजूदा बेड़ा पुराना भी हो रहा है। भारत के जहाजी बेड़ा को बढ़ाए जाने की नितांत आवश्यकता है।

दिए गए हैं। पीपीपी निविदाकारों के लिए सुरक्षा अनापत्ति निदेशों को सरल बनाया गया है और पत्तन भूमि के पट्टे के लिए नई दिशा-निर्देश की घोषणा की गई है। 2013-14 के दौरान इन उपायों से पत्तन परियोजनाओं में लगभग 20,709.93 करोड़ रुपए का पर्याप्त निवेश हुआ। 2013-14 के दौरान तीन पत्तन-संबंधित निष्पादन संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिया। औसत कारोबार समय 2012-13 में 2.58 दिवस से गिरकर 2013-14 में 2.25 दिवस रह गया। इसी प्रकार औसत पूर्व-लंगरगाह समय 2012-13 में 0.51 दिवस से गिरकर 2013-14 में 0.29 दिवस रह गया। 2013-14 में औसत आउटपुट प्रति जहाज लंगरगाह दिवस 6.13 प्रतिशत से सुधरकर 12,509 हो गया। टर्नअराउंड समय और पूर्व लंगरगाह समय में सुधार आर्थिक रूप से पत्तनों में यंत्रीकरण और व्यवस्थित सुधारों से हो सकता है और कुछ वैश्विक मंदी के चलते पत्तनों द्वारा आंशिक रूप से कम मात्रा में ढुलाई हुई। तथापि, 2013-14 में औसत आउटपुट प्रति जहाज लंगरगाह दिवस में सुधार यह दर्शाता है कि भारतीय पत्तनों के मानदण्डों में भी सुधार हो रहे हैं (सारणी 10.6)

सारणी 10.6 : भारतीय पत्तनों के कुछ निष्पादन संबंधी संकेतक

संकेतक	मूल्य						2012-13 की तुलना में 2013-14 में परिवर्तन
	1990-91	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
औसत अर्नअराउंड समय (दिवस)	8.10	4.24	5.29	4.44	2.58	2.25	-0.33
औसत पूर्व लंगरगाह समय (दिवस)	2.16	1.19	2.32	0.46	0.51	0.29	-0.22
औसत आउटपुट प्रति जहाज-लंगरगाह दिवस (टन में)	3372	6961	9140	13073	11786	12509	723.00

स्रोत: प्रमुख पत्तनों और भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) आंकड़ों हेतु पोत परिवहन मंत्रालय के आंकड़े पर आधारित

भण्डारण सेवाएं

10.30 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमानों के अनुसार, भण्डारण सेवाएं पिछले वर्ष के 2.9 प्रतिशत के मुकाबले 2012-13 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गई। भण्डारण सेवाएं अंतर्गामी और बहिर्गामी लॉजिस्टिक दोनों का अभिन्न अंग है चूंकि मांग/आदेश अंतर्प्रवाहों के मुताबिक परिवहन/रवानगी के पूर्व विभिन्न भौगोलिक स्थानों में तैयार मालों को एकत्र किया जाना होता है। भारत में, कृषिगत औजार और खाद्यान्न, तिलहन, दालें, कपास, उर्वरक और खाद्य जैसे उत्पाद के लिए भण्डारणों का सबसे महत्वपूर्ण घटक, भण्डारण है। अन्य घटकों में औद्योगिक कच्चा माल और निर्मित वस्तुओं के लिए औद्योगिक भण्डारण, अंतरदेशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी)/कंटेनर फ्राइट स्टेशन (सीएफएस) जैसे आयात और निर्यात कारोबार को सहायता पहुंचाने के लिए अवसंरचना, समन्वित जांच पोस्ट के लिए कार्गो टर्मिनल (आईसीपी) और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए विशेष भण्डारण (शीत और तापमान नियंत्रित भण्डारण) शामिल हैं।

10.31 केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी) ने 2012-13 में 2.02 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 2013-14 में 3.21 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता विकसित की है। राज्य स्तर पर, 17 राज्य भण्डारण निगम (एसडब्ल्यूसी) ने भण्डारण आवश्यकताओं की पूर्ति की और सीडब्ल्यूसी के काम को पूरा किया। 30 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार, 268.3 लाख मीट्रिक टन की कुल भण्डारण क्षमता के साथ एसडब्ल्यूसी, 1687 भण्डारण के नेटवर्क का प्रचालन कर रहे थे।

10.32 सरकार द्वारा इस क्षेत्र में हाल ही में लिए गए प्रमुख नीतिगत पहलों में भारत सरकार के सात वर्ष/दस वर्ष गारंटी स्कीम के अंतर्गत गोदाम का निर्माण, इनमें से अधिकतर सीडब्ल्यूसी अथवा एसडब्ल्यूसी द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें भण्डारण संबंधी अवसंरचना के निर्माण में 100 प्रतिशत तक एफडीआई और राष्ट्रीय कृषि एवं

ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के ग्रामीण भण्डारण योजना के तहत भण्डागारों का निर्माण शामिल है। 2007-08 में सरकार ने भण्डागार (विकास और विनियमन) अधिनियम 2007 को अधिनियमित किया है ताकि भण्डागार प्राप्ति को पूर्ण रूप से परक्राम्य बनाया जा सके। सरकार ने हाल ही में अपने निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना के तहत देश में अतिरिक्त भण्डागार क्षमता के निर्माण के लिए अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। भण्डागार क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35कघ के तहत कर लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है जहां शीत श्रृंखला सुविधा की स्थापना और प्रचालन के लिए अथवा कृषिगत उत्पाद के भण्डागार संबंधी सुविधा के लिए पूंजी व्यय (भूमि की लागत को छोड़कर) का 15.0 प्रतिशत घटाने की निर्धारिती की अनुमति है।

कुछ कारोबारिक सेवाएं

10.33 मुख्य कारोबारिक सेवाओं में कम्प्यूटर संबंधित सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), लेखा सेवाएं तथा विधिक सेवाएं एवं मशीनरी को किराए पर देना आदि शामिल होती हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5.6 प्रतिशत शेयर के साथ गत्यात्मक कारोबारी सेवाएं 2012-13 में बढ़कर 14.1 प्रतिशत हो गई।

आईटी एवं सूचना प्रौद्योगिकी

10.34 सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटी-आईटीईएस) उद्योग भारत का एक महत्वपूर्ण विकास उत्प्रेरक बन गया है। भारत वैश्विक स्रोतन में शीर्ष स्थान को बनाए रखा है जोकि 2012 में 52 प्रतिशत के मुकाबले 2013 में कुल वैश्विक स्रोतन बाजार (इंजिनियरिंग सेवाओं और अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को छोड़कर) का 55 प्रतिशत से अधिक बनता है। आईटी-कारोबार प्रक्रिया प्रबंधन (बीपीएम) क्षेत्र (हार्डवेयर को छोड़कर) के 10.3 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है जो कि 2013-14 में 105 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया। इस निर्यात में से, 81.9 प्रतिशत शेयर बढ़कर 13.0 प्रतिशत हो गया जबकि घरेलू राजस्व डॉलर में गिरकर 1.0 प्रतिशत हो गया। घरेलू राजस्व रुपए में 9.63 प्रतिशत बढ़ जाने का अनुमान है। 2014-15 में निर्यात और घरेलू राजस्व दोनों में उच्च वृद्धि होने का अनुमान है (सारणी 10.7)

10.35 उपभोक्ता के विश्वास में क्रमिक पुनरुद्धार विवेकसम्मत व्यय की ओर ले जाता है और यूएस और यूरोप से बढ़ती मांग चालान निर्यात में मदद कर रही है। भारत लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में शीर्ष पर है। मूल प्रवेश स्तरीय वेतन, समनता कर्मचारी पिरामिड और तेज कैरियर वृद्धि स्रोत स्थानों से सात-आठ गुना सस्ता और अगले निकटम कम लागत देश से 30 प्रतिशत सस्ते में रहने हेतु भारत की सहायता कर रहे हैं। तथापि, संरक्षणवाद की चुनौतियां, वर्द्धित प्रतिस्पर्धा, मुद्रा

सारणी 10.7 : आईटी-बीपीएम क्षेत्र का समग्र वृद्धि निष्पादन

	मूल्य (बिलियन अमरीकी डालर में)					वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2008-09	2010-11	2012-13	2013-14अनु.	2014-15प्रा.	2012-13	2013-14अनु.	2014-15प्रा.
आईटी-बीपीएम सेवाएं	59.9	76.3	95.2	105.0	118-123	8.6	10.3	12
राजस्व								
निर्यात	47.1	59.0	76.1	86.0	97-100	10.6	13.0	13-15
घरेलू	12.8	17.3	19.2	19.0	21-23	1.1	-1.0	9-12
नियोजन	2.2	2.5	3.0	3.1	—	6.9	5.6	—
(मिलियन में)								

स्रोत: नास्कोम

टिप्पणी: अनु.— अनुमान, प्रा.— प्राक्कलन (राजस्व में हार्डवेयर सेवाएं शामिल नहीं हैं)।

उत्तर-चढ़ाव, मजदूरी संबंधी मुद्रास्फीति और उपभोक्ता के विश्वास में असंगत स्तरों का समाधान किया जाना है।

10.36 यह क्षेत्र आईटी सेवाओं और कारोबार प्रक्रिया बाह्य स्रोतन (बीपीओ)/आईटीईएस में प्रत्यक्ष नियोजन के साथ एक बड़ा नियोजन सर्जक भी है जिसमें 5.6 प्रतिशत तक वृद्धि होने का अनुमान है। 2013-14 के दौरान 166,000 से अधिक नौकरियों के साथ 3.1 मिलियन हो गया जोकि वर्ष के दौरान बढ़ाई जा रही हैं (जिसमें 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए) अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन 10.0 मिलियन होने का अनुमान है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति (एनपीआईटी) आईटी और आईटीईएस उद्योग के राजस्व का ध्यान रखती है जिसमें 2011-12 में 100 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2020 तक 300 बिलियन अमरीकी डालर हो जाएगी और निर्यात 2011-12 में 69 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2020 तक 200 बिलियन अमरीकी डालर हो जाएगा।

अनुसंधान एवं विकास संबंधी सेवाएं

10.37 कारोबार सेवाओं में अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) का स्थान भारत की सकल घरेलू उत्पाद में दूसरा है। पिछले कुछ वर्षों से इसकी वृद्धि लगातार 20 प्रतिशत के करीब रही है; 2012-13 में इसकी वृद्धि 20.8 प्रतिशत रही है। बैटेल और आरएण्डडी पत्रिका द्वारा अनुमानित 2014 की आरएण्डडी (सीईआरडी) पर वैश्विक सकल व्यय 1.6 ट्रिलियन अमरीकी डालर था जो कि गत वर्ष के मुकाबले 50 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक रही। पीपीपी (क्रय शक्ति समानता) के संबंध में सीईआरडी में भारत का हिस्सा 3 प्रतिशत है जिसका अनुमान 44 बिलियन अमरीकी डालर है जो कि चीन से पांच गुना कम है।

10.38 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2013-14 के अनुसार, भारत की नवाचार क्षमता रूस को छोड़कर अन्य ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) से कमतर रहा है (सारणी 10.8) हालांकि, भारत वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को गुणवत्ता में चीन, ब्राजील और रूस से बेहतर अंक प्राप्त है, परन्तु इन संस्थाओं में किए गए अनुसंधान वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ अन्य ब्रिक्स की तुलना में अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी) पर विश्वविद्यालय उद्योग सहयोग पर इसके कम स्कोर से प्रदर्शित होता है। हालांकि भारत वैज्ञानिकों और अभियन्ताओं की उपलब्धता में सभी ब्रिक्स देशों से बेहतर अंक अर्जक है फिर भी बड़ी अवसररचना के चलते इसके पास प्रति मिलियन लोगों पर वैज्ञानिकों और अभियन्ताओं का

सारणी 10.8 : वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक: अनुसंधान और विकास नवोन्मेष

देश	नवोत्पाद हेतु क्षमता		वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की गुणवत्ता		अनु. और विकास पर कंपनी के खर्चे		अनु. और विकास पर विश्वविद्यालय उद्योग सहयोग		वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धता		प्रदत्त पीसीटी पेटेंट/मिलियन जनसंख्या	
	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक
भारत	4.0	41	4.5	37	3.6	39	4.0	47	5.0	15	1.4	64
चीन	4.2	30	4.3	41	4.2	22	4.4	33	4.5	44	9.2	36
दक्षिण अफ्रीका	4.1	33	4.8	35	3.5	43	4.5	29	3.5	108	6.2	42
ब्राजील	4.0	36	4.3	42	3.6	37	4.0	49	3.4	112	2.9	51
रूस	3.5	64	3.7	65	3.1	69	3.6	64	3.8	90	6.1	43
दक्षिण कोरिया	4.5	22	4.9	24	4.6	20	4.7	26	4.6	33	183.4	9
यूके	5.2	8	6.2	3	4.7	12	5.6	5	4.8	23	90.6	18
यूएसए	5.6	5	6.0	5	5.4	5	5.7	3	5.3	6	141.1	12

स्रोत: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2013-14, विश्व अर्थिक मंच।

टिप्पणी: पीसीटी-पेटेंट सहयोग संधि।

अनुपात कम है। इस कमी का कारण गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी है। अत्यधिक बड़ी जनसंख्या आधार होते हुए भी, भारत में 2025 तक इंजिनियरों की 25% कमी होने की संभावना है। पेटेंट प्रदत्त प्रति मिलियन जनसंख्या के आधार पर, अल्प ब्रिक्स देशों के मुकाबले भारत बुरी दशा में आ गया है। आरएण्डडी पर कंपनी व्यय के संबंध में चीन से भी काफी नीचे है।

विधिक सेवाएं

10.39 वर्ष 2005-06 से 2012-13 तक प्रत्येक वर्ष विधिक सेवाएं 8.3% की दर से बढ़ रही हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2013-14 के अनुसार, भारत न्यायिक स्वतंत्रता के मुताबिक 4.7 स्कोर के साथ भारत का 40वां स्थान है जिसमें 2012-13 में 45वां स्थान की तुलना में काफी सुधार हुआ है। जहां तक विवादों के निपटान में विधिक ढांचे की दक्षता का संबंध है भारत पिछले वर्ष की 59वीं स्थान की तुलना में 3 स्थान गिरा, 3.8 के स्कोर के साथ भारत का स्थान 62वां रहा। चुनौतीपूर्ण विनियमनों में विधिक ढांचे की दक्षता के संबंध में पिछले वर्ष के मुकाबले 52वां रैंक से सुधरकर 3.8 के स्कोर के साथ भारत का स्थान 48वां रहा।

10.40 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सहायक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करने व इनका मूल्यांकन करने के लिए और इस अधिनियम के तहत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नीतियां और सिद्धांतों को तय करने के लिए किया गया है। कानून के तहत अपने अधिकारों और समाधानों के बारे में अनभिज्ञ लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के साथ देश में कानून पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए यूनिवर्सिटियों, विधि कोलेजों में विधिक सेवा क्लिनिक और अन्य संस्थाओं में स्कीमें 2013 में शुरू की गईं। 2013-2014 के दौरान देश में विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से 22.23 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इनमें से 29,000 व्यक्तियों से अधिक अनुसूचित जाति से 24,844 अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखते हैं। 58,883 से अधिक महिलाएं और 8,134 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। इस अवधि के दौरान 1,13,838 से अधिक लोक अदालतें गठित की गईं जिसमें 1.17 लाख मोटर दुर्घटना दावे मामले सहित 90.14 लाख से अधिक मामलों को निपटाया गया।

स्थावर संपदा सेवाएं एवं आवास

10.41 स्थावर संपदा एवं आवासों का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5.9 प्रतिशत हिस्सा है तथा इसमें 2012-13 में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्थावर संपदा 26.1 प्रतिशत बढ़ा। आवास क्रियाकलापों का अग्रगामी एवं पश्चगामी दोनों प्रकार का संबंध है जो कि न केवल पूंजी निर्माण, रोजगार के सृजन और आय के अवसरों में योगदान करते हैं बल्कि आर्थिक वृद्धि में भी योगदान करते हैं। अनुमान दर्शाते हैं कि आवास और निर्माण में निवेशित प्रत्येक रुपया सकल घरेलू उत्पाद में 78 पैसे जोड़ता है।

10.42 भारत के पूरे शहरों में आवासीय कीमतों के राष्ट्रीय आवास बैंक के सूचकांक के अनुसार, रिहायशी आवास कीमतों में कई शहरों और नगरों में वर्षों से महंगाई रही। 2007 (आधार वर्ष) की तुलना में 2007-13 की अवधि के दौरान आवासीय संपत्ति की कीमतें चेन्नई में (230 प्रतिशत) की अधिकतम वृद्धि के साथ 24 शहरों में वृद्धि देखी गई जिसके बाद पूणे (135 प्रतिशत), भोपाल (123 प्रतिशत) और मुम्बई (122 प्रतिशत) आता है। केवल दो शहरों में अधिकतम गिरावट के साथ कीमतों में गिरावट देखी गई जिसमें कोची (-15 प्रतिशत) तथा हैदराबाद में (-7 प्रतिशत) रहा। 2013 के दौरान 20 शहरों में से 13 शहरों में 2012 की तुलना में कीमतों में वृद्धि देखी गई। जयपुर में (21 प्रतिशत)

रूस को छोड़कर अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में नवोन्मेष हेतु भारत की क्षमता कम रही है।

अधिकतम वृद्धि देखी गई जिसके बाद भुवनेश्वर (17 प्रतिशत) का स्थान आता है, पिछले वर्ष की तुलना में 7 शहरों में कीमतों में वृद्धि देखी गई। लुधियाना में (-16 प्रतिशत) अधिकतम गिरावट रही जबकि विजयवाड़ा में (-13 प्रतिशत) गिरावट देखी गई।

10.43 भारत की प्रमुख नीतिगत समस्या आवास ईकाइयों और अपर्याप्त आवास वित्त समाधानों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर का होना है। देश की जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत शहरों तथा नगर क्षेत्रों में निवास करता है और यह आंकड़ा 2030 में 50 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। वर्तमान नगर आवास की कमी 18.78 मिलियन है जिसमें से 95.6 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/कम आय समूह (एलआईजी) घटकों से है और बड़े वित्तीय निवेश की आवश्यकता पड़ती है। कम लागत वाले आवासों को बढ़ावा देने के लिए कम लागत वाले आवास परियोजनाओं हेतु विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) को अनुमति प्रदान करने जैसे नई सुविधाएं/कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय बजट 2013-14 में, पंचवर्षीय योजना 2013-14 में पहला मकान के लिए 25 लाख ₹ तक का आवास ऋण, ₹ 100.000 तक का ब्याज का अतिरिक्त कटौती मूल्यांकन वर्ष 2014-15 में दिए गए हैं। ₹ 2000 करोड़ की निधि के साथ शहरी आवास निधि की भी घोषणा की गई है। तदनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने शहरी आवास क्षेत्र में निधि वितरित करने के लिए एक पुनर्वित्त स्कीम तैयार किया है। यह स्कीम संसाधनों को बढ़ाना है और शहरी क्षेत्रों में रह रहे कम आय वर्गों में लोगों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण उपलब्धता में सुधार करना है। 31 मार्च, 2014 तक एनएचबी ने विभिन्न प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआईएस) को इस योजना के तहत ₹ 441.15 करोड़ संवितरित किया है। शहरी गरीब के आवास हेतु ब्याज सहायता योजना के क्रियान्वयन की प्रायोगिक चरण के दौरान सामना किए जा रही बाधाओं से निजात पाने के लिए सरकार ने शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी की आवासीय आवश्यकताओं के समाधान के लिए एक अतिरिक्त लिखत के रूप में संशोधित ब्याज सहायता योजना तैयार किया है जिसे राजीव ऋण योजना (आरआरवाई) नाम दिया गया है। राजीव ऋण योजना के अंतर्गत ऋण की राशि ईडब्ल्यूएस के लिए ₹ 5.0 लाख और एलआईजी लाभार्थियों के लिए ₹ 8.0 लाख तक बढ़ाई गयी है जो कि दोनों वर्गों के लिए ₹ 5.0 लाख तक का ब्याज सहायता दी गई है।

10.44 आवास संबंधी निवेश के लिए संस्थागत ऋण एक महत्वपूर्ण कारक है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद के रूप में बंधकों के साथ लगभग 18-20 प्रतिशत सालाना का सीएजीआर पर बढ़ रहा है। यह वृद्धि 2001 में 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 9 प्रतिशत हो गई, चीन, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश से नीचे हैं। प्रक्रियाओं में विलंब इस क्षेत्र की अन्य प्रमुख बाधा है। वर्ल्ड बैंक डुईंग बिजनेस 2014 के अनुसार निर्माण परमिट देने के संबंध में भारत का 182वां स्थान है जिसमें दक्षिण एशिया में 16 के औसत की तुलना में परमिट देने के लिए कुल 35 प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है जबकि ओईसीडी (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन) देशों में 13 की आवश्यकता पड़ती है इन समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि आवास को न केवल सस्ता बनाया जा सके बल्कि खरीदने में भी आसानी हो।

व्यापार

10.45 व्यापार क्षेत्र में सभी वस्तुओं में थोक और खुदरा व्यापार शामिल है, चाहे घरेलू रूप से उत्पादित हो, आयातित अथवा निर्यातित हो। इसमें क्रय और विक्रय अभिकर्ताओं, दलालों और नीलामीकर्ताओं को शामिल किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में 15.8 प्रतिशत के शेयर के साथ ₹ 14,79,787 करोड़ व्यापार क्षेत्र

2012-13 में बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गया। अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईआईआर) द्वारा अध्ययन 2008 में 35.1 मिलियन के खुदरा व्यापार में नियोजन का अनुमान लगाया, जिसमें देश के कार्यबल का 7.3 प्रतिशत सम्मिलित है। बड़ी संख्या में बड़े और विकेंद्रीकृत व्यापारी भारतीय खुदरा व्यापार पर प्रभुत्व रखते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या 1.3 करोड़ है।

10.46 एटी कियरनी ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स (जीआरडीआई) के अनुसार 2012 में भारत 5वां स्थान से 2013 में 14वीं रैंक पर फिसल गया। इसकी पूर्व रैंकिंग 2002 में शुरूआती सूचकांक में 6वां थी और फिलहाल 2009 में प्रथम स्थान पर रहा। समग्र खुदरा व्यापार में 2012 में दूकान बिक्री प्रमात्रा वृद्धि धीमी रही खासकर जीवन शैली और मूल्य-आधारित प्रकारों में उच्च प्रचालन कीमतें, विक्रेताओं के साथ कम सौदा-शक्ति, बिक्री में सुधार के लिए भारी छूट ने लाभ और विस्तार योजनाओं को प्रभावित किया है। वास्तविक स्थावर लागत और स्थान की उपलब्धता भी प्रमुख मुद्दे रहे। नई निवेशकर्ता बिक्री उत्पादकता में सुधार करने, कटौती प्रचालन कीमतें और स्टोर का आकार कम करने के लिए सक्रिय रूप से आस लगा रहे हैं। तथापि, दीर्घावधिक वस्तुएं मजबूत रहे खासकर बड़े नवयुवक और बढ़ते ब्रांड और फैशन प्रिय जनसंख्या से 2015 तक 14 से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की खुदरा वृद्धि होने की संभावना है।

10.47 2012 में, सरकार ने पहली बार एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है। भारत में कई एकल-ब्रांड खुदरा विक्रेता बड़े क्षेत्रों में प्रवेश किए हैं। कपड़ा और सौंदर्य प्रसाधन (अर्थात् बुक्स, ब्रदर्स, केनेथ, कोले, सिफोरा और अरमानी जूनियर) स्टैंड एलोन बूटिक (अर्थात् रोबर्ग, कावाली और क्रिश्चियन लुबोतिन) और खाद्य (अर्थात् स्टारबक्स और छुदकिन दोनट्स)। मल्टी-ब्रांड रिटेल में, सरकार ने 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है जो कि निवेश, सोर्सिंग, स्टोर का स्थान, और राज्य सरकार के अनुमोदन के पूर्व शर्तों के साथ 2013 के पहले शुरूआत हो चुकी है। कुल खुदरा बिक्री का 1 प्रतिशत से कम ई-कामर्स बिक्री के साथ ऑनलाइन शोपिंग प्रथम चरण पर है। परन्तु वृद्धि तभी उम्मीद की जा सकती है जब ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ सकें। मोबाइल फोन, इलैक्ट्रॉनिक उपकरण, कपड़ा, सिनेमा, वादन और किताबें सबसे तेज बढ़ते श्रेणियों में हैं।

10.48 देश में थोक और खुदरा व्यापार दोनों नई नियंत्रणों, बहु संगठनों और अनेक आदेशों द्वारा शासित होते हैं। इसने असंगठित बाजार पर प्रभाव डाला है जो कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मुक्त प्रवाह, उच्च परिवहन लागत और सामान्यतया निम्न दक्षता और उत्पादकता स्तर पर बाधा उत्पन्न करते हैं। साझा राष्ट्रीय बाजार के निर्माण के लिए वस्तुओं और सेवाओं का स्वच्छन्द प्रवाह एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है जो पूरे क्षेत्र में विकास और व्यापार को बढ़ावा देगा और आर्थिक दक्षता में विशेषीकरण और उच्च स्तरीय आर्थिक क्षमता प्रदान करेगा।

मीडिया और मनोरंजन सेवाएं

10.49 भारतीय मीडिया मनोरंजन उद्योग में विभिन्न खण्ड हैं जिनमें टेलीविजन, प्रिंट, फिल्म, रेडियो, संगीत, एनीमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स तथा डिजिटल एडवर्टाइजिंग शामिल हैं। पिछले दो दशकों में इस उद्योग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है जिसके चलते यह उद्योग भारत में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों की श्रेणी में शामिल हो गया है। फिक्की-केपीएमजी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मीडिया मनोरंजन उद्योग में 2012 के ₹ 821 बिलियन के स्तर में

11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2013 में ₹ 918 बिलियन तक जा पहुंचा। इस उद्योग के 14.2 प्रतिशत के सीएजीआर पर बढ़ने और 2018 तक ₹1786 बिलियन तक हो जाने की संभावना है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग और गेमिंग, जिनमें वर्ष 2013 में क्रमशः 38.7 प्रतिशत और 25.5 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई, आगामी वर्षों में उनके द्वारा इस क्षेत्र की वृद्धि संचालित किए जाने की संभावना है।

10.50 भारत का प्रसारण उद्योग विश्व के सबसे बड़े प्रसारण उद्योगों में से एक है जहां लगभग 161 मिलियन टीवी परिवार हैं। भारत में लगभग 800 सेटेलाइट टेलीविजन चैनल, 88 टेलिपोर्ट, 245 रेडियो चैनल और 170 सामुदायिक रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने अपने केबल नेटवर्क को चार चरणों में डिजिटाइज करने की एक महत्वकांक्षी कवायद शुरू की है जिससे 31 दिसम्बर, 2014 तक एनालॉग टीवी सेवाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। केबल डिजिटाइजेशन के पहले दो चरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। चरण I में, जो 31 अक्टूबर, 2012 को पूर्ण हुआ, चार महानगरों में से तीन दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता ने पूर्ण डिजिटाइजेशन हासिल कर लिया है। रुके हुए अदालती मामलों के चलते चेन्नई अभी इस स्थिति को हासिल नहीं कर पाया है। चरण II 14 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में स्थित 36 शहरों में (10 लाख से अधिक की आबादी वाले) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुआ। पहले दो चरणों में तीन करोड़ सेट टॉप बाक्स (एसटीबी) संस्थापित किए गए। यह अनुमान है कि राज्य सरकारों और भारत सरकार इससे बहुत लाभान्वित होंगी क्योंकि डिजिटाइजेशन के जरिए अभिदाता आधार में आई पारदर्शिता से कर-संग्रहण में कई गुणा वृद्धि होगी। राज्य सरकारों से प्राप्त आरम्भिक आंकड़ों से पता चलता है कि मनोरंजन कर-संग्रहण में पहले ही दो से तीन गुना वृद्धि हो चुकी है। इसमें एसटीबी के स्थानीय विनिर्माण के लिए भी अच्छे अवसर हैं जिससे रोजगार सृजन संभव हो पाएगा। अन्य शहरी क्षेत्रों को कवर करने वाला चरण III और शेष भारत को कवर करने वाला चरण IV क्रमशः 30 सितम्बर, 2014 और 31 दिसम्बर, 2014 को पूर्ण होना तय है। भारत में डाइरेक्ट टू होम सेवाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं और फिक्की-केपीएमजी रिपोर्ट 2014 के अनुसार, यह लगभग एक मिलियन प्रतिवर्ष की दर पर बढ़ रही हैं। हिट्स (हैडएंड इन दि स्काई) भारत में शतप्रतिशत डिजिटल वितरण का लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस समय भारत सरकार द्वारा दो हिट्स प्रचालकों को काम करने की अनुमति दी गई है।

10.51 डिजिटाइजेशन का प्रभाव फिल्म क्षेत्र में भी महसूस किया जा रहा है। भारत की सिनेमा स्क्रीनों का लगभग 95 प्रतिशत पहले ही डिजिटाइजेशन हो जाने के चलते यह उद्योग आगे चलकर बहुत सकारात्मक विकास के लिए तैयार है। पायरेसी आज भी फिल्म उद्योग के लिए एक चुनौती बनी हुई है भारत सरकार ने पायरेसी से निपटने के लिए एक कारगर कानूनी तंत्र बनाना और पीपीपी मोड में मल्टीमीडिया अभियान के जरिए सभी हितधारकों में जन जागरूकता पैदा करने के लिए एक पायरेसी रोधी योजना को अनुमोदित किया है। अब तक भारत सरकार ने नौ देशों नामतः यूके, इटली, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पोलैण्ड, कनाडा और स्पेन के साथ सहनिर्माण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2013-14 में 31 विदेशी निर्माण घरानों को भारत में शूटिंग करने की अनुमति प्रदान की है। बहुआयामी भारतीय सिनेमा की समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना-मुम्बई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय (एनएमआईसी) का निर्माण-कार्यान्वयनाधीन है। पहले चरण का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही यह आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

बॉक्स 10.1 : सेवा क्षेत्र सुधार : कुछ प्रमुख मुद्दे और उच्च लागत के क्षेत्र

सामान्य और क्षेत्र विशिष्ट कई मुद्दे, जिनमें घरेलू विनियमन भी शामिल हैं, सेवा क्षेत्र की विकास संभावनाओं में बाधा उत्पन्न करते हैं और जिन्हें यदि कुशलतापूर्वक सुलझाया जाए तो इस क्षेत्र की मदद हो सकती है और अर्थव्यवस्था के लिए भारी लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

सामान्य मुद्दे:

नोडल एजेंसी और विपणन: सेवाओं के विभिन्न उप-क्षेत्रों में विकास की जबरदस्त संभावना के बावजूद, सेवाओं के लिए कोई एक नोडल विभाग या एजेंसी नहीं है। वाणिज्य विभाग के अंतर्गत सेवाओं के लिए एक अंतःमंत्रालयी समिति गठित की गई है। लेकिन सेवा संबंधित कार्यकलापों में व्यापार से परे कई दूसरे मुद्दे भी शामिल होते हैं और अवांछित विनियमों को समाप्त करने के लिए तथा समन्वित तरीके से सेवा क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों से लाभ उठाने के लिए अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण और उपयुक्त संस्थागत तंत्र की जरूरत है। सेवा निर्यातों के लिए संवर्धनकारी कार्यकलाप किए जाने की भी जरूरत है जैसे सेवाओं के लिए पोर्टल स्थापित करना, व्यापार प्रदर्शनियों में सॉफ्टवेयर-भिन सेवाओं में भी भारत की दक्षता प्रदर्शित करना और समर्पित ब्रांड एम्बेडेडों और विशेषज्ञों की सेवाएं लेना।

विनिवेश: केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के ही अंतर्गत सेवा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करने के लिए बड़ी गुंजाइश है। सेवा संबंधी सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में विनिवेश में तेजी लाने से न सिर्फ सरकार को राजस्व मिलेगा बल्कि इन सेवाओं के विकास में भी तेजी आएगी।

ऋण संबंधी: यहां शामिल मुद्दों में इस क्षेत्र की नकदी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए “संपार्श्विक मुक्त” उदार ऋण दिया जाता और ऋण योग्य सेवा फर्मों के लिए संपार्श्विक के तौर पर निर्यात या कारोबारी आदेशों पर विचार करने की संभावना शामिल है।

कर और व्यापार नीति संबंधी: इनमें निर्यात लाभ योजनाओं के लिए “सकल” के स्थान पर “निवल” विदेशी मुद्रा का मानदण्ड प्रयुक्त करना, कर संबंधी कानूनों में भूतलक्षी प्रभाव के संशोधनों का मुद्दा जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए किसी माध्यम के जरिए किन्हीं अधिकारों के भुगतान को शामिल करने के लिए रॉयल्टी की परिभाषा में संशोधन करना, धन-वापसी में होने वाली देरी से निपटने के लिए कर प्रशासन संबंधी उपाय, विदेशी पर्यटकों का धन-वापसी के लिए वैट (मूल्य वर्धित कर) शुरू करना और सेवाओं में निर्यात संवर्धन लाभ की सुविधा उठाने के लिए विगत निष्पादन के आधार पर बैंक गारंटी देने के मुद्दे के समाधान करना।

क्षेत्रवार मुद्दे:

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र: वर्ष 2012 में विश्व पर्यटक अंतर्वाह में भारत का हिस्सा केवल 0.64 प्रतिशत (स्थान 41) था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा 6.47 प्रतिशत (स्थान 2) और चीन का हिस्सा 5.57 प्रतिशत (स्थान 3) था। विश्व पर्यटन व्यय में भारत का हिस्सा 1.65 प्रतिशत (स्थान 16) के स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक था जिसका अर्थ है कि विदेशी पर्यटकों ने भारत में अपेक्षाकृत अधिक धन खर्च किया। सिंगापुर जैसे छोटे देश में वर्तमान समय में 11.10 मिलियन पर्यटक आते हैं। भारत जैसे बड़े देश में वर्ष 2013 में केवल 6.97 मिलियन विदेशी पर्यटक ही आए। सुझाए गए कुछ उपायों में ये शामिल हैं। सरकारी-निजी भागीदारी की भी सहायता लेकर विश्व स्तरीय पर्यटन अवसंरचना निर्मित करना। काराधान संबंधी अनेकानेक मुद्दों का समाधान करना। पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल और शिष्टाचार का प्रशिक्षण। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता पर और पर्यटकों की सुरक्षा पर विशेष बल; पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं जैसी स्थायी परिसम्पत्तियां निर्मित करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीनरेगा) का प्रयोग करना; महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर रोज़ाना लघु भारतीय सांस्कृतिक समारोह आयोजित करना जिनसे न सिर्फ पर्यटक आकर्षित होंगे बल्कि भारतीय कलाकारों के लिए भी रोजगार सृजित होगा; और 8 “पूर्व संदर्भ” देशों को छोड़कर, 180 देशों को 9 विमान पत्तनों पर आगमन पर वीजा (वीजा ऑन अराइवल) और ई-वीजा देने की योजना तत्काल आधार पर कार्यान्वित करना, ये निर्णय अब लिया जा चुका है।

पत्तन सेवाएं: भारत में आवश्यक ड्राफ्ट से युक्त विश्व स्तरीय पत्तन नहीं है। परिणामस्वरूप अत्याधुनिक जहाज पोताश्रय में दाखिल नहीं हो पाते हैं और माल को बाहर ही छोटे जहाजों में उतारना पड़ता है जिससे लागत में बढ़ोत्तरी हो जाती है। भारत ने विमान पत्तन अवसंरचना विकसित करने में और मेट्रो लाइन बिछाने में बहुत तरक्की की है। इसे विश्व-स्तरीय सेवाएं प्रदान करने वाले विश्व स्तरीय पत्तन निर्मित करने पर तत्काल ध्यान देना चाहिए जिससे लागत में और पत्तनों पर वापस जाने के समय (टर्न अराउंड) में कमी लाकर व्यापार क्षेत्र को भी मदद मिलेगी। भारत में अनेक पत्तन प्रभागों जैसे दूसरे मुद्दे भी हैं और भारत के पत्तन प्रभाग अनेक विकसित देशों के प्रभागों की तुलना में काफी अधिक हैं।

पोत परिवहन, पोत निर्माण और पोत मरम्मत: यह देखते हुए भारत के विदेशी कार्गो के लदान में भारतीय जहाजों का हिस्सा तेजी से गिरा है और भारतीय जहाज पुराने हो रहे हैं, इसलिए नए जहाज लाकर पुराने जहाजों को बदलने की बड़ी जरूरत है। हालांकि हमारे जहाज़ी बेड़े को बढ़ाने के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन वैश्विक मंदी के कारण गिरती कीमतों के चलते वित्तपोषण का एक विशेष तंत्र बनाने की भी जरूरत है। यही बात भारत के पोतनिर्माण उद्योग के महत्व पर भी ध्यान केन्द्रित करती है जिसमें क्षमता और विशेषज्ञता तो है लेकिन वह क्षमता से कम कार्य कर रहा है। विशाखापत्तनम जैसे सरकारी स्वामित्वाधीन शिपयार्ड कम होते आर्डरों की समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे कई पुराने जहाजों को बदलने की जरूरत और जहाजों की मरम्मत के बढ़ते कारोबार के चलते भारत के पोत निर्माण और मरम्मत यार्डों का उपयोग करने के लिए और उनकी क्षमता को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

रेलवे: भारत की एफडीआई नीति में द्रुतगामी परिवहन प्रणालियों को छोड़कर रेल परिवहन में एफडीआई को प्रतिबंधित किया गया है। रेलवे में एफडीआई और निजीकरण अगले बड़ी लागत के महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं। मौजूदा एफडीआई नीति में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा एक प्रस्ताव की शुरुआत की गई है ताकि विश्व स्तरीय रेल अवसंरचना के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एफडीआई की अनुमति दी जा सके। इस प्रस्ताव में रेल परिचालनों को छोड़कर रेल क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति देने की बात कही गई है। यहां तक कि रेल परिचालनों में भी उपनगरीय गलियारों में, हार्ड स्पीड ट्रेन प्रणालियों में और समर्पित फ्रेट लाइनों के लिए पीपीपी परियोजनाओं में एफडीआई का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि रेलवे का निजीकरण जापान जैसे कुछ देशों में सफल रहा है, वहीं यूनाइटेड किंगडम जैसे कुछ देशों में यह असफल भी हुआ है। इसलिए इस प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच किए जाने की जरूरत है और जहां व्यवहार्य हो, वहीं शीघ्रतापूर्वक निजीकरण/एफडीआई की अनुमति दी जानी चाहिए।

स्रोत: डॉ॰ एच॰ए॰ प्रसाद, डॉ॰ सतीश और सलाम श्यामसुंदर सिंह (2014), वर्किंग पेपर 1/2014-डीईए ‘इमर्जिंग ग्लोबल इकनॉमिक सिचुएशन: ऑपरच्यूनैटिज एंड पॉलिसी इश्यूज फॉर सर्विसिज सेक्टर’ और कुछेक मंत्रालयों और संस्थानों द्वारा किए गए अद्यतन।

चुनौतियां और संभावनाएं

चुनौतियां

10.52 सेवा क्षेत्र से प्रेरित भारत की आर्थिक विकास गाथा किसी भी विकासशील देश के लिए अद्भुत रही है। इस क्षेत्र की तात्कालिक चुनौती विकास का पुनरुद्धार करना है। जहां ऐसा सुधारों के जरिए और नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाकर किया जा सकता है, वहीं बड़ी लागत की सेवाओं पर ध्यान देने का एक लक्षित दृष्टिकोण, जैसाकि बॉक्स 10.1 में उल्लेख किया गया है, से भारत में सेवा क्षेत्र के विकास में जबरदस्त उछाल आ सकता है। सॉफ्टवेयर और दूरसंचार जैसी कुछ सेवाएं बड़ी लागत की ऐसी सेवाएं हैं जिन्होंने भारत को सेवा क्षेत्र में ब्रांड छवि दी है। हालांकि इन सेवाओं पर और अधिक बल दिया जाना हमारी अग्रणी भूमिका को बनाए रखने तथा आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, फिर भी समय आ गया है कि हम कुछ और ऐसी उच्च लागत बढ़ाने के लिए जरूरी है, फिर भी समय आ गया है कि हम कुछ और ऐसी लागत की संभावित बड़ी सेवाओं पर ध्यान दें जो विनिर्माण क्षेत्र और रोजगार के साथ जुड़ी हैं। (बॉक्स 10.1)।

संभावनाएं

10.53 भारत का सेवा क्षेत्र में, जो 2005-06 से 10 प्रतिशत से अधिक स्थिर दर पर बढ़ रहा था, पिछले तीन वर्षों में निष्पादन मंद रहा है। वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान और उसके बाद भी सेवा क्षेत्र में जो समुत्थानशीलता देखी गई थी, वह अब मद्धिम पड़नी शुरू हो गई है, हालांकि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में अभी भी अधिक है। जहां विनिर्माण और खनन क्षेत्रों में व्याप्त मंदी ने रेलवे, पोत परिवहन, पत्तनों जैसी कुछ सेवाओं को सीधे और मजबूत सम्पर्कों प्रभाव के कारण अन्य संबंधित सेवाओं को प्रभावित किया, अन्य सेवाएं वैश्विक एवं घरेलू दोनों ही प्रकार की आय वृद्धि में हुई मंदी से प्रभावित हुई।

10.54 सामुदायिक और सामाजिक सेवाओं का निष्पादन भी फीका रहा, जिनमें छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद सरकारी कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान किए जाने चलते 2008-09 और 2009-10 में जबरदस्त वृद्धि देखी गई थी और इनके परिणामस्वरूप लोक प्रशासन और रक्षा श्रेणी में उच्च वृद्धि हुई थी। तथापि, वित्त पोषण, बीमा और स्थावर सम्पदा तथा अन्य कारोबारी सेवाओं तथा लोक प्रशासन एवं रक्षा क्षेत्र को छोड़कर सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाओं जैसे कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं द्वारा किए गए अच्छे निष्पादन ने पिछले तीन वर्षों में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर को 7 या लगभग 7 प्रतिशत के साधारण स्तरों तक ला दिया।

10.55 भविष्य की बात करें तो वर्ष 2014-15 कारोबारी गतिविधि के विस्तार के चलते सेवा क्षेत्र के लिए अच्छे संकेत दे रहा है जैसाकि एचएचबीसी की भारत के लिए “सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स” द्वारा भी इंगित किया गया है। कुछ एयरलाइनों द्वारा इस क्षेत्र से वापस हटने और उनके द्वारा उठाई गई हानियों की हलचल के बाद एयर एशिया और टाटा-एसआईए एयरलाइन जैसे नए भागीदारों के आगमन की घोषणा के चलते विमानन क्षेत्र में भी विकास के पुनरुद्धार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद और व्यापार वृद्धि में सामान्य तौर पर और विशेष तौर पर विकसित देशों में इसी वृद्धि के पुनरुद्धार के संकेत पर्यटन और पोत परिवहन क्षेत्रों के सुधार में सहायक हो सकते हैं। अब एक स्थिर सरकार के बनने और उभरती उम्मीदें जो निवेश और विकास में रूपांतरित हो सकती हैं; सेवा क्षेत्र में कुछ बाधाओं और पुराने विनियमों को हटाने और कुछ तत्काल सुधारों से लाभ हो सकता है। लेकिन क्षीण वैश्विक स्थिति एक बड़ा जोखिम है।

सॉफ्टवेयर और दूरसंचार जैसी कुछेक सेवाएं बड़ी लागत की ऐसी सेवाएं हैं जिन्होंने भारत को सेवा क्षेत्र में ब्रांड छवि दी है। समय आ गया है कि कुछ अन्य उच्च लागत सेवाओं पर ध्यान दिया जाए जो कि विनिर्माण क्षेत्र और रोजगार के साथ जुड़ी हैं।

2014-15 में सेवा क्षेत्र के पुनः बहाली के संकेत हैं। कुछ त्वरित सुधार और बाधाओं को हटाने और पुराने विनियमों में और अधिक सुधार हो सकता है।

अध्याय 11

ऊर्जा, अवसंरचना और संचार

चूंकि आर्थिक विकास आमतौर पर और विनिर्माण क्षेत्र का विकास विशेष रूप से मूलतः उपयुक्त अवसंरचना के सृजन पर निर्भर करता है, इसलिए भारत में अवसंरचना-निवेश पर नीतिगत बल दिया गया है। देश में बढ़ी हुई निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ ऐसा निवेश समय के साथ कई गुना बढ़ा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी अवसंरचना विकास पर विशेष बल दिया गया है क्योंकि स्तरीय अवसंरचना न केवल सतत उच्च विकास के लिए जरूरी है अपितु यह भी सुनिश्चित करती है कि विकास समावेशी हो। पिछले लगभग एक दशक के दौरान किए गए प्रचुर अवसंरचनागत निवेशों ने भारत को विश्व में सबसे तेजी से विकसित होती एक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने में सहायता की है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में, अवसंरचनागत निवेश को बढ़ाकर, अवसंरचनागत व्यय की उत्पादकता और गुणवत्ता को सुधारकर, प्रक्रिया संबंधी अड़चनों को दूर करके तथा अभिशासन को सुधारकर, अवसंरचना संबंधी रुकी हुई परियोजनाओं को शीघ्र पुनः प्रारंभ करने की जरूरत महसूस की गई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वास्तविक चुनौती न केवल ऐसी मुख्य परियोजनाओं की पहचान करना है जो समग्र आर्थिक विकास को तेज करने के लिए जरूरी है, अपितु चुनौती यह भी है कि ऐसी व्यवहार्य अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए निवेश के मार्गीकरण को सुनिश्चित किया जाए तथा विनियमकारी अनुमोदनों, भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास आदि में विलंब जैसे मुद्दों का शीघ्रता से समाधान करके उनके कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए।

कार्यनिष्पादन का सिंहावलोकन

11.2. गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना की उपलब्धता उद्योग और सेवाओं के विकास की कुंजी है। अवसंरचना विकास परिप्रेक्ष्य में, विनियमकारी अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की समस्याओं, पर्यावरण संबंधी क्लियरेंस आदि में विलंब जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ज्यादा समय लगना बहुत से अवसंरचना क्षेत्रों में कम उपलब्धि का एक मुख्य कारण बना हुआ है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की फरवरी, 2014 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 1000 करोड़ रु. या इससे अधिक की लागत वाली 239 केन्द्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं में से 99 अद्यतन सूची के अनुसार विलंबित हुई हैं और 11 में पिछले मास सूचित की गई समापन की तारीख के अनुसार अतिरिक्त विलंब हुआ है। पेट्रोलियम, विद्युत, इस्पात और कोयला क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं के संदर्भ में अतिरिक्त विलंब हुआ है और यह विलंब 1 से 26 महीनों के बीच में है। इन 239 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कुल मूल लागत लगभग 7,39,882 करोड़ रु. थी तथा उनकी प्रत्याशित समापन लागत 8,97,684 करोड़ रु. होने की संभावना है जो 1,57,802 करोड़ रु. (मूल लागत का 21.3 प्रतिशत) की अधिक समग्र लागत का संकेत करती है। इन परियोजनाओं पर फरवरी 2014 तक हुआ व्यय 4,10,684 करोड़ रु. था, जो कुल प्रत्याशित लागत का 45.7 प्रतिशत है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ज्यादा समय लगना बहुत से अवसंरचना क्षेत्रों में कम उपलब्धि का एक मुख्य कारण बना हुआ है।

11.3 बड़े उद्योगों और अवसंरचना सेवाओं के प्रमुख क्षेत्रवार कार्यनिष्पादन ने 2013-14 के दौरान मिली-जुली प्रवृत्ति दर्शाई है। विद्युत और उर्वरक के उत्पादन में विकास 2012-13 की तुलना में अधिक था, जबकि कोयला, इस्पात, सीमेंट और रिफाइनरी उत्पादन में तुलनात्मक रूप से कम विकास हुआ। 2013-14 के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी हुई। अवसंरचना सेवाओं में, रेलवे द्वारा माल की ढुलाई तथा बड़े पत्तनों द्वारा संचालित माल तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्र (आयात माल के सिवाय) में विकास 2013-14 के दौरान तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा हुआ है। सड़क क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2012-13 के दौरान 26.5 प्रतिशत विकास की तुलना में 2013-14 के दौरान 33 प्रतिशत का ऋणात्मक विकास दर्शाया है।

ऊर्जा

11.4 बारहवीं योजना के अनुमानों के अनुसार, कुल घरेलू ऊर्जा उत्पादन 2016-17 तक तेल समतुल्य का 669.6 मिलियन टन तथा 2021-22 तक तेल समतुल्य का 844 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। यह अपेक्षित ऊर्जा खपत का 71 प्रतिशत तथा 69 प्रतिशत पूरा करेगा, शेष को आयातों से पूरा किया जाएगा, 2016-17 तक तेल समतुल्य का लगभग 267.8 मिलियन टन तथा 2021-22 तक तेल समतुल्य का लगभग 375.6 मिलियन टन होना अनुमानित है। यद्यपि ऊर्जा का घरेलू उत्पादन बढ़ने का अनुमान है, परन्तु आयात निर्भरता अधिक बनी रहेगी, विशेष रूप से कच्चे तेल के लिए, जहां बारहवीं योजना के अंत तक मांग का लगभग 78 प्रतिशत आयात से किया जाना होगा। कोयले के लिए आयात निर्भरता भी 2011-12 में 18.8 प्रतिशत से बारहवीं योजना के अंत तक 22.4 प्रतिशत तक बढ़नी अनुमानित है। इसके अतिरिक्त यह अनुमान भी लगाया गया है कि बारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में कोयला, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) तथा कच्चे तेल, सभी की आयात निर्भरता ग्यारहवीं योजना के 36 प्रतिशत के स्तर पर रहने की संभावना है।

यद्यपि ऊर्जा का घरेलू उत्पादन बढ़ने का अनुमान है, परन्तु आयात निर्भरता अधिक बनी रहेगी, विशेष रूप से कच्चे तेल के लिए जहां बारहवीं योजना के अंत तक मांग का लगभग 78 प्रतिशत आयात से किया जाना होगा।

आरक्षित भंडार और ऊर्जा सृजन की संभावना

11.5 ऊर्जा के सृजन की संभावना देश के प्राकृतिक संसाधनों की स्थायी निधियों और उन्हें काम में लेने की प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है। भारत के पास नवीकरणीय-भिन्न भंडार (कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (हाइड्रो, वायु, सौर, बायो मास और सह सृजन खोई) दोनों हैं। दिनांक 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार भारत के पास अनुमानित कोयला भंडार लगभग 294 बिलियन टन, लिग्नाइट 42 बिलियन टन, कच्चा तेल 760 मिलियन टन और प्राकृतिक गैस 1330 बिलियन क्यूबिक मीटर है। नवीकरणीय विद्युत सृजन की कुल संभावना मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 89,774 मेगावाट थी। नवीकरणीय-भिन्न और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की अनुमानित भंडार संभावना नए भंडारों की खोज व विकास तथा उनकी खोज की गति को बदल देगी।

ऊर्जा उत्पादन और खपत

11.6 पिछले चार दशकों अर्थात् 1970-71 से 2011-12 तक पारंपरिक ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों नामतः कोयला, लिग्नाइट, कच्चा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत (हाइड्रो तथा नाभिकीय) के उत्पादन की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) क्रमशः 4.9 प्रतिशत, 6.2 प्रतिशत, 4.2 प्रतिशत, 8.7 प्रतिशत तथा 4.3 प्रतिशत थी। उसी समय, कोयला, लिग्नाइट, रिफाइनरी उत्पादन के अर्थ में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस (खरीद) तथा विद्युत (ताप, हाइड्रो तथा नाभिकीय) की खपत सीएजीआर की क्रमशः 4.9 प्रतिशत, 6.2 प्रतिशत, 6.0 प्रतिशत, 10.7 प्रतिशत तथा 7.1 प्रतिशत

बढ़ी है। इस अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत सीएजीआर की 4.1 प्रतिशत बढ़ी है। पेटा जूल्स के अर्थों में व्यक्त प्राथमिक स्रोतों से ऊर्जा की खपत का पैटर्न यह दर्शाता है कि विद्युत का उत्पादन 2010-11 के दौरान ऊर्जा के सभी प्राथमिक स्रोतों की कुल खपत का लगभग 57.6 प्रतिशत था और इसके बाद कोयला और लिग्नाइट (20 प्रतिशत) तथा कच्चे पेट्रोलियम (18.8 प्रतिशत) का स्थान आता है।

विद्युत

उत्पादन

11.7 विद्युत संयंत्रों द्वारा बिजली का उत्पादन 2013-14 के दौरान 6.9 प्रतिशत बढ़ाकर 975 बिलियन यूनिट लक्षित था। अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के दौरान 4.0 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 (अप्रैल-मार्च) के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि 6.0 प्रतिशत थी (सारणी 11.1)।

श्रेणी	अप्रैल-मार्च			वृद्धि (प्रतिशत) (2012-13 से 2013-14)
	2011-12	2012-13	2013-14	
विद्युत उत्पादन	876.89	912.06	967.15	6.04
पन-बिजली#	130.51	113.72	134.85	18.58
तापीय	708.81	760.68	792.48	4.18
नाभिकीय	32.29	32.87	34.27	4.14
भूटान से आयात	5.29	4.80	5.60	16.75

स्रोत: विद्युत मंत्रालय

टिप्पणी: #इसमें 25 मेगावाट से अधिक वाले हाइड्रो स्टेशनों का उत्पादन शामिल है।

सारणी 11.1 : संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन
(बिलियन किलोवाट)

11.8 ताप बिजली की श्रेणी में कोयले, लिग्नाइट और गैस आधारित स्टेशनों से उत्पादन में वृद्धि क्रमशः 8.3 प्रतिशत, (-) 0.3 प्रतिशत और (-) 33.4 प्रतिशत थी। ताप विद्युत स्टेशनों की दक्षता के माप के रूप में समग्र संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान अप्रैल 2012 से मार्च, 2013 के दौरान प्राप्त 70.13 प्रतिशत के संयंत्र भार कारक की तुलना में गिरकर 65.55 प्रतिशत रह गया।

11.9 वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक का ताप विद्युत केन्द्रों के पीएलएफ का क्षेत्रवार और अंचलवार विवरण समय के साथ साथ आंचलिक अंतर में परिवर्तन दर्शाता है। राज्य क्षेत्र के संयंत्रों का पीएलएफ निजी और केंद्रीय क्षेत्र के संयंत्रों की तुलना में कम बना रहा है। ऊर्जा घाटा ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) में, 8.5 प्रतिशत से घटकर 2013-14 के दौरान 4.2 प्रतिशत हो गया और शीर्ष घाटा 10.6 प्रतिशत से घटकर 4.5 प्रतिशत रह गया।

क्षमता वर्धन

11.10 बारहवीं योजना अवधि के लिए क्षमतावर्धन लक्ष्य 88,537 मेगावाट अनुमानित है जिसमें क्रमशः केन्द्रीय क्षेत्र में 26,182 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 15,530 मेगावाट तथा निजी क्षेत्र में 46,825 मेगावाट शामिल हैं। वर्ष 2012-13 के लिए क्षमता वर्धन लक्ष्य 17,956.3 मेगावाट था जिसकी तुलना में 20,622.8 मेगावाट (20,121.8 मेगावाट थर्मल तथा 501 मेगावाट हाइड्रो) का रिकार्ड क्षमता वर्धन प्राप्त हुआ-जो अब तक का अधिकतम वार्षिक क्षमता वर्धन था। वर्ष 2013-14 के लिए क्षमता वर्धन लक्ष्य 18,432.3 मेगावाट था जिसकी तुलना में 17,825.1 मेगावाट का क्षमता वर्धन प्राप्त हुआ है।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) संबंधी पहलें

11.11 विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी), जिनमें प्रत्येक 4000 मेगावाट क्षमता की थी, के विकास के लिए पहल शुरू की थी। चार यूएमपीपी नामतः मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापतनम तथा झारखण्ड में तिलैया को पहले ही अभिज्ञात विकासकर्ताओं को हस्तांतरित किया जा चुका है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। मुंद्रा, यूएमपीपी (5 x 800 मेगावाट) पूरी तरह से प्रारंभ हो चुकी है और विद्युत का उत्पादन कर रही है। सासन यूएमपीपी (3 x 660 मेगावाट) की तीन इकाईयां अभी तक प्रारंभ हो चुकी हैं। सासन की शेष इकाईयां तथा अन्य प्रदान की गई यूएमपीपी बारहवीं योजना में आने की आशा है (तिलैया यूएमपीपी की अंतिम इकाई को छोड़ कर, जिसके तेरहवीं योजना में आने की संभावना है)।

मेगा विद्युत नीति में परिवर्तन

11.12 फरवरी 2014 में भारत सरकार ने अनंतिम मेगा विद्युत प्रमाणित परियोजनाओं के लिए मेगा विद्युत नीति में परिवर्तनों को अनुमोदित किया है। मेगा सर्टिफिकेट का लाभ प्राप्त करने के लिए अनंतिम मेगा परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को विशिष्ट मेजबान राज्य नीति के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने के जरिए कम से कम स्थापित क्षमता/निवल क्षमता का 65 प्रतिशत तथा विनियमित टैरिफ के अंतर्गत स्थापित क्षमता/निवल क्षमता का 35 प्रतिशत, जो भी मामला हो, जरूर टाईअप करना चाहिए तथा वह डिस्कॉम्स/राज्य-नामित एजेंसी के साथ दीर्घावधिक विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के अंतर्गत संबंधित विनियामक द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। यह वितरण एककालिक होगा और उन 15 परियोजनाओं (19,000 मेगावाट) तक सीमित होगा जो राज्यों में स्थित हैं और जिनके पास विनियमित टैरिफ के अंतर्गत पीपीपी की नीति से टाई-अप करने के लिए मेजबान राज्य की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कर प्राधिकारियों को अंतिम सर्टिफिकेट प्रदान करने के प्रयोजन से अधिकतम समय अवधि अनंतिम मेगा परियोजनाओं (25 परियोजनाएं, 32,000 मेगावाट) के आयात की तारीख पूरी होने से 36 महीनों से 60 महीनें बढ़ाकर दी गयी है। देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए फिलहाल की गई कुछ पहलें बॉक्स 11.1 में दी गयी हैं।

पेट्रोलियम

11.13 पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने ठोस तथा संरचनाबद्ध वितरण तथा विपणन प्रणाली विकसित करने के साथ-साथ पेट्रोलियम संसाधनों के अन्वेषण तथा दोहन को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया है। इसके बावजूद, कच्चे तेल का उत्पादन 2012-13 में 37.9 एमएमटी की तुलना में 2013-14 में लगभग 37.8 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तक स्थिर रहा जो लगभग 0.20 प्रतिशत की थोड़ी सी कमी दर्शाता है। कच्चे तेल का अधिक उत्पादन पुराने क्षेत्रों से है, जिसमें कृष्णा, गोदावरी का गहरा जल तथा राजस्थान का ब्लाक अपवाद हैं। कच्चे तेल का उत्पादन पर्यावरण संबंधी मुद्दों, बांधों/अवरोधों, कम आधार क्षमता, कुछ राज्यों में कुंओं से उत्पादन में विलंब द्वारा भी प्रभावित हुआ था। औसत प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2012-13 में 40.7 बीसीएम की तुलना में 2013-14 में लगभग 35.4 बीसीएम था, जो लगभग 13 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

घरेलू तेल और गैस का अन्वेषण

11.14 भारत के पास 3.14 मिलियन वर्ग किलोमीटर का अनुमानित तलछटी क्षेत्र है जिसमें 26 तलछटी थालें हैं। नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के बोली लगाने के नौ दौरों के अंतर्गत कुल 254 उत्पादन साझेदारी संधिदाएं अभी तक हस्ताक्षरित हुई हैं, जिनमें से 148 ब्लाक फिलहाल प्रचालनरत हैं तथा शेष 106 संधिदाकारों द्वारा

पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने ठोस तथा संरचनाबद्ध वितरण तथा विपणन प्रणाली विकसित करने के साथ-साथ पेट्रोलियम संसाधनों के अन्वेषण तथा दोहन को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया है।

बॉक्स 11.1 : भारत में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए फिलहाल की गई पहलें

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित अनुमोदन

- निवेश की मात्रा की किसी ऊपरी अंतिम सीमा के बिना विद्युत क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण तथा वितरण तथा व्यापार में 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के लिए स्वचालित अनुमोदन (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मार्ग की अनुमति है। सरकार ने 22.8.2013 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विनियम 2010 के अंतर्गत पंजीकृत विद्युत केन्द्रों के लिए 'स्वचालित मार्ग' के जरिए 49 प्रतिशत (26 प्रतिशत एफडीआई + 23 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेश) के रूप में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा के संबंध में अपनी संशोधित स्थिति अधिसूचित की है।
- **ईंधन आपूर्ति करारों पर हस्ताक्षर:** आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 21 जून, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में कोयला मंत्रालय/कोल इंडिया लिमिटेड को निर्देश जारी किया था कि वह टेपरिंग लिंकेज सहित, 78,000 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) पर हस्ताक्षर करे जिनकी मार्च, 2015 तक प्रारंभ होने की संभावना है। इस संदर्भ में किए गए सम्मिलित प्रयासों से लगभग 74,000 मेगावाट की क्षमता वाली 160 इकाइयों के लिए एफएसए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एनटीपीसी को नए कोयला ब्लॉकों का आवंटन

- 8460 मेगावाट की विद्युत परियोजनाओं के लिए अगस्त, 2013 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को चार कोयला ब्लॉक (बनाई, भालुमुडा, चंदाबिला तथा कुडानाली-लाबूरी) आवंटित किए गए हैं।

पास-श्रु कार्यप्रणाली

- सीसीईए द्वारा (14000 मेगावाट-केस I तथा 2009 के बाद के संयंत्र-केस II) जून, 2013 में संपन्न की गई पीपीए के लिए पास श्रु कार्यप्रणाली अनुमोदित की गई है।
- सीईआरसी/राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) को सलाह दी गई है कि वह लोक हित में मामला-दर-मामला आधार पर उचित प्रक्रिया के अनुसार इस संदर्भ में व्यक्तिगत विद्युत उत्पादकों के अनुरोध पर विचार करें। उपयुक्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह सरकार के इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए पीपीए की शर्त को शामिल करना

- कोयला मंत्रालय ने कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के साथ खनन पट्टे को निष्पादित करते समय पीपीए की शर्त को शामिल करने के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) तथा राज्य सरकारों को पत्र जारी किए हैं ताकि कम लागत के कोयले के लाभ उपभोक्ताओं को दिए जा सकें।

स्वतंत्र कोयला विनियामक विधेयक

- मंत्रिमंडल ने 27 जून, 2013 को स्वतंत्र कोयला विनियामक विधेयक अनुमोदित किया है। कोयला मंत्रालय ने दिसंबर, 2013 में संसद में विधेयक पेश किया था। कोयला मंत्रालय ने कोयला विनियम स्थापित करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया है।

तृतीय पक्ष की नमूना जांच तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र

- कोयले की गुणवत्ता के मुद्दे को दूर करने के लिए कोयला मंत्रालय/कोल इंडिया लि० अक्टूबर, 2013 में लदान बिंदुओं पर तृतीय पक्ष द्वारा नमूना जांच के लिए सहमत हो गए। तृतीय पक्ष द्वारा नमूना जांच के लिए कोल इंडिया लि० द्वारा नियुक्त एक एजेंसी 1.10.2013 से प्रचालनरत है।

छोड़ दिए गए हैं। एनईएलपी के अंतर्गत 1.5 मिलियन वर्ग कि.मी. का क्षेत्र अभी तक प्रदान किया गया है जो देश में कुल तलछटी क्षेत्र का लगभग 48 प्रतिशत है। एनईएलपी ब्लॉकों से चालू औसत तेल उत्पादन लगभग 6938 बैरल/प्रतिदिन तथा गैस उत्पादन 14.13 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) प्रतिदिन है। एनईएलपी की बोली लगाने के दसवें दौर (एनईएलपी-X) से संबंधित गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। कुल 86 ब्लॉक (30 गहरा पानी, 23 छिछला पानी तथा 33 जमीन) अंतिम रूप से प्रस्तावित किए गए हैं। अंतर मंत्रालयी स्वीकृतियों पर कार्रवाई चल रही है।

अन्य गैसीय ईंधन का घरेलू अन्वेषण

कोल बेड मीथेन

11.15 भारत के पास विश्व के चार सबसे बड़े प्रमाणित कोयला भंडार हैं और इनमें कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के अन्वेषण और दोहन के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। सीबीएम नीति के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में 33 अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए गए हैं। देश में सीबीएम अन्वेषण हेतु 26,000 वर्ग कि.मी. के कुल उपलब्ध कोयला क्षेत्र में से लगभग 17,000 वर्ग कि.मी. में अन्वेषण प्रारंभ किया

गया है। देश में अनुमानित सीबीएम संसाधन लगभग 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट (टीसीएफ) है, जिसमें से अभी तक केवल 9.9 टीसीएफ स्थापित किए गए हैं। भारत में सीबीएम का व्यावसायिक उत्पादन लगभग 0.45 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एमएमएससीएमडी) के चालू उत्पादन के साथ एक वास्तविकता बन गया है।

शैल गैस

11.16 शैल गैस देश में ऊर्जा के महत्वपूर्ण नए स्रोत के रूप में उभर सकती है। भारत में अनेक शैल स्वरूप हैं जहां शैल गैस पाया जाना प्रतीत होता है। ये स्वरूप कई तलछट थालों में फैले हुए हैं जैसे कैम्बे, गोंडवाना, कृष्णा-गोदावरी भूमि पर और कावेरी। हाइड्रोकार्बन महानिदेशक ने शैल गैस अन्वेषण के लिए संभावित क्षेत्रों का पता लगाने हेतु कदम उठाए हैं। सरकार ने विद्यमान आंकड़ों की जांच और भारत में शैल गैस विकास हेतु विधितंत्र सुझाने के लिए डीएचजी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (जीएआईएल) की एक बहुसंगठनात्मक टीम बनायी है। इसके अलावा, भारत में शैल गैस संसाधनों के आकलन, भारतीय भू-वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा विनियम रूपरेखाओं को बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए विदेश विभाग, अमरीका तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अमरीका के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने तीन थालों के लिए प्रतिलभ्य 6.1 टीसीएफ शैल गैस संसाधन का अनुमान लगाया है। यूएसजीसी द्वारा आगे अध्ययन जारी है।

शैल गैस देश में ऊर्जा के महत्वपूर्ण नए स्रोत के रूप में उभर सकती है। भारत में अनेक शैल स्वरूप हैं जहां शैल गैस पाया जाना प्रतीत होता है।

विदेशों से इक्विटी ऑयल तथा गैस

11.17 देश में हाइड्रोकार्बन की मांग और आपूर्ति के प्रतिकूल संतुलन को देखते हुए, विदेशों से इक्विटी ऑयल तथा गैस आस्तियां अधिग्रहित करना ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार विदेशों से इक्विटी ऑयल तथा गैस के अवसरों को तेजी से तलाशने के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने अपनी सूडान, वियतनाम, वेनेजुएला, रूस, सीरिया, ब्राजील, दक्षिणी सूडान तथा कोलंबिया स्थित विदेशी आस्तियों से 2013-14 के दौरान लगभग 8.357 एमएमटी तेल और इतनी ही गैस का उत्पादन किया गया है। 2014-15 में अनुमानित तेल तथा प्राकृतिक गैस उत्पादन लगभग 8.155 एमएमटी है। कम विदेशी उत्पादन का कारण दक्षिणी सूडान और सीरिया में भूराजनैतिक उथल-पुथल है। तेल संबंधी सरकारी क्षेत्र की इकाईयां (पीएसयू) जैसे ओबीएल, इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी), ओआईएल, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बीपीसीएल) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एचपीसीएल) तथा गेल ने 20 से ज्यादा देशों में अन्वेषण तथा उत्पादन (इ एंड पी) आस्तियां अधिग्रहीत की हैं।

देश में हाइड्रोकार्बन की मांग और आपूर्ति के प्रतिकूल संतुलन को देखते हुए, विदेशों से इक्विटी ऑयल तथा गैस आस्तियां अधिग्रहित करना ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

शोधन क्षमता

11.18. भारतीय शोधन उद्योग ने विश्व में मुख्य प्रतियोगी के रूप में अपने आपको स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। भारत शोधनशाला केन्द्र के रूप में उभर रहा है तथा शोधन क्षमता मांग से ज्यादा है। पिछले दशक में इस क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। देश की शोधन क्षमता 1998 में संतुलित 62 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) से बढ़कर 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार 215.07 एमएमटीपीए हो गयी है और इसमें 22 रिफाइनरी, 17 सरकारी क्षेत्र के अधीन, 3 निजी क्षेत्र के अधीन, तथा 2 संयुक्त उद्यम (जेवी) शामिल हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रिफाइनरी क्षमता 307.37 एमएमटीपीए तक पहुंच जाने की आशा है। 2013-14 के लिए रिफाइनरी क्रूड उत्पादन (प्रसंस्कृत कच्चा तेल) 2012-13 के लिए

219.21 एमएमटी की तुलना में लगभग 222.70 एमएमटी थी, जो 1.59 प्रतिशत की अल्पवृद्धि दर्शाती है। 2013-14 के दौरान, 2012-13 के दौरान 3,20,090 करोड़ ₹ के मूल्य के 63.4 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में 3,71,143 करोड़ ₹ के मूल्य के कुल 68.4 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया था। 2013-14 के दौरान, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 7.9 प्रतिशत तथा 16.0 प्रतिशत अधिक था।

गैर पारंपरिक ऊर्जा

ईथेनॉल मिश्रित पेट्रोल

11.19 सरकार ने 2003 में ईथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 2006 में इसे उत्तरी पूर्वी राज्यों, जम्मू व कश्मीर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़ कर पूरे देश में फैला दिया गया था। ईबीपी कार्यक्रम को तेज करने के लिए, सरकार ने 22 नवम्बर, 2012 को निर्णय लिया कि पूरे देश में 5 प्रतिशत अनिवार्य ईथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसके बाद ईथेनॉल की अधिप्राप्ति की कीमत तेल विपणन कंपनियों और ईथेनॉल के आपूर्तिकर्ताओं के बीच निर्णीत की जानी थी। तेल विपणन कंपनियां ईथेनॉल की उपलब्धता के अनुसार 20 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहीं हैं।

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा

11.20 योजना आयोग ने इंगित किया है कि बारहवीं योजना में तेल पीएसयू द्वारा 5 एमटीओई की नवीकरणीय तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा के विकास की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, तेल पीएसयू ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सौर और पन ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा के लिए सीबीएम, थाला केन्द्रित गैस (बीसीजी) तथा भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूजीसी) परियोजनाओं द्वारा विभिन्न पहलें की हैं। नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों तथा ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों के संबंध में विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) की स्थापना के लिए 25 फरवरी, 2014 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच तदनुसार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

कोयला

11.21 मांग और आपूर्ति के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, अंतर 100 एमटी था और यह अब 145 एमटी से 150 एमटी तक बढ़ गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयला तथा लिग्नाइट के कार्यकारी समूह की रिपोर्ट ने 2016-17 तक भारत में कोयले की मांग 7.1 प्रतिशत सीएजीआर तक बढ़ने का और वास्तविक मांग के अंतर्गत 980.5 एमटी वार्षिक तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। 7.0 प्रतिशत की अनुमानित विकास दर के साथ, मांग 2021-22 तक 1373 एमटी पहुंच जाने की आशा है। कोयले की समग्र दीर्घावधिक मांग अंतः प्रयोग क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन अर्थात् ताप विद्युत, लोहे और इस्पात व सीमेंट से निकटता से जुड़ी हुई है। भारत में, कोयले के मुख्य अंतः प्रयोग क्षेत्र मुख्यतः ईंट और मृत्तिका शिल्प उद्योग वाले असंगठित लघु स्तर के क्षेत्र से अनियमित मांग के अलावा तापीय विद्युत उत्पादन (60 प्रतिशत), लौह और इस्पात (7 प्रतिशत) तथा सीमेंट (5 प्रतिशत) हैं। पिछले दो-तीन वर्षों में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में आयी काफी कमी ने कोयले पर ऊर्जा क्षेत्र की निर्भरता को और अधिक बढ़ा दिया है।

कोयले की समग्र दीर्घावधिक मांग अंतः प्रयोग क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन अर्थात् ताप विद्युत, लोहे और इस्पात व सीमेंट से निकटता से जुड़ी हुई है।

11.22 बारहवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में कोयला क्षेत्र का कार्यनिष्पादन मंद रहा। 2012-13 में 556 एमटी तथा 2013-14 में 566 एमटी घरेलू उत्पादन हुआ। इन दो वर्षों में कोयले की समग्र घरेलू मांग 715-720 एमटी के बीच थी। मांग मुख्यतः विद्युत उत्पादन क्षेत्र के कारण थी जबकि लौह, इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों में मांग की वृद्धि दर नियंत्रित थी। घरेलू मांग और आपूर्ति में अंतर पाटने के लिए देश ने 2012-13 के दौरान 92,538 करोड़ रु० की लागत वाले लगभग 146 एमटी कोयले तथा 2013-14 (अनंतिम) के दौरान 95,175 करोड़ रु० की लागत वाले लगभग 169 एमटी कोयले का आयात किया। आयात की लागत बहुत अधिक होती यदि पिछले दो वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कोयले की कीमत में कमी न होती। स्थिर घरेलू कोयला उत्पादन के साथ, बारहवीं योजना के शेष तीन वर्षों में कोयले का आयात बढ़ने की संभावना है। मूल्य के संदर्भ में, पीओएल तथा स्वर्ण के बाद कोयला तीसरी सबसे ज्यादा आयातित मद है तथा इसके बढ़ने का रुझान भारत के चालू खाता शेष पर दबाव डालेगा। सारणी-11.2 में कोयले के उत्पादन, आपूर्ति और आयात के आंकड़े दिए गए हैं।

वर्ष	अखिल भारत कोयला		सीआईएल		आयात		कुल आयात
	उत्पादन	खरीद/आपूर्ति	उत्पादन	खरीद/आपूर्ति	कोकिंग	गैर-कोकिंग	
2008-09	492.76	489.17	403.73	400.72	21.08	37.92	59.00
2009-10	532.04	513.80	431.26	415.22	24.69	48.57	73.26
2010-11	532.70	523.47	431.32	423.78	19.48	49.43	68.92
2011-12	539.95	535.30	435.84	432.62	31.80	71.05	102.85
2012-13	556.40	569.76	452.21	464.77	35.56	110.22	145.78
2013-14*	565.64	571.04	462.53	471.50	—	—	168.50

स्रोत: कोयला मंत्रालय

टिप्पणी: *अनंतिम

रेलवे

11.23 बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की मांग भारतीय रेलवे (आईआर) से यह अपेक्षा करती है कि वह अपने माल भाड़े के नेटवर्क, प्रति वैगन ज्यादा माल वहन करने की क्षमता बढ़ाए, शीघ्र सुपुर्दगी के लिए रेल प्रणाली की दक्षता में वृद्धि करें, अपनी यात्रा सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करे। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तथा पंचवर्षीय योजना (2012-17) के समग्र दबाव को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेलवे की नीतियां लाभ और आंतरिक संसाधन के उत्पादन को बढ़ाते हुए, फिलहाल अतिरिक्त क्षमता के सृजन, विद्यमान नेटवर्क के आधुनिकीकरण, आस्ति उपयोग तथा उत्पादकता में सुधार, भारतीय रेलवे की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए चल स्टॉक के आधुनिकीकरण तथा रखरखाव परंपराओं पर ध्यान देती हैं। भारतीय रेलवे का महान उद्देश्य प्रभावी मल्टी माडल परिवहन प्रणाली के भाग के रूप में कार्यनीति को विकसित करना तथा पर्यावरण अनुकूल और आर्थिक रूप से दक्ष परिवहन संचालन सुनिश्चित करना है।

भारतीय रेलवे की माल ढुलाई का निष्पादन

11.24 वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा माल ढुलाई (कोकण रेलवे द्वारा ढुलाई को छोड़ कर) 2011-12 में 969.05 मिलियन टन की तुलना में 1008.09 मिलियन टन थी और 2011-12 से ज्यादा 39.04 मिलियन टन की बढ़ी हुई ढुलाई के साथ इसमें 4.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2013-14 के दौरान, भारतीय रेलवे

पिछले दो-तीन वर्षों में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में तीव्र गिरावट ने कोयले पर ऊर्जा क्षेत्र की निर्भरता बढ़ा दी है।

बारहवीं योजना के शेष तीन वर्ष में स्थित घरेलू कोयला उत्पादन के चलते कोयले के आयात में बढ़ोतरी हो सकती है।

सारणी 11.2 : वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक कोयले का उत्पादन, खरीद तथा आयात (मिलियन टन)

भारतीय रेलवे का महान उद्देश्य प्रभावी मल्टी माडल परिवहन प्रणाली के भाग के रूप में कार्यनीति को विकसित करना तथा पर्यावरण अनुकूल और आर्थिक रूप से दक्ष परिवहन संचालन सुनिश्चित करना है।

ने 1052 मिलियन टन के संशोधित लक्ष्य की तुलना में 1050.18 मिलियन टन का राजस्व अर्जन माल की ढुलाई की। की गई ढुलाई 2012-13 की ढुलाई से 42.09 मिलियन टन ज्यादा की वृद्धि दर्शाती है जिसमें 4.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बॉक्स 11.2 में पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कोरीडोरों में की गई प्रगति का ब्यौरा उपलब्ध है।

हाई स्पीड ट्रेन

11.25 रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परामर्श से उच्च गति से चलने वाली यात्री रेलगाड़ियों को शुरू करने के लिए पूर्व-संभाव्यता अध्ययन करने हेतु सात कोरीडोरों का चयन किया है। हाई स्पीड ट्रेन संबंधी परियोजनाएं ज्यादा पूंजी-लागत वाली हैं, इनमें निवेश को न्यायसंगत ठहराने के लिए ज्यादा यात्रियों की संख्या और उच्च टैरिफ की जरूरत होती है। मुम्बई-अहमदाबाद हाई स्पीड कोरीडोर के लिए फ्रैंच रेलवेज द्वारा व्यवस्था विकास अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन 2014 में पूरा हो जाने की संभावना है। भारतीय रेलवे तथा जेआईसीए द्वारा सह वित्तपोषित, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड कोरीडोर के लिए एक संयुक्त संभाव्यता अध्ययन भी दिसंबर 2013 में शुरू किया गया था और वह लगभग 18 महीनों में पूरा होने की संभावना है। बॉक्स 11.3 में 2013-14 में भारतीय रेलवे द्वारा की गई अन्य पहले दर्शायी गई हैं।

सड़क

11.26 भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जो 48.65 लाख कि॰मी॰ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस वे, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें शामिल हैं जिनकी लम्बाई नीचे दी गई है (सारणी 11.3)।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

11.27 राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनकी कुल लंबाई 92,851 कि॰मी॰ है, देश के मुख्य नेटवर्क के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास भारत सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के विभिन्न चरणों के द्वारा कुल 54,478 कि॰मी॰ लम्बे राजमार्गों को उन्नत बनाने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने का अधिदेश सौंपा गया है। एनएचडीपी के विभिन्न चरणों के अंतर्गत मार्च, 2014 तक कुल 21,787 कि॰मी॰ लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने विकास के लिए 2010-11 और 2011-12 में क्रमशः 5083 कि॰मी॰ तथा 6491 कि॰मी॰ लंबी सड़क का निर्माण कार्य किया है। तथापि, सड़कों का निर्माण कार्य करने की गति विभिन्न कारणों से 2012-13 में कम थी और 2013-14 में भी कम बनी रही जबकि 2012-13 में कुल 1116 कि॰मी॰ लंबी सड़कों का निर्माण कार्य प्रदान किया गया था, 2013-14 में 7256 करोड़ ₹ की कुल परियोजना लागत वाली 1436 कि॰मी॰ लंबी सड़कों के निर्माण कार्य की 17 परियोजनाएं प्रदान की गई हैं। 2013-14 में मंत्रालय में एनएलडीपी-IV के अंतर्गत 1,172 कि॰मी॰ लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य प्रदान किया गया था। आर्थिक मंदी के कारण कई प्रतिबंधों के बावजूद एनएचएआई ने 2012-13 में 2844 कि॰मी॰ लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया, जो अभी तक की अधिकतम वार्षिक उपलब्धि है। 2013-14 के दौरान, कुल 1901 कि॰मी॰ सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। बॉक्स 11.4 में एनएचडीपी परियोजनाओं पर शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहलें दर्शायी गई हैं।

एनएचडीपी का वित्तपोषण

11.28 एनएचडीपी के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पेट्रोल और डीजल पर प्रभारित ईंधन उपकर का एक अंश आवंटित किया जाता है। एनएचएआई

बॉक्स 11.2 : समर्पित फ्रेट कोरीडोर परियोजना : अब तक की गई प्रगति

पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कोरीडोर (डीएफसी) परिवहन क्षमता को बढ़ाने, परिवहन की इकाई लागतों को कम करने तथा सेवा गुणवत्ता को सुधारने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा चलाई गई एक वृहत रेल परिवहन परियोजना है। पूर्वी डीएफसी के 1839 कि॰मी॰ में से, जो कोलकाता के पास धनकुनी से पंजाब में लुधियाना तक है, 1183 कि॰मी॰ की, लुधियाना से मुगलसराय तक, निधियन विश्व बैंक तीन चरणों में कर रहा है। चरण-1, नामतः खुर्जा कानपुर खंड, के लिए ऋण करार और सिविल निर्माण संविदाएं पहले से अवस्थित हैं और कार्य प्रगति पर है। चरण-2, नामतः कानपुर-मुगलसराय खंड, के कार्यान्वयन के लिए 1100 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया गया है। अंतिम चरण अर्थात् लुधियाना-खुर्जा-दादरी खंड के लिए अग्रिम अधिप्राप्ति कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

पश्चिमी डीएफसी के 1499 कि॰मी॰ के लिए, जो मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से दिल्ली के नजदीक दादरी तक है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से संपूर्ण निधियन किया गया है तथा 625 कि॰मी॰ रेवाड़ी-इकबालगढ़ खंड पर तथा वैतरणा और भडूच के बीच 54 प्रमुख और महत्वपूर्ण पुलों के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। 600 कि॰मी॰ से ज्यादा के लिए निर्माण संविदाएं प्रदान किए जाने के अंतिम चरण में हैं।

परियोजना के लिए अपेक्षित लगभग 96 प्रतिशत भूमि, सोननगर-धनकुनी खंड को छोड़ कर जो सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाना है, अधिग्रहित कर ली गई है और रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, 6110 करोड़ ₹ की भूमि क्षतिपूर्ति घोषित की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस वे	92,851 कि॰मी॰
राज्य राजमार्ग	1,42,687 कि॰मी॰
अन्य सड़कें	46,29,462 कि॰मी॰

स्रोत: सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

*मई के अनुसार स्थिति

सारणी 11.3 : भारत में सड़क नेटवर्क

बॉक्स 11.3 : वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा की गई नई पहलें

- **कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र के साथ जोड़ना:** पीर पंजाल सुरंग, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जून 2013 में सफलतापूर्वक खोली गई थी वह कश्मीर घाटी व जम्मू क्षेत्र के बीच रेलवे संपर्क स्थापित करती है।
- **भारतीय रेलवे एक बिलियन टन माल ढोने वाले चुनिंदा क्लब में शामिल हुई:** वर्ष 2012-13 में 1008.09 मिलियन टन (अर्थात् एक बिलियन से ज्यादा) माल शुरू में ढोकर भारतीय रेलवे एक बिलियन टन से अधिक माल ढोने वाले चुनिंदा क्लब में शामिल हो गई है और चीनी, रूसी तथा संयुक्त राज्य अमरीका रेलवे से जुड़ गई है। भारतीय रेलवे द्वारा अपनाई गई माल ढुलाई रणनीति के अंतर्गत, सीआईएल संसाधनों से कोयले की खुदाई बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- **हाईस्पीड रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ढाँचा:** हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एचएसआरसी) रेल विकास निगम लि० की सहायक कंपनी के रूप में प्रारंभ किया गया है। एचएसआरसी भारत में हाई स्पीड रेल कोरीडोर विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है ताकि यात्री रेलगाड़ियों को 350 कि०मी० प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सके। यह परियोजना संबंधी गतिविधियों को भी संपन्न करेगा जैसे परियोजना संबंधी अध्ययनों की तैयारी तथा मुंबई-अहमदाबाद कोरीडोर तथा सरकार द्वारा निर्णित किसी भी कोरीडोर के लिए तकनीकी मानकों की तैयारी। यह वित्तीय तथा कार्यान्वयन संबंधी मॉडलों को अंतिम रूप देने में सरकार की सहायता करेगा।
- **नेत्रहीनों को सुविधा प्रदान करना:** विभिन्न प्रकार के यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे को अधिक यात्री अनुकूल बनाने हेतु अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, भारतीय रेलवे ने नेत्रहीन यात्रियों को रेल के डिब्बों में ब्रेल स्टीकर्स प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह योजना बनाई गई है कि स्टीकर्स को धातु आधार के साथ, उस पर जड़े चित्रित अक्षरों के साथ प्रयोग किया जाए। भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने विभिन्न दृष्टिहीन संघों के परामर्श से तथा अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संगठन (आरडीएसओ) से प्राप्त जानकारीयों से रेल के डिब्बों में समेकित ब्रेल संकेतों के लिए विनिर्देश विकसित किए हैं।
- **महिलाओं के लिए सुरक्षा:** वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित निर्भय निधि योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, रेल मंत्रालय ने चयनित अंचलों में रेलगाड़ियों में चौकसी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक प्रायोगिक योजना का प्रस्ताव रखा है। मध्य तथा पश्चिमी रेलवे में प्रायोगिक परियोजनाओं को संचालित करने के लिए अक्टूबर, 2013 में 13 महीनों की समापन अवधि के साथ, कार्य रेलवे सूचना केन्द्र (सीआरआईएस) को प्रदान किया गया था।
- **प्रायोगिक परियोजना के रूप में विश्व का सबसे पहला 5500 एचपी लोकोमोटिव:** भारतीय रेलवे ने विश्व का पहला प्रोटोटाइप 5500 एचपी डीजल लोकोमोटिव (डब्ल्यूडीजीडी) प्रस्तुत किया है जिसे भारतीय रेलवे की एक उत्पादन इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी ने विकसित किया है। लोकोमोटिव ज्यादा एक्सल भार के साथ लेवल ट्रैक पर 100 कि०मी० प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होगा। 5500 एचपी डब्ल्यूडीजीडी का मुख्य उद्देश्य उच्च संतुलन रफ्तार के साथ प्रवाह में सुधार करना है और यह उत्तर मध्य रेलवे में प्रायोगिक परियोजना के रूप में पहले से ही चल रहा है।
- **हरित पहलें:** (i) रेल मंत्रालय और रेल भारत तकनीकी और आर्थिक सेवा ने हरित ऊर्जा जैसे सौर और पनचक्की विद्युत, विद्युत संयंत्र, विद्युत व्यापार गतिविधियों, पारेषण लाइनें तथा विद्युत निष्क्रमण योजना, ऊर्जा संरक्षण पहलें, कैप्टिव पावर प्लांट के जरिए विद्युत उत्पादन में दक्ष समन्वय, तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा को काम में लाने से संबंधित आईआर परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए रेलवे ऊर्जा प्रावधान कंपनी (आरईएमसी) का निर्माण किया है जो क्रमशः 49 तथा 51 प्रतिशत हिस्सेदारी पैटर्न के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) है। आरईएमसी नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा संरक्षण कार्यों के तीव्र निष्पादन को भी सुगम बनाएगा जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा का उत्पादन करना है और भारतीय रेलवे के ऊर्जा संबंधी बिल को कम करना है। आरईएमसी ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और यह एमएनआरई से 40 प्रतिशत सब्सिडी लेकर पन चक्की तथा सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए कार्य कर रहा है। प्रारंभ में, 200 रेलवे स्टेशन 26 भवनों की छतें, तथा 2000 रेलवे क्रॉसिंग गेट कवर किए जाएंगे।

इसे जब बाजार से अतिरिक्त निधि उधार लेने के लिए उपयोग करता है। अभी तक, 54 ईसी (पूंजीगत लाभ कर छूट) बाण्ड और कर युक्त बाण्ड के माध्यम से उगाही गई निधियों तक ऐसा उधार सीमित है। सरकार ने एनएचडीपी के तहत विश्व बैंक (1965 मिलियन अमरीकी डालर), एशियाई विकास बैंक (एडीबी) (1605 मिलियन अमरीकी डालर) और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक 32,060 मिलियन येन) परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ऋण लिया है जिन्हें आंशिक तौर पर अनुदान व आंशिक तौर पर ऋण के रूप में एनएचएआई पर डाल दिया गया है। एनएचडीपी ने मैनोर एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए एबीडी से 149.73 मिलियन अमरीकी डालर का सीधा ऋण लिया है।

वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का विकास

11.29 सरकार ने 26 फरवरी, 2009 को आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में इन क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए वामपंथी चरमपंथ (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 7300 करोड़ रु. की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग के 1202 कि०मी० और राज्य सड़कों के 4363 कि०मी० (कुल 5565 कि०मी०) को दो लेनों में उन्नयन करने के लिए सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी) का अनुमोदन किया है। आरआरपी के अंतर्गत 3878 करोड़ रु० की संचयी राशि से 2013-14 तक 2929 कि०मी० लंबी सड़कों का विकास किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत सड़क का विकास मार्च, 2015 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना

11.30 प्रधानमंत्री महोदय ने नवंबर, 2004 को राज्य में अपने दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर के लिए पुनर्निर्माण योजना (पीएमआरपी) की घोषणा की। इस परियोजना के अधीन मुगल रोड का निर्माण, डोभल, कटरा रोड (एनएच-आईसी) को चौड़ा करना, बोटोट-किश्तवार-सिंथनपास अनंतनाग रोड (एनएच-आईबी) को दो लेन का बनाना, खानबल-पहलगाम सड़क का निर्माण, नरबाल-अंगमार्ग सड़क का निर्माण और श्रीनगर-कारगिल लेह सड़क (एनएच-आईडी) को दो लेन का बनाना, कुल सात कार्य हैं जिनकी कुल लागत 3300 करोड़ रु० है। मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लगभग 2,996 करोड़ रु० पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।

नागर विमानन

हवाई यात्री तथा सामान की ढुलाई

11.31 भारतीय हवाई अड्डों पर अप्रैल-मार्च, 2013-14 के दौरान, घरेलू यात्री परिवहन 122.43 मिलियन के स्तर पर पहुंच गया। यह 2012-13 के दौरान इसी अवधि में 116.37 मिलियन के घरेलू यात्री परिवहन प्रवाह से 5.2% अधिक रहा। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई 43.03 मिलियन के मुकाबले 2013-14 के दौरान भारतीय हवाई अड्डों पर अन्तरराष्ट्रीय यात्री परिवहन 46.62 मिलियन पर पहुंच गया इससे उसमें 8.34 प्रतिशत वृद्धि हुई। गत वर्ष के दौरान हुए 1.41 मिलियन मीट्रिक टन के मुकाबले 2013-14 के दौरान भारतीय हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय सामान धराई-उठाई 1.44 एमएमटी हो गई। संदर्भ अवधि के दौरान घरेलू सामान धराई-उठाई 7.8 एमएमटी के स्थान पर 0.84 मिलियन मीट्रिक टन रही, जिसमें 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

विमानपत्तन अवसंरचना

11.32 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) एक प्रमुख विमानपत्तन संचालक है जो पूरे देश में रक्षा वायुपत्तनों पर 26 सिविल एन्क्लेव सहित 125 विमानपत्तनों का प्रबंध करता है और इसे भारत में विमान परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने का सरकारी कार्य भी सौंपा गया है। भारत में विमानपत्तन अवसंरचना बढ़ाने के लिए मेट्रो और गैर-मेट्रो शहरों में मौजूदा विमानपत्तन अवसंरचना का आधुनिकीकरण और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है।

11.33 कोलकाता विमानपत्तन के आधुनिकीकरण का कार्य चालू है, जिसमें एक 20 मीलियन यात्रियों की क्षमता वाली टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो गया है और इसमें काम होना शुरू हो गया है। एयरसाईड क्षमता बढ़ाने के लिए द्वितीयक रनवे 431 मि० तक बढ़ा दिया गया है। चेन्नई विमानपत्तन के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत, क्रमशः 10 मिलियन और 4 मिलियन वार्षिक यात्री क्षमता वाली स्थानीय एवं अन्तराष्ट्रीय टर्मिनल बिल्डिंगों का निर्माण कार्य शुरू किया गया और यह पूरा हो चुका है। एयर साईड क्षमता विस्तार के लिए, 1032 मी० तक द्वितीयक रनवे का विस्तार कार्य शुरू किया गया है। दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण संयुक्त उद्यम की कंपनियों द्वारा शुरू किया जा चुका है और अत्यधिक आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 35 चुनिंदा गैर-मेट्रो विमानपत्तनों का निर्माण कार्य किया गया है जिसकी पहचान क्षेत्रीय संयोजकता, क्षेत्रीय केन्द्रों का विकास आर्थिक आधार पर की गई। 35 विमानपत्तन कार्यों में से 33 को पूरा कर लिया है। बड़ोदरा और खजुराहो विमानपत्तन का विकास कार्य जारी है।

बॉक्स : 11.4 एनएचडीपी के अधीन सरकार द्वारा परियोजनाओं को गति देने के लिए किए गए उपाय।

परियोजना की तैयारी

- एनएचआई ने बोली के बाद विलंब और विवाद से बचने के लिए सभी निर्माण पूर्ण अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया है।

भू-अधिग्रहण का सरलीकरण

- भू-अधिग्रहण प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी के लिए भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया एवं इस अर्जन संबंधी आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को मानवीकृत प्रारूपों व आवधिक आंकड़े एकत्र कर सरल बनाया है।
- उप परियोजनाओं के मामलों में प्रक्रिया को जारी करने सहित, जिन्हें पूर्व में बंद कर दिया गया है, भू-अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे अस्पष्टता दूर हो और निर्माण पूर्व कार्यकलापों की समयवृद्ध निष्पादन सुनिश्चित हो।

पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों का सरलीकरण

- एनएचआई ने कुछ सक्रिय उपाए किए हैं और सुनिश्चित किया है कि विद्यमान एवं भावी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण व वन अनुमति की प्रक्रिया में काफी अधिक ढील दी जाए।

विवाद का समाधान

- इंजीनियरिंग खरीद (ईपीसी) और बिल्ट ऑपरेट व ट्रांसफर परियोजनाओं (बीओआई) में लंबे समय से लंबित विवादों के तीव्र समाधान हेतु तंत्र स्थापित किया। और
- कुछ संविदाकारों व दियायतदारों ने इसका विकल्प लिया है और एनएचआई के साथ दावों का सफलतापूर्वक समाधान किया।

इक्विटी निवेशकों हेतु निकास

- एनएचआई ने परियोजनाओं के समापन के उपरान्त सभी रियायतों के लिए इक्विटी निवेशकों के लिए पूर्व निर्गमन की अनुमति दी है। इस पहल से इस क्षेत्र में भावी परियोजनाओं में उपयोग व नई पूंजी के प्रवेश हेतु, विकास पूंजी की मार्ग प्रशस्त होने की आशा है।

अन्य मंत्रालयों के साथ बेहतर तालमेल

- रेल उपयोगिता स्वामित्व वाले विविध विभागों/मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए कई तंत्र स्थापित किए गए हैं ताकि परियोजनाओं का बेहतर निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

विदेशी एयरलाइनों द्वारा निवेश

11.34 भारत सरकार के 'विदेशी एयरलाइनों' के भारतीय अनुसूचित वायु परिवहन सेवा संचालन में चुकता पुजी के 49 प्रतिशत तक के निवेश की अनुमति के निर्णय के बाद, मैसर्स एयर-एशिया और टाटा-सिंगापुर एयरलाइन्स के आरम्भिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा चुका है। अनुसूचित संचालन के लिए विमानों के आयात की 'सैद्धान्तिक रूप से' अनुमोदन की वैधता निर्माताओं द्वारा लम्बी डिलीवरी अवधि के कारण 5 वर्ष से 10 वर्ष तक संशोधित की गई है।

पत्तन

भारतीय पत्तनों पर माल की धराई-उठाई

11.35 वर्ष 2013-14 (अप्रैल-मार्च) के दौरान भारत के प्रमुख तथा गैर-प्रमुख पत्तनों ने कुल 980.49 मिलियन टन माल की धराई-उठाई की जो 2012-13 से 5.0 प्रतिशत अधिक रही। इसमें मुख्यतया प्रमुख पत्तनों में माल की धराई-उठाई में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके विपरीत, 2012-13 में 9.8 प्रतिशत की तुलना में गैर-प्रमुख पत्तनों में यह 2013-14 के दौरान 9.6 प्रतिशत रही (सारणी 11.4)। 2013-14 के दौरान परिवहन (52.9 प्रतिशत) में ऐन्नोर पत्तन पर उच्च वृद्धि दर्ज की गई जिसके बाद प्रायदीप (20.3 प्रतिशत), कोलकाता डॉक सिस्टम (8.7%), न्यू मेंगलोर पत्तन न्यास (6.8%), कोचिन पत्तन (5.3 प्रतिशत) मुम्बई पत्तन (2.0 प्रतिशत), हल्दिया डॉक परिसर (1.5 प्रतिशत) और वीओ चिदाम्बरनर (1.4 प्रतिशत) आते हैं। नकारात्मक परिवहन धराई-उठाई विशाखापत्तनम (-0.9 प्रतिशत), जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (-3.3 प्रतिशत), चेन्नई पत्तन (-4.3 प्रतिशत) कांडला (-7.0 प्रतिशत) और मोरमुगांव (-33.7 प्रतिशत) दर्ज की गई।

	संचालित माल ढुलाई		पूर्व वर्ष/अवधियों में हुई वृद्धि	
	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
प्रमुख पत्तन	545790 (58.5)	555488 (56.7)	-2.6	1.8
प्रमुख-भिन्न पत्तन	387867 (41.5)	425000 (43.3)	9.8	9.6
सभी पत्तन	933657 (100)	980488 (100)	2.2	5.0

स्रोत: भारतीय पत्तन संघ

सारणी 11.4 : भारतीय पत्तनों पर संचालित माल ढुलाई (हजार टन)

प्रमुख पत्तनों पर सामग्रीवार माल की ढुलाई

11.36 व्यापक सामग्रीगत स्तर पर 2013-14 के दौरान कोयला, अन्य कार्गो तथा पी०ओ०एल० ट्रैफिक पोस्टेड विकास क्रमशः 20.6 प्रतिशत, 0.6 प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत रहा। 2013-14 के दौरान लौह अयस्क यातायात में 13.0 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसका कारण लौह अयस्क के खनन पर लगा हुआ प्रतिबंध था। 2013-14 के दौरान भी उर्वरक में विगत वर्ष की तुलना में कार्गो ट्रैफिक में 7.0 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। 2013-14 के दौरान मुख्य पत्तनों पर निष्पादित कार्गो यातायात की संरचना के संदर्भ में सबसे बड़ा सामग्री समूह (कुल संचालित

कार्गों में प्रतिशत भाग के रूप में) पीओएल (34 प्रतिशत) था। इसके बाद अन्य यातायात (22 प्रतिशत) कन्टेनर यातायात (21 प्रतिशत) तथा कोयला (19 प्रतिशत) और लोह अयस्क (4 प्रतिशत) है। अप्रैल 2013 से मार्च, 2014 के दौरान मुख्य पत्तनों पर कुल कन्टेनर कार्गो टनभार तथा बीस फुटी समकक्ष इकाइयों, दोनों ही संदर्भों में क्रमशः 4.3 प्रतिशत तथा 3.2 प्रतिशत बढ़ा है। इस अवधि के दौरान जिसमें प्रमुख पत्तन होने के नाते जवाहर लाल नेहरू पत्तन की भागीदारी टनभार 48.2 प्रतिशत तथा टीईयूज के संदर्भों में 55.8 प्रतिशत रही है।

दूरसंचार

11.37 भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में हाल के वर्षों में तेजी से विकास हुआ और सिर्फ चीन के बाद अब यह विश्व में दूसरा बड़ा टेलीफोन नेटवर्क बन गया है। सरकार द्वारा उपायों की एक श्रृंखला अपनाई गई है, वायरलेस में नवीनता और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टेलीफोन घनत्व और दूरसंचार क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं का विवरण तालिका 11.5 में दिया गया है।

	2012	2013	2014
1 कुल टेलीफोन (मिलियन)	951.35	898.02	933.02
2 ग्रामीण टेलीफोन घनत्व (प्रतिशत)	39.26	41.05	44.01
3 शहरी टेलीफोन घनत्व (प्रतिशत)	169.17	146.64	145.46
4 कुल टेलीफोन घनत्व (प्रतिशत)	78.66	73.32	75.23
5 कुल टेलीफोनों में वृद्धि (पिछले वर्ष से) (प्रतिशत)	12.41	-5.61	3.9

स्रोत: दूरसंचार विभाग

स्पेक्ट्रम नीलामी

11.38 सरकार ने 2012 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा की। यह सेक्टर के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत ढांचा बनाने और सांख्यिकी विकास के लिए इक्को-प्रणाली को अभिप्रेत करने का कदम है। एनटीपी 2012 में प्रयाप्त मात्रा में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता की परिकल्पना तथा बाजार संबंधी प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शी तरीके से उसके आबंटन की परिकल्पना की गई है। 800 मैगाहर्ट्स, 900 मैगाहर्ट्स और 1800 मैगाहर्ट्स बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी मार्च, 2013 में की गई थी। इस नीलामी के दौरान 800 मैगाहर्ट्स बैंड में एक सफल बोलीदाता था। जिसने आठ सेवा क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में से प्रत्येक में 3.75 मैगाहर्ट्स स्पेक्ट्रम हासिल किया। तथापि, 900 मैगाहर्ट्स और 1800 मैगाहर्ट्स बैंडों में स्पेक्ट्रम की बोली लगाने हेतु कोई रुचि नहीं दिखाई गई। इसके परिणामस्वरूप 900 मैगाहर्ट्स तथा 1800 मैगाहर्ट्स बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी फरवरी 2014 के दौरान की गई थी। 1800 मैगाहर्ट्स श्रेणी में 385.2 मैगाहर्ट्स में से 307.2 मैगाहर्ट्स बेची गई। 900 मैगाहर्ट्स बैंड में 46 मैगाहर्ट्स को दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता सेवा क्षेत्रों में नीलामी के लिए रखा गया और सभी की बिक्री हो गई। स्पेक्ट्रम की नीलामी के जरिए कुल 61,162 करोड़ रुपये प्राप्त किया गया जो आरक्षित मूल्य पर पेशकश किए गए स्पेक्ट्रम के मूल्य से 27.6 प्रतिशत अधिक था।

एकीकृत लाइसेंस

11.39 विभिन्न सेवाओं और सेवा क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक लाइसेंस बनाने के एनटीपी-2012 के उद्देश्य को हासिल करने की दृष्टि से दूरसंचार विभाग ने एकीकृत

सरकार द्वारा उपायों की एक श्रृंखला अपनाई गई है, वायरलेस में नवीनता और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सारणी 11.5 : टेलीफोन संयोजकता और टेली-गहनता (मार्च के अंत तक)

एनटीपी 2012 में प्रयाप्त मात्रा में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता की परिकल्पना तथा बाजार संबंधी प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शी तरीके से उसके आबंटन की परिकल्पना की गई है।

लाइसेंस संबंधी दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार स्पेक्ट्रम के आवंटन को लाइसेंस से अलग कर दिया गया है और इसे निर्धारित प्रक्रिया अर्थात् बोली लगाने की प्रक्रिया के अनुसार अलग से प्राप्त करना होगा। पूरे देश में सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए केवल एक ही एकीकृत लाइसेंस की आवश्यकता है। विभिन्न सेवाओं के लिए प्राधिकार (जैसे: एक्सस सर्विस, नेशनल लॉग डिस्टेंस सर्विसिज, इन्टरनेशनल लॉग डिस्टेंस सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) सर्विसेज के लिए अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। एकीकृत लाइसेंस (सभी सेवाएं) श्रेणी के लिए एक ही प्राधिकार के अन्तर्गत सभी दूरसंचार सेवाएं सम्मिलित होंगी। केवल आईएसपी (बी) और आईएसपी (सी) सेवाएं इसमें शामिल नहीं होंगी। इस प्रकार के प्राधिकार की अवधि एकीकृत लाइसेंस की समवर्ती होगी। इसके अलावा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रवेश शुल्क काफी कम कर दिया गया है।

एलडब्ल्यूई-प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाएं

11.40 जून 2013 में सरकार ने 3046 करोड़ रुपये की लागत पर नौ एलडब्ल्यूई-प्रभावित राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में 2199 अभिचिह्नीकृत स्थानों पर मोबाइल टावर संस्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। यह कार्य भारत संचार निगम लि० (बीएसएनएल) को दिया गया है और पांच वर्षों के लिए इस परियोजना का निधियन यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन फंड में से पूरा किया जाएगा।

ग्रामीण वायरलाईन ब्रॉडबैंड स्कीम

11.41 ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में वायरलाईन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए यूएसओएफ ने मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना तथा तांबा तारयुक्त नेटवर्क के लिए ग्रामीण वायरलाईन ब्रॉडबैंड स्कीम के अन्तर्गत बीएसएनएल के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया। प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति न्यूनतम 512 केबीपीएस होगी। इस स्कीम के अन्तर्गत बीएसएनएल को व्यक्ति प्रयोक्ताओं के लिए तथा सरकारी संस्थाओं हेतु 8,88,832 वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना है तथा 28,672 कीओस्क छः वर्ष अर्थात् 2015 तक स्थापित करना है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपये का सब्सिडी बहिर्वाह अनुमानित है। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कुल 5,89,783 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में 14,186 कीओस्क स्थापित किए जा चुके हैं। वायरलाईन ब्रॉडबैंड स्कीम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 तक 329.55 करोड़ रुपये की सब्सिडी संवितरित की जा चुकी है।

शहरी अवसंरचना

शहरी अवसंरचना और अभिशासन

11.42 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) सात वर्ष की अवधि के लिए (मार्च 2012 तक) चरणबद्ध ढंग से विद्यमान जनसेवाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए कदम उठाने हेतु शहरों को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। सरकार ने दो वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक मिशन अवधि के मौजूदा कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, जनवरी, 2013 में सरकार ने जेएनएनयूआरएम के अधीन एक नई परियोजना को शुरू करने के लिए एक परिवर्तित चरण को

भी अनुमोदित किया है। उप-मिशन शहरी अवसंरचना तथा अभिशासन (यूआईजी) के अंतर्गत घटकों में शहरी नवीकरण, जलापूर्ति (विलवणीकरण संयंत्रों), स्वच्छता, सीवेरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी परिवहन, विरासत क्षेत्रों का विकास और जल निकायों का संरक्षण शामिल है। मिशन अवधि में यूआईजी के लिए संशोधित आवंटन 31,500 करोड़ रुपये है। वर्ष 2013-14 के लिए 5500 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) की राशि की व्यवस्था की गई है। 31 मार्च 2014 तक जेएनएनयूआरएम के प्रथम चरण के अन्तर्गत यूआईजी के अधीन 27,655 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के साथ कुल लागत 60,201 करोड़ रुपये की 538 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया, इसमें से 21,119 करोड़ रुपये 31 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के 65 अभियान शहरों को जारी किए गए।

छोटे तथा मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी)

11.43 यूआईडीएसएसएमटी 65 मिशन शहरों के अलावा सभी शहरों और कस्बों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए जेएनएनयूआरएम का उप-घटक है। यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए, राज्यों और यूएलबी को सुधारों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। यूआईडीएसएसएमटी के लिए अभियान अवधि के लिए संशोधित आवंटन 11,400 रुपये करोड़ थे। दिसम्बर, 2005 में इसके प्रारंभ से मार्च, 2014 तक यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत 668 कस्बों तथा शहरों में 13,866 करोड़ रुपये की लागत की 801 परियोजनाएं, 11,197 करोड़ रुपये की एसीए प्रतिबद्ध के साथ स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2013-14 के लिए 4488 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) की राशि प्रदान की गई। 11,197 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध एसीए में 31 मार्च, 2014 तक 9996 करोड़ रुपये जारी किए गए। अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान यूआईडीएसएसएमटी के अधीन 2919 करोड़ रुपये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में जारी किए गए।

पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटना

संस्थागत कारक

11.44 परियोजना की शुरूआत/आयोजना अवस्था में पर्यावरणीय मुद्दों के एकीकरण के संघटन संबंधी विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय/संस्थाओं के बीच बेहतर और आधिकारिक समन्वय करने की आवश्यकता है। विभिन्न नीतिगत अधिदेश प्राप्त अनेक सरकारी एजेंसियों के बीच मौजूदा नीतियों के संविभाजन का भी समाधान करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षित कार्मिक और व्यापक आधारभूत आंकड़ों की कमी से भी बहुत सी परियोजनाओं में विलंब होता है। अधिकांश राज्य सरकारों की संस्थाएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और उन्हें तकनीकी स्टॉफ एवं संरचनाओं की कमी से जूझना पड़ता है। यद्यपि विगत वर्षों की तुलना में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की समग्र गुणवत्ता एवं ईआईए प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन में सुधार हुआ है, संस्थागत सुदृढीकरण उपायों जैसाकि मुख्य पेशेवरों का प्रशिक्षण और समुचित तकनीकी व्यक्तियों के स्टॉफ की आवश्यकता है ताकि पर्यावरण के संरक्षण और स्थायी विकास को अधिक प्रभावी साधन बनाया जा सके। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय मंजूरी देने की प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए हाल ही में अनेक उपाय किए गए। (बाक्स 11.5) ताकि पर्यावरणीय अभिशासन की क्षमता बढ़ायी जा सके।

परियोजना की शुरूआत/आयोजना अवस्था में पर्यावरणीय मुद्दों के एकीकरण के संघटन संबंधी विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय/संस्थाओं के बीच बेहतर और आधिकारिक समन्वय करने की आवश्यकता है।

बॉक्स 11.5 : पर्यावरण संबंधी मंजूरी कारगर बनाने के कदम

- एक आयामी परियोजनाओं के लिए लाइसेंस प्रमाणन जारी करने के पहले चरण-1 में वन संबंधी मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।
- जिन एकल आयामी परियोजनाओं में वन-भूमि शामिल है उनके लिए कतिपय शर्तों के अधीन वन का अधिकार अधिनियम संबंधी मंजूरी लेने से छूट दी गई है।
- जिन खनन परियोजनाओं के लिए ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए गए हैं, उनके लिए खान के नवीकरण के समय पर्यावरणीय प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है।
- जिन खनन परियोजनाओं में वन-भूमि शामिल है, सभी राज्य सरकारों से 1 फरवरी, 2013 को अनुरोध किया गया है कि वे दो वर्षों की अवधि के भीतर समस्त वन-भूमि को खनन पट्टे में परिवर्तित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन प्राप्त कर लें। ऐसे मौजूदा पट्टे के लिए परियोजना प्रस्तावकों को दो वर्ष की अवधि के भीतर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेने के लिए कहा गया है, ऐसा न करने पर खान पट्टा क्षेत्र और गैर-वन भूमि वाला क्षेत्र माना जाएगा और वन भूमि के लिए वन संबंधी प्रमाणपत्र उपलब्ध होता है।
- राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं के लिए विचारार्थ विषय प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं हेतु पर्यावरण संबंधी मंजूरी लेने की शर्तों में ढील दी गई है। अब केवल उन्हीं विस्तार परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जहां विस्तार 100 कि.मि. से अधिक हो और जिनमें मार्ग या भूमि अधिग्रहण के अधिकार मौजूदा सरखन से 40 मीटर अधिक हो और पुनर्संखन या बायपास पर 60 मीटर हो।
- परियोजनाओं को ख1 और ख2 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ख2 परियोजनाओं के लिए जन सुनवाई ईआईए रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रमाणपत्र संबंधी शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं। सभी श्रेणी ख परियोजनाओं संबंधी निर्णय राज्य स्तर पर लिए जाते हैं।
- यूएमपीपी के लिए पर्यावरणीय प्रमाणपत्र और सहबद्ध कोयला खान के चरण-1 वन संबंधी प्रमाणपत्र की अपेक्षा से अलग ही पर्यावरणीय प्रमाणपत्र पर अब विचार किया जा सकता है।
- मौजूदा कोयला खान परियोजनाओं में एक बार विस्तार के लिए 25 प्रतिशत तक क्षमता विस्तार पर जन-सुनवाई से पहले छूट दी गई थी। हाल ही में इसमें और अधिक छूट दी गई है। प्रति वर्ष 8 मिलियन टन क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए अब इसकी सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत या 1 मिट्टिक टन प्रति वर्ष जो भी अधिक हो, कर दिया गया है।
- केन्द्रीय और राज्य सरकारों में प्रत्येक स्तर पर एफसी आवेदनों के प्रक्रियान्वयन के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए वन (संरक्षण) संशोधन नियमावली, 2014 जारी की गई है। वन क्षेत्र में संभावित क्रियाकलापों के लिए एफसी प्राप्त करने हेतु आवेदन जमा करने के लिए सरलीकृत प्रारूप निर्धारित किया गया है।

11.45 नेशनल एन्वयरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति ने प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने के प्रस्ताव की जांच की, जिसमें श्रेणी क और ख के रूप में परियोजनाओं का मौजूदा श्रेणीकरण, राज्य सीमा से परियोजना की दूरी संबंधी सामान्य शर्तों में ढील देना खतरनाक रूप से प्रदूषित क्षेत्र आदि शामिल हैं। इसमें परियोजनाओं के विस्तार से संबंधित ईआईए और जन सुनवाई से छूट देने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों/राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां शामिल हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच मंत्रालय में की जा रही है।

भारत में अवसंरचना विकास: एक वृहत परिदृश्य

11.46 आर्थिक सम्पन्नता और वैश्विक एकीकरण के लिए अवसंरचना विकास की आवश्यकता को अत्यधिक बल नहीं दिया जा सकता है। अवसंरचना की कमी से न केवल आर्थिक प्रतिफल कम होते हैं, अनिवार्य सेवाएं जैसाकि स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए समय, प्रयास और धन के संदर्भ में इस पर लागत भी अधिक आती है। हालिया वर्षों में त्वरित आर्थिक विकास ने मौजूदा अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव बनाया है विशेषकर परिवहन, ऊर्जा और संचार में। जब तक इसमें उल्लेखनीय सुधार नहीं होगा, अवसंरचना विकास में बाधा और गरीबी कम करने में अड़चन बनी रहेगी। दूसरे शब्दों में अवसंरचना के पर्यावरणीय रूप से स्थायी अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण के जरिए सुदृढ़, स्थायी और संतुलित विकास सुनिश्चित करना ही एक चुनौती है। अवसंरचना सेक्टर में त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए विगत हाल में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं (बॉक्स 11.6)।

अवसंरचना के पर्यावरणीय रूप से स्थायी अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण के जरिए सुदृढ़, स्थायी और संतुलित विकास सुनिश्चित करना ही एक चुनौती है।

बॉक्स 11.6 : भारत में अवसंरचना सेक्टर के विकास के लिए हालिया कदम

अवसंरचना सेक्टर में त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए विगत हाल में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(क) **अवसंरचना उप-सेक्टर की सुमेलित मास्टर सूची:** अवसंरचना की एकरूप परिभाषा की समस्या का समाधान करने के लिए अवसंरचना उप-सेक्टर की एक सुमेलित सूची बनाई गई और 7 अक्टूबर, 2013 के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें योजना आयोग, राजस्व विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआई), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि मास्टर सूची का उन्नयन करने और सुपरिभाषित सिद्धांतों के आधार पर मास्टर सूची के ईतर उप-सेक्टरों की पुनः समीक्षा करने के लिए शामिल हैं।

(ख) **अवसंरचना वित्तपोषण**

(i) बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं संबंधी मंजूरी तथा निर्णय शीघ्र लिए जाने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 2 जनवरी, 2013 को निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) गठित की गई थी, ने फरवरी अंत 2014 तक कुल 6,95,437 करोड़ रुपये के कुल निवेश की 303 परियोजनाओं को मंजूरी दी।

(ii) **अवसंरचना ऋण निधि:** अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक ऋण स्रोतन के लिए सरकार ने अवसंरचना ऋण निधि की अवधारणा बनाई (आईडीएफ के अंतर्गत संभावित निवेशकों में अप-तटीय संस्थागत निवेशक, अप-तटीय हाई नेटवर्थ व्यष्टियाँ और अन्य संस्थागत निवेशक (बीमा निधियाँ, पेंशन निधियाँ, सॉवरन हेल्थ फंड आदि) शामिल हो सकते हैं। आईडीएफ की स्थापना या तो न्यास के रूप में की जा सकती है या गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के रूप में की जा सकती है। आईडीएफ की आय को आयकर से छूट दी गई है। अब तक दो आईडीएफ-एनबीएफसी और पांच आईडीएफ-म्यूचुअल फंड प्रचालनरत किए गए हैं।

(iii) **कर-मुक्त बांड:** अवसंरचना, विशेषकर सड़क, पत्तन, हवाई अड्डों, और विद्युत, जो किसी भी देश में आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य हैं, के घाटे का समाधान करने के लिए अवसंरचना बांडों को कर-मुक्त दर्जा प्रदान करके सरकार ने कारपोरेट बांड बाजार का विस्तार करने के प्रयास किए हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार ने 10, 15 और 20 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयूएस) को 50,000 करोड़ रुपये के कर-मुक्त बांड जारी करने की अनुमति दी है।

(iv) **नगर निगम उधार:** अवसंरचना वित्त के लिए बांड बाजारों को गहन बनाने की दृष्टि से भारत में नगर बांड के निर्गमन हेतु प्रारूप दिर्शानिर्देश/ढांचा तैयार किया गया है।

(ग) **भारत में सरकारी निजी भागीदारी की पहल:**

भारत सरकार आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना संबंधी परिसंपत्तियों के सृजन में निजी क्षेत्र की दक्षताओं को लाने के लिए तथा गुणवत्ताकारी सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी निजी भागीदारियों को प्रभावी उपकरण के रूप में बढ़ावा दे रही है। मार्च, 2014 तक 6,94,040 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 1300 से ज्यादा परियोजनाएं थीं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात् बोली लगाने, निर्माण तथा प्रचालनात्मक में हैं।

(i) **पीपीपी परियोजनाओं के लिए अर्थक्षमता अंतराल निधियन (वीजीएफ)** अवसंरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता हेतु स्कीम (अर्थक्षमता अंतराल निधियन स्कीम) के अंतर्गत 88,697 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 178 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रान किया गया है तथा इस योजना के अंतर्गत 16,894 करोड़ रुपये की वीजीएफ सहायता प्रदान की गई है तथा 1455 करोड़ अर्थक्षमता अंतराल निधियन (वीजीफ) के रूप में सवितरित किए गए हैं।

(ii) **पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास के लिए सहायता** भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीफ) दिसम्बर, 2007 में प्रारंभ की गई थी ताकि पीपीपी परियोजनाओं की अधिप्राप्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। अभी तक आईआईपीडीएफ सहायता के साथ 53 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(iii) **राष्ट्रीय पीपीपी क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** दिसम्बर, 2010 में राष्ट्रीय पीपीपी क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जो पिछले वर्ष 16 राज्यों तथा दो केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात् भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में शुरू किया गया है। ये संबंधित संस्थानों में 2011-12 में शुरू किए गए। अब तक 5000 से अधिक जन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए 160 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। जो अपने क्षेत्रों में पीपीपी का कार्य करते हैं।

(iv) **पीपीपी परियोजनाओं के लिए ऑन लाइन टूल किट्स** पांच क्षेत्रों के लिए आर्थिक कार्य विभाग की पीपीपी संबंधी www.pppinindia.com पर उपलब्ध हैं पीपीपी टूल किट एक वेब-आधारित संसाधन है जो भारत में पीपीपी की अवसंरचना हेतु निर्णय लेने में सहायता करने और भारत में क्रियान्वित की जा रही पीपीपी अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बनाई गई है।

वित्तपोषण अवसंरचना

अवसंरचना क्षेत्र में ऋण प्रवाह का वर्तमान रुख

11.47 उन अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए, जो विशेष रूप से लम्बी अवधि की होती है: दीर्घावधिक वित्तपोषण हेतु 2006 में भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफएसए) की स्थापना की गई। आईआईएफसीएल अवसंरचना परियोजनाओं को लंबी अवधि के व्यवहार्य ऋण के लिए पूंजी देती है, के साथ उसके द्वारा अनुमोदित ऋणों के लिए बैंक और वित्तीय संस्थानों को लंबी अवधि

के ऋणों द्वारा पूर्ण वित्तपोषक करती है। 2013-14 के दौरान आईआईएफसीएल ने मुख्यतया: बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थाओं जैसे एडीबी, विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू से कुल 1605 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाये जो 2012-13 के दौरान रुपए 1080 की तुलना में हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, आईआईएफसीएल ने:

- (i) आईआईएफसीएल को जारी 10,000 करोड़ रुपये से कर रहित बांडों को जारी करके सफलतापूर्वक 9840.74 करोड़ रुपये जुटाए।
- (ii) 700 मिलियन अमरीकी डॉलर के अन्य ऋणों की तरज पर एडीबी से करार पर हस्ताक्षर किए और 200 मिलियन यूरो के ऋण उसी तरज पर यूरोपीयन निवेश बैंक (ईआईबी) वित्त करार पर हस्ताक्षर किए।
- (iii) 2200 करोड़ रुपए के चार लेनदेनों के लिए संचयी स्वीकृतियों के मद्देनजर अपनी साख वृद्धि स्कीम (प्राथमिक आधार) के तहत लगभग 1417 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बांडों के निर्गमन हेतु दो और प्रायोगिक लेनदेन स्वीकृत किए।
- (iv) अंतरण वित्त योजना के तहत 27 बैंकों/वित्तीय संस्थानों से 3819 करोड़ रुपये संचयी सवितरण लेकर 1058 करोड़ रुपये सवितरित किए।
- (v) अल्पकालीन संविदाओं से लंबी संविदाओं वाली सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की अनुमति दी और शेष अकेले ऋणदाता के रूप में, यदि आवश्यक हो, अन्य ऋणदाताओं को भुगतान करके। यह ऋण के पूनर्भुगतान को लंबी अवधि के लिए फैलाएगा जो सरकारी निजी भागीदारी की परियोजनाओं की सुधरे हुए परिसंपत्ति, उत्तम अर्थदक्षता और घटे हुए पुनर्संरचना जोखिम में लाभदायक होगा।


सकल बैंक ऋण का नियोजन

11.48 मुख्य अवसंरचना क्षेत्रों में बैंक ऋण के सकल नियोजन पर नवीनतम उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बैंक ऋण की वृद्धि दर 2011-12 में 44.8 प्रतिशत के औसत से 2013-14 में कम होकर 17.7 प्रतिशत हो गई (चित्र 11.1)। विद्युत की अवसंरचना में कुल ऋण प्रवाहों में 50 प्रतिशत अधिक की हिस्सेदारी रही थी। तथापि इस क्षेत्र में ऋण की वृद्धि दर 2010-11 में 48.6 प्रतिशत की औसत से आंशिक रूप से कम होकर 2013-14 में 25.0 प्रतिशत हो गई। अवसंरचना में कुल ऋण में हिस्सेदारों और वृद्धि दर दोनों के अनुसार, दूरसंचार क्षेत्र में पिछले वर्षों में क्रमशः गिरावट देखी गई (सारणी 11.6 चित्र 11.1)।

(₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल अवसंरचना जिसमें	463658	574794	676264	794991
(i) विद्युत	231467	301327	369596	460087
(ii) दूरसंचार	88432	89930	92450	89098
(iii) सड़क	81556	101362	122778	146486
(iv) अन्य अवसंरचना	62203	82175	91440	99319
अन्य अवसंरचना में हिस्सा (प्रतिशत)				
(i) विद्युत	49.92	52.42	54.65	57.87
(ii) दूरसंचार	19.07	15.65	13.67	11.21
(iii) सड़क	17.59	17.63	18.16	18.43
(iv) अन्य अवसंरचना	13.42	14.30	13.52	12.49

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, वास्तविक आंकड़ें मासिक बकाया की औसत से संबंधित है।



चित्र 11.1 : अवसंरचना क्षेत्र में ऋण की वृद्धि दर (12 माह का वर्षानुवर्ष औसत)

सारणी 11.6 : ऋण की क्षेत्रीय विभाग तथा वृद्धि: अवसंरचना

प्रमुख अवसंरचना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

11.49 सरकार ने उदार एफडीआई नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत ज्यादातर क्षेत्रों/गतिविधियों में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई अनुमत है। इसके अलावा, एफडीआई नीति की, इसे अधिक निवेशक-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से, सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। हाल ही में एफडीआई नीति पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए हैं ताकि भारत लगातार आकर्षक निवेश स्थान बना रहे। परिणामस्वरूप, प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में कुल एफडीआई अंतर्वाहों में 2012-13 के दौरान 60.9 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 2013-14 में 22.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्रों में रेल-संबंधी घटक, दूरसंचार, हवाई परिवहन (हवाई माल-भाड़ा सहित) और विद्युत शामिल हैं (सारणी 11.7)।

क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
विद्युत	1271.79	1271.77	1652.38	535.68	1066.08
गैर-परम्परागत ऊर्जा	622.52	214.40	452.17	1106.52	414.25
पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस	265.53	556.43	2029.98	214.80	112.23
दूरसंचार	2539.26	1664.50	1997.24	303.87	1306.95
विमान परिवहन (विमान माल भाड़ा सहित)	23.71	136.60	31.22	15.89	45.95
समुद्री परिवहन	284.85	300.51	129.36	64.62	20.49
बंदरगाह	65.41	10.92	0.00	0.00	0.31
रेलवे से संबंधित संघटक	34.43	70.66	42.27	29.85	236.93
कुल जोड़	10578.92	6192.73	9690.06	3793.14	4657.2

स्रोत: औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

टिप्पणी: 1. राशि में एसआईए/एफआईपीबी मार्ग के जरिए प्राप्त अंतर्वाह, विद्यमान शेरों का अर्जन और भारतीय रिजर्व बैंक के स्वतः मार्ग से प्राप्त अंतर्वाह शामिल हैं।

2. आंकड़ों में अंतर कुछ क्षेत्रों के पुनः वर्गीकरण के कारण है।

चुनौतियां और संभावनाएं

11.50 बारहवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा सहित अवसंरचना क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया गया है जो उच्च वृद्धि बनाए रखने के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। बारहवीं योजना के अनुमानों के अनुसार, 2012-17 की योजना अवधि के दौरान भारत के अवसंरचना क्षेत्र में 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर के निवेश की जरूरत है। इसका आधा हिस्सा निजी क्षेत्र से आने की संभावना है। हालांकि पिछले लगभग एक दशक के दौरान किए गए भारी अवसंरचना निवेश के चलते भारत तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं के वैश्विक संघ में शामिल हो गया है, लेकिन रुकी हुई अवसंरचना परियोजनाओं को लेकर पिछले कुछ वर्षों में चिन्ताएं उभरी हैं। अवसंरचना निवेश बढ़ाकर, अवसंरचना खर्च की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार कर, प्रक्रिया संबंधी रुकावटें हटाकर, अभिशासन में सुधार कर और सबसे बढ़कर सरकार की अवसंरचना नीतियों में समरूपता बनाए रखना कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका इस परिप्रेक्ष्य में तुरंत समाधान करने की जरूरत होगी। जरूरी क्षेत्र-विशिष्ट उपाय जिन पर अब विचार-विमर्श की जरूरत है निम्नानुसार हैं:

विद्युत

11.51 बारहवीं योजना अवधि के लिए क्षमता-वर्धन का लक्ष्य 88,537 मेगावाट अनुमानित है। इस लक्ष्य की तुलना में अप्रैल 2014 तक 38,583 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है जो बारहवीं योजना में परिकल्पित लक्ष्य का 43.6 प्रतिशत बैठती है। इस अवधि के दौरान केन्द्र, राज्यों और निजी क्षेत्रों द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत लक्ष्य क्रमशः 30.5 प्रतिशत, 47.2 प्रतिशत और 49.7 प्रतिशत हैं। तथापि, इस अतिरिक्त क्षमता से विद्युत उत्पादन ईंधन आपूर्ति (कोयले के साथ-साथ गैस) सुनिश्चित करने, राज्य

हाल ही में एफडीआई नीति पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए हैं ताकि भारत लगातार आकर्षक निवेश स्थान बना रहे।

सारणी 11.7 : अवसंरचना में वित्तीय वर्षवार एफडीआई प्रवाह (मिलियन अमरीकी डॉलर)

हालांकि पिछले लगभग एक दशक के दौरान किए गए भारी अवसंरचना निवेश के चलते भारत तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं के वैश्विक संघ में शामिल हो गया है,

इस अतिरिक्त क्षमता से विद्युत उत्पादन ईंधन आपूर्ति (कोयले के साथ-साथ गैस) सुनिश्चित करने, राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय हालत सुधारने और आईपीपी के पीपीए को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने जैसे मुद्दों के समाधान पर अत्यधिक निर्भर करता है।

बिजली बोर्डों की वित्तीय हालत सुधारने और आईपीपी के पीपीए को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने जैसे मुद्दों के समाधान पर अत्यधिक निर्भर करता है। ये सभी कारक विद्युत क्षेत्र में कैपेक्स कार्यक्रम को भी प्रभावित करेंगे।

11.52 निजी विकासकर्ता परियोजनाओं के वित्तपोषण में समर्थ नहीं हो सकते यदि कोयला संपर्कता के मुद्दों का समाधान न हो और ईंधन आपूर्ति करारों को अंतिम रूप देने में विलंब हों। हालाँकि, बिजली वितरण कंपनियों के वित्त की पुनर्संरचना हेतु कुछ निर्णय लिए गए हैं, इनके मानीटर करने और भाव से कार्यान्वित करने की जरूरत होगी। टैरिफ यौक्तिकीकरण, एटीएंडसी हानियों को न्यूनतम करके और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा शुरू की गई सुधार प्रक्रिया के चलते उनके वृद्धिकारी निधिपोषण को जोड़ने जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए राज्य बिजली बोर्डों में सतत और अर्थपूर्ण सुधार शुरू करने की जरूरत है। विद्युत क्षेत्र तब तक अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं कर सकता जब तक यह क्षेत्र वाणिज्यिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य न हो। वितरण सेवाओं की वित्तीय हालत में सुधार करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों के अभिशासन मानकों के सुदृढीकरण, टैरिफ ढांचे के यौक्तिकीकरण और विद्युत की अधिप्राप्ति लागत इष्टतम करने के उपायों की जरूरत होगी।

कोयला

11.53 विगत हाल में विभिन्न समितियों और संस्थाओं द्वारा किए गए क्षेत्रवार विश्लेषण (कोयला और लिग्नाइट संबंधी बारहवीं योजना हेतु कार्य समूह की रिपोर्ट सहित) के आधार पर कोयला क्षेत्र के मांग और आपूर्ति के अनुमान तथा कोयला खनन की मौजूदा स्थिति के लिए निम्नानुसार पहलें तत्काल किए जाने की जरूरत होगी:

➤ **अल्पावधि में कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्रवाई के बिंदु:**

❖ **कोयले के लिए महत्वपूर्ण फीडर मार्गों का निर्माण:** कोयले की निकासी और संचलन हेतु महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन कोयला उत्पादन बढ़ाने में समर्थ होने के लिए सामरिक महत्व का होगा। पिटहैड से कोयले की ढुलाई के लिए तीन सामरिक रेलवे लाइनों की पहचान की गई है जिनमें झारखंड में नार्थ करणपुरा में टोरी-शिवपुर-कटुतिया (90.7 कि.मी.), ओडीसा में इब घाटी में झारसुगुडा-बारपल्ली-सरडेगा (53 कि.मी.) और छत्तीसगढ़ में मांड-रायगढ़ कोलफिल्ड में भूदेवपुर-कोरिचपर-धर्मजयगढ़ (180 कि.मी.) शामिल हैं। इन महत्वपूर्ण मार्गों पर कार्य में तेजी लाए जाने की जरूरत होगी।

❖ **लंबित पर्यावरण और वन निकासियों व पुनर्वास मुद्दों की प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देना** जिन्होंने निजी कैपिटल ब्लाकों और सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा कोयले का उत्पादन रोक रखा है।

➤ **निजी क्षेत्र द्वारा वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति देना:** कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) में संशोधन करने संबंधी विधेयक 2000 से राज्य सभा में लंबित है और कोयला खनन में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति देने के लिए इसे पारित कराने में तेजी लाने की जरूरत होगी। वैश्विक बाजार में कोयले की कीमतों में मंदी के दृष्टिगत एक बार इस अधिनियम के संशोधित होने पर सरकार द्वारा निजी-क्षेत्र के खनन को आकर्षित करने के लिए स्थायी दीर्घावधिक कोयला खनन नीति बनाने की जरूरत होगी। चूंकि खनन में भारी विफल लागत अंतर्विष्ट होती है इसलिए सरकार को सीआईएल के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड वाली बड़ी घरेलू कंपनियों को सीमित संख्या में अनुमति देनी चाहिए और अद्यतन प्रौद्योगिकी व कौशल भी लाने चाहिए।

कोयला क्षेत्र में चुनौतियां:

1. कोयले के लिए महत्वपूर्ण फीडर मार्गों का निर्माण
2. लंबित पर्यावरण और वन निकासियों व पुनर्वास मुद्दों की स्वीकृति देना
3. निजी क्षेत्र द्वारा वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति देना
4. सीआईएल की पुनर्संरचना

- **सीआईएल की पुनर्संरचना:** सीआईएल सात पूर्णतया स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाईन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) नामक एक खान योजनाकरण और परामर्शी स्वामित्व वाली कंपनी है। यह पूरा ध्यान कोयला भंडारों की पहचान के सप्ताक और व्यापक खोज के बाद अभिकल्पना व कार्यान्वयन तथा अपनी खानों में कोयला निकालने हेतु कार्यचालनों को इष्टतम करने पर केन्द्रित करती है। कोयला क्षेत्र में सुधारों हेतु कार्ययोजना संबंधी टी.एल. शंकर समिति ने बारहवीं योजना में सीआईएल की पुनर्संरचना की सिफारिश की थी। यह प्रक्रिया तीव्रता से लागू करने की जरूरत होगी।

सड़क

11.54 हाल ही में, सड़क परियोजनाओं का वित्तपोषण भी संकट में चल रहा है क्योंकि सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन वाली संभारित कंपनियां नई इक्विटी के अभाव में अतिरिक्त ऋण जुटाने में असमर्थ हैं। मौजूदा बाजार स्थितियों में ये फर्में नई इक्विटी जुटाने में असमर्थ हैं। इसलिए निकास स्थितियां इस तरह से सुखद बनाए जाने की जरूरत है ताकि प्रमोटर निर्माण के पश्चात इक्विटी स्थिति बेच सकें और सभी लाभ व उत्तरदायित्व उन कंपनियों को दे सकें जो इस परियोजना को संभालने के लिए आते हैं। तब प्रमोटर इस प्रकार निर्मुक्त की गई इक्विटी का प्रयोग नई परियोजनाओं में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल का सह-संबंध प्रयोक्ताओं की अदा करने की क्षमता के साथ-साथ वित्तपोषण कंपनियों हेतु उचित चुकौती तक होना चाहिए। परिसंपत्ति-देयता बेमेलता मुद्दे के दृष्टिगत उधार देने वाली संस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में नए वित्तपोषण उत्पादों की अभिकल्पना की जरूरत है ताकि विकासकर्ताओं को अनावश्यक भार से बचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय परंपरा पर चलते हुए “ट्रैफिक ट्रिगर” और “रिइक्विलिब्रियम डिस्काउंट” जैसी अवधारणाओं का यह देखने के लिए परीक्षण किया जा सकता है कि क्या उनका प्रयोग भारतीय सड़क क्षेत्र की कुछ समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सकता है। संविदा में “ट्रैफिक ट्रिगर” खंड का निहितार्थ होता है कि यदि चिन्हित यातायात कतिपय मात्रा तक पहुंच गया है तो रियायतग्राही प्रयोक्ताओं को सेवा का न्यूनतम स्तर बनाए रखने हेतु सड़क क्षमता बढ़ाने के लिए बाध्य होगा। ‘रिइक्विलिब्रियम डिस्काउंट’ का प्रयोग उस समय टैरिफ घटाने के लिए किया जाता है जब निष्पादन मानदंड पूरे नहीं हो रहे हों। कटौतियों की सारणी संविदा में पूर्व-परिभाषित होती है। ये कटौतियां उन संसाधनों को प्रतिबिंबित करती हैं जिन्हें निष्पादन मानदंडों को पूरा करने में असफलता के परिणामस्वरूप निवेशित नहीं किया गया है।

निकास स्थितियां इस तरह से सुखद बनाए जाने की जरूरत है ताकि प्रमोटर निर्माण के पश्चात इक्विटी स्थिति बेच सकें और सभी लाभ व उत्तरदायित्व उन कंपनियों को दे सकें जो इस परियोजना को संभालने के लिए आते हैं।

दूरसंचार

11.55 ई-गवर्नेंस में संतुलित दूरसंचार संजाल की भूमिका और जन सेवाओं की प्रदायगी को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिक सुविधाओं की व्यवस्था और डिजीटल हाइवेज व कार्य योजना के सृजन में नीतिगत परिवर्तन, विनियमन, भौतिक अवसंरचना, कर/वित्तीय मुद्दों जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए कार्ययोजना उचित समय पर लाये जाने की जरूरत होगी। शुरू में स्पेक्ट्रम के व्यापार और बंटवारे के जरिए बेहतर स्पेक्ट्रम प्रबंधन नीति की जांच करनी होगी ताकि स्पेक्ट्रम की लागत कम की जा सके। इससे उदार विलयन और अधिग्रहण नीति का मार्ग भी प्रशस्त होगा जिसकी समय-समय पर हितधारकों द्वारा मांग उठाई जाती रही है। प्रवेश निकास अवरोध कम करने के दृष्टिगत दूरसंचार संजाल तंत्र को सेवाओं से पृथक् करने की जांच किए जाने की भी जरूरत है। इसके अतिरिक्त सरकार की सहायता से स्थानीय विनिर्माण, अनुसंधान और उद्यमशीलता प्रोत्साहित करने की जरूरत होगी। ध्यान दिए जाने वाले अन्य विषयों में राष्ट्रीय फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रव्यापी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और ग्रामीण टेलीफोन सेवा शामिल हैं।

स्पेक्ट्रम के व्यापार और बंटवारे के जरिए बेहतर स्पेक्ट्रम प्रबंधन नीति की जांच करनी होगी ताकि स्पेक्ट्रम की लागत कम की जा सके।

सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी)

11.56 जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 में विशिष्ट बल दिया गया है, वैश्विक अनुभव इंगित करता है कि पीपीपी अच्छा कार्य करती है जब निजी क्षेत्र की दक्षता और जोखिम मूल्यांकन सरकारी क्षेत्र के जन प्रयोजन से मिल जाए। वे तब अल्प कार्य करते हैं जब वे सरकारी क्षेत्र के दक्षता और जोखिम मूल्यांकन तथा निजी क्षेत्र के जन प्रयोजन पर निर्भर होते हैं। भारत को ध्यान रखना चाहिए कि उसे वे पीपीपी नहीं करनी चाहिए जो संवेदनशील रूप से जोखिम और उत्तरदायित्व नहीं बांटती हैं। इससे भी बढ़कर व्यवस्थाओं में लोचशीलता रखने की जरूरत है ताकि निजी पक्षकार द्वारा कार्य निष्पादन में कमी करने पर संविदा वापस ली जा सके और इसे बोली के लिए दुबारा रखा जा सके। भारत में पीपीपी परियोजनाओं की प्रारंभिक सफलता मुख्यतया हितधारकों द्वारा समयबद्ध तरीके से अपने दायित्व पूरे करने के साथ-साथ उचित समय सीमा में परियोजना के क्रियान्वयन के कारण थी। तथापि, आर्थिक मंदी, सेवाओं हेतु प्रत्याशा से कम मांग और निविष्टि लागतों में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप संविदाकारी पक्षों को पीपीपी करारों में यथानिर्धारित अपने दायित्वों के निर्वहन में असफलता मिलनी शुरू हो गई है। इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में अवसंरचना अंतराल बढ़ा है। जो माडल निजी पूंजी पर निर्भर हो उसे क्रियान्वित करने में कठिनाई होगी यदि अवसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली कंपनियां वित्तीय रूप से दबाव में होंगी और इस स्थिति में नहीं होगी कि आमूल पुनर्संरचना के अभाव में अधिक निधियां जुटा सकें। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन एजेंसियों की कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव क्षमताओं के मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण की जरूरत भी होगी। उचित श्रमिष्टता और मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की भूमिका को भी पुनः देखने की जरूरत होगी। इसे अंतिम न माना जाए, पीपीपी का जन सेवाएं देने का दक्षपूर्ण साधन बनने की योग्यता सभी संविदाकारी पक्षों द्वारा उनकी वचनबद्धताएं पूरी करने के इरादे व भाव पर भी महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करेगी।

अवसंरचना का वित्तपोषण

11.57 अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक वित्तपोषण उन मुद्दों में एक है जिनकी ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण में बैंकों की सीमाओं के परिप्रेक्ष्य में समाधान करने की जरूरत है। अवसंरचना परियोजनाओं की दीर्घावधिक चुनौती अवधि मानते हुए इन्हें निर्वहनीय और लागत प्रभावी बनाने के लिए दीर्घावधिक वित्तपोषण की आवश्यकता है। तथापि, बैंक जो ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं, उनकी परिसंपत्ति देयता बेमेलता और उनकी जोखिम की उच्चतम सीमा मानते हुए दीर्घावधिक वित्तपोषण उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे हैं। परिसंपत्ति देयता बेमेलता की समस्या का समाधान करने के लिए बैंकों की प्रवृत्ति रहती है कि अस्थायी दर आधार पर उधार दें जिसके परिणामतः प्रायः ब्याज दर के उतार चढ़ावों के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों विशेषकर दीर्घावधिक ऋणों के साथ-साथ ऐसे जोखिमों से बचते हुए उच्च लागत से बचने के उत्पादों की अनुपलब्धता देश में इन कंपनियों द्वारा अवसंरचना जरूरतें पूरी करने के लिए वित्तपोषण निवारक कारक हो सकता है। सुविकसित कारपोरेट बांड बाजार के अभाव ने कारपोरेट क्षेत्र की निधिपोषण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बैंकों पर अतिरिक्त भार डाल दिया है। संतुलित और पारदर्शी निर्गमन व व्यापार प्रक्रिया सभी राज्यों में एक समान स्टांप शुल्क, सुनियोजित क्रेडिट वर्धन तंत्र और एकीकृत व्यापार व निपटान तंत्र कुछेक मुद्दे हैं जिनपर भारत में कारपोरेट बांड बाजार के विकास हेतु तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

11.58 वृद्धिकारी वित्तपोषण के अवरोध को मानते हुए बैंकों को आईडीएफ मार्ग के जरिए टेक-आउट वित्तपोषण की अनुमति दी गई है। घरेलू और विदेशी निवेशकों सहित

आर्थिक मंदी, सेवाओं हेतु प्रत्याशा से कम मांग और निविष्टि लागतों में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप संविदाकारी पक्षों को पीपीपी करारों में यथानिर्धारित अपने दायित्वों के निर्वहन में असफलता मिलनी शुरू हो गई है।

बैंक जो ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं, उनकी परिसंपत्ति देयता बेमेलता और उनकी जोखिम की उच्चतम सीमा मानते हुए दीर्घावधिक वित्तपोषण उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे हैं।

संतुलित और पारदर्शी निर्गमन व व्यापार प्रक्रिया, सभी राज्यों में एक समान स्टांप शुल्क, सुनियोजित क्रेडिट वर्धन तंत्र और एकीकृत व्यापार व निपटान तंत्र कुछेक मुद्दे हैं जिनपर भारत में कारपोरेट बांड बाजार के विकास हेतु तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

अन्य स्रोतों से दीर्घावधिक ऋण सरणीकृत करने के लिए आईडीएफ की स्थापना की गई है। ऋण वर्धन, नीतिगत हस्तक्षेप और कर प्रोत्साहनों के नवीन तरीकों के जरिए आईडीएफ से प्रत्याशा है कि बीमा और पेंशन निधियों, जिन्होंने अब तक अवसंरचना के वित्तपोषण में तुलनात्मक रूप से सीमित भूमिका निभाई है, जैसी बचतों के स्रोतों में प्रवेश करके अवसंरचना परियोजनाओं हेतु, दीर्घावधिक कम लागत वाले ऋण उपलब्ध कराएगी। विद्यमान परियोजनाओं के बैंक ऋणों के पुनर्वित्तपोषण करते हुए आईडीएफ से यह प्रत्याशा भी है कि वह विद्यमान बैंक ऋण की काफी बड़ी मात्रा का अधिग्रहण कर लेगी जो अवसंरचना परियोजनाओं को नई उधार देने के लिए समकक्ष मात्रा जारी करेगी। अवसंरचना के वित्तपोषण हेतु ऋण संसाधन बढ़ाने के अतिरिक्त आईडीएफ पीपीपी परियोजनाओं का निर्माण पूरा होने और उनका कार्यचालन स्थिर होने के पश्चात उनका पुनर्वित्तपोषण भी कर सकती हैं। तथापि, गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति परिदृश्य से यह तर्क दिया जा सकता है कि परियोजना पूरी होने और राजस्व सृजन शुरू होने तक जोखिम मानने के पश्चात् बैंक अधिक जोखिम के चलते ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए अच्छी ऋण जोखिम वाली परियोजनाओं में व्यापार करने के इच्छुक नहीं होंगे।

11.59 मौजूदा वैश्विक संदर्भ में, अमरीका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रोत्साहन पैकेज वापस लेने के बाद भारत सहित उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ी चुनौती है कि तंग वैश्विक वित्तीय और मौद्रिक दशाओं का सामना करने के लिए अपने आपको बेहतर ढंग से सज्जित करें। तथापि, विकसित देशों द्वारा अपनाई जा रही अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों और अस्थिर पूंजी प्रवाहों की पृष्ठभूमि में उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए दूसरी चुनौती है कि अपने अवसंरचना क्षेत्र भी निधिपोषण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की सक्रिय सहायता से अपरंपरागत विकास व वित्तपोषण उत्पाद तैयार करें। इसका उद्देश्य ऐसे तंत्र बनाने पर होना चाहिए जो निधियों का प्रवाह सुनिश्चित कर सकें खासकर यदि परंपरागत स्रोतों से निवेश अवसंरचना क्षेत्र की जरूरतें पूरी करने में पर्याप्त न हों।

अध्याय 12

सतत विकास और जलवायु परिवर्तन

मानवी कार्यों से प्रेरित ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जनों में बढ़ोत्तरी हो रही है और यह जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक है। वैश्विक जनकल्याण होने के नाते तापमान में हो रही वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ऊपर 2° से. तक सीमित रखने की सामूहिक कार्रवाई के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत हो रही है। दक्षिण एशिया और अफ्रीका में उभरते और विकासशील देशों पर, जहां विशेषकर आजीविका के स्वरूप को देखते हुए अनुकूलन की कहीं अधिक बड़ी जरूरतें हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का ज्यादा असर हो सकता है। सतत विकास के मार्ग के आर्थिक निहितार्थ होते हैं। सरकारों पर जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से संबंधित दो ऐसे नए करारों के जरिए कार्य करने के लिए जर्बदस्त दबाव है, जो अगले वर्ष तय की जाने वाली कार्रवाई की नई वैश्विक संरचना होंगे। भारत ने अपने विकास के पथ में सम्प्रेषणीयता संबंधी सरोकारों से तालमेल बिठाया है, लेकिन फिर भी अपनी कोशिशों में यह मजबूर पड़ जाता है क्योंकि जरूरतें ज्यादा हैं और संसाधन कम। वैश्विक जनकल्याण के लिए यूएनएफसीसीसी की प्रक्रिया को गति देनी होगी।

परिचय

12.2 सतत विकास अंतर-पीढ़ी संबंधी समानता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है और लोगों की भलाई के लिए इसका व्यापक वैश्विक आयाम है। इस दिशा विकास के मोर्च में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है क्योंकि अभी तक 116 देश पेयजल के लिए सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) तथा 77 देश सफाई का लक्ष्य (प्रोग्रेस आन सेनीटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर-2014 अपडेट, डब्ल्यूएचओ तथा यूनिसेफ 2014) प्राप्त कर रहे हैं। तकनीकी परिवर्तनों तथा दक्षता में सुधारों के कारण बहुत से विकासशील देशों सहित पूरे विश्व में ऊर्जा की तीव्रता घटी है। 1990 की तुलना में 2010 में लगभग 700 मिलियन उपेक्षित लोग अत्यधिक दरिद्र अवस्था में रह रहे हैं। गरीबी को आधा करने का वैश्विक लक्ष्य 2010 में प्राप्त किया गया था। जल के उन्नत स्रोतों तक पहुंच, मलेरिया और क्षय रोग के खिलाफ लड़ाई, शहरों में गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए सुधरी हुई हालत, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन तथा महिलाओं की प्रगति से असाधारण लाभ प्राप्त हुए हैं। भारत ने भी महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है जिसका ब्यौरा अध्याय 13 में दिया गया है।

12.3 तथापि, प्रगति असमान, अपर्याप्त है और इसे संभावित भावी नुकसानों से खतरा है। मौसम संबंधी इतिहास यह दर्शाता है कि प्रत्येक वित्त वर्ष में कुछ विपत्तियां अथवा प्रकोप की घटनाएं हो रही हैं और मौसम की परिवर्तनशीलता बढ़ रही है। एक उष्ण जलवायु प्रणाली से अपेक्षा है कि वह ताजा पानी, भोजन और ऊर्जा जैसे मूलभूत आवश्यक चीजों की उपलब्धता पर प्रभाव डालेगी। इस वर्ष, विभिन्न पूर्वानुमानों के

अनुसार, अल नीनो से होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा है। आमतौर पर आने वाला अल नीनो विश्व के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे को तेज कर सकता है, खाद्य आपूर्ति को खतरा पैदा कर सकता है और मूल्य अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसकी विशाल जनसंख्या, विस्तृत तटरेखा तथा कृषि पर जीविका की निर्भरता के संदर्भ में अधिक अनुकूल आवश्यकताओं वाले दक्षिण एशियाई देशों में विशेष रूप से संभावना है।

12.4 उत्सर्जन बढ़ रहा है और वह मौजूदा ऐतिहासिक सीमाओं को पार कर रहा है। जीएचजी उत्सर्जन 1970 और 2000 के बीच 1.3 प्रतिशत प्रति वर्ष की तुलना में 2000 और 2010 के बीच औसतन 2.2 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच बढ़ा है (आईपीसीसी डब्ल्यू जी III 2014)। स्पष्टतया विश्व वैश्विक औसत तापक्रम को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ऊपर 2° सेंटीग्रेड नीचे सीमित करने की दिशा में नहीं हैं। वास्तव में विज्ञान बार-बार चेतावनी दे रहा है कि विश्व 4-6° सेंटीग्रेड उष्ण मार्ग पर है। वैश्विक प्रयासों में न्यूनीकरण पर उचित ध्यान दिया जा रहा है परन्तु गरीब और कमजोर देशों के लिए अनुकूलन के मुद्दे जिनका समाधान हो, नगण्य बने हुए हैं क्योंकि वे ही उकरने सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। विश्व वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि का 2.2 से नीचे सीमित करने की दिशा में नहीं है। सीएचजी उत्सर्जन 1970 और 2000 के बीच 1.3 प्रतिशत की तुलना में 2000 और 2010 के बीच प्रति वर्ष औसतन 2.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

12.5 एमडीजी-7 की प्राप्ति न होने की पृष्ठभूमि में (पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करने के लिए) और बढ़ते हुए उत्सर्जन का वैश्विक सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के एजेंडा तेजी से फैल रहा है, आशा है कि 2015 में इन करारों में चरमोत्कर्ष होगा। रियो +20 के अधिदेश के बाद, वैश्विक समुदाय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का एक सैट विकसित करने का कार्य कर रहा है और संभावना है कि 2015 में जब वे समाप्त हो जाएंगे तो उन्हें समाप्त न हुए एमडीजी में शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही वैश्विक जलवायु समुदाय के सामने 2015 में करार करने की अंतिम सीमा आ रही है, जिसके कारण 190 से ज्यादा देश यह शपथ ले सकेंगे कि 2020 के बाद की अवधि में उत्सर्जन में कटौती की जाए। यह अपनी तरह का पहला वैश्विक समझौता होगा। सतत विकास और जलवायु परिवर्तन नीति के लिए 2015 एक ऐतिहासिक वर्ष होगा, जबकि 2014 का वर्ष सभी हितधारकों के लिए इस आशय का अंतिम मौका है कि 2015 के बाद वे जिस प्रकार का विश्व चाहते हैं, उसको बुद्धिमत्तापूर्वक चुनने हेतु सक्षम बनने के लिए अपना आत्मविश्लेषण करें।

12.6 जबकि बहस जारी है, भारत ने कई अन्य विकासशील देशों की तरह भूमि के कार्बन क्षेत्र का अपना उचित हिस्सा भी प्रयोग नहीं किया है, न ही इसने अपनी समूची आबादी के लिए बुनियादी न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त किए हैं। विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग विकसित देशों में औसत ऊर्जा के उपयोग का केवल लगभग 25 प्रतिशत है (आईपीसीसी डब्ल्यू जी III 2014) इसके अतिरिक्त, ग्रामीण जनसंख्या के काफी बड़े अनुपात के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच एक मुद्दा रहा है। लगभग 400 मिलियन भारतीयों के पास अपने घरों में अभी भी बिजली नहीं है और लगभग 800 मिलियन भारतीय खाना पकाने के लिए अपने प्राथमिक अथवा एकमात्र ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव पदार्थ के किसी रूप का प्रयोग करते हैं (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय [एमओएसपीआई], ऊर्जा सांख्यिकी 2013 और विश्व बैंक), जो चिंताजनक है।

12.7 सतत विकास का सारांश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की योग्यता को जोखिम डाले बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करना है। आर्थिक और सामाजिक विकास का लक्ष्य सभी देशों में सततता के संदर्भ में परिभाषित किया जाना

विश्व वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2° सेंटीग्रेड से नीचे सीमित करने की दिशा में नहीं है। जीएचजी उत्सर्जन 1970 और 2000 के बीच 1.3 प्रतिशत की तुलना में 2000 और 2010 के बीच प्रति वर्ष औसतन 2.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।

जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर दो नए वैश्विक समझौतों को 2015 में अंतिम रूप देने पर बातचीत चल रही है।

चाहिए तथा राष्ट्रों के भीतर वर्तमान तथा भावी खपत संतुलन खपत के ऐतिहासिक पैटर्नों के संबंध में देखा जाना चाहिए। अतः प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या भारत जैसे देश गरीबों की न्यूनतम आवश्यक जरूरतों सहित मूल विकास के अपने घरेलू दायित्वों को ध्यान में रखते हुए अधिक वैश्विक लक्ष्यों को समायोजित करने के लिए तैयार हैं। विश्व का सुविधाविहीन आधा हिस्सा अपना कार्य कर सकता है परंतु यह आशा नहीं की जा सकती कि विश्व के विकास, सततता और जलवायु संकट का ज्यादा भार उन पर डाल दिया जाए। अतः यह अनुदेशात्मक होगा कि ऐतिहासिक, स्थानीय और अन्य आयामों के संदर्भ में सतत विकास पर ध्यान दिया जाए।

सतत विकास

12.8 पर्यावरण संबंधी मुद्दे लम्बे समय से भारतीय चिंतन और सामाजिक प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग रहे हैं। भारत, जो बड़ा और विविधता वाला देश है, में विश्व के भू-क्षेत्र का केवल 2.4 प्रतिशत हिस्सा है और इसमें विश्व की 7-8 प्रतिशत अभिलिखित पादप और जंतु प्रजातियां हैं। यह अनुमान है कि भारत विश्व की समूची पादप प्रजातियों के लगभग 1/6 हिस्से का घर है तथा विश्व के 12 जैव विविधता वाले लोकप्रिय स्थलों में से दो भारत में स्थित हैं (भारत में पर्यावरण संबंधी सांख्यिकी का सार-संग्रह, सीएसओ 2013)। 2009 की तुलना में, भारत के वनस्पति क्षेत्र में 23.34 वर्ग किमी॰ की निवल वृद्धि हुई है (गतिविधियों और उपलब्धियों के संबंध में सार विवरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय [एमओईएफ, 2013]। देश ने वनों तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण आदि के संबंध में बहुत से कानून बनाए हैं। हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ने सततता की आवश्यकता पर जोर दिया है और पूरे देश में स्वास्थ्य, अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए “स्वच्छ भारत मिशन” शुरू करने की घोषणा किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर बल दिया है कि सरकार का दृढ़ विश्वास है कि पर्यावरणीय संरक्षण विकास के साथ-साथ चल सकता है और यह आश्वासन दिया है कि देश को उच्च विकास के पथ पर रखते समय सरकार सततता को भारत की योजना प्रक्रिया के केन्द्र में रखेगी। आम राष्ट्रीय नीतियों के साथ बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का उद्देश्य बहुत सी ऐसी अपेक्षाओं को संबोधित करता है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं पर सरकारी (केन्द्र और राज्य) व्यय 2005-06 में 5.49 प्रतिशत से बढ़ कर 2012-13 में 7.09 प्रतिशत हो गया है। (बजट अनुमान) (सार्क विकास लक्ष्य : भारत देश रिपोर्ट 2013)। जबकि देश में सरकार द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी भारत सतत विकास के लिए समावेशी रोडमैप तैयार करने में वैश्विक समुदाय के साथ समान रूप से कार्य रहा है।

एसडीजी के लिए विषय क्षेत्र

12.9 उपांतम वर्ष, 2014 में एमडीजी के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने में भारत द्वारा की गई प्रगति बॉक्स 12.1 में आंकी गई है (अध्याय 13 में मुख्य व्यष्टि संकेतकों का ब्यौरा समाहित है)। 2015 के अंत में देय एमडीजी के साथ, 2015 के बाद की विकास रूपरेखा के संबंध में अंतराष्ट्रीय विचार-विमर्श प्रारंभ हो गया है। इसकी भी जल्दी है कि सतत विकास के विजन को लक्ष्यों के सैट में परिवर्तित किया जाए और समाप्त न हुई एमडीजी को 2015 के बाद के विकास एजेंडा में शामिल किया जाए। एसडीजी के निरूपण के साथ, फिलहाल जिसकी प्रक्रिया चल रही है, एमडीजी के लिए बहुत से विषय केन्द्रित क्षेत्र खुला कार्य समूह (ओडब्ल्यूजी) द्वारा पता लगाए गए हैं जो उत्सर्कों का समूह है। और जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के विचारार्थ एमजीडी पर एक प्रभाव तैयार कर रहा है। अभी तक पता लगाए गए क्षेत्र मुख्य हैं: गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और पोषण, स्वास्थ्य और जनसंख्या गतिकी, शिक्षा,

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूरे देश में स्वास्थ्य अवशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू करने की घोषणा की।

बॉक्स 12.1 : एमडीजी और लक्ष्य ख भारत द्वारा प्राप्त की गई प्रगति का सारांश

संकेतक	एमडीजी लक्ष्य 2015	संभावित उपलब्धि 2015	
एमडीजी 1: अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन			
लक्ष्य 1: वर्ष 1990 और 2015 के बीच उन लोगों का अनुपात आधा करना जिनकी आय एक डॉलर प्रतिदिन से कम है।			
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात (प्रतिशत)	23.9	20.74	
एमडीजी 2: सार्वभौम शिक्षा की प्राप्ति			
लक्ष्य 3: यह सुनिश्चित करना कि 2015 तक प्रत्येक जगह बच्चे, लड़के व लड़कियां समान रूप से प्राथमिक विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने में सक्षम होंगे।			
प्राथमिक श्रेणी में निवल नामांकन अनुपात (प्रतिशत)	100	100	
साक्षरता दर (15-24 वर्ष)	100	100	
एमडीजी 3: महिला पुरुष समानता का उन्नयन करना और महिलाओं का सशक्तिकरण			
लक्ष्य 4: वरीय रूप से 2005 तक और शिक्षा के सभी स्तरों में 2015 तक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर समाप्त करना			
लड़के लड़की समानता सूचकांक (शिक्षा में लड़कों व लड़कियों का अनुपात)	1	1	
कृषि भिन्न क्षेत्रा में सवेतन रोजगार में महिलाओं का हिस्सा (प्रतिशत)	50	23.1	
एमडीजी 4: बच्चों की मृत्यु दर कम करना			
लक्ष्य 5: वर्ष 1990 और 2015 के बीच पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर दो तिहाई घटाना			
पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (1000 जीवित बच्चे)	42	50	
शिशु मृत्यु दर (1000 जीवित बच्चे)	27	41	
एमडीजी 5: मातृ स्वास्थ्य में सुधार			
लक्ष्य 6: वर्ष 1990 और 2015 के बीच मातृ मृत्यु दर अनुपात तीन चौथाई घटाना			
मातृ मृत्यु दर अनुपात (100,000 जीवित बच्चे)	109	139	
कुशल कालमकों की देखरेख में हुए बच्चों के जन्म का अनुपात (प्रतिशत)	100	62	
एमडीजी 7: पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना			
लक्ष्य 10: वर्ष 2015 तक उन लोगों का अनुपात आधा करना जिनकी स्वच्छ पेयजल और बुनियादी स्वच्छता तक सतत पहुंच नहीं है।			
उन्नत जल स्रोत तक सतत पहुंच वाले परिवार (प्रतिशत)	शहरी	93.56	97.5
	ग्रामीण	79.47	96.3
	शहरी	15.84	12.14
	ग्रामीण	46.64	61.11
स्रोत: सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, भारत देशज रिपोर्ट 2014, एमओएसपीआई			
टिप्पणी: इस विश्लेषण के लिए कुछ ही मुख्य संकेतक शामिल किए गए हैं जिनके आंकड़े आधार वर्ष 1990 के लक्ष्यों के अंतर्गत उपलब्ध थे।			
एमडीजी के संबंध में भारत की उपलब्धि मिलीजुली है। कुछ संकेतकों में, भारत निर्धारित सीमा से पहले ही अपने लक्ष्य प्राप्त कर चुका है अथवा उसने लक्ष्यों से बेहतर परिणाम दिए हैं, उदाहरण के तौर पर गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत आधा हो गया है जो 23.9 प्रतिशत के एमडीजी लक्ष्य से काफी ज्यादा है और संभावना है कि लक्ष्य 10 के अर्थों में 2015 में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का 20.74 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा अर्थात शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत जल स्रोत तक सतत पहुंच वाले लोगों का अनुपात आधा हो जाएगा और हमने 2012 में क्रमशः 93.56 प्रतिशत और 79.47 प्रतिशत के लक्ष्य क्षेत्रों को पहले ही पार कर लिया है। वैश्विक प्राथमिक शिक्षा का एमडीएच 2, सही दिशा में है। कुछ लक्ष्यों के संबंध में स्त्री-पुरुष समानता सूचकांक और 5 वर्ष से नीचे मृत्यु दर के लक्ष्य 2015 तक हासिल किए जाएंगे। भारत के लिए 2015 तक 100,000 जन्मों पर 109 मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य असंभव है। गैर कृषि क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार में महिलाओं के हिस्से से संबंधित अन्य क्षेत्रों कुशल कामकों की देखरेख में जन्मे बच्चों का अनुपात और उन्नत स्वच्छता की पहुंच वाली जनसंख्या के अनुपात में भारत बहुत पीछे है।			

स्त्री-पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण; जल और स्वच्छता, ऊर्जा, रोजगार, संपोषणीय शहर और मानव पुनर्स्थापना; सतत उत्पादन और खपत; तथा कार्यान्वयन के उपाय।

सतत विकास का वित्तपोषण

12.10 सतत विकास थोड़े समय में कम से कम परिणाम अथवा उत्पाद की प्रति यूनिट उच्च निवेश लागत को इंगित करता है (व्यवसाय एवं सामान्य मार्ग की तुलना में)। आगामी दशकों में सतत विकास के लिए विकासशील देशों की अतिरिक्त निवेश संबंधी जरूरतें प्रतिवर्ष लगभग 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर की हैं (विश्व आर्थिक तथा सामाजिक समीक्षा, संयुक्त राष्ट्र 2012)। सतत विकास के वृद्धि पथ के अनुगमन के लिए इन व्यापक संसाधनों को जुटाने की जरूरत को मान्यता देते हुए, रियो +20 में सदस्य देशों ने प्रभावी सतत विकास वित्तपोषण कार्यनीति के लिए वित्तपोषण संबंधी जरूरतों के आकलन और अतिरिक्त पहलों के मूल्यांकन के लिए सतत विकास वित्तपोषण के संबंध में 30 विशेषज्ञों की एक अंतर सरकारी समिति गठित की है।

12.11 भारत सहित विकासशील देश इस बात पर बल देते रहे हैं कि सामान्य किंतु भिन्न दायित्व (सीबीडीआर) तथा इक्विटी, निरंतर रूप से चल रहे और भावी सतत विकास वित्तपोषण का आधार बने रहने चाहिए। तत्पश्चात् सतत विकास पथ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कार्यनीतिबद्ध किए गए वित्तीय प्रवाह और कार्यान्वयन के साधन अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करें कि नए तथा अतिरिक्त संसाधनों के बारे में प्रावधान पर्याप्त तथा आशानुरूप दोनों हैं। व्यापक रूप से विचार-विमर्शित कुछ आर्थिक साधन/स्रोत भारत के विकास पथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और निम्नलिखित अनुच्छेदों में उन पर चर्चा की गई है।

12.12 **सरकारी विकास सहायता (ओडीए):** ओडीए ने वर्षों से अस्थिर वृद्धि दर्शायी है और इसने दाता देशों के आर्थिक विकास के साथ गति नहीं बनाए रखी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), विकास सहायता समिति (डीसीए) के दाता देशों की ओडीए वर्ष 2012 में उनकी सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) का 0.29 प्रतिशत था जो संयुक्त राष्ट्र के 0.7 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत कम है। एक अनुमान के अनुसार, पिछले तीस वर्षों में कमी 2005 की कीमतों के अनुसार कुल मिलाकर 3.1 ट्रिलियन अमरीकी डालर रही (आज का अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग, उदीयमान रूझान और विवाद, 2008)। यह स्पष्ट है कि पिछले दशक में ओडीए की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में आयी कमी ने उन संसाधनों और अवसरों को गंवाया है जो विकास कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे।

12.13 **गैर-ओडीए स्रोत:** यह व्यापक रूप से स्वीकार्य है कि अपेक्षित संसाधनों की अधिकता होने पर, सतत विकास की वित्तपोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल स्रोत पर्याप्त नहीं होगा। अतः, ओडीए के अलावा, विभिन्न अन्य स्रोतों को सतत विकास में योगदान देने के लिए उनकी क्षमता हेतु आंका जा रहा है। इस संदर्भ में बहुत से स्रोतों पर दबाव डाला जा रहा है जैसे घरेलू संसाधन संग्रहण (डीआरएम), वित्तपोषण के नवीन अंतर्राष्ट्रीय स्रोत, दक्षिण-दक्षिण स्रोत तथा निजी वित्त। आंतरिक रूप से संसाधन जुटाने के लिए देशों पर बहुत अधिक दबाव है तथापि, डीआरएम बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जैसे देश का राजकोषीय प्रदर्शन, नैसर्गिक संसाधन आधार, और कर आधार का आकार। जबकि विकासशील देशों में कम खपत और ज्यादा बचत की संस्कृति के फलस्वरूप घरेलू संसाधनों का संग्रहण बढ़ा है, परंतु मूलभूत विकास के लिए जरूरतें उपलब्ध घरेलू पूंजी, क्षमता, सामर्थ्य और प्रौद्योगिकी से अधिक हैं। नवीन वित्तपोषण संसाधन के संदर्भ में, सतर्कता यह है कि नवीन तथा नए स्रोतों का पता लगाने में यह

सीबीडीआर और इक्विटी वर्तमान और भावी सतत विकास वित्तपोषण का आधार बने रहने चाहिए।

सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राजस्व जुटाने का कोई नया उपाय विकासशील देशों पर कोई प्रभाव न डालें। बहुत से ऐसे नवीन स्रोत तकनीकी और राजनैतिक रूप से जटिल हैं और उन पर और अधिक विचार करने के लिए समन्वित प्रक्रिया की जरूरत है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग-समान देशों के लिए भागीदारी तथा दक्षिण के देशों के बीच एक प्रयास है जिससे वे स्वेच्छा से अपनी सामान्य समस्याओं को सुलझा सकें और यह प्रायः उल्लिखित समाधान के रूप में भी उभरा है तथापि, दक्षिण-दक्षिण सहयोग लाभ न मिलने वाले उत्तर-दक्षिण प्रवाहों को लाभ दे सकता है। दक्षिण के लिए अधिक कार्य करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह उन्हीं के स्थान के अंतर्गत होना चाहिए। निजी क्षेत्र भी केवल पूरक भूमिका ही निभा सकता है। निजी क्षेत्र का वित्तपोषण अपने निवेशों के लिए सुपरिभाषित जोखिम/प्रतिलाभ विवरण की मांग करेगा। जिस सीमा तक निजी पूंजी जुटाई जा सकती है, वह निजी पूंजी को आकर्षित करने तथा इस्तेमाल में लाने में अपेक्षित उत्प्रेरक भूमिका निभाने के लिए उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों की राशि पर निर्भर करेगी।

12.14 जिन विकल्पों पर बहस की जा रही है, वे काफी लागत वाले हैं और उन्हें विकास का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए तथा इसी समय सतत विकास करने के लिए जरूरत की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के आकार के संदर्भ में देखना होगा। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय संघटन को सुधारना जो डिजाइन के मानदंड और सिद्धांतों जैसे जवाबदेही, पारदर्शिता, देश का स्वामित्व, प्रभावी हितधारियों की काम में संलग्नता, आरोह्यता तथा नम्यता को शामिल करेगा, जो वैश्विक सतत विकास एजेंडा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। विस्तृत वैश्विक संस्थागत संघटन को विकासशील देशों के ज्यादा अधिकार एवं भागीदारी के संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता में तत्काल सुधार की जरूरत है। एक बार विश्व यह मान्यता दे कि सतत विकास सामान्य है किन्तु दायित्व भिन्न-भिन्न हैं और वह यह दायित्व सतत विकास के कई पहलुओं के साथ स्थानांतरित करता है, तो एक अधिक समान संतुलित संघटन, जहां प्रत्येक प्रभावित पक्ष समान हितधारक है, प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और वांछित पथ के साथ प्रगति को मानीटर करने और सही दिशा में रखने के लिए उदीयमान हो सकता है।

जलवायु परिवर्तन

वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन

12.15 बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ-साथ उत्सर्जन कम करने की राष्ट्रीय नीतियां लागू करने के व्यापक प्रयासों के बावजूद उत्सर्जन बढ़ा है। ऊर्जा का प्रयोग कुल मिलाकर उत्सर्जन का सबसे बड़ा संचालक है। उच्च मध्यम आय वाले देशों में ऊर्जा व उद्योग क्षेत्र में 2000 और 2010 के बीच वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है (आईपीसीसी डब्ल्यूजी III, 2014)। इन क्षेत्रों के अलावा, इन देशों ने भी उत्सर्जनों में विभेदक अंशदान किए हैं। विकासशील देशों ने विशेषता इस समस्या में न्यूनतम अंशदान किया है परन्तु प्रभाव इन पर ही ज्यादा हुआ है। यद्यपि 1990 से 2010 तक भारत का प्रति व्यक्ति का सीओ₂ 0.8 से बढ़कर 1.7 मेट्रिक टन हो गया है, यह विश्व की मुख्य अर्थव्यवस्थाओं जैसे यूएसए (17.6), कनाडा (14.7), चीन (6.2) और ब्राजील (2.2) से काफी कम है और 2010 में (विश्व बैंक डाटा बेस) 4.9 की औसत से भी काफी हद तक कम है।

12.16 उत्सर्जन के ऐतिहासिक स्टॉक में वास्तविक अंशदान के सन्दर्भ में अनुबंध वाले देशों (औद्योगिक देश और परिवर्तन वाली अर्थव्यवस्थाएं) में गैर-अनुबंध (मुख्यतः आम तौर पर कम आय वाले और विकासशील देश) से काफी अधिक है। भारत का 1850 से 2010 तक वैश्विक उत्सर्जन में योगदान केवल 2.7 प्रतिशत था जबकि यूएस का 27 प्रतिशत था। सामुहिक वैश्विक उत्सर्जन में अनुबंध-I वाले देशों का हिस्सा

अपेक्षित संसाधनों की अधिकता को देखते हुए सतत विकास की वैश्विक वित्तपोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई एकल स्रोत पर्याप्त नहीं होगा। सभी चर्चित विकल्प काफी लागत वाले हैं और इन्हें विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर इनके प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।

भारत का प्रति व्यक्ति सीओ₂ उत्सर्जन 1990 और 2010 के बीच 0.8 मी० टन से बढ़कर 1.7 मी० टन हो गया है, फिर भी यह 2010 में विश्व की 4.9 मी० टन की औसत से नीचे है।

लगभग 70 प्रतिशत और गैर-अनुबंध-I वाले देशों का लगभग 28.5 प्रतिशत (समावेशी विकास हेतु निम्न कार्बन कार्यनीतियों संबंधी विशेषज्ञ समूह की अंतिम रिपोर्ट, योजना आयोग, 2014)। वर्तमान स्टॉक की वृद्धि के संदर्भ में एक बार फिर अनुबंध-I देश अपने जनसंख्या आधार पर उचित हिस्से से अधिक उत्सर्जन करते हैं। अनुबंध-I देश सामूहिक रूप से विश्व जनसंख्या का लगभग 19 प्रतिशत है, 2011 में (सीओ2 इमिशन फ्रॉम फ्यूल कंभेशन, हाडलाइट्स, 2013) 43 प्रतिशत रहा। यद्यपि यदि उत्सर्जन की हाल की वृद्धि को देखा जाए तो, विशेषकर 1990 के बाद गैर-अनुबंध-I वाले देशों का तीव्र है अनुबंध-I देशों के कम और घटती वृद्धि के विपरीत है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, वास्तविक अर्थ में अधिक है, अनुबंध-I वाले देशों में स्थित और धीरे-धीरे घट रहा है और इसके उप समूह जैसे ओईसीडी और परिवर्तन वाली अर्थव्यवस्थाओं जबकि आय में वृद्धि और जनसंख्या के कारण विशेषकर एशिया और कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं में यह गैर-अनुबंध-I देशी में मजबूती से बढ़ रहा है, इसलिए हुआ क्योंकि अमीर देश जीवन के उच्च स्तर तक पहुंच के लिए विकासशील चरण पहले ही पुरा कर चुके हैं, पर्यावरणविद संबंधी कुजनेट्स कुवे द्वारा सुझाया गया है के परामर्शनुसार गरीब देशों में तकनीकी विकल्प की अनुपस्थिति में, प्रयोग संसाधन, विकास के पूर्व चरण में वृद्धि करती है। फिर भी प्रत्यालेख अनुसार अब से अब से दो दशकों तक भारत का प्रति व्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन पिछले 25 वर्षों के वैश्विक औसत से काफी कम रहेगा। 2020 में भारत का प्रतिव्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन सीओ₂ ईक्यू का 2.1 टन और 2008 में सीओ₂ ईक्यू का 3.5 टन का होने का अनुमान है। ये आंकड़े 2005 के वैश्विक प्रतिव्यक्ति एचजी उत्सर्जन 4.22 टन सीओ₂ ईक्यू का औसत की तुलना में अच्छे हैं। (भारती जीएचजी उत्सर्जन निवल, एमओईएफ 2009) वास्तव में भारत अपने प्रति व्यक्ति उत्सर्जन क किसी भी परिस्थिति विकसित देशों से अधिक न होने देने के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध है।

घरेलू योजनाओं विश्लेषण और जलवायु परिवर्तन

12.17 जिम्मेवार देश होने के कारण भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी क्षमता से अधिक कई उपाय किए हैं। 1990 और 2011 के बीच भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की दक्षता में नियमित सुधार किया है और जीडीपी की प्रति इकाई 20 प्रतिशत सीओ₂ उत्सर्जन कम किया है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगातार मजबूत ही रही है, जनवरी, 2012 में 23 जी डब्ल्यू पहुंच गई, जो कुल विद्युत क्षमता (ईंधन तपन, हाडलाइट्स, आईईए 2013 से सीओ₂ उत्सर्जन) का लगभग 12 प्रतिशत है। जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए भारत की मुख्य योजनाएं निम्नलिखित खंडों में रेखांकित की गई हैं।

जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्यवाई योजना की स्थिति/विकास

12.18 मौसम परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना (एनएपीसीसी) के राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत पिछली आर्थिक समीक्षाओं में चर्चा की जा चुकी है। यह समीक्षा अपील अभी तक की गई संसाधित लागत अनुमानों, कार्यान्वयन की स्थिति और प्रगति आदि पर ध्यान देती है।

12.19 **राष्ट्रीय सौर मिशन:** बारहवीं योजना अवधि में आवंटित वित्तीय खर्च रुपये 8795 करोड़ है।

12.20 **वर्धित ऊर्जा दक्षता संबंधी राष्ट्रीय मिशन:** बारहवीं योजना अवधि के लिए मिशन हेतु आंकी गई कुल निधि आवश्यकता 190/- करोड़ रु० है। हासिल की गई असाधारण प्रगति सम्मिलित हैं:-

- पीएटी की पहली वचनबद्धता अवधि की शुरुआत (निष्पादन उपलब्धि और व्यापार)

भारत का प्रति व्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन 2030 में सीओ2 समकक्ष का 3.5 टन होना अनुमानित है जो 2005 में सीओ2 समकक्ष के 4.22 टन के प्रति व्यक्ति वैश्विक औसत की तुलना में अनुकूल है।

भारत ने पहले ही वचनबद्धता की है कि इसके प्रति व्यक्ति उत्सर्जन किसी भी हालत में विकसित देशों से ज्यादा नहीं होगा।

भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय योजनाएं क्रियान्वित करने में प्रगति कर रहा है। इसने 1990 और 2011 के बीच अपना सीओ₂ उत्सर्जन सघट के प्रति यूनिट 20 प्रतिशत कम किया है।

मिशन द्वारा किए जाने वाले कार्य	वर्ष 2013-17 हेतु लक्ष्य	वर्ष 2013-14 हेतु लक्ष्य	वर्ष 2013-14 में उपलब्धि
ग्रिड से जुड़ी सौर विद्युत परियोजनाएं	9000 मेगावाट (3000 मेगावाट केन्द्रीय सहायता से और 6000 मेगावाट राज्यों के कार्यक्रम के अन्तर्गत)	1100 मेगावाट	522 मेगावाट
ग्रिड से अलग सौर विद्युत परियोजनाएं	800 मेगावाट	40 मेगावाट	22.7 मेगावाट
सौर तापन - संग्राहक क्षेत्र का 70 लाख वर्गमीटर	70	5	5

सारणी 12.1 : राष्ट्रीय सौर मिशन

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से ऊर्जा क्षमता वित्तपोषण मंच का विस्तार।
- कोम्पेक्ट फ्लोरेसेन्ट लैम्प प्रोग्राम का कार्यान्वयन।
- आंशिक जोखिम गारंटी निधि/ऊर्जा क्षमता के लिए उपक्रम पूंजी निधि का संचालन।

12.21 दीर्घकालीक पर्यावरण के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएच): बारहवीं योजना अवधि के लिए मिशन की गतिविधियों के लिए कुल ₹ 950/- करोड़ की आवश्यकता निर्धारित की गई है, जो जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के वर्तमान बजट से पूरी की जाएगी। मिशन के अधीन असाधारण प्रगति हासिल की गई है।

- एनएमएसएच स्तर 6 उप-क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया अर्थात (क) ठोस अवशेष का प्रबंधन, (ख) जल व स्वच्छता, (ग) झंझावत जल निकास, (घ) शहरी योजना, (ङ) ऊर्जा क्षमता, और राज्य में विकासात्मक गतिविधियों में एकीकरण के लिए शहरी यातायात।
- ऊर्जा संरक्षण निर्माण क्षेत्र 2007 सभी नए और पुराने भवनों के लिए अनिवार्य किया गया है और 2013 में विद्युत संपर्क के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) सामान्य विशेषताएं के साथ निगमित किया गया।
- 2009 से सीपीडब्ल्यूडी के लिए हरित निर्माण मानक अनिवार्य किए गए और सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली से निगमित किए गए।

12.22 राष्ट्रीय जल मिशन : बारहवीं योजना अवधि के लिए मिशन के लिए कुल ₹ 89,101/- करोड़ ₹ की निधि निर्धारित की गई है। केवल ₹ 196/- करोड़ ₹ के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। अब तक कार्यान्वयन की स्थिति निम्न प्रकार से है:

- मौसम परिवर्तन पर राज्य विशेष कार्रवाई योजना की तैयारी के लिए कार्रवाई की गई।
- दो बैसिन जैसे गोदावरी और बाहमणी-बैतरणी का बेसिनवार जल का एक प्रायोगिक अध्ययन किया गया। अध्ययनों का विस्तार सभी बेसिन के लिए किया गया।
- एक समझौता ज्ञापन पर जल संसाधन मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक के बीच एकीकृत बाढ़ शमन और बाढ़ क्षेत्र प्रबंधन रणनीति की पहचान व प्रयोग के लिए संबंधित अनुसंधान करने के उद्देश्य से तकनीकी सहायता के लिए, हस्ताक्षर किए गए।

12.23 हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन: कुल 1500/- करोड़ रु० बारहवीं योजना अवधि के लिए निधि की जरूरत का आकलन निर्धारित किया गया। 500/- करोड़ रु० का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। बारहवीं योजना के महत्वपूर्ण कार्य और लक्ष्य सारणी 12.2 में दिए गए हैं।

मिशन द्वारा किए जाने वाले कार्य (संख्या)	वर्ष 2013-17 हेतु लक्ष्य	वर्ष 2013-14 हेतु लक्ष्य	वर्ष 2013-14 की उपलब्धि
नेटवर्किंग और ज्ञान संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	12	4	4
हिमालयी राज्यों में विद्यमान संस्थाओं में	10	3	4
जलवायु परिवर्तन संबंधी नए केंद्र शुरू करना			
हिमालयी पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य की	1	1	1
मानीटरी हेतु पर्यवेक्षण संजाल का विकास			
ग्लोबल सायोलॉजी में पड़ोसी देशों के साथ	सभी	1	1
क्षेत्रीय सहयोग	पड़ोसी		

सारणी 12.2 : हिमालयी पारिस्थितिकी की
सततता हेतु राष्ट्रीय मिशन

12.24 हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन: बारहवीं योजना अवधि के लिए मिशन का कुल 45,800/- करोड़ रुपये की निधि की आवश्यकता का आकलन किया गया है। मिशन के अधीन गतिविधियों की कार्यान्वयन के लिए 13000/- करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई। लागत की लगभग 0.85 लाख हेक्टेयर कार्यक्षेत्र पर 33 भूदृश्य निर्माण की भावी योजना लगभग दस राज्यों ने पहले ही प्रस्तुत कर दी है।

12.25 धारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन: बारहवीं योजना अवधि के लिए मिशन के लिए कुल 1,08,000 करोड़ रुपये की कुल निधि की आवश्यकता का आकलन किया गया और 13,034 रुपये करोड़ का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। निधि की उपलब्धता के अनुसार 15 कार्य कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्य और लक्ष्य सारणी 12.3 में दिए गए हैं।

सारणी 12.3 : धारणीय कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन : वे कार्यकलाप जिनमें अधिक प्रगति की गई है

मिशन द्वारा किए जाने वाले कार्य	मिशन के कार्यकलाप	वर्ष 2013-17	वर्ष 2013-14	वर्ष 2013-14 में उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत 2013-14
बागवानी	बागवानी क्षेत्र का विस्तार (लाख हेक्टेयर)	11	1.2	1.04	86
बीज	बीज प्रसंस्करण (लाख क्विंटल)	10	2	3.64	182
कृषि आपूर्ति चेन प्रबंधन	कृषि बाजार-भंडारण का सृजन (लाख मिट्टिक टन)	230	45	42.93	95
पशुधन और मत्स्य पालन	मछली के उत्पादन में वृद्धि (फिंगरलिंग उत्पादन) मिट्टिक टन	220350	37818	37132	99

12.26 जलवायु परिवर्तन हेतु सामरिक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन: बारहवीं योजना अवधि हेतु इस मिशन के लिए मूल्यांकित कुल निधि की जरूरत 2500 करोड़ रुपए है। तथापि, इन कार्यकलापों को करने का व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विद्यमान स्कीमों के बजट आवंटन में से पूरा किया जाएगा। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए किए जा सकने वाले कार्य और लक्ष्य सारणी 12.4 में दिए गए हैं।

मिशन द्वारा किए जाने वाले कार्य (संख्या)	वर्ष 2013-17 लक्ष्य	वर्ष 2013-14 लक्ष्य	वर्ष 2013-14 में उपलब्धि
विषयक ज्ञान नेटवर्क	10	2	2
क्षेत्रीय जलवायु मॉडल	4 to 6	2	3
विशेष रूप से प्रशिक्षित उच्च गुणवत्ता वाले सीसी व्यवसायिक	200	50	25
प्रौद्योगिकी निगरानी समूह	11	5	2

सारणी 12.4 : जलवायु परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन : वे क्षेत्र जिनमें अधिक प्रगति की गई है

जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्यों की कार्य योजनाएं और मौजूदा प्रगति

12.27 एनएपीसीसी की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में एसएपीसीसी प्रारंभ किए गए थे ताकि उप-राष्ट्रीय स्तरों पर जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए राज्य-विशिष्ट प्राथमिकताओं और कार्य योजनाओं की पहचान की जा सके। 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी एसएपीसीसी तैयार कर ली है। इनमें से नौ राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश की एसएपीसीसी जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा पृष्ठांकित की गई है।

12.28 बारहवीं पंचवर्षी योजना के दौरान 'जलवायु कार्रवाई कार्यक्रम' शीर्षक वाली नई केन्द्रीय-क्षेत्रक स्कीम अनुमोदित की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मूल्यांकन करने और समुचित अनुक्रिया उपायों का निर्माण व कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय और राज्यों के स्तर पर क्षमता का निर्माण व सहायता करना है। एसएपीसीसी का कार्यान्वयन इस स्कीम के आठ अनुमोदित संघटकों में से एक है जिसके लिए योजना आयोग द्वारा 90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

निम्न कार्बन कार्यनीतियां और उनके वित्तीय निहितार्थ

12.29 भारत ने स्वेच्छा से 2020 तक 2005 की तुलना में अपने सरल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन सघनता 20-25 प्रतिशत घटाने के प्रयास के प्रति वचनबद्धता की है। निम्न उत्सर्जन मार्ग ऊर्जा-सक्षम प्रौद्योगिकियों की तैनाती, विद्युत उत्पादन हेतु नवीकरणीय विकल्पों का वृद्धि प्रयोग, सतत अपशिष्ट प्रबंधन और वनों का संरक्षण अपरिहार्य बनाएगा। समावेशी विकास के लिए निम्न कार्बन कार्यनीतियां बनाने हेतु योजना आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था और इसने हाल ही में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है (बॉक्स 12.3)।

अंतर्राष्ट्रीय वार्तालाप: पक्षकार-19 का सम्मेलन

12.30 वैश्विक सार्वजनिक कल्याण के तौर पर विकास प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाना विशेषकर उन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को भारी पड़ा है जिनकी बुनियादी जरूरतें बमशिकल पूरी हुई हैं। ऐसी प्रक्रिया को सीबीडीआर सिद्धांत के अंतर्गत आश्रय लेना होगा जिसे वार्तालाप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के उन्नीसवें सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की नौवीं बैठक नवंबर, 2013 में वारसा, पोलैंड में आयोजित की गई थी। पक्षवार-19 सम्मेलन में कोई नए परिणाम सामने नहीं आए। (बॉक्स 12.3 में कुछ महत्वपूर्ण परिणाम रेखांकित किए गए हैं)। वारसा से महत्वपूर्ण निर्णय 'डर्बन प्लेटफॉर्म' के कार्य से जुड़े हैं जो 2020 से पहले और बाद की अवधियों के लिए उत्सर्जन कटौतियों संबंधी करारों को अंतिम रूप देने के लिए वार्ताकारी प्रक्रिया है। अनेक देशों के लिए

बॉक्स 12.2 : निष्कर्ष : समावेशी विकास के लिए निम्न कार्बन कार्यनीतियों संबंधी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट

- इस रिपोर्ट में प्रयुक्त माडल के अनुमानों के अनुसार निम्न कार्बन कार्यनीतियों का अनुसरण औसत स.घ.उ. वृद्धि दर 0.15 प्रतिशत नीचे ले आएगा जबकि प्रति व्यक्ति कार्बनडायऑक्साइड उत्सर्जन बीआईजी (बेसलाइन, समावेशी विकास) परिदृश्य में (2030 में) 3.6 टन प्रति व्यक्ति से गिरकर एलसीआईजी (निम्न कार्बन, समावेशी विकास) परिदृश्य में 2.6 टन प्रति व्यक्ति पर आ जाएंगे। हालांकि, दोनों उत्सर्जनों में कुल कार्बन उत्सर्जन 2030 तक निरंतर बढ़ते रहेंगे।
- वर्ष 2010 से 2030 के बीच निम्न कार्बन कार्यनीतियों की संचयी लागत 2011 के मूल्यों पर लगभग 834 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।
- यह अन्य जरूरतों से संसाधन हटाएंगी और इसे बनाए रखना संभव नहीं होगा यदि संवृद्धि पर्याप्त नहीं होती है। एलसीआईजी परिदृश्य में अतिरिक्त ऊर्जा निवेश द्वारा हुई कुल स.घ.उ. हानि को 2011 के मूल्यों पर 1344 बिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किया गया है अतः वित्त और प्रौद्योगिकी दोनों में अंतर्राष्ट्रीय सहायता महत्वपूर्ण होगी।

स्रोत: समावेशी विकास हेतु निम्न कार्बन कार्यनीतियों संबंधी विशेषज्ञ समूह की अंतिम रिपोर्ट, योजना आयोग - 2014

बॉक्स 12.3 : वारसा के महत्वपूर्ण परिणाम

- सरकारों ने निर्णय लिया कि 2015 के करार के लिए अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित अंशदानों की घरेलू तैयारी या तो शुरू करें अथवा तेज करें।
- कमजोर विकासशील देशों द्वारा भयंकर जलवायु प्रभावों का सामना करने में सहायता करने के लिए क्षति तंत्र स्थापित किया गया है जो समुचित वित्तपोषण के स्पष्ट अधिदेश के बिना ही है।
- 100 बिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धताओं के संबंध में विकसित देशों से यह कहते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था कि 2014 से 2020 तक जलवायु वित्त बढ़ाने के लिए अपनी अद्यतन कार्ययोजनाएं व दृष्टिकोणों के द्विवार्षिक प्रस्तुतीकरण तैयार करें।
- हरित जलवायु कोष बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वित्तीय संसाधन प्राप्त करने, प्रबंधन करने और संवितरण करने के लिए आवश्यक जरूरतों को अंतिम रूप दें जिनके पूरे होने पर पूंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।
- विकसित देशों ने अनुकूलन निधि हेतु 100 मिलियन अमरीकी डालर का पूंजीकरण लक्ष्य पूरा कर लिया है जो अब प्राथमिकता वाली परिस्थितियों का निधि पोषण जारी रख सकती है।
- आरईडीडी + (वन कटाई और अपरदन से उत्सर्जन में कटौती) हेतु वारसा कार्ययोजना का समर्थन अमरीका, नार्वे और यू.के. से 280 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धताओं से हुआ है।

उच्च प्राथमिकता वाला दूसरा मुद्दा हरित जलवायु कोष का पूंजीकरण था। इन क्षेत्रों में निर्णयों पर पहुंचना चुनौतीपूर्ण था और किसी एक मुद्दे पर प्रगति स्पष्ट रूप से दूसरे की प्रगति पर निर्भर करती थी।

12.31 जैसा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय वार्तालापों में होता है पैरिस में 2015 में अंतिम रूप पाने वाले वैश्विक जलवायु करार की दौड़ में पक्षकार - 19 के सम्मेलन में पक्षकारों के बीच विचारों का गंभीर आदान-प्रदान देखा गया। अंततः यह सहमति हुई कि देश अपने 'आशयित राष्ट्रीय रूप से निर्धारित अंशदान' का निर्धारण करने के लिए घरेलू तैयारी तेज करेंगे। यह पैरिस में अगले वर्ष होने वाले सम्मेलन के लिए अनिवार्य पूर्वापेक्षा है जहां सभी देशों में उत्सर्जन कम करने की नई वैश्विक संधि पर वार्तालाप होगी। यह यूएनएफसीसीसी के इतिहास में ऐसा पहला करार होगा जिसमें सभी देशों को एक मंच के अंतर्गत लाया जाएगा जिसका मतलब है कि 2014-15 महत्वपूर्ण वर्ष होगा। सभी पक्षों से अपेक्षा है कि वे 2015 की पहली तिमाही तक उनके द्वारा उत्सर्जन में कटौती की मात्रा की वचनबद्धता दें।

भारत सहित सभी देशों को 2015 के करार के लिए 2015 की प्रथम तिमाही तक अपने 'आशयित राष्ट्रीय रूप से निर्धारित अंशदान' का मूल्यांकन किये जाने की जरूरत है।

जलवायु परिवर्तन वित्त

वैश्विक जलवायु वित्त परिदृश्य

12.32 जब से विकसित देशों ने 2020 तक विकासशील देशों को 100 बिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने की वचनबद्धता की है, इस लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ अनुत्तरित प्रश्न व अनिश्चितताएं हैं। प्रवाहों और 10 बिलियन अमरीकी डालर बनाने वाले स्रोत; पात्र साधन और अनुबंध-II वाले देशों के बीच दायित्वों के बंटवारे के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भ्रामक बने हुए हैं।

12.33 बहुपक्षीय/द्विपक्षीय चैनलों, विकास बैंकों के जोड़तोड़ और यूएनएफसीसीसी के क्षेत्र के भीतर और बाहर पड़ने वाली राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए कार्य संचालन वैश्विक जलवायु वित्त परिदृश्य निरंतर द्विअर्थी और जटिल बना हुआ है। चैनलों की बहुलता से जटिलता बढ़ेगी और सेवा दिए जाने वाले देशों की तुलना में अधिक संस्थाओं में वित्त की अल्प राशि टुकड़ों में बंट जाएगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने अनुमान लगाया है कि पहले ही 50 अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक कोष, 45 कार्बन बाजार और 6000 निजी इक्विटी फंड हैं जो जलवायु परिवर्तन वित्त उपलब्ध करा रही हैं (ह्यूमैन

डेवलेपमेंट इन ए चेंजिंग क्लाइमेट: ए फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, यूएनडीपी 2011)। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संस्था अपने अभिशासन ढांचे और उद्देश्यों में अलग है। जो द्विपक्षीय संस्थान वर्तमान में जलवायु वित्त का अधिकतर चैनल करते हैं, प्रायः सीमित पारदर्शिता, लंबित देशज स्वामित्व और प्राथमिकताओं के साथ कार्य करते हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप सिधार्थ के संघर्ष में अपने स्वयं के राष्ट्रीय जलवायु कोषों की स्थापना की नई प्रवृत्ति भी उभर रही है।

12.34 जलवायु वित्त का पता लगाने के लिए कोई व्यापक प्रणाली नहीं है। विभिन्न पूर्वधारणाओं और प्रक्रिया विधियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न अध्ययनों के अनुमान संकलित किए गए हैं जो अंतरालों और प्रासंगिक द्विरावृत्ति से भरे हुए हैं। इसमें सूचित राशि संभवतः वचनबद्ध राशि होती है और यह वास्तविक संचित राशि नहीं है। ओईसीडी (ट्रेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस: वाट एण्ड हाऊ, ओईसीडी 2012) के अनुसार उत्तरी-दक्षिणी प्रवाह 2009-10 में 70-120 बिलियन अमरीकी डालर वार्षिक थे। अन्य अनुमान इस आंकड़े को अलग ही दर्शाते हैं।

12.35 अधिकतर जलवायु वित्त प्रवाहों का अनुमान लगाने वाले अध्ययन अभिसमय के अनुच्छेद में यथा प्रतिबिंबित जलवायु वित्त व्यवस्थाओं का प्रग्रहण नहीं करते जो विकसित देशों को निदेश देते हैं कि विकासशील देशों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन के उपायों की सहमत संपूर्ण वृद्धिकारी लागतें पूरी करने के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण सहित नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं। यदि कोई जलवायु वित्त की परिभाषा करने और इसकी सीमा बनाने के लिए इन अनुच्छेदों के अनुसार चलेगा तो जैसा कि कई अध्ययनों में दावा किया गया है वैश्विक जलवायु परिवर्तन वित्त प्रवाह कई गुणा कम हो जाएंगे और एक मामूली राशि (विकसित देशों से नए और सार्वजनिक प्रवाहों के समकक्ष अतिरिक्त अनुदान) ही जलवायु वित्त के रूप में वास्तव में अर्हक होगी। जलवायु नीति कार्यक्रम (ग्लोबल लैंडस्कोप आफ क्लाइमेट फाइनेंस, 2013) द्वारा अनुमानित 2012 में 359 बिलियन अमरीकी डालर के जलवायु वित्त प्रवाहों में अनुदानों का हिस्सा मात्र लगभग 3 प्रतिशत था। यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार अनुबंध-II वाले देशों (ईआईटी देशों को छोड़कर अनुबंध-1 के ओनुसीडी सदस्य) ने 2011 और 2012 में प्रत्येक वर्ष लगभग 15 बिलियन अमरीकी डालर मुहैया कराए थे। वित्त का 80 प्रतिशत से अधिक द्विपक्षीय रूप से उपलब्ध कराया गया था और शेष बहुपक्षीय चैनलों के जरिए मुहैया कराया गया था। यह देखना उत्साहवर्धक नहीं है कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चैनल यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत समर्पित निधियों की तुलना में अंशदानों हेतु तरजीही पसंद बने हुए हैं। यदि ये आंकड़े विकसित देशों के प्रयास बढ़ाकर 2020 तक 100 बिलियन अमरीकी डालर का वार्षिक लक्ष्य कर देंगे तो आगे चलकर जलवायु वार्तालाप निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे।

12.36 हालांकि विभिन्न अध्ययन मौजूदा जलवायु वित्त प्रवाहों के अलग-अलग आंकड़े दर्शाते हैं परन्तु जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपेक्षित निधियों की विशालता के बारे में एमकत हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2050 तक 2^o सेंटीग्रेड के अनुरूप ऊर्जा प्रणाली को कार्बनहीन करने के लिए 44 ट्रिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त निवेश की जरूरत पड़ेगी (एनर्जी टेक्नोलोजी प्रस्पेक्टिव्स - हार्नेसिंग इलेक्ट्रिसिटी पोर्टसियल, आईईए 2014)। हालांकि 2012 में आईईए ने यह अनुमान 36 ट्रिलियन अमरीकी डालर लगाया था। जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए हम जितनी देरी करेंगे, इसकी लागत उतनी ही बढ़ती जाएगी।

अनुबंध-II वाले देशों ने जलवायु वित्तपोषण के रूप में विकासशील देशों को 2011 और 2012 के प्रत्येक वर्ष में लगभग 15 बिलियन अमरीकी डॉलर उपलब्ध कराए हैं जो उनके द्वारा वचनबद्ध 2020 के लिए 100 बिलियन अमरीकी डालर के वार्षिक लक्ष्य से काफी कम है।

भारत सरकार ने जीसीएफ संसाधनों तक पहुंच के लिए जरूरी संस्थागत अवसरचना पर विचार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है।

12.37 जलवायु वित्त आवश्यक वास्तविक धन की उपलब्धता की तुलना में जरूरत, निधियों के प्रवाह प्रसार में पारदर्शिता और समन्वय में कमी के अर्थ में अंतराल से कमजोर बना हुआ है। यह सही मात्रा को समझना और उपलब्ध वित्तपोषण के स्वरूप को चुनौतीपूर्ण बनाता है। जलवायु वित्त की मानीटरिंग, लेखाकरण और पारदर्शिता को यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत अधिक ठोस रूप से संस्थागत बनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत वित्त संबंधी स्थायी समिति में प्रयास जारी हैं।

जीसीएफ और जीसीएफ संसाधनों तक पहुंच के लिए देशज तैयारी

12.38 जीसीएफ से अपेक्षा है कि वार्षिक जलवायु वित्त के 100 बिलियन अमरीकी डालर के महत्वपूर्ण हिस्से को सरणीकृत करना है। इसके लिए लंबित निर्णयों को तत्काल अंतिम रूप देने हेतु जीसीएफ बोर्ड के प्रयास जारी हैं। यह कोष संभवतः 2015 तक प्रचालनरत हो जाएगा। इसका अर्थ है कि विकासशील देशों को जीसीएफ संसाधनों तक पहुंच के लिए संस्थागत अवसंरचना के निर्माण हेतु समान रूप से कठिन स्थिति रहेगी।

12.39 इस परिप्रेक्ष्य में जीसीएफ बोर्ड ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। बोर्ड द्वारा लिए गए कुछ निर्णायक फैसलों में कालांतर में शमन और अनुकूलन के लिए 50:50 के अनुपात में आवंटन हेतु लक्ष्य भी शामिल है। इसने छोटे द्वीपीय विकासशील देशों तथा कम विकसित देशों (एलडीपी) जैसे कमजोर देशों के लिए खर्च की जा रही अनुकूलन राशि का न्यूनतम आधा आरक्षित रखा है। बोर्ड के सदस्य जीसीएफ के लिए केन्द्रीय सिद्धांत के रूप में देश के स्वामित्व के लिए भी सहमत हो गए हैं। राष्ट्रीय सरकारें अथवा उनके द्वारा नामित संस्थाएं जिन्हें राष्ट्रीय कार्यान्वयन प्रतिष्ठान (एनआईई) कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु निधियां प्राप्त करेंगी और उन्हें संबंधित परियोजनाओं का संचालित करेंगी। बोर्ड ने राष्ट्रीय निर्दिष्ट प्राधिकरण (एनडीए) नामित करने के लिए देशों को पहले से ही आमंत्रित किया है जो यह सुनिश्चित करने के लिए एनआईई के प्रस्तावों की समीक्षा करेगा कि ऐसे प्रस्ताव राष्ट्रीय योजनाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार हैं।

12.40 अंततः जीसीएफ की सफलता जीसीएफ गतिविधियों के संपूर्ण अंतरण के लिए विकासशील देशों की तत्परता और तैयारी में है। यह जीसीएफ के जरिए संचालित संसाधनों के उपयोग के लिए पर्याप्त और सक्षम घरेलू के प्रश्न को उत्पन्न करती है। प्रमुख मुद्दों पर संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया भारत सरकार ने पहले ही प्रारंभ कर दी है।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा से निधि का प्रवाह

12.41 आज की तारीख तक भारत ने 477.3 मिलियन अमरीकी डालर की वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) अनुदान प्राप्त की है जिसमें से 284.2 मिलियन अमरीकी डालर शमन परियोजनाओं के लिए तथा 10 मिलियन अमरीकी डालर अनुकूलन परियोजनाओं के लिए हैं। हाल ही में, 30 दाता देशों ने जीईएफ को इसके छठे चक्र (जुलाई 2014-जून 2018) के लिए 4.43 बिलियन अमरीकी डालर राशि देने की प्रतिज्ञा की है। कुछ विकसित देशों की तुलना में जिन्होंने अपनी खराब आर्थिक स्थिति के आधार पर जीईएफ-6 में अधिक अंशदान हेतु राशि देने में अपनी अक्षमता व्यक्त की है, विकासशील देशों ने अपनी प्रतिज्ञा में उच्च प्रतिशत की वृद्धि की है। भारत ने 12 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करने की प्रतिज्ञा की है जो जीईएफ-5 में इसके अंशदान से 33 प्रतिशत ज्यादा है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2050 तक 2^o सेंटीग्रेड के अनुरूप ऊर्जा प्रणाली को कार्बनहीन करने के लिए 44 ट्रिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त निवेश की जरूरत पड़ेगी

दिनांक 31 मई 2014 को अभी तक एनसीईएफ के जरिए निधियन के लिए 16035 करोड़ रुपए की लागत की लगभग 44 परियोजनाएं संस्तुत की गई हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि

12.42 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) प्रति टन 50 रुपए के कोयला उपकर से सृजित की गई थी। दिनांक 31 मई 2014 को अभी तक एनसीईएफ के जरिए निधियन के लिए 16035 करोड़ रुपए की लागत की लगभग 44 परियोजनाएं संस्तुत की गई हैं। एनसीईएफ के जरिए बजटित राशि लगभग पूरी तरह से उपयोग कर ली गई है। 2013-14 के लिए बजटित राशि लगभग 1313 करोड़ रुपए तथा 2014-15 के लिए 1078 करोड़ रुपए है। एनसीईएफ जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की सोलर फोटोवोल्टिक लाइटों और कम क्षमता की लाइटें लगाने, एसपीवी वाटर पंपिंग प्रणालियां लगाने, एसपीवी विद्युत संयंत्र, ग्रिड कलेक्टिव सफटाप एसपीवी विद्युत संयंत्र, पवन विद्युत संभाव्यता तक पहुंच की प्रायोगिक परियोजना, ग्रिड इंटररेक्टिव पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम आदि जैसी नवीन स्कीमों सहित पात्र परियोजनाओं का निधिपोषण कर ही है।

कार्बन बाजार, रूझान और साधन

12.43 भारत कार्बन बाजार के प्रति अपनी पहुंच में सक्रिय रहा है तथा यह वैश्विक सीडीएम (स्वस्थ विकास कार्य प्रणाली) बाजार के महत्वपूर्ण घटक को दर्शाता है। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार सीडीएम कार्यकारी बोर्ड द्वारा पंजीकृत 7472 परियोजनाओं में से 1493 भारत की थीं, जो विश्व में किसी अन्य देश से दूसरी सबसे अधिक है। दूसरी वचनबद्ध अवधि में, जो 2013 में शुरू हुई थी, सीडीएम परियोजनाओं की संख्या वैश्विक स्तर पर काफी कम हुई है। 2013 में भारत ने 115 परियोजनाओं को पंजीकृत किया है जो किसी भी देश से ज्यादा हैं। विभाजित देशों में उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के निम्न स्तर तथा भारत और चीन जैसे देशों को उनके घरेलू कार्बन बाजार से बाहर आने के लिए कुछ विकसित देशों द्वारा की गई एकतरफा कार्रवाई ने हाल ही में सीडीएम की संभावना को अवमंदित कर दिया है। फिलहाल, बाजारों को उचित मूल्य पर स्थिर रखने में मदद करने के लिए कार्बन क्रेडिट मांग को बढ़ाने हेतु प्रस्तावों पर बातचीत की जा रही है।

चुनौतियां और संभावनाएं

12.44 विश्व को शीघ्र ही दो महत्वपूर्ण वैश्विक करारों के प्रति स्वयं प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए तैयार होना होगा। नई संरचना के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों के साथ व्यवहार का मुद्दा संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले, क्योटो प्रोटोकॉल ऐतिहासिक रूप से उत्तरदायी प्रदूषकों (विकसित देश) को ही भुगतान करने के लिए आया; इसके विपरीत विकासशील देशों के लिए ही एमडीजी बनाए गए थे। जबकि नए व्यवहार अब सब पर लागू होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी भावी करार भारत की विकास चिंताओं और जरूरतों को पूर्णतया ध्यान में रखेगा। विकासशील देशों को राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी ताकत के साथ कानूनी रूप से समुचित व्यवस्था के जरिए अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार अपने घरेलू लक्ष्य पूरे करने के लिए अपना विवेक रखना चाहिए। यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि इक्विटी और सीबीडीआर के सिद्धांत नए व्यवहारों में ठोस रूप से जुड़े रहें। यथा परिकल्पित 6 सबके लिए अनुप्रयोज्यता अथवा अनुप्रयोग की सार्वभौमिकता अनुप्रयोग की समानता नहीं होनी चाहिए। विकसित देशों का ऐतिहासिक उत्तरदायित्व और वैश्विक वायुमंडलीय संसाधनों तक पहुंच में 'इक्विटी' अंतराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत बचनबद्धताओं के स्वरूप और स्तर स्पष्ट करने के आधार बने रहने चाहिए। इन व्यवहारों में सुनिश्चित किया

2013 में भारत ने 115 परियोजनाओं को पंजीकृत किया है जो किसी भी देश से ज्यादा हैं।

नई संरचना के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों के साथ व्यवहार का मुद्दा संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है।

इन व्यवहारों में सुनिश्चित किया जाए कि विकासशील देशों को 'कार्बन' और 'विकास अंतर' में उनका उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए।

जाए कि विकासशील देशों को 'कार्बन' और 'विकास अंतर' में उनका उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए।

12.45 अगला बड़ा मुद्दा कार्यान्वयन के साधन हैं। एसडीजी के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना और जीसीएफ का अप्रूजीकरण गंभीर चिंता का सबब है और इनसे वैश्विक वार्ताओं की प्रक्रिया की विश्वसनीयता को खतरा हो सकता है। विकासशील देशों के पास संपोषणीयता और जलवायु संबंधी चुनौतियों पर कारगर कार्रवाई करने के लिए संसाधनों का अभाव है। भारत में पर्यावरण अपरदन की रफ्तार को रोकने की बड़ी भारी चुनौतियां हैं क्योंकि एक बड़ी आबादी के लिए उच्च आर्थिक विकास दर बनाए रखने की जरूरत तथा शहरीकरण व औद्योगिकीकरण से उपजी बढ़ती और पूरी न की जा रही बुनियादी जरूरतें मुंह बांधे खड़ी हैं। साथ ही सतत विकास योजना की प्रक्रिया के अंतर्गत उपशमन और अनुकूलन में की गई प्रगति भी जारी रहनी चाहिए।

12.46 वैश्विक समुदाय को अब तक हुई सीमित प्रगति में संतुष्ट रहना बंद कर देना चाहिए और निर्णायक कार्रवाई की दिशा में बढ़ना चाहिए। हालांकि सतत विकास और कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग और पथ चुनौतीपूर्ण हैं लेकिन फिर भी प्राप्य हैं और अवहनीयता की स्थिति को उलटने के लिए प्राप्त अवसरों की तेजी से बंद होती खिड़की अभी भी खुली है। जहां भारत में जलवायु परिवर्तन और संपोषणीयता विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाए जा रहे हैं, वहीं वैश्विक सहयोग और पर्याप्त अतिरिक्त वित्तपोषण की भी आवश्यकता है। यदि इतनी बड़ी मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा सकते तो विकास संपोषणीयता और समावेशी विकास के संदर्भ में हासिल होने वाले परिणाम संभवतः अपेक्षा से कहीं कम रहेंगे।

अध्याय 13

मानव विकास

आर्थिक नीति में बहुधा आर्थिक विकास और मानव कल्याण के दो लक्ष्यों के बीच महत्वपूर्ण संतुलन बनाना होता है, यह ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हों। वैश्विक झटकों के बावजूद भारत ने विशेषकर, जरूरतमंदों और उपेक्षितों के लिए कल्याणकारी व्यय में कोई समझौता नहीं किया जबकि विकास पिछड़ गया। सामाजिक और वित्तीय समावेशन हेतु, लक्षित नीतियों के साथ-साथ विकास की एक नई प्रेरणा परिव्यय को परिणाम में बदलने में सहायक हो सकती है।

13.2 बड़ी और युवा आबादी के चलते भारत मानव आबादी का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है। 125 बिलियन की सबल भारतीय आबादी की औसत आयु 2020 में 29 वर्ष होगी जो चीन और अमरीका के लोगों की औसत आयु 37 वर्ष की तुलना में अधिक युवा आबादी होगी। देश की आबादी में कार्य करने में सक्षम आयु वाले व्यक्तियों का अनुपात 2001 के लगभग 58 प्रतिशत से बढ़कर 2021 तक 64 प्रतिशत से भी अधिक हो जाने की आशा है तथा इसमें 2011 और 2016 के बीच लगभग 63.5 मिलियन नए व्यक्ति शामिल होंगे जिनमें 20-35 वर्ष आयु समूह के युवाओं की संख्या काफी अधिक होगी। यह भारत के लिए बहुत बड़ा सुअवसर है। ऐसे अवसर का लाभ उठाना मानव विकास के मोर्चे पर होने वाली प्रगति पर आश्रित है।

मानव विकास: अन्तरराष्ट्रीय तुलना

13.3 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में, मानव विकास सूचकांक का अनुमान तीन मूल मानदंडों के संदर्भ में लगाया जाता है: लम्बी आयु तक स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना और जानकार बनना और मर्यादित आर्थिक जीवन स्तर/एचडीआर 2013 के अनुसार, भारत का, 2012 में 0.554 मानव विकास सूचकांक था, अपने समग्र वैश्विक रैंकिंग 136 (186 देशों में से) के साथ कुछ बिंदु नीचे गिर गया, जबकि एचडीआर 2012 के अनुसार इसका स्थान 134 (187 देशों में) था (सारणी 13.1)।

13.4 भारत को अभी बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि यह अभी तक चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ मध्यम मानव विकास श्रेणी में है, यहां तक की इसी श्रेणी में वियतनाम का समग्र मानव विकास सूचकांक इससे बेहतर है और श्रीलंका, 2012 एचडीआई रैंकिंग में मध्यम से उच्च मानव विकास श्रेणी की ओर बढ़ रहा है जबकि यहां वर्षों तक आंतरिक संघर्ष रहा। विकसित देशों और अनेक विकासशील देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकांकों के बीच का मौजूदा अन्तर अधिक तेजी और व्यापक रूप से बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता को उजागर करता है। भारत में जन्म के समय संभावित आयु 2012 में 65.8 वर्ष थी, जबकि नार्वे में 81.3 वर्ष, संयुक्त राज्य में 78.7 वर्ष, ब्राजील में

मानव आबादी से भारत को लाभ होगा यदि इसकी जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और पर्याप्त कुशल हो।

सारणी 13.1 वैश्विक एचडीआई 2012 में भारत का स्थान और प्रवृत्ति

देश	एचडीआई	एचडीआई		जीएनआई	जन्म के समय	स्कूल जाने	स्कूल जाने	औसत वार्षिक एचडीआई		
	2011	2012		प्रतिव्यक्ति	आयु	का औसत	का संभावित	वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	मूल्य	मूल्य	रैंक	2012\$	संभावित (वर्ष) 2012	वर्ष (वर्ष) 2010 ^क	वर्ष (वर्ष) 2011 ^ख			
								1980- 1990	1990- 2000	2000- 2012
नार्वे	0.953	0.955	1	48688	81.3	12.6	17.5	0.59	0.79	0.29
यूनाईटेड स्टेट्स	0.936	0.937	3	43480	78.7	13.3	16.8	0.40	0.33	0.27
जर्मनी	0.919	0.920	5	35431	80.6	12.2	16.4	0.85	0.81	0.47
यूनाईटेड किंगडम	0.875	0.875	26	32538	80.3	9.4	16.4	0.47	0.70	0.33
रशियन फेडरेशन	0.784	0.788	55	14461	69.1	11.7	14.3	-0.23	0.84
मलेशिया	0.766	0.769	64	13676	74.5	9.5	12.6	1.21	1.15	0.64
ब्राजील	0.728	0.730	85	10152	73.8	7.2	14.2	1.23	1.26	0.73
श्रीलंका	0.711	0.715	92	5170	75.1	9.3	12.7	0.88	0.72	0.76
चीन	0.695	0.699	101	7945	73.7	7.5	11.7	1.96	1.78	1.42
मिस्र	0.661	0.662	112	5401	73.5	6.4	12.1	2.12	1.68	0.92
इण्डोनेशिया	0.624	0.629	121	4154	69.8	5.8	12.9	1.26	1.21	1.28
दक्षिण अफ्रीका	0.625	0.629	121	9594	53.4	8.5	13.1	0.87	0.01	0.11
वियतनाम	0.614	0.617	127	2970	75.4	5.5	11.9	1.98	1.22
भारत	0.551	0.554	136	3285	65.8	4.4	10.7	1.75	1.23	1.50
बंगलादेश	0.511	0.515	146	1785	69.2	4.8	8.1	1.49	1.83	1.46
पाकिस्तान	0.513	0.515	146	2566	65.7	4.9	7.3	1.29	0.89	1.74
विश्व	0.692	0.694		10184	70.1	7.5	11.6	0.68	0.64	0.68

स्रोत: एचडीआर 2013।

टिप्पणी : क और ख - आंकड़े क्रमशः 2010 और 2011 के या हालिया वर्ष के उपलब्ध आंकड़े हैं; \$ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 2005 की डॉलर क्रय शक्ति तुल्यता पर आधारित है।

73.8 वर्ष, श्रीलंका में 75.1 वर्ष, चीन में 73.7 वर्ष और वैश्विक औसत 70.1 वर्ष थी। तथापि, भारतीय संभावित आयु के आंकड़े दक्षिण अफ्रीका के आंकड़े से काफी अधिक हैं (53.4 वर्ष) जिसका एचडीआई रैंक अधिक ऊपर है और इसी श्रेणी में प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है। स्कूली वर्ष के औसत (4.4 वर्ष) में भारत का प्रदर्शन चीन, ब्राजील, श्रीलंका और मिस्र जैसे देशों से न केवल बहुत नीचे है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है अपितु बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है, जिनका प्रति व्यक्ति आय कम है। यह वैश्विक औसत 7.5 वर्ष से भी बहुत कम है। यद्यपि, एचडीआई रैंकिंग में नीचे होते हुए भी 2000-12 के लिए औसत वार्षिक एचडीआई विकास के अर्थ में भारत बहुत से देशों से काफी आगे है, जिनका मानव विकास अधि क और बहुत अधिक है। 1.50 प्रतिशत औसत वार्षिक एचडीआई विकास के साथ यह चीन (1.42), ब्राजील (0.73) मिस्र (0.92) और बांग्लादेश (1.46) से आगे है, जबकि पाकिस्तान (1.74) से पीछे है। जबकि 1980 और 1990 के दशकों में एचडीआई विकास के अर्थ में चीन और मिस्र ने अच्छा प्रदर्शन किया, 2000 के दशक में इसमें गिरावट आई। दूसरी ओर भारत, जो ऐसा लगता है कि 1990 के दशक में लड़खड़ाया था, 2000-12 के दौरान इसने दोबारा तेजी दिखायी (सारणी 13.1)।

भारत के सामाजिक क्षेत्र में व्यय की प्रवृत्ति

13.5 यद्यपि अधिकांश सामाजिक क्षेत्र के विषय राज्यों के दायरे में आते हैं, विगत वर्षों से सामाजिक कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता जारी रखी गई है। हालांकि

सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में लगातार वृद्धि हुई है, 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव से उत्पन्न देश की प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों और यूरो क्षेत्र संकट 2011-12 के परिणामस्वरूप हालिया वर्षों में सामाजिक क्षेत्र में सरकारी खर्च में कमी आयी। तथापि, इसमें 2013-14 में दोबारा बढ़ोतरी हुई है। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय सरकार का सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2010-11 में 12.61 प्रतिशत से घटकर 2011-12 और 2012-13 (संशोधित अनुमान) में क्रमशः 11.43 प्रतिशत और 11.93 प्रतिशत रह गया। यह 2013-14 (बजट अनुमान) में बढ़कर 12.83 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण विकास (आयोजना और आयोजना भिन्न) और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना सहित सामाजिक सेवाओं पर केन्द्र सरकार का कुल व्यय 2010-11 में 18.00 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 15.79 प्रतिशत और 2012-13 (संशोधित अनुमान) में 15.12 प्रतिशत रह गया। 2013-14 (बजट अनुमान) में यह बढ़कर 16.70 प्रतिशत हो गया (सारणी: 13.2)।

सारणी 13.2 : सामाजिक सेवाओं और विकास पर केन्द्र सरकार का व्यय (आयोजना और आयोजना-भिन्न)(कुल व्यय का प्रतिशत)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 सं.अ.	2013-14 ब.अ.
1. सामाजिक सेवाएं						
क. शिक्षा खेलकूद युवा मामले	4.27	4.15	4.56	4.73	4.38	4.38
ख. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2.09	2.00	1.98	2.02	1.81	1.99
ग. जलापूर्ति, आवास आदि	2.54	2.39	2.35	2.11	1.88	2.20
घ. सूचना एवं प्रसारण	0.23	0.20	0.21	0.19	0.18	0.17
ड. अनु. जा. अनु. जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.41	0.43	0.58	0.64	0.54	0.62
च. श्रम और रोजगार	0.28	0.22	0.24	0.26	0.26	0.29
छ. समाज कल्याण और पोषण	1.15	0.87	1.01	1.28	1.13	1.21
ज. पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.00	0.02	0.02	0.01	1.56	1.80
झ. अन्य सामाजिक सेवाएं	1.55	1.67	1.66	0.20	0.19	0.16
कुल	12.52	11.94	12.61	11.43	11.93	12.83
2. ग्रामीण विकास	4.56	3.77	3.51	2.88	2.49	2.57
3. प्र.मं.ग्रा.स. योजना	0.88	1.11	1.87	1.48	0.70	1.30
4. सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और प्र.मं.ग्रा.स. योजना	17.95	16.82	18.00	15.79	15.12	16.70

स्रोत: बजट दस्तावेजों पर आधारित।

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

सारणी 13.3 : सामान्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 सं.अ.	2013-14 ब.अ.
कुल व्यय	1599677	1852119	2145145	2421768	2839927	3219783
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	380628	446382	529398	580868	710410	812139
जिसमें से: (i) शिक्षा	162008	197070	244156	277053	334480	375427
(ii) स्वास्थ्य	74273	88054	100576	110228	132134	155633
(iii) अन्य	144347	161258	184666	193587	243796	281079
स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में						
कुल व्यय	28.4	28.6	27.5	26.9	28.1	28.4
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	6.8	6.9	6.8	6.4	7.0	7.2
जिसमें से: (i) शिक्षा	2.9	3.0	3.1	3.1	3.3	3.3
(ii) स्वास्थ्य	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.4
(iii) अन्य	2.6	2.5	2.4	2.1	2.4	2.5
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में						
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	23.8	24.1	24.7	24.0	25.0	25.2
जिसमें से: (i) शिक्षा	10.1	10.6	11.4	11.4	11.8	11.7
(ii) स्वास्थ्य	4.6	4.8	4.7	4.6	4.7	4.8
(iii) अन्य	9.0	8.7	8.6	8.0	8.6	8.7
सामाजिक सेवाओं पर व्यय के प्रतिशत के रूप में						
(i) शिक्षा	42.6	44.1	46.1	47.7	47.1	46.2
(ii) स्वास्थ्य	19.5	19.7	19.0	19.0	18.6	19.2
(iii) अन्य	37.9	36.1	34.9	33.3	34.3	34.6

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक जैसाकि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त किया गया।

टिप्पणी: सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

13.6 दूसरी ओर, कुल व्यय के अनुपात के रूप में सामान्य सरकार (केन्द्र और राज्य) द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय पिछले वर्षों में (2011-12 को छोड़कर) लगभग लगातार बढ़ा और 2008-09 में 23.8 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 (बजट अनुमान) में 25.2 प्रतिशत हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2008-09 में 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 (बजट अनुमान) में 7.2 प्रतिशत पर आ गया क्योंकि शिक्षा पर व्यय 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 3.3 प्रतिशत और स्वास्थ्य पर 1.3 प्रतिशत से बढ़कर 1.4 प्रतिशत पर आ गया (सारणी 13.3)।

गरीबी

13.7 योजना आयोग ने परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2011-12 के 68वें दौर के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए तेन्दुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर 2011-12 के लिए गरीबी रेखा और गरीबी के अनुपात को अद्यतन किया है। तदनुसार, 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹ 816 मासिक प्रति व्यक्ति व्यय पर और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹ 1000 पर अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा निर्धारित की गई। देश में गरीबी का अनुपात 2004-05 में 37.2 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 21.9 प्रतिशत रह गया। सम्पूर्ण रूप से गरीबों की संख्या 2004-05 में 407.1 मिलियन से घटकर 2011-12 में 269.3 मिलियन रह गई। 2004-05 से 2011-12 के दौरान औसत वार्षिक गिरावट 2.2 प्रतिशत बिंदु है (सारणी 13.4) योजना आयोग ने “गरीबी की माप की प्रविधि की समीक्षा” करने के लिए जून 2012 में डा० सी० रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया। विशेषज्ञ समूह का कार्यकाल 30 जून 2014 तक बढ़ा दिया गया है।

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	कुल
गरीबी का अनुपात (प्रतिशत)			
2004-05	41.8	25.7	37.2
2011-12	25.7	13.7	21.9
गरीबों की संख्या (मिलियन)			
2004-05	326.3	80.8	407.1
2011-12	216.5	52.8	269.3
2004-05 और 2011-12 के बीच वार्षिक औसत गिरावट (प्रतिवर्ष प्रतिशत बिंदु)			
	2.32	1.69	2.18

स्रोत: योजना आयोग (तेन्दुलकर प्रविधि से अनुमानित)।

सारणी : 13.4 गरीबों की संख्या और प्रतिशत

असमानता

13.8 एचडीआर में असमानता को दो संकेतकों के संदर्भ में मापा जाता है। इनमें से पहला है इन्कम जिनी कोएफिशिएन्ट, जो देश के भीतर व्यक्तियों के बीच एक समान वितरण से आय (या खपत) के संवितरण के विचलन को मापता है। भारत के लिए 2011-12 के दौरान इन्कम जिनी कोएफिशिएन्ट 33.4 था। इस संबंध में भारत में असमानता दक्षिण अफ्रीका (63.1) ब्राजील (54.7) मलेशिया (46.2) चीन (42.5) श्रीलंका (40.3), रूसी परिसंघ (40.1), थाईलैंड (40.0), तुर्की (39.0) और वियतनाम (35.6) जैसे अन्य विकासशील देशों तथा बहुत उच्च एचडीआई रैंकिंग वाले संयुक्त राज्य अमेरिका (40.8), पोलैण्ड (34.1) और स्विटजरलैंड (33.7) जैसे देशों से कम है। भारत में न केवल असमानता अन्य बहुत से देशों से कम है, यह और भी कम हो गई है जैसाकि 2010-11 के दौरान इसके जिनी कोएफिशिएन्ट 36.8 से 2011-12 के दौरान 33.4 हो जाने अर्थात् 9.2 प्रतिशत गिरावट से प्रतिबिम्बित हुई है। दूसरा संकेतक है क्वीन्टाइल इन्कम अनुपात, जो सबसे सम्पन्न 20 प्रतिशत जनसंख्या और सबसे निर्धन 20 प्रतिशत जनसंख्या की औसत आय का अनुपात है। भारत के लिए क्वीन्टाइल इन्कम अनुपात 2011-12 में 4.9 था। संयुक्त राज्य अमेरिका (8.4), स्विटजरलैंड (5.5), तुर्की (7.9), पोलैण्ड (5.5), रूसी परिसंघ (7.3), ब्राजील (20.6), चीन (9.6), मलेशिया (11.3), दक्षिण अफ्रीका (25.3), फिलीपीन्स (8.3) और थाईलैंड (7.1) जैसे देशों का अनुपात अधिक है। इसके निहितार्थ यह है कि भारत में सबसे ऊपर और सबसे नीचे के वर्गों के बीच व्याप्त असमानता बहुसंख्यक देशों से कम है।

13.9 इसी से संबंधित मुद्दा ग्रामीण-शहरी विषमता है। ग्रामीण-शहरी अन्तरों का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक मानदण्ड मासिक प्रति व्यक्ति व्यय है जिसे जीवन स्तर मापने के लिए प्रत्येक परिवार को दिए गए मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। एमपीसीई का समनुरूप संदर्भ अवधि अनुमानों का प्रयोग

उपभोक्ता व्यय में दीर्घावधिक रूझान का अध्ययन करने के लिए किया जाता है क्योंकि ये पहले के और हालिया राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से उपलब्ध होते हैं। 68वें दौर के एनएसएस के निष्कर्षों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर यूआरपी अनुमानों पर आधारित औसत एमपीसीई ग्रामीण और शहरी भारत के लिए क्रमशः 1278.94 रुपए और 2399.24 रुपए हैं, जो ग्रामीण-शहरी विसंगति दर्शाते हैं (सारणी 13.5)। तथापि सतत मूल्य पर (2004-05) या 703.43 रुपए और 1353.82 रुपए है। सतत मूल्य पर वास्तविक एमपीसीई सात वर्षों (2004-05 से 2011-12) में ग्रामीण क्षेत्रों में 25.9 प्रतिशत और शहरी भारत में अधिक 28.6 प्रतिशत बढ़ा है। 2011-12 (वर्तमान मूल्य पर) में एमपीसीई में खाद्य का हिस्सा ग्रामीण और शहरी भारत के लिए क्रमशः 48.6 प्रतिशत और 38.5 प्रतिशत है जो 2004-05 से क्रमशः 55.0 प्रतिशत और 42.5 प्रतिशत से गिरकर कम हो गया है। यह खाद्य से अन्य की ओर रूझान में परिवर्तन को दर्शाता है क्योंकि ग्रामीण भारत का हिस्सा शहरी भारत के हिस्से की अपेक्षा अधिक है। खाद्य पर व्यय करने से यह परिवर्तन मोटे तौर पर एन्जेलस नियम के अनुरूप है, जिसमें यह कहा गया है कि आय बढ़ने पर समग्र आय के प्रतिशत के रूप में खाद्य पर खर्च की जाने वाली आय का हिस्सा घटता जाता है।

रोजगार और बेरोजगारी

13.10 वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान रोजगार (सामान्य स्थिति) 59.9 मिलियन व्यक्ति बढ़ा और 398.0 मिलियन से 457.9 मिलियन व्यक्ति पर पहुंच गया। परन्तु 2004-05 से 2009-10 की अवधि के दौरान यह प्रगति धीमी थी और 1.1 मिलियन व्यक्तियों पर कम वृद्धि हुई। इसमें 2009-10 से 2011-12 में फिर से तेजी आई और 13.9 मिलियन व्यक्ति कार्यबल से जुड़ गए (सारणी 13.6)। वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान रोजगार वृद्धि [चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर)] सामान्य स्थिति के अनुसार 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 2.8 प्रतिशत की तुलना में केवल 0.5 प्रतिशत बढ़ी। वर्तमान दैनिक स्थिति के आधार पर इसी अवधि के लिए

प्रविधि	1999-2000	2004-05	2009-10	2011-12
रोजगार प्राप्त व्यक्ति और व्यक्ति दिवस (मिलियन)				
पीएस+एसएस	398.0	457.9	459.0	472.9
सीडीएस	336.9	382.8	400.8	415.7
बेरोजगार व्यक्ति और व्यक्ति दिवस (मिलियन)				
पीएस+एसएस	9.2	11.3	9.8	10.8
सीडीएस	26.6	34.3	28.0	24.7
पिछली अवधि की तुलना में रोजगार सृज (मिलियन)				
पीएस+एसएस	-	59.9	1.1	13.9
सीडीएस	-	45.9	18.0	14.9
बेरोजगारी दर (प्रतिशत)				
पीएस+एसएस	2.2	2.3	2.0	2.2
सीडीएस	7.3	8.2	6.6	5.6

स्रोत: भारत में रोजगार और बेरोजगारी संबंधी एनएसएसओ के विभिन्न सर्वेक्षण दौर।

टिप्पणी: पीएस + एसएस: सामान्य स्थिति (प्रमुख + अनुषंगी) व्यक्ति में रोजगार मापता है, सीडीएस: वर्तमान दैनिक स्थिति व्यक्ति दिवस में रोजगार मापता है।

सीएजीआर क्रमशः 1.2 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत था।

13.11 जहां वर्ष 2009-10 और 2011-12 में भारत में रोजगार में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है, वहीं साधारण स्थिति (पीएस + एसएस) के अन्तर्गत बेरोजगारी दर 2 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है और सीडीएस के अन्तर्गत इसमें गिरावट आई है। यद्यपि बेरोजगारी दर उस दर से, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त है, से कम हो

वर्ष	दौर	ग्रामीण	शहरी
सतत मूल्य (2004-05) पर एमपीसीई (₹)			
2011-12	68वां	703.42	1353.82
2009-10	66वां	599.06	1200.01
2004-05	61वां	558.78	1052.36
वर्तमान मूल्य पर एमपीसीई (₹)			
2011-12	68वां	1278.94	2399.24
2009-10	66वां	927.70	1785.81
2004-05	61वां	558.78	1052.36

स्रोत: भारत में परिवार उपभोक्ता व्यय के संबंध में एनएसएसओ के विभिन्न सर्वेक्षण दौर

सारणी 13.5 : अखिल भारत औसत एमपीसीई (यूआरपी)

सारणी 13.6 : भारत में रोजगार और बेरोजगारी का परिदृश्य

सकती है, वास्तविक सन्दर्भ में बेरोजगारों की संख्या काफी अधिक है। वर्ष 2004-05 के दौरान बेरोजगार लोगों की संख्या 11.3 मिलियन थी, जो 2009-10 में घटकर 9.8 मिलियन रह गई लेकिन वर्ष 2011-12 में साधारण स्थिति (पीएस+एसएस) के अन्तर्गत यह फिर से बढ़कर 10.8 मिलियन हो गई। तथापि, सीडीएस आधारित बेरोजगार मानव दिवसों की संख्या वर्ष 2004-05 में 34.3 मिलियन से कम होकर 2009-10 में 28.0 मिलियन रह गई। वर्ष 2011-12 में यह और भी कम होकर 24.7 मिलियन रह गई। इस प्रकार सीडीएस के अन्तर्गत बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई, यह 2004-05 में 8.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 5.6 प्रतिशत रह गई (सारणी 13.6)। वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 में रोजगार में मामूली सी वृद्धि के बावजूद बेरोजगारी में गिरावट मानव आबादी से प्राप्त लाभों के कारण हो सकती है, क्योंकि युवा आबादी का एक बड़ा अनुपात इस बाजार में घुसने के बजाय शिक्षित होने के विकल्प को चुनता है। यह विद्यार्थियों के उच्चतर शिक्षा के नामांकन में हुई वृद्धि से प्रतिबिम्बित होता है जो वर्ष 1990-91 में 4.9 मिलियन से बढ़कर 2011-12 में 28.5 मिलियन तक पहुंच गई। इसी तरह पहली से आठवीं कक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 1999-2000 में 81.0 से बढ़कर 2010-11 में 103.9 तक पहुंच गया। सरकार अक्टूबर 2008 से कुछ चुनिन्दा क्षेत्रों में रोजगार संबंधी त्रैमासिक सर्वेक्षण आयोजित करा रही है। नवीनतम त्रैमासिक रिपोर्ट के परिणाम सबसे पहले किए गए सर्वेक्षण के बाद से रोजगार में वृद्धि को इंगित करते हैं (बॉक्स 13.1)।

राज्यों की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा और अन्तर राज्य तुलनाएं

13.12 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संकेतकों पर आधारित चुनिन्दा राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास की अन्तर राज्य तुलनाएं कतिपय दिलचस्प परिणाम दर्शाती है (सारणी 13.7):

जनसंख्या

- केरल का आबादी के दशकीय विकास (4.9 प्रतिशत) तथा महिला-पुरुष अनुपात (1084)-दो संकेतकों के संदर्भ में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है और यह अन्य राज्यों से कहीं आगे है। आंध्र प्रदेश जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में थोड़े से अंतर से दूसरे स्थान पर तथा महिला-पुरुष अनुपात के संदर्भ में जहां तीसरे स्थान पर है, तमिलनाडु जो महिला-पुरुष अनुपात के संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। इससे पता चलता है कि बिहार का जनसंख्या के दशकीय विकास (25.4) के संदर्भ में और हरियाणा का महिला-पुरुष अनुपात (879) के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है।

वृद्धि

- बिहार वर्ष 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (15.1 प्रतिशत) और वर्ष 2005-06 से 2012-13 तक औसत जीएसडीपी (9.9 प्रतिशत) दोनों की वृद्धि दर तथा वर्ष 2012-13 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (13.9 प्रतिशत) के संदर्भ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जिसने सभी तीन संकेतकों के सन्दर्भ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। गुजरात और केरल अन्य दो राज्य हैं जिन्होंने इन सभी संकेतकों के संदर्भ में अच्छा प्रदर्शन किया है जो अखिल भारतीय औसत स्तर से ऊपर है। तथापि, जीएसडीपी के वास्तविक मूल्यों तथा प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में महाराष्ट्र और हरियाणा सबसे ऊपर है। इन सभी संकेतकों के संदर्भ में एक भी राज्य ने खराब प्रदर्शन नहीं किया है। जहां तमिलनाडु की वर्ष 2012-13 की जीएसडीपी की सबसे कम वृद्धि हुई है और असम की सबसे कम औसत जीएसडीपी वृद्धि है, राजस्थान की वर्ष 2012-13 में प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम वृद्धि रही है।

बॉक्स 13.1 : अक्टूबर से दिसम्बर 2013 तक रोजगार संबंधी त्रैमासिक सर्वेक्षण रिपोर्ट

चयनित क्षेत्रों अर्थात् परिधानों सहित वस्त्रों, चमड़ा, धातु, ऑटोमोबाइल, रत्न और आभूषण, परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), कार्य प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) तथा हथकरघा/पावरलूम के परिणाम निम्नलिखित हैं;

- दिसम्बर 2012 की तुलना में दिसम्बर 2013 में समग्र रोजगार दर्शाता है कि समग्र स्तर पर रोजगार में 4.19 लाख की बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में परिधानों सहित वस्त्र क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है (2.86 लाख), इसके बाद आईटी/बीपीओ (1.09 लाख) चमड़ा (0.44), ऑटोमोबाइल (0.16 लाख), रत्न और आभूषण क्षेत्र (0.09 लाख) दर्ज की गई। दूसरी ओर इस अवधि के दौरान धातु, परिवहन और हथकरघा/पावरलूम क्षेत्र के रोजगार में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।
- दिसम्बर 2013 से सितम्बर, 2013 की तिमाही में समग्र रोजगार में 0.83 लाख की वृद्धि हुई है, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि वस्त्र क्षेत्र (0.92 लाख), उसके बाद आईटी/बीपीओ (0.17 लाख), चमड़ा (0.13 लाख), क्षेत्र में वृद्धि हुई। इस अवधि में रोजगार में समग्र वृद्धि धातु क्षेत्र में (0.20 लाख) उसके बाद ऑटोमोबाइल में (0.11 लाख), रत्न और आभूषण में (0.06 लाख) और परिवहन क्षेत्र में (0.02 लाख) रोजगार में आई गिरावट से उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हुई, जबकि हथकरघा/पावरलूम क्षेत्र में रोजगार में कोई वृद्धि नहीं हुई।
- बीसवी त्रैमासिक समीक्षा के परिणाम दर्शाते हैं कि इन क्षेत्रों में समग्र रोजगार में वृद्धि अनवरत रही, जो पहले सर्वेक्षण (अक्टूबर 2008 से दिसम्बर 2013) से शुरू करके अब तक 33.25 लाख कुल अतिरिक्त रोजगार के सृजन का द्योतक है।

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय।

सारणी 13.7 : भारत के कुछ प्रमुख राज्यों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा और अंतर-राज्य तुलना

सामाजिक आर्थिक संकेतक/मर्दाने	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
जनसंख्या संबंधी*						
जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि (2001-11) (%)	11.0	17.1	25.4	19.3	19.9	12.9
लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या)	993	958	918	919	879	972
जीएसडीपी वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय #						
निरपेक्ष जीएसडीपी 2012-13 (रु. करोड़)	754409	141621	313995	670016	345238	73710
पिछले वर्ष की तुलना में जीएसडीपी वृद्धि 2012-13 (%)	5.1	6.1	15.1	8.0	6.5	6.1
औसत जीएसडीपी वृद्धि 2005-06 से 2012-13 (%)	8.6	5.8	9.9	9.7	8.8	8.0
निरपेक्ष प्रति व्यक्ति आय 2012-13 (रु.)	78958	40475	28774	96976	120352	83899
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 2012-13 (%)	4.5	4.6	13.9	6.6	5.0	5.1
गरीबी व्यक्ति गणना अनुपात (प्रतिशत)**						
2011-12 (2004-05) ग्रामीण	11.0(32.3)	33.9(36.4)	34.1(55.7)	21.5(39.1)	11.6(24.8)	8.5(25.0)
2011-12 (2004-05) शहरी	5.8(23.4)	20.5(21.8)	31.2(43.7)	10.1(20.1)	10.3(22.4)	4.3(4.6)
2011-12 (2004-05) कुल	9.2(29.6)	32.0(34.4)	33.7(54.4)	16.6(31.6)	11.2(24.1)	8.1(22.9)
ग्रामीण शहरी असमानता 2011-12##						
ग्रामीण औसत एमपीसीई (एमएमआरपी)(रु.)	1754	1219	1127	1536	2176	2034
ग्रामीण भोजन पर व्यय का हिस्सा (%)	51.4	61.3	59.3	54.9	52.1	47.3
शहरी औसत एमपीसीई (एमएमआरपी) (रु.)	2685	2189	1507	2581	3817	3259
शहरी भोजन पर व्यय का हिस्सा (%)	42.3	47.7	50.5	45.2	39.2	42.4
बेरोजगारी दर (प्रति हजार)						
सामान्य स्थिति में (समायोजित)##						
ग्रामीण व्यक्ति 2011-12 (2004-05)	12 (7)	45 (26)	32 (15)	3 (5)	24 (22)	10 (18)
शहरी व्यक्ति 2011-12 (2004-05)	43 (36)	56 (72)	56 (64)	8 (24)	42 (40)	40 (38)
स्वास्थ्य संबंधी*						
शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म) 2012	41	55	43	38	42	36
जन्म दर (प्रति हजार) 2012	17.5	22.5	27.7	21.1	21.6	16.2
मृत्यु दर (प्रति हजार) 2012	7.4	7.9	6.6	6.6	6.4	6.7
शिक्षा संबंधी \$						
जीईआर (6-10 वर्ष) (2010-11)	99.5	94.3	127.7	120.3	94.9	109.2
जीईआर (11-13 वर्ष) (2010-11)	80.1	67.9	64.6	85.7	83.5	113.8
विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात प्राथमिक/जूनियर बेसिक स्कूल (2010-11)	31	28	76	उ.न.	51	15
विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात माध्यमिक/सीनियर बेसिक स्कूल (2010-11)	25	17	51	35	38	14
विद्यार्थी शिक्षक अनुपात उच्च/पोस्ट बेसिक स्कूल (2010-11)	26	26	68	33	26	24
वित्तीय समावेशन @						
वाणिज्यिक बैंकों के सभी कार्यालय 2012 (सं.)	8932	1711	4913	5896	3262	1237
वाणिज्यिक बैंकों के सभी कार्यालय 2013 (सं.)	9573	1841	5301	6525	3772	1338
मुख्य सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम						
एनआरएचएम के अंतर्गत 24 x 7 (प्राथमिक और अन्य स्वास्थ्य केन्द्र 30.9.2013 की स्थिति अनुसार)\$s	1183	575	611	451	398	156
महात्मा गांधी नरेगा						
2013-14 के अंतर्गत प्रति परिवार औसत व्यक्ति दिवस@@	50	24	42	40	36	52
महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 2013-14 के दौरान रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत शेयर (%) @@	58.7	24.8	34.9	44.0	41.7	62.6
इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत 2013-14 के दौरान निर्मित मकानों की संख्या @@	172621	49978	260532	27780	3589	1206
लक्ष्य की तुलना में आईएवाई की उपलब्धि (%)	83.3	36.0	43.0	25.8	20.0	17.1

स्रोत *: भारत के महापंजीयक का कार्यालय (आरजीआई)।

#: सीएसओ (निरपेक्ष जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर हैं और जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय सतत मूल्यों पर हैं)।

**: योजना आयोग

##: एनएसएसओ

\$: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जीईआर: सकल नामांकन अनुपात; पीटीआर: विद्यार्थी अध्यापक अनुपात)।

@: सांख्यिकी और सूचना प्रबंध निदेशालय, आरबीआई, मास्टर ऑफिस फाइल सिस्टम।

\$s: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

@@: ग्रामीण विकास मंत्रालय।

उ.न.: उपलब्ध नहीं।

कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	ओडिशा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	समस्त भारत
15.6	4.9	20.3	16.0	14.0	13.9	21.3	15.6	20.2	13.8	17.7
973	1084	931	929	979	895	928	996	912	950	943
524502	349338	372171	1372644	255459	286809	459215	744474	768930	620160	9388876
5.3	8.2	9.9	7.1	8.1	4.7	4.5	4.1	5.5	7.3	4.5
7.5	8.1	8.4	9.3	7.7	6.8	7.9	9.5	6.9	6.7	8.0
77309	88527	44989	107670	49241	86106	59097	98550	33137	62509	67839
4.2	7.7	8.6	5.8	5.2	3.9	2.9	3.5	3.6	6.4	2.1
24.5(37.5)	9.1(20.2)	35.7(53.6)	24.2(47.9)	35.7(60.8)	7.7(22.1)	16.1(35.8)	15.8(37.5)	30.4(42.7)	22.5(38.2)	25.7(41.8)
15.3(25.9)	5.0(18.4)	21.0(35.1)	9.1(25.6)	17.3(37.6)	9.2(18.7)	10.7(29.7)	6.5(19.7)	26.1(34.1)	14.7(24.4)	13.7(25.7)
20.9(33.3)	7.1(19.6)	31.6(48.6)	17.4(38.2)	32.6(57.2)	8.3(20.9)	14.7(34.4)	11.3(29.4)	29.4(40.9)	20.0(34.2)	21.9(37.2)
1561	2669	1152	1619	1003	2345	1598	1693	1156	1291	1430
51.4	43.0	52.9	52.4	57.2	44.1	50.5	51.5	53.0	58.2	52.9
3026	3408	2058	3189	1941	2794	2442	2622	2051	2591	2630
40.1	37.0	42.2	41.6	45.4	41.0	44.8	42.7	44.0	44.2	42.6
9 (7)	68 (107)	4 (5)	7 (10)	22 (50)	19 (38)	7 (7)	20 (12)	9 (6)	27 (25)	17 (17)
29 (28)	61 (156)	26 (28)	23 (36)	35 (134)	28 (50)	31 (29)	27 (35)	41 (33)	48 (62)	34 (45)
32	12	56	25	53	28	49	21	53	32	42
18.5	14.9	26.6	16.6	19.9	15.9	25.9	15.7	27.4	16.1	21.6
7.1	6.9	8.1	6.3	8.5	6.8	6.6	7.4	7.7	6.3	7.0
104.7	91.4	135.2	104.7	119.4	84.3	109.9	111.8	126.9	92.7	115.5
90.7	103.9	101.4	92.4	82.0	80.8	82.4	112.3	79.9	86.3	85.2
17	23	38	29	33	26	46	27	79	45	43
27	25	39	32	26	15	26	32	69	49	33
21	25	39	32	23	23	22	35	69	46	30
7605	5303	4983	10118	3481	4742	5235	8048	12771	6335	106903
8400	5675	5398	10899	3782	5325	5664	8774	14014	6741	116448
2328	660	685	994	487	426	1661	1848	1214	596	15835
50	57	42	45	42	33	51	59	35	37	46
46.6	93.4	42.6	43.7	33.6	52.8	67.8	84.1	22.2	35.4	52.9
72496	44679	29432	45848	53163	2063	63761	23033	79385	96702	1093157
82.6	97.7	26.1	33.4	41.5	10.6	74.6	26.0	26.7	52.1	44.1

गरीबी

- गरीबी के अनुमान इंगित करते हैं कि बिहार, जिसका वर्ष 2004-05 में दूसरा सबसे अधिक गरीबी कुल गणना अनुपात (एचसीआर) है, वर्ष 2011-12 में 33.7 प्रतिशत एचसीआर के साथ ओडिशा को दूसरे स्थान पर पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गया। जहां अखिल भारतीय एचसीआर 21.9 प्रतिशत था वहां 2011-12 में बिहार और ओडिशा को छोड़कर मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का एचसीआर अखिल भारतीय गरीबी स्तर से अधिक था। तथापि, ग्रामीण गरीबी के संदर्भ में ओडिशा और मध्य प्रदेश सबसे ऊपर थे, जिसके बाद बिहार और असम का स्थान था। केरल में सबसे कम गरीबी (7.1 प्रतिशत) थी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में (8.1 प्रतिशत) और पंजाब (8.3 प्रतिशत) का स्थान था।

ग्रामीण-शहरी असमानता

- वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में ओडिशा के बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे कम एमपीसीई था और शहरी क्षेत्र में बिहार के बाद ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सबसे कम एमपीसीई है। अन्य राज्यों की तुलना में केरल में भोजन की हिस्सेदारी पर सबसे कम व्यय करने के साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सर्वाधिक एमपीसीई देखा जा सकता है।

बेरोजगारी

- वर्ष 2011-12 तथा 2004-05 में साधारण स्थिति (समायोजित) के अनुसार गुजरात की ग्रामीण बेरोजगारी दर सबसे कम थी जिसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान था। वर्ष 2011-12 में गुजरात में ग्रामीण बेरोजगार दर प्रति एक हजार में 3 बहुत ही कम थी, जबकि अखिल भारतीय औसत एक हजार में 17 बेरोजगार व्यक्ति का है। शहरी बेरोजगारी के मामले में भी गुजरात की सबसे कम दर थी जहां शहरी बेरोजगारी के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर एक हजार में 34 व्यक्ति बेरोजगार हैं। वर्ष 2011-12 में गुजरात में एक हजार व्यक्तियों में 8 व्यक्ति बेरोजगार हैं जो काफी कम है। महाराष्ट्र एक हजार में 23 बेरोजगार व्यक्ति के आंकड़े के साथ थोड़ा सा पीछे दूसरे स्थान पर है। हालांकि वर्ष 2011-12 में केरल की बेरोजगारी दर (शहरी और ग्रामीण) में गिरावट आई है, इसके बाद भी यह सबसे अधिक है। यह शिक्षित व्यक्तियों खासतौर से महिलाओं जो सही रोजगार की तलाश में रहती हैं, के बेरोजगार होने के कारण है। यह 15-59 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं के कम श्रम बल भागीदारी के साथ ही अखिल भारतीय औसत से कम श्रम बल भागीदारी वाली ग्रामीण महिलाओं के बारे में इंगित करता है। केरल के बाद असम और उसके बाद बिहार, प. बंगाल, हरियाणा और ओडिशा में बहुत अधिक ग्रामीण बेरोजगारी है और बिहार के बाद प. बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा में अधिक शहरी बेरोजगारी है।

स्वास्थ्य

- वर्ष 2012 में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) केरल (12) में सबसे कम थी और मध्य प्रदेश (56) में सर्वाधिक थी, इसके बाद राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 42 के मुकाबले असम में (55), ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश (हरेक में 53) थी। सबसे कम जन्म दर केरल (14.9) में और सर्वाधिक जन्म दर बिहार (27.7) में थी जबकि राष्ट्रीय औसत जन्म दर 21.6 थी। 7.0 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में सबसे कम मृत्यु दर महाराष्ट्र और प. बंगाल (6.3) की थी और ओडिशा में सबसे अधिक (8.5) रही।

शिक्षा

- वर्ष 2010-11 के दौरान 6-10 वर्ष के आयु वर्ग में सर्वाधिक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) मध्य प्रदेश (135.2) का है, इसके बाद बिहार (127.7) का स्थान है जबकि पंजाब (84.3) का सबसे कम जीईआर है। 11-13 वर्ष के आयु वर्ग में हिमाचल प्रदेश में जीईआर सर्वाधिक (113.8) है। इसके बाद तमिलनाडु (112.3) का है, बिहार का जीईआर (64.6) के बाद असम (67.9) का जीईआर सबसे कम है। 6-10 वर्ष के आयु वर्ग में जीईआर के मुकाबले 11-13 वर्ष के आयु वर्ग में अपेक्षाकृत कम जीईआर इंगित करता है कि प्राइमरी कक्षाओं में प्रविष्टि की तुलना में विद्यार्थियों का प्राइमरी कक्षा से उच्च प्राइमरी कक्षा में पारगमन अपेक्षाकृत कम है। अखिल भारतीय स्तर पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्राथमिक, मध्य और उच्च शिक्षा के स्कूलों में यह अनुपात काफी अधिक हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

वित्तीय समावेशन

- वर्ष 2013 में, अखिल भारतीय स्तर पर सभी राज्यों में कुल 1,16,448 शाखाओं के साथ सभी प्रकार के वाणिज्यिक बैंकों के कवरेज का विस्तार किया गया है। वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश में (14,014) सर्वाधिक बैंक शाखाएं हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है।

सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख कार्यक्रम

यद्यपि कुछ सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए राज्यवार संकेतक हैं, यह संभव नहीं है कि सिर्फ संख्या के आधार पर राज्यों के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए।

- एनआरएचएम के अंतर्गत 24x7 प्राथमिक और अन्य स्वास्थ्य केन्द्र सुविधाओं के संदर्भ में प्रगति कर्नाटक (2328) में सर्वाधिक है, इसके बाद तमिलनाडु और राजस्थान है और सबसे कम हिमाचल प्रदेश (156) तथा हरियाणा में (398) है।
- वर्ष 2013-14 में मनरेगा के अंतर्गत प्रति परिवार औसत व्यक्ति दिवस तमिलनाडु (59 दिन) में सबसे ज्यादा है, इसके बाद केरल (57 व्यक्ति दिवस) है, 46 व्यक्ति दिवसों के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले असम (24 दिवस) में सबसे कम है जिसके बाद पंजाब (33) है। जबकि मनरेगा के अंतर्गत महिला रोजगार का हिस्सा केरल (93.4 प्रतिशत) में सबसे ज्यादा है, इसके बाद तमिलनाडु (84.1 प्रतिशत) का है तथा यह उत्तर प्रदेश में (22.2 प्रतिशत) सबसे कम है जिसके बाद असम (24.8 प्रतिशत) का स्थान है।
- वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास योजना के लिए समग्र लक्ष्य उपलब्धि 44 प्रतिशत थी जिसमें केरल (97.7 प्रतिशत) लक्ष्य हासिल किया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश (83.3 प्रतिशत) और कर्नाटक (82.6 प्रतिशत) की सबसे ज्यादा लक्ष्य उपलब्धि रही। पंजाब (10.6 प्रतिशत) के बाद सबसे कम लक्ष्य उपलब्धि हिमाचल प्रदेश (17.1 प्रतिशत) की रही।

13.13 उपलब्ध विविध संकेतकों पर आधारित राज्यों के निष्पादन की अन्तरराज्यीय तुलना कुछ स्पष्ट नीतिगत संकेतों को प्रस्तुत करती है। जहां विकास संकेतकों के संदर्भ में कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है वहीं अन्य मानव विकास संकेतकों के संदर्भ में उनका खराब प्रदर्शन रहा है। इसलिए सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को तैयार करते समय और उन्हें क्रियान्वित करते समय तथा राज्यों को निधियों के अन्तरण का मापदण्ड बनाते समय मानव विकास आयामों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम बनाने और क्रियान्वित करने तथा राज्यों को निधियां अंतरण के दौरान मानव विकास के आयामों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

समावेशी विकास और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम

13.14 समावेशी विकास में सामाजिक और वित्तीय समावेशन शामिल हैं और अधिकांश मामलों में सामाजिक रूप से शामिल न किए गए लोग आर्थिक रूप से भी छोड़ दिए जाते हैं। भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमान्त किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे आबादी के कई खण्ड सामाजिक और वित्तीय समावेशन से जूझते रहे हैं। सरकार की नीतियां इन उपेक्षितों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निर्देशित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार कई सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम कार्यान्वित करती आ रही है। इन्हें निम्नलिखित बड़े शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थात् गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन, सामाजिक संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना और विकास, शहरी अवसंरचना, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास और कमजोर वर्गों का कल्याण और विकास।

गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम

13.15 गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

महात्मा गांधी नरेगा: महात्मा गांधी नरेगा का उद्देश्य महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी के साथ आस्तियों के सृजन के जरिए जो अकाल, वन विनाश तथा मृदा क्षरण जैसे चिरकालिक गरीबी के कारणों को दूर करते हैं और सतत् विकास को बढ़ावा देते हैं, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवसों की गारण्टीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। वर्ष 2013-14 में 33000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस योजना को 46 व्यक्ति दिवसों के औसत मजदूरी रोजगार के साथ 4.78 करोड़ परिवारों को व्यक्ति दिवस रोजगार प्रदान किया गया है। इस अवधि में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व्यक्ति दिवसों का हिस्सा क्रमशः 53 प्रतिशत, 23 प्रतिशत और 17 प्रतिशत था। कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-ए.एल.) हेतु तय मजदूरी के साथ, इस योजना के अन्तर्गत औसत मजदूरी वर्ष 2006-07 के वित्त वर्ष में 65 रुपए से बढ़ाकर 2013-14 में 132 रुपए कर दी गई है जिससे कृषि मजदूरों की मोल-भाव की शक्ति में इज़ाफा हुआ है। इससे आर्थिक परिणाम भी बेहतर हुए हैं, खासतौर से संभाव्य क्रियाकलापों में तथा निराश होकर प्रवासन की ओर रुख करने में भी कमी आई है। बॉक्स 13.2 में हाल ही उठाए गए कुछ कदमों को सूचीबद्ध किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)-आजीविका: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार तब तक संपोषित करना और सहायता देना है जब तक वे दयनीय गरीबी से उबर नहीं जाते। यह कार्य योग्यता पर आधारित स्व-सहायता समूह में प्रत्येक परिवार से एक महिला को सुनियोजित तथा गांव में उनके संघ बनाकर और उच्चतर स्तर पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार जो 6-8 वर्षों के लिए इस स्व-सहायता समूह नेटवर्क से जुड़ जाता है, परिवार की खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है और पंचायती राज संस्थाओं के साथ दृढ़ समाभिरूपता के माध्यम से उसके पास अजीविका के 3-4 स्थायी साधन प्राप्त करे। इस मिशन ने 97,391 गांवों को कवर किया है और लगभग 20 लाख एसएचजी को इस कार्य में लगाया है, जिसमें से 3.8 एसएचजी नए हैं। 2013-14 के दौरान 22121.18 करोड़ रुपए के एसएचजी बैंक ऋण संचित किए गए। वर्ष 2014-15 में एनआरएलएम के लिए 3560 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम): सित. 2013 में एसजेएसआरवाई को एनयूएलएम से जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों और अल्प रोजगारों के लिए लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। यह एनयूएलएम एसएचजी में शहरी गरीबों को संगठित करने

बॉक्स 13.2 : महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत हाल ही में उठाए गए कुछ कदम

- निर्मल भारत अभियान (टीएससी) के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार के लिए अलग-अलग शौचालय का निर्माण कराना, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करना, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अन्तर्गत गांव में खेल के मैदान तैयार करना जैसे अन्तर विभागीय समाभिरूपता और सहयोगी क्रियाकलाप और संभारण प्रबन्धन कार्यक्रमों के साथ समाभिरूपता।
- सभी कामगार महिलाओं के लिए व्यक्तिगत बैंक/डाक खाते खोलवाने के लिए कदम उठाना।
- विधवाओं, परिव्यक्त और बेसहारा महिलाओं की पहचान कर उनके लिए रोजगार कार्ड मुहैया कराना।
- राज्यस्तर पर समय और गति संबंधी, तथा कार्य के आधार पर दर सूची तय करने असमर्थ और अन्य असुरक्षित व्यक्तियों के लिए कदम उठाना।
- महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत अनुमेय मौजूदा सूची में और नए कार्यों को जोड़ना खासतौर से जो ग्रामीण आजीविका तथा कृषि क्रियाकलापों पर आधारित होते हैं।

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

पर ध्यान केंद्रित करेगा, बाजार आधारित रोजगार को बढ़ाने के लिए कौशल विकास हेतु अवसर पैदा करेगा और ऋण की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में उनकी मदद करेगा। इस मिशन का उद्देश्य शहर में रहने वाले बेघर लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं वाले आश्रय मुहैया कराना है। इस मिशन की योजना शहर में गलियों में फेरी लगाने वालों की आजीविका की समस्या को दूर करने की भी है। वर्ष 2013-14 के दौरान 720.43 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और काफी लोगों को प्रशिक्षित किया गया तथा क्रमशः 6,83,452 और 1,06,250 लोगों को स्वरोजगार में मदद की गई।

सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम

13.16 कतिपय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

आम आदमी बीमा योजना: 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच उन व्यक्तियों को जीवन और विकलांगता कवर प्रदान करती है जो 47 व्यावसायिक/पेशेवर समूहों जिनमें ग्रामीण भूमिहीन परिवार शामिल हैं, के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे अथवा उससे थोड़ा ऊपर रहते हैं, यह योजना योग्यता शर्तों को पूरा करने वाले सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाभार्थियों के लिए भी उपलब्ध है। यह योजना प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000 रुपए, दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 75,000 रुपए, दुर्घटना के कारण आंशिक स्थाई विकलांगता के लिए 37,500 रुपए, दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूर्ण स्थाई विकलांगता होने पर 75000 रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना अध्ययन करने वाले अधिकतम दो बच्चों को अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान किए जाने वाले, प्रति बालक 100 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत कुल वार्षिक प्रीमियम प्रति लाभार्थी 200 रु. है, जिसमें से 50 प्रतिशत का अंशदान सामाजिक सुरक्षा निधि और बाकी 50 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार/नोडल एजेंसी/लाभार्थी द्वारा किया जाता है। 30 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत कुल 4.61 करोड़ व्यक्ति कवर किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई): असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों को परिवार अस्थायी आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000 रुपए की स्मार्ट-कार्ड-आधारित धनरहित (कैशलेस) स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करती है, जिसमें मातृत्व लाभ भी शामिल है। वर्तमान स्थिति में लगभग 6.85 करोड़ बीपीएल परिवार लक्षित हैं और 70.98 लाख अस्पताल में भर्ती के मामलों की सूचना है। 31 मार्च 2014 के अनुसार आरएसबीवाई के अंतर्गत 3.69 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को कवर किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान 885.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। आरएसबीवाई के लाभ चरणबद्ध रूप से सभी असंगठित कामगारों तक पहुंचाया जा रहा है।

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि: इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन की व्यवस्था की गई है जो असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करेगा। 1000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की गई है जो बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों, रिक्शा चालकों, बीड़ी बनाने वालों आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त इस निधि में 500 करोड़ रुपए और दिये गये हैं।

ग्रामीण अवसंरचना और विकास कार्यक्रम

13.17 ग्रामीण अवसंरचना और विकास कार्यक्रम अधिक ग्रामीण-शहरी एकीकरण तथा समाज के गरीब और वंचित वर्गों के लिए विकास और अवसर के समान पैटर्न प्राप्त करने के लिए परिकल्पित है। ऐसे कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना (आईएवाई): इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य ग्राम सभा द्वारा पहचाने गए गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले बेघर लोगों तथा उन लोगों को जो जीर्ण-शीर्ण तथा कच्चे घर में रहते हैं, घर मुहैया कराना है। इसके साथ ही भूमिहीन गरीबों के लिए घर बनाने के लिए स्थान मुहैया कराए जाएंगे। आईएवाई के अन्तर्गत एक आश्रयविहीन बीपीएल परिवार को मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रु., पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 रुपए की राशि की सहायता प्रदान की जाती है। नए घर के निर्माण के लिए जिला स्तरीय समेकित कार्य योजना भी चलाई जाती है। कच्चे और जीर्ण-शीर्ण मकानों की हालत ठीक करने के लिए 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। घर के लिए जगह खरीदने के लिए 20,000 रुपए की राशि मुहैया कराई जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान निर्माण का भौतिक लक्ष्य 24.81 लाख घर बनाने का है, जिनमें से 10.93 लाख घरों का निर्माण कर लिया गया है और 23.76 लाख घर बनाए जाने हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान 24.81 लाख घर बनाने के लिए कुल 13,894.90 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है और 12,970 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई): पीएमजीएसवाई पूर्ण रूप से वित्त पोषित केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनकी आबादी मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्ति या उससे अधिक की है तथा (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) विशेष श्रेणी वाले राज्यों, चुनिन्दा जनजाति और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 व्यक्ति या उससे अधिक है, की सभी पात्र सम्पर्कहीन बस्तियों को सभी मौसम के लिए सड़क सम्पर्क मुहैया कराना है। इसमें मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन को भी अनुमति प्रदान की गई है। आरंभ से ही 144717 बस्तियों को नए सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए कुल लगभग 544462 कि.मी. की परियोजनाओं को 182,560 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ मंजूरी दी की गई है, जिसमें उन्नयन भी शामिल है। कुल 399,979 कि.मी. लंबी सड़क पूरी कर ली गई है और मार्च 2014 तक 97,838 से भी अधिक बस्तियों को नए सम्पर्क से जोड़ा गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान 6560 बस्तियों के लिए नए सम्पर्क के साथ 25316 कि.मी. लंबी सर्व-मौसमी सड़क पूरी कर ली गई है जिस पर 13095 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। चुनिन्दा मौजूदा सड़कों के उन्नयन का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है।

ग्रामीण पेय जल-राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी): एनआरडीडब्ल्यूपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2022 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उसके घर के दायरे में या फिर अधिकतम 50 मीटर की दूरी में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 70 लीटर पानी उपलब्ध हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 68 प्रतिशत कवरेज है। हालांकि भूमिगत जल स्तर कम होने, आबादी बढ़ने, सेवा के स्तर को बढ़ाने की मांग और योजना में ग्राम पंचायत और समुदायों की कम भागीदारी, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के कारण कुछ कमियां रह जाती हैं। विविध कारणों से पेय जल स्रोत के प्रदूषण का बढ़ना एक दूसरी समस्या है। मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कम से कम 40 एलपीसीडी सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था के साथ लगभग 73.8 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों को पूरी तरह कवर किया गया है। शेष को या तो आंशिक रूप से कवर किया गया है या पेय जल स्रोत में रासायनिक संदूषण है। वर्ष 2013-14 के दौरान 1,41,838 बस्तियों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिनमें से 152,423 बस्तियों के कवरेज की सूचना है। ग्रामीण पेय जल आपूर्ति के लिए परिव्यय 2005-06 में 4098 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2013-14 में 9700 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एनएसएस के 69वें दौर के अनुसार (जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के पेय जल संबंधी मुख्य संकेतक) भारत में अनुमानित 88.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवार थे, जिन्हें बेहतर स्रोतों से पेय जल प्राप्त हुआ और 11.5 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिन्हें काम चलाऊ स्रोतों से पेय जल प्राप्त हुआ। तथापि जनगणना 2011 में यह बताया गया है कि 84.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवार की नलों, हाथ के नलों और ढके हुए कुओं से सुरक्षित पेय जल स्रोत तक पहुंच है।

ग्रामीण स्वच्छता-निर्मल भारत अभियान (एनबीए): जनगणना 2011 के अनुसार केवल 32.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा है। वर्ष 2012 में आरंभ हुए एनबीए का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी परिवारों के लिए शत प्रतिशत स्वच्छता प्राप्त कराना है। आज की स्थिति के अनुसार 607 जिलों में 22,672 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एनबीए परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से केन्द्र का हिस्सा 14,888 करोड़ रुपए है। वर्ष 2011-12 (संशोधित अनुमान) में एनबीए का आवंटन 1500 करोड़ रुपए से बढ़कर 2015 (सं. अ.) में 2300 करोड़ रुपए हो गया है। प्रत्येक परिवार के लिए शौचालय के प्रोत्साहन प्रावधान को सभी बीपीएल परिवारों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के परिवारों, जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं, को कवर करके और अधिक व्यापक बनाया गया। वार्षिक रूप से उन परिवारों की संख्या जिन्हें शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2002-03 में 6.21 लाख से बढ़कर 2012-13 में 45 लाख हो गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान (मार्च 2014 तक) परिवारों को 49 लाख से भी अधिक शौचालय मुहैया कराए गए।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ): बीआरजीएफ कार्यक्रम 2007 में शुरू किया गया और इस समय यह कार्यक्रम गोवा को छोड़कर 27 राज्यों के उन 272 जिलों, जिनकी पिछड़े जिलों के रूप में पहचान की गई है, में लागू है। बीआरजीएफ के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां पूरक और परिवर्तित मौजूदा विकास अंतर्वाहों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती है और उन स्थानीय अवसंरचना तथा विकास की, जो निधियों के अन्य स्रोतों के माध्यम से पर्याप्त रूप से पूरी नहीं हो पा रही हैं, के बीच आए अन्तर को दूर कर रही है। जमीनी शुरूआत के साथ पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही यह योजना भागीदारी स्वरूप की है। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 2800 करोड़ ₹ (सं. अनुमान) का समस्त बजटीय आवंटन जारी किया जा रहा है।

शहरी अवसंरचना कार्यक्रम

13.18 बेहतर शहरी अवसंरचना, आवास, स्वच्छता प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में की गई कुछ पहलें निम्नलिखित हैं:

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम): जेएनएनयूआरएम दिसम्बर 2005 में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी अथवा शहरी स्थानीय निकायों के दायित्व के माध्यम से शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें शहरी अवसंरचना के उन्नयन, बड़ी संख्या में आवासों के निर्माण और गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है। इस मिशन को (क) शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं (आईएचएसडीपी) और (ख) एकीकृत आवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। यह बीएसयूपी देश के 65 चुनिन्दा शहरों में लागू है और शेष बचे शहरों को आईएचएसडीपी के अंतर्गत कवर किया गया है। बीएसयूपी के अंतर्गत 9,68,486 आवास इकाइयों के निर्माण के लिए कुल 28,569.9 करोड़ रुपए की लागत की 519 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। आईएचएसडीपी के अंतर्गत 910 शहरों में 5,52,288 आवास इकाइयों के निर्माण के लिए कुल 11,681.51 करोड़ रुपए की लागत वाली 1070 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 8,03,453 घर का निर्माण किया जा चुका है। 5,80,030 घरों में लाभार्थियों ने रहना शुरू कर दिया है। इन परियोजनाओं के लिए 21,594.83 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में से राज्यों को 17,117.99 करोड़ रुपए सवितरित कर दिए गए हैं।

राजीव आवास योजना (आरएवाई): राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत बनाने को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011 में शुरू की गई थी और कुल 2468.51 करोड़ रुपए

की परियोजना लागत जिसमें केन्द्रीय हिस्सा 1361.84 करोड़ रुपए हैं, के साथ कार्यक्रम के पहले चरण में 54 प्रायोगिक परियोजनाओं तथा 228 शहरों को शामिल किया गया है। क्रियान्वयन के चरण में 78,664 आवास इकाइयों के निर्माण/उन्नयन की 112 परियोजनाओं, जिनकी कुल लागत 4003.55 करोड़ रुपए है और जिसमें केन्द्र का हिस्सा 2169.35 करोड़ रुपए है, संस्वीकृत किए गए।

शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम

13.19 भारत को अपनी जनसांख्यिकीय लाभ की स्थिति का पूरा लाभ लेने के लिए अपनी युवा आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करानी होगी और उनमें कौशल का विकास करना होगा। इस समय बुनियादी और माध्यमिक दोनों में शिक्षा तथा उच्चतर और तकनीकी शिक्षा में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए): बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा पाने के अधिकार के उद्देश्य के साथ अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 लागू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नए स्कूलों, अतिरिक्त कक्षा कमरों, अध्यापकों, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था, वर्दी, आवासीय सुविधा, परिवहन, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों की समान रूप से शिक्षा तक पहुंच है। वर्ष 2013-14 तक एसएसए की उपलब्धियों में ये शामिल हैं: 3,57,611 नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना, 2,77,093 स्कूल भवन बनवाना, 15,87,836 अतिरिक्त कक्षा के कमरे, 2,23,939 पेय जल सुविधाएं और 7,83,349 शौचालयों का निर्माण, 15.06 लाख अध्यापकों की नियुक्ति, ब्लाक और कलस्टर रिसोर्स सेंटर में 53.33 लाख अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना शामिल है। स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी देखी गई।

मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम): एमडीएम योजना का उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त और राष्ट्रीय श्रम परियोजना के विद्यालयों में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए पका हुआ दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना है। साथ ही मदरसों/मकतबों सहित इजीएस और वैकल्पिक एवं आधुनिक शिक्षा केन्द्र भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान 13,215 करोड़ रुपए के बजट आवंटन में से 10,927 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। इससे लगभग 10.80 करोड़ बच्चों को लाभ पहुंचा है। इस योजना को मॉनीटर करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा जांच शुरू की गई है जिसमें एनएबीएल/सीएसआईआर/एफएसएसएआई सम्बद्ध प्रयोगशालाओं द्वारा भोजन के नमूनों का परीक्षण करना भी शामिल है। इस योजना को एमडीएम-एमआईएस वेब पोर्टल के जरिए मॉनीटर किया जा रहा है। इसे इन्टरेक्टिव वॉयस रिसपांस प्रणाली से जोड़ा जाएगा जो सामुदायिक भागीदारी के जरिए इसे वास्तव में मॉनीटर करेगी।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में पहुंच बढ़ाना और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाना है, जिससे 2017 तक 90 प्रतिशत तक जीईआर और 2020 तक व्यापक रूप से स्कूल जाते रहना सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 2013-14 के दौरान आरएमएसए के अंतर्गत राज्यों को 3045.87 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आरएमएसए के अंतर्गत निधियों का सही ढंग से उपयोग तथा अच्छे समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात् स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा योजना और गर्ल्स होस्टल स्कीमें चलाई गई हैं।

स.घ.उ. के एक अनुपात के रूप में शिक्षा पर व्यय 2008-09 के 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 (ब.अ.) में 3.3 प्रतिशत हो गया है। इसमें न केवल आगे और वृद्धि करने की बल्कि इसकी गुणवत्ता से संबंधित पहलुओं पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मॉडल स्कूल योजना: मॉडल स्कूल योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में नामांकन बढ़ने से उत्तीर्ण हुए छात्रों को माध्यमिक स्कूलों में भवन क्षमता के आधार पर अपने यहां स्थान देना है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के दो रूप हैं: (i) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों (ईबीबी) में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के जरिए 3500 स्कूल स्थापित किए जाने हैं और (ii) शेष 2500 स्कूल पीपीपी मोड के जरिए ऐसे ब्लाकों में स्थापित किए जाने हैं, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं। मई 2014 तक सबसे पहले संघटक के अंतर्गत 22 राज्यों में 2166 मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्वीकृतियां दी जा चुकी हैं और इन राज्यों को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 3184.64 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 2010-11 से 12 राज्यों में 1184 स्कूलों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। पीपीपी के अंतर्गत दूसरा संघटक वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया और इसके अंतर्गत कई ब्लॉकों में 500 स्कूलों को तैयार कराए जाने का प्रस्ताव है।

साक्षर भारत (एसबी)/प्रौढ़ शिक्षा: एसबी का केन्द्र बिन्दु महिला साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 73 प्रतिशत साक्षरता हो पाई है। महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत अधिक सुधार हुआ है। 64.64 प्रतिशत महिला साक्षरता की तुलना में 80.89 प्रतिशत पुरुष साक्षरता अभी भी अधिक है लेकिन बाद में यह पहले के 5.6 प्रतिशतांक की तुलना में बढ़कर 10.9 प्रतिशत तक हो गई। मार्चान्त 2013 तक इस कार्यक्रम को 25 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 383 अन्य महिला साक्षरता जिलों की 1.61 लाख ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत किया गया। 1.52 लाख से भी अधिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनसे 2.42 लाख ग्रामीण समन्वयक जुड़े हुए हैं। अगस्त 2013 तक लगभग 24.37 लाख पढ़ना सीखने वाले व्यक्तियों, जिनमें 3/4 महिलाएं हैं, ने राष्ट्रीय ओपन स्कूल द्वारा आयोजित मूल साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं। जन शिक्षण संस्थानों द्वारा लगभग 2 मिलियन वयस्कों को विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में कुशल बनाया गया। पूर्ण रूपेण सक्षर समाज स्थापित करने के लिए कार्यक्रम के प्रयासों को मान्यता देने और उसका सम्मान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा एसबी को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2013 से नवाजा गया। जबकि एसएसए ने प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने में सहायता की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। प्रथम, तो यह एक गैर सरकारी संगठन है और शिक्षा संबंधी वार्षिक प्रास्थिति रिपोर्ट 2013 में 550 जिलों में किए गए ग्रामीण बच्चों का वार्षिक सर्वेक्षण में अनेक सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को उजागर किया गया है (सारणी 13.3)। जबकि शैक्षिक उपलब्धि का गिरता स्तर जो चिंता का विषय है, यह स्पष्ट नहीं है कि शिक्षण के निम्न स्तर के कारण कितनी गिरावट आयी है, और इस कारण से कितना गिरा है कि स्कूल में नामांकन के लिए विद्यार्थियों तक कम पहुंच बनाते हैं और पहले की तुलना में उनकी तैयारी कम रहती है।

उच्चतर और तकनीकी शिक्षा:

13.20 प्रमात्रा के संदर्भ में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या स्वतंत्रता के समय क्रमशः 20 और 500 से 2012-13 में 723 विश्वविद्यालय और इसी स्तर की संस्थाएं और 37,204 महाविद्यालय तथा 11,356 डिप्लोमा स्तर की संस्थाएं हैं। भारत में उच्च शिक्षा की संस्थाओं की संख्या सबसे अधिक है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2004-05 की तुलना में लगभग दोगुना होकर 2011-12 में 20.4 प्रतिशत हो गया जबकि 28.5 मिलियन छात्रों का नामांकन हुआ। हालांकि भारत की कुछ शिक्षा संस्थाएं शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में विश्व की सर्वोत्तम संस्थाओं में शामिल हैं किंतु अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में हाल में उठाए गए कुछ कदमों का नीचे उल्लेख किया गया है।

- उच्च शिक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा उसमें सुधार लाने के लिए संस्थाओं के गठन, विस्तार और सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान और नवप्रवर्तन के माध्यम से पहुंच, समानता, गुणवत्ता पर प्रमुख ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूसए)

बॉक्स 13.3 : एएसईआर 2013 : मुख्य निष्कर्ष

कुछ सकारात्मक पहलू

- **नामांकन में वृद्धि:** वर्ष 2013 में ग्रामीण भारत के 6-14 वर्ष की आयु के 96.8 प्रतिशत बच्चों का नामांकन स्कूलों में किया गया, नामांकन न किए गए बच्चों का अनुपात मामूली रूप से गिरा और 2012 के 3.5 प्रतिशत से 2013 में 3.3 प्रतिशत हो गया। 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में बालिकाओं का अनुपात, जिनका नामांकन स्कूलों में नहीं हुआ था, 2012 के 6 प्रतिशत से घटकर 2013 में 5.5 प्रतिशत पर आ गया। 6-14 वर्ष के बच्चों का निजी स्कूलों में नामांकन निरंतर बढ़ते हुए 2006 के 18.7 प्रतिशत से 2013 में 29.0 प्रतिशत पर आ गया।
- **बालिकाओं हेतु शौचालय की बेहतर व्यवस्था :** बिना शौचालय वाले स्कूलों का अनुपात (बालिका + बालक) घटकर 2012 के 8.4 प्रतिशत से 2013 में 7.2 प्रतिशत रह गया। बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय वाले स्कूलों के अनुपात में सुधार हुआ है और 2010 के 32.9 प्रतिशत से 2013 में 53.3 प्रतिशत पर आ गया है।
- **स्कूलों में अधिकाधिक पुस्तकालय:** पुस्तकालय रहित स्कूलों का अनुपात 2011 के 28.7 प्रतिशत से घटकर 2013 में 22.9 प्रतिशत रह गया है।
- **विद्यार्थी अध्यापक अनुपात का अनुपालन:** छात्र अध्यापक अनुपात संबंधी शिक्षा का अधिकार की अनुपालना करने वाले स्कूलों के अनुपात में लगातार वृद्धि होती रही है, जो 2010 के 38.9 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 45.3 प्रतिशत पर आ गया है
- **पेयजल की सुविधा में सुधार:** जिल स्कूलों में पेय जल की सुविधा नहीं है, उनका अनुपात 2010 में 17.0 प्रतिशत से घटकर 2013 में 15.2 प्रतिशत रह गया है, यह इसलिए संभव हुआ कि उपयोग लायक पेयजल की सुविधा में मामूली सुधार आया जो 2012 के 73.0 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 73.8 प्रतिशत पर आ गया।

कुछ नकारात्मक पहलू:

- **अध्यापक कक्षा अनुपात घट रहा है:** कम से कम एक कक्षा प्रति अध्यापक वाले स्कूलों का अनुपात घटता जा रहा है, जो 2010 में 76.2 प्रतिशत से 2013 में 73.8 प्रतिशत पर आ गया; आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मिजोरम जैसे राज्य इसके अपवाद हैं।

जारी....

नामक एक नई मिशन मोड स्कीम शुरू की गई है जिसे मानदंड आधारित वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। बारहवीं योजनावधि के दौरान आरयूएसए के अंतर्गत कॉलेजों/किसी एक समूह के अंतर्गत स्थित कॉलेजों को सरकारी विश्वविद्यालयों में बदलकर और अन्य संबंधित अवसरचनाएं स्थापित करके 80 नए विश्वविद्यालयों को गठित किया जाएगा।

- चार वर्षीय कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) का चरण II अभी विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है जिसमें प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण के आधार पर लगभग 200 संस्थाओं को शामिल किया गया है। टीईक्यूआईपी के अंतर्गत कुल 187 संस्थाओं का चयन किया गया है।
- 2009-10 में शुरू की गई शिक्षा ऋण पर ब्याज में सब्सिडी की एक स्कीम के अंतर्गत भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की शिक्षा ऋण स्कीम के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के सभी छात्रों द्वारा बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर ऋण को चुकाने पर स्थगन की अवधि के दौरान ब्याज की संपूर्ण राशि के लिए सब्सिडी दी जाती है। 2009-12 की अवधि के दौरान शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में 2231.23 करोड़ ₹ की राशि जारी की गई जिससे लगभग 25 लाख छात्रों को लाभ पहुंचा।
- कौशल अधिगम परिणामों का मानकीकरण करने तथा गतिशीलता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनवीईक्यूएफ) को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से संयोजित किया गया है। इसके द्वारा पॉलिटेक्निक विषय पर चलाए जा रहे उप-मिशन के अंतर्गत 287 नए पॉलिटेक्निक स्कूल खोले गए हैं तथा मौजूदा 457 पॉलिटेक्निक स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 2012-13 में पॉलिटेक्निक के माध्यम से 2.07 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा गत पांच वर्षों के दौरान चार क्षेत्रीय प्रशिक्षुता बोर्डों में 3.5 लाख व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए हैं।

कौशल विकास

13.21 कौशल विकास न केवल मानव आबादी का लाभ उठाने के लिए अपितु बेहतर सामवेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कुशल व्यक्तियों की मांग-आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने मार्च 2014 तक 158 प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। 129 प्रशिक्षण प्रस्तावों तथा 29 सेक्टर स्किल काउंसिलों पर कुल 2215.89 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। वर्ष 2010 के बाद एनएसडीसी के कौशल-निर्माता भागीदारों की सहायता से कुल 19,54,300 व्यक्तियों को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिनमें से 60 प्रतिशत को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया गया है। 2013-14 में एनएसडीसी के भागीदारों ने देश के 366 जिलों में स्वास्थ्य, विनिर्माण, इलैक्ट्रोनिक्स और हार्डवेयर, पर्यटन, अतिथि सत्कार और यात्रा से लेकर बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, खुदरा सूचना प्रौद्योगिकी और वस्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 10,05,075 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। 1000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय से शुरू की गई राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन तथा मौद्रिक पुरस्कार स्कीम जिसे आमतौर पर स्टार (एसटीएआर) के नाम से जाना जाता है, नए कौशल को प्राप्त करने पर मौजूदा कौशल को अपग्रेड करने के इच्छुक व्यक्तियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करती है। यह स्कीम 16 सितंबर 2013 को चालू की गई तथा इसमें 206 पाठ्यक्रमों में 4 लाख से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार देश भर में स्थित 6402 केंद्रों के 559 साझेदारों से जुड़कर 3,44,545 प्रशिक्षणार्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। उड़ान नामक एक विशेष कौशल प्रशिक्षण पहल के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के डिप्लोमा धारकों, स्नातकों, और स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं के लिए निजी क्षेत्र के नेतृत्व में एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया जिसमें देश भर की 47 कंपनियों से आए 61893 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। 31 मार्च 2014 तक 36 कंपनियों से आए 4318 व्यक्ति

बॉक्स 13.3 : एएसईआर 2013 : मुख्य निष्कर्ष (जारी....)

- **मूल पठन स्तर में गिरावट** : पांचवीं कक्षा के सभी बच्चे दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ सकें इसके अनुपात में गिरावट आयी है, जो 2010 में 53.7 प्रतिशत से घटकर 2013 में 47.0 प्रतिशत पर आ गया है।
- **गणित के स्तर में गिरावट** : तीसरी कक्षा के ऐसे बच्चों के प्रतिशत में कमी आई है जो घटाव के द्विअंकीय सरल प्रश्नों को हल कर सकते हैं और यह प्रतिशत 2009 के 39.1 प्रतिशत से घटकर 2013 में 26.1 प्रतिशत पर आ गया। तथापि, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसके अपवाद हैं। जहां गणित का स्तर श्रेणी III-V के लिए ऊपर उठा है।
- **बच्चों की उपस्थिति घटी है** : बच्चों की उपस्थिति (कक्षा I-V) में गिरावट आयी है, जिसमें 2010 में 72.9 प्रतिशत था घटकर 2013 में ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में 70.7 प्रतिशत रह गया है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु इसके अपवाद हैं।
- **विभिन्न कक्षाओं के लिए एक ही कमरा** : कक्षा 2 और कक्षा 4 की आधे से अधिक कक्षाएं ग्रामीण सरकारी प्राथमिक स्कूलों में एक साथ बैठती हैं।

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय

कौशल विकास न केवल जनांकीय लाभ की स्थिति अर्थात देश की आबादी में युवाओं की अधिक संख्या का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है बल्कि यह अधिक समावेशी विकास के लिए भी आवश्यक है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए जिनमें से 1451 ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। अगले वर्ष के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य से 8000 व्यक्तियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्वास्थ्य कार्यक्रम

13.22 भारत की एक बड़ी आबादी और विशेषकर निर्धन और साधनविहीन लोगों को गुणवत्तापूर्ण तथा वहनीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में वर्षानुवर्ष वृद्धि होती रही है। वर्ष 2013-14 में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु परिव्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 7.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई और परिव्यय की कुल राशि 32,745 करोड़ रु. पहुंच गई। चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर केंद्र तथा राज्यों का संयुक्त राजस्व और पूंजीगत व्यय 2006-07 के 53,557 करोड़ से बढ़कर 2012-13 (बजट अनुमान) में 1,36,296 करोड़ रु. हो गया। बारहवीं योजना में स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए केंद्र सरकार के परिव्यय को 200 प्रतिशत बढ़ाकर 3,00,018 करोड़ कर दिया गया जबकि ग्यारहवीं योजना में वास्तविक परिव्यय 99,491 करोड़ रु. था। सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्रक में चुनिंदा स्वास्थ्य सूचकों में प्रदर्शित प्रगति (सारणी 13.8) प्रभावपूर्ण है किंतु भारत के स.घ.उ. में मात्र 1.4 प्रतिशत भागीदारी को देखते हुए भारत की बड़ी आबादी को गुणवत्तापूर्ण तथा वहनीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर व्यय भारत के स.घ.उ. का मात्र 1.4 प्रतिशत है। भारत की बड़ी आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण और वहनीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य पर व्यय भारत के स.घ.उ. का मात्र 1.4 प्रतिशत है। भारत की बड़ी आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण और वहनीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

क्रम सं.	पैरामीटर	1981	1991	2001	वर्तमान स्तर
1.	अशोधित जन्मदर (सीबीआर) (प्रति 1000 जनसंख्या)	33.9	29.5	25.4	21.6 (2012*)
2.	अशोधित मृत्युदर (सीडीआर) (प्रति 1000 जनसंख्या)	12.5	9.8	8.4	7.0 (2012*)
3.	कुल प्रजनन दर (टीएफआर)	4.5	3.6	3.1	2.4 (2012*)
4.	मातृक मृत्यु अनुपात (एमएमआर) (प्रति 1,00,000 जीवित जन्म)	उ.न.	उ.न.	301 (2001-03)	178 (2010-12*)
5.	शिशु मृत्युदर (आईएमआर) (प्रति 100,000 जीवित जन्म)	110	80	66	42 (2012*)
	ग्रामीण	उ.न.	उ.न.	उ.न.	46
	शहरी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	28
6.	बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर (प्रति 1000 बच्चे)	41.2	26.5	19.3	11 (2012*)
7.	जन्म से समय आयु संभावितता (1981-85) (1989-93) (1999-03) (2006-10)**				
	कुल	55.4	59.4	63.4	66.1
	पुरुष	55.4	59.0	62.3	64.6
	महिला	55.7	59.7	64.6	67.7

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; *प्रतिदर्श पंजीकरण सर्वेक्षण (एमआरएस), भारत का महापंजीयक (आरजीआई) **संक्षिप्त जीवन सारणी 1999-03, 2003-07 से 2006-10 आरजीआई।

13.23 स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का नीचे उल्लेख किया गया है:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को 2013 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य समान, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना था। देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कवरेज में विस्तार लाने के लिए एनएचएम में दो उप मिशनों एनआरएचएम और 2013 में शुरू

सारणी 13.8 : भारत: चुनिंदा स्वास्थ्य सूचक

किए गए एनयूएचएम (राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन) को शामिल किया गया है। एनयूएचएम के अंतर्गत 50000 से अधिक आबादी वाले सभी शहरों/नगरों में स्लम में रहनेवाले और हाशिये पर चले गए अन्य समूहों को शामिल किया गया क्योंकि 50,000 से कम आबादी वाले नगरों को पहले ही एनआरएचएम में शामिल किया जा चुका है। वर्ष 2005 में एनआरएचएम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर स्थापित की गई स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर अवसंरचना, औषधियों और उपकरणों तथा मानव संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली सेवा में सुधार हुआ है। (सारणी 13.9) 2013-14 के दौरान एनआरएचएम के अंतर्गत कुल योजनागत परिणाम 18775.35 करोड़ रु० था।

प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य (आरसीएच): दो आरसीएच कार्यक्रमों अर्थात् जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) का उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकों मातृक मृत्यु दर (एमएमआर), शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), और कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में आमूल बदलाव लाना है। प्रसव सुविधा सेवाओं हेतु बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 158 जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में 100 बिस्तर वाले मातृ और बाल स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग स्थापित करने की पहल की गई है। प्रत्येक गर्भवती महिला को समय से प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव और प्रसव उपरांत देखभाल तथा बच्चों के टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माता एवं शिशु ट्रेकिंग प्रणाली (एमसीटीएच) शुरू की गई है। 2013-14 के दौरान गर्भवती महिलाओं और बच्चों का पंजीकरण क्रमशः 2.08 करोड़ और 1.67 करोड़ पर पहुंच गया है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुशल जन्म परिचारिका द्वारा कराए गए संस्थागत प्रसव के मामलों की संख्या 2005-06 के 7.38 लाख से बढ़ कर 2012-13 में 1.06 करोड़ से भी अधिक हो गई है। 2013-14 (सितंबर 2013 तक) के दौरान संस्थागत प्रसव की संख्या 80.94 लाख थी। जेएसएसके के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाएं निःशुल्क प्रसव जिसमें आपरेशन द्वारा प्रसव शामिल है, मुफ्त औषधि, नैदानिकी, रक्त एवं आहार, घर से संस्था तक (जिनमें संदर्भ जांच हेतु आना जाना भी शामिल है) मुफ्त आने-जाने की सुविधा प्राप्त करने की पात्र हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना/पीएमएसएसवाई): पीएमएसएसवाई के अंतर्गत पहले चरण में भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में छह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी संस्थाएं कार्य करने लगी हैं। इनमें से प्रत्येक संस्था में छात्रों के दो बैच जिनमें कुल छात्र 210 हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पहले चरण में 13 मेडिकल कालेजों को अपग्रेड करने के अतिरिक्त दूसरे चरण में 6 और तीसरे चरण में 39 मेडिकल कालेजों को अपग्रेड करने की योजना है।

आयुष: भारतीय चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सुपुर्दगी व्यवस्था में आयुष पद्धति को शामिल करके/मिलाकर भी विकसित और संवर्धित किया जा रहा है जिसके लिए 2013-14 में 1069 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है। किंतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा हाल में किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि आयुष द्वारा आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और उसकी मांग के बीच काफी अंतर है। केवल 4.7 प्रतिशत रोगी ही सरकारी अस्पतालों/औषधालयों से औषधियां प्राप्त कर पाते हैं तथा शेष 95.3 प्रतिशत लोग निजी तथा अन्य स्रोतों का प्रयोग करते हैं।

मानव संसाधन, तृतीय स्वास्थ्य सेवा का अवसंरचना विकास/उन्नयन: सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने हेतु, नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए भूमि आवश्यकता मानदंड और अवसंरचना आवश्यकताओं को संशोधित किया गया है। चिकित्सकों की उपलब्धता को और बढ़ाने के लिए, जिला अस्पतालों के साथ संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है जिससे बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 16,000 नए एमबीबीएस सीट उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे

सारणी 13.9 : स्वास्थ्य सुविधा अवसंरचना सुविधाएं

क्र. सं.	सुविधाएं	संख्या
1.	एसीसी/पीएचसी/सीएचसी (2012)*	177248
2.	सरकारी अस्पताल (ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, पीएचसी सहित) **	35416
3.	आयुष अस्पताल और औषधालय (01.04.12 की स्थिति के अनुसार)**	27586
4.	नर्सिंग कर्मचारी (01.01.12 के अनुसार)**	2124667
5.	चिकित्सक (आधुनिक प्रणाली) (2012)**	883812

स्रोत: *आरएचएस रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2012 और ** नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2012।
टिप्पणी : एससी का अर्थ उपकेंद्र; पीएचसी का अर्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र; सीएचसी का अर्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र; आयुष का अर्थ आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी से है।

मेडिकल कॉलेजों में ग्री एवं पैरा क्लिनिकल विभागों में संकाय सदस्यों की कमी को पूरा करने के लिए 20 राज्यों के 72 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को लगभग 4000 पोस्ट ग्रेजुएट सीट सृजित करने के लिए 15 अक्टूबर 2013 की स्थिति के अनुसार 686.02 करोड़ ₹ जारी किए गए हैं।

महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम

13.24 महिलाओं एवं बच्चों की संख्या देश की कुल आबादी का लगभग 70 प्रतिशत है जो अनेक आर्थिक और सामाजिक पैरामीटरों के संदर्भ में अति संवेदनशील तथा पिछड़े हुए हैं। अतः देश की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने के लिए निर्णयन की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी प्रदान करते हुए सकारात्मक कार्य के साथ एक केंद्रित योजना बनाने की आवश्यकता है। इस बात को स्वीकार करते हुए इस वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए वर्ष 2005 में जेंडर बजटिंग को अपनाया गया। जेंडर बजट का हिस्सा 2005-06 में 2.79 प्रतिशत से बढ़ाकर 2013-14 में सकल बजटीय सहायता का 5.83 प्रतिशत (97,133.70 करोड़ ₹) कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए चलाई जा रही अनेक स्कीमों में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का समग्र विकास और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराना है, एक महत्वपूर्ण परियोजना है। 7076 परियोजनाओं के संचित अनुमोदन और मांग पर 20,000 आंगनवाड़ियों सहित 14 लाख एडब्ल्यूसी के साथ इस स्कीम का अब सार्वभौमिकरण हो गया है। ये वर्तमान में 1026 लाख लाभान्वितों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

महिलाओं की बृहत्तर भागीदारी का आशय केवल जेंडर बजटिंग में उनकी बड़ी हिस्सेदारी नहीं है बल्कि निर्णयन की प्रक्रिया में भी उनकी बड़ी भागीदारी है।

महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए नीतियां: सभी बच्चों को उनके अधिकार प्राप्त हों, इसके लिए बच्चों हेतु एक नई राष्ट्रीय नीति एनपीसी-2013 अपनाई गई है। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा माना जाता है जिसके सम्यक विकास और संरक्षण के लिए एक दीर्घावधिक, टिकाऊ, बहुक्षेत्रीय, समेकित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों से निपटने के लिए बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पोसको) अधिनियम, 2012 नामक एक विशेष अधिनियम 14 नवम्बर, 2012 को लागू किया गया। 09 दिसंबर 2013 को अधिनियमित महिलाओं का कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करता है। इसी प्रकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक लगाने के लिए दांडिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में व्यापक संशोधन किए गए जिससे संबंधित उपबंधों को और अधिक कठोर बना दिया गया है। भारत में महिलाओं की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य और कानूनी स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए 24 मई 2013 को महिलाओं की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई। समिति से अपनी रिपोर्ट 2 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

कमजोर वर्गों के लिए कल्याण तथा विकास कार्यक्रम

13.25 समाज के सामाजिक दृष्टि से कमजोर समूहों तथा हाशिए पर स्थित वर्गों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण और शैक्षिक उत्थान से अधिक तीव्र और अधिक समावेशी विकास प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। 2013-14 के दौरान सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण हेतु 5084.56 करोड़ रुपए की राशि जारी

की गई है। विभिन्न कमजोर वर्गों के लिए लक्षित कुछ स्कीमों का नीचे उल्लेख किया गया है:

अनुसूचित जातियाँ (एससी)

- **अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए):** इस उप-योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रहे अनुसूचित जातियों के लोगों का स्व-रोजगार या कौशल विकास और उत्थान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। 2013-14 के दौरान अनुमानतः 6.08 लाख लाभ भोगियों के लिए राज्यों को 790.25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के नागरिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक कानून लागू किए गए हैं। अनुसूचित जातियों की सहायता के लिए 2013-14 के दौरान 3990.14 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
- **छात्रवृत्ति संबंधी स्कीमें:** अनुसूचित जनजातियों के कक्षा IX और X में पढ़ रहे छात्रों के लिए 2012 से पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम प्रारंभ की गई है ताकि स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट), विशेषकर प्राथमिक से माध्यमिक चरण में जाते समय, की घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। लगभग 19.10 लाख लाभान्वितों को छात्रवृत्ति देने के लिए 2013-14 के दौरान राज्यों को 547.17 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उत्तर-मैट्रिक स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के 52.78 लाख लाभान्वितों के लिए, 2013-14 के दौरान राज्यों को 2153 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
- **अन्य स्कीमें:** अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए कुछ अन्य स्कीमें भी चलाई जा रही हैं, जैसेकि राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम के तहत एम.फिल और पी.एच.डी. कोर्स करने वाले एससी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति स्कीम के तहत उन छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो विदेश में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम और पीएचडी/पोस्ट-डॉक्टोरल पाठ्यक्रम कर रहे हैं, तथा उच्च श्रेणी की शिक्षा के तहत जो छात्र आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे अधिसूचित प्रमुख संस्थानों में प्रवेश लेते हैं उन्हें पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अधिक तीव्र और अधिक समावेशी विकास सामाजिक दृष्टि से कमजोर समूहों के शैक्षणिक उत्थान सहित उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर भी निर्भर करता है।

अनुसूचित जनजाति (एसटी)

13.26 अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तीकरण के लिए अनेक नीतियाँ और कार्यक्रम तथा कानून बनाए गए हैं। योजना आयोग (2009-10) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 47.4 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 30.4 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही प्रमुख स्कीमों का वर्णन नीचे किया गया है:

- **जनजातीय उपयोजना तथा विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम:** जनजातीय उपयोजना अनुसूचित जनजातियों और आम लोगों के बीच विकास संबंधी अंतर को कम करके सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। 2013-14 के दौरान अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए 3879 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) जारी किए गए हैं। दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों अर्थात् (i) राज्यों को आय सृजन स्कीमों, प्रासंगिक अवसंरचना सृजन, समुदाय आधारित क्रियाकलापों तथा वन ग्रामों के विकास के लिए उनकी जनजातीय उपयोजना (टीएमपी) की अनुपूर्ति के लिए अनुदान, और (ii) जनजातीय क्षेत्रों में विकास और प्रशासन के उन्नयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के लिए राज्य सरकारों पर केन्द्रीय सहायता के बड़े भाग का व्यय हुआ। दूसरी श्रेणी के अनुदान का प्रयोग सुदूर क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों में एकलव्य मॉडल

आवासीय स्कूलों को स्थापित करने पर भी किया गया। 2013-14 में इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत संशोधित आवंटन 2147.14 करोड़ रुपए था जो राज्यों को जारी कर दिया गया है।

- **आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम:** एसटी के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए, आय-सृजन संबंधी क्रियाकलापों के लिए रियायती ब्याज-दरों पर ऋण और माइक्रो-क्रेडिट के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। 2013-14 के दौरान निगम ने अनुसूचित जनजातियों के लोगों में विभिन्न आय-सृजन संबंधी क्रियाकलापों के लिए 141.35 करोड़ रुपए प्रदान किए। बाजार विकास संबंधी कार्य भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) द्वारा किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य शृंखला विकास के माध्यम से लघु वनोपजों के विपणन के लिए एक तंत्र के रूप में 2013-14 में एक नई स्कीम जारी की गई जिसके लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 112.49 करोड़ रुपए जारी किए गए।
- **शैक्षिक विकास कार्यक्रम:** सरकार द्वारा निरंतर सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों में शिक्षा का निम्न स्तर एक चिंता का विषय बना हुआ है। इस समस्या का समाधान करने के लिए जुलाई 2012 में शुरू की गई पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता तथा उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उच्च श्रेणी की शिक्षा स्कीम के तहत अभिज्ञात संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम और डॉक्टोरल और पोस्ट-डॉक्टोरल अध्ययन करने के लिए प्रतिवर्ष 625 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पूर्व-मैट्रिक स्कीम और उत्तर-मैट्रिक स्कीम के अंतर्गत 2013-14 में क्रमशः 219.43 करोड़ रु० और 748.45 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय

13.27 अल्पसंख्यकों के विकास के लिए योजनागत परिव्यय को वर्ष 2012-13 के 3135 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2013-14 में 3511 करोड़ रुपए कर दिया गया। अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए पूर्व-मैट्रिक, उत्तर-मैट्रिक और प्रतिभा-सह-साधन आधारित तीन छात्रवृत्ति स्कीमों को व्यापक रूप में चलाया गया जिनके लिए वर्ष 2013-14 में कुल 1770 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम विशेषकर शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और स्वच्छता, गृह-निर्माण और पेयजल के क्षेत्र में “विकास में कमी” को पूरा करने के लिए 196 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विशेष क्षेत्र विकास पहल शुरू किए गए हैं जिनके लिए 2013-14 के दौरान 1466.98 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की स्थायी निधि 2005-06 के 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर मार्च 2014 तक 910 करोड़ रुपए कर दी गई है तथा इसके क्रियाकलापों में विस्तार के लिए इस निधि में 2014-15 के दौरान 113 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाएगी।

13.28 अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों और निःशक्त लोगों के लाभार्थ भी विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

संभावनाएं एवं चुनौतियां

13.29 प्रयोग में लाए जाने के लिए मौजूद बृहत मानव आबादी लाभ को ध्यान में रखते हुए भारत का मानव विकास संबंधी दृष्टिकोण सकारात्मक हो सकता है। इस अद्वितीय अवसर का लाभ तभी उठाया जा सकता है यदि हमारी युवा आबादी शिक्षित,

स्वस्थ और पर्याप्त रूप में कुशल हो किन्तु ऐसा भारत के मानव विकास आंकड़ों से प्रदर्शित नहीं होता है। हालांकि 2000-12 में इन सूचकों में कुछ बढ़ोतरी देखी गई किन्तु अधिकांश एचडीआई (मानव विकास सूचकांक) सूचकों जैसेकि जन्म के समय आयु संभाविता, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष और प्रति व्यक्ति आय के संबंध में भारत का निष्पादन वैश्विक औसत से कम बना हुआ है। इन सूचकों में वृद्धि के न होने को देखते हुए भारत अपने एचडीआई रैंक में पिछड़ गया है।

13.30 इस मानव आबादी लाभ की स्थिति अर्थात् युवा आबादी की क्षमता का उपयोग करना भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है विशेषकर क्योंकि यह एक समयबद्ध लाभ है। पहले ही कुछ राज्यों में औसत आयु जैसेकि केरल (33), गोवा (32.3), तमिलनाडु, (31.3), हिमाचल प्रदेश (30.4), आन्ध्र प्रदेश (29.3), पंजाब (29.3) और पश्चिम बंगाल (29.1) में आबादी 2020 की औसत आयु को पार कर चुकी है। अतः उच्च प्रत्याशा रखने वाले युवाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्याप्त कौशल और सुरक्षा से लैस करने के लिए समय से काम करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए सामाजिक अवसंरचना, कौशल विकास, और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में निवेश के रूप में व्यापक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

13.31 सभी को रोजगार तथा उच्चकोटि का जीवन स्तर उपलब्ध कराना अन्य चुनौती है। हालांकि उच्च विकास दर धीरे-धीरे सभी व्यक्तियों तक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगी, किन्तु विकास गुणवत्तापूर्ण हो यह समान रूप से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अवसंरचना सुविधाओं तथा रोजगार उत्पन्न करने वाले पर्यटन क्षेत्र के विकास पर दिया जा रहा बल सही दिशा में उठाया जा रहा कदम है। लक्षित तथा फिर से तैयार किए गए रोजगार एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के साथ इसका इच्छित प्रभाव पड़ सकता है।

13.32 अनेक और कभी-कभी परस्पर व्यापी कार्यक्रमों से निपटना अन्य चुनौती है। हालांकि स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सामाजिक व्यय में वृद्धि में प्रदर्शित वैश्विक चुनौतियों के बावजूद कल्याण क्रियाकलापों पर व्यय के संबंध में समझौता नहीं किया गया है किन्तु परिव्यय से परिणाम पूर्णतः प्राप्त नहीं हुए हैं। मौजूदा कार्यक्रमों के लिए बजट में प्रति वर्ष केवल राशि निर्धारित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों के लिए निर्धारित न्यूनतम आकार के साथ एक संपुष्ट, पुनर्संगठित और समाभिरूपित “शून्य बजटिंग”, दृष्टिकोण अपनाया जाए (बॉक्स 13.4)

13.33 सुपुर्दगी तंत्र अंतिम चुनौती है। निम्न सुपुर्दगी तंत्र के कारण विभिन्न स्कीमों हेतु परिव्यय को प्रायः परिणामों में पूरी तरह से अंतरित नहीं किया जा सका है। कार्यक्रमों को दक्षतापूर्वक लागू करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शासन में बहुल स्तरीय व्यवस्था को समाप्त करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा लाभार्थियों द्वारा अधिक प्रतिभागितापूर्ण भूमिका निभाने से एक बेहतर सुपुर्दगी तंत्र सृजित करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त की है। बड़े निजी क्षेत्र की भागीदारी सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की सुपुर्दगी में उपयोगी हो सकती है। जबकि यह लाभभोगियों के लिए शीघ्र सुपुर्दगी में सहायता कर सकता है वहीं यह दूसरे के नाम पर लाभ प्राप्त करने वाले की पहचान करने में भी सहायक सिद्ध होगा। बैंक खाते में सीधा लाभ अंतरण ऐसा ही एक उदाहरण है। महात्मागांधी नरेगा के अंतर्गत ई-हाजिरी के माध्यम से भुगतान एक अन्य उदाहरण है। किन्तु निजी क्षेत्र जो भुगतान और प्रक्रिया में होने वाले विलंब के कारण सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सामाजिक-क्षेत्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने में कुछ अनिच्छा दर्शाते हैं, की सहायता से इस क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है। ऐसे विलंब से बचने के लिए प्रशासन के अनेक स्तरों को कम किए जाने तथा मध्यस्थों से बचने की आवश्यकता है। सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की सफलता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संस्थागत

समयबद्ध जनांकीय लाभ की स्थिति अर्थात् युवा आबादी की क्षमता को उपयोग में लाने के लिए सामाजिक अवसंरचना, कौशल विकास और महिला सशक्तीकरण के लिए व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है।

मौजूदा कार्यक्रमों के लिए बजट में प्रतिवर्ष केवल राशि निर्धारित कर देना या किसी नई परियोजना की घोषणा कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि स्कीमों के लिए एक संपुष्ट, पुनर्गठित और समाभिरूपित शून्य बजटिंग दृष्टिकोण अपनाया जाए।

बॉक्स 13.4 : सामाजिक क्षेत्र की कुछ स्कीमों को संपुष्ट/पुनर्संगठित करने की आवश्यकता

सरकार सामाजिक क्षेत्र के अनेक कार्यक्रमों को चला रही है। विभिन्न स्कीमों का कार्य-निष्पादन भिन्न-भिन्न है। इनमें से अनेक स्कीमों को बड़े पैमाने पर संपुष्ट/पुनर्संगठित करने और कुछ को एक साथ जोड़ने तथा साथ ही शून्य बजटिंग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि अधिकतम दक्षता प्राप्त की जा सके।

महात्मा गांधी नरेगा

- हालांकि यह अधिनियम पंचायत केन्द्रित और मांग आधारित है, किन्तु जमीनी स्तर पर इसमें पंचायती राज संस्था विशेषकर ग्राम सभा द्वारा आयोजना, निष्पादन और निगरानी में प्रमुख भूमिका नहीं निभाई जाती।
- ग्राम सभा/पंचायती राज संस्थाओं में जागरूकता स्तर काफी कम है तथा इनमें स्वामित्व की कमी, गलत ढंग से तय की गई योजनाएं, अनेक परियोजनाओं को एक साथ चलाने तथा कमजोर या यहां तक कि किसी भी सामाजिक परख का अभाव है।
- सामुदायिक परियोजनाओं की आवश्यकता कम महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि ऐसे कार्य संभवतः पहले ही पूरे किए जा चुके हैं या संतृप्त होने की कगार पर हैं या सरकारी कार्यों में आम जनता की रुचि नहीं रही है। फार्मों में अलग-अलग क्रियाकलाप लाभार्थियों द्वारा तय किए जाते हैं।
- काम को विलंब से निर्धारित किए जाने के कारण मजदूरी का भुगतान विलंब से किया जाता है। ऐसा तकनीकी कर्मचारियों की कमी होने के कारण भी होता है।
- कुछ स्थानों पर काम करने में केवल महिला मजदूर ही रुचि रखती हैं क्योंकि उन कामों में पुरुष मजदूरों की मजदूरी की बाजार दर अधिक होती है जिससे महिला मजदूरों को काम पर लगाकर बड़े और व्यापक प्रकार की परियोजनाओं के बजाय कम उपयोगी छोटे-छोटे कार्य ही पूरे हो पाते हैं।
- एकल या कम संख्या में लाभभोगियों वाली परियोजनाओं को हाथ में लेने से बचने तथा महात्मा गांधी नरेगा कोष को आपूर्ति प्रेरित रूप में प्रयोग में लाने की आवश्यकता है।

अतः महात्मा गांधी नरेगा के दुरुपयोग को रोकने और इसे पर्यटन संबंधी अवसंरचना या कुछ बड़े कृषि संबंधित क्रियाकलापों को शामिल करके मूर्त तथा सार्थक परिसंपत्ति और अवसंरचना सृजित करने के लिए चलाई जाने वाली एक विकासोन्मुख कार्यक्रम बनाने के लिए संपुष्ट करने की तत्काल आवश्यकता है।

एनआरएलएम

- एसजीएसवाय/एनआरएलएम कपड़ों की सिलाई, अगरबत्ती बनाने, स्थानीय तौर पर खपत होने वाली वस्तुओं और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे घर में किए जाने वाले क्रियाकलापों और निर्मित उत्पादों तथा आतिथ्य सत्कार सेवाओं जैसे क्रियाकलापों में संतोषजनक रूप में कार्य करता रहा है। तथापि, बुद्धिमतापूर्ण आयोजना तथा पूर्व एवं पश्च संबंधों को सही रूप में संयोजित करके अंतिम उत्पाद की मांग और आपूर्ति का सावधानी पूर्वक आकलन करना आवश्यक है। इसके लिए, खंड स्तर पर विकास केन्द्रों की उचित और समयबद्ध पहचान करने तथा उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है।
- भवन और उपस्कर जैसी अवसंरचना में क्रियाकलापों के स्कोप तथा बड़े पैमाने पर निवेश के बीच अंतराल पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

एनआरएचएम

- हालांकि एनआरएचएम ग्रामीण आबादी को वहनीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सफल रहा है किन्तु या तो सुविधा केन्द्र को सही स्थान पर स्थापित नहीं किए जाने के कारण या फिर चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों के लिए परिवहन/आवासीय सुविधाओं की कमी, महिलाओं की सुरक्षा तथा योग्य चिकित्सकों और नर्सों की कमी के कारण सुनिर्मित अवसंरचनाओं का उपयोग कम हो रहा है।
- इस क्षेत्र में सावधानीपूर्वक नियामक उपाय करके सरकारी-निजी भागीदारी पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

एसएसए

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक गांव में 1 कि.मी. की दूरी के भीतर एक स्कूल का होना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक छात्र को अपने निकटतम स्थान पर स्कूल की सुविधा मिल सके। तथापि, इस प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि कुछ स्थानों पर छात्रों की संख्या को देखते हुए उनके लिए अलग से क्लासरूम की आवश्यकता नहीं है और इसके कारण बहुत से स्कूल खुल रहे हैं और टूटे-फूटे भवनों के रूप में अवसंरचनाएं प्राप्त हुई हैं। निकटतम स्थानों पर छोटे एकल या बड़े स्कूल को स्थापित करने से संसाधनों के इष्टतमीकरण द्वारा उद्देश्य को बेहतर रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
- अस्थायी शिक्षकों को नियमित करने तथा शिक्षकों का परिणाम आधारित मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
- स्कूलों में शौचालय सुविधाओं, सुरक्षित पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, सफाई कर्मचारी सहित सभी स्तरों पर कर्मचारी की कमी जैसी समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है।

एमडीएम

- इस स्कीम में आमूल सुधार की आवश्यकता है क्योंकि निम्न कोटि के खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने के कारण बच्चों की सुरक्षा संबंधी जोखिम में वृद्धि हुई है। कुछ सुझावों में प्रत्येक स्कूल में पेयजल उपलब्ध कराना शामिल है क्योंकि वर्षा की स्थिति में या अन्य किसी भी स्थिति में उन्हें ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बच्चों को गरम पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- इस क्रियाकलाप में शिक्षकों को सीधे शामिल करने के बजाय उन्हें केवल देख-रेख में ही लगाया जाए क्योंकि इससे शिक्षकों का प्रमुख कार्य अर्थात् बच्चों को पढ़ाने का कार्य बाधित होता है।

एनबीए:

यह स्कीम शुरुआत से ही काफी प्रगति पर है हालांकि इस दिशा में अभी भी काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में जिन समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है, वे निम्नलिखित हैं:-

- चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता राज्य का विषय है, अतः इस कार्यक्रम पर पर राज्य सरकारों द्वारा उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। हालांकि अधिकांश राज्यों ने अपने कार्यक्रमों में टीएससी को शामिल किया है, किन्तु स्वच्छता हेतु वित्तीय आबंटन प्रायः पर्याप्त नहीं होता जिसका कारण है कि इस कार्यक्रम को प्राथमिकता नहीं दी जाती जिसका प्रायः जल के बाद दूसरा स्थान है जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण समस्या है।
- क्षमता सृजन और आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) क्रियाकलापों पर कम बल दिया जाता रहा है जिसकी किसी भी मांग प्रेरित परियोजना को लागू करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन मशीनरी को, जो आपूर्ति-प्रेरित लक्ष्य-उन्मुख स्कीमों के कामकाज से पूरी तरह परिचित होती है, इस मांग-प्रेरित दृष्टिकोण की चुनौतियों के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है।
- कुछ अन्य चुनौतियों में निम्न लागत और क्षेत्र विशिष्ट प्रौद्योगिकी विकल्प का प्रावधान, निर्माण की गुणवत्ता तथा राष्ट्रीय, राज्य, जिला और आधार स्तरों पर विभिन्न अन्य विभागों के साथ तालमेल की समस्याएं शामिल हैं।

स्रोत: डॉ॰ एच॰ए॰सी॰ प्रसाद, डॉ॰ एनके सिन्हा और रियाज ए॰ खान वर्किंग पेपर नंबर 3/2013 आर्थिक कार्य विभाग (नवंबर 2013) आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार और विभिन्न अन्य अध्ययन।

व्यवस्था और प्रवृत्ति जन्य सोच पर निर्भर है। आवश्यकता इस बात की है कि जनता को सूचनाओं और विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, अधिकारों और हकदारियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध हो। आम जनता द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जवाबदेही की मांग करने से भी प्राधिकरणों को अधिक अनुक्रियाशील बनाया जा सकेगा। ग्राम सभा के स्तर पर अधिक जागरूकता तथा क्षमता निर्माण क्रियाकलाप तथा अधिकारों अर्थात् निधि, कार्य और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को वास्तविक अर्थों में शक्तियों का अंतरण जो संविधान के 73वें संशोधन के बाद से अभी भी पूरा नहीं हुआ है, को किए जाने से भी सहायता प्राप्त होगी।

पंचायती राज संस्थाओं और विशेषकर ग्राम सभाओं के संबंध में जागरूकता में वृद्धि करने पर विशेष ध्यान देने से पंचायत केंद्रित कार्यक्रमों की बेहतर और अधिक प्रभावी आयोजना, निष्पादन, निगरानी और सामाजिक परख को बढ़ावा मिलेगा।

आर्थिक समीक्षा 2013-14
सांख्यिकीय परिशिष्ट

1. राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.1	सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद	1-2
1.2	सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर	3-4
1.3क	उद्योग के मूल के अनुसार उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर मूल्यों पर)	5
1.3ख	उद्योग के मूल के अनुसार उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (वर्तमान कीमतों पर)	6
1.4	उद्योग के मूल के अनुसार उपादान लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दरें	7
1.5	सकल घरेलू बचत और सकल घरेलू पूंजी निर्माण	8-9
1.6	चालू बाज़ार कीमतों पर संघर्ष के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत और सकल घरेलू पूंजी निर्माण	10-11
1.7	वर्तमान कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद	12
1.8	वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद	13
1.9	कृषि उत्पादन के सूचकांक	14
1.10	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का सूचकांक	15
1.11	प्रमुख फसलों की पैदावार का सूचकांक	16
1.12	प्रमुख फसलों का उत्पादन	17
1.13	प्रमुख फसलों के अंतर्गत सकल क्षेत्र	18
1.14	प्रमुख फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन	19
1.15	वर्ष 2013-14 में तीन सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन	20
1.16	अनाज और दालों की निवल उपलब्ध मात्रा	21
1.17	खाद्यान्नों की निवल उपलब्ध मात्रा, अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण	22
1.18	उपभोग की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्ध मात्रा	23
1.19	उर्वरकों का उत्पादन, आयात तथा उपभोग	24
1.20	मुख्य पशुधन उत्पादों और मछली का उत्पादन	25
1.21	कायला और लिग्नाइट का उत्पादन	26
1.22	बिजली आपूर्ति की प्रगति (जनोपयोगी और गैर-जनोपयोगी)	
	(क) स्थापित संयंत्र क्षमता	27
	(ख) उत्पादित ऊर्जा (सकल)	28
1.23	भारतीय रेलों का प्रचालन	29
1.24	भारतीय रेलवे का राजस्व उपार्जक माल यातायात	
	(क) प्रारम्भिक यातायात	30
	(ख) ढोया गया माल	30
1.25	सड़क परिवहन प्रचालन	31
1.26	नागर विमानन में वृद्धि	31
1.27	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का वस्तु शेष	32
1.28	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक	33

2. बजटीय लेन-देन

2.1	केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के बजटीय लेन-देन	34
2.2	केन्द्र सरकार का कुल व्यय	35
2.3	विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का ग्यारहवीं योजना (2007-2012) योजना परिव्यय	36
2.4	विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का बारहवीं योजना (2012-2017) योजना का परिव्यय	37
2.5	केन्द्र और राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए वित्त प्रबंध : 2012-2013 और (सं.घ./अ.अ.) और 2012-2013 (ब.अ./वा.यो.)	37
2.6	बारहवीं योजना 2012-17 के दौरान सरकारी क्षेत्र के आयोजना परिव्यय की समग्र वित्त पोषण पद्धति	38
2.7	भारतीय रेलवे का वित्तीय कार्य-निष्पादन	38
2.8	डाक विभाग का वित्तीय कार्य-निष्पादन	39
2.9	केन्द्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय	39
2.10	केन्द्र सरकार की बकाया देनदारियां	40
2.11	केन्द्र सरकार और इससे वित्तपोषण के लिए कुल व्यय और पूंजी निर्माण (केन्द्रीय बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार)	41
2.12	राज्य और समेकित सरकार की प्राप्तियां और संवितरण	42

3. रोजगार

3.1	संगठित क्षेत्रों में रोजगार-सरकारी और निजी	43
3.2	औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि से संबंधित केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति परिलब्धियां (1960=100)	44

4. मौद्रिक प्रवृत्तियाँ

4.1	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक : निधियों का मौसमी प्रवाह	45
4.2	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक : चुनिन्दा मदों में परिवर्तन	46
4.3	संवेदी वस्तुओं के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम	46
4.4	सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार	47
4.5	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिम	48
4.6	बैंकों के कार्यालयों, सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में कुल जमा राशि और उनके द्वारा दिये गये कुल ऋणों तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों के प्रतिशत अंश का राज्यवार वितरण	49

5. कीमतें

5.1	थोक मूल्यों के सूचकांक	50-51
5.2	थोक मूल्यों के सूचकांक-चुनिन्दा वस्तुएं और वस्तु समूह	52-54
5.3	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	55-56
5.4	थोक मूल्यों के सूचकांक-विनिर्मित उत्पादों और कृषि उत्पादों की सापेक्ष कीमतें	57
5.5	फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य/खरीद मूल्य (फसल वर्ष के आधार पर)	58

6. भुगतान शेष

6.1क	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (₹ करोड़)	59-60
6.1ख	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (मिलियन अमरीकी डालर)	61-62
6.2	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान शेष मैनुअल 5 के अनुसार भुगतान संतुलन	63-64
6.3क	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान शेष मैनुअल 6 के अनुसार भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	65
6.3ख	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान शेष मैनुअल 6 के अनुसार भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डालर)	66
6.4	विश्व की चुनिन्दा मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर	67
6.5	रुपये की सांकेतिक और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर की प्रवृत्तियाँ	68

7. विदेश व्यापार

7.1क	निर्यात, आयात और व्यापार शेष (₹ करोड़)	69
7.1ख	निर्यात, आयात और व्यापार शेष (मिलियन अमरीकी डालर)	70
7.2क	मुख्य आयात	71-73
7.2ख	मुख्य आयातों का हिस्सा और प्रतिशत वृद्धि/परिवर्तन	74
7.3क	मुख्य निर्यात	75-77
7.3ख	मुख्य निर्यातों का हिस्सा और प्रतिशत परिवर्तन	78
7.4क	आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात	79-84
7.4ख	निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा निर्यात	85-90
7.5	वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा	91-94
7.6	विदेश व्यापार के सूचकांक	95

8. विदेशी सहायता

8.1क	समग्र विदेशी सहायता (₹ करोड़)	96
8.1ख	समग्र विदेशी सहायता (मिलियन अमरीकी डालर)	97
8.2क	स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण (₹ करोड़)	98-99
8.2ख	स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण (मिलियन अमरीकी डालर)	100-101
8.3क	स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग (₹ करोड़)	102-103
8.3ख	स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग (मिलियन अमरीकी डालर)	104-105
8.4क	भारत का बकाया विदेशी ऋण (₹ करोड़)	106-107
8.4ख	भारत का बकाया विदेशी ऋण (मिलियन अमरीकी डालर)	108-109

9. मानव विकास संकेतक

9.1	प्रमुख राज्यों के लिए मानव विकास के चुनिन्दा संकेतक	110
9.2	कक्षा I-V और VI-VIII तथा I-VIII में कुल नामांकन अनुपात	111
9.3	भारत में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की कुल संख्या	112
9.4	राज्य-वार साक्षरता दर (1951-2001)	113
9.5	राज्य-वार शिशु मृत्यु दर	114
9.6	भारत में परिवारों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता	115
9.7	भारत की जनसंख्या (1951-2001)	116

सारणी 1.1 : सकल राष्ट्रीय आय और निवल राष्ट्रीय आय

वर्ष	उपादान लागत पर सकल राष्ट्रीय आय (₹ करोड़)		उपादान लागत पर निवल राष्ट्रीय आय (₹ करोड़)		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (₹)		सूचकांक			
							निवल राष्ट्रीय आय		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय	
	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(2004-05 श्रृंखला)										
1950-51	9995	278677	9464	255405	264	7114	100.0	100.0	100.0	100.0
1951-52	10561	285558	9985	262804	274	7200	105.5	102.9	103.8	101.2
1952-53	10424	293791	9840	271541	265	7299	104.0	106.3	100.3	102.6
1953-54	11359	311784	10803	289931	285	7650	114.1	113.5	108.1	107.5
1954-55	10660	324830	10154	305985	263	7927	107.3	119.8	99.8	111.4
1955-56	10851	333543	10309	314238	262	7996	108.9	123.0	99.5	112.4
1956-57	12948	352418	12362	332192	308	8284	130.6	130.1	116.9	116.4
1957-58	13235	347970	12581	326993	308	7995	132.9	128.0	116.7	112.4
1958-59	14792	374219	14078	352055	337	8422	148.8	137.8	127.8	118.4
1959-60	15517	381865	14754	358913	346	8425	155.9	140.5	131.4	118.4
1960-61	16977	408739	16169	385761	373	8889	170.9	151.0	141.3	124.9
1961-62	17894	420953	16998	396844	383	8938	179.6	155.4	145.2	125.6
1962-63	19130	429594	18159	40419	400	8901	191.9	158.2	151.7	125.1
1963-64	21874	451447	20790	424528	448	9149	219.7	166.2	170.0	128.6
1964-65	25541	485194	24301	456327	513	9627	256.8	178.7	194.5	135.3
1965-66	26731	467155	25338	436650	522	9003	267.7	171.0	198.2	126.5
1966-67	30383	472024	28750	439345	581	8876	303.8	172.0	220.3	124.8
1967-68	35718	509966	33851	475052	669	9388	357.7	186.0	253.8	132.0
1968-69	37683	523558	35685	486775	689	9397	377.1	190.6	261.3	132.1
1969-70	41451	557652	39152	518434	740	9800	413.7	203.0	280.8	137.8
1970-71	44098	585672	41294	541867	763	10016	436.3	212.2	289.6	140.8
1971-72	46930	591703	43852	545976	792	9855	463.4	213.8	300.3	138.5
1972-73	51641	590138	48216	542686	850	9571	509.5	212.5	322.6	134.5
1973-74	63333	617498	59221	567938	1021	9792	625.8	222.4	387.3	137.6
1974-75	74639	625437	69342	572741	1169	9658	732.7	224.2	443.6	135.8
1975-76	79327	682336	73064	626779	1204	10326	772.1	245.4	456.6	145.1
1976-77	85312	691096	78505	631897	1266	10192	829.5	247.4	480.3	143.3
1977-78	97400	743223	90072	681443	1421	10748	951.8	266.8	538.9	151.1
1978-79	104774	784298	96663	719996	1492	11111	1021.4	281.9	565.9	156.2
1979-80	114653	744772	104766	677341	1578	10201	1107.0	265.2	598.5	143.4
1980-81	137183	798504	125761	727360	1852	10712	1328.9	284.8	702.6	150.6
1981-82	160254	842324	146333	767481	2115	11091	1546.3	300.5	802.2	155.9
1982-83	178351	864289	162236	785134	2291	11089	1714.3	307.4	869.3	155.9
1983-84	208412	932052	190443	848951	2634	11742	2012.4	332.4	999.2	165.0
1984-85	233689	967486	212713	878609	2878	11889	2247.7	344.0	1091.9	167.1
1985-86	261288	1007999	236151	913144	3128	12095	2495.3	357.5	1186.5	170.0
1986-87	291119	1051071	262781	950458	3408	12328	2776.7	372.1	1292.9	173.3

(जारी ...)

सारणी 1.1 : सकल राष्ट्रीय आय और निवल राष्ट्रीय आय

वर्ष	उपादान लागत पर सकल राष्ट्रीय आय (₹ करोड़)		उपादान लागत पर निवल राष्ट्रीय आय (₹ करोड़)		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (₹)		सूचकांक			
	वर्तमान कीमतों पर		वर्तमान कीमतों पर		वर्तमान कीमतों पर		निवल राष्ट्रीय आय		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय	
	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(2004-05 श्रृंखला)										
1987-88	329449	1086210	296257	978465	3760	12417	3130.5	383.1	1426.2	174.5
1988-89	391799	1193697	352948	1080137	4384	13418	3729.5	422.9	1663.2	188.6
1989-90	450809	1266767	405561	1146446	4934	13947	4285.5	448.9	1871.6	196.0
1990-91	524269	1331040	471619	1202305	5621	14330	4983.5	470.7	2132.4	201.4
1991-92	603451	1349541	538824	1211878	6295	14157	5693.6	474.5	2387.9	199.0
1992-93	692078	1422692	617940	1276845	7086	14643	6529.6	499.9	2688.2	205.8
1993-94	805881	1506139	723025	1354116	8106	15181	7640.0	530.2	3074.9	213.4
1994-95	942303	1603265	845554	1440973	9292	15835	8934.8	564.2	3524.8	222.6
1995-96	1105102	1720069	992517	1547481	10695	16675	10487.7	605.9	4057.2	234.4
1996-97	1288706	1859370	1158858	1675760	12250	17714	12245.4	656.1	4647.0	249.0
1997-98	1434408	1943208	1287141	1745161	13352	18103	13600.9	683.3	5065.1	254.5
1998-99	1653771	2073141	1490030	1861253	15158	18934	15744.8	728.7	5750.1	266.1
1999-00	1842774	2238567	1656302	2009916	16546	20079	17501.7	787.0	6276.8	282.2
2000-01	1978010	2324681	1771118	2080565	17381	20418	18715.0	814.6	6593.4	287.0
2001-02	2155192	2453591	1926343	2193647	18523	21093	20355.2	858.9	7026.5	296.5
2002-03	2327174	2551975	2080993	2278608	19706	21578	21989.3	892.2	7475.5	303.3
2003-04	2605111	2755056	2332956	2464029	21763	22985	24651.8	964.8	8255.6	323.1
2004-05	2949089	2949089	2629198	2629198	24143	24143	27782.1	1029.4	9158.7	339.4
2005-06	3364387	3228177	3000666	2877284	27131	26015	31707.3	1126.6	10292.0	365.7
2006-07	3920042	3534849	3501313	3149149	31206	28067	36997.5	1233.0	11837.9	394.5
2007-08	4561574	3879457	4076878	3451829	35825	30332	43079.4	1351.5	13590.1	426.4
2008-09	5270644	4133292	4705447	3664388	40775	31754	49721.3	1434.7	15467.9	446.3
2009-10	6070903	4488314	5411104	3966407	46249	33901	57177.8	1553.0	17544.3	476.5
2010-11(उस.)	7167053	4863886	6406834	4293585	54021	36202	67699.5	1681.1	20492.5	508.9
2011-12(दस.)	8314861	5201163	7434965	4573328	61855	38048	78563.5	1790.6	23464.5	534.8
2012-13(सं.)	9272110	5416659	8255978	4728776	67839	38856	87238.9	1851.5	25734.4	546.2
2013-14(अनं.अनु.)	10344507	5673857	9171045	4920183	74380	39904	96908.2	1926.4	28215.8	560.9

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

1 सं. : पहले संशोधित अनुमान

2 सं. : दूसरे संशोधित अनुमान

3 सं. : तीसरे संशोधित अनुमान

अनं.अनु. : अंतिम अनुमान

सारणी 1.2 : सकल राष्ट्रीय आय और निवल राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

वर्ष	उत्पादन लागत पर सकल राष्ट्रीय आय		उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय	
	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर
1	2	3	4	5	6	7
1951-52	5.7	2.5	5.5	2.9	3.8	1.2
1952-53	-1.3	2.9	-1.4	3.3	-3.3	1.4
1953-54	9.0	6.1	9.8	6.8	7.8	4.8
1954-55	-6.2	4.2	-6.0	5.5	-7.7	3.6
1955-56	1.8	2.7	1.5	2.7	-0.3	0.9
1956-57	19.3	5.7	19.9	5.7	17.5	3.6
1957-58	2.2	-1.3	1.8	-1.6	-0.2	-3.5
1958-59	11.8	7.5	11.9	7.7	9.5	5.3
1959-60	4.9	2.0	4.8	1.9	2.8	0.0
1960-61	9.4	7.0	9.6	7.5	7.6	5.5
1961-62	5.4	3.0	5.1	2.9	2.8	0.6
1962-63	6.9	2.1	6.8	1.8	4.5	-0.4
1963-64	14.3	5.1	14.5	5.1	12.0	2.8
1964-65	16.8	7.5	16.9	7.5	14.4	5.2
1965-66	4.7	-3.7	4.3	-4.3	1.9	-6.5
1966-67	13.7	1.0	13.5	0.6	11.2	-1.4
1967-68	17.6	8.0	17.7	8.1	15.2	5.8
1968-69	5.5	2.7	5.4	2.5	3.0	0.1
1969-70	10.0	6.5	9.7	6.5	7.4	4.3
1970-71	6.4	5.0	5.5	4.5	3.1	2.2
1971-72	6.4	1.0	6.2	0.8	3.7	-1.6
1972-73	10.0	-0.3	10.0	-0.6	7.4	-2.9
1973-74	22.6	4.6	22.8	4.7	20.1	2.3
1974-75	17.9	1.3	17.1	0.8	14.5	-1.4
1975-76	6.3	9.1	5.4	9.4	2.9	6.9
1976-77	7.5	1.3	7.4	0.8	5.2	-1.3
1977-78	14.2	7.5	14.7	7.8	12.2	5.5
1978-79	7.6	5.5	7.3	5.7	5.0	3.4
1979-80	9.4	-5.0	8.4	-5.9	5.8	-8.2
1980-81	19.7	7.2	20.0	7.4	17.4	5.0
1981-82	16.8	5.5	16.4	5.5	14.2	3.5
1982-83	11.3	2.6	10.9	2.3	8.4	0.0
1983-84	16.9	7.8	17.4	8.1	15.0	5.9
1984-85	12.1	3.8	11.7	3.5	9.3	1.3
1985-86	11.8	4.2	11.0	3.9	8.7	1.7
1986-87	11.4	4.3	11.3	4.1	9.0	1.9
1987-88	13.2	3.3	12.7	2.9	10.3	0.7
1988-89	18.9	9.9	19.1	10.4	16.6	8.1
1989-90	15.1	6.1	14.9	6.1	12.5	3.9
1990-91	16.3	5.1	16.3	4.9	13.9	2.7
1991-92	15.1	1.4	14.2	0.8	12.0	-1.2
1992-93	14.7	5.4	14.7	5.4	12.6	3.4
1993-94	16.4	5.9	17.0	6.1	14.4	3.7
1994-95	16.9	6.4	16.9	6.4	14.6	4.3
1995-96	17.3	7.3	17.4	7.4	15.1	5.3
1996-97	16.6	8.1	16.8	8.3	14.5	6.2
1997-98	11.3	4.5	11.1	4.1	9.0	2.2
1998-99	15.3	6.7	15.8	6.7	13.5	4.6
1999-00	11.4	8.0	11.2	8.0	9.2	6.0
2000-01	7.3	3.8	6.9	3.5	5.0	1.7
2001-02	9.0	5.5	8.8	5.4	6.6	3.3
2002-03	8.0	4.0	8.0	3.9	6.4	2.3
2003-04	11.9	8.0	12.1	8.1	10.4	6.5
2004-05	13.2	7.0	12.7	6.7	10.9	5.0
2005-06	14.1	9.5	14.1	9.4	12.4	7.8
2006-07	16.5	9.5	16.7	9.4	15.0	7.9
2007-08	16.4	9.7	16.4	9.6	14.8	8.1
2008-09	15.5	6.5	15.4	6.2	13.8	4.7
2009-10	15.2	8.6	15.0	8.2	13.4	6.8
2010-11(3से)	18.1	8.4	18.4	8.2	16.8	6.8
2011-12(2से)	16.0	6.9	16.0	6.5	14.5	5.1
2012-13(1से)	11.5	4.1	11.0	3.4	9.7	2.1
2013-14(अं.अनु.)	11.6	4.7	11.1	4.0	9.6	2.7

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान
1 से. : पहले संशोधित अनुमान

2 से. : दूसरे संशोधित अनुमान

3 से. : तीसरे संशोधित अनुमान

अं.अनु. : अंतिम अनुमान

सारणी 1.2 : सकल राष्ट्रीय आय और निवल राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

वर्ष	उत्पादन लागत पर सकल राष्ट्रीय आय		उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय	
	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	2004-05 की कीमतों पर
1	2	3	4	5	6	7
वार्षिक औसत वृद्धि दर						
पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56)	1.8	3.7	1.9	4.2	0.0	2.4
दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61)	9.5	4.2	9.6	4.2	7.4	2.2
तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66)	9.6	2.8	9.5	2.6	7.1	0.3
तीन वार्षिक योजनाएं (1966-69)	12.2	3.9	12.2	3.7	9.8	1.5
चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74)	11.1	3.4	10.8	3.2	8.4	0.9
पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79)	10.7	4.9	10.4	4.9	8.0	2.6
वार्षिक योजना (1979-80)	9.4	-5.0	8.4	-5.9	5.8	-8.2
छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)	15.3	5.4	15.3	5.4	12.8	3.1
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)	14.1	5.6	13.8	5.5	11.4	3.3
दो वार्षिक योजनाएं (1990-92)	15.7	3.2	15.3	2.8	13.0	0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)	16.4	6.6	16.6	6.7	14.2	4.6
नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)	10.9	5.7	10.7	5.5	8.7	3.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)	12.7	7.6	12.7	7.5	11.0	5.9
गयाहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)	16.2	8.0	16.3	7.8	14.7	6.3

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1 सं. : पहले संशोधित अनुमान

अनं.अनु. : अंतिम अनुमान

2 सं. : दूसरे संशोधित अनुमान

3 सं. : तीसरे संशोधित अनुमान

सारणी 1.3 क : मूल उद्योग के अनुसार उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद

(₹ करोड़)						
	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और ऊर्जा	विनिर्माण, निर्माण, विजली, गैस तथा जलपूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्वास्थ्य सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (2 से 6)
1	2	3	4	5	6	7
2004-05 की कीमतों पर नई श्रृंखला						
1950-51	150191	40138	30792	23225	28474	279618
1951-52	152987	41996	31608	23863	29929	286147
1952-53	157764	44834	32641	24863	29934	294267
1953-54	169547	44416	33861	25219	30860	312177
1954-55	174611	48225	36065	26140	31967	325431
1955-56	173255	53962	38700	27900	32955	333766
1956-57	182651	58809	41537	27635	34219	352766
1957-58	175180	57737	42831	28679	35765	348500
1958-59	192337	62009	44965	29492	37233	374948
1959-60	190851	66378	47779	30619	38834	383153
1960-61	204340	73555	51879	31252	40741	410279
1961-62	205014	78638	55259	32596	42656	423011
1962-63	202234	83517	58559	33693	43686	431960
1963-64	207030	92432	62650	34735	45829	453860
1964-65	225287	99250	66890	35688	48684	488247
1965-66	202966	102475	68079	36766	52950	470402
1966-67	200481	106304	69862	37412	55438	475100
1967-68	228831	109856	72852	38431	58659	513860
1968-69	228836	115422	80275	40305	61272	527270
1969-70	243347	124372	82075	41980	66655	561630
1970-71	258665	126356	84205	43735	68218	589787
1971-72	254395	129506	86121	45989	71264	595741
1972-73	243082	133917	87991	47767	73594	593843
1973-74	259751	134649	91686	48936	75541	620872
1974-75	256719	136045	9776	48779	79220	628079
1975-76	289605	144928	105980	52142	81914	684634
1976-77	274522	158354	110697	56277	84190	693191
1977-78	300873	170123	118084	59032	88450	744972
1978-79	307874	185900	127772	63203	90186	785965
1979-80	271096	176035	126751	63818	96779	745083
1980-81	305966	183970	133966	65041	101666	798566
1981-82	321876	197519	142057	70326	103842	843426
1982-83	323862	197833	149903	77039	111849	868092
1983-84	354720	214737	157545	84585	116027	936270
1984-85	360230	224284	165037	90907	121065	973357
1985-86	362783	233818	178195	99783	131184	103866
1986-87	364989	245385	188888	110295	141043	1057612
1987-88	360949	256941	198578	118383	151240	1094993
1988-89	417581	286063	210405	129934	160385	1266243
1989-90	425075	304461	226074	146088	173022	1286228
1990-91	444880	325450	237736	155165	185664	1347889
1991-92	438685	325550	243778	171956	185232	1367171
1992-93	465084	336716	256897	181320	196332	1440504
1993-94	479592	357237	274682	205168	205101	1522344
1994-95	504477	389903	301997	209401	209742	1619694
1995-96	504527	436863	342536	226348	225157	1737741
1996-97	549202	468146	370200	240354	243288	1876319
1997-98	542313	483585	398109	268495	263486	1957032
1998-99	574374	504485	428613	289440	285085	2087828
1999-00	590666	535730	477605	327111	332800	2254942
2000-01	592227	570571	508299	338661	338723	2344841
2001-02	624923	585971	552118	359684	35267	2474962
2002-03	594280	627374	597896	385661	365724	2570935
2003-04	643183	676833	664637	406098	384998	2775749
2004-05	650454	744755	727720	437774	413161	2971464
2005-06	686628	824272	815407	492340	440426	3353073
2006-07	711768	928626	910084	561063	452823	3564364
2007-08	751077	1023998	1009520	628124	483917	3896636
2008-09	753744	1071681	108525	709329	544497	4158676
2009-10	764817	1173089	1197891	771905	608369	4516071
2010-11(3सं)	828431	1262722	1344024	84489	634167	4918333
2011-12(2सं)	864557	1369932	1402261	945534	665246	5247730
2012-13(1सं)	872838	1386593	1473353	1048748	700579	5482111
2013-14(अं.अं.)	907386	1393387	157826	1183714	739477	5741791

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

अं.अं.अं. : अर्धवार्षिक अनुमान

टिप्पणी : 1999-2000 से पूर्व के वर्षों के संख्या में कालिमा 7 के तहत जोड़ प्रत्येक उद्योग के स्तर पर पृथक-पृथक रूप से अपनाई गई स्थलाहिसा तर्कनीक के कारण कालिमा 2 से

कालिमा 6 के तहत प्रत्येक मर के जोड़ से संभवतः भेल न खारो

1सं. : पहले संशोधित अनुमान

2सं. : दूसरे संशोधित अनुमान

3सं. : तीसरे संशोधित अनुमान

सारणी 1.3ख : उद्योग के मूल के अनुसार उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद

(₹ करोड़)

वर्ष	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उद्यमन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलपूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (2 से 6)
1	2	3	4	5	6	7
1950-51	5274	1346	968	1254	1115	10036
1951-52	5453	1505	1048	1349	1162	10596
1952-53	5316	1416	1055	1425	1201	10449
1953-54	5850	1559	1121	1537	1250	11378
1954-55	4993	1640	1151	1647	1283	10689
1955-56	4847	1760	1192	1768	1361	10861
1956-57	6152	2071	1378	1917	1430	12965
1957-58	6045	2148	1525	2054	1503	13255
1958-59	7002	2334	1667	2203	1597	14827
1959-60	7043	2616	1801	2364	1760	15574
1960-61	7434	3113	1985	2547	1989	17049
1961-62	7704	3398	2145	2602	2154	17992
1962-63	7899	3740	2348	2987	2343	19238
1963-64	9274	4274	2628	3231	2599	21986
1964-65	11291	4788	3084	3512	2945	25686
1965-66	11301	5199	3345	3796	3276	26895
1966-67	13123	5819	3890	4063	3665	30613
1967-68	16393	6380	4445	4458	4105	35976
1968-69	16912	6940	4732	4772	4422	37938
1969-70	18505	7944	5107	520	4822	41722
1970-71	19086	8622	5627	5579	5315	44382
1971-72	19510	9538	6102	5579	5901	47221
1972-73	21448	10534	6730	6694	6456	51943
1973-74	28171	12230	8057	7465	7261	63658
1974-75	31062	15232	10642	8390	9142	74930
1975-76	31028	16571	12067	9511	10290	79582
1976-77	31833	18811	13066	10579	11311	85545
1977-78	37592	21270	14702	11540	12296	97633
1978-79	38717	23951	16119	12448	13529	104930
1979-80	40373	26774	18604	13576	15149	114500
1980-81	50760	30900	21968	15220	17537	136838
1981-82	58745	36090	26946	17835	19927	160214
1982-83	63985	39953	30749	20453	23134	178985
1983-84	75982	47053	35716	23388	26345	209356
1984-85	82204	53656	41125	26907	30311	235113
1985-86	88083	60593	48022	30819	34284	262717
1986-87	95182	67754	54272	35337	39428	292924
1987-88	105358	77630	61963	40387	45700	332068
1988-89	130731	9163	73159	46926	52994	396295
1989-90	144461	108908	85630	55297	60741	456540
1990-91	168166	127079	100318	64598	70019	531814
1991-92	195454	140700	115570	78904	81366	613528
1992-93	219680	163887	136250	87495	94507	703723
1993-94	254876	188251	160990	105686	106090	817961
1994-95	293013	229365	192142	119442	118663	955386
1995-96	319243	280971	231175	143791	140190	1118586
1996-97	381142	318260	273135	158637	166409	1301788
1997-98	408521	348543	313093	180642	193188	1447613
1998-99	466446	393491	358538	210593	236123	1668739
1999-00	497027	426993	400650	260522	273013	1858205
2000-01	506476	474323	443169	282316	294459	2000743
2001-02	546674	497578	491952	321543	317513	2175260
2002-03	548062	550421	543691	360194	341496	2343864
2003-04	608788	618840	624394	402510	371288	2625819
2004-05	650454	744755	727720	437174	411361	2971464
2005-06	732234	859410	846606	493102	459151	3390503
2006-07	829771	1205458	998379	586595	505121	3993276
2007-08	961330	1360426	1150044	691464	573790	4582086
2008-09	1083032	1360426	1310845	845369	703895	5303567
2009-10	1242818	1536492	1481623	964937	883033	6108903
2010-11 (3सं.)	1524552	1763584	1779630	1165243	1015850	7448800
2011-12 (2सं.)	1721814	2061650	2072272	1381524	1154431	8391691
2012-13 (1सं.)	1867342	2238029	2324695	1617076	1341734	9388876
2013-14 (अं.अनु.)	2129000	2371520	2509907	1939482	1522869	10472807

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

अनं.अनु.रू.अंतिम अनुमान

1सं. : पहले संशोधित अनुमान

2सं. : दूसरे संशोधित अनुमान

3सं. : तीसरे संशोधित अनुमान

टिप्पणी: 1999-2000 से पूर्व के वर्षों के संबंध में कॉलम 7 के तहत जोड़ प्रत्येक उद्योग के स्तर पर पुनर्क-पूणक रूप से अपनाई गई स्टाइसिंग तकनीक के कारण कॉलम 2 से कॉलम 6 के तहत प्रत्येक मरू के जोड़ से संभवतः भेल न खाए।

सारणी 1.4 : मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)

(₹ करोड़)

वर्ष	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और ऊर्जन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलपूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (2 से 6)
1	2	3	4	5	6	7
2004-05 की कीमतों पर नई श्रृंखला						
1951-52	1.9	4.6	2.6	2.3	3.0	2.3
1952-53	3.1	-0.4	3.3	4.2	2.1	2.8
1953-54	7.5	6.2	3.7	1.4	3.1	6.1
1954-55	3.0	8.8	6.5	3.7	3.6	4.2
1955-56	-0.8	11.7	7.3	4.0	3.1	2.6
1956-57	5.4	9.0	7.3	1.6	3.8	5.7
1957-58	-4.1	-1.8	3.1	3.8	4.5	-1.2
1958-59	9.8	7.4	5.0	2.8	4.1	7.6
1959-60	-0.8	7.0	6.3	3.8	4.3	2.2
1960-61	7.1	10.8	8.6	2.1	4.9	7.1
1961-62	0.3	6.9	6.5	4.3	4.7	3.1
1962-63	-1.4	6.2	5.9	3.4	7.1	2.1
1963-64	2.4	10.7	7.1	3.1	6.6	5.1
1964-65	8.8	7.4	6.8	2.7	6.6	7.6
1965-66	-9.9	3.2	1.8	3.0	4.0	-3.7
1966-67	-1.2	3.7	2.6	1.8	4.6	1.0
1967-68	14.1	3.3	4.3	2.7	3.9	8.1
1968-69	0.0	5.1	4.5	4.9	4.5	2.6
1969-70	6.3	7.8	5.4	4.2	5.5	6.5
1970-71	6.3	1.6	4.9	4.2	5.5	5.0
1971-72	-1.7	2.5	2.3	5.2	4.5	1.0
1972-73	-4.4	3.4	2.2	3.9	3.3	-0.3
1973-74	6.9	0.5	4.2	2.4	2.6	4.6
1974-75	-1.2	1.0	6.0	-0.3	4.7	1.2
1975-76	12.8	6.5	9.1	6.9	3.5	9.0
1976-77	-5.2	9.3	4.5	7.9	2.8	1.2
1977-78	9.6	7.4	6.7	4.9	2.7	7.5
1978-79	2.3	7.3	8.2	7.1	4.3	4.3
1979-80	-11.9	-3.6	-0.8	1.0	7.3	-5.2
1980-81	12.8	4.5	5.6	1.9	5.0	7.2
1981-82	5.2	7.4	6.1	8.1	2.1	5.6
1982-83	0.6	0.2	5.5	9.5	7.7	2.9
1983-84	9.5	8.5	5.1	9.8	3.7	7.9
1984-85	1.6	4.4	4.8	7.5	6.9	4.0
1985-86	0.7	4.3	8.0	9.8	5.7	4.2
1986-87	0.6	4.9	6.0	10.5	7.5	4.3
1987-88	-1.1	5.8	5.1	7.2	7.2	3.5
1988-89	15.7	8.2	6.0	9.8	6.0	10.2
1989-90	1.8	8.4	7.4	12.4	7.9	6.1
1990-91	4.7	6.9	5.2	6.2	4.4	5.3
1991-92	-1.4	-0.1	2.3	10.8	2.6	1.4
1992-93	6.0	3.6	5.6	5.4	6.0	5.4
1993-94	3.1	6.1	6.9	11.2	4.5	5.7
1994-95	5.2	9.1	9.9	3.9	2.3	6.4
1995-96	0.0	12.0	13.4	8.1	7.3	7.3
1996-97	8.9	7.2	7.5	6.2	8.1	8.0
1997-98	-1.3	3.3	7.7	11.7	8.3	4.3
1998-99	5.9	4.3	7.7	7.8	9.7	6.7
1999-00	2.8	6.2	11.4	13.0	12.0	8.0
2000-01	0.3	6.5	6.4	3.5	4.6	4.1
2001-02	5.5	2.7	8.6	6.2	4.0	5.4
2002-03	-4.9	7.1	8.3	7.2	3.8	3.9
2003-04	8.2	7.9	11.2	5.3	5.3	8.0
2004-05	1.1	10.0	9.5	12.6	6.8	7.1
2005-06	4.6	10.7	12.0	14.0	2.8	9.5
2006-07	4.6	12.7	11.6	14.0	2.8	9.6
2007-08	5.5	10.3	10.9	12.0	6.9	9.3
2008-09	0.4	4.7	7.5	12.0	12.5	6.7
2009-10	1.5	9.5	10.4	9.7	11.7	8.6
2010-11(3सं)	8.3	7.6	12.2	10.0	4.2	8.9
2011-12(2सं)	4.4	8.5	4.3	11.3	4.9	6.7
2012-13(1सं)	1.0	1.2	5.1	10.9	5.3	4.5
2013-14(अनं.अनु.)	4.0	0.5	3.0	12.9	5.6	4.7

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

अनं.अनु.रू अनंतिम अनुमान

1सं. : पहले संशोधित अनुमान

2सं. : दूसरे संशोधित अनुमान

3सं. : तीसरे संशोधित अनुमान

सारणी 1.5 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण

(वर्तमान कीमतों पर)

(₹ करोड़)

वर्ष	सकल घरेलू बचत				सकल नियत पूंजी निर्माण			स्टॉक में परिवर्तन			सकल पूंजी निर्माण						
	घरेलू क्षेत्र	निजी कारपोरेट क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (9+10)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यवान मर्दे (12+13+14)	जोड़ (12+13+14)	भूल-चूक	समायोजित जोड़	बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(2004-05 श्रृंखला)																	
1950-51	681	93	215	989	264	704	968	26	140	165	290	844	na	1133	-165	968	10401
1951-52	634	136	309	1079	304	741	1045	30	143	173	334	884	na	1218	44	1262	11054
1952-53	695	64	195	954	324	650	974	-18	59	40	306	709	na	1014	-95	920	10850
1953-54	672	90	181	943	381	587	968	-26	-42	-67	355	545	na	901	29	930	11810
1954-55	774	118	213	1105	453	659	1112	45	-9	36	498	650	na	1148	-28	1121	11170
1955-56	1041	134	247	1422	619	765	1384	-25	77	53	594	842	na	1437	24	1461	11371
1956-57	1222	155	318	1696	721	1050	1771	37	198	235	758	1248	na	2006	49	2056	13547
1957-58	1028	121	336	1485	752	1051	1803	139	103	242	891	1154	na	2045	-87	1958	13951
1958-59	986	140	325	1450	817	965	1782	83	-81	2	900	884	na	1784	42	1826	15551
1959-60	1267	185	351	1803	1045	958	2003	12	198	209	1057	1156	na	2212	-178	2034	16384
1960-61	1226	281	572	2079	1215	1075	2290	63	265	328	1278	1340	na	2618	-58	2560	17942
1961-62	1237	320	654	2211	1269	1285	2554	29	247	276	1298	1532	na	2830	-274	2556	19010
1962-63	1519	344	750	2613	1510	1332	2842	97	260	357	1607	1592	na	3199	-146	3053	20429
1963-64	1589	394	929	2912	1794	1580	3374	87	188	275	1881	1768	na	3649	-297	3352	23462
1964-65	1897	389	1072	3358	2106	1866	3972	90	272	363	2196	2138	na	4335	-377	3958	27367
1965-66	2596	405	1085	4086	2348	2072	4420	124	192	316	2472	2264	na	4736	-51	4685	28857
1966-67	3161	424	941	4526	2360	2506	4866	64	450	514	2424	2956	na	5380	69	5449	32669
1967-68	3275	410	944	4629	2320	3075	5395	233	199	432	2553	3274	na	5827	-361	5466	38261
1968-69	3277	439	1165	4881	2431	3241	5672	41	55	96	2472	3296	na	5768	-471	5297	40512
1969-70	4375	549	1361	6285	2525	3667	6192	50	504	554	2575	4171	na	6746	-220	6526	44605
1970-71	4531	672	1618	6821	2742	3746	6488	302	507	809	3044	4253	na	7297	-82	7215	47638
1971-72	5229	769	1689	7687	3245	4234	7479	356	710	1066	3601	4944	na	8545	-380	8165	50999
1972-73	5330	806	1816	7952	4185	4295	8480	88	322	411	4273	4617	na	8891	-641	8249	56214
1973-74	8020	1083	2363	11466	4631	5044	9675	541	1097	1639	5172	6141	na	11314	545	11858	68420
1974-75	8677	1465	3340	13482	4948	7132	12080	938	1992	2929	5886	9124	na	15009	-874	14135	80770
1975-76	9790	1083	4192	15066	6401	7494	13895	1447	676	2123	7848	8170	na	16018	-1070	14949	86707
1976-77	11206	1181	5195	17582	8051	7495	15546	1121	272	1393	9172	7767	na	16939	-666	16273	93422
1977-78	13679	1413	5253	20345	8792	9043	17835	109	1278	1387	8901	10321	na	19222	-341	18880	105848
1978-79	16482	1652	5976	24110	9638	10081	19719	1100	2118	3218	10738	12199	na	22937	1301	24238	116447
1979-80	16338	2398	6331	25068	11532	11032	22564	1346	2445	3791	12878	13477	na	26355	-707	25648	125729
1980-81	18116	2339	6135	26590	13656	13159	26815	71	116	188	13727	13275	na	27003	1682	28684	149642
1981-82	19013	2560	9120	30692	17376	15274	32650	2006	3747	5753	19382	19021	na	38403	-5100	33303	175805
1982-83	21972	2980	10004	34956	22276	16629	38905	1136	3315	4451	23412	19944	na	43356	-5833	37522	196644
1983-84	26955	3254	9030	39239	24225	19780	44005	337	1450	1787	24562	21230	na	45792	-4037	41756	229021
1984-85	32796	4040	8950	45786	27823	22626	50449	1676	3144	4820	29499	25770	na	55269	-6191	49078	256611

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

(जारी...)

1सं. : पहले संशोधित अनुमान

2सं. : दूसरे संशोधित अनुमान

3सं. : तीसरे संशोधित अनुमान

सारणी 1.5 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण (जारी...)

(वर्तमान कीमतों पर)

(₹ करोड़)

वर्ष	सकल घरेलू बचत				सकल नियत पूंजी निर्माण			स्टाक में परिवर्तन			सकल पूंजी निर्माण						
	घरेलू क्षेत्र	निजी कारपोरेट क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (9+10)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यवान मर्दे (12+13+14)	जोड़ (12+13+14)	भूल-चूक	समायोजित जोड़	बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(2004-05 श्रृंखला)																	
1985-86	36666	5426	11322	53414	32590	27050	59640	1932	6383	8314	34522	33433	na	67954	-8306	59648	289524
1986-87	42111	5336	11246	58693	39723	29753	69476	896	5636	6532	40619	35389	na	76008	-10960	65048	323949
1987-88	57304	5932	10471	73707	41211	39993	81204	-1515	3534	2019	39696	43527	na	83223	-2691	80532	368211
1988-89	67063	8486	11943	87492	47566	48051	95617	-493	9036	8543	47073	57087	na	104160	-4364	99796	436893
1989-90	82985	11845	11900	106730	52517	61476	113993	1690	4324	6014	54207	65800	na	120007	-998	119009	501928
1990-91	108603	15164	10641	134408	60013	79650	139663	1987	4368	6355	62000	84018	na	146018	6586	152604	586212
1991-92	105632	20304	17594	143530	70701	81765	152466	-2207	1304	-903	68494	83069	na	151563	-4656	146907	673875
1992-93	127943	19968	16709	164621	71197	106732	177929	2657	7182	9839	73854	113914	na	187768	-9331	178437	774545
1993-94	151454	29866	11674	192994	79309	112147	191456	1974	-3693	-1719	81283	108454	na	189737	8048	197785	891355
1994-95	187142	35260	24266	246668	102134	126308	228442	-604	14676	14072	101530	140984	na	242514	16047	258561	1045590
1995-96	198585	59153	31527	289265	105704	189342	295046	-613	25170	24557	105091	214512	na	319603	-9558	310045	1226725
1996-97	224653	62540	31194	318387	108750	219296	328046	1883	-16873	-14991	110633	202423	na	313055	23069	336125	1419277
1997-98	284127	66080	29583	379790	112814	259587	372401	3553	9491	13044	116367	269078	na	385445	16647	402092	1572394
1998-99	352114	69191	-3146	418159	128621	298448	427069	2277	-5300	-3023	130898	293148	na	424046	12475	436521	1803378
1999-00	438851	87234	-9238	516847	138611	346055	484666	15553	26944	42497	154164	372999	15519	542682	-3848	538834	2023130
2000-01	463750	81062	-29266	515545	145973	349223	495196	9326	5831	15158	155299	355054	14724	525078	3222	528299	2177413
2001-02	545288	76906	-36820	585374	160190	430050	590240	9079	-11050	-1971	169269	419000	14187	602456	-31310	571146	2355845
2002-03	564161	99217	-7148	656230	168143	432977	601120	-4740	22940	18200	163403	455917	13957	633277	-5534	627743	2536327
2003-04	657587	129816	36372	823775	190806	506672	697478	-3076	23743	20667	187730	530415	24572	742717	19699	762416	2841503
2004-05	763685	212519	74499	1050703	224108	706920	931028	16472	63678	80150	240580	770598	41054	1052231	11809	1064041	3242209
2005-06	868988	277208	88955	1235151	271342	848950	1120292	22008	82381	104389	293350	931331	41392	1266073	13681	1279754	3693369
2006-07	994396	338584	152929	1485909	339617	1004157	1343774	16939	130162	147101	356556	1134319	49709	1540583	-9151	1531433	4294706
2007-08	1118347	469023	248962	1836332	401326	1240347	1641673	40597	160937	201534	441923	1401284	53592	1896799	3963	1900762	4987090
2008-09	1330873	417467	54280	1802620	480698	1340401	1821099	51032	55759	106791	531730	1396160	72213	2000103	-68723	1931380	5630063
2009-10	1630799	540955	10585	2182338	543883	1511889	2055772	48905	130266	179171	592788	1642155	116312	2351255	11878	2363132	6477827
2010-11(3R)	1800174	620300	201268	2621742	609189	1797881	2407069	47259	226250	273509	656448	2024131	162836	2843415	-1957	2841457	7784115
2011-12(2R)	2054737	658428	111295	2824459	639157	2221905	2861062	56678	113918	170596	695835	2335823	246673	3278331	-77698	3200633	9009722
2012-13(1R)	2212414	713141	117919	3043474	789108	2282434	3071543	32854	138330	171184	821962	2420764	266482	3509208	12191	3521399	10113281

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1सं. : पहले संशोधित अनुमान

2सं. : दूसरे संशोधित अनुमान

3सं. : तीसरे संशोधित अनुमान

सारणी 1.6 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण

(चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के रूप में)

वर्ष	सकल घरेलू बचत				सकल नियत पूंजी निर्माण			स्टाक में परिवर्तन			सकल पूंजी निर्माण					
	घरेलू क्षेत्र	निजी कारपोरेट क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (9+10)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यवान मर्दे	जोड़ (12+13+14)	भूल-चूक	समायोजित जोड़ (15+16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1950-51	6.5	0.9	2.1	9.5	2.5	6.8	9.3	0.2	1.3	1.6	2.8	8.1	उ.न.	10.9	-1.6	9.3
1951-52	5.7	1.2	2.8	9.8	2.8	6.7	9.5	0.3	1.3	1.6	3.0	8.0	उ.न.	11.0	0.4	11.4
1952-53	6.4	0.6	1.8	8.8	3.0	6.0	9.0	-0.2	0.5	0.4	2.8	6.5	उ.न.	9.3	-0.9	8.5
1953-54	5.7	0.8	1.5	8.0	3.2	5.0	8.2	-0.2	-0.4	-0.6	3.0	4.6	उ.न.	7.6	0.2	7.9
1954-55	6.9	1.1	1.9	9.9	4.1	5.9	10.0	0.4	-0.1	0.3	4.5	5.8	उ.न.	10.3	-0.2	10.0
1955-56	9.2	1.2	2.2	12.5	5.4	6.7	12.2	-0.2	0.7	0.5	5.2	7.4	उ.न.	12.6	0.2	12.8
1956-57	9.0	1.1	2.4	12.5	5.3	7.8	13.1	0.3	1.5	1.7	5.6	9.2	उ.न.	14.8	0.4	15.2
1957-58	7.4	0.9	2.4	10.6	5.4	7.5	12.9	1.0	0.7	1.7	6.4	8.3	उ.न.	14.7	-0.6	14.0
1958-59	6.3	0.9	2.1	9.3	5.3	6.2	11.5	0.5	-0.5	0.0	5.8	5.7	उ.न.	11.5	0.3	11.7
1959-60	7.7	1.1	2.1	11.0	6.4	5.8	12.2	0.1	1.2	1.3	6.4	7.1	उ.न.	13.5	-1.1	12.4
1960-61	6.8	1.6	3.2	11.6	6.8	6.0	12.8	0.4	1.5	1.8	7.1	7.5	उ.न.	14.6	-0.3	14.3
1961-62	6.5	1.7	3.4	11.6	6.7	6.8	13.4	0.2	1.3	1.5	6.8	8.1	उ.न.	14.9	-1.4	13.4
1962-63	7.4	1.7	3.7	12.8	7.4	6.5	13.9	0.5	1.3	1.7	7.9	7.8	उ.न.	15.7	-0.7	14.9
1963-64	6.8	1.7	4.0	12.4	7.6	6.7	14.4	0.4	0.8	1.2	8.0	7.5	उ.न.	15.6	-1.3	14.3
1964-65	6.9	1.4	3.9	12.3	7.7	6.8	14.5	0.3	1.0	1.3	8.0	7.8	उ.न.	15.8	-1.4	14.5
1965-66	9.0	1.4	3.8	14.2	8.1	7.2	15.3	0.4	0.7	1.1	8.6	7.8	उ.न.	16.4	-0.2	16.2
1966-67	9.7	1.3	2.9	13.9	7.2	7.7	14.9	0.2	1.4	1.6	7.4	9.0	उ.न.	16.5	0.2	16.7
1967-68	8.6	1.1	2.5	12.1	6.1	8.0	14.1	0.6	0.5	1.1	6.7	8.6	उ.न.	15.2	-0.9	14.3
1968-69	8.1	1.1	2.9	12.0	6.0	8.0	14.0	0.1	0.1	0.2	6.1	8.1	उ.न.	14.2	-1.2	13.1
1969-70	9.8	1.2	3.1	14.1	5.7	8.2	13.9	0.1	1.1	1.2	5.8	9.4	उ.न.	15.1	-0.5	14.6
1970-71	9.5	1.4	3.4	14.3	5.8	7.9	13.6	0.6	1.1	1.7	6.4	8.9	उ.न.	15.3	-0.2	15.1
1971-72	10.3	1.5	3.3	15.1	6.4	8.3	14.7	0.7	1.4	2.1	7.1	9.7	उ.न.	16.8	-0.7	16.0
1972-73	9.5	1.4	3.2	14.1	7.4	7.6	15.1	0.2	0.6	0.7	7.6	8.2	उ.न.	15.8	-1.1	14.7
1973-74	11.7	1.6	3.5	16.8	6.8	7.4	14.1	0.8	1.6	2.4	7.6	9.0	उ.न.	16.5	0.8	17.3
1974-75	10.7	1.8	4.1	16.7	6.1	8.8	15.0	1.2	2.5	3.6	7.3	11.3	उ.न.	18.6	-1.1	17.5
1975-76	11.3	1.2	4.8	17.4	7.4	8.6	16.0	1.7	0.8	2.4	9.1	9.4	उ.न.	18.5	-1.2	17.2
1976-77	12.0	1.3	5.6	18.8	8.6	8.0	16.6	1.2	0.3	1.5	9.8	8.3	उ.न.	18.1	-0.7	17.4
1977-78	12.9	1.3	5.0	19.2	8.3	8.5	16.8	0.1	1.2	1.3	8.4	9.8	उ.न.	18.2	-0.3	17.8
1978-79	14.4	1.4	5.2	21.0	8.4	8.8	17.2	1.0	1.8	2.8	9.4	10.6	उ.न.	20.0	1.1	21.1
1979-80	13.0	1.9	5.0	19.9	9.2	8.8	17.9	1.1	1.9	3.0	10.2	10.7	उ.न.	21.0	-0.6	20.4
1980-81	12.1	1.6	4.1	17.8	9.1	8.8	17.9	0.0	0.1	0.1	9.2	8.9	उ.न.	18.0	1.1	19.2
1981-82	10.8	1.5	5.2	17.5	9.9	8.7	18.6	1.1	2.1	3.3	11.0	10.8	उ.न.	21.8	-2.9	18.9
1982-83	11.2	1.5	5.1	17.8	11.3	8.5	19.8	0.6	1.7	2.3	11.9	10.1	उ.न.	22.0	-3.0	19.1
1983-84	11.8	1.4	3.9	17.1	10.6	8.6	19.2	0.1	0.6	0.8	10.7	9.3	उ.न.	20.0	-1.8	18.2
1984-85	12.8	1.6	3.5	17.8	10.8	8.8	19.7	0.7	1.2	1.9	11.5	10.0	उ.न.	21.5	-2.4	19.1

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

उ.न. - उपलब्ध नहीं।

1सं. : पहले संशोधित अनुमान

2सं. : दूसरे संशोधित अनुमान

3सं. : तीसरे संशोधित अनुमान

(जारी ...)

सारणी 1.6 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण (जारी...)

(चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के रूप में)

वर्ष	सकल घरेलू बचत				सकल नियत पूंजी निर्माण			स्टॉक में परिवर्तन			सकल पूंजी निर्माण					
	घरेलू क्षेत्र	निजी कारपोरेट क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (9+10)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यवान मर्दे	जोड़ (12+13+14)	भूल-चूक	समायोजित जोड़ (15+16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1985-86	12.7	1.9	3.9	18.4	11.3	9.3	20.6	0.7	2.2	2.9	11.9	11.5	उ.न.	23.5	-2.9	20.6
1986-87	13.0	1.6	3.5	18.1	12.3	9.2	21.4	0.3	1.7	2.0	12.5	10.9	उ.न.	23.5	-3.4	20.1
1987-88	15.6	1.6	2.8	20.0	11.2	10.9	22.1	-0.4	1.0	0.5	10.8	11.8	उ.न.	22.6	-0.7	21.9
1988-89	15.3	1.9	2.7	20.0	10.9	11.0	21.9	-0.1	2.1	2.0	10.8	13.1	उ.न.	23.8	-1.0	22.8
1989-90	16.5	2.4	2.4	21.3	10.5	12.2	22.7	0.3	0.9	1.2	10.8	13.1	उ.न.	23.9	-0.2	23.7
1990-91	18.5	2.6	1.8	22.9	10.2	13.6	23.8	0.3	0.7	1.1	10.6	14.3	उ.न.	24.9	1.1	26.0
1991-92	15.7	3.0	2.6	21.3	10.5	12.1	22.6	-0.3	0.2	-0.1	10.2	12.3	उ.न.	22.5	-0.7	21.8
1992-93	16.5	2.6	2.2	21.3	9.2	13.8	23.0	0.3	0.9	1.3	9.5	14.7	उ.न.	24.2	-1.2	23.0
1993-94	17.0	3.4	1.3	21.7	8.9	12.6	21.5	0.2	-0.4	-0.2	9.1	12.2	उ.न.	21.3	0.9	22.2
1994-95	17.9	3.4	2.3	23.6	9.8	12.1	21.8	-0.1	1.4	1.3	9.7	13.5	उ.न.	23.2	1.5	24.7
1995-96	16.2	4.8	2.6	23.6	8.6	15.4	24.1	-0.1	2.1	2.0	8.6	17.5	उ.न.	26.1	-0.8	25.3
1996-97	15.8	4.4	2.2	22.4	7.7	15.5	23.1	0.1	-1.2	-1.1	7.8	14.3	उ.न.	22.1	1.6	23.7
1997-98	18.1	4.2	1.9	24.2	7.2	16.5	23.7	0.2	0.6	0.8	7.4	17.1	उ.न.	24.5	1.1	25.6
1998-99	19.5	3.8	-0.2	23.2	7.1	16.5	23.7	0.1	-0.3	-0.2	7.3	16.3	उ.न.	23.5	0.7	24.2
1999-00	21.7	4.3	-0.5	25.5	6.9	17.1	24.0	0.8	1.3	2.1	7.6	18.4	0.8	26.8	-0.2	26.6
2000-01	21.3	3.7	-1.3	23.7	6.7	16.0	22.7	0.4	0.3	0.7	7.1	16.3	0.7	24.1	0.1	24.3
2001-02	23.1	3.3	-1.6	24.8	6.8	18.3	25.1	0.4	-0.5	-0.1	7.2	17.8	0.6	25.6	-1.3	24.2
2002-03	22.2	3.9	-0.3	25.9	6.6	17.1	23.7	-0.2	0.9	0.7	6.4	18.0	0.6	25.0	-0.2	24.8
2003-04	23.1	4.6	1.3	29.0	6.7	17.8	24.5	-0.1	0.8	0.7	6.6	18.7	0.9	26.1	0.7	26.8
2004-05	23.6	6.6	2.3	32.4	6.9	21.8	28.7	0.5	2.0	2.5	7.4	23.8	1.3	32.5	0.4	32.8
2005-06	23.5	7.5	2.4	33.4	7.3	23.0	30.3	0.6	2.2	2.8	7.9	25.2	1.1	34.3	0.4	34.7
2006-07	23.2	7.9	3.6	34.6	7.9	23.4	31.3	0.4	3.0	3.4	8.3	26.4	1.2	35.9	-0.2	35.7
2007-08	22.4	9.4	5.0	36.8	8.0	24.9	32.9	0.8	3.2	4.0	8.9	28.1	1.1	38.0	0.1	38.1
2008-09	23.6	7.4	1.0	32.0	8.5	23.8	32.3	0.9	1.0	1.9	9.4	24.8	1.3	35.5	-1.2	34.3
2009-10	25.2	8.4	0.2	33.7	8.4	23.3	31.7	0.8	2.0	2.8	9.2	25.4	1.8	36.3	0.2	36.5
2010-11(3सं.)	23.1	8.0	2.6	33.7	7.8	23.1	30.9	0.6	2.9	3.5	8.4	26.0	2.1	36.5	0.0	36.5
2011-12(2सं.)	22.8	7.3	1.2	31.3	7.1	24.7	31.8	0.6	1.3	1.9	7.7	25.9	2.7	36.4	-0.9	35.5
2012-13(1सं.)	21.9	7.1	1.2	30.1	7.8	22.6	30.4	0.3	1.4	1.7	8.1	23.9	2.6	34.7	0.1	34.8

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1सं. : पहले संशोधित अनुमान

2सं. : दूसरे संशोधित अनुमान

3सं. : तीसरे संशोधित अनुमान

(जारी ...)

सारणी 1.7 : वर्तमान कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद

01.03.2014 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(₹ करोड़)										(पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि)									
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	आन्ध्र प्रदेश	201303	229367	269120	325955	384005	427560	524695	594117	678524	773159	13.94	17.33	21.12	17.81	11.34	22.72	13.23	14.21	13.95	
2.	अरुणाचल प्रदेश	3188	3439	3765	4407	5199	6840	8347	9841	11218	12412	7.87	9.48	17.05	17.97	31.56	22.03	17.90	13.99	10.64	
3.	असम	47181	52440	57033	62342	71478	85253	100627	112126	126149	146199	11.15	8.76	9.31	14.65	19.27	18.03	11.43	12.51	15.89	
4.	बिहार	70167	74144	91331	102853	129690	148152	186479	225704	287129	338056	5.67	23.18	12.62	26.09	14.24	25.87	21.03	27.21	17.74	
5.	छत्तीसगढ़	41387	45664	57536	69348	82809	84196	102912	113487	131796	151023	10.33	26.00	20.53	19.41	1.67	22.23	10.28	16.13	14.59	
6.	गोवा	10999	12488	14394	17045	22149	25224	29387	31419	29888	उ.न.	13.54	15.26	18.42	29.94	13.88	16.50	6.91	-4.87	उ.न.	
7.	गुजरात	172265	206440	240733	281579	314485	371187	454853	518560	584367	उ.न.	19.84	16.61	16.97	11.69	18.03	22.54	14.01	12.69	उ.न.	
8.	हरियाणा	86222	97903	116104	136584	164636	203855	237163	274970	314107	357904	13.55	18.59	17.64	20.54	23.82	16.34	15.94	14.23	13.94	
9.	हिमाचल प्रदेश	21189	23743	26247	28873	33115	39141	46216	51885	58489	64995	12.05	10.55	10.00	14.69	18.20	18.08	12.27	12.73	11.12	
10.	जम्मू और कश्मीर	23292	25278	27652	30720	34290	38718	46740	53361	61544	70874	8.53	9.39	11.10	11.62	12.91	20.72	14.17	15.34	15.16	
11.	झारखंड	53056	53358	58512	74388	76234	87112	108652	122975	141644	163346	0.57	9.66	27.13	2.48	14.27	24.73	13.18	15.18	15.32	
12.	कर्नाटक	148729	174911	203819	243028	278534	300747	368338	407861	466810	529191	17.60	16.53	19.24	14.61	7.97	22.47	10.73	14.45	13.36	
13.	केरल	104776	120269	135104	153981	180134	206070	233177	272065	309332	उ.न.	14.79	12.33	13.97	16.98	14.40	13.15	16.68	13.70	उ.न.	
14.	मध्य प्रदेश	99940	109612	127663	142917	175503	202225	232794	276789	333010	406055	9.68	16.47	11.95	22.80	15.23	15.12	18.90	20.31	21.93	
15.	महाराष्ट्र	370023	437103	526910	619884	677781	770794	934376	1082751	1239104	उ.न.	18.13	20.55	17.65	9.34	13.72	21.22	15.88	14.44	उ.न.	
16.	मणिपुर	4603	5138	5503	6049	6614	7372	8020	9216	10489	उ.न.	11.62	7.10	9.92	9.34	11.46	8.79	14.91	13.81	उ.न.	
17.	मेघालय	5846	6461	7701	8619	10341	11122	12852	14422	15884	18229	10.52	19.19	11.92	19.98	7.55	15.55	12.22	10.14	14.76	
18.	मिजोरम	2400	2664	2944	3411	4154	4717	5772	6492	7249	उ.न.	11.00	10.51	15.86	21.78	13.55	22.37	12.47	11.66	उ.न.	
19.	नागालैण्ड	5421	6116	6728	7477	8784	9711	10850	12188	13682	उ.न.	12.82	10.01	11.13	17.48	10.55	11.73	12.33	12.26	उ.न.	
20.	उड़ीसा	67987	73550	87921	111109	127516	135837	164760	176822	210683	235166	8.18	19.54	26.37	14.77	6.53	21.29	7.32	19.15	11.62	
21.	पंजाब	86108	95902	113013	135706	154827	176187	202025	228976	256563	286875	11.37	17.84	20.08	14.09	13.80	14.67	13.34	12.05	11.81	
22.	राजस्थान	112636	125333	151428	172250	203939	233767	300907	361067	410834	459322	11.27	20.82	13.75	18.40	14.63	28.72	19.99	13.78	11.80	
23.	सिक्किम	1511	1733	1871	2139	2796	5463	6636	7700	8886	उ.न.	14.69	7.96	14.32	30.72	95.39	21.47	16.03	15.40	उ.न.	
24.	तमिलनाडु	193645	228846	276711	313812	359391	430013	527912	600461	671192	769476	18.18	20.92	13.41	14.52	19.65	22.77	13.74	11.78	14.64	
25.	त्रिपुरा	8170	9040	9981	10808	12509	14162	16573	19690	22453	उ.न.	10.65	10.41	8.29	15.74	13.21	17.02	18.81	14.03	उ.न.	
26.	उत्तर प्रदेश	231029	258643	296767	335810	392771	463583	532096	604135	683651	788421	11.95	14.74	13.16	16.96	18.03	14.78	13.54	13.16	15.33	
27.	उत्तराखण्ड	22288	26968	32670	40279	48616	61138	72970	84953	99157	115868	21.00	21.14	23.29	20.70	25.76	19.35	16.42	16.72	16.85	
28.	पश्चिम बंगाल	190029	209726	238629	273557	310530	362517	421231	492356	567594	646794	10.37	13.78	14.64	13.52	16.74	16.20	16.89	15.28	13.95	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1633	1848	2296	2715	3168	3742	3941	4309	4597	4852	13.17	24.24	18.25	16.69	18.12	5.32	9.34	6.68	5.55	
30.	चण्डीगढ़	7610	9179	11074	12327	13745	15739	17886	20846	23613	उ.न.	20.62	20.64	11.31	11.50	14.51	13.64	16.55	13.27	उ.न.	
31.	दिल्ली	94717	109127	128276	149519	178822	205376	241234	282717	332521	387097	15.21	17.55	16.56	19.60	14.85	17.46	17.20	17.62	16.41	
32.	पुडुचेरी	5033	7135	7429	8179	8908	11085	11786	13327	15887	20193	41.76	4.12	10.10	8.91	24.44	6.32	13.07	19.21	27.10	
अ.भा.रा.घ.उ. (2004-05 आधार)		2651573	3026782	3534547	4097390	4738369	5449104	6488641	7511795	8372744	9366143	14.15	16.78	15.92	15.64	15.00	19.08	15.77	11.46	11.86	

स्रोत : क्रम सं 1-32 के लिए: संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत के लिए-केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

उ.न. : 01 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध नहीं।

सारणी 1.8 : वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद
01.03.2014 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(₹)										(पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि)									
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	आन्ध्र प्रदेश	25321	28539	33135	39727	46345	51114	62148	69742	78958	89214	12.71	16.10	19.89	16.66	10.29	21.59	12.22	13.21	12.99	
2.	अरुणाचल प्रदेश	26721	28171	30132	34466	39726	51068	60896	70159	78145	84484	5.42	6.96	14.38	15.26	28.55	19.25	15.21	11.38	8.11	
3.	असम	16782	18396	19737	21290	24099	28383	33087	36415	40475	46354	9.62	7.29	7.87	13.19	17.78	16.57	10.06	11.15	14.53	
4.	बिहार	7914	8223	9967	11051	13728	15457	19187	22913	28774	33459	3.90	21.21	10.88	24.22	12.59	24.13	19.42	25.58	16.28	
5.	छत्तीसगढ़	18559	20117	24800	29385	34360	34366	41165	44505	50691	56990	8.39	23.28	18.49	16.93	0.02	19.78	8.11	13.90	12.43	
6.	गोवा	76968	84721	94882	108708	135966	149164	168024	174645	161822	उ.न.	10.07	11.99	14.57	25.07	9.71	12.64	3.94	-7.34	उ.न.	
7.	गुजरात	32021	37780	43395	50016	55068	64097	77485	87175	96976	उ.न.	17.99	14.86	15.26	10.10	16.40	20.89	12.51	11.24	उ.न.	
8.	हरियाणा	37972	42309	49261	56917	67405	82037	93852	107051	120352	135007	11.42	16.43	15.54	18.43	21.71	14.40	14.06	12.43	12.18	
9.	हिमाचल प्रदेश	33348	36949	40393	43966	49903	58402	68297	75185	83899	92300	10.80	9.32	8.85	13.50	17.03	16.94	10.09	11.59	10.01	
10.	जम्मू और कश्मीर	21734	23240	25059	27448	30212	33650	40089	45198	51493	58593	6.93	7.83	9.53	10.07	11.38	19.14	12.74	13.93	13.79	
11.	झारखंड	18510	18326	19789	24789	25046	28223	34721	38760	44045	50125	-0.99	7.98	25.27	1.04	12.68	23.02	11.63	13.64	13.80	
12.	कर्नाटक	26882	31239	35981	42419	48084	51364	62251	68227	77309	86788	16.21	15.18	17.89	13.35	6.82	21.20	9.60	13.31	12.26	
13.	केरल	31871	36276	40419	45700	53046	60226	67652	78387	88527	उ.न.	13.82	11.42	13.07	16.07	13.54	12.33	15.87	12.94	उ.न.	
14.	मध्य प्रदेश	15442	16631	19028	20935	25278	28651	32453	37979	44989	54030	7.70	14.41	10.03	20.75	13.34	13.27	17.03	18.46	20.10	
15.	महाराष्ट्र	36077	41965	49831	57760	62234	69765	83395	95339	107670	उ.न.	16.32	18.74	15.91	7.75	12.10	19.54	14.32	12.93	उ.न.	
16.	मणिपुर	18640	20395	21419	23093	24773	27095	28931	32641	36474	उ.न.	9.42	5.02	7.82	7.27	9.37	6.78	12.82	11.74	उ.न.	
17.	मेघालय	24086	26284	30952	34229	40583	43142	49261	54648	59513	67515	9.13	17.76	10.59	18.56	6.31	14.18	10.94	8.90	13.45	
18.	मिजोरम	24662	26698	28764	32488	38582	42715	50956	55886	60836	उ.न.	8.26	7.74	12.95	18.76	10.71	19.29	9.68	8.86	उ.न.	
19.	नागालैण्ड	30441	33792	36568	39985	46207	50263	55582	60578	65908	उ.न.	11.01	8.21	9.35	15.56	8.78	10.58	8.99	8.80	उ.न.	
20.	उड़ीसा	17650	18846	22237	27735	31416	33029	39537	41876	49241	54241	6.78	17.99	24.73	13.27	5.13	19.71	5.92	17.59	10.15	
21.	पंजाब	33103	36199	41883	49380	55315	61805	69582	77433	86106	94532	9.35	15.70	17.90	12.02	11.73	12.58	11.28	11.20	9.79	
22.	राजस्थान	18565	20275	24055	26882	31279	35254	44644	52735	59097	65098	9.21	18.65	11.75	16.36	12.71	26.64	18.12	12.06	10.15	
23.	सिक्किम	26690	30252	32199	36448	46983	90749	108972	124791	142625	उ.न.	13.35	6.43	13.20	28.91	93.15	20.08	14.52	14.29	उ.न.	
24.	तमिलनाडु	30062	35243	42288	47606	54137	64338	78473	88697	98550	112331	17.24	19.99	12.58	13.72	18.84	21.97	13.03	11.11	13.98	
25.	त्रिपुरा	24394	26668	29081	31111	35587	39815	46050	54077	60963	उ.न.	9.32	9.05	6.98	14.39	11.88	15.66	17.43	12.73	उ.न.	
26.	उत्तर प्रदेश	12950	14221	16013	17785	20422	23671	26692	29785	33137	37579	9.82	12.60	11.07	14.83	15.91	12.76	11.59	11.25	13.41	
27.	उत्तराखण्ड	24726	29441	35111	42619	50657	62757	73819	84724	97528	112428	19.07	19.26	21.38	18.86	23.89	17.63	14.77	15.11	15.28	
28.	पश्चिम बंगाल	22649	24720	27823	31567	35487	41039	47245	54714	62509	70615	9.14	12.55	13.46	12.42	15.65	15.12	15.81	14.25	12.97	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	40921	44754	53778	61430	69177	78936	80588	85845	89259	91899	9.37	20.16	14.23	12.61	14.11	2.09	6.52	3.98	2.96	
30.	चण्डीगढ़	74173	84993	97568	102980	108486	117371	126674	140852	152344	उ.न.	14.59	14.80	5.55	5.35	8.19	7.93	11.19	8.16	उ.न.	
31.	दिल्ली	63877	72208	83275	95241	111756	125936	145129	166883	192587	219979	13.04	15.33	14.37	17.34	12.69	15.24	14.99	15.40	14.22	
32.	पुडुचेरी	48302	67205	68673	74201	79306	96860	101072	105472	122654	152090	39.14	2.18	8.05	6.88	22.13	4.35	4.35	16.29	24.00	
अ.भा. प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (2004-05 आधार)		24143	27131	31206	35825	40775	46249	54021	61855	67839	74920	12.38	15.02	14.80	13.82	13.42	16.80	14.50	9.67	10.44	

स्रोत : क्रम सं. 1-32 के लिए: संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत के लिए-केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

उ.न. : 01 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध नहीं।

सारणी 1.9 : प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का सूचकांक

(आधार : 1981-82 को समाप्त त्रिवर्षीय = 100)

	भारत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. खाद्यान्न	50.7	105.4	106.5	100.6	114.3	118.8	119.4	122.9
(क) अनाज	41.7	105.5	107.4	100.2	111.1	118.1	117.3	119.7
चावल	16.9	102.9	105.6	94.8	102.2	112.1	112.0	113.0
गेहूं	18.0	105.4	108.2	108.3	116.5	127.2	125.4	128.2
(ख) मोटे अनाज ^क	6.9	112.1	110.0	92.3	118.9	114.8	109.2	113.6
मक्का	2.9	116.6	121.4	102.9	133.7	133.9	136.9	143.3
(ग) दालें ^ख	8.9	105.1	102.0	102.3	129.3	121.3	129.2	138.3
चना	3.5	97.5	119.8	126.8	139.5	130.7	149.9	166.0
तूर	1.7	113.5	83.6	91.0	105.6	98.0	111.6	123.2
ख. गैर-खाद्यान्न	49.3	108.6	107.5	104.9	128.0	131.2	129.1	135.0
(क) तिलहन जोड़ ^ग	13.2	108.6	100.8	88.9	116.8	106.5	107.4	119.0
मूंगफली	4.1	125.0	97.6	73.9	112.5	94.8	63.9	124.4
रेपसीड और सरसों	3.6	81.8	100.9	92.6	114.6	92.6	112.5	115.7
(ख) रेशे								
कपास	4.4	115.9	99.7	107.5	147.7	157.6	153.2	159.4
जूट	0.7	100.5	94.7	110.4	98.4	105.6	101.7	105.4
मेस्ता	0.0	105.5	77.9	62.5	65.1	70.6	62.8	62.1
(ग) बागानी फसलें								
चाय	0.3	95.9	98.8	100.7	98.2	99.2	99.2	99.2
काफी	0.6	95.4	95.5	105.4	110.0	114.3	115.8	115.8
रबड़	1.9	99.8	104.5	100.5	104.2	109.3	110.5	110.5
(ग) अन्य								
गन्ना	9.9	106.1	86.8	89.0	104.3	110.0	103.9	105.4
तम्बाकू	0.4	93.0	115.1	141.6	170.6	160.0	139.8	139.8
आलू	3.6	114.6	138.4	147.2	170.4	166.9	182.5	186.9
ग. सभी खाद्य वस्तुएं	100.0	107.0	107.0	102.7	121.0	125.2	124.2	128.9

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग।

* दूसरे अग्रिम अनुमान

क मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और बजरा शामिल हैं

ख तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर और अन्य दालें

ग मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, नाइजरसीड, अरंडी, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल हैं।

सारणी 1.10 : प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का सूचकांक

(आधार : 2007-08 को समाप्त त्रिवर्षीय = 100)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4	5	6	7	8
क. खाद्यान्न	101.2	100.9	100.0	104.4	104.0	102.0	105.4
(क) अनाज	100.9	101.6	99.5	101.8	103.3	101.7	104.2
चावल	100.3	104.0	95.7	97.9	100.5	97.6	100.4
गेहूं	101.9	100.9	103.5	105.7	108.6	109.1	111.3
(ख) मोटे अनाज ^क	99.9	97.9	98.5	101.2	96.4	92.1	94.9
मक्का	103.2	103.9	105.0	108.7	111.6	110.2	115.5
(ग) दालें ^ख	102.3	97.3	102.2	116.4	107.5	103.8	111.1
चना	103.0	107.8	111.6	125.5	113.4	116.4	131.9
तूर							
ख. गैर-खाद्यान्न	103.2	106.1	104.3	114.0	116.5	116.2	118.4
(क) तिलहन जोड़ ^ग	98.5	101.8	94.8	101.0	97.5	97.5	105.0
मूंगफली	101.2	99.2	88.1	94.2	84.7	76.0	89.6
रेपसीड और सरसों	87.9	95.0	84.3	104.1	88.9	96.0	100.0
(ख) रेशे							
कपास	103.7	103.6	111.6	123.8	134.1	131.9	127.9
जूट	103.2	99.6	102.8	98.1	102.5	98.4	97.0
मेस्ता	102.9	81.1	66.3	69.4	67.3	60.4	57.1
(ग) बागानी फसलें							
चाय	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2
काफी	113.2	115.0	116.5	118.0	119.5	121.1	121.1
रबड़	103.1	107.5	111.4	115.5	119.3	123.0	123.0
(ग) अन्य							
गन्ना	105.3	91.9	86.9	101.7	104.9	104.1	104.8
तम्बाकू	95.9	107.6	122.0	135.3	128.3	117.3	117.3
आलू	105.0	123.6	124.0	125.9	128.9	134.6	137.3
ग. सभी खाद्य वस्तुएं	102.2	103.5	102.1	109.1	110.2	109.0	111.8

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग।

* दूसरे अग्रिम अनुमान

क मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और बजरा शामिल हैं

ख तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर और अन्य दालें

ग मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, नाइजरसीड, अरंडी, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल हैं।

सारणी 1.11 : प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का सूचकांक

(आधार : 2007-08 को समाप्त त्रिवर्षीय = 100)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4	5	6	7	8
क. खाद्यान्न	104.2	105.5	100.6	109.5	114.8	117.0	116.7
(क) अनाज	104.5	105.7	100.7	109.1	115.3	115.4	114.9
चावल	102.6	101.5	99.1	104.4	111.5	114.7	112.6
गेहूं	103.4	107.2	104.7	110.2	117.2	114.9	115.2
(ख) मोटे अनाज ^क	112.3	112.4	93.8	117.5	119.3	118.6	119.7
मक्का	113.0	116.8	97.9	122.9	119.9	124.2	124.0
(ग) दालें ^ख	102.7	104.9	100.1	111.1	112.8	124.5	124.6
चना	94.7	111.1	113.7	111.2	115.3	128.7	125.9
तूर	110.4	89.7	95.1	87.6	88.6	103.8	114.8
ख. गैर-खाद्यान्न	105.2	101.4	100.6	112.2	112.6	111.1	114.0
(क) तिलहन जोड़ ^ग	110.3	99.0	93.8	115.7	109.3	110.1	113.4
मूंगफली	123.5	98.4	83.8	119.4	111.9	84.1	138.9
रेपसीड और सरसों	93.1	106.3	109.9	110.2	104.1	117.3	115.7
(ख) रेशे							
कपास	111.7	96.2	96.4	119.4	117.5	116.1	124.6
जूट	97.4	95.1	107.4	100.4	103.0	103.3	108.7
मेस्ता	102.5	96.0	94.3	93.8	104.9	104.0	108.8
(ग) बागानी फसलें							
चाय	97.7	100.6	102.5	100.0	101.1	101.1	101.1
काफी	84.3	83.1	90.5	93.2	95.7	95.7	95.7
रबड़	96.8	97.3	90.2	90.2	91.6	89.9	89.9
(ग) अन्य							
गन्ना	100.8	94.4	102.4	102.5	104.8	99.8	100.6
तम्बाकू	97.0	107.0	116.1	126.1	124.6	119.2	119.2
आलू	109.1	112.0	118.7	135.3	129.5	135.5	136.1
ग. सभी खाद्य वस्तुएं	104.7	103.4	100.6	110.9	113.6	113.9	115.3

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग।

* दूसरे अग्रिम अनुमान

क मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और बजरा शामिल हैं

ख तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर और अन्य दालें

ग मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, नाइजरसीड, अरंडी, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल हैं।

सारणी 1.12 : प्रमुख फसलों का उत्पादन

(टन)										
समूह/वस्तु	इकाई	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
खाद्यान्न ^क	टन	108.4	129.6	176.4	196.8	218.1	244.5	259.3	257.0	264.4
खरीफ	टन	68.9	77.7	99.4	102.1	104.0	120.9	131.3	128.1	129.4
रबी	टन	39.5	51.9	77.0	94.7	114.1	123.6	128.0	129.1	135.0
अनाज ^ख	टन	96.6	119.0	162.1	185.7	203.4	226.3	240.8	238.8	244.8
खरीफ	टन	65.0	73.9	94.0	97.6	99.7	113.8	125.2	122.2	123.2
रबी	टन	31.6	45.1	68.1	88.1	103.7	112.5	115.6	116.6	121.6
मोटे अनाज ^ग	टन	30.5	29.0	32.7	31.1	33.6	43.4	42.0	40.04	42.7
खरीफ	टन	25.5	23.8	27.7	24.9	23.8	33.1	32.4	29.79	31.2
रबी	टन	5.1	5.2	5.0	6.2	9.7	10.3	9.6	10.25	11.4
दालें ^घ	टन	11.8	10.6	14.3	11.0	14.7	18.2	17.1	18.3	19.6
खरीफ	टन	3.9	3.8	5.4	4.4	4.2	7.1	6.1	5.9	6.1
रबी	टन	7.9	6.8	8.9	6.6	10.5	11.1	11.0	12.4	13.5
चावल	टन	42.2	53.6	74.3	85.0	89.1	96.0	105.3	105.2	106.3
खरीफ	टन	39.5	50.1	66.3	72.8	75.9	80.7	92.8	92.4	92.0
रबी	टन	2.7	3.5	8.0	12.2	13.2	15.3	12.5	12.9	14.3
गेहूं	टन	23.8	36.3	55.1	69.7	80.8	86.9	93.5	93.5	95.8
ज्वार	टन	8.1	10.4	11.7	7.5	6.7	7.0	6.0	5.3	5.3
खरीफ	टन	5.8	7.5	8.3	4.5	2.8	3.4	3.3	2.8	2.2
रबी	टन	2.3	2.9	3.4	3.0	3.9	3.6	2.7	2.4	3.0
मक्का	टन	7.5	7.0	9.0	12.0	16.7	21.7	21.8	22.3	24.2
बाजरा	टन	8.0	5.3	6.9	6.8	6.5	10.4	10.3	8.7	9.2
चना	टन	5.2	4.3	5.4	3.9	7.5	8.2	7.7	8.8	9.9
तूर	टन	1.9	2.0	2.4	2.2	2.5	2.9	2.7	3.0	3.4
तिलहन ^ङ	टन	9.6	9.4	18.6	18.4	24.9	32.5	29.8	30.9	32.4
खरीफ	टन	7.0	5.0	9.8	11.9	15.7	21.9	20.7	20.8	22.1
रबी	टन	2.6	4.4	8.8	6.5	9.2	10.6	9.1	10.2	10.3
मूंगफली	टन	6.1	5.0	7.5	6.4	5.4	8.3	7.0	4.7	9.5
खरीफ	टन	na	3.7	5.1	4.9	3.8	6.6	5.1	3.2	7.7
रबी	टन	na	1.3	2.4	1.5	1.6	1.6	1.8	1.5	1.8
रेपसीड और सरसों	टन	2.0	2.3	5.2	4.2	6.6	8.2	6.6	8.0	7.8
गन्ना	टन	126.4	154.2	241.0	296.0	292.3	342.4	361.0	341.2	348.4
कपास ^च	टन	4.8	7.0	9.8	9.5	24.0	33.0	35.2	34.2	36.5
जूट और मेस्ता	टन	6.2	8.2	9.2	10.5	11.8	10.6	11.4	10.9	11.4
जूट	टन	4.9	6.5	7.9	9.3	11.2	10.0	10.7	10.3	10.8
मेस्ता	टन	1.3	1.7	1.3	1.2	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
बागानी फसलें										
चाय ^ड	टन	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
काफी	टन	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
रबड़	टन	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
आलू	टन	4.8	9.7	15.2	22.5	36.6	42.3	46.6	45.3	46.4

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग।

उ.न. - उपलब्ध नहीं।

* तीसरे अग्रिम अनुमान

वर्ष 2013-14 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान

क अनाज, मोटे अनाज एवं दाल सम्मिलित हैं।

ख चावल, गेहूं मोटे अनाज सम्मिलित हैं।

ग मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, कोदों एवं जौ सम्मिलित हैं

घ तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर एवं अन्य दाल सम्मिलित हैं

ङ मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, अरंडी, नाइजरसीड, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन सम्मिलित हैं।

सारणी 1.13 : प्रमुख फसलों के अंतर्गत सकल क्षेत्र

(मिलियन हेक्टेयर)									
समूह/वस्तु	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
खाद्यान्न ^क	उन	126.7	127.8	121.0	121.3	126.7	124.8	120.8	126.2
खरीफ	उन	83.2	80.8	75.2	69.5	72.4	72.1	67.7	69.4
रबी	उन	43.5	47.0	45.8	51.8	54.3	52.7	53.1	56.8
अनाज ^ख	उन	104.2	103.2	100.7	98.0	100.3	100.3	97.5	100.8
खरीफ	उन	72.8	69.3	64.6	58.9	60.1	60.9	57.7	59.2
रबी	उन	31.4	33.9	36.1	39.1	40.2	39.4	39.8	41.6
मोटे अनाज ^ग	उन	41.8	36.3	30.3	27.7	28.3	26.4	24.8	25.5
खरीफ	उन	34.3	29.6	23.9	21.3	22.1	20.8	18.8	19.7
रबी	उन	7.4	6.7	6.4	6.4	6.3	5.7	5.9	5.8
दालें ^घ	उन	22.5	24.7	20.3	23.3	26.4	24.5	23.3	25.4
खरीफ	उन	10.4	11.5	10.6	10.6	12.3	11.2	10.0	10.2
रबी	उन	12.1	13.2	9.7	12.7	14.1	13.3	13.3	15.2
चावल	उन	40.1	42.7	44.7	41.9	42.9	44.0	42.8	43.9
खरीफ	उन	38.4	39.7	40.7	37.6	38.0	40.1	38.9	39.6
रबी	उन	1.7	3.0	4.0	4.3	4.8	3.9	3.8	4.4
गेहूं	उन	22.3	24.2	25.7	28.5	29.1	29.9	30.0	31.3
ज्वार	उन	15.8	14.4	9.9	7.7	7.4	7.4	6.2	5.8
खरीफ	उन	10.2	8.6	4.9	3.2	3.1	3.1	2.4	2.2
रबी	उन	5.6	5.8	5.0	4.5	4.3	4.3	3.8	3.6
मक्का	उन	6.0	5.9	6.6	8.3	8.6	8.8	8.7	9.3
बाजरा	उन	11.7	10.5	9.8	8.9	9.6	8.8	7.3	7.9
चना	उन	6.6	7.5	5.2	8.2	9.2	8.3	8.5	10.2
तूर	उन	2.8	3.6	3.6	3.5	4.4	4.0	3.9	3.9
तिलहन ^ङ	उन	17.6	24.1	22.8	26.0	27.2	26.3	26.5	28.2
खरीफ	उन	10.2	14.0	15.8	18.0	18.2	18.4	18.3	19.8
रबी	उन	7.4	10.1	7.0	8.0	9.0	7.9	8.2	8.4
मूंगफली	उन	6.8	8.3	6.6	5.5	5.9	5.3	4.7	5.5
खरीफ	उन	5.9	6.8	5.7	4.6	5.0	4.3	3.9	4.5
रबी	उन	0.9	1.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0
रेपसीड और सरसों	उन	4.1	5.8	4.5	5.6	6.9	5.9	6.4	6.5
गन्ना	उन	2.7	3.7	4.3	4.2	4.9	5.0	5.0	5.0
कपास ^च	उन	7.8	7.4	8.6	10.1	11.2	12.2	12.0	11.7
जूट और मेस्ता	उन	1.3	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
जूट	उन	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
मेस्ता	उन	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
बागानी फसलें									
चाय ^ड	उन	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
काफी	उन	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
रबड़	उन	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
आलू	उन	0.7	0.9	1.2	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग।

उ.न. - उपलब्ध नहीं।

* तीसरे अग्रिम अनुमान

वर्ष 2013-14 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान

क अनाज, मोटे अनाज एवं दाल सम्मिलित हैं।

ख चावल, गेहूं मोटे अनाज सम्मिलित हैं।

ग मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, कोदों एवं जौ सम्मिलित हैं।

घ तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर एवं अन्य दाल सम्मिलित हैं।

ङ मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, अरंडी, नाइजरसीड, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन सम्मिलित हैं।

सारणी 1.14 : प्रमुख फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार

(कि॰ग्रा॰/हेक्टेयर)										
समूह/वस्तु	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 [*]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
खाद्यान्न ^क	उन	1023	1380	1626	1909	1798	1930	2078	2128	2095
खरीफ	उन	933	1231	1357	1654	1496	1669	1822	1892	1864
रबी	उन	1195	1635	2067	2263	2202	2278	2430	2431	2378
अनाज ^क	उन	1142	1571	1844	2183	2075	2256	2401	2449	2429
खरीफ	उन	1015	1357	1512	1841	1693	1893	2057	2116	2081
रबी	उन	1434	2010	2438	2721	2649	2800	2933	2932	2925
मोटे अनाज ^क	उन	695	900	1027	1459	1212	1531	1590	1626	1672
खरीफ	उन	693	937	5298	1371	1119	1500	1563	1583	1588
रबी	उन	702	741	973	1735	1525	1641	1689	1725	1954
दालें ^क	उन	473	578	544	659	630	691	699	789	770
खरीफ	उन	361	471	417	478	397	578	541	594	600
रबी	उन	571	672	604	804	823	790	831	934	884
चावल	उन	1336	1740	1901	2178	2125	2239	2393	2462	2419
खरीफ	उन	1303	1670	1788	2081	2019	2121	2312	2374	2326
रबी	उन	2071	2671	3042	3009	3053	3176	3224	3353	3263
गेहूँ	उन	1630	2281	2708	2907	2839	2989	3131	3117	3059
ज्वार	उन	660	814	764	962	860	949	810	850	912
खरीफ	उन	737	969	938	1055	853	1119	1072	1171	1033
रबी	उन	520	582	594	904	865	827	623	644	840
मक्का	उन	1159	1518	1822	2414	2024	2540	2478	2566	2602
बाजरा	उन	458	658	688	1015	731	1079	1171	1198	1161
चना	उन	657	712	744	895	915	895	928	1036	974
तूर	उन	689	673	618	671	711	655	662	776	857
तिलहन ^क	उन	532	771	810	1007	958	1193	1133	1168	1149
खरीफ	उन	492	698	757	961	875	1203	1123	1135	1119
रबी	उन	588	872	929	1097	1146	1174	1155	1244	1220
मूंगफली	उन	736	904	977	1163	991	1411	1323	995	1723
खरीफ	उन	629	751	861	1063	835	1335	1188	811	1715
रबी	उन	1444	1611	1756	1764	1830	1846	1938	1910	1755
रेपसीड और सरसों	उन	560	904	935	1143	1183	1185	1121	1262	1208
गन्ना	उन	58	65	69	65	70	70	70	70	70
कपास ^क	उन	152	225	190	403	403	499	491	486	529
जूट और मेस्ता	उन	1130	1634	1867	2071	2349	2192	2268	2281	2386
जूट	उन	1245	1833	2026	2207	2492	2329	2389	2396	2504
मेस्ता	उन	828	988	1078	1141	1121	1115	1248	1237	1265
बागानी फसलें										
चाय ^क	उन	1491	1794	1673	1695	1695	1695	1695	1730	1730
काफी	उन	624	759	959	748.0	815	838	838	766	766
रबड़	उन	788	1076	1576	1306	1211	1211	1211	1206	1206
आलू	उन	13	16	18	19	20	23	25	22	22

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग।

उ.न. - उपलब्ध नहीं।

* तीसरे अग्रिम अनुमान

वर्ष 2013-14 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान

क अनाज, मोटे अनाज एवं दाल सम्मिलित हैं।

ख चावल, गेहूँ मोटे अनाज सम्मिलित हैं।

ग मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, कोदों एवं जौ सम्मिलित हैं।

घ तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर एवं अन्य दाल सम्मिलित हैं।

ङ मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, अरंडी, नाइजरसीड, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन सम्मिलित हैं।

सारणी 1.15 : 2013-14 में तीन सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन

(मिलियन टन) उत्पादन

फसल/फसल समूह	राज्य	उत्पादन	अखिल भारत के संदर्भ में उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा	उत्पादन का संचयी प्रतिशत हिस्सा
1	2	3	4	5
I. खाद्यान्न				
चावल	पश्चिम बंगाल	15.20	14.32	14.32
	उत्तर प्रदेश	14.71	13.85	28.17
	आंध्र प्रदेश	13.48	12.69	40.86
गेहूँ	उत्तर प्रदेश	29.5	30.85	30.85
	पंजाब	16.01	16.74	47.59
	हरियाणा	11.73	12.27	59.86
मक्का	कर्नाटक	4.66	20.02	20.02
	आन्ध्र प्रदेश	4.00	17.19	37.21
	महाराष्ट्र	3.10	13.32	50.53
जोड़ -मोटे अनाज	राजस्थान	6.69	16.06	16.06
	कर्नाटक	6.55	15.73	31.79
	महाराष्ट्र	5.84	14.02	45.81
चना	मध्य प्रदेश	40.00	40.87	40.87
	राजस्थान	14.35	14.66	55.53
	महाराष्ट्र	14.17	14.48	70.02
तूर	महाराष्ट्र	10.36	31.05	31.05
	कर्नाटक	6.10	18.28	49.33
	मध्य प्रदेश	4.18	12.52	61.84
जोड़ -दालें	मध्य प्रदेश	5.28	26.71	26.71
	उत्तर प्रदेश	2.99	15.10	41.82
	राजस्थान	2.46	12.42	54.23
जोड़ -खाद्यान्न	उत्तर प्रदेश	50.26	19.09	19.09
	पंजाब	27.62	10.49	29.59
	मध्य प्रदेश	24.18	9.19	38.78
II. तिलहन				
मूंगफली	गुजरात	4.76	52.08	52.08
	तमिलनाडु	1.17	12.79	64.87
	आंध्र प्रदेश	0.99	10.83	75.70
रेपसीड और सरसों	राजस्थान	3.86	46.81	46.81
	मध्य प्रदेश	0.99	11.95	58.76
	हरियाणा	0.93	11.25	70.01
सोयाबीन	मध्य प्रदेश	5.49	44.10	44.10
	महाराष्ट्र	4.87	39.15	83.24
	राजस्थान	1.19	9.53	92.78
सूरजमुखी	कर्नाटक	0.21	44.67	44.67
	आंध्र प्रदेश	0.09	18.72	63.39
	महाराष्ट्र	0.05	10.27	73.67
कुल-तिलहन	मध्य प्रदेश	6.77	20.54	20.54
	राजस्थान	6.67	20.22	40.75
	गुजरात	6.20	18.81	59.56
III. अन्य नकदी फसलें				
गन्ना	उत्तर प्रदेश	133.39	38.56	38.56
	महाराष्ट्र	75.38	21.79	60.35
	तमिलनाडु	37.55	10.85	71.21
कपास ^क	गुजरात	10.85	30.48	30.48
	महाराष्ट्र	8.45	23.73	54.21
	आंध्र प्रदेश	7.14	20.06	74.27
जूट और मेस्ता ^ख	पश्चिम बंगाल	8.39	74.19	74.19
	बिहार	2.02	17.89	92.08
	असम	0.63	5.54	97.62

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग।

* दूसरे अग्रिम अनुमान

क 170 कि॰ग्रा॰ वजन वाली मिलियन गांठों का उत्पादन।

ख 180 कि॰ग्रा॰ वजन वाली मिलियन गांठों का उत्पादन।

सारणी 1.16 : अनाज और दालों की निवल उपलब्ध मात्रा

वर्ष	अनाज				दालें		प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता		
	जनसंख्या (मिलियन)	निवल उत्पादन (मिलियन टन)	निवल आयात (मिलियन टन)	सरकारी स्टॉक में घट-बढ़ (मिलियन टन)	निवल उपलब्ध मात्रा (कालम 3+4-5) (मिलियन टन)	निवल उपलब्ध मात्रा (मिलियन टन)	प्रतिदिन (ग्राम में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1971	551.3	84.5	2.0	(+)2.6	84.0	10.3	417.6	51.2	468.8
1972	563.9	82.3	(-)0.5	(-)4.7	86.5	9.7	419.1	47.0	466.1
1973	576.8	76.2	3.6	(-)0.3	80.1	8.7	350.5	41.1	421.6
1974	590.0	82.8	5.2	(-)0.4	88.4	8.8	410.4	40.8	451.2
1975	603.5	78.6	7.5	(+)5.6	80.6	8.8	365.8	39.7	405.5
1976	617.2	94.5	0.7	(+)10.7	84.4	11.4	373.8	50.5	424.3
1977	631.3	87.3	0.1	(-)1.6	89.0	10.0	386.3	43.3	429.6
1978	645.7	100.1	(-)0.8	(-)0.3	99.6	10.7	422.5	45.5	468.0
1979	660.3	104.8	(-)0.3	(+)0.4	104.1	10.8	431.8	44.7	476.5
1980	675.2	88.5	(-)0.5	(-)5.8	93.8	7.6	379.5	30.9	410.4
1981	688.5	104.1	0.5	(-)0.2	104.8	9.4	417.3	37.5	454.8
1982	703.8	106.6	1.6	(+)1.3	106.8	10.1	415.6	39.2	454.8
1983	718.9	103.0	4.1	(+)2.7	104.4	10.4	397.8	39.5	437.3
1984	734.5	122.0	2.4	(+)7.1	117.4	11.3	437.8	41.9	479.7
1985	750.4	116.9	(-)0.3	(+)2.7	113.9	10.5	415.6	38.4	454.0
1986	766.5	119.9	(-)0.1	(-)1.6	121.5	12.3	434.2	43.9	478.1
1987	782.7	115.2	(-)0.4	(-)9.5	124.4	10.4	435.4	36.4	471.8
1988	799.2	113.2	2.3	(-)4.6	120.1	10.7	411.8	36.7	448.5
1989	815.8	136.6	0.8	(+)2.6	134.7	12.5	452.6	41.9	494.5
1990	832.6	138.4	...	(+)6.2	132.3	12.5	435.3	41.1	476.4
1991	851.7	141.9	(-)0.6	(-)4.4	145.7	12.9	468.5	41.6	510.1
1992	867.8	136.8	(-)0.7	(-)1.6	137.7	10.9	434.5	34.3	468.8
1993	883.9	145.8	2.6	(+)10.3	138.1	11.7	427.9	36.2	464.1
1994	899.9	149.6	0.5	(+)7.5	142.6	12.2	434.0	37.2	471.2
1995	922.0	155.3	(-)3.0	(-)1.7	154.0	12.7	457.6	37.8	495.4
1996	941.6	147.1	(-)3.5	(-)8.5	152.1	11.3	442.5	32.7	475.2
1997	959.8	162.0	(-)0.6	(-)1.8	163.2	13.0	466.0	37.1	503.1
1998	978.1	156.9	(-)2.9	(+)6.1	147.9	11.7	414.2	32.8	447.0
1999	996.4	165.1	(-)1.5	(+)7.5	156.1	13.3	429.2	36.5	465.7
2000	1014.8	171.8	(-)1.4	(+)13.9	156.6	11.7	422.7	31.8	454.4
2001	1033.2	162.5	(-)4.5	(+)12.3	145.6	11.3	386.2	30.0	416.2
2002	1050.6	174.5	(-)8.5	(-)9.9	175.9	13.6	458.7	35.4	494.1
2003	1068.2	143.2	(-)7.1	(-)23.2	159.3	11.3	408.5	29.1	437.6
2004	1085.6	173.5	(-)7.7	(-)3.3	169.1	14.2	426.9	35.8	462.7
2005	1102.8	162.1	(-)7.2	(-)2.4	157.3	12.7	390.9	31.5	422.4
2006	1119.8	170.8	(-)3.8	(-)1.8	168.8	13.3	412.8	32.5	445.3
2007	1136.6	177.7	(-)7.0	(+)1.7	169.0	14.7	407.4	35.5	442.8
2008	1153.1	197.3	(-)14.4	(+)17.0	165.9	17.6	394.2	41.8	436.0
2009	1169.4	192.4	(-)7.2	(+)11.5	173.7	15.8	407.0	37.0	444.0
2010	1185.8	178.0	(-)4.7	(-)0.5	173.8	15.3	401.7	35.4	437.1
2011	1201.9	198.0	(-)9.6	(+)8.3	180.1	18.9	410.6	43.0	453.6
2012	1213.4	211.9	(-)19.8	(+)11.2	181.0	18.4	408.6	41.7	450.3
2013(अ)	1228.8	208.9	(-)22.2	(-)23.6	210.3	18.8	468.9	41.9	510.8

स्रोत: 1. आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।

... नगण्य

अ : अनन्तिम

टिप्पणियाँ

- जनसंख्या के आंकड़े मध्य वर्षीय हैं।
- उत्पादन के आंकड़े कृषि वर्ष जुलाई-जून से संबंधित हैं। 1951 के आंकड़े 1950-51 के उत्पादन के सूचक हैं और उसके बाद के वर्षों के लिये भी आंकड़े इसी प्रकार हैं।
- खाद्यान्नों की निवल उपलब्धता सकल उत्पादन (-) बीज, चारा और अपशिष्ट, (-) निर्यात (+) आयात (+/-) स्टॉक में परिवर्तन पर आंकी जाती है।
- किसी वर्ष विशेष के संबंध में जनसंख्या के अनुमानों से भाग करके परिकलित खाद्यान्नों की निवल उपलब्धता किग्रा/वर्ष के संदर्भ में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दर्शाती है। इस प्रकार निकाली गई निवल उपलब्धता वर्ष के दिनों अर्थात् 365 दिनों से और भाग करने पर ग्राम/दिन की निवल उपलब्धता दर्शाती है।
- उपर्युक्त प्रति व्यक्ति निवल उपलब्ध मात्रा को देश में खपत के वास्तविक स्तर के ठीक बराबर नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि व्यापारियों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के स्टॉक की घट-बढ़ को हिसाब में नहीं लिया गया है।
- प्रति व्यक्ति निवल उपलब्ध मात्रा के गणन के लिए 1981 से 1994 के निवल आयातों के आंकड़े केवल भारत सरकार के लेखे पर किए गए आयात और निर्यात पर आधारित हैं। 1995 तथा उससे आगे के निवल आयात कुल निर्यातों और आयातों (सरकारी और निजी दोनों लेखों पर) आधारित हैं।

सारणी 1.17 : खाद्यान्नों की निवल उपलब्ध मात्रा, अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण

(मिलियन टन)

वर्ष	खाद्यान्नों का निवल उत्पादन	निवल आयात	खाद्यान्नों की निवल उपलब्ध मात्रा ^क	अधिप्राप्ति	सार्वजनिक वितरण ^ख	का. 3, का. 4 के प्रतिशत के रूप में	का. 5, का. 2 के प्रतिशत के रूप में	का. 6, का. 4 के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1951	48.1	4.8	52.4	3.8	8.0	9.2	7.9	15.3
1955	61.9	0.5	63.2	...	1.6	0.8	2.1	2.5
1960	67.5	5.1	71.2	1.3	4.9	7.2	1.9	6.9
1965	78.2	7.4	84.6	4.0	10.1	8.8	5.2	11.9
1970	87.1	3.6	89.5	6.7	8.8	4.0	7.7	9.9
1971	94.9	2.0	94.3	8.9	7.8	2.1	9.3	8.3
1972	92.0	(-)0.5	96.2	7.7	10.5	(-)0.5	8.3	10.9
1973	84.9	3.6	88.8	8.4	11.4	4.0	9.9	12.8
1974	91.6	5.2	97.1	5.6	10.8	5.3	6.2	11.1
1975	87.4	7.5	89.3	9.6	11.3	8.4	10.9	12.6
1976	105.9	0.7	95.8	12.8	9.2	0.7	12.1	9.6
1977	97.3	0.1	99.0	9.9	11.7	0.1	10.1	11.8
1978	110.6	(-)0.6	110.2	11.1	10.2	(-)0.5	10.0	9.2
1979	115.4	(-)0.2	114.9	13.8	11.7	(-)0.2	12.0	10.2
1980	96.0	(-)0.3	101.4	11.2	15.0	(-)0.3	11.6	14.8
1981	113.4	0.7	114.3	13.0	13.0	0.6	11.4	11.4
1982	116.6	1.6	116.9	15.4	14.8	1.4	13.2	12.6
1983	113.3	4.1	114.7	15.6	16.2	3.5	13.7	14.1
1984	133.3	2.4	128.6	18.7	13.3	1.8	14.0	10.4
1985	127.4	(-)0.4	124.3	20.1	15.8	(-)0.3	15.8	12.7
1986	131.6	0.5	133.8	19.7	17.3	0.4	15.0	12.9
1987	125.5	(-)0.2	134.8	15.7	18.7	(-)0.1	12.5	13.8
1988	122.8	3.8	130.8	14.1	18.6	2.9	11.5	14.2
1989	148.7	1.2	147.2	18.9	16.4	0.8	12.7	11.1
1990	149.7	1.3	144.8	24.0	16.0	0.9	16.0	11.0
1991	154.3	(-)0.1	158.6	19.6	20.8	...	12.7	13.1
1992	147.3	(-)0.4	148.5	17.9	18.8	(-)0.3	12.2	12.7
1993	157.5	3.1	149.8	28.1	16.4	2.1	17.9	10.9
1994	161.2	1.1	154.8	26.0	14.0	0.7	16.1	9.1
1995	167.6	(-)2.6	166.7	22.6	15.3	(-)1.6	13.5	9.0
1996	157.9	(-)3.1	163.3	19.8	18.3	(-)1.9	12.5	11.2
1997	174.5	(-)0.1	176.2	23.6	17.8	...	13.5	10.1
1998	168.2	(-)2.5	159.6	26.3	18.6	(-)1.6	15.6	11.1
1999	178.2	(-)1.3	169.4	30.8	17.7	(-)0.8	17.3	9.9
2000	183.6	(-)1.4	168.3	35.6	13.0	(-)0.8	19.4	7.7
2001	172.2	(-)2.9	156.9	42.6	13.2	(-)1.8	24.7	8.4
2002	186.2	(-)6.7	189.5	40.3	18.2	(-)3.5	21.7	9.6
2003	152.9	(-)5.5	170.6	34.5	23.2	(-)2.8	22.6	13.2
2004	186.5	(-)6.5	183.3	41.1	28.3	(-) 3.5	22.0	15.5
2005	173.6	(-)6.0	170.0	41.5	31.0	(-) 3.5	23.9	18.2
2006	182.5	(-)2.3	181.9	37.0	31.8	(-) 1.3	20.3	17.5
2007	190.1	(-)4.7	183.7	35.8	32.8	(-) 2.6	18.8	17.8
2008	210.2	(-) 9.7	183.5	54.2	34.7	(-) 5.3	25.8	18.9
2009	205.2	(-) 4.1	189.5	60.5	41.3	(-) 2.2	29.5	21.8
2010	190.8	(-) 2.2	189.2
2011(अ)	214.2	(-) 2.9	203.1	64.5	47.9
2012	73.4	44.9
2013	58.9	44.5

स्रोत : 1. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।

2. आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग।

^क उपलब्ध निवल मात्रा=निवल उत्पादन+निवल आयात - सरकारी भण्डारों में परिवर्तन।^ख इसमें वर्ष 1978 से 1990 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई मात्रा शामिल है।

... नगण्य

अ : अनन्तिम

का. : कालम

टिप्पणी : 1. उत्पादन के आंकड़े कृषि वर्ष से सम्बन्धित हैं : 1951 के आंकड़े 1950-51 के अनुरूप हैं तथा इसी प्रकार बाद के वर्षों के आंकड़े दिए गए हैं। अधिप्राप्ति तथा सार्वजनिक वितरण के आंकड़े कैलेंडर वर्ष से सम्बन्धित हैं।

2. 1981 से 1994 के निवल आयात केवल सरकारी लेखे पर हैं और 1995 तथा इससे आगे के निवल आयात देश के कुल आयात तथा निर्यात हैं।

सारणी 1.18 : उपभोग की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्ध मात्रा

वर्ष	खाद्य तेल ^क (किलोग्राम)	वनस्पति ^ख (किलोग्राम)	चीनी (नवम्बर से अक्टूबर) (कि॰ग्रा॰) ^च	कपड़ा		जोड़ा (मीटर)	चाय (ग्राम)	कॉफी ^घ (ग्राम)	बिजली घरेलू (कि॰वाटप्रति घण्टे)
				सूती कपड़ा ^ङ (मीटर)	हस्त निर्मित कपड़ा (मीटर)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1955-56	2.5	0.7	5.0	14.4	na	na	362.0	67.0	2.4
1960-61	3.2	0.8	4.8	13.8	1.2	15.0	296.0	80.0	3.4
1965-66	2.7	0.8	5.7	14.7	1.7	16.4	346.0	72.0	4.8
1970-71	3.5	1.0	7.4	13.6	2.0	15.6	401.0	65.0	7.0
1975-76	3.5	0.8	6.1	12.6	2.0	14.6	446.0	62.0	9.7
1976-77	3.2	0.9	6.0	11.4	2.4	13.8	450.0	71.0	10.4
1977-78	3.8	0.9	7.2	9.5	4.0	13.5	516.0	73.0	10.9
1978-79	3.8	1.0	9.6	10.2	4.8	15.0	599.0	77.0	11.9
1979-80	3.7	1.0	7.8	10.1	4.6	14.7	521.0	73.0	12.1
1980-81	3.8	1.2	7.3	12.9	4.4	17.3	511.0	79.0	13.5
1981-82	5.1	1.3	8.2	12.2	4.9	17.1	466.0	79.0	15.1
1982-83	4.5	1.3	9.0	11.8	4.3	16.1	525.0	82.0	17.0
1983-84	5.8	1.2	10.5	12.6	4.7	17.3	519.0	78.0	18.3
1984-85	5.5	1.3	10.7	12.6	4.6	17.2	576.0	72.0	21.0
1985-86	5.0	1.3	11.1	15.4	6.1	21.5	589.0	71.0	22.9
1986-87	5.0	1.2	11.4	15.2	6.6	21.8	545.0	76.0	25.1
1987-88	5.8	1.2	11.7	14.0	7.0	21.0	592.0	72.0	28.2
1988-89	5.3	1.2	12.1	15.0	8.0	23.0	612.0	79.0	30.9
1989-90	5.3	1.1	12.3	14.6	8.1	22.7	571.0	65.0	36.1
1990-91	5.5	1.0	12.7	15.1	9.0	24.1	612.0	59.0	38.2
1991-92	5.4	1.0	13.0	13.7	9.2	22.9	655.0	64.0	41.9
1992-93	5.8	1.0	13.7	15.6	8.9	24.5	649.0	60.0	45.6
1993-94	6.1	1.0	12.5	15.9	10.3	26.2	667.0	56.0	48.8
1994-95	6.3	1.0	13.2	15.2	10.8	26.0	664.0	55.0	53.0
1995-96	7.0	1.0	14.1	16.3	11.7	28.0	646.0	55.0	56.2
1996-97	8.0	1.0	14.6	16.2	13.1	29.3	657.0	58.0	58.6
1997-98	6.2	1.0	14.5	15.9	15.0	30.9	635.0	58.0	62.9
1998-99	8.5	1.3	14.9	13.1	15.1	28.2	684.0	65.0	66.7
1999-00	9.0	1.4	15.6	14.2	16.4	30.6	642.0	55.0	71.2
2000-01	8.2	1.3	15.8	14.2	16.5	30.7	631.0	58.0	75.2
2001-02	8.8	1.4	16.0	14.8	17.2	32.0	650.0	67.0	76.8
2002-03	7.2	1.4	16.3	14.4	17.0	31.4	623.0	67.0	79.0
2003-04	9.9	1.2	16.1	13.4	17.6	31.0	662.0	70.0	83.6
2004-05	10.2	1.1	15.5	14.1	19.4	33.5	663.0	72.0	87.8
2005-06	10.6	1.1	16.3	16.4	19.7	36.1	687.0	75.0	90.4
2006-07	11.1	1.2	16.8	18.0	21.6	39.6	687.0	77.0	98.8
2007-08	11.4	1.3	17.8	19.0	22.8	41.9	701.0	80.0	106.0
2008-09	12.7	1.2	18.8	17.9	21.1	39.0	704.0	82.0	112.7
2009-10	13.1	1.1	18.6	19.7	23.4	43.1	709.0	86.0	121.2
2010-11	13.0	1.0	17.0	21.4	22.6	44.0	715.0	90.0	130.9
2011-12	13.8	1.0	18.7	19.8	20.7	40.5	728.0	95.0	142.4
2012-13(अ)	15.8	0.7	18.7	19.9	18.6	38.5	na	na	na

स्रोत : 1. वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय।
उपभोक्ता मामले तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
2. शर्करा निदेशालय, खाद्य तेल विभाग।
3. वस्त्र मंत्रालय।

4. चाय बोर्ड।
5. कॉफी बोर्ड।
6. केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय।

उन : उपलब्ध नहीं अ : अनन्तिम

टिप्पणी :

^क इसमें मूंगफली का तेल, रेपसीड और सरसों का तेल, तिल का तेल, नाइजर के बीज का तेल, सोयाबीन का तेल और सूरजमुखी के बीजों का तेल शामिल हैं, किन्तु वनस्पति बनाने के काम आने वाला तेल शामिल नहीं है।

^ख कैलण्डर वर्ष से संबंधित।

^ग घरेलू उपभोग के लिए वास्तविक रूप से जारी की गई मात्रा से संबंधित।

^घ कपड़े संबंधी आंकड़े 1980-81 से पहले कैलण्डर वर्ष-वार हैं; 1984-85 तक मीटर में तथा 1985-86 से वर्ग मीटर में हैं।

^ङ ब्लैण्ड/मिश्रित कपड़े के लिए 1969 के पहले के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं थे। इन्हें 1969 के बाद मानव-निर्मित कृत्रिम रेशे से बने कपड़ों में सम्मिलित किया गया है।

^च 1970-71 तक के आंकड़े 'कॉफी' के मौसम से संबंधित हैं और इसके बाद के कैलण्डर वर्षों के आधार पर हैं। 1975-76 के आंकड़े 1976 के हैं और आगे के भी इसी तरह से हैं।

^छ 1956 से संबंधित।

सारणी 1.19 : उर्वरकों का उत्पादन, आयात तथा उपभोग

(हजार टन पोषाहार)

	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(क) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक											
उत्पादन	830	2164	6993	11004	10900	10870	11900	12157	12259	12194	12338
आयात	477	1510	414	154	3677	3844	3447	4493	5240	4801	3920
उपभोग	1487	3678	7997	10920	14419	15090	15580	16558	17300	16820	अ
(ख) फास्फोरियुक्त उर्वरक											
उत्पादन	229	842	2052	3748	3807	3464	4321	4223	4104	3541	3714
आयात	32	452	1311	396	1391	2927	2756	3802	4427	2797	1588
उपभोग	462	1214	3221	4215	5515	6506	7274	8050	7914	6653	अ
(ग) पोटाशयुक्त उर्वरक											
आयात	120	797	1328	1541	2653	3380	2945	4069	3335	1559	1926
उपभोग	228	624	1328	1567	2636	3313	3632	3514	2576	2061	अ
(घ) समस्त उर्वरक (ना.फा.पो.)											
उत्पादन	1059	3006	9045	14752	14707	14334	16221	16380	16363	15735	16092
आयात	629	2759	2758	2090	7721	10151	9148	12364	13002	9157	7434
उपभोग	2177	5516	12546	19702	22570	24909	26486	28122	27790	25536	अ

स्रोत : रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग।

अ : उपलब्ध नहीं

सारणी 1.20 : मुख्य पशुधन उत्पादों और मछली का उत्पादन

वर्ष	दूध (मिलियन टन)	अंडे (संख्या मिलियन में)	मछली (हजार टन)
1	2	3	4
1950-51	17.0	1832	752
1960-61	20.0	2881	1160
1970-71	22.0	6172	1756
1980-81	31.6	10060	2442
1990-91	53.9	21101	3836
2000-01	80.6	36632	5656
2006-07	102.6	50653	6869
2007-08	107.9	53583	7127
2008-09	112.2	55562	7620
2009-10	116.4	60267	7914
2010-11	121.8	63024	8400
2011-12	127.9	66450	8700
2012-13	132.4	69730	9040

स्रोत: पशु पालन, डेयरी और मतस्य विभाग।

सारणी 1.21 : कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन

						(मिलियन टन)
वर्ष	कोयला			जोड़	लिग्नाइट	जोड़
	कोकिंग		गैर-कोकिंग		कोयला और लिग्नाइट (5)+(6)	
	धात्विक	गैर-धात्विक				
1	2	3	4	5	6	7
1950-51	उ.न.	उ.न.	उ.न.	32.30	उ.न.	उ.न.
1960-61	16.99	उ.न.	38.24	उ.न.	उ.न.	उ.न.
1970-71	17.82	उ.न.	55.13	उ.न.	3.39	उ.न.
1980-81	24.59	8.03	81.29	113.91	5.11	119.02
1981-82	26.89	9.23	88.11	124.23	6.31	130.54
1982-83	30.10	7.47	92.93	130.50	6.93	137.43
1983-84	30.11	6.24	101.87	138.22	7.30	145.52
1984-85	30.57	6.04	110.80	147.41	7.80	155.21
1985-86	29.07	6.57	118.56	154.20	8.05	162.25
1986-87	27.91	11.63	126.23	165.77	9.43	175.20
1987-88	26.28	14.73	138.71	179.72	11.16	190.88
1988-89	25.16	17.56	151.88	194.60	12.40	207.00
1989-90	24.50	19.93	156.46	200.89	12.80	213.69
1990-91	24.10	21.20	166.43	211.73	13.77	225.50
1991-92	26.33	19.95	183.00	229.28	14.55	243.83
1992-93	25.72	19.64	192.90	238.26	16.62	254.88
1993-94	25.99	19.07	200.98	246.04	18.10	264.14
1994-95	24.54	19.71	209.55	253.80	19.34	273.14
1995-96	23.53	16.57	230.03	270.13	22.14	292.27
1996-97	22.64	17.90	245.12	285.66	22.54	308.20
1997-98	24.16	19.34	252.43	295.93	23.05	318.98
1998-99	23.82	15.36	253.09	292.27	23.42	315.69
1999-2000	21.23	12.02	266.72	299.97	22.12	322.09
2000-01	19.31	11.77	278.55	309.63	22.95	332.58
2001-02 ^a	17.96	10.71	299.12	327.79	24.81	352.60
2002-03 ^a	18.35	11.84	311.08	341.29	26.02	367.29
2003-2004	18.27	11.13	331.85	361.25	27.96	389.25
2004-2005	18.19	12.03	352.39	382.61	30.34	412.95
2005-2006	16.97	14.54	375.53	407.04	30.06	437.11
2006-2007	17.23	14.87	398.74	430.83	31.29	462.12
2007-08	18.07	16.39	422.63	457.08	33.98	491.01
2008-09	17.30	17.51	457.95	492.76	32.42	525.18
2009-10	17.73	26.68	487.63	532.04	34.07	566.11
2010-11	17.70	31.85	483.15	532.70	37.73	570.43
2011-12	16.24	35.42	488.29	539.95	42.33	582.28
2012-13	14.55	37.03	504.82	556.40	46.45	602.85
2013-14	—	—	507.42	565.64*	44.18	609.82

स्रोत : कोयला मंत्रालय।

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

क मेघालय कोल सहित।

अ आंकड़े अनंतिम हैं।

* इसमें 58.22 मिट्टिक टन कोकिंग कोयला शामिल है।

सारणी 1.22क : बिजली आपूर्ति की प्रगति (जनोपयोगी और गैर-जनोपयोगी) स्थापित संयंत्र क्षमता

(हजार मेगावाट में)

वर्ष	जल विद्युत	तापीय + न.उ.स्त्रो*	जनोपयोगी न्यूक्लीयर	जोड़	गैर- जनोपयोगी	कुल जोड़ (5)+(6)
1	2	3	4	5	6	7
1950-51 ^a	0.6	1.1	0	1.7	0.6	2.3
1960-61	1.9	2.7	0	4.6	1.0	5.6
1970-71	6.4	7.9	0.4	14.7	1.6	16.3
1980-81	11.8	17.6	0.9	30.3	3.1	33.4
1981-82	12.2	19.3	0.9	32.4	3.4	35.8
1982-83	13.1	21.4	0.9	35.4	3.9	39.3
1983-84	13.9	24.4	1.1	39.4	4.4	43.8
1984-85	14.5	27.0	1.1	42.6	5.1	47.7
1985-86	15.5	30.0	1.3	46.8	5.5	52.3
1986-87	16.2	31.8	1.3	49.3	5.7	55.0
1987-88	17.3	35.6	1.3	54.2	6.3	60.5
1988-89	17.8	39.7	1.5	59.0	7.5	66.5
1989-90	18.3	43.8	1.5	63.6	8.2	71.8
1990-91	18.8	45.8	1.5	66.1	8.6	74.7
1991-92	19.2	48.1	1.8	69.1	9.3	78.4
1992-93	19.6	50.7	2.0	72.3	10.1	82.4
1993-94	20.4	54.4	2.0	76.8	10.7	87.5
1994-95	20.8	58.1	2.2	81.1	11.2	92.3
1995-96	21.0	60.1	2.2	83.3	11.8	95.1
1996-97	21.7	61.9	2.2	85.8	12.1	97.9
1997-98	21.9	65.0	2.2	89.1	13.2	102.3
1998-99	22.4	68.7	2.2	93.3	14.1	107.4
1999-00	23.9	71.3	2.7	97.9	14.7	112.6
2000-01	25.1	73.6	2.9	102.0	16.2	117.8
2001-02	26.3	76.0	2.7	105.0	17.1	122.1
2002-03	26.8	78.4	2.7	108.0	18.3	126.2
2003-04	29.5	80.5	2.7	113.0	18.7	131.4
2004-05	30.9	84.7	2.8	118.4	19.1	137.5
2005-06	32.3	88.6	3.4	124.3	21.3	145.6
2006-07	34.7	93.7	3.9	132.3	22.3	154.6
2007-08	35.9	103.0	4.1	143.0	25.0	168.0
2008-09	36.9	107.0	4.1	148.0	27.0	175.0
2009-10	36.9	118.0	4.6	159.4	31.5	190.9
2010-11	37.6	131.3	4.8	173.7	34.4	208.1
2011-12	39.0	156.1	4.8	199.9	36.5	236.4
2012-13	39.6	179.2	4.8	223.6	उ.न.	223.6
2013-14	40.5	197.7	4.8	243.0	उ.न.	243.0

स्रोत : विद्युत मंत्रालय

* नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लघु पनबिजली परियोजनाएं, पवन विद्युत, बायोमास विद्युत, बायोमास गैसीफायर, शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्ट और सौर विद्युत शामिल हैं।

क कैलेंडर वर्ष ।

अ अनन्तिम

उ.न. : उपलब्ध नहीं

सारणी 1.22ख : उत्पादित ऊर्जा (सकल)

(हजार मेगावाट में)

वर्ष	जल विद्युत	तापीय + न.उ.स्त्रो*	जनोपयोगी न्यूक्लीयर	जोड़	गैर- जनोपयोगी	कुल जोड़ (5)+(6)
1	2	3	4	5	6	7
1950-51 ^क	2.5	2.6	5.1	1.5	6.6
1960-61	7.8	9.1	16.9	3.2	20.1
1970-71	25.2	28.2	2.4	55.8	5.4	61.2
1975-76	33.3	43.3	2.6	79.2	6.7	85.9
1977-78	38.0	51.1	2.3	91.4	7.6	99.0
1978-79	47.1	52.6	2.8	103	7.6	110.1
1979-80	45.5	56.3	2.9	105	8.2	112.9
1980-81	56.5	61.3	3.0	121	8.4	129.2
1981-82	49.6	69.5	3.0	122	9.0	131.1
1982-83	48.4	79.9	2.0	130	10.0	140.3
1983-84	50.0	86.7	3.5	140	10.8	151.0
1984-85	53.9	98.8	4.1	157	12.3	169.1
1985-86	51.0	114.4	5.0	170	13.0	183.4
1986-87	53.8	128.9	5.0	188	13.6	201.3
1987-88	47.5	149.6	5.0	202	16.9	219.0
1988-89	57.9	157.7	5.8	221	19.9	241.3
1989-90	62.1	178.7	4.6	245	23.0	268.4
1990-91	71.7	186.5	6.1	264	25.1	289.4
1991-92	72.8	208.7	5.5	287	28.6	315.6
1992-93	69.9	224.8	6.7	301	31.3	332.7
1993-94	70.4	248.2	5.4	324	32.3	356.3
1994-95	82.7	262.1	5.6	350	35.1	385.5
1995-96	72.6	299.3	8.0	380	38.2	418.1
1996-97	68.9	317.9	9.1	396	40.8	436.7
1997-98	74.6	337.0	10.1	422	44.1	465.8
1998-99	82.9	353.7	11.9	449	48.4	496.9
1999-00	80.6	386.8	13.3	481	51.5	532.2
2000-01	74.5	408.1	16.9	500	55.0	554.5
2001-02	73.5	424.4	19.5	517	61.7	579.1
2002-03	64.0	449.3	19.4	533	63.8	596.5
2003-04	75.2	472.1	17.8	565	68.2	633.3
2004-05	84.6	492.8	17.0	594	71.4	665.8
2005-06	101.5	506.0	17.3	624	73.6	697.4
2006-07	113.5	538.4	18.8	671	81.8	752.5
2007-08	120.4	585.3	16.9	723	90.5	813.1
2008-09 ^क	110.1	616.2	14.9	741	99.7	840.9
2009-10	104.1	677.1	18.6	800	106.1	906.0
2010-11	114.4	704.3	26.3	845	120.9	965.7
2011-12	130.5	759.4	33.3	923	128.2	1051.4
2012-13	113.7	760.7	32.9	907	उ.न.	907.3
2013-14	134.8	792.5	34.2	962	उ.न.	961.5

स्रोत : विद्युत मंत्रालय

* नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लघु पनबिजली परियोजनाएं, पवन विद्युत, बायोमास विद्युत, बायोमास गैसीफायर, शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्ट और सौर विद्युत शामिल हैं।

^क कैलेंडर वर्ष।^अ अनन्तिम

उ.न. : उपलब्ध नहीं

सारणी 1.23 : भारतीय रेलों का प्रचालन

	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13 ^अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 मार्ग किलोमीटर (हज़ार):											
विद्युत चालित	0.4	0.8	3.7	5.4	10.0	14.9	18.6	18.9	19.6	20.3 ^ख	20.9 ^ख
कुल	53.6	56.2	59.8	61.2	62.4	63.0	64.0	64.0	64.4	64.6 ^ख	65.4 ^ख
2 आरम्भिक यातायात (मिलियन टन):											
राजस्व उपार्जनक	73.2	119.8	167.9	195.9	318.4	473.5	833.4 ^क	887.8 ^क	921.7 ^क	969.1 ^क	1008.1 ^क
कुल यातायात	93.0	156.2	196.5	220.0	341.4	504.2	836.6 ^क	892.2 ^क	926.4 ^क	975.2 ^क	1014.2 ^क
3 ढोया गया माल (कि. टन कि.मी.):											
राजस्व उपार्जनक	37.6	72.3	110.7	147.7	235.8	312.4	551.4	600.6	625.7	667.6	691.7 ^क
कुल यातायात	44.1	87.7	127.4	158.5	242.7	315.5	552.0	601.3	626.5	668.6	692.6 ^क
4 ढोये गये माल से आय (₹ करोड़)	139.3	280.5	600.7	1550.9	8247.0	23045.4	51749.3	56937.3	60687.1	67761.4	83478.8 ^क
5 औसत भार : समस्त माल यातायात (कि.मी.)	470	561	648	720	711	626	660	674	676	686	683
6 औसत दर/प्रति टन-किलोमीटर (पैसे)	3.2	3.9	5.4	10.5	35.0	73.8	93.84	94.81	96.99	101.5	120.7
7 आरम्भिक यात्री यातायात (मिलियन) ^ग	1284	1594	2431	3613	3858	4833	6920.37	7245.8	7651.1	8224.4 ^ख	8420.7 ^ख
8 यात्री-किलोमीटर (बिलियन)	66.5	77.7	118.1	208.6	295.6	457	838	903.5	978.5	1046.5 ^ख	1098.1 ^ख
9 यात्री आय (₹ करोड़)	98.2	131.6	295.5	827.5	3145.0	10515.1 ^ख	21931.32 ^ख	23488.2 ^ख	25792.6 ^ख	28246.4 ^ख	31322.8 ^ख
10 औसत भार: यात्री यातायात (कि.मी.)	51.8	48.7	48.6	57.7	76.6	94.6	121.1	124.7	127.9	127.2 ^ख	130.4 ^ख
11 प्रति यात्री औसत दर-किलोमीटर (पैसे)	1.5	1.7	2.5	4.0	10.6	22.9	26.1	25.9	26.3	27.0 ^ख	28.5 ^ख

स्रोत : रेल मंत्रालय।
अ: अनन्तिम

* सं. संशोधित

^क इसमें कोंकण रेल निगम लिमिटेड का भार शामिल नहीं है।

^ख इसमें मेट्रो कोलकाता शामिल है।

^ग इसमें मेट्रो रेलवे/कोलकाता से आमदनी शामिल है।

सारणी 1.24 : भारतीय रेलवे का राजस्व उपार्जक माल यातायात

क. प्रारम्भिक यातायात

(मिलियन टन)

वस्तुएं	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2008-09अ	2009-10अ	2010-11अ	2011-12*अ	2012-13 अ.स.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 कोयला	20.2	30.9	47.9	64.1	135.1	223.7	369.6	396.2	420.4	455.8	496.4
2 इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल जिसमें लौह अयस्क शामिल नहीं है	उ.न.	10.5	16.1	20.2	25.9	38.7	10.9	11.6	13.3	14.5	15.6
3 ढलवां लोहा तथा तैयार इस्पात	उ.न.	3.8	6.2	7.5	10.0	11.8	22.0	24.2	24.1	25.7	26.0
i) इस्पात संयंत्र	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	6.6	7.7	8.8	9.5	9.4
ii) अन्य संयंत्रों से	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	28.6	31.9	32.8	35.2	35.3
iii) कुल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	28.6	31.9	32.8	35.2	35.3
4 लौह अयस्क	उ.न.	2.6	9.8	11.1	13.1	14.6	45.8	43.6	25.7	8.4	5.5
i) निर्यात के लिए	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	42.9	44.3	44.7	54.7	61.6
ii) इस्पात संयंत्रों के लिए	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	42.9	44.3	44.7	54.7	61.6
iii) अन्य घरेलू उपयोग हेतु	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	41.9	44.8	48.1	40.3	44.4
iv) कुल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	130.6	132.7	118.5	103.4	111.4
5 सीमेंट	2.5	6.5	11.0	9.6	28.9	42.9	86.2	93.2	99.1	107.7	105.9
6 खाद्यान्न	7.8	12.7	15.1	18.3	25.4	26.7	35.5	38.7	43.5	46.3	49.0
7 उर्वरक	उ.न.	1.4	4.7	8.1	18.4	27.1	41.4	43.7	48.2	52.7	46.2
8 पी ओ एल	2.7	4.7	8.9	15.0	25.0	36.3	38.1	38.9	39.3	39.8	40.6
9 कन्टेनर सेवा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	7.1	9.6	11.0	9.5	9.4
i) घरेलू कन्टेनर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	23.3	25.3	26.6	28.5	31.7
ii) एक्विपम कन्टेनर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	30.3	35.0	37.6	38.0	41.0
iii) जोड़	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	30.3	35.0	37.6	38.0	41.0
10 शेष (अन्य माल)	40.0	46.7	48.2	42.1	36.6	51.8	62.2	66.1	69.2	75.7	66.6
11 कुल राजस्व अर्जक मालवहन यातायात	73.2	119.8	167.9	195.9	318.4	473.5	833.4	887.8	921.7	969.1	1008.1

ख. ढोया गया माल

(बिलियन टन-किमी)

वस्तुएं	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2008-09अ	2009-10अ	2010-11अ	2011-12*अ	2012-13 अ.स.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 कोयला	11.3	20.5	27.8	36.4	85.9	133.4	230.1	247.0	268.3	291.5	303.4
2 इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल जिसमें लौह अयस्क शामिल नहीं है	उ.न.	2.0	2.7	4.3	7.5	13.5	7.5	8.9	9.8	10.3	10.2
3 ढलवां लोहा तथा तैयार इस्पात	उ.न.	3.3	6.2	8.6	11.6	12.1	22.2	25.4	24.9	26.3	27.2
i) इस्पात संयंत्र	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	4.7	6.1	7.4	7.6	6.9
ii) अन्य संयंत्रों से	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	27.0	31.5	32.2	33.9	34.1
iii) कुल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	27.0	31.5	32.2	33.9	34.1
4 लौह अयस्क	उ.न.	उ.न.	5.5	7.3	7.5	7.9	21.9	25.0	15.5	2.0	3.1
i) निर्यात के लिए	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	10.1	10.0	9.6	14.3	15.4
ii) इस्पात संयंत्रों के लिए	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	10.1	10.0	9.6	14.3	15.4
iii) अन्य घरेलू उपयोग हेतु	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	18.8	19.0	21.2	19.7	19.6
iv) कुल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	50.8	54.0	46.4	36.0	38.1
5 सीमेंट	उ.न.	2.5	7.0	7.2	18.9	24.9	46.5	53.8	57.0	62.0	62.7
6 खाद्यान्न	4.0	9.6	14.5	24.3	35.6	33.1	45.6	50.3	52.0	57.9	71.3
7 उर्वरक	उ.न.	उ.न.	3.8	8.9	17.3	23.0	33.1	36.6	40.7	43.9	39.0
8 पी ओ एल	उ.न.	2.6	5.3	11.7	15.1	19.9	24.0	24.9	26.1	26.1	28.5
9 कन्टेनर सेवा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	9.7	12.7	13.8	13.6	13.8
i) घरेलू कन्टेनर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	28.4	31.6	27.2	31.6	36.2
ii) एक्विपम कन्टेनर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	38.1	44.3	41.0	45.2	50.0
iii) जोड़	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	38.1	44.3	41.0	45.2	50.0
10 शेष (अन्य माल)	22.3	31.9	37.9	39.1	36.4	44.5	48.8	49.5	52.3	60.8	54.4
11 कुल राजस्व अर्जक मालवहन यातायात	37.6	72.3	110.7	147.6	235.8	312.4	551.5	600.6	625.7	667.6	691.7

स्रोत : रेल मंत्रालय।

अ: अनन्तिम

उ.न. : उपलब्ध नहीं

क इसमें कोंकण रेल निगम लिमिटेड का भार शामिल नहीं है।

* संशोधित

पीओएल : पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेन्स

सारणी 1.25 : सड़क परिवहन प्रचालन

	इकाई	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सड़कों की लम्बाई (हजार कि.मी.)										
	कुल ^अ	399.9	524.5	914.9	1485.4	2327.4	3373.5	4471.5	4582.4	4690.3	4865.4
	सतही	157.0	263.0	398.0	684.0	1091.0	1601.7	2324.5	2432.8	2524.7	2698.6
2	राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई (हजार कि.मी.)										
	कुल	19.8	23.8	23.8	31.7	33.7	57.7	70.5	70.9	70.9	76.8
	सतही	उ.न.	21.0	23.3	31.5	33.4	57.7	70.5	70.9	70.9	76.8
3	राज्य राजमार्गों की लम्बाई (हजार कि.मी.)										
	कुल	उ.न.	na	56.8	94.4	127.3	132.1	158.5	160.2	163.9	164.4
	सतही	उ.न.	na	51.7	90.3	124.8	129.9	156.7	158.2	161.9	163.0
4	पंजीकृत वाहनों की संख्या (हजार)										
	सभी वाहन	306.0	665.0	1865.0	5391.0	21374.0	54991.0	114951	127746	141866	159491
	माल वाहक वाहन	82.0	168.0	343.0	554.0	1356.0	2948.0	6041	6432	7064	7658
	बसें	34.0	57.0	94.0	162.0	331.0	634.0	1486	1527	1604	1677
5	सड़क परिवहन से प्राप्त राजस्व (₹ करोड़)										
	केंद्रीय	34.8	111.7	451.8	930.9	4596.0	23861.0	53098	48386.9	75453.2	75572.5
	राज्य	12.6	55.2	231.4	750.4	3259.6	12901.7	34241	39512.6	45992.4	53577.3

स्रोत : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग।

^अ इसमें 31 मार्च, 1996 से जवाहर रोजगार योजना के तहत निर्मित सड़कें शामिल हैं।

उन: उपलब्ध नहीं।

स्रोत : राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क स्कन्ध, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

: राज्य राजमार्ग - राज्य लोक निर्माण विभाग

: पंजीकृत वाहन - राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय

: सड़क परिवहन से प्राप्त राजस्व (केंद्रीय) - डाटा प्रबंधन निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क

: सड़क परिवहन से प्राप्त राजस्व (राज्य) - राज्य की वित्त व्यवस्था - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया बजट 2011-12 का अध्ययन और उसके पूर्ववर्ती प्रकाशन

सारणी 1.26 : नागर विमानन में वृद्धि

	इकाई	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1999-00	2004-05	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-2013	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	विमान बेड़े की कुल संख्या												
(i)	एयर इंडिया	13	10	17	24	26	36						
(ii)	इंडियन एयरलाइन्स	88	73	49	56	53	61						
(iii)	एअर इण्डिया लि० पूर्व में नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड							108	113	98	91	95	99*
2.	राजस्व टन-कि.मी. (₹ करोड़)												
(i)	एयर इंडिया	7.56	27.52	98.01	138.10	145.65	221.80						
(ii)	इंडियन एयरलाइन्स	10.0	20.00	40.03	69.92	74.03	101.73						
(iii)	एअर इण्डिया लि० पूर्व में कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड							328.40	353.30	367.70	360.30	3346	3910.00
3.	ले जाये गए यात्रियों की संख्या (लाख)												
(i)	एयर इंडिया	1.25	4.87	14.18	21.61	33.50	44.40						
(ii)	इंडियन एयरलाइन्स	7.90	21.30	54.29	78.66	59.30	71.32						
(iii)	नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड							117.80	117.50	127.80	134.30	141.83	154.06
4.	भारतीय विमान-पत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों पर उतारे-चढ़ाये गए यात्रियों की संख्या (लाख)	उ.न.	उ.न.	107.38	177.23	390.35	592.84	442.54	508.71	596.43	684.00	683.87	717.8
								646.16	728.84	837.87	939.00	910.14	972.68
								1088.70	1237.6	1434.3	1623.10	1594	1690.48
5.	भारतीय विमान-पत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों पर उतारा-चढ़ाया गया माल (हजार मी० टन)	उ.न.	उ.न.	178.70	377.33	797.41	1278.47	561.42	592.95	726.52	703.43	650.41	636.48
								1140.57	1366.76	1621.92	1576.56	1540.14	1641.43
								1701.99	1959.71	2348.44	2279.99	2190.55	2277.91

स्रोत : नागर विमानन मंत्रालय।

^अ मार्च 2014 तक अद्यतित

^ब प्रत्याशित

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

सारणी 1.27 : पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का वस्तु शेष

(मिलियन टन)

मद	1950- 51a	1960- 61a	1970- 71a	1980- 81	1990- 91	2000- 01	2008- 09	2009- 10	2010- 11	2011- 12	2012- 13*	2013- 14*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. कच्चा तेल												
1. रिफाइनरी उत्पादन	0.3	6.6	18.4	25.8	51.8	103.4	160.77	192.77	196.99	204.12	219.21	222.70
2. घरेलू उत्पादन	0.3	0.5	6.8	10.5	32.2	32.4	33.51	33.69	37.68	38.09	37.86	37.78
(क) तटीय	0.3	0.5	6.8	5.5	11.8	11.8	11.28	11.82	16.43	18.03	19.44	19.59
(ख) अपतटीय	5.0	20.4	20.6	22.23	21.87	21.26	20.06	18.42	18.19
3. आयात	उ.न.	6.0	11.7	16.2	20.7	74.1	132.78	159.26	163.60	171.73	184.80	189.64
II. पेट्रोलियम उत्पाद												
1. घरेलू उपभोग ^ख	3.3	7.7	17.9	30.9	55.0	100.1	133.60	137.81	141.04	148.13	157.06	158.20
जिसमें से												
(क) नेफ्था	0.9	2.3	3.4	11.7	13.91	10.13	10.68	11.22	12.29	11.45
(ख) मिट्टी का तेल	0.9	2.0	3.3	4.2	8.4	11.3	9.30	9.30	8.93	8.23	7.50	7.17
(ग) हाई स्पीड डीजल तेल	0.2	1.2	3.8	10.3	21.1	37.9	51.71	56.24	60.07	64.75	69.08	68.37
(घ) ईंधन तेल	0.9	1.7	4.7	7.5	9.0	12.7	12.59	11.63	10.79	9.31	7.66	6.19
2. घरेलू उत्पादन ^ग	0.2	5.7	17.1	24.1	48.6	95.6	155.15	184.61	194.82	203.20	217.74	220.62
जिसमें से												
(क) नेफ्था	उ.न.	...	1.2	2.1	4.9	9.9	16.45	18.79	19.20	18.80	19.02	18.41
(ख) मिट्टी का तेल	उ.न.	0.9	2.9	2.4	5.5	8.7	8.39	8.70	7.81	7.86	7.97	7.42
(ग) हाई स्पीड डीजल तेल	उ.न.	1.1	3.8	7.4	17.2	39.1	62.91	73.30	78.06	82.88	91.10	93.72
(घ) ईंधन तेल	उ.न.	1.6	4.1	6.1	9.4	11.4	17.68	18.35	20.52	18.43	15.05	13.25
3. आयात ^क	3.1	2.5	1.1	7.3	8.7	9.3	18.59	14.67	17.38	15.85	15.77	16.09
4. निर्यात	उ.न.	उ.न.	0.3	...	2.7	8.4	38.94	51.16	59.08	60.84	63.41	68.42
5. निवल आयात (3-4)	उ.न.	उ.न.	0.8	7.3	6.0	0.9	-20.35	-36.50	-41.70	-44.99	-47.63	-52.33

स्रोत : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

* अर्न्तम

क इसमें एलएनजी का आयात शामिल नहीं है।

ख इसमें निजी पार्टियों द्वारा किया गया आयात सम्मिलित एण्ड रिफाइनरी ईंधन की खपत शामिल नहीं है।

ग इसमें प्रभाजकों (फ्रैक्शनैटर) से किया गया एल पी जी उत्पादन शामिल नहीं है।

उ.न. उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी: वर्ष 2010-11 से 2013-14 की सम्पूर्ण अवधि में रिफाइनरी क्रड से अन्य निवेश को अलग रखा गया है।

सारणी 1.28 : औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

(आधार 2004-05=100)

उद्योग समूह	उद्योग	भारत	2005-06	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सामान्य सूचकांक	100.00	108.6	152.9	165.5	170.3	172.2	172.1
10	खनन	14.16	102.3	124.5	131.0	128.5	125.5	124.7
15 - 36	विनिर्माण	75.53	110.3	161.3	175.7	181.0	183.3	181.9
15	खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ	7.28	113.2	133.5	142.9	164.8	169.5	167.6
16	तम्बाकू उत्पाद	1.57	101.0	102.0	104.1	109.7	109.2	110.3
17	सूती वस्त्र	6.16	108.3	127.4	135.9	134.0	142.0	148.2
18	परिधान: फर का वस्त्र और उसकी रंगाई	2.78	114.1	137.1	142.2	130.1	143.6	173.3
19	यात्रा बैग, हाथ बैग, जूतों का साज, साज सज्जा एवं जूते चप्पल, चमड़े के उत्पादों को कमाना चमकाना	0.58	90.9	105.8	114.3	118.5	127.1	133.7
20	काष्ठ और काष्ठ से बनी वस्तुएं कार्क, फर्नीचर छोड़कर							
	घास-फूस और प्लेटिंग समानों से बनी चीजें	1.05	106.8	160.1	156.5	159.2	147.9	144.5
21	कागज, कागज उत्पाद	1.00	106.3	121.1	131.4	138.0	138.7	138.7
22	प्रकाशन, मुद्रण और रिकॉर्डिंग मीडिया का पुनः प्रस्तुतीकरण	1.08	113.7	133.8	148.8	192.8	183.0	183.5
23	कोक, परिशोधित पेट्रोल उत्पाद और नाभिकीय ईंधन	6.72	100.6	121.8	121.5	125.8	136.4	143.5
24	रसायन और रासायनिक उत्पाद	10.06	101.0	120.7	123.1	122.7	127.3	138.7
25	रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद	2.02	112.3	167.4	185.2	184.6	185.0	181.1
26	अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	4.31	107.8	145.4	151.4	158.6	161.6	163.3
27	मूल धातुएँ	11.34	115.5	162.4	176.7	192.1	195.8	196.4
28	मशीन और उपकरणों के सिवाय निर्मित धातु वस्तुएँ	3.08	111.1	158.6	182.8	203.3	193.8	180.5
29	मशीनरी और उपकरण एनईसी	3.76	126.1	198.0	256.3	241.3	230.0	219.2
30	कार्यालय, अकाउंटिंग और कम्प्यूटिंग मशीनरी	0.31	145.3	154.4	146.3	148.7	128.1	108.0
31	बिजली मशीनरी और मशीनी औजार एनईसी	1.98	116.8	459.2	472.1	367.1	369.2	422.6
32	रेडियो, टीवी और संचार उपकरण और मशीनी औजार	0.99	122.7	809.1	911.5	950.5	1003.7	730.1
33	मेडिकल, सुस्पष्टता एवं दृष्टि और उपकरण, घड़ी और दीवार घड़ी	0.57	95.4	100.9	107.8	119.5	117.1	111.3
34	मोटर वाहन, ट्रैक्टर और सेमी ट्रैक्टर	4.06	110.1	179.1	233.3	258.6	244.8	221.3
35	अन्य परिवहन उपकरण	1.82	115.3	171.1	210.7	235.8	235.7	249.5
36	फर्नीचर, विनिर्माण एनईसी	3.00	116.2	152.7	141.2	138.6	131.5	113.3
40	बिजली	10.32	105.2	130.8	138.0	149.3	155.2	164.7

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

एनईसी : कहीं भी वर्गीकृत नहीं है।

सारणी 2.1 : केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के बजटीय लेन-देन

(इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आयोजनाओं के लिए उनके आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधन शामिल हैं)

(₹ करोड़)

	1980-81	1990-91	2000-01	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)	2012-13 (सं.अ.)	2013-14 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. कुल परिव्यय	36845	176548	615658	2070959	2396419	2725009	3250674	3117262	3655506
क. विकास ¹	24426	105922	317464	1170691	1385265	1605787	1879870	1836051	2108656
ख. विकास-भिन	12419	70626	298194	900268	1011154	1119222	1370804	1281211	1546850
1. रक्षा (निवल)	3600	15427	49622	141781	154117	170913	193407	178504	203672
2. व्याज अदायगियां	2957	25006	122792	317287	351145	403235	469592	465129	539034
3. कर संग्रहण प्रभार	504	1973	6570	18490	20205	22971	26724	27699	30545
4. पुलिस	1163	5657	21343	67830	77103	89815	102977	105166	117959
5. अन्य ²	4195	22563	97867	354881	408584	432288	578104	504713	655640
II. चालू राजस्व	24563	110607	393284	1321414	1720242	1842477	2234987	2074017	2537333
क. कर राजस्व	19844	87723	305320	1000844	1271665	1467890	1751124	1726549	2032489
1. आयकर और निगम-कर	2817	10712	67460	367142	437790	487341	563096	558807	660442
2. सीमा शुल्क	3409	20644	47542	83324	135813	149328	186694	164853	187308
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	6500	24514	68526	102991	137701	144901	193729	171315	196805
4. बिक्री कर	4018	18228	72874	231461	293256	361332	423263	429977	503653
5. अन्य	3100	13625	48918	215926	267105	324988	384342	401597	484281
ख. कर-भिन राजस्व ³	4719	22884	87964	320570	448577	374587	483863	347468	504844
(आयोजना के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक संसाधन)	(1374)	(11183)	(39415)	(160538)	(184323)	(202717)	(259859)	(196770)	(265910)
III. अन्तर (I-II)	12282	65941	222374	749546	676177	882533	1015687	1043245	118173
निम्न द्वारा वित्त पोषित:									
IV. निवल पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख)	8831	54455	223283	751949	684695	785377	1003285	968271	1099044
क. आन्तरिक (निवल)	7161	50192	214965	737770	658466	769967	990250	963294	1087030
1. निवल बाजार ऋण ⁴	3163	11308	85341	531493	445433	603608	678735	673848	735226
2. निवल लघु बचतें	1121	8309	8192	26030	3950	19078	7440	2021	7092
3. निवल राज्य तथा लोक भविष्य निधियां	558	3887	23661	44413	26131	17894	25713	23926	38501
4. गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमा रकमें	604	6721	7177	0	0	0	0	0	0
5. भारतीय रिजर्व बैंक से अनिवार्य जमा के आधार पर विशेष उधार	-70	-105	na	na	na	na	na	na	na
6. विविध निवल पूंजीगत प्राप्तियां ⁵	1785	20072	90594	135834	182952	129387	278362	263499	306211
ख. बाह्य ⁶	1670	4263	8318	14179	26229	15410	13035	4977	12014
1. निवल ऋण	749	3181	7505	11038	23556	12448	10148	2215	10558
(I) सकल	1141	5339	17328	22177	35330	26034	26048	18491	27646
(II) घटाएं अदायगियां	392	2158	9823	11140	11774	13586	15900	16276	17088
2. अनुदान	436	586	813	3141	2673	2962	2887	2762	1456
3. निवल विशेष ऋण	-53	-76	0						
V. कुल बजटीय घाटा	3451	11486	-909	-2404	-8517	97153	12401	74975	19128

स्रोत : आर्थिक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

उन : उपलब्ध नहीं।

सं.अ.: संशोधित अनुमान

बअ: बजट अनुमान

- टिप्पणियां: 1 इसमें रेलवे, संचार और गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का आयोजनागत व्यय शामिल है, जिनका वित्तपोषण उनके आन्तरिक और बजट-बाह्य साधनों से किया जाता है जिसमें बाजार ऋण और वित्तीय संस्थाओं से राज्य सरकारों के उपक्रमों को दिये जाने वाले सावधिक ऋण शामिल हैं। इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा गैर-विभागीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों और अन्य पक्षों को दिये जाने वाले विकास संबंधी ऋण भी शामिल हैं। फिर भी, 1980-81 में 45 करोड़ रुपये की सांकेतिक राशि शामिल नहीं है जो गैर-विभागीय उपक्रमों को दी गई ऋण पूंजी को इक्विटी पूंजी में रूपान्तरित करने के कारण है।
- 2 इसमें सामान्य प्रशासन, पेंशन और अकाल सहायता संबंधी अनुग्रह-राशि की अदायगियां (केवल आयोजना-भिन अंश), खाद्य और नियंत्रित कपड़े पर आर्थिक सहायता, अन्य देशों को अनुदान और ऋण और अन्य पक्षों की विकास भिन प्रयोजनों के लिए ऋण शामिल हैं किन्तु इसमें आकस्मिकता निधि के लेन-देन शामिल नहीं हैं। इसमें अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए जाने वाले अधिदान के संबंध में सांकेतिक लेन-देन शामिल नहीं हैं जो 1980-81 में 559 करोड़ रुपये, 1990-91 में 550 करोड़ रुपये, 2000-01 में 629 करोड़ रुपये, 2007-08 में शून्य, 2008-09 में 1,444 करोड़ रुपये, 2009-10 में 3654, 2010-11 में 9051 और 2011-12 में 1613 करोड़ रुपये, 2012-13 (सं.अ.) में 4149 करोड़ और 2013-14 (ब.अ.) में 42149 करोड़ रुपये हैं।
- 3 इसमें रेलवे, संचार और गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के आयोजना के लिए आन्तरिक संसाधन शामिल हैं।
- 4 इसमें राज्य सरकारों के सरकारी उद्यमों के लिए बाजार-उधार शामिल हैं।
- 5 इसमें गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा उनके ऋणों को इक्विटी पूंजी में रूपान्तरित किये जाने के कारण ऋणों की अदायगी के कारण, सांकेतिक प्राप्तियां शामिल नहीं हैं। इसमें अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और आकस्मिकता निधि के लेन-देन के संबंध में सांकेतिक लेन-देन भी शामिल नहीं हैं।
- 6 आई एम एफ न्यास निधि से लिए गए 538 करोड़ रुपये के ऋण 1980-81 में विदेशी ऋणों के तहत परक्रामा निधि से लिए गए 572 करोड़ रुपये 1990-91 में विदेशी ऋण के तहत शामिल किए गए हैं।

सारणी 2.2 : केन्द्र सरकार का कुल व्यय

1	अंतिम परिव्यय			शेष अर्थव्यवस्था को अंतरण अदायगी			शेष अर्थ- व्यवस्था में वित्तीय निवेश तथा ऋण (सकल)	कुल व्यय (4+7+8) (₹ करोड़)
	सरकारी उपभोग व्यय	सकल पूँजी निर्माण	जोड़ (2+4)	चालू	पूँजी	जोड़ (5+6)		
2	3	4	5	6	7	8	9	
पहली योजना (1951-52 से 1955-56)	1241	612	1854	809	123	932	966	3751
दूसरी योजना (1956-57 से 1960-61)	1962	1445	3406	1567	249	1816	2600	7823
तीसरी योजना (1960-61 से 1965-66)	4256	2445	6701	2983	501	3484	5076	15261
वार्षिक योजना (1966-67 से 1968-69)	3878	1243	5121	3214	407	3621	4740	13481
चौथी योजना (1969-70 से 1973-74)	9775	2969	12745	8036	1454	9490	10760	32994
पांचवीं योजना (1974-75 से 1978-79)	17576	5951	23527	19773	3230	23003	21145	67674
छठी योजना (1980-81 से 1984-85)	35885	14823	50708	50604	9910	60514	47034	158256
सातवीं योजना (1985-86 से 1989-90)	81974	31616	113590	134246	26292	160538	89764	363892
आठवीं योजना (1992-93 से 1996-97)	179676	73599	253275	387746	66433	454179	127752	835206
नौवीं योजना (1997-98 से 2001-02)	331143	100568	431711	795621	106925	902546	150754	1485011
दसवीं योजना (2002-03 से 2006-07)	516165	144027	660192	1390293	185704	1575997	123921	2360109
ग्यारहवीं योजना (2007-08 से 2011-12)	1002126	284215	1286341	2946106	529055	3475161	212323	4973825
1970-71	1669	519	2189	1239	193	1432	1956	5577
1975-76	3449	1204	4654	3018	536	3553	3830	12037
1976-77	3606	1112	4718	3945	502	4447	3986	13150
1977-78	3678	1107	4785	4678	755	5433	4768	14986
1978-79	3975	1301	5277	5683	1063	6745	5696	17717
1979-80	4502	1528	6030	6064	1220	7283	5191	18504
1980-81	5174	1908	7082	6912	1302	8214	7200	22495
1981-82	6096	2552	8648	7728	1525	9253	7500	25401
1982-83	7057	2884	9941	9590	1788	11378	9175	30494
1983-84	8130	3356	11486	11436	2337	13773	10729	35988
1984-85	9428	4123	13552	14938	2958	17896	12432	43879
1985-86	11210	4558	15768	18347	3825	22173	15172	53112
1986-87	14665	5905	20570	21243	4408	25651	17803	64023
1987-88	16551	5961	22512	25380	5474	30854	16938	70305
1988-89	18764	7056	25820	31399	5750	37148	18434	81402
1989-90	20784	8137	28920	37877	6835	44712	21417	95049
1990-91	22359	8602	30961	45134	7117	52251	21760	104973
1991-92	24466	9259	33725	51378	8449	59827	19179	112731
1992-93	26865	11875	38739	58518	9092	67610	19578	125927
1993-94 ^ख	31815	12765	44580	66750	11811	78560	22648	145788
1994-95	34878	14328	49206	76368	13974	90342	27450	166998
1995-96	41881	16685	58566	85304	15263	100566	26101	185233
1996-97	44238	17946	62184	100807	16294	117101	31975	211260
1997-98 ^ग	53090	18955	72046	111577	17360	128937	23884	224866
1998-99	59920	20647	80567	137611	18671	156282	26907	263755
1999-2000	68831	26075	94906	161549	20482	182031	30572	307509
2000-01	71977	22258	94235	183696	22404	206100	27929	328265
2001-02	77324	12634	89958	201188	28009	229197	41462	360616
2002-03	85389	21697	107086	228501	29406	257907	33886	398879
2003-04	87170	23997	111167	248436	32038	280474	34491	426132
2004-05	105692	27396	133088	259529	36822	296351	34393	463831
2005-06	116305	34450	150755	297267	41681	338948	11380	501083
2006-07	121609	36487	158095	356560	45758	402318	9771	570185
2007-08	131396	43652	175048	408676	53758	462434	51427	688909
2008-09	174345	51464	225809	543347	70287	613634	25087	864530
2009-10	210625	58999	269624	580898	113345	694243	28575	992442
2010-11	230262	65059	295321	656300	150312	806612	62795	1164728
2011-12	255498	65041	320539	756885	141353	898238	44439	1263216
2012-13(सं.अ.)	269339	77974	347312	862641	140059	1002700	48261	1398273
2013-14(ब.अ.)	315318	97498	412816	952913	189945	1142858	102359	1658033

स्रोत : वित्त मंत्रालय, केन्द्र सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण-विभिन्न प्रकाशन।

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

^क इसमें 1965-66 के लिए 53 करोड़ रु. की अतिरिक्त अदायगियों की रकम शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ तथा एशियाई विकास बैंक को रुपए के सममूल्य में हुए परिवर्तन के कारण की गई थी। यह सांकेतिक परिव्यय है क्योंकि यह भारत सरकार की अपरक्राम्य प्रतिभूतियां जारी करके पूरा किया जाता है।

^ख 1993-94 से आगे, इसमें दिल्ली शामिल नहीं है।

^ग 1997-98 से आगे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में लघु बचत संग्रहणों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से के एवज में उन्हें दिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

सारणी 2.3 : विकास शीर्षों के अनुसार ग्यारहवीं योजना (2007-12) का परिचय : केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

क्र. सं.	विकास शीर्ष	राशि (₹ करोड़)							प्रतिशत वितरण							योग्यता योजना (2007-12)	(ग्रामिण विकास)
		ग्यारहवीं योजना (2007-12)	वार्षिक योजना (2007-08)	वार्षिक योजना (2008-09)	वार्षिक योजना (2009-10)	वार्षिक योजना (2010-11)	वार्षिक योजना (2011-12)	ग्यारहवीं योजना (2007-12)	वार्षिक योजना (2007-12)	वार्षिक योजना (2008-09)	वार्षिक योजना (2009-10)	वार्षिक योजना (2010-11)	वार्षिक योजना (2011-12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	कृषि और सम्बद्ध कार्यक्रम	136381	20083	27117	29498	40370	45781	162849	3.7	4.2	4.3	4.1	4.9	4.9	4.5		
2.	ग्रामीण विकास	301069	34309	59080	58615	67008	65996	285008	8.3	7.2	9.4	8.2	8.1	7.0	8.0		
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	26329	6607	6999	7875	10093	12563	44138	0.7	1.4	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2		
4.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	210326	38275	41164	42853	46049	49221	217563	5.8	8.1	6.6	6.0	5.6	5.3	6.1		
5.	ऊर्जा	854123	84677	106212	148372	150251	162661	652173	23.4	17.8	16.9	20.7	18.2	17.4	18.2		
6.	उद्योग और खनिज	153600	19501	30260	39041	45056	46084	179943	4.2	4.1	4.8	5.4	5.5	4.9	5.0		
7.	परिवहन	572443	83743	105064	127356	139541	156353	612058	15.7	17.6	16.7	17.8	16.9	16.7	17.1		
8.	संचार	95380	8348	13090	14748	10336	6586	53108	2.6	1.8	2.1	2.1	1.3	0.7	1.5		
9.	विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	87933	9909	11860	13267	15948	16157	67141	2.4	2.1	1.9	1.9	1.9	1.7	1.9		
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	62523	10183	1108	11482	20496	31218	84487	1.7	2.1	1.8	1.6	2.5	3.3	2.4		
11.	सामाजिक सेवाएं	1102327	153133	209206	215955	272031	322215	1172540	30.2	32.2	33.3	30.1	32.9	34.4	32.7		
12.	सामान्य सेवाएं	42283	6243	6999	7972	9088	21457	51759	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	2.3	1.4		
13.	जोड़ (1 से 12)	3644718	475012	628161	717035	826268	936292	3582767	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

स्रोत : योजना आयोग।

सारणी 2.4 : विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र 2012-17 ग्यारवहीं योजना का परित्यय

क्रम सं.	विकास शीर्ष	राशि (₹ करोड़)			प्रतिशत वितरण		
		बारहवी योजना (2012-17)	वार्षिक योजना 2012-13	वार्षिक योजना 2013-14	बारहवी योजना (2012-17)	वार्षिक योजना 2012-13	वार्षिक योजना 2013-14
		(चालू दरों पर)	(स.अ.)	(ब.अ.)	(चालू दरों पर)	(स.अ.)	(ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	363273	54618	64098	4.7	4.9	4.7
2.	ग्रामीण विकास	457464	67034	77307	6.0	6.0	5.6
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	80370	14264	18392	1.0	1.3	1.3
4.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	422012	65427	78211	5.5	5.9	5.7
5.	ऊर्जा	1438466	199690	221095	18.8	18.0	16.1
6.	उद्योग और खनिज	377302	51957	64602	4.9	4.7	4.7
7.	परिवहन	1204172	161083	196628	15.7	14.5	14.3
8.	संचार	80984	8257	12380	1.1	0.7	0.9
9.	विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	167350	19449	26874	2.2	1.8	2.0
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	305612	39923	63022	4.0	3.6	4.6
11.	सामाजिक सेवाएं	2664843	395054	476980	34.7	35.6	34.8
12.	सामान्य सेवाएं	107959	32936	71347	1.4	3.0	5.2
13.	जोड़ (1 से 12)	7669807	1109692	1370936	100.0	100.0	100.0

स्रोत : योजना आयोग।

ब.अ. : बजट अनुमान

स.अ. : संशोधित अनुमान

सारणी 2.5 : केंद्र और राज्यों की वार्षिक योजनाओं 2012-13 (सं.अनु./अं.अनु.) और 2013-14 (ब.अनु./वा.यो.) के लिए वित्त पोषण

(करोड़ ₹ में)

मद	राज्य व संघ राज्य क्षेत्र (अं.अनु.)	2012-13 केंद्र (सं.अनु.)	जोड़ (2+3)	राज्य व संघ राज्य क्षेत्र (वा.यो.)	2013-14 केन्द्र (ब.अनु.)	जोड़ (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
I. घरेलू ऋण-भित्त संसाधन	155326	-61798	93528	198243	43509	241752
क. बी.सी.आर.	128015	-120212	7803	186632	-24774	161858
ख. एम.सी.आर. (ऋण-अदायगी हेतु कटौतियां शामिल नहीं हैं)	-6053	58414	52361	-12376	68283	55907
ग. भारत सरकार से आयोजना-अनुदान (टी एफ सी)	13586	0	13586	14149	0	14149
घ. ए.आर.एम.	1075	0	1075	4512	0	4512
ङ. अथशेष का समायोजन	18703	0	18703	5326	0	5326
II. घरेलू ऋण-संसाधन निवल उधार (i) - (ii)	203868	486010	689878	255137	499798	754935
(i) सकल उधार (क. से. च.)	321521	486010	807531	384595	499798	884393
क. राज्य भविष्य निधि (निवल)	65217	10000	75217	70751	10000	80751
ख. लघु बचत (निवल)	13421	8626	22047	15599	5798	21397
ग. परक्रामित ऋण (निवल)	21182	0	21182	26741	0	26741
घ. भारत सरकार के ऋण	15237	0	15237	20278	0	20278
ङ. बाज़ार उधार (निवल)	206464	467384	673848	251226	484000	735226
च. बॉण्ड/ऋण पत्र	0	0	0	0	0	0
(ii) अदायगियां	117653	0	117653	129458	0	129458
अपने संसाधन (उधर सहित) (I + II)	359194	424211	783405	453380	543307	996686
III. केन्द्रीय सहायता (अनुदान) (1 + 2 + 3)	104526	-112002	-7476	125572	-136254	-10682
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए)*	24948	-24089	859	28533	-27636	897
2. ई.ए.पी. के लिए ए.सी.ए.	5620	-13500	-7880	6630	-13500	-6870
3. अन्य	73959	-74413	-455	90408	-95118	-4710
क. सरकारी संसाधन (I + II + III)	463721	312209	775929	578952	407053	986004
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) का अंशदान	52959	238992	291951	94101	261055	355156
ग. स्थानीय निकाय	15132	0	15132	13318	0	13318
घ. विदेश से निवल आय	0	4976	4976	0	12016	12016
कुल आयोजनागत संसाधन (क + ख + ग + घ)	531812	556177	1087988	686371	680124	1366495

* राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कॉलम में केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत एनसीए (अनुदान) और अन्य (अनुदान) में वर्ष 2011-12 (अ.अ.) और 2012-13 (वा.यो.) दोनों वर्षों में दिल्ली और पुडुच्चेरी का आवंटन शामिल है।

** ईएपी (अनुदान) के लिए एसीए में 2011-12 (सं.अ.) के लिए केन्द्र के कॉलम में 10,000 करोड़ रुपए की ऋण राशि और 2012-13 (ब.अ.) में 11000 करोड़ रुपए शामिल है।
 एलई : नवीनतम अनुमान, वा.यो. : वार्षिक योजना, सं.अ. : संशोधित अनुमान, ब.अ. : बजट अनुमान, बीसीआर : चालू राजस्व शेष राशि, एमसीआर : विविध पूंजीगत प्राप्ति, एआरएम : अतिरिक्त संसाधन जुटाना, ईएपी : विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं, एसीए : अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, इएपी : विदेशी सहायता प्राप्त टिप्पणी : संघ राज्य क्षेत्रों में केवल विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र नामशः दिल्ली और पुडुच्चेरी शामिल है।

सारणी 2.6: बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के दौरान पब्लिक सेक्टर आयोजना परिव्यय की समग्र वित्तपोषण की पद्धति

(वर्तमान कीमतों पर ₹ करोड़)

संसाधन	केंद्र	राज्य व संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
1	2	3	4
1. चालू राजस्व की शेष राशि (बी.सी.आर.)	1387371	959979	2347350
2. उधार (निवल एम.सी.आर. एवं अन्य देनदारियों सहित)	2181255	1518301	3699556
3. विदेशों से निवल अंतर्प्रवाह
4. केन्द्र की सकल बजटीय सहायता (1 + 2 + 3)	3568626	...	3568626
5. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन	1622899	380319	2003218
6. राज्यों के अपने संसाधन (1 + 2 + 5)	...	2858599	2858599
7. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता	-857786	857786	...
8. सरकारी क्षेत्र की आयोजना के संसाधन (1+2+3+5+7)	4333739	3716385	8050123

स्रोत : योजना आयोग की 12वीं पंच-वर्षीय योजना दस्तावेज का प्रारूप।

सारणी 2.7 : भारतीय रेलवे का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(₹ करोड़)

	1980-81	1990-91	2001-02	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (स.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. सकल यातायात प्राप्तियां	2624	12096	37837	94536	104110	123733	140500
(i) यात्री कोचिंग	827	3147	11197	25793	28246	31323	37500
(ii) अन्य कोचिंग	116	336	872	2470	2717	3054	3665
(iii) माल	1618	8408	24845	62845	69548	85263	94000
(iv) अन्य आय प्राप्तियां	82	242	944	3418	3643	4261	5285
(v) उच्चत लेखा	-19	-37	-21	10	-43	-168	50
2. कार्यचालन व्यय	2537	11154	36293	89474	98667	111572	127260
(i) साधारण कार्यचालन व्यय	2233	8234	28703	68139	74537	84012	97060
(ii) मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि में विनियोग	220	1950	2000	5515	6520	6850	6500
(iii) पेंशन निधि में विनियोग	84	970	5590	15820	17610	20710	23700
3. निवल यातायात प्राप्तियां (1-2)	87	942	1544	5062	5443	12161	13240
4. निवल विविध प्राप्तियां	40	171	793	1285	1339	1454	2543
5. निवल राजस्व (3+4)	127	1113	2337	6347	6782	13615	15783
6. लाभांश							
(i) सामान्य राजस्व को देय	325	938	2337	4941	5656	5349	7840
(ii) आस्थगित लाभांश का भुगतान							
(iii) अस्थगित लाभांश	0	0	1000				
(iv) निवल देय लाभांश	325	938	1337	4941	5656	5349	7840
7. अधिशेष (+) अथवा घाट (-)	-198	175	1000	1406	1126	8266	7943
8. (i) प्रभारित पूंजी	6096	16126	37757	130540	122772	144812	170064
(ii) पूंजी निधि से निवेश	0	0	10390	38676	38676	38676	38676
(iii) जोड़ [(i) + (ii)]	6096	16126	48147	169216	161448	183488	208740
9. मद 5, मद 8(iii) के प्रतिशत के रूप में	2.1	6.9	4.9	3.8	4.2	7.4	7.6
10. मद 7, मद 8(iii) के प्रतिशत के रूप में	-3.2	1.1	2.1	0.8	0.7	4.5	3.8

स्रोत : रेल मंत्रालय

स.अ. : संशोधित अनुमान

सारणी 2.8: डाक विभाग का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(₹ करोड़)

	1980-81	1990-91	2000-01	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (स.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. सकल प्राप्तियां	278	840	3298	5862	6267	6962	7518	9367	9788
2. निवल कार्यचालन व्यय	346	1033	4848	9455	12908	13308	12827	14792	15807
3. निवल प्राप्तियां (1-2)	-68	-193	-1550	-3593	-6641	-6346	-5309	-5425	-6019
4. सामान्य राजस्व को लाभांश	4	0	0	0	0	0	0	0	0
5. अधिशेष(+)/घाटा (-) (3-4)	-72	-193	-1550	-3593	-6641	-6346	-5309	-5425	-6019

स्रोत : डाक विभाग, संचार मंत्रालय

सारणी 2.9: केंद्रीय सरकार की प्राप्तियां और व्यय

(₹ करोड़)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (ब.अनु.)	2013-14 (सं.अनु.)	2013-14 (अनंतिम)
1. राजस्व प्राप्तियां (क + ख)	541864	540259	572811	788471	751437	877613	1056330	1029251	1015279
(क) कर राजस्व									
(राज्यों का निवल हिस्सा)	439547	443319	456536	569869	629765	740256	884078	836025	816046
(ख) कर भिन्न राजस्व	102317	96940	116275	218602	121672	137357	172252	193226	199233
2. राजस्व व्यय	594433	793798	911809	1040723	1145786	1243509	1436168	1399539	1375590
जिससे से									
(क) व्याज अदायगियां	171030	192204	213093	234022	273150	313169	370684	380066	377502
(ख) प्रमुख सब्सिडियां	66638	123206	134658	164516	211319	247493	220972	245451	247596
(ग) रक्षा व्यय	54219	73305	90669	92061	103011	111277	116931	124800	123449
3. राजस्व घाटा (2-1)	52569	253539	338998	252252	394349	365896	379838	370288	360311
4. पूंजी प्राप्तियां	170807	343697	451676	408857	552928	532754	608967	561183	548206
जिसमें से									
(क) ऋणों की वसूली	5100	6139	8613	12420	18850	16268	10654	10803	12502
(ख) अन्य प्राप्तियां (मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश)	38795	566	24581	22846	18088	25890	55814	25841	27555
(ग) उधार और अन्य देनदारियां	126912	336992	418482	373591	515990	490596	542499	524539	508149
5. पूंजी व्यय	118238	90158	112678	156604	158579	166858	229129	190895	187895
6. कुल व्यय									
[2+5=6(क)+6(ख)]	712671	883956	1024487	1197327	1304365	1410367	1665297	1590434	1563485
जिसमें से									
(क) आयोजना व्यय	205082	275235	303391	379029	412375	413625	555322	475532	453085
(ख) आयोजना-भिन्न व्यय	507589	608721	721096	818298	891990	996742	1109975	1114902	1110400
7. राजकोषीय घाटा [6-1-4(क)-4(ख)]	126912	336992	418482	373590	515990	490596	542499	524539	508149
8. प्राथमिक घाटा 7-2(क)	-44118	144788	205389	139568	242840	177427	171815	144473	130647
ज्ञापन मदें									
(क) व्याज प्राप्तियां	21060	20717	21784	19734	20252	20763	17764	21018	22407
(ख) आयोजना भिन्न राजस्व व्यय	420861	559024	657925	726491	812049	914301	992908	1027688	1023047

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और लेखा महानियंत्रक।

स.अ. संशोधित में ब.अ. अनुमान अनंतिम: अनंतिम वास्तविक (संपरीक्षित)

§ इसमें बाजार स्थिरीकरण योजना की प्राप्तियां शामिल नहीं की गयी हैं। ये केंद्रीय सरकार के नकद शेष में बनी रहेंगी और व्यय के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी।

सारणी 2.10 : केंद्रीय सरकार की बकाया देयताएं

	(₹ करोड़)						
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	मार्चान्त 2013-14 (स.अ.)
1. आन्तरिक देयताएं ^क	2725394	3036132	3395877	3781135	4347164	4893313	5404721
क) आन्तरिक ऋण	1799651	2019841	2328339	2667115	3230622	3764566	4250297
i) बाजार उधारें	1104564	1338194	1746619	2072033	2516953	2984309	3442210
ii) अन्य	695087	681647	581720	595082	713669	780257	808087
ख) अन्य आंतरिक देयताएं	925743	1016291	1067538	1114020	1116542	1128747	1154424
2. विदेशी ऋण (बकाया) ^ख	112031	123046	134083	157639	177289	177289	182729
3. कुल बकाया देयताएं (1+2)	2837425	3159178	3529960	3938774	4524453	5070602	5587450
4. बंटवारे से पूर्व ऋण के हिस्से के कारण पाकिस्तान द्वारा देश राशि	300	300	300	300	300	300	300
5. निवल देयताएं (3+4)	2837125	3158878	3529660	3938474	4524153	5070302	5587150
ज्ञापन में							
(क) विदेशी ऋण ^ग	210083	264076	249311	278448	322893	332005	374494
(ख) कुल बकाया देयताएं (समायोजित)	2935477	3300208	3645188	4059583	4670057	5225318	5779215
(ग) आन्तरिक देयताएं (गैर-आरबीआई) ^घ	2492205	2707846	3087360	3464858	3904022	4396821	4889550
(घ) बकाया देयताएं (गैर-आरबीआई) ^घ	2702291	2971905	3336666	3743735	4226919	4728825	5232114
(ङ) केंद्रीय सरकार की आकामिक देयताएं	104872	113335	137460	151292	190519	233769	उ.न.
(च) कुल आस्तियां	1569546	1569043	1607544	1794504	1927143	2080649	2224453

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज, सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा नियंत्रक और भारतीय रिजर्व बैंक।

एन.ए. : उपलब्ध नहीं

क आंतरिक ऋण में बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत 2009-10 हेतु ₹ 2,737 करोड़ की निवल उधारें शामिल हैं।

ख विदेशी ऋण आंकड़े विदेशी स्रोतों से केन्द्रीय सरकार द्वारा ली गई उधारों को प्रदर्शित करते हैं और विनिमय की ऐतिहासिक दरों पर आधारित हैं।

ग वर्षान्त विनिमय दरों में परिवर्तित। 2007-08 के लिए मार्चान्त 2008 और उससे आगे की प्रचलित दरें।

घ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विपणित दिनांकित प्रतिभूतियां शामिल हैं।

सारणी 2.11: केंद्रीय सरकार द्वारा कुल व्यय और पूंजी निर्माण तथा इसकी कार्यप्रणाली

(केंद्रीय सरकार बजट के आर्थिक और क्रियात्मक वर्गीकरण के अनुसार)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (स.अ.)	2013-14 (ब.अ.)
I. कुल व्यय	688908	864530	992440	1164727	1263216	1398274	1658033
II. केंद्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी निर्माण	143892	136935	184501	256368	234969	243776	318892
(i) केंद्रीय सरकार द्वारा सकल पूंजी निर्माण	43652	51464	58999	65059	65041	77974	97498
(ii) शेष अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	100240	85471	125502	191309	169928	165802	221394
III. केंद्रीय सरकार की सकल बचत	13674	-176082	-232452	-103270	-267428	-254765	-203591
IV. अंतर (II-III) द्वारा वित्तपोषित	130218	313017	416953	359638	502397	498541	522483
क. घरेलू अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर ड्राफ्ट	118180	299208	402774	333409	486987	493564	510467
(i) घरेलू पूंजी प्राप्तियां	145351	246612	404160	326979	502977	498714	510467
(ii) बजटीय घाटा/नकद शेष के आहरण द्वारा कमी	-27171	52596	-1386	6430	-15990	-5150	0
ख. विदेशी बचतों पर मसौदा	12038	13809	14179	26229	15410	4977	12016
(पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि)							
II. केंद्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी ज्ञापन मर्दे	63.7	-4.8	34.7	39.0	-8.3	3.7	30.8
1. कुल व्यय	688908	864530	992440	1164727	1263216	1398274	1658033
2. केंद्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी	143891	136935	184501	256368	234969	243775	318892
3. खपत व्यय	131396	174345	210625	230262	255498	269339	315318
4. वर्तमान अंतरण	408676	543347	580898	656300	756885	862641	952913
5. अन्य	4945	9903	16417	21798	15864	22519	70910
(वृद्धि दर)							
1. कुल व्यय	20.8	25.5	14.8	17.4	8.5	10.7	18.6
2. केंद्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी	63.7	-4.8	34.7	39.0	-8.3	3.7	30.8
3. खपत व्यय	8.0	32.7	20.8	9.3	11.0	5.4	17.1
4. वर्तमान अंतरण	14.6	33.0	6.9	13.0	15.3	14.0	10.5
5. अन्य	19.7	100.3	65.8	32.8	-27.2	42.0	214.9
(बिन्दु अंशदान)							
1. कुल व्यय	20.8	25.5	14.8	17.4	8.5	10.7	18.6
2. केंद्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी	9.8	-1.0	5.5	7.2	-1.8	0.7	5.4
3. खपत व्यय	1.7	6.2	4.2	2.0	2.2	1.1	3.3
4. वर्तमान अंतरण	9.1	19.5	4.3	7.6	8.6	8.4	6.5
5. अन्य	0.1	0.7	0.8	0.5	-0.5	0.5	3.5

स्रोत : वित्त मंत्रालय, एन एकोनामिक एंड कंशनल कलासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बजट-विभिन्न संस्करण।

टिप्पणियां: 1. इस सारणी में सकल पूंजी निर्माण में सकल आधार पर पूंजी निर्माण के लिए दिए गए ऋणों को शामिल किया गया है। परिणामस्वरूप, घरेलू पूंजी प्राप्तियों में केंद्रीय सरकार को पुनर्भुगतान किए गए ऋण शामिल हैं।

2. खपत व्यय वर्तमान प्रयोग हेतु पारिश्रमिकों और वेतनों तथा पण्यों एवं सेवाओं पर किया गया व्यय है।

3. ब्याज भुगतानों, सब्सिडियों, पेंशन, आदि को वर्तमान अंतरणों की तरह माना गया है।

4. सकल पूंजी निर्माण और कुल व्यय में लघु बचत संग्रहण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/राज्यों के मुकाबले संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से में ऋणों को शामिल नहीं किया गया है।

5. आर्थिक और क्रियात्मक वर्गीकरण के अनुसार केंद्रीय सरकार के कुल व्यय के आंकड़े बजटीय दस्तावेजों में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। आर्थिक और क्रियात्मक वर्गीकरण में, डीसीयू को अंतरित ब्याज, बट्टे खाते डाले गए ऋण आदि चालू खाते में शामिल नहीं किए गए हैं।

पूंजी लेखा में, रेलवे, डाक और दूर संचार की अपनी निधि आदि से वित्त पोषित व्यय शामिल नहीं हैं।

6. बिन्दु अंशदान का अभिप्राय है कुल वृद्धि में व्यक्तिगत अंशदान।

सारणी 2.12 : राज्य और समेकित सरकार की प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)					
मदें	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (सं.अ.)	2013-14 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6
राज्य सरकार					
I. कुल प्राप्तियां	10,07,633	11,73,575	13,67,917	16,37,149	18,64,659
क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)	7,68,136	9,35,347	10,98,531	13,42,138	15,26,013
1. कर-प्राप्तियां जिनमें से राज्य के स्वयं के कर राजस्व	5,28,075	6,80,198	8,12,987	9,57,613	11,07,916
2. कर-भिन्न प्राप्तियां जिनमें से ब्याज प्राप्तियां	3,63,061	4,60,709	5,57,396	6,61,385	7,63,851
ख. पूंजी प्राप्तियां जिनमें से ऋणों और अग्रिमों की वसूली	2,40,062	2,55,149	2,85,544	3,84,525	4,18,097
II. कुल संवितरण (क + ख + ग)	15,294	15,625	18,582	19,363	19,659
क. राजस्व	2,39,497	2,38,227	2,69,385	2,95,011	3,38,646
ख. पूंजी	8,088	4,995	17,157	11,528	6,686
ग. ऋण एवं अग्रिम	10,15,330	11,58,730	13,51,612	16,66,255	18,63,762
III. राजस्व घाटा	7,99,154	9,32,297	10,74,571	13,22,503	14,78,283
IV. सकल राजकोषीय घाटा	1,98,689	2,07,617	2,38,150	3,10,654	3,56,590
सामान्य सरकार					
I. कुल प्राप्तियां (क + ख)	17,487	18,816	38,891	33,098	28,890
क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)	31,017	-3,051	-23,960	-19,635	-47,730
1. कर-प्राप्तियां	1,88,819	1,61,461	1,68,353	2,33,410	2,45,046
2. कर-भिन्न प्राप्तियां जिनमें से ब्याज प्राप्तियां	18,45,808	21,53,561	24,54,062	28,15,972	32,20,679
ख. पूंजी प्राप्तियां जिनमें से क. विनिवेश प्राप्तियां	12,10,559	15,78,820	16,92,679	20,46,860	23,69,848
ख. ऋण और अग्रिम की वसूली	9,84,611	12,50,067	14,42,752	16,99,728	19,91,994
II. कुल संवितरण (क + ख + ग)	2,25,948	3,28,753	2,49,927	3,47,132	3,77,854
क. राजस्व	25,748	25,078	28,870	26,860	28,960
ख. पूंजी	6,35,249	5,74,742	7,61,383	7,69,112	8,50,831
ग. ऋण एवं अग्रिम	25,393	24,087	18,753	24,141	56,057
III. राजस्व घाटा	11,499	8,206	25,370	17,324	8,934
IV. सकल राजकोषीय घाटा	18,52,119	21,45,145	24,21,768	28,39,927	32,19,783
संशोधित अनुमान					
I. कुल प्राप्तियां (क + ख)	15,80,574	18,28,020	20,63,068	24,18,469	27,01,956
क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)	2,46,246	2,68,328	2,91,818	3,56,737	4,69,875
1. कर-प्राप्तियां	25,299	48,797	66,883	64,722	47,951
2. कर-भिन्न प्राप्तियां जिनमें से ब्याज प्राप्तियां	3,70,015	2,49,200	3,70,388	3,71,609	3,32,108
ख. पूंजी प्राप्तियां जिनमें से क. विनिवेश प्राप्तियां	6,04,668	5,34,032	6,84,966	7,51,602	7,84,944
ख. ऋण और अग्रिम की वसूली					
II. कुल संवितरण (क + ख + ग)					
क. राजस्व					
ख. पूंजी					
ग. ऋण एवं अग्रिम					
III. राजस्व घाटा					
IV. सकल राजकोषीय घाटा					

स्रोत :

भारतीय रिजर्व बैंक

ब.अ. - बजट अनुमान

सं.अ. - संशोधित अनुमान

टिप्पणी: 1. विनिवेश प्राप्तियों में राज्यों की विविध पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं।

2. ऋणात्मक घाटा संकेतकों में अधिशेष को दर्शाता है।

3. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर सरकारी लेखाएं शामिल किए गए हैं।

4. पूंजीगत संवितरण में सरकारी लेखे शामिल नहीं हैं।

5. सामान्य सरकार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को मिलाकर बनती है।

6. कुल संवितरण केन्द्र और राज्य सरकार की निवल वापसी अदायगी होती है। कुल प्राप्तियों केन्द्र और राज्य सरकार के नकद शेष में निवल अंतर के साथ-साथ रिजर्व बैंक से राज्य सरकार के अग्रिम अर्थोपाय होते हैं।

सारणी 3.1 : संगठित क्षेत्रों में रोज़गार—सरकारी और निजी

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार लाख व्यक्ति)

	2008	2009	2010	2011	2012अ
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र					
क. शाखाओं के अनुसार					
1. केन्द्र सरकार	27.39	26.60	25.52	24.63	25.20
2. राज्य सरकार	71.71	72.38	73.53	72.18	71.84
3. अर्ध-सरकारी	57.96	58.44	58.68	58.14	57.98
4. स्थानीय निकाय	19.68	20.73	20.89	20.53	21.07
जोड़	176.74	177.95	178.62	175.48	176.09
ख. उद्योगों के अनुसार					
1. कृषि, शिकार आदि	4.71	4.77	4.78	4.77	4.73
2. खनन और उत्खनन	11.21	11.12	11.03	10.90	10.75
3. विनिर्माण	10.44	10.60	10.66	10.16	10.71
4. बिजली, गैस और जल	7.96	8.39	8.35	8.31	8.19
5. निर्माण	8.52	8.45	8.59	8.47	8.32
6. थोक और खुदरा व्यापार	1.65	1.74	1.71	1.70	1.71
7. परिवहन, भण्डारण तथा संचार	26.34	26.01	25.29	23.84	24.93
8. वित्त, बीमा, स्थावर सम्पदा आदि	13.47	13.56	14.13	13.61	13.62
9. सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	88.54	90.11	90.51	90.95	90.36
जोड़	172.84	174.75	175.05	172.71	173.32
निजी क्षेत्र					
1. कृषि, शिकार आदि	9.92	8.96	9.23	9.18	9.24
2. खनन और उत्खनन	1.11	1.15	1.61	1.32	1.38
3. विनिर्माण	49.7	51.98	51.84	53.97	55.26
4. बिजली, गैस और जल	0.51	0.64	0.64	0.70	0.62
5. निर्माण	0.69	0.80	0.91	1.02	1.18
6. थोक और खुदरा व्यापार	2.72	4.72	5.06	5.46	5.99
7. परिवहन, भण्डारण तथा संचार	1.04	1.32	1.66	1.89	2.14
8. वित्त, बीमा, स्थावर सम्पदा आदि	10.96	13.11	15.52	17.18	19.14
9. सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	21.73	20.23	21.40	23.50	24.46
जोड़	98.38	102.91	107.87	114.22	119.40
लिंग के अनुसार					
सरकारी क्षेत्र					
पुरुष	146.34	147.04	146.66	143.77	144.57
महिला	30.4	30.91	31.96	31.71	31.52
जोड़	176.74	177.95	178.62	175.48	176.09
निजी क्षेत्र					
पुरुष	74.03	78.88	81.83	86.69	90.67
महिला	24.72	24.98	26.63	27.83	29.03
जोड़	98.75	103.77	108.46	114.52	119.70
सरकारी तथा निजी क्षेत्र					
पुरुष	220.37	225.92	228.49	230.45	235.25
महिला	55.12	55.80	58.59	59.54	60.54
जोड़	275.49	281.72	287.08	289.99	295.79

स्रोत : श्रम और रोज़गार मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय।

अ: अंतिम

टिप्पणी : 1. सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप शामिल नहीं हैं क्योंकि इन्हें अभी तक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

2. एनआईसी 1998 के अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, दमन और दीव से संबंधित सूचना जोड़ में शामिल नहीं है।

सारणी 3.2: औसत अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) में वृद्धि के संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपग्रहों के कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति परिलब्धियां

वर्ष	कर्मचारी (लाख में) (आकस्मिक दैनिक कर्मगार शामिल नहीं)	परिलब्धियां (करोड़ रुपए)	प्रतिव्यक्ति परिलब्धियां (रुपए)	1971-72 की तुलना में प्रति व्यक्ति वृद्धि (प्रतिशत)	औसत सूचकांक	1971-72 की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1971-72	7.01	415	5920	-	192	-
1972-73	9.32	541	5805	1.94	207	7.81
1973-74	13.44	749	5573	5.86	250	30.21
1974-75	14.32	1060	7402	25.03	317	65.10
1975-76	15.04	1352	8983	51.74	313	63.02
1976-77	15.75	1408	8940	51.01	301	56.77
1977-78	16.38	1646	10048	69.73	324	68.75
1978-79	17.03	1908	11210	89.36	331	72.40
1979-80	17.75	2213	12468	110.61	360	87.50
1980-81	18.39	2619	14239	140.52	401	108.85
1981-82	19.39	3133	16158	172.94	451	134.90
1982-83	20.24	3649	18029	204.54	486	153.13
1983-84	20.72	4485	21549	264.00	547	184.92
1984-85	21.07	5126	24328	310.95	582	203.13
1985-86	21.54	5576	25887	337.28	620	222.92
1986-87	22.11	6371	28820	386.82	674	251.04
1987-88	22.14	7193	32537	449.61	736	283.23
1988-89	22.09	8683	39415	565.79	803	318.23
1989-90	22.36	9742	43665	637.58	855	345.31
1990-91	22.19	10912	49179	730.73	951	395.31
1991-92	21.79	12311	56508	854.52	1079	461.98
1992-93	21.52	13983	64983	997.69	1185	517.10
1993-94	20.70	14913	72043	1116.94	1272	562.50
1994-95	20.62	17015	82517	1293.87	1402	630.21
1995-96	20.52	21931	106876	1705.34	1542	703.13
1996-97	20.08	22219	110662	1769.29	1687	778.65
1997-98	19.52	25385	129582	2088.89	1803	839.06
1998-99	19.00	26254	138179	2234.10	2039	961.98
1999-00	18.06	30402	168339	2743.56	2109	998.44
2000-01	17.40	38223	219672	3610.67	2190	1440.62
2001-02	19.92	38556	193554	3169.49	2284	1089.58
2002-03	18.66	42169	225986	3717.33	2375	1136.98
2003-04	17.62	43919	248481	4097.31	2467	1184.89
2004-05	17.00	48629	286053	4731.97	2561	1236.98
2005-06	16.49	46841	284057	4698.26	2674	1292.71
2006-07	16.14	52586	325869	5404.54	2853	1385.94
2007-08	15.65	64306	410898	6840.84	3030	1478.12
2008-09	15.33	83045	541716	9050.61	3306	1621.88
2009-10	14.90	90869	589210	9852.87	3715	1834.90
2010-11	14.40	98402	683350	11443.07	4103	2036.98
2011-12	14.50	105648	728420	12204.39	4447	2216.15
2012-13	14.04	116375	828612	13896.82	4911	2457.81

स्रोत : सरकारी उद्यम विभाग।

सारणी 4.1 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक: निधि का मौसमी प्रवाह

(₹ crore)													
मद	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		4 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार बकाया (अ)
	एच ₂	एच ₂	एच ₂	एच ₂	एच ₂	एच ₂	एच ₂	एच ₂	एच ₂	एच ₂	एच ₂	एच ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
स्रोत													
1. कुल जमा में वृद्धि	242388	394783	284493	374223	218449	496694	326878	374233	383092	458282	399896	589037	7931104
2. आरबीआई से उधार में वृद्धि	2094	5634	-11728	42	2274	2715	-2333	6052	7718	5120	20640	-615	37188
3. अन्य उधारों में वृद्धि	5900	1532	-19494	9836	15677	11386	40853	34256	-5380	20594	32942	-33572	218698
4. अन्य मांग और समय देनदारियों में वृद्धि	-1886	11051	11636	10264	1068	11317	18100	13485	1705	36539	-2597	31333	455454
5. अवशिष्ट (निवल)	20076	-89932	31892	44909	47276	49847	6659	97646	-25631	-1757	36734	-65798	87886
कुल	268572	323068	296799	439274	284744	571959	390157	525672	361504	518777	487615	520385	8730330
उपयोग													
1. बैंक ऋण में वृद्धि	189112	224523	99121	370118	180440	516855	152742	517025	151890	496719	341562	411064	6086879
2. निवेश में वृद्धि	12843	181852	205675	12667	89454	27413	200747	35424	209964	58351	105416	110128	2271565
3. अपने पास रोकड़ शेष में वृद्धि	5438	-3201	4517	780	4475	293	5665	119	4660	-299	2256	3497	45288
4. आरबीआई में शेष में वृद्धि	61179	-80106	-12514	55709	10375	27398	31003	-26896	-5009	-35993	38381	-4304	326598
कुल	268572	323068	296799	439274	284744	571959	390157	525672	361504	518777	487615	520385	8730330

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

(अ) : अंतिम

क इसमें आरबीआई, आईडीबीआई एक्जिम बैंक और नाबार्ड से उधार शामिल नहीं है। एच 1-अप्रैल से सितंबर एच 2-अक्टूबर से मार्च

टिप्पणी :1 कुल जमा के आंकड़े 1 अक्टूबर 2003 से रीसर्जेंट इंडिया बॉन्ड के 22693 करोड़ रुपये के उम्मीदन को भी दर्शाते हैं।

2. अवशिष्ट (निवल) निधियों के स्रोतों की तुलना में निधियों के उपयोग का शेष है और इसमें आरबीआई, आईडीबीआई एक्जिम बैंक और नाबार्ड से उधार शामिल नहीं है।

3. ये आंकड़े अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

4. पूर्णांकित किए जाने के कारण आंकड़े कुल में शामिल नहीं हो सकते।

सारणी 4.2 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक : चुनिंदा मंदा में अंतर

मंद	(₹ करोड़)									
	28 मार्च 2008	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	04 अप्रैल 2014	को
	को स्थिति के अनुसार बकाया	मार्च 28 से	मार्च 27 से	मार्च 26 से	मार्च 25 से	मार्च 23 से	मार्च 22 से	मार्च 21 (अ) से	मार्च 21 (अ) से	बकाया (अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. मांग जमा	524310	-1225	122525	-3904	-16376	36969	58501	46895	767695	
2. समय जमा क, ख	2672630	638395	536191	719048	717488	804402	930430	144824	7165409	
3. कुल जमा ख	3196939	637170	65876	715143	70113	841371	988931	191719	7931104	
4. आरबीआई से उधार	4000	7728	-11686	4989	3723	12833	20025	-4425	37188	
5. लोकडू शेयर और आरबीआई में शेयर	275166	-16690	48492	42541	9891	-36642	39830	9298	371886	
6. सरकारी प्रतिभूतियों में वित्तियेश	958661	197124	222609	118753	237870	268636	216109	49862	2266624	
7. बैंक ऋण	2361914	413636	469239	697295	669769	648607	752626	73794	6086879	

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

(अ) : अनंतिम

क: ग्राहकधारण मानकों की तर्ज पर संशोधित और मुद्रा आपूर्ति संबंधी कार्रवाई द्वारा सुझाई गई प्राविधि के अनुरूप : विश्लेषण और संकलन की प्राविधि (जून 1998) 1998-99 के बाद से यह संशोधन वाणिज्यिक बैंकों में पेशान तथा भाविज्य निधियों के संबंध में है, जिन्हें अन्य मांग, और समय देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उन बैंकों को शामिल किया गया है, जिन्होंने अब तक ऐसे परिवर्तनों की सूचना दी है।

ख. ये आंकड़े अक्टूबर 2003 से 22693 करोड़ रुपये के सिस्टेमेट शैडिंग बांड के उन्माचन को भी दर्शाते हैं।

सारणी 4.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शीघ्र प्रभावित होने वाली वस्तुओं के एक्च में बकाया अधिम वस्तुएं

(₹ करोड़)

वस्तुएं	मार्च 2008	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2013 की तुलना में मार्च 2014 के दौरान अन्तर
---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 धान और चावल	10213	11183	11099	14324	18314	23218	25911	2693
2 गेहूं	1518	1530	2370	2187	3000	4016	4146	130
3 दाल	1730	1127	1443	1594	3594	4031	3368	-663
4 अन्य खाद्यान्न	1247	1068	1318	1563	2303	2666	3395	699
5 चीनी	8468	9251	9219	10123	15718	15451	15940	489
6 खंडसारी	87	175	163	167	330	446	402	-44
7 गुड़	199	193	299	108	212	361	410	49
8 मूंगफली	401	480	437	527	478	558	658	100
9 पैपरीड/सरसों	437	257	514	328	528	478	790	312
10 लिनसीड	9	9	10	25	16	15	18	3
11 कास्टरसीड	75	42	118	118	163	298	651	353
12 कपास का बीज	213	196	205	242	259	407	375	-32
13 सोयाबीन	1324	761	736	1115	1359	1200	1778	578
14 अन्य तिलहन	127	215	325	317	775	880	903	23
15 मूंगफली तेल	117	131	141	314	810	861	834	-27
16 रैपसीड/सरसों	276	280	242	312	386	631	383	-248
17 अरंडी तेल	335	145	328	322	10	447	492	45
18 लिनसीड तेल	16	7	5	9	456	41	61	20
19 कपास बीज तेल	105	150	218	300	639	433	731	308
20 सोयाबीन तेल	635	570	788	839	1321	1959	1504	-455
21 अन्य वनस्पति तेल	948	1370	987	1083	1587	2012	1569	-443
22 वनस्पति	886	223	178	418	484	338	537	199
23 कपास	5487	6061	6655	8636	15559	15903	16602	699
24 कच्चा जूट	373	352	1980	426	639	521	551	30
कुल	35226	35776	39178	47418	68940	77191	82009	4818

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: 10 अक्टूबर 2000 से प्रभावी जारी न की गई लेवी चीनी को छोड़कर सभी वस्तुएं चुनिंदा ऋण नियंत्रण से मुक्त हैं।

पूणांकित किए जाने के कारण आंकड़े कुल में शामिल नहीं हो सकते।

सारणी 4.4 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार

	30 जून की स्थिति के अनुसार सभी शाखाएं								दिसम्बर 2013	31 दिसम्बर 2013 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण शाखाएं	31 दिसम्बर 2013 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण शाखाएं का %
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
क. एसबीआई और इसकी अनुषंगी	13920	14157	15401	16358	17444	18207	19147	20217	20685	7277	35.2
ख. राष्ट्रीयकृत बैंक (आईडीबीआई लिमिटेड सहित)	34764	36623	38162	39951	42357	45216	49012	52925	55919	18596	33.3
(i) राष्ट्रीयकृत बैंक	34583	36189	37662	39387	41642	44346	48048	51832	54741	18426	33.7
(ii) अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक	181	434	500	564	715	870	964	1093	1178	170	14.4
ग. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	14532	14574	14876	15258	15564	16009	16798	17446	17640	13176	74.7
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जोड़ (आरआरबी सहित)	63216	65354	68439	71567	75365	79432	84957	90588	94244	39049	41.4
घ. अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क)+(ख)	6672	7241	8338	9016	10517	11899	13702	16062	17081	3248	19.0
(क) निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	4671	4416	4543	4738	5071	4868	5478	6066	6297	1200	19.1
(ख) निजी क्षेत्र के नए बैंक	2001	2825	3795	4278	5446	7031	8224	9996	10784	2048	19.0
ङ. विदेशी बैंक	261	271	279	295	310	317	323	335	336	8	2.4
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क से ङ)	70149	72866	77056	80878	86192	91648	98982	106985	111661	42305	37.9
गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	40	46	46	46	47	55	55	60	62	17	27.4
स्थानीय क्षेत्र के बैंक	40	46	46	46	47	55	55	60	62	17	27.4
सभी वाणिज्यिक बैंक	70189	72912	77102	80924	86239	91703	99037	107045	111723	42322	37.9

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

- राष्ट्रीयकृत बैंकों में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल हैं।
- जनसंख्या समूहों को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है: "ग्रामीण" 10,000 से कम जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल होते हैं, "अर्ध-शहरी" 10,000 से अधिक परंतु 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल होते हैं। "शहरी" 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल होते हैं और "महानगर" दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल होते हैं। जनसंख्या के सभी आंकड़े जनगणना 2001 के अनुसार हैं।
- आंकड़े अनंतिम हैं।
- अनेक शाखाओं की संख्या संबंधी आंकड़ों में "प्रशासनिक कार्यालय" शामिल नहीं हैं।

सारणी 4.5 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम

क्षेत्र	खालों की संख्या (हजार में)										वर्कमा राशि (करोड़ रुपये)				
	मार्च 2010		मार्च 2011		मार्च 2012		मार्च 2013		मार्च 2010		मार्च 2011		मार्च 2012		मार्च 2013
	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2013	मार्च 2010	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2013
1 कृषि															
क. प्रत्यक्ष वित्तपोषण ^१	3616	33910	38461	43947	372463	414973	479400	531701							
ख. अप्रत्यक्ष वित्तपोषण ^२	3105	33214	37586	43167	265826	300190	367052	447094							
2. लघु उद्योग ^३	600	696	875	780	106637	114783	112348	84607							
3. सूक्ष्म और लघु उद्यम															
4. औद्योगिक समता को स्थापना															
5. लघु सड़क और जल परिवहन कार्य															
6. खुदरा व्यापार	7217	7398	7129	7478	276319	369430	396993	478361							
7. छोटे-मोटे व्यवसाय															
8. पेशेवर और स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति															
9. सूक्ष्म ऋण	1354	864	1222			5916	7243	6631							
10. शिक्षा	1911	2211	2373	2479	35855	41341	46727	50927							
11. उपभोग															
12. अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए राज्य प्रायोजित निगम/संगठन															
13. एससी/एसटी खरीद और निविदा की आपूर्ति तथा उत्पादन के विपणन हेतु राज्य प्रायोजित संगठन	14	9	25			41	36	114							
14. आवास ऋण	3671	3945	3973	3929	173184	188472	194283	213892							
15. आरआरबी को प्रदत्त निधियां															
16. स्व-सहायता समूहों को अग्रिम															
17. सॉफ्टवेयर उद्योगों को अग्रिम															
18. खाद्य और कृषि प्रसंस्करण सेक्टर को अग्रिम															
19. उर्द्धम पूंजी में निवेश															
20. कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम															
21. एएनबीसी	45783	48339	53183	58804	863778	1021495	1124148	1283411							
एएनबीसी के प्रति प्रतिशत					2078397	2493499	3018476	3530808							
1 कृषि															
ग. प्रत्यक्ष वित्तपोषण ^१															
घ. अप्रत्यक्ष वित्तपोषण ^२															
2. लघु उद्योग ^३															
3. सूक्ष्म और लघु उद्यम															
4. औद्योगिक समता को स्थापना															
5. लघु सड़क और जल परिवहन कार्य															
6. खुदरा व्यापार															
7. छोटे-मोटे व्यवसाय															
8. पेशेवर और स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति															
9. सूक्ष्म ऋण															
10. शिक्षा															
11. उपभोग															
12. अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए राज्य प्रायोजित निगम/संगठन															
13. एससी/एसटी खरीद और निविदा की आपूर्ति तथा उत्पादन के विपणन हेतु राज्य प्रायोजित संगठन															
14. आवास ऋण															
15. आरआरबी को प्रदत्त निधियां															
16. स्व-सहायता समूहों को अग्रिम															
17. सॉफ्टवेयर उद्योगों को अग्रिम															
18. खाद्य और कृषि प्रसंस्करण सेक्टर को अग्रिम															
19. उर्द्धम पूंजी में निवेश															
20. कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम															
	41.55	40.96	37.24	36.35											

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

क. विकास वित्तसाधन को छोड़कर वागवानी को अग्रिम शामिल नहीं है।

ख. लघु व्यवसाय शामिल है।

ग. कुल प्रायोजित प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम मद सं. 1 से 12 तथा 14 से 17 और मद 13 का आधा का जोड़ है।

घ. एएनबीसी का अर्थ है समायोजित निवल बैंक ऋण।

सारणी 4.6 : बैंकों के कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुल जमा राशि और उनके द्वारा दिये गये कुल ऋणों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों के प्रतिशत अंश का राज्यवार वितरण

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यालयों की संख्या		जमा राशि (₹ करोड़)		ऋण (₹ करोड़)		कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का हिस्सा	
		मार्च, 31 2013	सितम्बर, 27 2013	मार्च, 31 2013	सितम्बर, 27 2013	मार्च, 31 2013	सितम्बर, 27 2013	मार्च, 31 2013	सितम्बर, 27 2013
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	48	48	2174	2321	891	924	60	उ०न०
2.	आन्ध्र प्रदेश	6127	6270	311341	314862	348044	362016	44	उ०न०
3.	अरुणाचल प्रदेश	74	82	6790	6650	1471	1501	33	उ०न०
4.	असम	1138	1186	66960	64779	22504	23021	54	उ०न०
5.	बिहार	3109	3229	141916	150126	40044	40349	67	उ०न०
6.	चंडीगढ़	259	266	36240	38952	50681	53060	15	उ०न०
7.	छत्तीसगढ़	1101	1181	72420	70571	37621	37891	41	उ०न०
8.	दादरा और नागर हवेली	28	28	1582	1850	451	477	56	उ०न०
9.	दमन और दीव	27	27	2086	2351	448	425	61	उ०न०
10.	दिल्ली	412	429	32992	34320	9371	9647	43	उ०न०
11.	गोआ	4449	4578	293554	306953	203210	208227	35	उ०न०
12.	गुजरात	2291	2419	114540	120665	103732	107707	44	उ०न०
13.	हरियाणा	982	1005	41157	43587	14614	14745	68	उ०न०
14.	हिमाचल प्रदेश	386	406	16225	17389	4493	4586	61	उ०न०
15.	जम्मू और कश्मीर	1724	1796	94805	99222	28675	28346	53	उ०न०
16.	झारखंड	4853	5063	317518	332355	232833	244726	39	उ०न०
17.	कर्नाटक	2944	3019	141536	153377	114146	115569	58	उ०न०
18.	केरल	12	12	620	664	61	61	48	उ०न०
19.	लक्षद्वीप	3432	3559	173702	188514	94733	95474	56	उ०न०
20.	मध्यप्रदेश	7256	7512	1211624	1200284	1074630	1094946	16	उ०न०
21.	महाराष्ट्र	65	80	4607	3622	1398	1467	63	उ०न०
22.	मणिपुर	170	179	11971	11408	2802	2820	38	उ०न०
23.	मेघालय	46	53	2781	2776	972	980	72	उ०न०
24.	मिजोरम	91	101	5373	4882	1711	1731	44	उ०न०
25.	नागालैंड	2114	2180	552244	564490	531505	520188	9	उ०न०
26.	उड़ीसा	2301	2384	116593	124385	54676	55834	46	उ०न०
27.	पुडुचेरी	118	124	6415	6844	4619	4827	63	उ०न०
28.	पंजाब	3635	3761	171341	178784	142142	138171	48	उ०न०
29.	राजस्थान	3345	3471	136609	143937	132471	136705	44	उ०न०
30.	सिक्किम	85	87	4303	3983	1212	1202	57	उ०न०
31.	तमिलनाडु	5428	5633	306267	306414	372442	380238	40	उ०न०
32.	त्रिपुरा	159	170	8534	8558	2288	2365	71	उ०न०
33.	उत्तर प्रदेश	8499	8940	425858	447524	183310	189223	53	उ०न०
34.	उत्तराखण्ड	1175	1226	58977	62652	19528	19022	87	उ०न०
35.	पश्चिम बंगाल	4688	4831	355303	373259	220314	221214	29	उ०न०
	अखिल भारत	72571	75335	5246957	5393310	4054041	4119685	32	उ०न०

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक और पिछली आर्थिक समीक्षाएं।

उ०न० उपलब्ध नहीं।

टिप्पणियाँ: 1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक तथा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल हैं।

2. सकल जमा राशियाँ किसी बैंक की मांग और सावधिक देयताओं को दर्शाती हैं (अंतर बैंक जमा राशियों को छोड़कर) सकल बैंक भा. रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत पात्र 'क' विवरणी के अनुसार बैंक ऋण (अन्तर बैंक अग्रिम रकमों को छोड़कर) को दर्शाती हैं और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं के पास दोबारा भुनाए गए बिलों की बकाया धन राशि शामिल हैं।

3. आंकड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा और ऋण राशियों की तिमाही सांख्यिकी पर आधारित हैं।

4. संभव है पूर्णांकन के कारण आंकड़े दिए गए जोड़ से मेल न खाएं।

5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों का हिस्सा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त हुई वार्षिक प्राप्तियों पर आधारित।

सारणी 5.1 : थोक मूल्यों के सूचकांक

(आधार : 2004-05=100)

	प्राथमिक वस्तुएं					ईंधन, और विद्युत	विनिर्मित उत्पाद						समस्त वस्तुएं
	जोड़		खाद्य वस्तुएं		खनिज		जोड़	खाद्य उत्पाद	वस्त्र	रसायन और रासायनिक उत्पाद	बुनियादी धातु, मिश्र धातु, तथा धातु उत्पाद	मशीनरी और मशीन औजार	
	जोड़	खाद्यान्न	खाद्य- भिन्न वस्तुएं										
भारत-आधार वर्ष (1993-94)=100	22.03	15.40	5.01	6.14	0.49	14.23	63.75	11.54	9.80	11.93	8.34	8.36	100.00
भारत-आधार वर्ष (2004-05)=100	20.12	14.34	4.09	4.26	1.52	14.91	64.97	9.97	7.33	12.02	10.75	8.93	100.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अंतिम सप्ताह (1993-94 = 100)													
1994-95	121	115	119	137	104	109	117	113	128	121	116	109	116.9
1995-96	125	124	127	129	93	115	123	118	126	130	123	113	122.2
1996-97	136	138	144	133	109	130	126	130	115	136	128	117	128.8
1997-98	142	144	139	142	100	148	129	137	117	137	132	115	134.6
1998-99	153	157	167	146	118	153	135	150	114	152	133	116	141.7
1999-00	159	168	176	141	104	193	139	150	116	160	137	116	150.9
2000-01	162	168	170	149	118	223	144	145	122	167	142	127	159.2
2001-02	168	177	170	150	120	231	144	145	116	171	140	130	161.8
2002-03	178	178	176	183	118	256	152	158	128	178	150	130	172.3
2003-04	181	178	175	191	148	263	162	174	139	179	183	134	180.3
2004-05	183	184	179	177	249	290	169	174	131	186	214	144	189.5
अंतिम माह (2004-05 = 100)													
2005-06	104	105	113	97	119	117	104	102	100	105	103	105	105.7
2006-07	118	119	126	107	135	119	110	107	101	110	116	112	112.8
2007-08	129	126	137	124	173	127	118	116	101	116	138	115	121.5
2008-09	136	136	152	125	168	123	120	123	103	116	130	118	123.5
2009-10	166	164	172	150	232	140	126	142	112	120	133	120	136.3
2010-11	188	179	176	191	267	158	136	145	132	129	148	123	149.5
2011-12	208	197	186	190	359	178	143	154	128	139	163	126	161.0
2012-13	223	214	216	208	352	192	149	166	133	146	165	129	170.1
2013-14 ^अ	240	235	231	217	351	213	154	169	141	151	168	133	179.8
सप्ताहों का औसत (1993-94 = 100)													
1994-95	116	113	115	124	105	109	112	114	118	117	108	106	112.6
1995-96	125	122	122	135	95	115	122	118	129	127	120	112	121.6
1996-97	136	137	138	134	107	126	124	125	119	131	126	116	127.2
1997-98	139	141	139	138	100	144	128	135	115	137	131	115	132.8
1998-99	156	159	152	152	111	148	134	150	114	146	133	116	140.7
1999-00	158	165	176	143	110	162	137	151	115	155	135	116	145.3
2000-01	163	170	174	147	113	208	142	146	120	164	140	123	155.7
2001-02	168	176	172	153	119	227	144	146	119	169	141	129	161.3
2002-03	174	179	174	165	119	239	148	153	122	174	145	130	166.8
2003-04	181	181	176	186	122	255	156	167	132	177	168	133	175.9
2004-05	188	186	177	188	255	280	166	175	136	182	203	140	187.2
महीनों का औसत (2004-05 = 100)													
2005-06	104	105	107	97	115	114	102	101	99	104	102	104	104.5
2006-07	114	116	122	102	137	121	108	107	101	109	112	110	111.4
2007-08	124	124	131	114	153	121	113	110	102	113	123	114	116.6
2008-09	138	135	145	129	187	135	120	120	103	118	138	117	126.0
2009-10	155	155	166	136	203	132	123	136	107	118	130	118	130.8
2010-11	182	180	174	167	253	148	130	141	120	124	141	121	143.3
2011-12	200	193	181	183	321	169	140	151	129	135	156	125	156.1
2012-13	220	212	207	202	347	186	147	163	131	144	166	128	167.6
2013-14 ^अ	242	239	226	213	347	205	151	169	139	149	165	132	177.6

(जारी...)

सारणी 5.1 : थोक मूल्यों के सूचकांक (जारी...)

(आधार : 2004-05=100)

	प्राथमिक वस्तुएं					ईंधन, और विद्युत	विनिर्मित उत्पाद					समस्त वस्तुएं	
	जोड़	खाद्य वस्तुएं		खाद्य-भिन्न वस्तुएं	खनिज		जोड़	खाद्य उत्पाद	वस्त्र	रसायन और रासायनिक उत्पाद	बुनियादी धातु, मिश्र धातु तथा धातु उत्पाद		मशीनरी और मशीन औजार
		जोड़	खाद्यान्न										
भारोश-आधार वर्ष (1993-94)=100	22.03	15.40	5.01	6.14	0.49	14.23	63.75	11.54	9.80	11.93	8.34	8.36	100.00
भारोश-आधार वर्ष (2004-05)=100	20.12	14.34	4.09	4.26	1.52	14.91	64.97	9.97	7.33	12.02	10.75	8.93	100.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2012-13													
अप्रैल	216	207	189	195	352	179	144	156	129	140	166	126	163.5
मई	215	206	190	199	344	179	145	157	130	141	166	127	163.9
जून	215	209	193	194	327	181	145	158	130	142	167	128	164.7
जुलाई	219	212	200	200	337	180	146	161	130	143	167	128	165.8
अगस्त	222	212	208	207	357	182	147	165	131	143	167	128	167.3
सितम्बर	222	213	212	203	352	189	148	167	132	144	167	128	168.8
अक्तूबर	219	213	214	199	340	190	148	167	132	144	167	129	168.5
नवम्बर	221	214	215	201	345	189	148	167	132	144	167	129	168.8
दिसम्बर	220	211	216	204	347	190	148	167	133	145	165	129	168.8
जनवरी	224	215	216	207	354	193	149	167	132	146	165	129	170.3
फरवरी	224	215	216	207	358	196	149	167	133	146	165	129	170.9
मार्च	223	214	216	208	352	192	149	166	133	146	165	129	170.1
2013-14													
अप्रैल	227	220	217	210	336	194	149	167	134	146	164	130	171.3
मई	227	223	217	209	320	192	149	167	136	146	163	131	171.4
जून	234	231	221	209	331	195	150	168	136	146	163	131	173.2
जुलाई	240	239	224	211	338	200	150	168	137	147	162	131	175.5
अगस्त	252	252	226	210	364	205	151	169	138	148	163	131	179.0
सितम्बर	253	253	228	213	360	211	152	170	140	149	164	131	180.7
अक्तूबर	251	252	228	213	355	210	152	171	140	149	165	132	180.7
नवम्बर	255	256	230	216	353	210	152	171	140	149	165	132	181.5
दिसम्बर	244	240	230	216	355	211	153	170	140	150	165	133	179.6
जनवरी	239	234	229	216	349	212	153	169	141	151	166	132	179.0
फरवरी	239	233	230	218	352	213	154	169	142	152	167	133	179.5
मार्च	240	235	231	217	351	213	154	169	141	151	168	133	179.8
2014-15													
अप्रैल ^अ	243	239	231	216	351	211	154	170	143	152	165	133	180.2

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

अ: अर्न्तम

सारणी 5.2 : थोक मूल्यों के सूचकांक - चुनिन्दा वस्तुएं और वस्तु समूह

(आधार: 2004-05=100)																	
	चावल	गेहूँ	दालें	चाय	कपास	कच्चा जूट	मृंगफली के दानें	कोयला खनन	खनिज तेल	चीनी, खांडसारी और गुड़	खद्य तेल	सूती धागा	सूती कपड़ा (मिल)	जूट, सन और मेस्ता वस्त्र	उर्वरक	सीमेंट	लोहा, इस्पात एवं लौह मिश्र वस्तुएं
भारत-आधार वर्ष : 2.45 (1993-94=100)	2.45	1.38	0.6	0.16	1.36	0.11	1.03	1.75	6.99	3.93	2.76	3.31	0.9	0.38	3.69	1.73	3.72
भारत-आधार वर्ष : 1.79 (2004-05=100)	1.79	1.12	0.72	0.11	0.70	0.06	0.40	2.09	9.36	2.09	3.04	1.38	1.23	0.26	2.66	1.39	6.88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
अंतिम सप्ताह (आधार : 1993-94=100)																	
1994-95	112	113	124	76	173	140	136	106	106	110	118	152	134	121	122	127	112
1995-96	120	119	147	93	131	261	130	107	106	114	111	141	141	164	130	140	119
1996-97	130	156	145	113	136	na	130	125	129	126	112	135	148	150	137	130	126
1997-98	135	137	152	162	166	117	138	144	146	134	120	143	150	152	137	121	133
1998-99	161	171	152	123	155	108	148	144	144	154	135	143	155	160	142	128	134
1999-00	166	180	169	104	145	156	139	156	204	158	111	140	155	170	155	127	136
2000-01	165	172	182	116	156	171	140	185	240	149	105	153	157	169	160	153	137
2001-02	162	177	176	91	123	187	145	181	243	145	119	139	161	184	166	146	137
2002-03	168	178	177	104	165	131	199	181	287	129	151	153	162	165	169	147	150
2003-04	165	188	172	101	185	141	180	198	287	148	161	183	168	175	169	149	201
2004-05	170	186	168	114	141	191	167	232	333	174	147	153	172	199	175	164	244
अंतिम माह (आधार : 2004-05=100)																	
2005-06	105	117	126	92	91	159	94	118	122	112	93	98	98	114	103	106	97
2006-07	115	129	147	97	99	118	132	118	123	97	107	98	97	120	105	130	111
2007-08	131	140	148	110	122	130	147	136	133	93	127	100	98	110	107	138	138
2008-09	151	151	159	156	124	142	141	151	124	126	114	102	105	125	108	148	126
2009-10	163	173	199	129	149	173	153	163	147	178	114	123	109	157	110	151	127
2010-11	167	173	191	138	303	240	171	185	168	164	129	179	128	182	121	154	143
2011-12	175	172	210	145	196	227	231	210	193	169	142	150	131	171	141	163	158
2012-13	206	205	233	212	214	273	266	190	214	184	147	164	134	182	152	172	158
2013-14 ^p	232	218	230	174	234	270	197	190	237	178	147	178	141	186	153	165	160
सप्ताहों का औसत (आधार : 1993-94=100)																	
1994-95	111	109	122	82	154	120	123	105	106	119	111	136	120	110	116	112	106
1995-96	117	112	135	103	159	189	135	106	106	113	117	147	139	148	129	130	117
1996-97	129	137	151	105	133	189	135	118	123	119	115	137	146	153	129	134	124
1997-98	134	138	146	160	155	102	134	140	139	134	114	141	149	136	136	129	130
1998-99	146	152	160	150	167	108	151	144	143	154	139	142	156	151	138	131	133
1999-00	171	175	166	152	147	113	140	149	160	156	122	141	155	161	143	128	134
2000-01	168	177	180	128	157	150	140	161	226	153	103	150	156	163	158	137	137
2001-02	167	175	190	117	149	182	144	182	240	146	113	148	159	181	161	149	137
2002-03	166	176	181	118	142	154	169	181	255	135	138	145	162	169	168	145	143
2003-04	169	181	177	109	181	137	181	194	274	139	158	166	166	160	169	147	180
2004-05	168	184	174	131	166	160	182	223	315	163	156	167	173	181	171	153	232
(जारी...)																	

(जारी...)

सारणी 5.2 : थोक मूल्यों के सूचकांक - चुनिन्दा वस्तुएं और वस्तु समूह (जारी...)

(आधार: 2004-05=100)																
चावल	गेहूँ	दालें	चाय	कपास	कच्चा जूट	मूंगफली के दाने	कोयला खनन	खनिज तेल	चीनी, खांडसारी और गुड़	खाद्य तेल	सूती धागा	सूती कपड़ा (मिल)	जूट, सन और मेस्ता वस्त्र	उर्वरक	सीमेंट	लोहा, इस्पात एवं लौह मिश्र वस्तुएं ^१
भारत-आधार वर्ष: (1993-94=100)	2.45	1.38	0.6	0.16	1.36	0.11	1.03	6.99	3.93	2.76	3.31	0.9	0.38	3.69	1.73	3.72
भारत-आधार वर्ष: (2004-05=100)	1.79	1.12	0.72	0.11	0.70	0.06	0.40	9.36	2.09	3.04	1.38	1.23	0.26	2.66	1.39	6.88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
महीनों का औसत (आधार : 2004-05=100)																
2005-06	105	105	113	89	90	135	97	118	117	109	94	95	99	112	102	100
2006-07	110	125	149	104	97	136	110	118	127	107	102	98	97	115	104	105
2007-08	122	134	145	104	112	122	140	122	126	91	116	101	99	111	106	119
2008-09	141	148	156	153	141	138	144	151	142	107	122	103	103	117	107	137
2009-10	158	166	191	174	139	160	148	156	136	162	114	111	107	146	108	124
2010-11	167	171	197	148	199	211	165	165	157	161	121	142	115	165	117	136
2011-12	172	168	202	151	225	223	200	191	184	168	136	155	132	176	133	150
2012-13	194	194	241	199	206	242	247	209	202	186	148	157	134	178	149	160
2013-14 ^P	226	212	228	196	237	262	219	191	226	183	147	174	139	184	152	158
2012-13																
अप्रैल	177	179	211	182	199	222	231	210	195	171	144	152	132	174	142	162
मई	178	179	219	203	205	216	235	210	195	173	146	154	133	175	142	162
जून	182	180	226	205	199	227	233	210	193	174	146	156	133	175	144	162
जुलाई	187	182	245	192	217	246	230	210	190	181	148	156	133	175	148	161
अगस्त	191	191	260	198	222	252	239	210	194	193	150	157	135	176	149	161
सितम्बर	195	198	261	198	212	255	243	210	204	198	151	159	135	178	151	160
अक्टूबर	203	198	257	200	201	242	241	210	206	197	148	158	134	180	151	160
नवम्बर	202	203	256	195	203	235	253	210	205	195	149	158	135	179	151	159
दिसम्बर	203	204	248	205	201	239	254	210	207	190	150	156	135	180	152	158
जनवरी	203	206	244	196	199	247	273	210	212	187	150	157	134	180	153	158
फरवरी	204	207	238	196	202	254	266	210	216	187	149	159	135	180	153	158
मार्च	206	205	233	212	214	273	266	190	214	184	147	164	134	182	152	158

(जारी...)

सारणी 5.2 : थोक मूल्यों के सूचकांक - चुनिन्दा वस्तुएं और वस्तु समूह (जारी...)

(आधार: 2004-05=100)																	
	चावल	गेहूँ	दालें	चाय	कपास	कच्चा जूट	मूंगफली के दानें	कोयला खनन	खनिज तेल	चीनी, खांडसारी और गुड़	खद्य धागा	सूती कपड़ा (मिल)	जूट, सन और मेस्ता वस्त्र	उर्वरक	सीमेंट	लोहा, इस्पात एवं लौह मिश्र वस्तुएँ	
भारत-आधार वर्ष: (1993-94=100)																	
भारत-आधार वर्ष : 1.79																	
(2004-05=100)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2013-14																	
अप्रैल	208	204	233	223	213	272	270	190	211	185	147	166	136	183	152	171	158
मई	211	201	232	210	213	268	260	190	208	185	147	168	137	184	152	171	157
जून	219	205	230	211	225	258	243	192	212	185	146	169	138	183	151	171	156
जुलाई	226	207	227	210	240	254	229	192	220	185	145	171	138	183	152	172	156
अगस्त	232	209	222	204	251	244	218	192	224	185	146	174	138	182	152	168	155
सितम्बर	231	213	226	206	255	245	210	192	233	186	147	177	139	181	152	165	156
अक्टूबर	232	214	229	197	250	260	215	192	231	185	148	178	140	183	153	164	157
नवम्बर	233	217	230	187	241	254	204	192	231	184	149	176	141	184	153	164	157
दिसम्बर	230	220	229	180	229	272	194	192	233	182	148	175	141	185	153	165	158
जनवरी	230	220	227	181	242	274	194	190	235	179	147	176	141	186	153	164	159
फरवरी	232	221	224	177	244	273	196	190	236	177	147	180	141	188	153	165	160
मार्च	232	218	230	174	234	270	197	190	237	178	147	178	141	186	153	165	160
2014-15																	
अप्रैल ^अ	234	213	231	194	229	277	200	190	233	183	146	185	141	189	153	166	158

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

अ : अनन्तिम।

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

क लोहा एवं इस्पात तथा लौहमिश्रित वस्तुओं के संयुक्त सूचकांक हेतु आधार 1993-94 है और लोहे एवं अर्ध-धातुएं, इस्पात लॉग, इस्पात फ्लैट, स्टेनलेस स्टील और लौहमिश्रित वस्तुओं के लिए आधार 2004-05 है।

सारणी 5.3 : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार विवरण	औद्योगिक कामगार (सीपीआई-आई डब्ल्यू)			नई श्रेणियाँ (सीपीआई-एनएस)			कृषि श्रमिक (सीपीआई-एएल) (1986-87=100)	शहरी कर्मचारी (सीपीआई-आरएल) (1986-87=100)
	(1982=100 और 2001=100)			(2010=100)			सामान्य	सामान्य
	खाद्य	गैर-खाद्य	सामान्य	शहरी	ग्रामीण	अखिल भारत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
महीनों का औसत								
1995-96	337	280	313	237	238 ^ख
1996-97	369	307	342	256	256
1997-98	388	336	366	264	266
1998-99	445	372	414	293	294
1999-00	446	404	428	306	307
2000-01	453	433	444	305	307
2001-02	466	460	463	309	311
2002-03	477	488	482	319	321
2003-04	495	507	500	331	333
2004-05	506	538	520	340	342
2005-06	527 ^क	563 ^अ	542 ^अ	353	355
2006-07	126	124	125	380	382
2007-08	136	130	133	409	409
2008-09	153	138	145	450	451
2009-10	176	151	163	513	513
2010-11	194	168	180	564	564
2011-12	206	185	195	113.1	110.4	111.9	611	611
2012-13	230	202	215	124.5	121.8	123.3	672	673
2013-14	259	216	236	136.4	133.3	135.0	750	751
के अंतिम महीने								
1995-96	339	292	319	237	238
1996-97	373	322	351	262	262
1997-98	401	352	380	272	273
1998-99	431	391	414	296	296
1999-00	446	418	434	306	307
2000-01	446	444	445	300	302
2001-02	462	476	468	309	311
2002-03	479	498	487	324	326
2003-04	494	517	504	332	334
2004-05	502	555	525	340	342
2005-06	115 ^अ	122 ^अ	119 ^अ	358	360
2006-07	129	125	127	392	393
2007-08	141	134	137	423	423
2008-09	156	141	148	463	464
2009-10	181	161	170	536	536
2010-11	196	176	185	106.9	103.9	105.6	585	584
2011-12	212	192	201	116.2	114.6	115.5	625	626
2012-13	240	210	224	128.3	126.5	127.5	704	705
2013-14	258	223	239	139.7	136.0	138.1	763	765
2012-13								
अप्रैल	218	194	205	117.9	116.1	117.1	633	634
मई	219	195	206	119.1	117.1	118.2	638	640
जून	222	196	208	120.5	118.5	119.6	646	648
जुलाई	227	199	212	122.6	119.9	121.4	656	658
अगस्त	230	200	214	124.3	121.1	122.9	666	667
सितम्बर	232	200	215	125.6	121.9	124.0	673	675
अक्तूबर	233	203	217	126.6	122.6	124.9	680	681
नवम्बर	235	203	218	126.9	123.4	125.4	685	686
दिसम्बर	235	205	219	126.8	124.0	125.6	688	689
जनवरी	235	209	221	127.3	124.9	126.3	694	695
फरवरी	238	210	223	128.1	125.8	127.1	700	701
मार्च	240	210	224	128.3	126.5	127.5	704	705

(जारी....)

सारणी 5.3 : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जारी...)

आधार विवरण	औद्योगिक कामगार (सीपीआई-आई डब्ल्यू)			नई श्रेणियाँ (सीपीआई-एनएस)			कृषि श्रमिक (सीपीआई-एएल)	शहरी कर्मचारी (सीपीआई-आरएल)
	(1982=100 और 2001=100)			(2010=100)			(1986-87=100)	(1986-87=100)
	खाद्य	गैर-खाद्य	सामान्य	शहरी	ग्रामीण	अखिल भारत	सामान्य	सामान्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013-14								
अप्रैल	245	210	226	128.7	127.4	128.1	711	711
मई	248	211	228	129.8	128.4	129.2	719	720
जून	255	210	231	132.1	130.5	131.4	729	730
जुलाई	259	214	235	133.8	132.1	133.1	740	741
अगस्त	262	216	237	135.4	133.6	134.6	754	753
सितम्बर	263	217	238	137.8	134.0	136.2	759	759
अक्टूबर	268	218	241	139.5	135.1	137.6	766	766
नवम्बर	273	217	243	141.7	136.4	139.4	777	777
दिसम्बर	262	219	239	140.1	135.3	138.0	765	766
जनवरी	256	221	237	139.2	135.0	137.4	757	759
फरवरी	256	223	238	138.9	135.3	137.3	757	759
मार्च	258	223	239	139.7	136.0	138.1	763	765
2014-15								
अप्रैल	264	223	242	140.5	137.2	139.1	771	773

स्रोत : 1. श्रम ब्यूरो, शिमला, औद्योगिक कामगारों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के संबंध में।

2. केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय को उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की नई श्रृंखला के संबंध में।

क 2001 को आधार मानते हुए औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) की वर्तमान श्रृंखला जनवरी, 2006 से शुरू की गई है और 2005-06 (अंतिम माह) के आंकड़े नए आधार वर्ष पर आधारित हैं। इसके साथ-साथ पूर्व श्रृंखला आधार 1982=100 समाप्त कर दी गई है। सामान्य सूचकांक के संबंध में वर्तमान से पुरानी श्रृंखला के परिवर्तन का कारक 4.63 है और खाद्य सूचकांक के संबंध में 4.58 है।

ख औसत सूचकांक नवम्बर, 1995 से मार्च, 1996 का है।

नोट : 1. खाद्य और खाद्य भिन्न वस्तुओं के बारे में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक कामगार (सीपीआई-आईडब्ल्यू) का भारांश आधार वर्ष 1982=100 के साथ खाद्य तथा खाद्य-भिन्न के साथ क्रमशः 57% तथा 43% और आधार वर्ष 2001=100 के साथ क्रमशः 46.20% तथा 53.80% है।

2. सीपीआई-नई श्रृंखला (ग्रामीण, शहरी तथा अखिल भारत) जनवरी 2011 से आरम्भ की गई थी। सीपीआई यूएनएमई अब पूरी तरह से समाप्त हो गयी है।

सारणी 5.4 : थोक मूल्यों के सूचकांक-विनिर्मित उत्पादों और कृषि उत्पादों की सापेक्ष कीमतें

वर्ष/माह	थोक मूल्यों का सामान्य सूचकांक	विनिर्मित उत्पादों का मूल्य सूचकांक	कृषि उत्पादों का मूल्य सूचकांक ^क	कृषि मूल्य सूचकांक के प्रतिशत के रूप में विनिर्मित उत्पादों का मूल्य सूचकांक
भारांश (आधार: 1993-94)	100.00	63.75	21.54	कॉलम 3/ कॉलम 4*100
भारांश (आधार: 2004-05)	100.00	64.97	18.59	
1	2	3	4	5
(आधार : 1993-94 = 100)				
1994-95	112.6	112.3	116.0	96.8
1995-96	121.6	121.9	126.0	96.8
1996-97	127.2	124.4	136.4	91.2
1997-98	132.8	128.0	140.3	91.2
1998-99	140.7	133.6	157.2	85.0
1999-00	145.3	137.2	159.1	86.2
2000-01	155.7	141.7	163.7	86.6
2001-02	161.3	144.3	169.5	85.1
2002-03	166.8	148.1	175.3	84.5
2003-04	175.9	156.5	182.9	85.6
2004-05	187.3	166.3	186.7	89.1
(आधार : 2004-05 = 100)				
2005-06	104.5	102.4	103.4	99.1
2006-07	111.4	108.2	112.5	96.3
2007-08	116.6	113.4	121.5	93.4
2008-09	126.0	120.4	133.5	90.2
2009-10	130.8	123.1	151.0	81.7
2010-11	143.3	130.1	176.6	73.7
2011-12	156.1	139.5	190.4	73.3
2012-13	167.6	147.1	209.6	70.2
2013-14 ^{अनं.}	177.6	151.4	233.0	65.0
2012-13				
अप्रैल	163.5	143.8	204.4	70.4
मई	163.9	144.6	204.4	70.7
जून	164.7	145.3	205.9	70.6
जुलाई	165.8	146.1	209.5	69.7
अगस्त	167.3	147.2	210.8	69.8
सितम्बर	168.8	148.0	210.8	70.2
अक्तूबर	168.5	147.9	209.5	70.6
नवम्बर	168.8	148.0	211.0	70.2
दिसम्बर	168.8	148.0	209.4	70.7
जनवरी	170.3	148.5	212.9	69.7
फरवरी	170.9	148.6	213.4	69.6
मार्च	170.1	148.7	212.6	69.9
2013-14				
अप्रैल	171.3	149.1	217.5	68.6
मई	171.4	149.3	219.8	67.9
जून	173.2	149.5	225.9	66.2
जुलाई	175.5	149.9	232.2	64.5
अगस्त	179.0	150.6	242.7	62.1
सितम्बर	180.7	151.5	243.8	62.1
अक्तूबर	180.7	152.1	242.8	62.6
नवम्बर	181.5	152.3	246.9	61.7
दिसम्बर	179.6	152.5	234.6	65.0
जनवरी	179.0	152.9	229.7	66.6
फरवरी	179.5	153.6	229.2	67.0
मार्च ^{अनं.}	179.8	153.5	231.2	66.4
2014-15				
अप्रैल ^{अनं.}	180.2	153.8	233.6	65.8

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

^क उप समूहों (खाद्य वस्तुओं तथा खाद्य-भिनन वस्तुओं) का संयुक्त सूचकांक
अनं. अनंतिम

सारणी 5.5 : फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य/खरीद मूल्य

(फसल वर्ष के आधार पर)

(₹/क्विंटल)

वस्तुएं	1990-91	1999-00	2002-03 ^b	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
धान (सामान्य)	205	490	550	560	570	580 ^ग	645 ^घ	850 ^ङ	950 ^च	1000	1080	1250	1310
धान (उत्तम)	215
धान (अति उत्तम)	225
धान (ग्रेड 'ए')	...	520	580	590	600	610 ^ग	675 ^घ	880 ^ङ	980 ^च	1030	1110	1280	1345
गेहूं	225	580	630	640	650 ^घ	750 ^घ	1000	1080	1100	1120	1285	1350	1400
ज्वार (संकर)	180	415	490	515	525	540	600	840	840	880	980	1500	1500
ज्वार (मलडांडी)	555	620	860	860	900	1000	1520	1520
बाजरा	180	415	495	515	525	540	600	840	840	880	980	1175	1250
रागी	180	415	490	515	525	540	600	915	915	965	1050	1500	1500
मक्का	180	415	490	525	540	540	620	840	840	880	980	1175	1310
जौ	200	430	505	540	550	565	650	680	750	780	980	980	1100
चना	450	1015	1225	1425	1435	1445	1600	1730	1760	2100	2800	3000	3100
मसूर	1525	1535	1545	1700	1870	1870	2250	2800	2900	2950
अरहर	480	1105	1325	1390	1400	1410	1550 ^घ	2000	2300	3000 ^च	3200 ^च	3850	4300
मूंग	480	1105	1335	1410	1520	1520	1700 ^घ	2520	2760	3170 ^च	3500 ^च	4400	4500
उड़द	480	1105	1335	1410	1520	1520	1700 ^घ	2520	2520	2900 ^च	3300 ^च	4300	4300
गन्ना ^क	23.00	56.10	69.50	74.50	79.50	80.25	81.18	81.18	129.84	139.12	145.00 ^घ	170.00	210.00
कपास एफ-414/एच-777	620	1575	1695	1760	1760	1770 ^घ	1800 ^घ	2500 ^घ	2500 ^घ	2500 ^घ	2800 ^घ	3600	3700
कपास एच-4 750	750	1775	1895	1960	1980	1990 ^घ	2030 ^घ	3000 ^घ	3000 ^घ	3000 ^घ	3300 ^घ	3900	4000
मूंगफली	580	1155	1375	1500	1520	1520	1550	2100	2100	2300	2700	3700	4000
जूट (टैडी-5)	320	750	850	890	910	1000	1055	1250	1375	1575	1675	2200	2300
रेपसीड/सरसों	600	1100	1340	1700	1715	1715	1800	1830	1830	1850	2500	3000	3050
सूरजमुखी	600	1155	1210	1340	1500	1500	1510	2215	2215	2350	2800	3700	3700
सोयाबीन (काला)	350	755	805	900	900	900	910	1350	1350	1400	1650	2200	2500
काला (पीला)	400	845	895	1000	1010	1020	1050	1390	1390	1440	1690	2240	2560
कुसुम्भ	575	1100	1305	1550	1565	1565	1650	1650	1680	1800	2500	2800	3000
तौरिया	570	1065	1305	1665	1680	1680	1735	1735	1735	1780	2425	2970	3020
नारियल गिरी (मिलिंग)	1600	3100	3300	3500	3570	3590	3620	3660	4450	4450	4525	5100	5250
नारियल गिरी बाल्स	...	3325	3550	3750	3820	3840	3870	3910	4700	4700	4775	5350	5500
तिल	...	1205	1455	1500	1550	1560	1580	2750	2850	2900	3400	4200	4500
तिल्ली बीज	...	915	1120	1180	1200	1220	1240	2405	2405	2450	2900	3500	3500

^क 2008-09 तक सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी)। 2009-10 से उचित और लाभकर मूल्य (एफआरपी)।^ख वर्ष 2002-03 के लिए घोषित एक बारगी विशेष सूखा राहत मूल्य।^ग 10 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2007 के बीच में अधिप्राप्ति पर प्रति क्विंटल 40 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस देय है।^घ न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 40 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देय है।^ङ मध्यम स्टेपल^च दीर्घ स्टेपल^छ गेहूं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 50 रु प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस देय है।^ज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देय है।^झ 24.5-25.5 की स्टेपल लम्बाई (एमएम) और 4.3-5.1 का माइक्रोनेयर मूल्य।^ञ 29.5-30.5 की स्टेपल लम्बाई (एमएम) और 3.5-4.3 का माइक्रोनेयर मूल्य।^ट न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 50 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस प्रोत्साहनात्मक देय है।^ठ कटाई/आवक की दो माह की अवधि के दौरान अधिप्राप्ति एजेंसियों को बेची गई तूर, उड़द और मूंग पर पांच रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर पर अतिरिक्त बोनस।^ड 9.5 प्रतिशत वसूली पर, 9.5 प्रतिशत से अधिक की वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 1.46 रुपये के प्रीमियम के अध्वधीन।

सारणी 6.1(क) : विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार

(₹ करोड़)

अंत में	प्रारक्षित भण्डार						अंशुको के साथ लेन-देन			
	सोना		आरटीपी (₹ करोड़)	एस.डी.आर.		विदेशी मुद्रा	जोड़	आहरण	पुनः खरीद	बकाया पुनः खरीद की देनदारियां
	टन	(₹ करोड़)		मिलियन	₹ करोड़	परिसम्पत्तियां (₹ करोड़)	₹ करोड़ (3+4+6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1950-51	220	118	911	1029	48
1951-52	220	118	747	865	48
1952-53	220	118	763	881	48
1953-54	220	118	792	910	...	17	30
1954-55	220	118	774	892	...	17	13
1955-56	220	118	785	903	...	7	6
1956-57	220	118	563	681	61	6	61
1957-58	220	118	303	421	35	...	95
1958-59	220	118	261	379	95
1959-60	220	118	245	363	...	24	71
1960-61	220	118	186	304	...	11	61
1961-62	220	118	180	298	119	61	119
1962-63	220	118	177	295	12	...	131
1963-64	220	118	188	306	...	24	107
1964-65	250	134	116	250	48	48	107
1965-66	216	116	182	298	65	36	137
1966-67	216	183	296	479	89	43	313
1967-68	216	183	356	539	68	43	338
1968-69	216	183	391	574	...	59	279
1969-70	217	183	...	123	92	546	821	...	125	154
1970-71	216	183	...	149	112	438	733	...	154	...
1971-72	216	183	...	248	194	480	857
1972-73	216	183	...	247	226	479	888
1973-74	216	183	...	245	230	581	994	62	...	59
1974-75	216	183	...	235	229	611	1023	485	...	557
1975-76	216	183	...	203	211	1492	1886	207	...	804
1976-77	223	188	...	187	192	2863	3243	...	303	492
1977-78	229	193	...	162	170	4500	4863	...	249	210
1978-79	260	220	...	365	381	5220	5821	...	207	...
1979-80	266	225	...	529	545	5164	5934	...	55	...
1980-81	267	226	...	491	497	4822	5545	274 ^क	5 ^ख	268
1981-82	267	226	...	425	444	3355	4025	637 ^ख	...	901
1982-83	267	226	...	270	291	4265	4782	1893 ^ख	...	2867
1983-84	267	226	...	216	248	5498	5972	1414 ^ख	72 ^ख	4444
1984-85	291	246	...	147	181	6817	7244	219 ^ख	156 ^ख	4888
1985-86	325	274	...	115	161	7384	7819	...	253 ^ख	5285
1986-87	325	274	...	139	232	7645	8151	...	672 ^ख	5548
1987-88	325	274	...	70	125	7287	7686	...	1209 ^ख	4732
1988-89	325	274	...	80	161	6605	7040	...	1547 ^ख	3696
1989-90	333	281	...	82	184	5787	6252	3334 ^ग	1460 ^ख	2572
1990-91	333	6828	...	76	200	4388	11416	3205 ^घ	1156 ^ग	5132
1991-92	351	9039	...	66	233	14578	23850	4231	1127 ^ग	8934
1992-93	354	10549	...	13	55	20140	30744	1007	868 ^घ	14986
1993-94	367	12794	...	77	339	47287	60420	...	420 ^घ	15812
1994-95	396	13752	...	5	23	66006	79781	...	3585 ^घ	13545
1995-96	398	15658	...	56	280	58446	74384	...	5749 ^घ	8152
1996-97	398	14557	...	1	7	80368	94932	...	3461 ^घ	4714
1997-98	396	13394	...	1	4	102507	115905	...	2286 ^घ	2624
1998-99	357	12559	...	6	34	125412	138005	...	1652 ^घ	1220
1999-2000	358	12973	...	3	16	152924	165913
2000-01	358	12711	...	2	11	184482	197204
2001-02	358	14868	...	8	50	249118	264036
2002-03	358	16785	3190	3	19	341476	361470
2003-04	358	18216	5688	2	10	466215	490129	...	2598.2	...
2004-05	358	19686	6289	3	20	593121	619116	...	414.9	...
2005-06	358	25674	3374	2	12	647327	676387	3024.6	220.5	...
2006-07	358	29573	2044	1	8	836597	868222	1360.3

(जारी...)

सारणी 6.1(क) : विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार (जारी...)

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष की समाप्ति	प्रारक्षित निधि						आईएमएफ के साथ लेन-देन			
	सोना		आरटीपी (₹ करोड़)	एस.डी.आर.		विदेशी मुद्रा आस्तियां (₹ करोड़)	कुल ₹ करोड़ (3+4+6+7)	निकासी	पुनः खरीद ^ख	बकाया पुनः खरीद देनदारियां
	टन	(₹ करोड़)		मिलियन एसडीआर	₹ करोड़					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2007-08	358	40124	1744	11	74	1196023	1237965	301.5
2008-09	358	48793	5000	1	6	1230066	1283865	371.1	2940.1	...
2009-10	558	81188	6231	3297	22596	1149650	1259665	...	10090.4	...
2010-11	558	102572	13158	2882	20401	1224883	1361013	161.3	1594.0	...
2011-12	558	138250	14511	2885	22866	1330511	1506139	...	1392.1	...
2012-13	558	139737	12513	2887	23538	1412631	1588418
2013-14	558	129616	11019	2888	26826	1660914	1828375

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

एसडीआर: विशेष आहरण अधिकार, आरटीपी: अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित ट्रांश स्थिति..... : शून्य अथवा नगण्य।

क. न्यास निधि के अंतर्गत आहरित 544.53 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं।

ख. विस्तारित निधि सुविधा (ई.एफ.एफ.) के अंतर्गत निकासी।

ग. 1883.6 करोड़ रुपए की निकासी प्रतिपूरक और आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत तथा 1450.2 करोड़ रुपए की निकासी स्टैंड-बल व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित पहली ण निधि के अंतर्गत की गई।

घ. 2217.2 करोड़ रुपए की निकासी प्रतिपूरक और आकस्मिक वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत निर्धारित पहली ऋण निधि के अंतर्गत की गई।

ङ. इसके अतिरिक्त रुपए की स्वैच्छिक पुनः खरीद के लिए मई 1979 में 59.9 मिलियन एस.डी.आर., जुलाई, 1980 में 7.3 मिलियन एस.डी.आर. और मार्च, 1982 में 34.5 मिलियन एस.डी.आर. को रुपए के स्वैच्छिक पुनः खरीद के लिए प्रयोग में लाया गया।

च. आईएमएफ द्वारा सामान्य संसाधन खाते के अंतर्गत रुपए की स्वैच्छिक पुनः खरीद (199 करोड़ ₹) और रुपए की विक्री (35.2 करोड़ ₹) शामिल है।

छ. अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा रुपए की विक्री।

ज. अनिवार्य वित्तपोषण स्कीम (सीएफएफ) के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए 66.50 मिलियन एस.डी.आर. का प्रयोग किया गया।

झ. सीएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए विदेशी मुद्रा में 33.25 मिलियन और 117.85 करोड़ रुपए एस.डी.आर. का प्रयोग किया गया।

ञ. सीएफएफ और ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए क्रमशः 66.5 मिलियन एस.डी.आर. और 131.25 मिलियन एसडीआर का प्रयोग किया गया।

ट. ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 431.25 मिलियन का प्रयोग किया गया।

ठ. ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 704.17 मिलियन का प्रयोग किया गया।

ड. ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 804.11 मिलियन का प्रयोग किया गया।

ढ. ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 681.35 मिलियन का प्रयोग किया गया।

ण. ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 468.75 मिलियन का प्रयोग किया गया।

त. ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 337.49 मिलियन का प्रयोग किया गया।

थ. ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 237.49 मिलियन का प्रयोग किया गया।

द. ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 95.84 मिलियन का प्रयोग किया गया।

ध. ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 812.77 मिलियन का प्रयोग किया गया।

न. ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 1130.48 मिलियन का प्रयोग किया गया।

प. ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 678.38 मिलियन का प्रयोग किया गया।

फ. ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 449.29 मिलियन का प्रयोग किया गया।

ब. ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 212.46 मिलियन का प्रयोग किया गया।

टिप्पणियाँ : 1. जून 1996 में रुपए के अवमूल्यन के कारण वर्ष 1965-66 के बाद के आंकड़ों की पहले के वर्षों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती है।

2. इसके साथ ही जुलाई 1991 के बाद के आंकड़ों की पहले के वर्षों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991 को रुपये का अधोमुखी समायोजन किया गया।

3. आहर्णों, पुनःखरीद और बकाया पुनःखरीद दायित्वों को लागू विनिमय दरों पर परिकलित किया जाता है।

4. मई, 1966 तक सोने का मूल्य 53.58 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा सितम्बर, 1990 तक 84.39 रुपए प्रति 10 ग्राम माना गया है और 17 अक्टूबर, 1990 से अंतराष्ट्रीय बाजार मूल्य के सन्निकट माना गया है।

5. विदेशी मुद्रा में (क) भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी आस्तियां और (ख) 1955-56 तक विदेश में सरकारी जमा राशि शामिल हैं।

6. प्रारक्षित निधियां जहां अवधि के अन्त से सम्बन्धित हैं, वहीं पुनःखरीद सम्बन्धित अवधियों के लिए हैं।

7. एफसीए में 20 मार्च, 2009 से आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में निवेश किए गए 250.00 मिलियन अमरीकी डालर (भारतीय रुपये में उसके समतुल्य मूल्य भी) शामिल नहीं हैं।

8. इसमें 31463 करोड़ रुपये (6699 मिलियन अमरीकी डालर) शामिल हैं जो 3 नवम्बर, 2009 को अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 मीट्रिक टन स्वर्ण खरीद को प्रतिबिम्बित करते हैं।

9. सामान्य आवंटन के तहत आवंटित 3082.5 मिलियन एस.डी.आर. और अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा क्रमशः 28 अगस्त, 2009 तथा 9 सितम्बर 2009 को किए गए विशेष आवंटन के तहत 214.6 मिलियन एस.डी.आर शामिल हैं।

10. पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएँ।

सारणी 6.1(ख) : विदेशी मुद्रा भण्डार

(यूएस मिलियन अमरीकी डालर)								
वित्त वर्ष की समाप्ति	प्रारक्षित भंडार					आईएमएफ के साथ लेन-देन		
	सोना	आरटीपी (₹ करोड़)	एस.डी.आर.	विदेशी मुद्रा आस्तियां	कुल ₹ करोड़ (3+4+6+7)	निकासी	पुनः खरीद	बकाया पुनः खरीद देनदारियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1950-51	247	1914	2161	100
1951-52	247	1568	1815	100
1952-53	247	1603	1850	100
1953-54	247	1664	1911	...	36	64
1954-55	247	1626	1873	...	36	28
1955-56	247	1648	1895	...	15	13
1956-57	247	1184	1431	126	12	128
1957-58	247	637	884	72	...	200
1958-59	247	548	795	200
1959-60	247	515	762	...	50	150
1960-61	247	390	637	...	23	128
1961-62	247	377	624	249	127	250
1962-63	247	372	619	25	...	275
1963-64	247	395	642	...	50	225
1964-65	281	243	524	99	100	225
1965-66	243	383	626	137	75	288
1966-67	243	395	638	126	57	418
1967-68	243	475	718	89	58	450
1968-69	243	526	769	...	78	372
1969-70	243	...	123	728	1094	...	167	205
1970-71	243	...	148	584	975	...	205	...
1971-72	264	...	269	661	1194
1972-73	293	...	297	629	1219
1973-74	293	...	296	736	1325	79	...	75
1974-75	304	...	293	782	1379	608	...	715
1975-76	281	...	234	1657	2172	239	...	896
1976-77	290	...	217	3240	3747	...	336	559
1977-78	319	...	200	5305	5824	...	333	249
1978-79	377	...	470	6421	7268	...	256	...
1979-80	375	...	662	6324	7361	...	145	...
1980-81	370	...	603	5850	6823	342	16	327
1981-82	335	...	473	3582	4390	692	40	964
1982-83	324	...	291	4281	4896	1968	...	2876
1983-84	320	...	230	5099	5649	1376	70	4150
1984-85	325	...	145	5482	5952	201	134	3932
1985-86	417	...	131	5972	6520	...	209	4290
1986-87	471	...	179	5924	6574	...	521	4291
1987-88	508	...	97	5618	6223	...	930	3653
1988-89	473	...	103	4226	4802	...	1070	2365
1989-90	487	...	107	3368	3962	...	873	1493
1990-91	3496	...	102	2236	5834	1858	644	2623
1991-92	3499	...	90	5631	9220	1240	460	3451
1992-93	3380	...	18	6434	9832	1623	335	4799
1993-94	4078	...	108	15068	19254	325	134	5040
1994-95	4370	...	7	20809	25186	...	1146	4300
1995-96	4561	...	82	17044	21687	...	1710	2374
1996-97	4054	...	2	22367	26423	...	977	1313
1997-98	3391	...	1	25975	29367	...	615	664
1998-99	2960	...	8	29522	32490	...	102	287
1999-2000	2974	...	4	35058	38036
2000-01	2725	...	2	39554	42281
2001-02	3047	...	10	51049	54106
2002-03	3534	672	4	71890	76100
2003-04	4198	1311	2	107448	112959	...	561.3	...
2004-05	4500	1438	5	135571	141514	...	93.5	...
2005-06	5755	756	3	145108	151622	670.0	50.7	...
2006-07	6784	469	2	191924	199179	302.7
2007-08	10039	436	18	299230	309723	74.2
2008-09	9577	981	1	241426	251986	86.3	611.9	...

(जारी...)

सारणी 6.1(ख) : विदेशी मुद्रा भण्डार (जारी...)

(यूएस मिलियन अमरीकी डालर)

वित्त वर्ष की समाप्ति	प्रारक्षित भंडार					आईएमएफ के साथ लेन-देन		
	सोना	आरटीपी (₹ करोड़)	एस.डी.आर.	विदेशी मुद्रा आस्तियां	कुल ₹ करोड़ (3+4+6+7)	निकासी	पुनः खरीद	बकाया पुनः खरीद देनदारियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009-10	17986	1380	5006	254685	279057	...	461.3	...
2010-11	22972	2947	4569	274330	304818	36.2	353.2	...
2011-12	27023	2836	4469	260069	294397	...	275.1	...
2012-13	25692	2301	4328	259726	292047
2013-14	21567	1834	4464	276359	304224

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

एसडीआर: विशेष आहरण अधिकार, आरटीपी: अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित ट्रांश स्थिति..... : शून्य अथवा नगण्य।

- टिप्पणियां :
1. अमरीकी डालर में आंकड़ों संकलित करने के लिए आईएमएफ के अंतराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी के अनुसार 16 अक्टूबर, 1990 तक सोने का मूल्य एसडीआर 35 प्रति ट्राय औंस माना गया है। इसके पश्चात् सोने का मूल्य अंतराष्ट्रीय बाजार मूल्य के अनुसार माना गया है।
 2. विदेशी मुद्रा आस्तियों और एस.डी.आर. का अमरीकी डालर में परिवर्तन आईएमएफ द्वारा बताई गई विनिमय दरों पर किया गया है।
 3. अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किए गए लेनदेनों को संबंधित एस.डी.आर./डालर दर पर परिवर्तित किया जाता है।
 4. प्रारक्षित निधियां जहां अवधि के अन्त से सम्बन्धित हैं, वहीं पुनः खरीद सम्बन्धित अवधियों के लिए हैं।
 5. विदेशी मुद्रा आस्तियों में 20 मार्च, 2009 से आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में निवेश किए गए 250.00 मिलियन अमरीकी डालर, 16 सितम्बर, 2011 से 380 मिलियन अमरीकी डालर, 27 फरवरी, 2012 से 550 मिलियन अमरीकी डालर, 30 मार्च, 2012 से 673 मिलियन अमरीकी डालर और 5 जुलाई, 2012 से 790 मिलियन अमरीकी डालर (भारतीय रुपये में उसके समतुल्य मूल्य भी) शामिल नहीं हैं।
 6. इसमें 6699 मिलियन अमरीकी डालर शामिल हैं जो 3 नवम्बर, 2009 को अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 मीट्रिक टन स्वर्ण खरीद को प्रतिबिम्बित करते हैं।
 7. सामान्य आवंटन के तहत आवंटित 3082.5 मिलियन एस.डी.आर. और अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा क्रमशः 28 अगस्त, 2009 तथा 9 सितम्बर 2009 को किए गए विशेष आवंटन के तहत 214.6 मिलियन एस.डी.आर शामिल हैं।
 8. पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

सारणी 6.2 : अंशु कोष के भुगतान मैनुअल 5 के अनुसार भुगतान शेष

मद	2000-01		2008-09		2009-10	
	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर
1	2	3	4	5	6	7
1. आयात (लागत बीमा भाड़ा)	264589	57912	1405400	308520	1423200	300644
2. निर्यात (जहाज तक निःशुल्क)	207852	45452	858000	189001	863300	182442
3. व्यापार संतुलन (2-1)	-56737	-12460	-547400	-119519	-559900	-118202
4. अदृश्य						
(क) प्राप्तियां	147778	32267	770400	167819	774600	163430
(ख) अदायगियां	102639	22473	350600	76214	394400	83408
(जिनमें से: उधारों एवं ऋणों पर ब्याज एवं शोधन भुगतान)	21948	4801	29992	6521	27169	5719
(ग) निवल	45139	9794	419800	91605	380200	80022
5. चालू खाता (निवल)	-11598	-2666	-127600	-27914	-179700	-38180
6. पूंजीगत खाता ^क						
I. विदेशी निवेश ^ख	26744	5862	35000	8342	240000	50362
(क) अंतर्वाह	18404	4031	190600	41737	157800	33109
(ख) बहिर्वाह	-3480	-759	-90500	-19365	-71800	-15143
(ग) निवल	14924	3272	100100	22372	86000	17966
	11820	2590	-65100	-14031	154000	32396
II. ऋण ^ख	24459	5264	34800	8314	57900	12447
(i) विदेशी सहायता						
(क) अंतर्वाह	13521	2941	24400	5230	27900	74163
(ख) बहिर्वाह	11519	2531	12900	2792	14300	61716
(ग) निवल	2002	410	11500	2438	13600	12447
(ii) वाणिज्यिक उधार ^ग						
(क) अंतर्वाह	95750	20865	260900	56987	322100	68267
(ख) बहिर्वाह	73293	16011	237700	51111	277700	58709
(ग) निवल	22457	4854	23200	5876	44400	9558
III. बैंकिंग						
(क) प्राप्तियां	44448	9744	295400	65207	292100	61499
(ख) अदायगियां	53592	11705	314600	68453	282300	59416
(ग) निवल	-9144	-1961	-19200	-3246	9800	2083
IV. रुपए में ऋण शोधन	-2760	-617	-500	-100	-500	-97
V. अन्य पूंजी						
(क) प्राप्तियां	12948	2856	76100	16685	54600	11451
(ख) अदायगियां	11637	2564	97300	22602	117800	24613
(ग) निवल	1311	292	-21200	-5917	-63200	-13162
VI. भूल-चूक	-1369	-305	1500	440	-100	-12
7. कुल पूंजी (6 का I से VI)	39241	8535	30500	7835	243900	51622
8. समग्र शेष (5+7)	27643	5868	-97100	-20080	64200	13441
9. मुद्रा संचलन						
(क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेन-देन						
(i) खरीद
(ii) पुनःखरीद	115	26
(iii) निवल	-115	-26
(ख) प्रारक्षित भंडार में वृद्धि (-)/कमी (+)	-27528	-5868	97100	20080	-64200	-13441
10. योग (प्रारक्षित भंडार में घट-बढ़ (9क(iii)+9ख) [वृद्धि (-)/कमी (+)]	-27643	-5842	97100	20080	-64200	-13441

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

शून्य अथवा नगण्य

^क वाणिज्यिक उधार राशि में अल्पावधिक ऋण राशि शामिल है।

टिप्पणी : पूर्णांकित किए जाने के कारण संभव है कि जोड़ मेल न खाएं।

(जारी...)

सारणी 6.2 : अंशु कोष के भुगतान मैनुअल 5 के अनुसार भुगतान शेष (जारी...)

मद	2010-11		2011-12 अं.सं.		2012-13 प्र		2013-14 प्र	
	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर
1	8	9	10	11	12	13	14	15
1. आयात (लागत बीमा भाड़ा)	1746100	383481	2394600	499533	2732146	502237	2815918	466216
2. निर्यात (जहाज तक निःशुल्क)	1165700	256159	1482500	309774	1667690	306581	1931074	318607
3. व्यापार संतुलन (2-1)	-580500	-127322	-912100	-189759	-1064456	-195656	-884845	-147609
4. अदृश्य								
(क) प्राप्तियां	867200	190488	1053500	219229	1218893	224044	1411773	233231
(ख) अदायगियां	506400	111218	517300	107625	634047	116551	714679	118019
(जिनमें से: उधारों एवं ऋणों पर ब्याज एवं शोधन भुगतान)	27660	6073	41046	8527	59546	10944	67745	11176
(ग) निवल	360800	79269	536200	111604	584846	107493	697095	115212
5. चालू खाता (शेष)	-219700	-48053	-376000	-78155	-479610	-88163	-187750	-32397
6. पूंजीगत खाता								
I. विदेशी निवेश (निवल)	193500	42127	188700	39231	254653	46711	159650	26386
(i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)								
(क) अंतर्वाह	132400	29029	155000	32952	146954	26953	186830	30763
(ख) बहिर्वाह	-78300	-17195	-51800	-10892	-38768	-7134	-56860	-9199
(ग) निवल	54100	11834	103200	22061	108186	19819	129969	21564
(ii) पोर्टफोलियो निवेश	139400	30293	85600	17170	146467	26891	29680	4822
II. ऋण (निवल)	132700	29135	89700	19307	169073	31124	45901	7765
(i) विदेशी सहायता								
(क) अंतर्वाह	35900	7882	27400	5646	25747	4735	28239	4659
(ख) बहिर्वाह	13400	2941	16100	3350	20421	3752	22043	3627
(ग) निवल	22500	4941	11300	2296	5326	982	6197	1032
(ii) वाणिज्यिक उधार ^ग								
(क) अंतर्वाह	459500	100899	649100	135344	817600	150351	7852	130177
(ख) बहिर्वाह	349300	76705	570700	118334	653900	120209	7455	123444
(ग) निवल	110200	24194	78400	17010	163700	30142	397	6733
III. बैंकिंग								
(क) प्राप्तियां	419300	92323	427800	89904	455407	83727	654482	108049
(ख) अदायगियां	397300	87361	356800	73678	365140	67157	502818	82601
(ग) निवल	22000	4962	71000	16226	90268	16570	151664	25449
IV. रुपया ऋण सेवा (निवल)	-300	-68	-400	-79	-313	-58	-304	-52
V. अन्य पूंजी								
(क) प्राप्तियां	45200	9995	64100	13296	97073	17861	133801	22171
(ख) अदायगियां	101900	22411	94200	20224	125020	22908	200903	32932
(ग) निवल	-56700	-12416	-30100	-6929	-27946	-5047	-67102	-10761
VI. भूल-चूक (निवल)	-12100	-2636	-11600	-2432	14578	2689	-6004	-882
7. कुल पूंजी (6 का I से VI)	279100	61104	307400	65323	500313	91989	283804	47905
8. समग्र संतुलन (5+7)	59500	13050	-68500	-12831	20702	3826	96054	15508
9. मुद्रा संचलन								
(क) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेन-देन								
(i) खरीद
(ii) पुनः खरीद
(iii) निवल
(ख) प्रारक्षित भंडार में वृद्धि (-)/कमी (+)	-59500	-13050	68500	12831	-20702	-3826	-96054	-15508
10. कुल प्रारक्षित भंडार में घट-बढ़ (9क (iii) + 9ख) [वृद्धि (-)/कमी (+)]	-59500	-13050	68500	12831	-20702	-3826	-96054	-15508

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक। प्र: प्रारंभिक (अं.सं.) : अंशतः संशोधित:शून्य अथवा नगण्य * :वाणिज्यिक अर्जनों में अल्पकालिक उधार भी शामिल है।

टिप्पणी : 1. जो अनुदान प्राप्त हुए हैं वे मद 4(क) में शामिल हैं।

- वर्ष के दौरान उपार्जित तथा अनिवासी भारतीयों के जमा खातों में जमा किए गए अनुमानित व्याज को अदृश्य भुगतानों के अनुमानित कल्पित बहिर्वाह के रूप में माना गया है तथा बैंकिंग पूंजी के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों के जमा खातों में पुनः निवेश के रूप में जोड़ा गया है।
- अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भुगतान शेष नियम पुस्तिका (पांचवा संस्करण) के उपबंध के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार से खरीदे गए स्वर्ण को भुगतान शेष संचिख्यकी से बाहर रखा गया है। इसलिए “अन्य पूंजीगत प्राप्तियां और विदेशी मुद्रा भंडार” में उपयुक्त समायोजन करके पूर्ववर्ती वर्षों के आंकड़ों में संशोधन किया गया है इसी प्रकार ‘एस.डी.आर आबंटन’ मद को इस सारणी से काट दिया गया है।
- वर्ष 1996-97 से निजी अंतरण अदायगियों में अनिवासी बाह्य (रुपया) खाता [एन आई ई (आर) ए] और अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपया जमा राशि [एन आर (एन आर) आर डी] योजनाओं के तहत मूलधन और व्याज दोनों को रुपए में अदायगी शामिल है। यह आंकड़ों की रिपोर्टिंग में सुधार को दर्शाता है।
- उपयुक्त सारणी में भुगतान-शेष के आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण आर्थिक समीक्षा के पूर्ववर्ती अंकों में प्रकाशित भुगतान शेष के आंकड़ों से भिन्न है।
- पूर्णकन के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

सारणी 6.3(क) : अं. मु. के भुगतान शेष-मैनुअल के अनुसार भुगतान शेष

(₹ करोड़)

मद	2010-11			2011-12 अं.सं.			2012-13 प्रो			2013-14 प्रो		
	क्रेडिट	डेबिट	निवल	क्रेडिट	डेबिट	निवल	क्रेडिट	डेबिट	निवल	क्रेडिट	डेबिट	निवल
1. चालू खाता (1.क + 1ख + 1ग)	2030700	2249700	-219000	2526500	2902700	-376200	2884400	3362300	-477900	3340000	3527500	-187500
1.ए. वस्तुएं तथा सेवाएं (1ए+1एबी)	1733700	2112900	-379200	2160500	2764700	-604200	2460200	3171400	-711200	2848300	3290800	-442600
1. ए. वस्तुएं (1ए.बी. 1 से ए.बी. 13)	1166400	1746100	-579800	1482800	2394600	-911900	1667700	2732100	-1064500	1931100	2815900	-884800
1. ए.बी.1. अन्य के स्वामित्वाधीन भौतिक आदानों पर विनिर्माण सेवाएं एनआईई	567300	366700	200600	677700	370100	307600	792500	439300	353200	917200	474900	442300
1. ए.बी. 2. रखरखाव तथा मरम्मत सेवाएं	-	-	-	-	-	-	400	200	200	900	200	800
1. ए.बी. 3. परिवहन	65100	63500	1600	87600	79100	8500	94300	80600	13700	105300	1700	-400
1. ए.बी. 4. पर्यटन	71900	50200	21600	89200	65900	23300	97900	64300	33500	108800	71400	37400
1. ए.बी. 5. विनिर्माण	3100	5300	-2200	3900	4800	-1000	5500	6600	-1200	8100	7500	600
1. ए.बी. 6. बीमा तथा पेंशन सेवाएं	8900	6400	2500	12700	7200	5500	12100	7700	4500	12800	6800	6100
1. ए.बी. 7. वित्तीय सेवाएं	29700	34100	-4400	28700	38300	-9700	26900	25200	1700	40200	34600	5600
1. ए.बी. 8. वौद्धिक सम्पदा के उपयोग हेतु प्रभार	900	11000	-10200	1400	15500	-14200	1600	22600	-21000	3600	24000	-20300
1. ए.बी. 9. दूरसंचार कंप्यूटर तथा सूचना सेवाएं एनआईई	251300	17100	234300	307700	15600	292100	368800	19100	349700	436200	23800	412300
1. ए.बी. 10. अन्य कार्रवाई सेवाएं	103900	121200	-17300	118300	122600	-4300	154800	165000	-10300	172200	164600	7700
1. ए.बी. 11. व्यक्तिगत, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन सेवाएं	1000	2500	-1400	1900	1300	600	5000	3400	1600	8000	5100	2900
1. ए.बी. 12. सरकारी वस्तुएं तथा सेवाएं एनआईई	2400	3700	-1300	2300	3700	-1500	3100	4400	-1300	2900	5900	-2900
1. ए.बी. 13. अन्य एन आई ई	29200	51700	-22600	24200	15900	8300	21500	38000	-16500	16900	40000	-23100
1. बी. प्राथमिक आय	43700	125500	-81800	48400	125200	-76800	55900	172700	-116800	68900	208800	-139900
1. सी. द्वितीय आय	253300	11300	242000	317600	12700	304900	368300	18200	350100	422900	27900	395000
2. पूंजीगत खाता (2.1+2.2)	3100	2900	200	4400	4600	-300	8500	10100	-1600	10000	6400	3600
2.1 अनुवादक अर्थार्थिक आस्तियों का सकल अर्जन (डीआर)/निपटन (सीआर)	200	100	100	1300	1700	-500	400	800	-400	600	600	-
2.2 पूंजी अंतरण	2900	2900	100	3100	2900	200	8100	9300	-1200	9400	5800	3600
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5 तक)	2290300	2059400	230900	2382500	1994500	388000	2567200	2102300	464900	3152900	2963000	189900
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1ए+3.1बी)	175900	121800	54100	232000	128900	103200	216700	108600	108200	263900	133900	130000
3.1.ए. भारत में प्रत्यक्ष निवेश	164300	31900	132400	220000	65000	155000	186900	39900	147000	218600	31800	186800
3.1.बी. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	11600	89900	-78300	12000	63800	-51800	29900	68600	-38800	45300	102200	-56900
3.2 पोर्टफोलियो निवेश	1144900	1014900	130000	886400	803600	82800	952100	806600	145400	1226700	1197100	29600
3.2.ए. भारत में पोर्टफोलियो निवेश	1141400	1006100	135300	882300	798300	84000	944000	793800	150200	1221700	1190700	31000
3.2.बी. भारत द्वारा पोर्टफोलियो निवेश	3500	8800	-5300	4100	5300	-1200	8100	12900	-4800	5000	6400	-1400
3.3 वित्तीय व्युत्पन्न (प्रारंभिक के अलावा) तथा कर्मचारी स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-	17700	30300	-12600	58400	45800	12700
3.4 अन्य निवेश	969500	863300	106200	1169900	1036400	133500	1379600	1134500	245100	1537500	1423800	113800
3.4.1. अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	9400	-	9400	2800	-	2800	1000	-	1000	100	-	100
3.4.2. मुद्रा तथा निक्षेप	232000	214800	17100	312500	253500	59000	358700	275500	83300	536200	295200	241000
3.4.3. ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी तथा बैंकिंग पूंजी)	333000	250300	82700	298900	227700	71200	272600	214200	58400	329300	340000	-10700
3.4.4. बीमा, पेंशन तथा मानवीकृत त गारंटी स्कीम)	-	-	-	-	-	-	200	800	-600	3600	4000	-400
3.4.5. व्यापार ऋण तथा अग्रिम	349700	294900	54900	492900	462400	30600	667400	549800	117700	602400	635200	-32700
3.4.6. अन्य खाते व प्राप्य तथा भुगतान-आय	45500	103300	-57900	62900	92900	-30000	79800	95000	-15200	65900	149500	-83500
3.4.7. विशेष आरक्षण प्राधिकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. प्रारंभिक आस्तियां	-	59500	-59500	94100	25600	68500	900	21600	-20700	66400	162400	-96100
4. कुल आस्तियां/देयदारियां	2290300	2059400	230900	2382500	1994500	388000	2567200	2102300	464900	3152900	2963000	189900
5. भूल-चूक निवल	-	12100	-12100	-	11600	-11600	14600	-	14600	5000	11000	-6000

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

अं.सं. : अंशतः संशोधित

प्र. : प्रारंभिक

नोट : 1. पूर्णांकित के क्रिये जाने के कारण संभव है कि जोड़ मेंल न खाएं।

सारणी 6.3(क) : अं० मु० के भुगतान शेष-मैनुअल के अनुसार भुगतान शेष (जारी...)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2010-11			2011-12 अं.सं.			2012-13 प्र०			2013-14 प्र०		
	क्रेडिट	डेबिट	निवल	क्रेडिट	डेबिट	निवल	क्रेडिट	डेबिट	निवल	क्रेडिट	डेबिट	निवल
1. चावल खाता (1.क + 1ख + 1ग)	446,158	494,067	-47,909	527,050	605,229	-78,179	530,230	618,074	-87,843	553,82	583,739	-32,358
1.ए वस्तुएं तथा सेवाएं (1एए-1एबी)	380,953	464,036	-83,084	450,777	576,439	-125,661	452,259	583,000	-130,741	470,083	544,727	-74,644
1.ए वस्तुएं	256,318	383,481	-127,164	309,843	499,533	-189,690	306,581	502,237	-195,656	318,607	466,216	-147,609
1.एबी सेवाएं (1एबी. 1 से एबी. 13)	124,635	80,555	44,080	140,935	76,906	64,029	145,677	80,763	64,915	154,475	78,510	72,965
1.एबी. 1. अन्यो के स्वामित्वाधीन भौतिक आदानों पर विनिर्माण सेवाएं एनआईई	-	-	-	-	-	-	69	41	28	154	28	125
1.एबी. 2. रखरखाव तथा मरम्मत सेवाएं	-	-	-	-	-	-	113	372	-258	214	282	-69
1.एबी. 3. परिवहन	14,298	13,947	350	18,257	16,454	1,802	17,334	14,806	2,528	17,380	14,792	2,588
1.एबी. 4. पर्यटन	15,793	11,026	4,768	18,462	13,762	4,699	17,999	11,823	6,176	17,922	11,810	6,112
1.एबी. 5. विनिर्माण	677	1,157	-481	804	1,006	-202	1,004	1,220	-216	1,339	1,236	103
1.एबी. 6. बीमा तथा पेंशन सेवाएं	1,945	1,400	545	2,632	1,497	1,134	2,227	1,409	818	2,121	1,116	1,005
1.एबी. 7. वित्तीय सेवाएं	6,508	7,483	-975	5,967	7,984	-2,018	4,949	4,633	316	6,650	5,814	835
1.एबी. 8. बौद्धिक सम्पदा के उपयोग हेतु प्रभार	193	2,424	-2,231	281	3,207	-2,927	302	4,159	-3,857	585	398.0	-3395
1.एबी. 9. दूरसंचार कम्प्यूटर तथा सूचना सेवाएं एनआईई	55,217	3,748	51,469	63,972	3,258	60,714	67,785	3,511	64,274	72,010	39,28	68,082
1.एबी. 10. अन्य कारोबारी सेवाएं	22,823	26,626	-3,803	24,557	25,467	-910	28,447	30,349	-1,902	28,482	27,189	1,293
1.एबी. 11. व्यक्तिगत, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन सेवाएं	227	543	-316	393	275	118	911	616	295	1,323	831	493
1.एबी. 12. सरकारी वस्तुएं तथा सेवाएं एनआईई	531	820	-288	478	780	-302	574	813	-239	488	979	-490
1.एबी. 13. अन्य एन आई ई	6,424	11,382	-4,959	5,133	3,214	1,919	3,962	7,011	-3,049	2,809	6,525	-3,716
1.बी. प्राथमिक आय	9,587	27,537	-17,951	10,144	26,130	-15,987	10,276	31,731	-21,455	11,352	34,380	-23,028
1.सी. द्वितीय आय	55,618	2,494	53,125	66,129	2,660	63,469	67,696	3,343	64,353	69,948	4,933	65,315
2. पूंजीगत खाता (2.1+2.2)	685	645	40	907	968	-61	1,561	1,855	-294	1,718	1,060	659
2.1 अनुत्पादक अनार्थिक आस्तियों का सकल अर्जन (डीआर)/निपटन (सीआर)	38	14	25	275	361	-86	76	147	-71	99	93	6
2.2 पूंजी अंतरण	647	631	16	632	607	25	1,485	1,708	-223	1,619	967	652
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5 तक)	503,724	453,219	50,505	497,083	416,410	80,673	471,971	386,523	85,449	521,478	488,897	32,581
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1ए-3.1बी)	38,609	26,775	11,834	49,007	26,947	22,061	39,786	19,967	19,819	43,582	22,018	21,564
3.1.ए. भारत में प्रत्यक्ष निवेश	3,6,047	7,018	29,029	46,552	13,599	32,952	34,298	7,345	26,953	36,047	5,284	30,763
3.1.बी. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	2,562	19,757	-17,195	2,456	13,348	-10,892	5,488	12,622	-7,134	7,535	16,734	-9,199
3.2 पोर्टफोलियो निवेश	251,903	223,660	28,243	185,013	168,440	16,573	175,053	148,349	26,704	203,164	198,362	4,802
3.2.ए. भारत में पोर्टफोलियो निवेश	251,125	221,704	29,422	184,150	167,338	16,812	173,575	145,992	27,582	202,312	197,304	5,009
3.1.बी. भारत द्वारा पोर्टफोलियो निवेश	777	1,956	-1,179	863	1,102	-239	1,479	2,357	-878	851	1058	-207
3.3 वित्तीय व्युत्पन्न (प्रारक्षित के अलावा) तथा कर्मचारी स्टाक विकल्प?	-	-	-	-	-	-	3,257	5,571	-2,315	9,607	7,601	2,006
3.4 अन्य निवेश	213,212	189,734	23,478	244,512	215,304	29,208	253,686	208,513	45,173	254,424	234,707	19,717
3.4.1. अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	2,049	-	2,049	597	-	597	187	-	187	20	-	20
3.4.2. मुद्रा तथा निक्षेप	50,954	47,186	3,768	64,714	52,619	12,095	65,950	50,638	15,312	88,244	48,858	39,386
3.4.3. ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी तथा बैंकिंग पूंजी)	73,374	55,079	18,295	63,427	46,656	16,770	50,128	39,403	10,726	54,524	55,653	-1,129
3.4.4. बीमा, पेंशन तथा मानवीकृत त गारन्टी स्कैम)	-	-	-	-	-	-	31	138	-107	575	648	-74
3.4.5. व्यापार ऋण तथा अग्रिम	76,776	64,742	12,034	102,754	96,087	6,668	122,734	101,077	21,657	100,117	105,161	-5,044
3.4.6. अन्य खाले व प्राप्य तथा भुगतान-आय	10,059	22,727	-12,668	13,021	19,943	-6,922	14,686	17,395	-2,708	10,944	24,387	-13,394
3.4.7. विशेष आरक्षण प्राधिकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. प्रारक्षित आस्तियां	-	13,050	-13,050	18,550	5,719	12,831	158	3,984	-3,826	10,701	26,209	-15,508
4. कुल आस्तियां/देनदारियां	503,724	453,219	50,505	497,083	416,410	80,673	471,971	386,523	85,449	521,478	488,897	32,581
5. भूल-चूक निवल	-	2,636	-2,636	-	2,432	-2,432	2,688	-	2,688	887	1,769	-882

नोट : 1. पूर्णांकित किये जाते हैं कारण संभव है कि जोड़ में त्रुटि हो जाए।

प्रा : प्रारंभिक

अं. सं. : अंशतः संशोधित

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

सारणी 6.5 : विश्व की चुनिन्दा मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर

(विदेशी मुद्रा की प्रति ईकाई रुपया)

वर्ष/माह	अमरीकी डालर	पौंड स्टर्लिंग	यूरो ^क	जापानी येन	कनाडियन डालर	टर्किश लीरा	इंडोनेशियाई रुपया	ब्राजीलियन रियाल	मैक्सिकन पेसो	कोरियन वोन	पाकिस्तानी रुपया	थाईलैंड बाट	एस.डी.आर.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2009-10	47.417	75.886	67.684	0.511	43.488	बाजार भाव	0.00	25.46	3.62	0.04	0.57	1.41	73.733
1991-92	24.474	42.515		0.185	21.267	0.005	0.012	0.05	0.008	0.033	1.021	0.977	33.433
मार्च-1992	25.89	44.677		0.194	21.709	सरकारी भाव	0.013	0.015	0.009	0.034	1.05	1.015	35.347
1992-93													
अप्रैल	25.89	45.461		0.194	21.8	0.004	0.013	0.012	0.009	0.033	1.049	1.021	35.485
मई	25.89	46.838		0.198	21.586	0.004	0.013	0.01	0.009	0.033	1.056	1.014	35.931
जून	25.89	47.788		0.204	21.651	0.004	0.013	0.008	0.009	0.033	1.085	1.02	36.551
जुलाई	25.89	49.721		0.206	21.764	0.004	0.013	0.007	0.009	0.033	1.119	1.025	37.385
अगस्त	25.89	50.384		0.205	21.734	0.004	0.013	0.006	0.009	0.033	1.035	1.027	37.709
सितम्बर	25.89	47.567		0.211	21.161	0.004	0.013	0.005	0.009	0.034	1.035	1.028	37.695
अक्टूबर	25.89	42.862		0.214	20.805	0.003	0.013	0.004	0.009	0.033	1.054	1.026	37.162
नवम्बर	25.89	39.535		0.209	20.413	0.003	0.013	0.003	0.008	0.033	1.021	1.019	35.91
दिसम्बर	26.154	40.578		0.211	20.574	0.003	0.013	0.002	0.008	0.033	1.028	1.026	36.329
जनवरी	26.199	40.141		0.21	20.500	0.003	0.013	0.002	8.435 ^b	0.033	1.025	1.028	36.082
फरवरी	26.199	37.704		0.217	20.788	0.003	0.013	0.002	8.46	0.033	1.01	1.029	35.939
मार्च-1992	29.455	51.959		0.227	24.698	बाजार भाव ^ग	0.015	0.017	0.01	0.383	1.195	1.155	35.347
1992-93	30.649	51.686		0.246	24.937	0.004	0.015	0.001	2.565	0.039	1.229	1.208	37.142
2000-01	45.684	67.552	41.483	0.414	30.383	0.007 ^d	0.005	24.153	4.788	0.039	0.82	1.1	59.546
2001-02	47.692	68.319	42.181	0.382	30.473	0.004 ^d	0.005	19.549	5.183	0.037	0.772	1.069	60.215
2002-03	48.395	74.819	48.090	0.397	31.253	0.003 ^d	0.005	15.489	4.806	0.04	0.819	1.132	64.126
2003-04	45.952	77.739	53.990	0.407	33.991	0.003 ^d	0.005	15.713	4.248	0.039	0.798	1.132	65.684
2004-05	44.932	82.864	56.512	0.418	35.295	8.269 ^e	0.005	15.707	3.964	0.041	0.763	1.121	66.928
2005-06	44.273	79.047	53.912	0.391	37.137	32.843	0.045	19.17	4.122	0.044	0.741	1.096	64.49
2006-07	45.285	85.643	58.111	0.388	39.765	31.156	0.005	21.044	4.113	0.048	0.748	1.236	67.254
2007-08	40.261	80.841	56.991	0.353	39.042	32.155	0.004	21.762	3.703	0.043	0.658	1.194	62.651
2008-09	45.993	78.316	65.135	0.462	40.875	32.80	0.00	23.61	3.87	0.04	0.61	1.35	71.277
2009-10	47.417	75.886	67.084	0.511	43.488	31.36	0.00	25.46	3.62	0.04	0.57	1.41	73.733
2010-11	45.577	70.885	60.218	0.533	44.840	30.24	0.01	26.43	3.66	0.04	0.53	1.47	69.723
2011-12	47.92	76.38	65.89	0.61	48.31	27.68	0.01	28.22	3.79	0.04	0.55	1.56	75.31
2012-13	54.41	85.98	70.07	0.66	54.35	30.27	0.01	27.08	4.17	0.05	0.57	1.77	83.03
2013-14	60.50	96.30	81.17	0.60	57.35	30.03	0.01	26.86	4.68	0.06	0.59	1.92	92.16

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

^क यूरो मुद्रा 1 जनवरी, 1999 को अस्तित्व में आई।^ख 100 टर्किश लीरा

टिप्पणी: 1. वार्षिक/मासिक औसत। मार्च, 1992 से फरवरी, 1993 के दौरान दोहरी विनिमय दर पद्धति चालू थी जिसमें अमरीकी डालर के लिए सरकारी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई थी तथा बाजार दर का निर्धारण अंतर-बैंक बाजार द्वारा किया गया था।

2. डब्ल्यू माक, फ्रांसिसी फ्रांक और डालवली लीरा के संबंध में 2001-2002 के आंकड़े केवल 11 महीनों के हैं क्योंकि 1 मार्च, 2002 से जर्मनी, फ्रांस और इटली ने यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है।

3. अमरीकी डालर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन के संबंध में मई 2012 से बाद के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दते हैं।

^ग फॉरन एक्सचेंज डोलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडई) द्वारा घोषित सूचक दते हैं।^घ 100 टर्किश लीरा को 1.1.2005 से नए लीरा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 1000 पुराने पेसो = 1 नया पेसो।^द टर्किश लीरा को 1.1.2005 से नए लीरा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

टिप्पणी: 1. वार्षिक/मासिक औसत। मार्च, 1992 से फरवरी, 1993 के दौरान दोहरी विनिमय दर पद्धति चालू थी जिसमें अमरीकी डालर के लिए सरकारी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई थी तथा बाजार दर का निर्धारण अंतर-बैंक बाजार द्वारा किया गया था।

2. डब्ल्यू माक, फ्रांसिसी फ्रांक और डालवली लीरा के संबंध में 2001-2002 के आंकड़े केवल 11 महीनों के हैं क्योंकि 1 मार्च, 2002 से जर्मनी, फ्रांस और इटली ने यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है।

3. अमरीकी डालर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन के संबंध में मई 2012 से बाद के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दते हैं।

सारणी 6.6 : रुपये की नगण्य और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर की प्रवृत्तियाँ

(व्यापार आधारित भारांश)

वर्ष/माह (औसत)	नगण्य प्रभावी विनिमय दर (एन.ई.ई.आर.) 6 मुद्राओं का सूचकांक	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आर.ई.ई.आर.) 6 मुद्राओं का सूचकांक	नगण्य प्रभावी विनिमय दर (एन.ई.ई.आर.) 36 मुद्राओं का सूचकांक	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आर.ई.ई.आर.) 36 मुद्राओं का सूचकांक
1	2	3	4	5
(आधार: 1993-94=100)				
1994-95	96.96	105.82	98.91	104.32
1995-96	88.56	101.27	91.54	98.19
1996-97	86.85	101.11	89.27	96.83
1997-98	87.94	104.41	92.04	100.77
1998-99	77.49	96.14	89.05	93.04
1999-00	77.16	97.69	91.02	95.99
2000-01	77.43	102.82	92.12	100.09
2001-02	76.04	102.71	91.58	100.86
2002-03	71.27	97.68	89.12	98.18
2003-04	69.97	99.17	87.14	99.56
2004-05	69.58	101.78	87.31	100.09
(आधार: 2004-05=100)				
2005-06	103.04	104.40	102.24	102.38
2006-07	98.09	103.80	97.63	100.76
2007-08	104.62	113.40	104.75	109.20
2008-09	90.42	103.90	93.34	99.65
2009-10	87.07	110.70	90.94	103.88
2010-11	91.83	124.50	93.54	112.68
2011-12	84.44	121.20	87.38	110.27
2012-13	75.54	117.08	78.32	105.57
2013-14 (अ)	67.72	112.70	72.32	103.27
2013-14 (अ)				
अप्रैल	75.97	120.87	78.64	108.03
मई	75.29	121.20	78.05	107.99
जून	70.51	114.22	73.71	103.26
जुलाई	68.89	112.99	73.53	104.02
अगस्त	64.61	107.56	69.60	99.47
सितम्बर	63.95	107.64	68.93	99.32
अक्टूबर	65.57	111.11	70.77	102.62
नवम्बर	64.78	111.61	69.98	102.96
दिसम्बर	65.27	111.34	70.87	102.99
जनवरी	65.14	109.88	71.08	102.75
फरवरी	64.90	109.41	70.82	101.97
मार्च	66.27	112.29	71.90	103.82

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

अ : अनन्तिम

सारणी 7.1(क) : निर्यात, आयात तथा व्यापार संतुलन

(₹ करोड़)

वर्ष	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)	आयात	व्यापार संतुलन (प्रतिशत)	परिवर्तन दर	
				निर्यात (प्रतिशत)	आयात
1	2	3	4	5	6
1949-50	485	617	-132	उ.न.	उ.न.
1950-51	606	608	-2	24.9	-1.5
1951-52	716	890	-174	18.2	46.4
1952-53	578	702	-124	-19.3	-21.1
1953-54	531	610	-79	-8.1	-13.1
1954-55	593	700	-107	11.7	14.8
1955-56	609	774	-165	2.7	10.6
1956-57	605	841	-236	-0.7	8.7
1957-58	561	1035	-474	-7.3	23.1
1958-59	581	906	-325	3.6	-12.5
1959-60	640	961	-321	10.2	6.1
1960-61	642	1122	-480	0.3	16.8
1961-62	660	1090	-430	2.8	-2.9
1962-63	685	1131	-446	3.8	3.8
1963-64	793	1223	-430	15.8	8.1
1964-65	816	1349	-533	2.9	10.3
1965-66	810	1409	-599	-0.7	4.4
1966-67	1157	2078	-921	42.8	47.5
1967-68	1199	2008	-809	3.6	-3.4
1968-69	1358	1909	-551	13.3	-4.9
1969-70	1413	1582	-169	4.1	-17.1
1970-71	1535	1634	-99	8.6	3.3
1971-72	1608	1825	-217	4.8	11.7
1972-73	1971	1867	104	22.6	2.3
1973-74	2523	2955	-432	28.0	58.3
1974-75	3329	4519	-1190	31.9	52.9
1975-76	4036	5265	-1229	21.2	16.5
1976-77	5142	5074	68	27.4	-3.6
1977-78	5408	6020	-612	5.2	18.6
1978-79	5726	6811	-1085	5.9	13.1
1979-80	6418	9143	-2725	12.1	34.2
1980-81	6711	12549	-5838	4.6	37.3
1981-82	7806	13608	-5802	16.3	8.4
1982-83	8803	14293	-5490	12.8	5.0
1983-84	9771	15831	-6060	11.0	10.8
1984-85	11744	17134	-5390	20.2	8.2
1985-86	10895	19658	-8763	-7.2	14.7
1986-87	12452	20096	-7644	14.3	2.2
1987-88	15674	22244	-6570	25.9	10.7
1988-89	20232	28235	-8003	29.1	26.9
1989-90	27658	35328	-7670	36.7	25.1
1990-91	32553	43198	-10645	17.7	22.3
1991-92	44041	47851	-3810	35.3	10.8
1992-93	53688	63375	-9687	21.9	32.4
1993-94	69751	73101	-3350	29.9	15.3
1994-95	82674	89971	-7297	18.5	23.1
1995-96	106353	122678	-16325	28.6	36.4
1996-97	118817	138920	-20103	11.7	13.2
1997-98	130100	154176	-24076	9.5	11.0
1998-99	139752	178332	-38580	7.4	15.7
1999-00	159095	215529	-56433	13.8	20.9
2000-01	203571	230873	-27302	26.6	5.9
2001-02	209018	245200	-36182	2.7	6.2
2002-03	255137	297206	-42069	22.1	21.2
2003-04	293367	359108	-65741	15.0	20.8
2004-05	375340	501065	-125725	27.9	39.5
2005-06	456418	660409	-203991	21.6	31.8
2006-07	571779	840506	-268727	25.3	27.3
2007-08	655864	1012312	-356448	14.7	20.4
2008-09	840755	1374436	-533680	28.2	35.8
2009-10	845534	1363736	-518202	0.6	-0.8
2010-11	1142922	1683467	-540545	35.2	23.4
2011-12	1465959	2345463	-879504	28.3	39.3
2012-13	1634319	2669162	-1034843	11.5	13.8
2013-14 (अ)क	1894182	2714182	-82000	15.9	1.7

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता।

अ: अनंतिम

उ.न.: उपलब्ध नहीं

क संशोधित आधार की तुलना में अनंतिम आधार पर वृद्धि दर और वाणिज्य विभाग की विधि पर आधारित।

टिप्पणी : वर्ष 1956-57, 1957-58, 1958-59 और 1959-60 से संबंधित आंकड़े पूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की आकलन समिति (1971-72) की चौदहवीं रिपोर्ट के अनुसार हैं।

सारणी 7.1(ख) : निर्यात, आयात तथा व्यापार संतुलन

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)	आयात	व्यापार संतुलन	परिवर्तन दर	
				निर्यात	आयात
1	2	3	4	5	6
1949-50	1016	1292	-276	उ.न.	उ.न.
1950-51	1269	1273	-4	24.9	-1.5
1951-52	1490	1852	-362	17.4	45.5
1952-53	1212	1472	-260	-18.7	-20.5
1953-54	1114	1279	-165	-8.1	-13.1
1954-55	1233	1456	-223	10.7	13.8
1955-56	1275	1620	-345	3.4	11.3
1956-57	1259	1750	-491	-1.3	8.0
1957-58	1171	2160	-989	-7.0	23.4
1958-59	1219	1901	-682	4.1	-12.0
1959-60	1343	2016	-673	10.2	6.0
1960-61	1346	2353	-1007	0.2	16.7
1961-62	1381	2281	-900	2.6	-3.1
1962-63	1437	2372	-935	4.1	4.0
1963-64	1659	2558	-899	15.4	7.8
1964-65	1701	2813	-1112	2.5	10.0
1965-66	1693	2944	-1251	-0.5	4.7
1966-67	1628	2923	-1295	-3.8	-0.7
1967-68	1586	2656	-1070	-2.6	-9.1
1968-69	1788	2513	-725	12.7	-5.4
1969-70	1866	2089	-223	4.4	-16.9
1970-71	2031	2162	-131	8.8	3.5
1971-72	2153	2443	-290	6.0	13.0
1972-73	2550	2415	135	18.4	-1.1
1973-74	3209	3759	-550	25.8	55.7
1974-75	4174	5666	-1492	30.1	50.7
1975-76	4665	6084	-1419	11.8	7.4
1976-77	5753	5677	76	23.3	-6.7
1977-78	6316	7031	-715	9.8	23.9
1978-79	6978	8300	-1322	10.5	18.0
1979-80	7947	11321	-3374	13.9	36.4
1980-81	8486	15869	-7383	6.8	40.2
1981-82	8704	15174	-6470	2.6	-4.4
1982-83	9107	14787	-5680	4.6	-2.6
1983-84	9449	15311	-5862	3.8	3.5
1984-85	9878	14412	-4534	4.5	-5.9
1985-86	8904	16067	-7163	-9.9	11.5
1986-87	9745	15727	-5982	9.4	-2.1
1987-88	12089	17156	-5067	24.1	9.1
1988-89	13970	19497	-5527	15.6	13.6
1989-90	16612	21219	-4607	18.9	8.8
1990-91	18143	24075	-5932	9.2	13.5
1991-92	17865	19411	-1546	-1.5	-19.4
1992-93	18537	21882	-3345	3.8	12.7
1993-94	22238	23306	-1068	20.0	6.5
1994-95	26330	28654	-2324	18.4	22.9
1995-96	31797	36678	-4881	20.8	28.0
1996-97	33470	39133	-5663	5.3	6.7
1997-98	35006	41484	-6478	4.6	6.0
1998-99	33218	42389	-9171	-5.1	2.2
1999-00	36715	49738	-13023	10.5	17.3
2000-01	44076	49975	-5899	20.0	0.5
2001-02	43827	51413	-7587	-0.6	2.9
2002-03	52719	61412	-8693	20.3	19.4
2003-04	63843	78149	-14307	21.1	27.3
2004-05	83536	111517	-27981	30.8	42.7
2005-06	103091	149166	-46075	23.4	33.8
2006-07	126414	185735	-59321	22.6	24.5
2007-08	163132	251654	-88522	29.0	35.5
2008-09	185295	303696	-118401	13.6	20.7
2009-10	178751	288373	-109621	-3.5	-5.0
2010-11	251136	369769	-118633	40.5	28.2
2011-12	305964	489319	-183356	21.8	32.3
2012-13	300401	490737	-190336	-1.8	0.3
2013-14 (अ)क	312610	450068	-137458	4.1	-8.3

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता।

अ: अन्तिम

उ.न.: उपलब्ध नहीं

क संशोधित आधार की तुलना में अन्तिम आधार पर वृद्धि दर और वाणिज्य विभाग की विधि पर आधारित।

टिप्पणी : वर्ष 1956-57, 1957-58, 1958-59 और 1959-60 से संबंधित आंकड़े पूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की आकलन समिति (1971-72) की चौदहवीं रिपोर्ट के अनुसार हैं।

सारणी 7.2(क) : मुख्य आयात

		मात्रा: हजार टन मूल्य: करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर								
1	2	1960-61			1970-71			1980-81		
		मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	खाद्य पदार्थ और मुख्यतः खाद्य के लिए जीवित पशु (कच्चे काजू के अलावा) जिसमें से:	...	214	449	...	242	321	...	380	481
II.1	अनाज और अनाज के उत्पाद	3747.7	181	380	3343.2	213	282	400.8	100	127
II.	कच्चे माल और मध्यवर्ती विनिर्माण	...	527	1105	...	889	1176	...	9760	12341
II.1	काजूगिरी (असंसाधित)	उ.न.	169.4	29	39	25	9	11
II.2	कच्चा रबर (कृत्रिम एवं पुनर्प्राप्त सहित)	36.2	11	23	7.8	4	5	26.2	32	40
II.3	रेशे जिसमें से :	...	101	212	...	127	168	...	164	208
II.3.1	कृत्रिम और पुनरुत्पादित रेशे (हस्त निर्मित रेशे)	0.2	15.8	9	12	68.8	97	122
II.3.2	ऊन रेशा	1.9	1	2	19	15	20	18.8	43	55
II.3.3	कपास	237.1	82	172	139.1	99	131	उ.न.
II.3.4	जूट रेशा	100.4	8	17	0.7	...	0	8	1	1
II.4	पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक	800	69	145	12767	136	180	23537	5264	6656
II.5	पशु और वनस्पति तेल और वसा जिसमें से :	...	5	10	...	39	51	...	709	896
II.5.1	खाद्य तेल	31.1	4	8	84.7	23	31	1633.3	677	857
II.6	उर्वरक और रासायनिक उत्पाद जिसमें से :	...	88	185	...	217	286	...	1490	1884
II.6.1	उर्वरक और उर्वरक सामग्री	307	13	27	2392.7	86	113	5560.2	818	1034
II.6.2	रासायनिक तत्व और यौगिक	...	39	82	...	68	90	...	358	453
II.6.3	रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री	...	1	2	...	9	12	...	21	26
II.6.4	चिकित्सीय और भेषजीय उत्पाद	...	10	21	...	24	32	...	85	107
II.6.5	प्लास्टिक सामग्री, पुनरुत्पादित सैल्यूलोस एवं कृत्रिम राल	...	9	19	...	8	11	...	121	154
II.7	लुगदी और रद्दी कागज	80.3	7	15	71.7	12	16	36.9	18	23
II.8	कागज, गत्ता और उसके विनिर्माण	55.6	12	25	159	25	33	371.4	187	236
II.9	अधात्विक खनिज विनिर्माण जिसमें से	...	6	13	...	33	44	...	555	702
II.9.1	मोती, बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्न, गढ़े अथवा अनगढ़े	...	1	2	...	25	33	...	417	527
II.10	लौह और इस्पात	1325.2	123	258	683.4	147	194	2031.1	852	1078
II.11	अलौह धातुएं	...	47	99	...	119	158	...	477	604
III.	पूंजीगत वस्तुएं ^क	...	356	747	...	404	534	...	1910	2416
III.1	धातुओं का विनिर्माण	...	23	48	...	9	12	...	90	113
III.2	गैर-विद्युतीय मशीनरी, मशीन औजार सहित उपस्कर और उपकरण ^ख	...	203	426	...	258	341	...	1089	1377
III.3	विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण ^ख	...	57	120	...	70	93	...	260	328
III.4	परिवहन उपकरण	...	72	151	...	67	88	...	472	597
	कुल आयात	...	1122	2353	...	1634	2162	...	12549	15869

(जारी...)

सारणी 7.2(क) : मुख्य आयात (जारी...)

मात्रा: हजार टन
मूल्य: करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर

1	2	1990-91			2000-01			2010-11		
		मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन
12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I.	खाद्य पदार्थ और मुख्यतः खाद्य के लिए जीवित पशु (कच्चे काजू के अलावा) जिसमें से:
II.1	अनाज और अनाज के उत्पाद	308.3	182	102	69.9	90	20	251.5	545	119
II.	कच्चे माल और मध्यवर्ती विनिर्माण
II.1	काजूगिरी (असंसाधित)	82.6	134	75	249.7	962	211	501.0	2650	578
II.2	कच्चा रबर (कृत्रिम एवं पुनर्प्राप्त सहित)	105.1	226	126	119.1	695	152	587.7	8074	1771
II.3	रेशे जिसमें से :
II.3.1	कृत्रिम और पुनरुत्पादित रेशे (हस्त निर्मित रेशे)	21.2	56	31	42.6	275	60	81.5	957	210
II.3.2	ऊन रेशा	29.4	182	102	53.7	458	100	94.4	1435	315
II.3.3	कपास	0.2	1	0	212.3	1185	259	56.5	624	137
II.3.4	जूट रेशा	32.1	20	11	67.3	84	18	83.1	302	67
II.4	पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक	29359	10816	6028	...	71497	15650	...	482282	105964
II.5	पशु और वनस्पति तेल और वसा जिसमें से :
II.5.1	खाद्य तेल	525.8	326	182	4267.9	6093	1334	6677.6	29860	6551
II.6	उर्वरक और रासायनिक उत्पाद जिसमें से :
II.6.1	उर्वरक और उर्वरक सामग्री	7560.3	1766	984	7423.4	3034	664	20658.9	31533	6885
II.6.2	रासायनिक तत्व और यौगिक	...	2289	1276	...	1542	338	...	13278	2914
II.6.3	रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री	...	168	94	...	874	191	...	5368	1178
II.6.4	चिकित्सीय और भेषजीय उत्पाद	...	468	261	...	1723	377	...	11114	2436
II.6.5	प्लास्टिक सामग्री, पुनरुत्पादित सैल्यूलोस एवं कृत्रिम राल	...	1095	610	...	2551	558	...	31304	6874
II.7	लुगदी और रद्दी कागज	678.2	458	255	1050.9	1290	282	2634.5	5208	1145
II.8	कागज, गत्ता और उसके विनिर्माण	286.4	456	254	585.6	2005	439	2145.0	9614	2111
II.9	अधात्विक खनिज विनिर्माण जिसमें से	797	174
II.9.1	मोती, बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्न, गढ़े अथवा अनगढ़े	...	3738	2083	...	22101	4838	...	157596	34620
II.10	लौह और इस्पात	1920.5	2113	1178	1613.6	3569	781	9843.9	47275	10376
II.11	अलौह धातुएं	...	1102	614	...	2462	539	...	212153	46677
III.	पूँजीगत वस्तुएं क	...	10466	5833	...	25281	5534	...	231712	50907
III.1	धातुओं का विनिर्माण	...	302	168	...	1786	391	...	15167	3332
III.2	गैर-विद्युतीय मशीनरी, मशीन औजार सहित उपस्कर और उपकरण ख	...	4240	2363	...	16915	3703	...	118928	26111
III.3	विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण ख	...	1702	949	...	2227	487	...	17510	3845
III.4	परिवहन उपकरण	...	1670	931	...	4353	953	...	52112	11467
	कुल आयात	...	43198	24075	...	230873	49975	...	1683467	369769

(जारी...)

सारणी 7.2(क) : मुख्य आयात (जारी...)

		मात्रा: हजार टन मूल्य: करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर								
1	2	2009-10			2009 (अप्रैल-सित.)			2010 (अप्रैल-सित.)		
		मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन
		21	22	23	24	25	26	27	28	29
I.	खाद्य पदार्थ और मुख्यतः खाद्य के लिए जीवित पशु (कच्चे काजू के अलावा) जिसमें से:
I.1	अनाज और अनाज के उत्पाद	64.5	352	74	100.8	467	86	92.3	539	89
II.	कच्चे माल और मध्यवर्ती विनिर्माण
II.1	काजूगिरी (असंसाधित)	809.8	5339	1136	892.4	5332	980	771.4	4564	757
II.2	कच्चा रबर (कृत्रिम एवं पुनर्प्राप्त सहित)	665.3	11990	2509	709.9	12163	2236	862.3	12885	2137
II.3	रेशे जिसमें से:
II.3.1	कृत्रिम और पुनरुत्पादित रेशे (हस्त निर्मित रेशे)	107.8	1383	291	95.8	1461	269	119.3	1889	313
II.3.2	ऊन रेशा	76.3	1877	395	77.2	1802	331	89.6	1962	325
II.3.3	कपास	77.4	1059	223	232.6	2467	454	177.7	2371	393
II.3.4	जूट रेशा	181.3	449	96	148.7	371	68	52.7	146	24
II.4	पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक	...	743075	154968	...	891871	163974	...	1000064	165837
II.5	पशु और वनस्पति तेल और वसा जिसमें से:
II.5.1	खाद्य तेल	8445.0	46255	9668	11013.7	61107	11235	10434.2	56489	9367
II.6	उर्वरक और रासायनिक उत्पाद जिसमें से:
II.6.1	उर्वरक और उर्वरक सामग्री	27840.1	53311	10936	24117.3	47722	8774	22154.2	38231	6340
II.6.2	रासायनिक तत्व और यौगिक	...	16595	3482	...	19754	3632	...	22498	3731
II.6.3	रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री	...	7003	1462	...	7894	1451	...	9097	1508
II.6.4	चिकित्सीय और भेषजीय उत्पाद	...	14288	2970	...	16982	3122	...	17944	2976
II.6.5	प्लास्टिक सामग्री, पुनरुत्पादित सैल्यूलोस एवं कृत्रिम राल	...	36134	7516	...	47013	8643	...	55015	9123
II.7	लुगदी और रद्दी कागज	3215.9	6524	1367	3294.7	6991	1285	3648.8	8378	1389
II.8	कागज, गत्ता और उसके विनिर्माण	2586.0	12305	2571	2593.7	12947	2380	2761.3	15067	2498
II.9	अधात्विक खनिज विनिर्माण जिसमें से
II.9.1	मोती, बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्न, गढ़े अथवा अनगढ़े	...	134266	28200	...	123043	22622	...	144557	23971
II.10	लौह और इस्पात	10601.9	57552	11959	10974.6	59582	10954	7406.3	47912	7945
II.11	अलौह धातुएं	...	317683	66531	...	330725	60805	...	227254	37685
III.	पूँजीगत वस्तुएं ^क	...	311627	64748	...	341977	62874	...	324261	53771
III.1	धातुओं का विनिर्माण	...	20423	4235	...	23263	4277	...	24579	4076
III.2	गैर-विद्युतीय मशीनरी, मशीन औजार सहित उपस्कर और उपकरण ^ख	...	158611	33077	...	165158	30365	...	155167	25731
III.3	विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण ^ख	...	22899	4773	...	24174	4445	...	26350	4369
III.4	परिवहन उपकरण	...	67474	13899	...	93722	17231	...	90915	15076
	कुल आयात	...	2345463	489319	...	2669162	490737	...	2714182	450068

स्रोत : डी.जी.सी.आई.एंड.एस., कोलकाता।

... : उपलब्ध नहीं।

अ: अनंतिम

^क वर्ष 1987-88 से, पूँजीगत वस्तुओं में परियोजना वस्तुएं भी शामिल हैं।^ख वर्ष 1992-92 से मद संख्या 111.2 और मद सं. 111.3 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं शामिल नहीं हैं।

सारणी 7.2(ख) : मुख्य आयातों का हिस्सा और प्रतिशत वृद्धि/परिवर्तन

वस्तु समूह	(प्रतिशत हिस्सा)				(प्रतिशत परिवर्तन) ^क			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 ^अ	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 ^अ
I. खाद्य पदार्थ और सम्बन्धित उत्पाद ^ख	2.9	3.0	3.4	3.2	0.8	34.8	17.0	-15.9
जिसमें से								
1. अनाज ^ग	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	-38.5	16.7	3.7
2. दालें	0.4	0.4	0.5	0.4	-24.1	18.8	25.6	-25.5
3. काजू	0.2	0.2	0.2	0.2	-9.5	91.6	-12.0	-23.0
4. खाद्य तेल	1.8	2.0	2.3	2.1	17.4	47.3	16.3	-16.9
II. ईंधन, जिसमें से	31.3	35.3	36.9	40.4	20.8	49.2	4.9	0.4
5. कोयला ^घ	2.7	3.6	3.5	3.6	9.4	77.9	-2.5	-3.5
6. पेट्रोल, तेल और स्नेहक (पी. ओ.एल.)	28.7	31.7	33.4	36.7	21.6	46.2	5.9	0.7
III. उर्वरक ^ङ	1.9	2.3	1.8	1.4	3.4	60.7	-21.2	-28.0
IV. गत्ता विनिर्माण और अखबारी कागज	0.6	0.5	0.5	0.6	40.3	21.7	-7.3	4.7
V. पूंजीगत वस्तुएं ^च	13.8	13.3	12.8	11.9	17.6	27.9	-3.4	-14.7
जिसमें से								
7. बिजली और मशीनी औजारों को छोड़कर मशीनरी	6.4	6.2	5.6	5.2	11.7	26.3	-8.3	-14.5
8. बिजली संबंधी मशीनरी	1.0	1.0	0.9	1.0	23.4	24.3	-7.0	-2.0
9. परिवहन उपस्कर	3.1	2.9	3.5	3.3	-2.2	23.1	22.3	-12.8
10. परियोजना वस्तुएं	1.7	1.8	1.3	1.0	31.2	43.4	-25.6	-31.3
VI. अन्य,	49.6	45.7	44.6	42.3	41.3	22.1	-2.3	-13.0
जिसमें से								
11. रसायन ^छ	5.2	4.9	5.0	5.7	27.9	23.1	2.7	4.3
12. मोती, बहुमूल्य और अल्प मूल्य रत्न	9.4	5.7	4.6	5.3	114.0	-19.0	-19.3	5.7
13. लौह और इस्पात ^ज	2.8	2.5	2.2	1.8	25.9	15.7	-8.8	-27.7
14. अलौह धातुएं ^झ	1.1	1.0	1.0	1.2	35.7	19.8	4.4	6.8
15. सोना और चांदी	11.5	12.6	11.4	7.4	43.0	44.7	-9.5	-40.1
16. व्यावसायिक उपकरण, प्रकाशीय वस्तुएं आदि	1.1	1.1	1.1	1.2	16.5	24.5	2.0	-3.2
17. इलेक्ट्रॉनिक सामान	7.2	6.7	6.4	6.9	26.7	23.0	-3.8	-1.5
कुल जोड़	100.0	100.0	100.0	100.0	28.2	32.3	0.3	-8.3

स्रोत : डी.जी.सी.आई.एंड.एस., कोलकाता।

^क अमरीकी डालर मूल्य में।

^ख चाय, चीनी, दूध और क्रीम, मसाले, फल और गिरियां, चावल, गेहूं सहित।

^ग गेहूं, चावल, अनाज से तैयार खाद्य वस्तुएं।

^घ (5) कोक और ब्रिकेट शामिल हैं।

^ङ कच्चे उर्वरक; विनिर्मित उर्वरक शामिल हैं।

^च धातुओं के विनिर्माण शामिल हैं।

^छ कार्बनिक रसायन; अकार्बनिक रसायन, रासायनिक सामग्री और उत्पाद, रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री सहित।

^ज प्राथमिक इस्पात, ढलवां लोहा आधारित वस्तुओं सहित।

^झ सोना और चांदी शामिल नहीं है।

सारणी 7.3(क) : मुख्य निर्यात

		मात्रा: हजार टन मूल्य : ₹ करोड़ और अमरीकी \$ मिलियन								
1	2	1960-61			1970-71			1980-81		
		मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	कृषि और संबद्ध उत्पाद जिसमें से :	...	284	596	...	487	644	...	2057	2601
I.1	काफी	19.7	7	15	32.2	25	33	87.3	214	271
I.2	चाय और मेट	199.2	124	260	199.1	148	196	229.2	426	538
I.3	तेल की खली	433.8	14	29	878.5	55	73	886.0	125	158
I.4	तम्बाकू	47.5	16	34	49.8	33	43	91.3	141	178
I.5	काजू गिरी	43.6	19	40	60.6	57	76	32.3	140	177
I.6	मसाले	47.2	17	36	46.9	39	51	84.2	11	14
I.7	चीनी और शीरा	99.6	30	60	473.0	29	39	97.0	40	50
I.8	कपास	32.6	12	25	32.1	14	19	131.6	165	209
I.9	चावल	32.8	5	7	726.7	224	283
I.10	मछली तथा मछली से बने खाद्य पदार्थ	19.9	5	10	32.6	31	40	69.4	217	274
I.11	मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थ	...	1	2	...	3	4	...	56	70
I.12	फल, सब्जियां और दालें (काजू गिरी, संसाधित फलों व जूस के अतिरिक्त)	...	6	13	...	12	16	...	80	101
I.13	विविध संसाधित खाद्य पदार्थ (जिसमें संसाधित फल एवं जूस शामिल हैं)	...	1	2	...	4	6	...	36	45
II.	अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त) जिसमें से	...	52	109	...	164	217	...	414	523
II.1	अभ्रक	28.4	26.7	16	21	16.7	18	22
II.2	लौह अयस्क (मिलियन टन)	3.2	17	36	21.2	117	155	22.4	303	384
III.	विनिर्मित वस्तुएं जिसमें से	...	291	610	...	772	1021	...	3747	4738
III.1	कपड़ा और उससे बनी वस्तुएं (हाथ से बने गलीचों के अतिरिक्त) जिसमें से:	...	73	153	...	145	192	...	933	1179
III.1.1	सूती धागे, वस्त्र और उनसे तैयार वस्तुएं आदि	...	65	136	...	142	188	...	408	516
III.1.2	सभी प्रकार के कपड़े के सिले सिलाए वस्त्र	...	1	2	...	29	39	...	550	696
III.2	नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान	...	6	13	...	13	17	...	17	22
III.3	बटे हुए धागे सहित जूट से निर्मित सामान	790.0	135	283	560.0	190	252	660.0	330	417
III.4	चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित सामान जिसमें चमड़ा फुटवियर, चमड़े के यात्रा सामान और चमड़ा परिधान शामिल हैं	...	28	59	...	80	106	...	390	493
III.5	हस्तशिल्प (हाथ के बुने गलीचे सहित) ^ग जिसमें से :	...	11	23	...	73	96	...	952	1204
III.5.1	रत्न और आभूषण	...	1	2	...	45	59	...	618	782
III.6	रसायन और संबद्ध उत्पाद ^क	...	7	15	...	29	39	...	225	284
III.7	मशीनरी, परिवहन एवं लोहा और इस्पात सहित धात्विक विनिर्माण ^ख	...	22	46	...	198	261	...	827	1045
IV.	खनिज ईंधन और स्नेहक (कोयले सहित) ^घ	...	7	15	...	13	17	...	28	35
कुल निर्यात		...	642	1346	...	1535	2031	...	6711	8486

(जारी...)

सारणी 7.3(क) : मुख्य निर्यात (जारी...)

मात्रा: हजार टन
मूल्य : ₹ करोड़ और अमरीकी \$ मिलियन

1	2	1990-91			2000-01			2008-09		
		मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	कृषि और संबद्ध उत्पाद जिसमें से :	...	6317	3521	...	28582	6256	...	111393	24448
I.1	काफी	86.5	252	141	184.9	1185	259	232.6	3010	662
I.2	चाय और मेट	199.1	1070	596	202.4	1976	433	238.3	3354	736
I.3	तेल की खली	2447.8	609	339	2417.8	2045	448	6936.9	11070	2438
I.4	तम्बाकू	87.1	263	147	108.3	871	191	215.9	3985	875
I.5	काजू गिरी	55.5	447	249	83.8	1883	412	12156.5	2853	627
I.6	मसाले	103.3	239	133	244.9	1619	354	762.7	8043	1768
I.7	चीनी और शीरा	191.0	38	21	769.0	511	112	2086.3	5633	1246
I.8	कपास	374.4	846	471	30.2	224	49	1885.8	13160	2910
I.9	चावल	505.0	462	257	1534.4	2943	644	2471.4	11586	2545
I.10	मछली तथा मछली से बने खाद्य पदार्थ	158.9	960	535	502.6	6367	1394	825.3	11917	2623
I.11	मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थ	...	140	78	...	1470	322	...	8960	1971
I.12	फल, सब्जियां और दालें (काजू गिरी, संसाधित फलों व जूस के अतिरिक्त)	...	216	120	...	1609	352	...	6350	1397
I.13	विविध संसाधित खाद्य पदार्थ (जिसमें संसाधित फल एवं जूस शामिल हैं)	...	213	119	...	1094	239	...	3669	806
II.	अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त) जिसमें से	...	1497	834	...	4139	906	...	39098	8581
II.1	अभ्रक	42.0	35	19	63.2	64	14	125.8	189	42
II.2	लौह अयस्क (मिलियन टन)	32.5	1049	585	20161.4	1634	358	46.9	21416	4715
III.	विनिर्मित वस्तुएं जिसमें से	...	23736	13229	...	160723	35181	...	789433	173263
III.1	कपड़ा और उससे बनी वस्तुएं (हाथ से बने गलीचों के अतिरिक्त) जिसमें से:	...	6832	3807
III.1.1	सूती धागे, वस्त्र और उनसे तैयार वस्तुएं आदि	...	2100	1170	...	16030	3509	...	13160	2910
III.1.2	सभी प्रकार के कपड़े के सिले सिलाए वस्त्र	...	4012	2236	...	25478	5577	...	52861	11614
III.2	नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान	...	48	27	...	221	48	...	726	159
III.3	बटे हुए धागे सहित जूट से निर्मित सामान	220.0	298	166	...	932	204	...	2092	459
III.4	चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित सामान जिसमें चमड़ा फुटवियर, चमड़े के यात्रा सामान और चमड़ा परिधान शामिल हैं	...	2600	1449	...	8914	1951	...	17818	3909
III.5	हस्तशिल्प (हाथ के बुने गलीचे सहित) ^ग जिसमें से	...	6167	3437	...	5097	1116	...	5877	1293
III.5.1	रत्न और आभूषण	...	5247	2924	...	33734	7384	...	184420	40509
III.6	रसायन और संबद्ध उत्पाद ^क	...	2111	1176	...	22851	5002	...	131544	28905
III.7	मशीनरी, परिवहन एवं लोहा और इस्पात सहित धात्विक विनिर्माण ^ख	...	3872	2158	...	31870	6976	...	226805	49815
IV.	खनिज ईंधन और स्नेहक (कोयले सहित) ^घ	...	948	528	...	8822	1931	...	192639	42280
	कुल निर्यात	...	32553	18143	...	203571	44076	...	1142922	251136

(जारी...)

सारणी 7.3(क) : मुख्य निर्यात (जारी...)

मात्रा: हजार टन										
मूल्य : ₹ करोड़ और अमरीकी \$ मिलियन										
		2011-12			2011-12 (अप्रैल-नवंबर)			2008-09 (अप्रैल-नवंबर)		
		मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
I.	कृषि और संबद्ध उत्पाद जिसमें से :	...	180279	37618	...	223170	41017	...	260906	43128
I.1	काफी	278.9	4535	953	254.0	4711	866	253.9	4797	793
I.2	चाय और मेट	292.4	4079	848	268.8	4719	867	247.6	4832	799
I.3	तेल की खली	7406.4	11796	2420	6578.2	16520	3036	6564.1	17034	2816
I.4	तम्बाकू	197.2	4006	836	230.4	5030	924	237.1	6134	1014
I.5	काजू गिरी	14763.2	4450	928	113.0	4097	753	129.0	5135	849
I.6	मसाले	935.9	13220	2750	1008.9	15365	2824	1029.3	15981	2642
I.7	चीनी और शीरा	3125.5	8971	1881	3137.0	8800	1617	2671.0	7273	1202
I.8	कपास	2003.6	21624	4328	2056.7	20277	3727	1940.7	22248	3678
I.9	चावल	7176.0	24109	4940	10147.0	33858	6223	10776.0	46793	7735
I.10	मछली तथा मछली से बने खाद्य पदार्थ	972.2	16585	3444	965.1	18841	3463	999.2	30617	5061
I.11	मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थ	...	14111	2921	...	17903	3290	...	27247	4504
I.12	फल, सब्जियां और दालें (काजू गिरी, संसाधित फलों व जूस के अतिरिक्त)	...	7587	1579	...	8983	1651	...	12535	2072
I.13	विविध संसाधित खाद्य पदार्थ (जिसमें संसाधित फल एवं जूस शामिल हैं)	...	5491	1139	...	6931	1274	...	9438	1560
II.	अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त) जिसमें से	...	40953	8546	...	30892	5678	...	34827	5757
II.1	अभ्रक	131.1	238	50	126.8	276	51	126.4	304	50
II.2	लौह अयस्क (मिलियन टन)	47.2	22184	4597	18.1	8985	1651	16.5	9562	1581
III.	विनिर्मित वस्तुएं जिसमें से	...	964388	201237	...	1035058	190237	...	1204072	199033
III.1	कपड़ा और उससे बनी वस्तुएं (हाथ से बने गलीचों के अतिरिक्त) जिसमें से:									
III.1.1	सूती धागे, वस्त्र और उनसे तैयार वस्तुएं आदि	...	21624	4328	...	40947	7526	...	53914	8912
III.1.2	सभी प्रकार के कपड़े के सिले सिलाए वस्त्र	...	65613	13711	...	70343	12929	...	90402	14943
III.2	नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान	...	1018	212	...	1069	196	...	1395	231
III.3	बटे हुए धागे सहित जूट से निर्मित सामान	...	2226	465	...	2124	390	...	2296	380
III.4	चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित सामान जिसमें चमड़ा फुटवियर, चमड़े के यात्रा सामान और चमड़ा परिधान शामिल हैं	...	22973	4803	...	26596	4888	...	34517	5706
III.5	हस्तशिल्प (हाथ के बुने गलीचे सहित) ^ग जिसमें से	...	5383	1123	...	6463	1188	...	7969	1317
III.5.1	रत्न और आभूषण	...	214889	44888	...	236162	43405	...	248465	41071
III.6	रसायन और संबद्ध उत्पाद ^क	...	177872	37032	...	250325	46008	...	250325	41379
III.7	मशीनरी, परिवहन एवं लोहा और इस्पात सहित धात्विक विनिर्माण ^ख	...	279702	58555	...	339940	62479	...	418423	69165
IV.	खनिज ईंधन और स्नेहक (कोयले सहित) ^घ	...	273231	57015	...	337566	62042	...	391281	64679
	कुल निर्यात	...	1465959	305964	...	1634319	300401	...	1894182	312610

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कोलकाता

^क रसायनों और संबंधित उत्पादों के आंकड़े "आधारभूत रसायन" और "प्लास्टिक लिनोलियम उत्पादों" से संबंधित हैं।

^ख इसमें इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं।

^ग रत्न और आभूषण को हस्तशिल्प से निकाल दिया गया है और 1997-98 से अलग मद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

^घ वर्ष 1990-91 और 2000-01 के दौरान कच्चे तेल के निर्यात से संबंधित राशि शून्य है।

सारणी 7.3(ख) : मुख्य निर्यातों का हिस्सा और प्रतिशत परिवर्तन

वस्तु समूह	(प्रतिशत हिस्सा)				(प्रतिशत परिवर्तन) ^क			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
			(अप्रैल-नवंबर)	(अप्रैल-नवंबर)			(अप्रैल-नवंबर)	(अप्रैल-नवंबर)
I. कृषि और सम्बन्धित वस्तुएं, जिसमें से	9.7	12.3	13.7	13.8	36.1	53.9	9.0	5.1
1. चाय	0.3	0.3	0.3	0.3	18.7	15.6	1.9	-7.9
2. काफी	0.3	0.3	0.3	0.3	54.2	43.2	-8.5	-8.4
3. अनाज	1.3	2.1	3.2	3.3	11.5	91.1	51.2	8.1
4. अनिर्मित तम्बाकू	0.3	0.2	0.2	0.3	-9.4	-12.5	15.9	12.7
5. मसाले	0.7	0.9	0.9	0.8	36.0	56.3	2.4	-6.5
6. काजू	0.2	0.3	0.3	0.3	5.0	48.3	-18.9	12.7
7. आयल मीलस	1.0	0.8	1.0	0.9	47.2	1.3	23.3	-7.3
8. फल और सब्जियां	0.6	0.5	0.5	0.7	3.8	13.6	4.3	25.5
9. सामुद्रिक उत्पाद	1.0	1.1	1.2	1.6	25.3	32.3	0.1	46.1
10. कपास	1.2	1.5	1.2	1.2	43.7	56.2	-17.4	-1.3
II. अयस्क और खनिज, कोयले को छोड़कर जिसमें से	3.4	2.8	1.9	1.8	-1.3	-0.4	-33.6	1.4
11. लौह अयस्क	1.9	1.5	0.5	0.5	-21.4	-1.5	-64.3	-4.3
12. संसाधित खनिज	0.9	0.6	0.7	0.7	76.8	-16.3	13.3	1.7
13. अन्य अयस्क और खनिज	0.6	0.6	0.6	0.5	11.0	25.9	-8.0	1.0
III. विनिर्मित वस्तुएं, जिसमें से	69.0	65.8	63.3	63.7	44.2	16.2	-5.5	4.6
14. चमड़ा और उससे बने उत्पाद	1.0	1.0	1.1	1.2	15.8	26.1	3.8	15.6
15. चमड़े के जूते	0.6	0.6	0.6	0.6	17.2	16.8	-1.4	18.7
16. रत्न व आभूषण	16.1	14.7	14.4	13.1	39.3	10.8	-3.4	-5.2
17. दवाइयां, फार्मास्युटिकल और उत्तम रसायन	4.3	4.3	4.9	4.8	19.7	23.8	10.6	2.6
18. रंगाई/मध्यवर्ती और कोलतार रसायन	1.2	1.3	1.4	1.5	29.1	28.6	6.7	10.0
19. धातुओं के उत्पाद	3.4	3.1	3.3	3.1	53.1	13.3	4.9	-3.5
20. मशीनरी और उपकरण	4.7	4.7	5.1	5.2	24.1	20.9	6.9	6.0
21. परिवहन उपस्कर	6.4	6.9	6.1	6.9	63.3	31.7	-13.2	16.8
22. प्राथमिक एवं अर्धनिर्मित लौह और इस्पात	1.6	1.7	1.7	2.0	38.6	29.1	-1.4	24.6
23. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	3.3	3.1	2.8	2.5	46.7	13.4	-10.0	-8.8
24. सूती धागे, वस्त्र एवं उससे निर्मित वस्तुएं इत्यादि	2.3	2.2	2.5	2.9	57.0	17.6	10.6	18.4
25. सिले-सिलाए वस्त्र	4.6	4.5	4.3	4.8	8.4	18.0	-5.6	15.6
26. हस्तशिल्प	0.1	0.1	0.1	0.1	14.3	8.2	-26.6	38.8
IV. कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद (कोयला सहित)	16.8	18.6	20.7	20.7	46.8	34.9	8.8	4.2
V. अन्य और अवर्गीकृत मर्चे	0.9	0.5	0.5	0.4	-12.9	-34.8	-5.4	-2.7
कुल निर्यात	100.0	100.0	100.0	100.0	40.5	21.8	-1.8	4.1

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता।

अ: अर्धवर्ष

क: अमरीकी डालर मूल्य में

सारणी 7.4(क) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात

देश/क्षेत्र	2010-2011		2011-2012		परिवर्तन (2) की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	2012-2013		2013-2014 अ		परिवर्तन (8) की तुलना में (10) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)			(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. यूरोप												
(क) यूरोपीय संघ के देश (27)												
1. जर्मनी	71,181	323,857	94,056	450,557	32.1	19.2	87,528	475,626	70,670	422,108	-19.3	15.7
2. बेल्जियम	44,540	202,779	56,530	270,915	26.9	11.6	52,275	284,327	49,505	298,507	-5.3	11.0
3. यूनाइटेड किंगडम	11,891	54,136	15,499	74,362	30.3	3.2	14,326	77,934	12,771	77,213	-10.9	2.8
4. इटली	8,610	39,179	10,374	49,633	20.5	2.1	10,047	54,537	10,753	64,676	7.0	2.4
5. फ्रांस	5,397	24,562	7,130	34,065	32.1	1.5	6,293	34,231	6,050	36,072	-3.9	1.3
6. नीदरलैंड	4,256	19,395	5,045	24,158	18.5	1.0	4,711	25,652	4,160	25,158	-11.7	0.9
7. फिनलैंड	3,705	16,867	4,300	20,671	16.1	0.9	4,652	25,351	3,565	21,529	-23.4	0.8
8. स्वीडन	1,853	8,422	2,605	12,643	40.6	0.5	2,379	12,948	2,937	17,702	23.5	0.7
9. स्पेन	1,653	7,528	2,113	10,136	27.8	0.4	1,107	6,005	1,041	6,343	-5.9	0.2
10. आस्ट्रिया	1,619	7,368	1,911	9,078	18.0	0.4	1,681	9,156	1,680	10,159	-0.1	0.4
11. चेक गणराज्य	1,488	6,776	1,818	8,692	22.2	0.4	1,816	9,894	1,844	11,173	1.5	0.4
12. पोलैंड	817	3,718	1,065	5,122	30.3	0.2	929	5,034	829	5,019	-10.8	0.2
13. डेनमार्क	677	3,079	727	3,464	7.4	0.1	644	3,502	519	3,145	-19.5	0.1
14. हंगरी	386	1,765	578	2,779	49.7	0.1	863	4,695	624	3,786	-27.8	0.1
15. रोमानिया	473	2,154	610	2,915	29.1	0.1	542	2,950	445	2,693	-17.8	0.1
16. आयरलैंड	343	1,566	428	2,026	24.9	0.1	263	1,432	220	1,334	-16.1	0.0
17. पुर्तगाल	237	1,081	459	2,193	93.5	0.1	311	1,693	376	2,268	20.7	0.1
18. इस्टोनिया	259	1,181	409	1,967	57.9	0.1	497	2,707	603	3,634	21.3	0.1
19. लिथुआनिया	85	389	297	1,426	247.6	0.1	378	2,061	340	2,076	-10.1	0.1
20. लात्विया	45	203	231	1,150	415.5	0.0	220	1,201	115	710	-47.6	0.0
21. स्लोवानिया	125	580	203	983	61.9	0.0	46	249	54	323	17.0	0.0
22. ग्रीस	196	900	144	671	-26.8	0.0	74	403	104	622	41.1	0.0
23. बुल्गारिया	92	420	157	756	70.5	0.0	118	639	118	714	0.5	0.0
24. स्लोवाक गणराज्य	93	424	112	531	19.7	0.0	112	610	109	659	-2.2	0.0
25. लक्समबर्ग	58	263	102	473	76.5	0.0	90	491	94	568	4.0	0.0
26. माल्टा	88	400	86	416	-1.8	0.0	63	344	53	322	-16.2	0.0
27. साइप्रस	37	167	57	271	55.0	0.0	48	263	46	277	-4.0	0.0
अन्य पश्चिमी यूरोपीय देश	36	164	42	201	17.6	0.0	43	231	34	210	-19.1	0.0
1. स्विट्जरलैंड	20	93	28	133	38.7	0.0	21	116	20	122	-4.5	0.0
2. नार्वे	26,589	120,843	37,325	178,721	40.4	7.6	35,149	190,730	20,928	122,121	-40.5	4.6
3. तुर्की	24,802	112,740	35,242	168,569	42.1	7.2	32,167	174,512	19,413	112,930	-39.6	4.3
4. आइसलैंड	961	4,339	856	4,211	-11.0	0.2	945	5,140	747	4,552	-20.9	0.2
5. लेटोनिया	821	3,742	1,223	5,915	48.9	0.2	2,034	11,061	761	4,596	-62.6	0.2
पूर्वी यूरोप	5	21	5	22	0.9	0.0	2	12	7	41	200.0	0.0
1. अल्बानिया	0	1	1	4	245.5	0.0	1	5	0	3	-44.7	0.0
2. क्रोशिया	51	235	201	921	290.5	0.0	105	569	238	1,479	126.5	0.1
	0	1	141	635	117,491.7	0.0	31	167	199	1,244	540.5	0.0
	28	130	24	114	-14.6	0.0	18	99	10	58	-46.1	0.0

(जारी...)

सारणी 7.4(क) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)

देश/क्षेत्र	2010-2011		2011-2012		परिवर्तन (2) की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	2012-2013		2013-2014 अ		परिवर्तन (8) की तुलना में (10) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)			(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. बोसनिया-हर्जोगोविना	19	86	18	86	-3.6	0.0	20	106	2	10	-91.6	0.0
4. मकादूनिया	1	5	15	74	1,348.0	0.0	23	125	20	121	-13.2	0.0
5. सर्बिया व मोन्टेनेग्रो यूनिन	3	14	2	12	-24.7	0.0	13	72	8	46	-40.9	0.0
II. अफ्रीका												
(क) 1. सदर्न अफ्रीका	31,956	145,456	44,104	210,806	38.0	9.0	41,111	223,578	36,843	222,594	-10.4	8.2
1. दक्षिणी अफ्रीका	12,574	57,265	18,250	87,445	45.1	3.7	16,838	91,583	13,132	78,936	-22.0	2.9
2. दक्षिणी अफ्रीका	7,141	32,525	11,238	53,691	57.4	2.3	8,888	48,320	6,079	35,885	-31.6	1.4
3. बोत्स्वाना	27	122	51	254	92.0	0.0	58	313	383	2,361	564.8	0.1
3. स्वाज़ीलैंड	109	504	46	229	-57.8	0.0	71	386	125	771	76.5	0.0
4. नामिबिया	37	170	10	48	-72.2	0.0	9	50	13	78	41.5	0.0
5. लेसोथो	1	5	3	14	169.0	0.0	4	24	3	14	-42.4	0.0
6. अंगोला	5,112	23,273	6,625	31,867	29.6	1.4	7,158	38,946	5,981	36,518	-16.4	1.3
7. ज़ाम्बिया	32	145	169	832	425.8	0.0	325	1,769	243	1,454	-25.2	0.1
8. मोज़ाम्बिक	103	468	104	496	0.9	0.0	291	1,589	293	1,781	0.5	0.1
9. जिंबाब्वे	12	53	3	14	-74.4	0.0	35	187	13	76	-63.8	0.0
(ख) पश्चिमी अफ्रीका	12,863	58,505	17,765	84,527	38.1	3.6	16,264	88,481	17,446	105,865	7.3	3.9
1. नाइजीरिया	10,788	49,005	14,755	70,092	36.8	3.0	12,086	65,622	14,315	87,089	18.4	3.2
2. कोट डी वा	251	1,152	467	2,261	86.1	0.1	384	2,105	298	1,791	-22.3	0.1
3. कैमरून	138	628	524	2,463	279.1	0.1	443	2,414	268	1,623	-39.5	0.1
4. सेनेगल	206	940	20	93	-90.5	0.0	0	2	154	954	39,284.6	0.0
5. घाना	160	729	331	1,547	107.3	0.1	278	1,516	371	2,250	33.5	0.1
6. गिनी बिसाऊ	59	276	236	1,120	296.4	0.0	140	768	110	678	-21.8	0.0
7. बेनिन	153	700	255	1,171	66.0	0.1	246	1,350	168	1,001	-31.8	0.0
8. कांगो जनवादी गणराज्य	543	2,480	255	1,263	-53.1	0.1	455	2,501	90	542	-80.2	0.0
9. गिनी	103	478	262	1,261	154.0	0.1	528	2,871	199	1,144	-62.3	0.0
10. गैबॉन	308	1,412	146	720	-52.5	0.0	817	4,480	869	5,077	6.3	0.2
11. टोगो	92	421	150	720	63.6	0.0	177	968	156	949	-11.9	0.0
12. इक्वेटोरियल गिनी	0	1	206	1,045	171,658.3	0.0	525	2,866	302	1,869	-42.5	0.1
13. नाइजर	10	49	74	371	603.7	0.0	69	387	1	3	-99.2	0.0
14. गांबिया	15	68	40	186	171.7	0.0	30	167	29	182	-3.7	0.0
15. बुरुकिना फासो	4	19	16	78	299.3	0.0	15	80	17	101	12.9	0.0
16. लाइबेरिया	18	81	9	42	-49.4	0.0	21	114	15	88	-31.0	0.0
17. माली	3	15	6	30	86.4	0.0	30	161	71	426	140.0	0.0
18. सिंघरा लियोन	7	30	6	27	-17.1	0.0	6	32	6	34	-4.1	0.0
19. मोरिटानिया	2	9	4	22	127.7	0.0	11	61	7	44	-34.7	0.0
20. कैप वर्ड द्वीप	2	10	3	16	55.3	0.0	3	19	3	19	-7.0	0.0
21. सेंट हेलेना	0	1	0	0	-61.1	0.0	0	1	0	1	-10.0	0.0
22. साओ टोम	0	1	0	0	-81.8	0.0	0	0	0	0	0	0.0
(ग) मध्य अफ्रीका	46	207	91	438	98.1	0.0	230	1,242	107	640	-53.5	0.0

(जारी...)

सारणी 7.4(क) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)

देश/क्षेत्र	2010-2011		2011-2012		परिवर्तन (2) की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	2012-2013		2013-2014 अ		परिवर्तन (8) की तुलना में (10) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)			(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. मलावी	20	90	24	113	19.1	0.0	43	234	15	94	-64.9	0.0
2. युगांडा	14	62	18	88	33.7	0.0	27	150	33	200	20.9	0.0
3. कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य	10	45	0	0	-99.8	0.0	0	0	27	167	0	0.0
4. मध्य अफ्रीकी गणराज्य	2	7	2	10	30.3	0.0	2	11	1	5	-54.3	0.0
5. बुरुंडी	0	1	1	3	116.7	0.0	0	1	0	1	-21.7	0.0
6. रवांडा	0	0	0	1	400.0	0.0	0	1	0	2	4.2	0.0
7. चाड	1	3	46	224	7,966.7	0.0	157	845	30	171	-80.9	0.0
(घ) पूर्वी अफ्रीका	580	2,635	543	2,629	-6.3	0.1	1,055	5,736	1,034	6,162	-1.9	0.2
1. तंजानिया गणराज्य	327	1,481	241	1,181	-26.3	0.0	753	4,096	725	4,301	-3.7	0.2
2. केन्या	124	566	113	541	-8.6	0.0	106	577	127	763	19.5	0.0
3. मेडागास्कर	32	146	82	399	156.9	0.0	73	394	53	317	-27.5	0.0
4. माली	17	75	38	181	132.5	0.0	28	155	21	125	-26.9	0.0
5. रिपब्लिक ऑफ माली	18	84	28	132	50.3	0.0	28	151	23	137	-17.8	0.0
6. इथियोपिया	33	149	29	139	-10.2	0.0	39	209	28	170	-26.3	0.0
7. सोमालिया	9	42	3	16	-63.2	0.0	13	68	46	279	269.9	0.0
8. कोमोरोस	9	38	3	16	-61.9	0.0	8	44	7	41	-17.8	0.0
9. सेशेल्स	9	42	3	13	-72.1	0.0	2	13	1	6	-58.8	0.0
10. जिबूती	2	11	2	10	-10.4	0.0	5	28	4	24	-19.9	0.0
III. अमरीका	36,287	165,178	45,024	215,940	24.1	9.2	59,540	324,089	58,123	351,455	-2.4	12.9
(क) उत्तरी अमरीका	23,244	105,871	28,845	138,378	24.1	5.9	32,043	174,389	29,258	176,568	-8.7	6.5
1. संयुक्त अमरीका	20,051	91,359	23,381	112,026	16.6	4.8	25,205	137,239	22,314	134,428	-11.5	5.0
2. कनाडा	2,030	9,243	2,898	14,003	42.7	0.6	2,800	15,277	3,271	19,783	16.8	0.7
3. मैक्सिको	1,163	5,269	2,567	12,350	120.6	0.5	4,038	21,873	3,673	22,358	-9.0	0.8
(ख) लैटिन अमरीका	13,043	59,307	16,179	77,562	24.0	3.3	27,497	149,700	28,865	174,887	5.0	6.4
1. वेनेजुएला	5,210	23,748	6,667	32,129	28.0	1.4	14,118	76,835	13,940	84,384	-1.3	3.1
2. ब्राजील	3,549	16,064	4,271	20,419	20.4	0.9	4,826	26,439	3,808	23,067	-21.1	0.8
3. चिली	1,550	7,056	2,194	10,563	41.5	0.4	2,992	16,214	3,021	18,360	1.0	0.7
4. अर्जेंटीना	1,023	4,690	1,106	5,216	8.1	0.2	1,199	6,504	1,395	8,502	16.3	0.3
5. कोलंबिया	856	3,866	560	2,725	-34.6	0.1	2,353	12,813	4,971	29,996	111.3	1.1
6. पेरू	187	853	556	2,624	196.8	0.1	561	3,051	605	3,658	7.8	0.1
7. कोस्टा रिका	95	436	178	857	87.1	0.0	220	1,197	204	1,236	-7.2	0.0
8. त्रिनिदाद	80	367	204	948	154.1	0.0	9	48	5	33	-39.9	0.0
9. पनामा गणराज्य	188	863	159	726	-15.6	0.0	110	597	42	251	-62.0	0.0
10. फ्रेंच गियाना	0	1	106	507	50,595.2	0.0	1	7	2	15	79.0	0.0
11. इक्वेडोर	169	755	44	216	-73.9	0.0	873	4,708	255	1,588	-70.7	0.1
12. नोर्दलैंड पृथ्वी	3	16	28	135	713.8	0.0	16	87	4	26	-72.5	0.0
13. उरुग्वे	17	79	28	130	59.5	0.0	24	133	20	124	-16.3	0.0

(जारी...)

सारणी 7.4(क) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)

देश/क्षेत्र		2010-2011		2011-2012		परिवर्तन (2) की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	2012-2013		2013-2014 अ		परिवर्तन (8) की तुलना में (10) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
		(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)			(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	पराग्वे	5	25	11	53	108.1	0.0	9	47	5	33	-39.0	0.0
15.	एल सलवाडोर	5	25	8	40	53.7	0.0	9	47	8	48	-7.5	0.0
16.	गियाना	9	42	9	43	-1.7	0.0	5	25	7	44	58.6	0.0
17.	होंडुरास	1	7	8	39	442.0	0.0	18	97	23	137	26.8	0.0
18.	डोमिनिक गणराज्य	16	72	6	30	-60.9	0.0	11	59	13	76	15.6	0.0
19.	ग्वाटेमाला	40	180	7	32	-83.3	0.0	8	45	13	78	57.9	0.0
20.	सूरीनाम	1	4	4	21	398.9	0.0	13	73	13	79	-1.9	0.0
21.	क्यूबा	1	5	4	19	263.4	0.0	4	22	2	15	-39.2	0.0
22.	बोलिविया	7	30	4	19	-39.3	0.0	7	40	2	14	-67.3	0.0
23.	बहामास	5	20	4	16	-21.3	0.0	102	556	494	3,052	383.2	0.1
24.	फाक्लैण्ड द्वीप समूह	1	6	3	14	122.2	0.0	1	8	2	10	11.1	0.0
25.	हैटी	1	6	2	10	45.9	0.0	1	7	1	6	-28.0	0.0
26.	गुआडेलूप	0	0	2	9	3,680.0	0.0	0	2	0	2	-16.7	0.0
27.	जमैका	1	4	2	7	103.9	0.0	2	13	1	6	-62.5	0.0
28.	निकरागुआ	1	4	1	5	7.7	0.0	1	4	3	16	223.2	0.0
29.	बारबाडोस	0	1	1	3	286.7	0.0	0	1	0	1	10.0	0.0
30.	ब्रिटिश वर्जिन आइलैण्ड्स	1	4	0	2	-51.7	0.0	1	5	0	1	-83.5	0.0
31.	सेंट लूसिया	0	1	0	2	21.9	0.0	0	2	1	3	22.0	0.0
32.	डोमिनिका	0	2	0	1	-23.5	0.0	2	9	0	0	-95.6	0.0
33.	वर्जिन द्वीप यूएस	0	2	0	0	-73.5	0.0	0	2	2	14	465.0	0.0
34.	बेलिज	0	1	0	0	-61.9	0.0	0	1	2	9	638.1	0.0
35.	एन्टिगुआ	16	73	0	0	-99.6	0.0	0	1	0	0	-82.6	0.0
36.	ग्रेनाडा	0	0	0	0	200.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
37.	तुर्क सी द्वीप समूह	0	0	0	0	-87.5	0.0	0	0	0	1	140.0	0.0
38.	कमन द्वीप समूह	0	0	0	0	-66.7	0.0	0	0	0	0	0	0.0
39.	बरमूडा	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
40.	मार्टिनीक्यू	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1	200.0	0.0
41.	मोंटेसेराट	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
42.	सेंट विन्सेंट	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
43.	सेंट किट्सना	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
IV. एशिया (क)		220,254	1,003,045	296,695	1,422,578	34.7	60.6	292,686	1,592,142	273,935	1,654,684	-6.4	60.9
1.	पूर्वी एशिया	11,641	53,071	16,872	80,819	44.9	3.4	13,930	75,825	10,950	65,734	-21.4	2.4
2.	आस्ट्रेलिया	10,789	49,188	15,783	75,555	46.3	3.2	13,086	71,217	10,139	60,842	-22.5	2.3
3.	न्यूजीलैंड	625	2,854	827	3,972	32.3	0.2	697	3,800	619	3,728	-11.1	0.1
3.	पापुआ न्यू गिनी	217	985	200	999	-7.9	0.0	105	571	178	1,084	70.4	0.0
4.	सोलोमन आइलैंड	0	0	22	108	55,150.0	0.0	15	83	5	33	-65.0	0.0
5.	टिमोर-लेसाइट	2	8	22	101	1,204.1	0.0	0	0	1	5	1,560.0	0.0
(जारी...)													

(जारी...)

सारणी 7.4(क) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)

देश/क्षेत्र		2010-2011		2011-2012		2012-2013		2013-2014 अ		परिवर्तन (8) की तुलना में (10) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)		
	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)	परिवर्तन (2) की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डॉलर)				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	नौरु गणराज्य	4	19	15	72	274.8	0.0	21	116	5	30	-77.4	0.0
7.	फिजी आईलैंड	3	14	3	12	-16.1	0.0	1	8	2	11	44.9	0.0
8.	समोआ	0	1	0	1	33.3	0.0	0	1	0	0	-88.9	0.0
9.	टूवालु	0	1	0	0	-95.5	0.0	0	0	0	0	0	0.0
10.	वैनुआटु गणराज्य	0	0	0	0	0	0.0	5	29	0	0	0	0.0
11.	टोंगा	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	-71.4	0.0
12.	किरीबाती गणराज्य	0	2	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
(ख)आसियान		30,608	139,439	42,174	201,300	37.8	8.6	42,866	233,316	41,499	250,915	-3.2	9.2
1.	इंडोनेशिया	9,919	45,136	14,839	70,756	49.6	3.0	14,879	80,966	14,910	90,000	0.2	3.3
2.	मलेशिया	6,524	29,746	9,474	45,383	45.2	1.9	9,951	54,199	9,211	55,785	-7.4	2.0
3.	सिंगापुर	7,139	32,546	8,339	39,491	16.8	1.7	7,486	40,764	6,774	41,129	-9.5	1.5
4.	थाईलैंड	4,272	19,460	5,279	25,298	23.6	1.1	5,353	29,113	5,359	32,498	0.1	1.2
5.	वियतनाम सभ्य	1,065	4,848	1,717	8,301	61.3	0.4	2,315	12,594	2,594	15,569	12.1	0.6
6.	म्यांमार	1,018	4,651	1,386	6,636	36.2	0.3	1,413	7,701	1,392	8,370	-1.5	0.3
7.	ब्रुनई	234	1,065	605	2,853	158.3	0.1	815	4,406	764	4,575	-6.3	0.2
8.	फिलीपीन्स	429	1,950	437	2,107	1.9	0.1	504	2,744	392	2,373	-22.3	0.1
9.	लाओ पी डी आर	0	1	89	440	40,418.2	0.0	139	765	91	539	-34.2	0.0
10.	कंबोडिया	8	36	7	35	-9.1	0.0	12	65	13	77	6.9	0.0
(ग)पश्चिम एशियाई देश		105,616	480,859	147,792	709,429	39.9	30.2	150,025	815,623	139,849	844,185	-6.8	31.1
1.	संयुक्त अरब अमीरात	32,753	149,123	36,768	175,730	12.3	7.5	39,138	212,923	29,110	174,620	-25.6	6.5
2.	सऊदी अरब	20,385	92,855	32,108	154,423	57.5	6.6	33,998	184,685	36,536	221,231	7.5	8.1
3.	कुवैत	10,314	46,976	16,334	78,975	58.4	3.3	16,588	90,184	17,154	103,362	3.4	3.8
4.	कतर	6,820	31,036	12,927	61,913	89.6	2.6	15,693	85,458	15,729	95,117	0.2	3.5
5.	ओमान	4,002	18,184	3,347	15,813	-16.4	0.7	2,010	10,931	2,954	17,846	47.0	0.7
6.	बहरीन द्वीपसमूह	641	2,920	910	4,344	41.9	0.2	665	3,597	565	3,459	-15.0	0.1
7.	मिस्र अरब गणराज्य	1,355	6,158	3,004	14,360	121.8	0.6	2,553	13,854	2,389	14,389	-6.5	0.5
8.	अल्जीरिया	1,816	8,273	2,161	10,411	19.0	0.4	684	3,715	861	5,232	25.9	0.2
9.	मोरक्को	840	3,842	1,658	8,003	97.5	0.3	1,309	7,127	895	5,472	-31.7	0.2
10.	सूडान	614	2,793	430	2,005	-30.0	0.1	127	693	436	2,696	243.1	0.1
11.	ट्यूनिशिया	301	1,376	164	792	-45.5	0.0	215	1,166	92	557	-57.5	0.0
12.	लीबिया	969	4,402	38	196	-96.0	0.0	1,835	9,980	452	2,645	-75.4	0.1
13.	इराक	9,008	40,977	18,919	90,536	110.0	3.9	19,247	104,596	18,519	111,628	-3.8	4.1
14.	ईरान	10,928	49,725	13,721	66,241	25.6	2.8	11,594	63,026	10,332	62,936	-10.9	2.3
15.	इजराइल	2,254	10,263	2,647	12,740	17.5	0.5	2,357	12,814	2,312	13,891	-1.9	0.5
16.	जोर्डन	819	3,744	1,483	7,147	81.1	0.3	942	5,112	618	3,679	-34.4	0.1
17.	यमन गणराज्य	1,744	7,966	971	4,807	-44.3	0.2	959	5,153	782	4,727	-18.4	0.2
18.	सीरिया	36	162	179	891	401.7	0.0	80	445	77	474	-4.7	0.0
19.	लेबनान	18	84	21	103	17.2	0.0	30	163	37	224	24.1	0.0

(जारी...)

(जारी...)

सारणी 7.4(क) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)

देश/क्षेत्र	2010-2011		2011-2012		परिवर्तन (2) की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	2012-2013		2013-2014 अ		परिवर्तन (8) की तुलना में (10) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)			(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(घ) उत्तर पूर्वी एशिया												
1. चीन जनवादी गणराज्य	76,110	346,632	94,883	455,147	24.7	19.4	89,907	489,352	84,302	509,917	-6.2	18.7
2. कोरिया गणराज्य	43,480	198,079	54,688	262,592	25.8	11.2	52,248	284,385	50,991	308,977	-2.4	11.3
3. जापान	10,475	47,712	12,793	61,488	22.1	2.6	13,105	71,337	12,431	75,037	-5.1	2.8
4. होंगकांग	8,632	39,309	11,965	57,516	38.6	2.4	12,412	67,547	9,480	57,205	-23.6	2.1
5. थाईलैंड	9,415	42,825	10,417	49,604	10.6	2.1	7,907	43,030	7,333	44,169	-7.3	1.6
6. मंगोलिया	3,961	18,037	4,805	22,915	21.3	1.0	3,963	21,576	4,043	24,394	2.0	0.9
7. कोरिया डी पी आर	2	9	15	75	670.1	0.0	10	53	9	51	-14.0	0.0
8. मकाऊ	144	659	198	953	37.3	0.0	259	1,415	12	68	-95.2	0.0
(ङ) दक्षिणी एशिया												
1. श्रीलंका डीएसआर	2,173	9,888	2,430	11,650	11.8	0.5	2,680	14,562	2,457	14,923	-8.3	0.5
2. बांग्लादेश पी आर	502	2,279	578	2,769	15.2	0.1	626	3,404	677	4,130	8.2	0.2
3. पाकिस्तान आई आर	447	2,031	586	2,796	31.1	0.1	639	3,468	461	2,763	-27.9	0.1
4. नेपाल	333	1,514	362	1,740	8.8	0.1	542	2,944	427	2,607	-21.2	0.1
5. भूटान	513	2,339	550	2,639	7.1	0.1	543	2,958	528	3,200	-2.7	0.1
6. अफगानिस्तान टीआईएस	202	917	203	974	0.5	0.0	164	892	151	913	-7.9	0.0
7. मालदीव	146	662	133	645	-8.9	0.0	160	861	209	1,288	30.8	0.0
V. सीआईएस और बाल्टिक												
(क) सी ए आर देश												
1. कज़ाख़स्तान	5,664	25,811	8,274	40,049	-39.7	0.0	6	34	4	24	-36.9	0.0
2. उज़्बेकिस्तान	193	879	255	1,237	32.3	0.1	195	1,063	703	4,267	260.5	0.2
3. तुर्कमेनिस्तान	138	630	196	948	41.4	0.0	140	763	656	3,978	368.8	0.1
4. ताजिकिस्तान	21	94	30	148	46.6	0.0	32	173	32	192	-1.1	0.0
5. किरगीज़स्तान	10	45	20	93	102.6	0.0	8	45	14	87	69.3	0.0
(ख) अन्य सीआईएस देश												
1. रूस	23	105	9	44	-61.5	0.0	13	70	1	5	-93.3	0.0
2. यूक्रेन	1	5	1	4	-22.5	0.0	2	11	1	4	-69.4	0.0
3. अज़रबैजान	5,471	24,932	8,018	38,812	46.6	1.6	7,685	41,828	7,045	42,568	-8.3	1.6
4. बेलारूस	3,600	16,417	4,787	23,180	33.0	1.0	4,232	23,021	3,895	23,571	-8.0	0.9
5. जॉर्जिया	1,418	6,459	2,493	12,065	75.7	0.5	2,657	14,471	1,830	11,036	-31.1	0.4
6. आर्मेनिया	203	911	494	2,356	142.9	0.1	521	2,848	1,137	6,857	118.0	0.3
7. माल्डोवा	204	940	179	900	-12.6	0.0	215	1,162	158	947	-26.5	0.0
VI. अविनिर्दिष्ट क्षेत्र												
1. रूस	38	172	59	279	55.8	0.0	58	314	24	144	-58.6	0.0
2. यूक्रेन	7	32	6	29	-12.9	0.0	1	8	2	10	14.9	0.0
3. अज़रबैजान	0	1	0	2	275.0	0.0	1	4	1	3	-24.6	0.0
4. बेलारूस	4,427	20,120	1,167	5,534	-73.6	0.2	1,992	10,837	2,749	16,502	38.0	0.6
5. जॉर्जिया												
6. आर्मेनिया												
7. माल्डोवा												
कुल आयात												
	369769	1,683,467	489319	2,345,463	32.3	100.0	490737	2,669,162	450068	2,714,182	-8.3	100.0

स्रोत: वाणिज्य विभाग, डीजीसीआई एण्ड एस के अर्निमि आंकड़ों पर आधारित

अ: अनन्तिम

सारणी 7.4(ख) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात

देश/क्षेत्र												
	2010-2011		2011-2012		परिवर्तन (2) की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	2012-2013		2013-2014 अ		परिवर्तन (8) की तुलना में (10) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)			(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I यूरोप												
(क) यूरोपीय संघ के देश (27)												
1) नीदरलैंड	49,926	227,218	57,798	276,732	15.8	18.9	56,050	304,743	58,304	353,569	4.0	18.7
2) यू.के.	46,078	209,708	52,603	251,951	14.2	17.2	50,469	274,419	51,595	312,891	2.2	16.5
3) जर्मनी	7,681	34,967	9,153	43,914	19.2	3.0	10,566	57,380	7,992	48,722	-24.4	2.6
4) बेल्जियम	7,312	33,296	8,628	41,324	18.0	2.8	8,649	47,078	9,822	59,483	13.6	3.1
5) इटली	6,754	30,733	7,946	37,982	17.6	2.6	7,253	39,447	7,508	45,471	3.5	2.4
6) फ्रांस	5,784	26,347	7,161	34,208	23.8	2.3	5,507	29,927	6,354	38,537	15.4	2.0
7) स्पेन	4,554	20,702	4,885	23,283	7.3	1.6	4,373	23,783	5,267	31,852	20.4	1.7
8) माल्टा	5,210	23,688	4,558	22,022	-12.5	1.5	4,987	27,109	5,116	31,001	2.6	1.6
9) स्वीडन	2,566	11,687	3,000	14,369	16.9	1.0	2,866	15,593	2,884	17,486	0.6	0.9
10) ग्रीस	747	3,413	849	4,092	13.7	0.3	398	2,162	168	1,028	-57.8	0.1
11) पोर्लैंड	628	2,858	825	3,953	31.4	0.3	686	3,735	732	4,438	6.7	0.2
12) डेनमार्क	365	1,657	790	3,772	116.5	0.3	300	1,632	335	2,025	11.6	0.1
13) पुर्तगाल	666	3,030	787	3,769	18.1	0.3	811	4,413	993	6,024	22.4	0.3
14) आयरलैंड	691	3,142	758	3,616	9.7	0.2	707	3,850	762	4,610	7.7	0.2
15) आस्ट्रिया	527	2,395	525	2,502	-0.3	0.2	528	2,874	627	3,807	18.6	0.2
16) हंगरी	271	1,230	381	1,838	40.7	0.1	387	2,105	414	2,509	7.0	0.1
17) फिनलैंड	594	2,693	342	1,631	-42.4	0.1	329	1,789	342	2,069	4.1	0.1
18) चेक गणराज्य	213	968	316	1,516	48.5	0.1	324	1,762	345	2,087	6.5	0.1
19) रोमानिया	255	1,160	314	1,513	23.4	0.1	317	1,726	416	2,531	31.0	0.1
20) स्लोवेनिया	216	982	272	1,307	26.0	0.1	251	1,368	388	2,375	54.2	0.1
21) लिथुआनिया	426	1,942	270	1,285	-36.7	0.1	283	1,542	286	1,729	1.0	0.1
22) एस्टोनिया	187	852	227	1,086	21.1	0.1	274	1,495	212	1,275	-22.6	0.1
23) बुल्गारिया	83	379	135	657	61.9	0.0	147	803	105	635	-28.9	0.0
24) लात्विया	53	241	116	562	120.1	0.0	92	500	79	479	-13.9	0.0
25) स्लोवाक गणराज्य	70	317	109	521	56.0	0.0	157	854	169	1,025	7.8	0.1
26) साइप्रस	103	471	96	460	-6.8	0.0	104	567	102	617	-1.9	0.0
27) लक्सम्बर्ग	59	271	94	453	58.7	0.0	107	582	104	631	-2.4	0.0
(ख) अन्य पश्चिमी यूरोपीय देश	43	197	57	273	30.7	0.0	55	300	62	375	12.0	0.0
1) तुर्की	19	86	9	43	-51.5	0.0	8	45	12	70	43.2	0.0
2) स्विट्ज़रलैंड	3,704	16,854	5,011	23,902	35.3	1.6	5,343	29,028	6,499	39,405	21.6	2.1
3) नार्वे	2,749	12,510	3,547	16,894	29.0	1.2	3,964	21,524	4,432	27,031	11.8	1.4
4) आइसलैंड	691	3,141	1,096	5,281	58.7	0.4	1,118	6,084	1,818	10,863	62.6	0.6
5) लेट्सटोन	179	816	334	1,566	86.4	0.1	235	1,277	229	1,389	-2.4	0.1
(ग) पूर्वी यूरोप	84	386	34	160	-59.7	0.0	26	141	20	120	-23.3	0.0
1) क्रोशिया	0	1	0	1	-12.5	0.0	0	1	0	2	18.5	0.0
	144	657	184	879	27.3	0.1	238	1,296	210	1,273	-11.8	0.1
	98	445	115	550	17.5	0.0	134	727	139	841	3.8	0.0

(जारी...)

(जारी...)

सारणी 7.4(ख) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)

देश/क्षेत्र	2010-2011		2011-2012		परिवर्तन (2) की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	2012-2013		2013-2014 अ		परिवर्तन (8) की तुलना में (10) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)			(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2) सर्बिया और मोंटीनेग्रो संघ	24	107	42	198	77.0	0.0	71	387	30	182	-57.5	0.0
3) अल्बेनिया	12	52	13	61	9.8	0.0	17	95	19	115	7.2	0.0
4) मकदूनिया	8	38	9	43	6.2	0.0	9	50	11	65	18.3	0.0
5) बोस्निया-हर्जोगोविना	3	15	6	28	80.9	0.0	7	38	12	70	67.4	0.0
II अफ्रीका	19,713	89,745	24,674	118,737	25.2	8.1	29,143	158,605	31,230	189,808	7.2	10.0
(क) सदरत अफ्रीका	5,619	25,639	6,218	29,879	10.7	2.0	7,167	39,013	7,724	46,945	7.8	2.5
1) दक्षिणी अफ्रीका	3,912	17,885	4,731	22,730	20.9	1.5	5,107	27,803	5,076	30,784	-0.6	1.6
2) नामिबिया	55	252	64	308	16.1	0.0	57	309	212	1,329	273.7	0.1
3) बोत्सवाना	34	153	50	242	50.2	0.0	51	280	54	332	5.7	0.0
4) स्वाज़ीलैंड	87	392	23	112	-73.6	0.0	47	261	23	136	-52.1	0.0
5) लेसोथो	19	84	21	101	13.7	0.0	18	100	31	189	69.9	0.0
6) मोज़ाम्बिक	605	2,759	533	2,547	-11.9	0.2	1,001	5,445	1,257	7,679	25.6	0.4
7) अंगोला	675	3,061	454	2,205	-32.7	0.1	489	2,660	536	3,266	9.6	0.2
8) ज़ाम्बिया	118	539	211	1,016	78.1	0.1	243	1,322	376	2,275	54.6	0.1
9) जिम्बाब्वे	113	514	129	619	14.3	0.0	153	834	158	957	3.1	0.1
(ख) पश्चिमी अफ्रीका	4,297	19,538	6,460	31,110	50.4	2.1	6,523	35,502	6,993	42,437	7.2	2.2
1) नाइजीरिया	2,099	9,542	2,702	13,051	28.7	0.9	2,740	14,917	2,666	16,171	-2.7	0.9
2) घाना	580	2,637	800	3,843	38.0	0.3	744	4,050	831	5,041	11.6	0.3
3) बेनिन	264	1,199	655	3,083	148.3	0.2	479	2,605	764	4,636	59.4	0.2
4) सेनेगल	210	957	365	1,782	73.7	0.1	490	2,673	426	2,580	-13.0	0.1
5) टोगो	205	932	355	1,735	73.3	0.1	300	1,628	444	2,720	47.9	0.1
6) कांगो जनवादी गणराज्य	242	1,100	347	1,637	43.6	0.1	199	1,083	211	1,277	5.7	0.1
7) कोट डी वा	94	429	283	1,398	200.1	0.1	396	2,154	299	1,814	-24.5	0.1
8) कैमरून	121	552	196	951	62.1	0.1	251	1,365	260	1,570	3.4	0.1
9) गिनी	96	439	132	626	36.9	0.0	206	1,120	206	1,253	-0.1	0.1
10) माली	65	296	98	475	50.3	0.0	79	428	109	659	38.3	0.0
11) नाइजर	54	247	86	416	58.8	0.0	56	305	86	525	53.6	0.0
12) सिएरा लियोन	47	214	88	415	87.1	0.0	184	1,003	101	600	-45.3	0.0
13) बुर्किना फासो	46	208	85	406	85.5	0.0	86	468	103	624	19.7	0.0
14) लाइबेरिया	44	200	79	380	79.2	0.0	127	693	253	1,544	99.5	0.1
15) गांबिया	42	189	64	309	54.0	0.0	56	302	85	516	53.2	0.0
16) गेबॉन	38	171	47	227	25.2	0.0	54	295	53	321	-3.0	0.0
17) मारिटेनिया	34	153	47	224	38.9	0.0	42	228	58	351	38.7	0.0
18) एक्वेटोरियल गिनी	11	52	17	82	50.2	0.0	21	116	17	105	-19.1	0.0
19) गिनी बिसाऊ	3	14	12	62	304.6	0.0	11	59	19	117	74.8	0.0
20) साओ टोम	1	5	1	4	-26.7	0.0	1	5	1	6	1.1	0.0
21) कंप वर्ड आइलैण्ड	1	2	0	2	-6.0	0.0	1	5	1	9	50.5	0.0
22) सेंट हेलेना	0	1	0	0	-78.9	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0

(जारी...)

सारणी 7.4(ख) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)

देश/क्षेत्र	2010-2011		2011-2012		परिवर्तन (2) की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	2012-2013		2013-2014 अ		परिवर्तन (8) की तुलना में (10) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)			(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(म) मध्य अफ्रीका	465	2,116	708	3,405	52.2	0.2	931	5,068	1,095	6,644	17.7	0.4
1) यूगांडा	293	1,332	435	2,095	48.6	0.1	465	2,532	534	3,239	14.9	0.2
2) मलावी	101	463	148	708	46.1	0.0	153	834	221	1,343	44.2	0.1
3) रवांडा	32	147	48	232	48.7	0.0	78	424	88	531	12.4	0.0
4) चाड	12	54	39	188	224.3	0.0	46	252	33	201	-29.1	0.0
5) बुरुंडी	16	73	24	117	49.6	0.0	33	177	31	185	-6.0	0.0
6) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	7	31	7	35	3.0	0.0	147	804	181	1,099	23.2	0.1
7) मध्य अफ्रीकी गणराज्य	4	16	6	31	78.4	0.0	8	46	8	46	-8.5	0.0
(घ) पूर्वी अफ्रीका	5,347	24,311	6,594	31,748	23.3	2.2	8,839	48,135	9,977	60,834	12.9	3.2
1) केन्या	2,182	9,948	2,277	10,987	4.4	0.7	3,770	20,526	3,893	23,660	3.2	1.2
2) तंजानिया गणराज्य	1,475	6,701	1,615	7,697	9.5	0.5	2,152	11,733	3,401	20,911	58.0	1.1
3) मॉरिशस	854	3,861	1,401	6,769	64.0	0.5	1,311	7,137	1,000	6,077	-23.7	0.3
4) जिबूती	320	1,453	475	2,295	48.6	0.2	412	2,238	300	1,805	-27.0	0.1
5) इथियोपिया	274	1,245	464	2,242	69.6	0.2	749	4,082	818	4,958	9.3	0.3
6) सोमालिया	89	406	145	711	61.8	0.0	182	992	207	1,260	13.3	0.1
7) मैडागास्कर	79	360	124	598	55.8	0.0	154	839	239	1,456	54.6	0.1
8) रियूनियन	38	174	48	230	25.7	0.0	49	266	52	318	7.0	0.0
9) सेशेल्स	27	123	35	167	28.5	0.0	39	211	53	308	35.5	0.0
10) कोमोरोस	9	39	11	53	27.5	0.0	21	113	14	82	-34.4	0.0
III अमरीका	36,882	168,015	50,444	241,633	36.8	16.5	53,344	290,225	54,249	328,376	1.7	17.4
(क) उत्तरी अमरीका	27,558	125,509	38,167	182,981	38.5	12.5	39,826	216,716	43,432	262,652	9.1	13.9
1) सं. रा. अमरीका	25,296	115,212	34,746	166,474	37.4	11.4	36,161	196,771	39,169	236,751	8.3	12.5
2) कनाडा	1,349	6,140	2,054	9,924	52.2	0.7	2,037	11,082	2,040	12,360	0.1	0.7
3) मेक्सिको	913	4,157	1,368	6,582	49.8	0.4	1,628	8,862	2,223	13,541	36.5	0.7
(ख) लैटिन अमरीका	9,324	42,506	12,277	58,652	31.7	4.0	13,518	73,509	10,818	65,724	-20.0	3.5
1) ब्राजील	4,024	18,336	5,770	27,577	43.4	1.9	6,049	32,872	5,547	33,834	-8.3	1.8
2) बहामास	2,173	9,930	2,244	10,561	3.2	0.7	2,670	14,500	233	1,335	-91.3	0.1
3) कोलंबिया	561	2,555	892	4,294	59.0	0.3	912	4,966	1,007	6,115	10.4	0.3
4) पेरू	418	1,900	564	2,720	35.1	0.2	638	3,472	620	3,764	-2.8	0.2
5) चिली	508	2,313	522	2,514	2.9	0.2	690	3,759	664	4,027	-3.8	0.2
6) अर्जेंटीना	404	1,843	474	2,277	17.1	0.2	540	2,941	611	3,707	13.2	0.2
7) वेनेजुएला	176	799	250	1,204	41.9	0.1	234	1,277	197	1,195	-15.9	0.1
8) एक्वेडोर	121	553	232	1,124	90.6	0.1	264	1,434	290	1,761	10.2	0.1
9) पनामा गणराज्य	124	565	232	1,115	87.0	0.1	226	1,233	211	1,285	-6.7	0.1
10) ग्रेटमाला	113	514	191	921	69.8	0.1	225	1,222	212	1,289	-5.5	0.1
11) उरुग्वे	85	388	141	676	64.8	0.0	143	781	161	975	12.4	0.1
12) डोमिनिक गणराज्य	83	377	103	491	25.0	0.0	109	593	126	765	15.5	0.0
13) हैटिंस	63	288	92	442	45.3	0.0	110	600	108	655	-2.0	0.0

(जारी...)

सारणी 7.4(ख) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)

देश/क्षेत्र	2010-2011		2011-2012		परिवर्तन (2) की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	2012-2013		2013-2014 अ		परिवर्तन (8) की तुलना में (10) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)			(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14) त्रिनिदाद	63	287	82	395	31.0	0.0	82	444	97	585	18.4	0.0
15) पापुवा	42	189	67	323	61.2	0.0	83	451	89	539	7.2	0.0
16) कोस्टा रिका	61	279	66	316	6.6	0.0	74	405	81	492	9.1	0.0
17) हेटी	61	275	48	231	-20.2	0.0	64	347	59	358	-7.0	0.0
18) निकारागुआ	30	136	46	219	52.3	0.0	59	323	59	361	-0.1	0.0
19) नीदरलैंड्स	52	240	39	185	-24.9	0.0	60	327	69	416	14.4	0.0
20) अल सल्वाडोर	24	109	38	181	55.9	0.0	56	305	65	394	16.1	0.0
21) क्यूबा	26	116	37	174	43.7	0.0	36	195	35	214	-1.1	0.0
22) जमैका	22	102	27	128	19.3	0.0	30	162	36	219	22.0	0.0
23) बोलिवू	14	65	26	125	82.5	0.0	24	128	22	134	-4.7	0.0
23) बोलिविया	16	71	25	121	58.1	0.0	57	312	53	320	-7.3	0.0
25) गिनाना	16	73	22	102	34.2	0.0	22	119	24	147	10.3	0.0
26) सूरीनाम	12	55	10	51	-13.5	0.0	30	165	24	146	-20.3	0.0
27) ब्राबडोस	5	25	8	36	38.8	0.0	6	32	6	39	9.7	0.0
28) गुआडलूप	6	28	7	34	14.2	0.0	7	36	7	39	-0.8	0.0
29) मार्टिनिक	5	22	6	30	32.6	0.0	6	32	8	47	30.6	0.0
30) वर्जिन आइलैण्ड यूएस	1	6	4	19	179.7	0.0	1	8	4	24	172.7	0.0
31) डोमिनिका	2	11	3	14	14.2	0.0	2	13	2	15	0.4	0.0
32) फ्रेंच गिनाना	4	16	2	8	-55.0	0.0	3	18	73	432	2116.7	0.0
33) फाकलैण्ड आइलैण्ड	0	0	1	7	3,375.0	0.0	0	0	0	0	0	0
34) सेंट लूसिया	3	12	1	6	-48.4	0.0	1	6	2	14	121.4	0.0
35) ग्रेनाडा	1	5	1	5	2.0	0.0	1	5	1	9	71.8	0.0
36) बरमूडा	1	4	1	5	13.3	0.0	1	7	3	16	91.9	0.0
37) ब्रिटिश वर्जिन आइलैण्ड	0	2	1	5	147.6	0.0	1	3	0	2	-29.1	0.0
38) केमन आइलैण्ड	0	1	1	4	237.9	0.0	0	2	3	19	702.6	0.0
39) एंटिगुआ	1	4	1	4	-7.4	0.0	1	7	2	13	61.0	0.0
40) सेंट किट पन ए	1	3	1	3	-10.8	0.0	1	3	1	7	93.7	0.0
41) सेंट विन्सेंट	0	2	1	3	69.4	0.0	0	2	2	11	425.7	0.0
42) मोर्टसेट	1	2	0	1	-47.2	0.0	0	0	0	0	75.0	0.0
43) तुर्क सी द्वीप समूह	0	0	0	1	240.0	0.0	0	2	0	2	15.6	0.0
IV एशिया और आसियान	127,346	579,221	153,105	735,061	20.2	50.0	152,699	830,914	155,277	941,073	1.7	49.7
(क) पूर्वी एशिया	2,506	11,387	2,817	13,621	12.4	0.9	2,733	14,887	2,691	16,332	-1.5	0.9
1) ऑस्ट्रेलिया	1,713	7,803	2,477	11,990	44.6	0.8	2,349	12,794	2,298	13,945	-2.1	0.7
2) न्यूजीलैंड	191	868	252	1,209	32.0	0.1	302	1,647	282	1,709	-6.7	0.1
3) फिजी आइलैंड	28	130	37	175	29.2	0.0	41	223	49	297	19.6	0.0
4) पापुआ न्यू गिनी	22	100	36	170	63.6	0.0	30	162	44	268	47.7	0.0
5) टिमोर-लेस्ट	546	2,458	7	37	-98.6	0.0	2	12	2	13	1.9	0.0

(जारी...)

(जारी...)

सारणी 7.4(ख) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)

देश/क्षेत्र	2010-2011		2011-2012		परिवर्तन (2) की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	2012-2013		2013-2014 अ		परिवर्तन (8) की तुलना में (10) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)			(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डॉलर)	(₹ करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(ख) आसियान												
6) वुआटु गणराज्य	2	11	3	13	7.2	0.0	3	19	3	17	-19.0	0.0
7) समोआ	2	7	2	10	43.8	0.0	2	11	4	26	113.9	0.0
8) विक्रीवाती गणराज्य	0	1	1	6	830.8	0.0	0	2	1	6	154.1	0.0
9) सोलोमन आइलैंड	1	5	1	6	3.5	0.0	2	8	7	42	343.4	0.0
10) टोंगा	1	3	1	4	6.9	0.0	2	9	1	6	-38.1	0.0
11) नौरु गणराज्य	0	1	0	1	90.9	0.0	0	0	0	1	0.0	0.0
12) टुवालू	0	1	0	0	-91.7	0.0	0	0	0	0	500.0	0.0
25,628	116,658	36,744	175,927	43.4	43.4	12.0	33,008	179,420	33,182	200,416	0.5	10.6
(ग) पश्चिमी एशियाई राष्ट्र												
1) सिंगापुर	9,825	44,732	16,858	80,363	71.6	5.5	13,619	73,995	12,510	74,912	-8.1	4.0
2) इंडोनेशिया	5,701	25,925	6,678	32,101	17.1	2.2	5,331	28,996	4,906	29,672	-8.0	1.6
3) मलेशिया	3,871	17,677	3,980	19,103	2.8	1.3	4,444	24,144	4,196	25,404	-5.6	1.3
4) वियतनाम समाजवादी गणराज्य	2,651	12,045	3,719	18,085	40.3	1.2	3,967	21,563	5,440	33,241	37.1	1.7
5) थाइलैंड	2,274	10,346	2,961	14,254	30.2	1.0	3,733	20,310	3,703	22,431	-0.8	1.2
6) फिलीपीन्स	881	4,005	993	4,763	12.7	0.3	1,187	6,465	1,418	8,604	19.4	0.5
7) ब्रुनेई	23	105	895	4,062	3,781.6	0.3	40	218	33	199	-17.7	0.0
8) म्यांमार	321	1,459	545	2,645	70.1	0.2	545	2,961	785	4,791	44.0	0.3
9) कंबोडिया	67	305	99	478	48.6	0.0	112	610	141	858	25.8	0.0
10) लाओ पीपुल्स आर	13	59	15	73	14.2	0.0	29	157	50	305	72.6	0.0
54,222	246,627	59,591	285,941	9.9	19.5	19.5	68,092	370,711	66,702	403,930	-2.0	21.3
(घ) पश्चिमी एशियाई राष्ट्र												
1) संयुक्त अरब अमीरात	33,822	153,866	35,926	172,268	6.2	11.7	36,317	197,832	30,515	184,743	-16.0	9.8
2) सऊदी अरब	4,684	21,296	5,683	27,208	21.3	1.9	9,786	53,245	12,214	73,836	24.8	3.9
3) ओमान	1,086	4,942	1,322	6,414	21.7	0.4	2,599	14,115	2,819	17,198	8.5	0.9
4) कुवैत	1,856	8,447	1,181	5,665	-36.3	0.4	1,061	5,778	1,063	6,449	0.2	0.3
5) कतर	375	1,709	808	3,949	115.2	0.3	687	3,746	988	6,029	43.8	0.3
6) बहरीन आइलैंड	652	2,933	440	2,118	-32.5	0.1	603	3,284	642	3,780	6.4	0.2
1,982	9,026	2,422	11,736	22.2	0.8	0.8	2,897	15,714	2,564	15,571	-11.5	0.8
7) मिस्र अरब गणराज्य	782	3,558	836	3,992	6.9	0.3	1,089	5,935	1,069	6,446	-1.8	0.3
8) अल्जीरिया	488	2,224	717	3,406	46.9	0.2	755	4,116	862	5,208	14.2	0.3
9) सूडान	319	1,449	372	1,789	16.8	0.1	427	2,321	386	2,329	-9.6	0.1
10) मोरक्को	282	1,282	286	1,369	1.2	0.1	299	1,630	274	1,658	-8.4	0.1
11) ट्यूनिशिया	132	601	61	302	-53.8	0.0	215	1,171	288	1,737	33.6	0.1
12) लीबिया	0	1	0	0	-92.9	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
13) कनारी आइलैंड	2,920	13,284	4,042	19,333	38.4	1.3	3,740	20,349	3,747	22,758	0.2	1.2
14) इजराइल	2,493	11,337	2,411	11,512	-3.3	0.8	3,351	18,256	4,925	29,778	47.0	1.6
15) ईरान	485	2,202	821	3,977	69.2	0.3	1,001	5,453	1,596	9,825	59.5	0.5
16) जॉर्डन	678	3,075	764	3,709	12.7	0.2	1,278	6,973	916	5,513	-28.3	0.3
17) इराक	514	2,352	731	3,504	42.1	0.2	1,477	8,024	1,307	7,885	-11.5	0.4
18) यमन गणराज्य												

(जारी...)

सारणी 7.4(ख) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)

देश/क्षेत्र	2010-2011		2011-2012		परिवर्तन (2) की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	2012-2013		2013-2014 अ		परिवर्तन (8) की तुलना में (10) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)			(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19) सीरिया	493	2,239	536	2,568	8.8	0.2	259	1,406	235	1,413	-9.3	0.1
20) लेबनान	176	803	232	1,120	31.7	0.1	251	1,365	293	1,775	17.1	0.1
(घ) उत्तर पूर्वी एशिया	37,316	169,671	45,350	218,118	21.5	14.8	39,437	214,571	40,811	248,063	3.5	13.1
1) चीन जनवादी गणराज्य	15,521	70,414	18,118	87,669	16.7	5.9	13,580	73,773	14,865	90,809	9.5	4.8
2) होंगकांग	10,320	47,038	12,932	61,877	25.3	4.2	12,279	66,898	12,733	77,251	3.7	4.1
3) जापान	5,092	23,183	6,330	30,520	24.3	2.1	6,101	33,221	6,814	41,254	11.7	2.2
4) कोरिया गणराज्य	3,730	16,965	4,355	20,781	16.8	1.4	4,206	22,889	4,205	25,449	0.0	1.3
5) थाईलैंड	2,302	10,479	3,348	15,986	45.5	1.1	3,044	16,555	1,989	12,056	-34.7	0.6
6) कोरिया डी पी आर	329	1,491	229	1,107	-30.4	0.1	203	1,100	187	1,143	-7.9	0.1
7) मंगोलिया	21	94	35	170	68.4	0.0	24	130	16	90	-34.4	0.0
8) मकाऊ	1	7	1	7	2.8	0.0	1	5	2	10	68.8	0.0
(ङ) दक्षिण एशिया	11,659	53,019	13,297	64,048	14.0	4.3	15,111	82,212	17,333	105,280	14.7	5.5
1) श्रीलंका डीएसआर	3,510	15,962	4,379	20,951	24.7	1.4	3,984	21,688	4,549	27,735	14.2	1.5
2) बांग्लादेश पीआर	3,243	14,753	3,789	18,387	16.8	1.2	5,145	27,983	6,051	36,701	17.6	1.9
3) नेपाल	2,168	9,871	2,722	13,130	25.5	0.9	3,089	16,806	3,575	21,666	15.8	1.1
4) पाकिस्तान आई आर	2,040	9,255	1,542	7,448	-24.4	0.5	2,065	11,233	2,275	13,823	10.2	0.7
5) अफगानिस्तान टी आई एस	422	1,921	511	2,429	20.9	0.2	473	2,569	474	2,878	0.3	0.2
6) भूटान	176	802	230	1,104	30.6	0.1	233	1,267	300	1,823	28.8	0.1
7) मालदीव	100	456	125	598	24.4	0.0	122	666	108	653	-12.0	0.0
V सीआईएस एवं बाल्टिक	2,682	12,215	3,060	14,729	14.1	1.0	3,683	20,046	3,509	21,254	-4.7	1.1
(क) सीएसआर देश	303	1,378	430	2,062	41.8	0.1	551	3,001	533	3,224	-3.3	0.2
1) कजाखस्तान	172	784	244	1,171	42.0	0.1	286	1,559	256	1,548	-10.4	0.1
2) उज़्बेकिस्तान	60	275	89	430	47.9	0.0	125	680	114	692	-8.7	0.0
3) तुर्कमेनिस्तान	26	119	44	212	68.0	0.0	70	380	74	448	5.3	0.0
4) किरगीज़स्तान	26	117	31	147	18.5	0.0	35	190	34	208	-1.4	0.0
5) ताजिकिस्तान	18	83	21	102	16.2	0.0	35	191	54	327	54.4	0.0
(ख) अन्य सीआईएस देश	2,379	10,836	2,630	12,667	10.6	0.9	3,132	17,046	2,976	18,030	-5.0	1.0
1) रूस	1,690	7,706	1,778	8,547	5.3	0.6	2,296	12,493	2,147	12,989	-6.5	0.7
2) यूक्रेन	514	2,334	491	2,363	-4.5	0.2	520	2,833	479	2,920	-7.8	0.2
3) बेलारूस	36	165	122	597	235.2	0.0	55	301	53	325	-3.5	0.0
4) जार्जिया	73	332	122	590	67.1	0.0	124	675	91	553	-26.7	0.0
5) अज़रबाइजान	39	175	72	350	85.3	0.0	87	475	122	737	40.2	0.0
6) आर्मेनिया	20	90	38	184	93.1	0.0	40	220	72	442	79.0	0.0
7) मालडोवा	8	34	8	36	-0.5	0.0	9	49	10	64	17.1	0.0
VI अर्बिनिटिड क्षेत्र	14,587	66,507	16,883	79,068	15.7	5.5	5,482	29,785	9,979	59,726	82.0	3.2
कुल निर्यात	251,136	1,142,922	305,964	1,465,959	21.8	100.0	300,401	1,634,319	312,610	1,894,182	4.1	100.0

स्रोत: वाणिज्य विभाग, डीजीसीआई एण्ड एस के अर्नलियम आंकड़ों पर आधारित

अ: अर्नलियम

सारणी 7.5 : वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्गीकरण			1970			1975		
क्र. सं.	कोड समूह	वस्तु वर्गीकरण/समूह	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		मांस और मांस से निर्मित खाद्य वस्तुएं	3584	4	0.1	7378	9	0.1
03		मछली, सूखी हुई मछली और मोलस्क एवं उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं
04		अनाज और उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	6775	9	0.1	25133	16	0.1
	042	चावल	925	6	0.6	1984	12	0.6
05		सब्जियां और फल	1471	17	1.2	10104	154	1.5
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	2700	26	1.0	11663	554	4.8
07		काफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	5437	280	5.1	9133	438	4.8
	071	काफी और काफी के अनुकल्प	3205	31	1.0	4580	73	1.6
	074	चाय और मेट	587	196	33.4	933	292	31.3
	075	मसाले	255	52	20.5	548	73	13.3
08		पशुओं के चारे की सामग्री
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	1713	43	2.5	3827	124	3.2
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	1058	42	4.0	2357	119	5.0
	122	विनिर्मित तम्बाकू	655	1	0.2	1470	5	0.4
22		तिलहन और तेलिया फल
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	7357	193	2.6	13446	253	1.9
	281	लोह अयस्क और उसके सांद्रक	2373	158	6.7	4601	247	5.4
51		कार्बनिक रसायन	6648	9	0.1	20219	22	0.1
52		अकार्बनिक रसायन
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	1615	8	0.5	3642	23	0.6
54	541	औषधीय और भेषजीय उत्पाद	2687	11	0.4	6503	29	0.4
55		सुगन्धित तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, साबुन और सफाई के काम आने वाले उत्पाद आदि	916	10	1.1	3059	18	0.6
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज इस्टर और ईथर
59		रासायनिक सामग्री और उत्पाद एन.ई.एस.
61		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं एवं प्रसाधित लोम चर्म	1047	95	9.1	2380	200	8.4
	611	चमड़ा	701	94	13.4	1540	189	12.3
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	132	1	0.6	355	4	1.0
	613	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्त्र आदि	214	486	8	1.6
65		वस्त्र धागा, फैब्रिक और उससे बनी वस्तुएं	11371	461	4.1	23798	599	2.5
	652	बुने सूती कपड़े	1436	98	6.8	3149	161	5.1
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	3967	189	4.8	8038	191	2.4
	654	कपास या कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को छोड़कर बुने हुए कपड़े	270	2	0.8	547	5	0.9
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	2431	53	2.2	5707	128	2.2
67		लोहा और इस्पात	14540	132	0.9	40789	116	0.3
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं एन.ई.एस.	4328	27	0.6	12053	74	0.6
71		विद्युत (पावर) उत्पादन करने वाली मशीनरी और उपस्कर	20884	25	0.1	54327	97	0.2
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	10670	17	0.2	67016	102	0.2
73		धातु-कर्मकारी मशीनरी
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनके मशीनी पुर्जे
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कर
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और प्रतिरूपण उपकरण और उपस्कर
77		बिजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर
78		सड़क वाहन (एयर कुशन वाहनों सहित)
79		अन्य परिवहन उपस्कर
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	109	308
		कुल निर्यात	313804	2031	0.6	876094	4665	0.5

(जारी...)

सारणी 7.5 : वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा (जारी...)

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्गीकरण			1980			1985		
क्र. सं.	कोड समूह	वस्तु वर्गीकरण/ समूह	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
1	2	3	10	11	12	13	14	15
01		मांस और मांस से निर्मित खाद्य वस्तुएं	17832	67	0.4	15755	61	0.4
03		मछली, सूखी हुई मछली और मोलस्क एवं उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	12258	242	2.0	14335	337	2.4
04		अनाज और उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	41989	201	0.5	32643	211	0.6
	042	चावल	4355	160	3.7	2916	162	5.6
05		सब्जियां और फल	24018	259	1.1	23606	332	1.4
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	16183	46	0.3	10113
07		काफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	22121	879	4.0	20779	971	4.7
	071	काफी और काफी के अनुकल्प	12979	271	2.1	11676	226	1.9
	074	चाय और मेट	1631	452	27.7	1973	517	26.2
	075	मसाले	1072	156	14.5	1188	229	19.3
08		पशुओं के चारे की सामग्री	10322	164	1.6	8515	127	1.5
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	3423	151	4.4	7822	140	1.8
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	3423	151	4.4	3798	113	3.0
	122	विनिर्मित तम्बाकू	4024	27	0.7
22		तिलहन और तेलिया फल	9487	30	0.3	7896	20	0.3
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	30239	465	1.5	23137	557	2.4
	281	लोह अयस्क और उसके सांद्रक	6515	411	6.3	6154	478	7.8
51		कार्बनिक रसायन	31841	17	0.1	36923	25	0.1
52		अकार्बनिक रसायन	15491	26	0.2	16318	22	0.1
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	7986	65	0.8	8024	62	0.8
54	541	औषधीय और भेषजीय उत्पाद	13918	109	0.8	15920	130	0.8
55		सुगन्धित तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, साबुन और सफाई के काम आने वाले उत्पाद आदि	7647	86	1.1	8136	56	0.7
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज इस्टर और ईथर	27223	3	...	28456	5	...
59		रासायनिक सामग्री और उत्पाद एन.ई.एस.	15960	8	...	16613	28	0.2
61		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं एवं प्रसाधित लोम चर्म	5967	405	6.8	6444	534	8.3
	611	चमड़ा	3415	342	10.0	4185	331	7.9
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	975	62	6.3	1233	202	16.4
	613	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्त्र आदि	1577	1	0.1	1026
65		वस्त्र धागा, फैब्रिक और उससे बनी वस्तुएं	48884	1145	2.3	48218	1037	2.1
	652	बुने सूती कपड़े	6632	351	5.3	6804	327	4.8
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	9325	44	0.5	9735	20	0.2
	654	कपास या कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को छोड़कर बुने हुए कपड़े	3188	204	6.4	3462	167	4.8
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	18563	579	3.1	12073	1165	9.6
67		लोहा और इस्पात	68231	87	0.1	61891	46	0.1
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं एन.ई.एस.	36840	221	0.6	32884	125	0.4
71		विद्युत (पावर) उत्पादन करने वाली मशीनरी और उपस्कर	35722	88	0.2	38433	59	0.2
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	58495	65	0.1	54707	97	0.2
73		धातु-कर्मकारी मशीनरी	15671	32	0.2	12696	55	0.4
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनके मशीनी पुर्जे	59443	67	0.1	53954	60	0.1
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कर	24750	2	...	53604	30	0.1
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और प्रतिरूपण उपकरण और उपस्कर	26799	11	...	47318	4	...
77		बिजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर	60947	114	0.2	75739	121	0.2
78		सड़क वाहन (एयर कुशन वाहनों सहित)	127347	208	0.2	157446	126	0.1
79		अन्य परिवहन उपस्कर	41291	32	0.1	50709	27	0.1
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	32365	590	1.8	38718	887	2.3
		कुल निर्यात	1997686	8486	0.4	1930849	8904	0.5

(जारी...)

सारणी 7.5 : वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा (जारी...)

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्गीकरण			1990			2000		
क्र. सं.	कोड	वस्तु वर्गीकरण/ समूह	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
1	2	3	16	17	18	19	20	21
01		मांस और मांस से निर्मित खाद्य वस्तुएं	34118	77	0.2	44690	324	0.7
03		मछली, सूखी हुई मछली और मोलस्क एवं उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	32847	521	1.6	50875	1391	2.7
04		अनाज और उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	45314	285	0.6	53575	783	1.5
	042	चावल	3995	254	6.4	6411	654	10.2
05		सब्जियां और फल	50225	400	0.8	68355	856	1.3
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	14236	21	0.1	13866	118	0.9
07		काफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	21131	842	4.0	27953	956	3.4
	071	काफी और काफी के अनुकल्प	8659	148	1.7	11559	264	2.3
	074	चाय और मेट	2650	585	22.1	3087	431	14.0
	075	मसाले	1415	109	7.7	2541	261	10.3
08		पशुओं के चारे की सामग्री	15603	336	2.2	20295	469	2.3
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	17860	145	0.8	21628	147	0.7
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	5187	107	2.1	5525	147	2.7
	122	विनिर्मित तम्बाकू	12674	39	0.3	16103
22		तिलहन और तेलिया फल	10477	83	0.8	14388	244	1.7
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	35734	753	2.1	49515	510	1.0
	281	लोह अयस्क और उसके सांद्रक	7653	578	7.6	9229	363	3.9
51		कार्बनिक रसायन	70721	232	0.3	134109	1491	1.1
52		अकार्बनिक रसायन	26079	59	0.2	33117	99	0.3
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	19952	233	1.2	34105	481	1.4
54	541	औषधीय और भेषजीय उत्पाद	37753	453	1.2	107482	1255	1.2
55		सुगन्धित तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, साबुन और सफाई के काम आने वाले उत्पाद आदि	21027	240	1.1	44279	216	0.5
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज इस्टर और ईथर	65712	29	...	123353	174	0.1
59		रासायनिक सामग्री और उत्पाद एन.ई.एस.	33418	76	0.2	63411	437	0.7
61		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं एवं प्रसाधित लोम चर्म	13226	832	6.3	24440	808	3.3
	611	चमड़ा	9295	447	4.8	16551	388	2.3
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	2868	385	13.4	6831	421	6.2
	613	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्त्र आदि	1063	1058
65		वस्त्र धागा, फैब्रिक और उससे बनी वस्तुएं	105147	2180	2.1	167528	6000	3.6
	652	बुने सूती कपड़े	15559	571	3.7	22387	1103	4.9
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	22021	156	0.7	32151	506	1.6
	654	कपास या कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को छोड़कर बुने हुए कपड़े	8466	195	2.3	9432	370	3.9
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	27577	2710	9.8	54105	6477	12.0
67		लोहा और इस्पात	106342	283	0.3	146147	1481	1.0
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं एन.ई.एस.	66088	341	0.5	125259	1167	0.9
71		विद्युत (पावर) उत्पादन करने वाली मशीनरी और उपस्कर	81675	126	0.2	158329	218	0.1
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	118617	236	0.2	167582	346	0.2
73		धातु-कर्मकारी मशीनरी	31051	58	0.2	41413	117	0.3
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनके मशीनी पुर्जे	130836	132	0.1	225981	78	...
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कर	126743	112	0.1	378980
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और प्रतिरूपण उपकरण और उपस्कर	100965	31	...	299356
77		बिजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर	185364	241	0.1	640575	92	...
78		सड़क वाहन (एयर कुशन वाहनों सहित)	312550	344	0.1	549596	370	0.1
79		अन्य परिवहन उपस्कर	96250	15	...	157654	53	...
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	94577	2211	2.3	201379	7093	3.5
		कुल निर्यात	3303563	18143	0.5	6254511	41543	0.7

(जारी...)

सारणी 7.5 : वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा (जारी...)

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्गीकरण			2011			2012		
क्र. सं.	कोड समूह	वस्तु वर्गीकरण/ समूह	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
1	2	3	22	23	24	25	26	27
01		मांस और मांस से निर्मित खाद्य वस्तुएं	134400	2722	2.0	135408	3153	2.3
03		मछली, सूखी हुई मछली और मोलस्क एवं उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	120200	3345	2.8	120498	3362	2.8
04		अनाज और उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	120900	5704	4.7	124121	9132	7.4
	042	चावल	24400	4073	16.7	24403	6128	25.1
05		सब्जियां और फल	207900	2838	1.4	208641	2670	1.3
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	55500	2152	3.9	55178	2248	4.1
07		काफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	102100	3276	3.2	98678	3074	3.1
	071	काफी और काफी के अनुकल्प	42600	921	2.2	39224	902	2.3
	074	चाय और मेट	8100	900	11.1	8173	722	8.8
	075	मसाले	8100	1426	17.6	7724	1396	18.1
08		पशुओं के चारे की सामग्री	67200	2754	4.1	75172	2639	3.5
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	40400	798	2.0	40625	923	2.3
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	11300	571	5.1	12073	700	5.8
	122	विनिर्मित तम्बाकू	29100	227	0.8	28552	224	0.8
22		तिलहन और तेलिया फल	68200	1629	2.4	78999	1528	1.9
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	382200	5637	1.5	343657	3820	1.1
	281	लौह अयस्क और उसके सांद्रक	149800	4159	2.8	126667	2425	1.9
51		कार्बनिक रसायन	407700	10154	2.5	400825	11564	2.9
52		अकार्बनिक रसायन	116400	1106	1.0	104467	1398	1.3
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	78700	1909	2.4	76118	2020	2.7
54	541	औषधीय और भेषजीय उत्पाद	153200	1829	1.2	161864	1871	1.2
55		सुगन्धित तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, साबुन और सफाई के काम आने वाले उत्पाद आदि	142000	1605	1.1	142697	2091	1.5
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज इस्टर और ईथर	126800	1403	1.1	124200	1221	1.0
59		रासायनिक सामग्री और उत्पाद एन.ई.एस.	207300	2527	1.2	201500	2824	1.4
61		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं एवं प्रसाधित लोम चर्म	29700	1178	4.0	29740	1228	4.1
	611	चमड़ा	24100	1010	4.2	23719	1072	4.5
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	3600	168	4.7	3768	156	4.1
	613	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्त्र आदि	2000	0	0.0	2253	0	0.0
65		वस्त्र धागा, फ़ैब्रिक और उससे बनी वस्तुएं	302000	15340	5.1	290760	15274	5.3
	652	बुने सूती कपड़े	33500	1526	4.6	31088	1626	5.2
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	44400	2264	5.1	42879	1829	4.3
	654	कपास या कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को छोड़कर बुने हुए कपड़े	11200	478	4.3	10574	337	3.2
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	170800	32592	19.1	154827	22748	14.7
67		लोहा और इस्पात	517000	10471	2.0	477186	10885	2.3
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं एन.ई.एस.	360900	6063	1.7	363993	6777	1.9
71		विद्युत (पावर) उत्पादन करने वाली मशीनरी और उपस्कर	388500	2855	0.7	390221	2816	0.7
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	447800	3342	0.7	430206	3465	0.8
73		धातु-कर्मकारी मशीनरी	90700	475	0.5	93337	508	0.5
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनके मशीनी पुर्जे	629900	4856	0.8	633719	5171	0.8
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कर	566700	721	0.1	597698	713	0.1
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और प्रतिरूपण उपकरण और उपस्कर	684000	5137	0.8	684414	4294	0.6
77		बिजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर	1346800	5576	0.4	1348737	5330	0.4
78		सड़क वाहन (एयर कुशन वाहनों सहित)	1254200	9501	0.8	1273937	11420	0.9
79		अन्य परिवहन उपस्कर	374000	9457	2.5	363216	6012	1.7
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	433500	14672	3.4	431192	13833	3.2
कुल निर्यात			18013288	302892	1.7	18013778	296834	1.6

स्रोत : संयुक्त राष्ट्र: राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकीय वार्षिक पुस्तिका, के विभिन्न अंक, और वर्ष 2011 एवं 2012 के आंकड़े 26 मई 2014 को <http://comtrade.un.org> से लिए गए हैं।

टिप्पणी : भारत के हिस्से में शून्य का अर्थ है नगण्य अथवा कोई हिस्सा नहीं।

सारणी 7.6 : विदेश व्यापार के सूचकांक

(आधार: 1999-2000=100)

वर्ष	इकाई मूल्य सूचकांक		परिमाण सूचकांक		व्यापार स्थिति		
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	सकल	निवल	आय
1	2	3	4	5	6	7	8
2000-01	102	109	125	99	79	94	118
2001-02	103	112	126	103	82	92	116
2002-03	106	128	150	109	73	83	125
2003-04	114	132	161	128	80	86	138
2004-05	131	157	179	150	84	83	149
2005-06	139	179	206	174	84	78	161
2006-07	158	206	227	191	84	77	175
2007-08	166	210	245	218	89	79	194
2008-09	194	239	267	262	98	81	216
2009-10	196	215	264	288	109	91	240
2010-11	223	243	304	311	102	92	279
2011-12	268	425	331	246	74	63	208
2012-13	284	459	357	261	73	62	221

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस, कोलकाता।

टिप्पणी : (i) व्यापार की निवल स्थिति अर्थात् समग्र निर्यात इकाई मूल्य सूचकांक और समान आयात सूचकांक का अनुपात।

(ii) व्यापार की सकल स्थिति अर्थात् समग्र आयात परिमाण सूचकांक और समान निर्यात सूचकांक का अनुपात।

(iii) व्यापार की आय-स्थिति = $(NTT \times QIE)/100$

(vi) क्यूआईई = निर्यातकों का मात्रात्मक सूचकांक

सारणी 8.1(क) : समग्र विदेशी सहायता

(₹ करोड़)			
वर्ष	ऋण	अनुदान	जोड़ (2+3)
1	2	3	4
क. प्राधिकृत सहायता			
1984-85	4409.3	470.7	4880.0
1985-86	5337.0	313.4	5650.4
1986-87	5730.0	429.5	6159.5
1987-88	8203.1	1062.2	9265.3
1988-89	12855.6	214.2	13069.8
1989-90	10105.8	720.2	10826.0
1990-91	7601.3	522.1	8123.4
1991-92	11805.8	901.8	12707.6
1992-93	13082.1	1011.7	14093.8
1993-94	11618.8	2415.1	14033.9
1994-95	12384.3	1075.8	13460.1
1995-96	10833.2	1330.0	12163.2
1996-97	14208.8	2932.6	17141.4
1997-98	14865.0	2101.0	16966.0
1998-99	8320.8	209.8	8530.6
1999-2000	17703.7	2615.3	20319.0
2000-01	17184.1	940.6	18124.7
2001-02	21630.0	3465.0	25095.0
2002-03	19875.7	1296.1	21171.8
2003-04	14754.4	2350.7	17105.1
2004-05	22746.1	3071.1	25817.2
2005-06	17309.1	1628.8	18937.9
2006-07	28271.0	3518.9	31789.9
2007-08	28988.4	4294.4	33282.8
2008-09	28283.4	1242.5	29525.9
2009-10	48968.8	957.6	49926.4
2010-11	35895.1	1536.5	37431.6
2011-12	59035.3	1095.5	60130.8
2012-13	44059.4	1889.1	45948.4
2013-14 ^अ	52257.4	121.6	52378.9
ख. उपयोग			
1984-85	1962.2	397.2	2359.4
1985-86	2493.1	442.9	2936.0
1986-87	3175.7	429.3	3605.0
1987-88	4574.4	477.5	5051.9
1988-89	4738.6	565.8	5304.4
1989-90	5137.8	664.7	5802.5
1990-91	6170.0	534.3	6704.3
1991-92	10695.9	919.1	11615.0
1992-93	10102.2	879.6	10981.8
1993-94	10895.4	885.6	11781.0
1994-95	9964.5	916.0	10880.5
1995-96	9958.6	1063.6	11022.2
1996-97	10892.9	1085.6	11978.5
1997-98	10823.4	921.3	11744.7
1998-99	12343.4	895.5	13238.9
1999-2000	13330.7	1073.9	14404.6
2000-01	13527.1	727.2	14254.3
2001-02	16111.7	1447.6	17559.3
2002-03	13898.3	1835.8	15734.1
2003-04	15271.0	2073.4	17344.4
2004-05	14660.9	2490.7	17151.6
2005-06	16097.8	2790.6	18888.4
2006-07	16890.6	2528.4	19419.0
2007-08	17177.7	2673.7	19851.4
2008-09	24089.9	2803.8	26893.7
2009-10	27617.8	3121.2	30739.0
2010-11	35116.1	2789.5	37905.6
2011-12	29349.4	2926.2	32275.6
2012-13	25494.1	2373.6	27867.7
2013-14 ^अ	31775.1	3410.9	35186.0

स्रोत : सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

^अ : अनंतिम (31.03.2014 तक)

टिप्पणी : 1. प्रत्येक दाता द्वारा मुद्राओं के साथ रुपए की औसत विनिमय दर का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत सहायता के आंकड़े निकाले गए हैं।

2. उपयोग के आंकड़े सौदे की तारीख को लागू चालू दरों पर आधारित हैं।

3. प्राधिकृत सहायता और उपयोग के आंकड़ों में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों लेखों पर ऋण और अनुदान शामिल हैं।

4. पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

सारणी 8.1(ख) : समग्र विदेशी सहायता

(₹ करोड़)			
वर्ष	ऋण	अनुदान	जोड़ (2+3)
1	2	3	4
क. प्राधिकृत सहायता			
1984-85	3708.7	395.9	4104.6
1985-86	4362.1	256.2	4618.3
1986-87	4484.2	336.1	4820.3
1987-88	6326.7	819.2	7145.9
1988-89	8877.0	147.9	9024.9
1989-90	6069.9	432.6	6502.5
1990-91	4236.4	291.0	4527.4
1991-92	4766.0	364.1	5130.1
1992-93	4275.7	330.7	4606.4
1993-94	3717.5	772.7	4490.2
1994-95	3958.2	343.8	4302.0
1995-96	3249.8	399.0	3648.8
1996-97	4000.4	825.6	4826.0
1997-98	4006.8	566.3	4573.1
1998-99	1979.2	49.9	2029.1
1999-2000	4091.4	604.4	4695.8
2000-01	3769.3	206.3	3975.6
2001-02	4438.7	711.1	5149.8
2002-03	4183.5	244.4	4427.9
2003-04	3300.8	525.9	3826.7
2004-05	5212.2	703.7	5915.9
2005-06	3912.2	368.1	4280.4
2006-07	6209.8	773.0	6982.8
2007-08	7182.2	1064.0	8246.1
2008-09	6183.2	271.6	6454.9
2009-10	10318.0	201.8	10519.8
2010-11	7881.0	337.4	8218.3
2011-12	12343.4	229.1	12572.5
2012-13	8102.2	347.4	8449.6
2013-14 ^अ	8653.5	20.1	8673.6
ख. उपयोग			
1984-85	1650.4	334.1	1984.5
1985-86	2037.7	362.0	2399.7
1986-87	2485.3	336.0	2821.3
1987-88	3528.0	368.2	3896.2
1988-89	3272.1	390.7	3662.8
1989-90	3086.0	399.2	3485.2
1990-91	3438.7	297.8	3736.5
1991-92	4317.9	371.0	4688.9
1992-93	3301.8	287.5	3589.3
1993-94	3486.0	283.4	3769.4
1994-95	3184.8	292.7	3477.5
1995-96	2987.4	319.1	3306.4
1996-97	3066.8	305.6	3372.4
1997-98	2917.4	248.3	3165.7
1998-99	2936.0	213.0	3149.0
1999-00	3080.8	248.2	3329.0
2000-01	2967.2	159.5	3126.7
2001-02	3306.3	297.1	3603.4
2002-03	2946.6	386.6	3333.2
2003-04	3416.3	463.8	3880.1
2004-05	3359.5	570.7	3930.2
2005-06	3607.0	625.3	4232.3
2006-07	3918.0	586.5	4265.5
2007-08	4280.5	666.3	4946.8
2008-09	4769.3	555.1	5324.4
2009-10	6130.5	692.8	6823.3
2010-11	7866.5	624.9	8491.4
2011-12	6060.2	590.1	6650.3
2012-13	4688.5	437.3	5125.8
2013-14 ^अ	5235.5	560.1	5795.6

स्रोत : सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

^अ : अन्तिम (31.03.2014 तक)

टिप्पणी : 1. इस सारणी में आंकड़ों को संबंधित रुपया-अमरीकी डालर दर के आधार पर पूर्ववर्ती सारणी 8.1 (क) से रूपांतरित किया गया है।
2. पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएँ।

सारणी 8.2(क) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण

(₹ करोड़)								
सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. सहायता संघ के सदस्य							(a)	
(क) ऋण	11918.5	22206.9	19953.6	43501.0	28729.8	46401.4	37054.0	33818.5
(ख) अनुदान	923.0	3928.2	6.2	868.8	1185.1	230.2	813.0	118.5
जोड़	12841.5	26135.1	19959.8	44369.8	29914.8	46631.7	37867.0	33937.0
देशवार वितरण								
(i) आस्ट्रिया								
ऋण
(ii) बेल्जियम								
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(iii) कनाडा								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	20.6
जोड़	20.6
(iv) डेनमार्क								
अनुदान	15.6
(v) फ्रांस								
ऋण	823.1	769.8	1645.2
(vi) जर्मनी								
(क) ऋण	187.7	1034.8	762.3	2069.2	1504.0	2960.7	3240.2	810.5
(ख) अनुदान	5.5	60.4	12.0	...	38.5	...
जोड़	193.2	1034.8	762.3	2129.6	1516.0	2960.7	3278.7	810.5
(vii) इटली								
ऋण
(viii) जापान								
(क) ऋण	784.1	8247.3	10445.3	11151.4	2557.4	16186.2	23049.8	17199.8
(ख) अनुदान	2.2	7.5	41.9
जोड़	786.3	8247.3	10445.3	11158.9	2599.3	16186.2	23049.8	17199.8
(ix) नीदरलैंड								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	6.5
जोड़	6.5
(x) स्वीडन								
अनुदान
(xi) यूनाइटेड किंगडम								
अनुदान	474.7	3895.8	...	379.2	905.3	160.2	764.2	115.5
(xii) संयुक्त राज्य अमेरिका								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	0.8	156.6
जोड़	0.8	156.6
(xiii) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक								
(क) ऋण	6816.8	7777.9	3247.7	27684.3	8237.1	15250.5	2619.5	2361.2
(ख) अनुदान	391.7	9.5	3.6	421.7	60.6	70.1	10.3	3.0
जोड़	7208.5	7787.4	3251.3	28106.0	8297.7	15320.6	2629.8	2364.2
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ								
(क) ऋण	4129.9	5146.8	5498.4	2596.2	16431.2	11180.9	7374.7	11801.8
(ख) अनुदान	5.4	22.9	2.6	...	8.7
जोड़	4135.3	5169.7	5500.9	2596.2	16439.9	11180.9	7374.7	11801.8
II. रूसी परिसंघ और पूर्वी यूरोप के देश								
ऋण-देशवार वितरण								
(i) रूसी परिसंघ								
ऋण

(जारी....)

सारणी 8.2(क) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण (जारी...)

(₹ करोड़)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. अन्य								
(क) ऋण	5265.6	6781.5	8329.8	5467.8	7165.3	12633.9	7005.4	18438.9
(ख) अनुदान	17.6	366.2	1236.3	88.8	351.5	865.2	1076.0	3.1
जोड़	5283.2	7147.7	9566.1	5556.6	7516.8	13499.1	8081.4	18442.0
(i) स्विटजरलैंड								
अनुदान
(ii) यूरोपीय आर्थिक समुदाय								
अनुदान	1147.5	...	4.3	...	559.9	...
(iii) ओपेक निधि								
ऋण	137.2
(iv) विकास के लिए सउदी अरब निधि								
ऋण
(v) अरब आर्थिक विकास हेतु कुवैती निधि								
अनुदान
(vi) आईएफएडी (अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि)								
(क) ऋण	...	65.2	276.9	197.9	87.9	426.5	...	308.9
(ख) अनुदान	...	0.4	2.6	4.9
जोड़	...	65.6	279.5	202.8	87.9	426.5	...	308.9
(vii) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि								
ऋण
(viii) अंतरराष्ट्रीय शर्करा संगठन								
ऋण
(ix) एशियाई विकास बैंक								
(क) ऋण	5265.6	6716.3	7945.7	5269.9	7077.5	12207.4	7005.4	18130.0
(ख) अनुदान
जोड़	5265.6	6716.3	7945.7	5269.9	7077.5	12207.4	7005.4	18130.0
(x) स्पेन								
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(xi) नार्वे								
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(xii) आस्ट्रेलिया								
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(xiii) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं ^क								
अनुदान
जोड़	...	365.8	86.1	83.8	347.2	865.2	516.2	3.1
कुल जोड़	18124.7	33282.8	29525.9	49926.3	37431.6	60130.8	45948.4	52378.9
(क) ऋण	17184.1	28988.4	28283.4	48968.8	35895.1	59035.3	44059.4	52257.4
(ख) अनुदान	940.6	4294.4	1242.5	957.5	1536.5	1095.5	1889.0	121.6

स्रोत : सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

— शून्य या नगण्य अ: अनंतिम (31.03.2014 तक)

^क अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में यूएनडीपी, यूएनएफपीए, वैश्विक निधि, आईडीएफ (डब्ल्यूबी), यूएन-एफओ तथा यूपीयू (वैश्विक ढाक संघ) शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. विदेशी सहायता प्राधिकरण के आंकड़ों में सरकारी और गैर-सरकारी लेखों के सम्बन्ध में हस्ताक्षर किए गए समझौते शामिल हैं।

2. पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े मेल न खाएं।

सारणी 8.2(ख) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. सहायता संघ के सदस्य								
(क) ऋण	2614.3	5502.0	4362.2	9165.9	6307.8	9701.8	6814.0	5600.1
(ख) अनुदान	202.5	973.2	1.4	183.1	260.2	48.1	149.5	19.6
जोड़	2816.8	6475.2	4363.6	9349.0	6568.0	9749.9	6963.5	5619.7
देशवार वितरण								
(i) आस्ट्रिया								
ऋण
(ii) बेल्जियम								
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(iii) कनाडा								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	20.6
जोड़	20.6
(iv) डेनमार्क								
अनुदान	15.6
(v) फ्रांस								
ऋण	172.1	141.6	272.4
(vi) जर्मनी								
(क) ऋण	187.7	256.4	166.7	436.0	330.2	619.0	595.9	134.2
(ख) अनुदान	5.5	12.7	2.6	...	7.1	...
जोड़	193.2	256.4	166.7	448.7	332.8	619.0	602.9	134.2
(vii) इटली								
ऋण
(viii) जापान								
(क) ऋण	784.1	2043.4	2283.5	2349.7	561.5	3384.3	4238.7	2848.2
(ख) अनुदान	2.2	1.6	9.2
जोड़	786.3	2043.4	2283.5	2351.2	570.7	3384.3	4238.7	2848.2
(ix) नीदरलैंड								
(क) ऋण	1.6
(ख) अनुदान	6.5
जोड़	6.5	1.6
(x) स्वीडन								
अनुदान
(xi) यूनाइटेड किंगडम								
अनुदान	474.7	965.2	...	79.9	198.8	33.5	140.5	19.1
(xii) संयुक्त राज्य अमेरिका								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	0.2	34.4
जोड़	0.2	34.4
(xiii) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक								
(क) ऋण	1495.3	1927.1	710.0	5833.2	1808.5	3188.7	481.7	391.0
(ख) अनुदान	85.9	2.4	0.8	88.9	13.3	14.7	1.9	0.5
जोड़	1581.2	1929.4	710.8	5922.1	1821.8	3203.3	483.6	391.5
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ								
(क) ऋण	905.9	1275.2	1202.0	547.0	3607.6	2337.7	1356.2	1954.3
(ख) अनुदान	1.2	5.7	0.6	...	1.9
जोड़	907.1	1280.9	1202.6	547.0	3609.5	2337.7	1356.2	1954.3
II. रूसी परिसंघ और पूर्वी यूरोप के देश								
ऋण-देशवार वितरण								
(i) रूसी परिसंघ								
ऋण

(जारी....)

सारणी 8.2(ख) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण (जारी...)

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. अन्य								
(क) ऋण	1155.0	1680.2	1821.0	1152.1	1573.2	2641.6	1288.2	3053.4
(ख) अनुदान	3.9	90.7	270.3	18.7	77.2	180.9	197.9	0.5
जोड़	1158.9	1770.9	2091.3	1170.8	1650.4	2822.5	1486.1	3053.9
(i) स्विटजरलैंड								
अनुदान
(ii) यूरोपीय आर्थिक समुदाय								
अनुदान	250.9	...	0.9	...	103.0	...
(iii) ओपेक निधि								
ऋण	30.0
(iv) विकास के लिए सउदी अरब निधि								
ऋण
(v) अरब आर्थिक विकास								
हेतु कुवैती निधि								
अनुदान
(vi) आईएफएडी								
(अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि)								
(क) ऋण	...	16.2	60.5	41.7	19.3	89.2	...	51.2
(ख) अनुदान	...	0.1	0.6	1.0
जोड़	...	16.3	61.1	42.7	19.3	89.2	...	51.2
(vii) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि								
ऋण
(viii) अंतरराष्ट्रीय शर्करा संगठन								
ऋण
(ix) एशियाई विकास बैंक								
(क) ऋण	1155.0	1664.0	1730.5	1110.4	1553.9	2552.4	1288.2	3002.2
(ख) अनुदान
जोड़	1155.0	1664.0	1730.5	1110.4	1553.9	2552.4	1288.2	3002.2
(x) स्पेन								
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(xi) नार्वे								
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(xii) आस्ट्रेलिया								
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(xiii) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं ^क								
अनुदान	...	90.6	18.8	17.7	76.2	180.9	94.9	0.5
कुल जोड़	3975.6	8246.2	6454.8	10519.8	8218.4	12572.4	8449.6	8673.6
(क) ऋण	3769.3	7182.2	6183.2	10318.0	7881.0	12343.4	8102.2	8653.5
(ख) अनुदान	206.3	1064.0	271.6	201.8	337.4	229.1	347.4	20.1

स्रोत : सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

— शून्य या नगण्य अ: अनंतिम (31.03.2014 तक)

^क अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में यूएनडीपी, यूएनएफपीए, वैश्विक निधि, आईडीएफ (डब्ल्यूबी), यूएन-एफएओ तथा यूपीयू (वैश्विक ढाक संघ) शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. विदेशी सहायता प्राधिकरण के आंकड़ों में सरकारी और गैर-सरकारी लेखों के सम्बन्ध में हस्ताक्षर किए गए समझौते शामिल हैं।

2. पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े मेल न खाएं।

सारणी 8.3(क) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग

(₹ करोड़)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. सहायता संघ के सदस्य								
(क) ऋण	11168.6	12256.6	16845.3	21001.5	27286.3	22821.8	18417.1	25175.6
(ख) अनुदान	634.0	1797.7	1883.8	1819.5	2018.5	1916.7	1560.1	1043.4
जोड़	11802.6	14054.2	18729.1	22821.0	29304.8	24738.5	19977.3	26219.0
देशवार वितरण								
(i) आस्ट्रिया								
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(ii) बेल्जियम								
ऋण
(iii) कनाडा								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	2.9
जोड़	2.9
(iv) डेनमार्क								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	49.5	-2.0
जोड़	49.5	-2.0
(v) फ्रांस								
(क) ऋण	65.2	0.1	22.8	16.0	921.7
(ख) अनुदान
जोड़	65.2	0.1	22.8	16.0	921.7
(vi) जर्मनी								
(क) ऋण	318.9	146.2	844.5	486.4	1076.9	2043.1	1379.9	3122.0
(ख) अनुदान	67.8	99.0	98.6	78.0	276.2	99.4	62.1	65.6
जोड़	386.7	245.2	943.1	564.4	1353.1	2142.5	1442.0	3187.6
(vii) इटली								
ऋण	1.9
(viii) जापान								
(क) ऋण	2714.0	3471.4	5861.5	6553.4	6582.2	8474.8	7260.0	8750.5
(ख) अनुदान	15.8	6.6	...	2.6	1.5	43.5	...	4.4
जोड़	2729.8	3478.0	5861.5	6556.0	6583.7	8518.3	7260.0	8754.9
(ix) नीदरलैंड								
(क) ऋण	49.5
(ख) अनुदान	70.3	-1.2
जोड़	70.3	-1.2
(x) स्वीडन								
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(xi) यूनाइटेड किंगडम								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	307.3	1599.3	1710.0	1707.4	1682.2	1689.4	1293.4	855.0
जोड़	307.3	1599.3	1710.0	1707.4	1682.2	1689.4	1293.4	855.0
(xii) संयुक्त राज्य अमेरिका								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	81.1	64.1	57.2	14.2	30.6	55.1	23.6	43.4
जोड़	81.1	64.1	57.2	14.2	30.6	55.1	23.6	43.4
(xiii) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक								
(क) ऋण	3222.4	4391.0	4076.0	7472.1	14533.4	4861.9	4894.8	5630.9
(ख) अनुदान	24.5	23.1	5.7	11.8	24.1	27.2	180.6	73.8
जोड़	3246.9	4414.1	4081.7	7483.8	14557.5	4889.0	5075.4	5704.7
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ								
(क) ऋण	4848.1	3263.1	5164.1	5566.6	4873.3	7406.1	4840.1	6742.3
(ख) अनुदान	14.8	8.7	12.3	5.6	3.9	2.2	0.5	1.2
जोड़	4862.9	3271.8	5176.4	5572.2	4877.2	7408.2	4840.6	6743.5
(xv) आईएफएडी (अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि)								
(क) ऋण	40.1	68.3	38.5	64.4	99.1	142.6	140.7	210.3
(ख) अनुदान	...	29.9	10.6	14.1	0.3	5.5	-0.8	3.5
जोड़	40.1	98.2	49.0	78.5	99.4	148.1	140.0	213.8
(xvi) आई एम एफ ट्रस्ट निधि								

(जारी...)

सारणी 8.3(क) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग (जारी...)

(₹ करोड़)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. रूसी परिसंघ और पूर्वी यूरोप के देश								
ऋण	130.1	984.9	874.5	923.0	220.5	35.9	26.4	8.2
देशवार वितरण								
(i) रूसी परिसंघ								
ऋण	130.1	984.9	874.5	923.0	220.5	35.9	26.4	8.2
(ii) चेक तथा स्लोवाक गणराज्य								
ऋण
III. अन्य								
(क) ऋण	2228.5	4921.2	7244.5	6616.2	7829.8	6527.6	7076.9	6599.4
(ख) अनुदान	93.2	876.0	920.1	1301.7	771.0	1009.5	813.5	2367.5
जोड़	2321.7	5797.2	8164.6	7918.0	8600.8	7537.1	7890.5	8967.0
देशवार वितरण								
(i) आबूधाबी निधि								
ऋण
(ii) स्विट्जरलैंड								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	-0.5
जोड़	-0.5
(iii) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं ^क								
अनुदान	50.0	557.11	583.0	889.7	501.7	795.9	710.2	1741.7
(iv) यूरोपीय आर्थिक समुदाय								
अनुदान	36.3	131.76	239.6	316.0	269.0	208.1	104.0	622.4
(v) तेल उत्पादक और निर्यातक देश								
ऋण	41.5	...	13.3	17.6	1.0	15.5	20.8	7.9
(vi) सउदी अरब विकास निधि								
ऋण
(vii) नार्वे								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	6.9
जोड़	6.9
(viii) स्पेन								
ऋण
(ix) अरब आर्थिक विकास								
हेतु कुवैती निधि								
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(x) एशियाई विकास बैंक								
(क) ऋण	2146.9	4836.0	7192.8	6534.3	7729.8	6369.5	6915.4	6381.2
(ख) अनुदान	...	157.1	87.4	81.9
जोड़	2146.9	4993.1	7280.2	6616.2	7729.8	6369.5	6915.4	6381.2
(xi) आस्ट्रेलिया								
ऋण
कुल जोड़	14254.3	19851.4	26893.7	30739.0	37905.6	32275.6	27867.7	35186.0
(क) ऋण	13527.1	17177.7	24089.9	27617.8	35116.1	29349.4	25494.1	31775.1
(ख) अनुदान	727.2	2673.7	2803.8	3121.2	2789.5	2926.2	2373.7	3410.9

स्रोत : सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

— शून्य या नगण्य अ: अर्न्तलिम (31.03.2014 तक)

क अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में यूनीसेफ, यू.एन.डी.पी., आई.एल.ओ., डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एन-एफ.पी.ए. यूनेस्को, यूपीयू, डब्ल्यूएफपी, वैश्विक निधि, आई.डी.एफ. (डब्ल्यू.बी.) यून-एफएओ और फोर्ड फाउन्डेशन शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. उपयोग आंकड़ों में आपूर्तिकर्ता ऋण और वाणिज्यिक उधार शामिल नहीं हैं।
 2. सहायता का उपयोग सरकारी और गैर-सरकारी लेखों पर है।
 3. प्राधिकरण के आंकड़ों में सरकारी और गैर-सरकारी लेखों पर हस्ताक्षरित करार शामिल हैं।
 4. पूर्णांकन होने के कारण संभवतः आंकड़े मेल न खाएं।

सारणी 8.3(ख) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. सहायता संघ के सदस्य								
(क) ऋण	2449.8	3054.2	3335.1	4661.8	6112.5	4689.6	3383.9	4150.0
(ख) अनुदान	139.1	448.0	373.0	403.9	452.2	383.6	286.8	170.3
जोड़	2588.9	3502.2	3708.0	5065.7	6564.7	5073.2	3670.6	4320.2
देशवार वितरण								
(i) आस्ट्रिया								
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(ii) बेल्जियम								
ऋण
(iii) कनाडा								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	0.6
जोड़	0.6
(iv) डेनमार्क								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	10.9	-0.5
जोड़	10.9	-0.5
(v) फ्रांस								
(क) ऋण	14.3	...	4.5	3.0	154.5
(ख) अनुदान
जोड़	14.3	...	4.5	3.0	154.5
(vi) जर्मनी								
(क) ऋण	70.0	36.4	167.2	108.0	241.2	411.0	259.8	513.3
(ख) अनुदान	14.9	24.7	19.5	17.3	61.9	21.2	11.4	10.7
जोड़	84.9	61.1	186.7	125.3	303.1	432.2	271.2	524.1
(vii) इटली								
ऋण	0.4
(viii) जापान								
(क) ऋण	595.3	865.0	1160.5	1454.7	1474.5	1744.9	1332.3	1435.9
(ख) अनुदान	3.5	1.7	...	0.6	0.3	8.8	...	0.7
जोड़	598.8	866.7	1160.5	1455.3	1474.8	1753.7	1332.3	1436.6
(ix) नीदरलैंड								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	15.4	-0.3
जोड़	15.4	-0.3
(x) स्वीडन								
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(xi) यूनाइटेड किंगडम								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	67.4	398.5	338.5	379.0	376.8	335.1	238.1	138.5
जोड़	67.4	398.5	338.5	379.0	376.8	335.1	238.1	138.5
(xii) संयुक्त राज्य अमेरिका								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	17.8	16.0	11.3	3.1	6.8	12.3	4.4	7.8
जोड़	17.8	16.0	11.3	3.1	6.8	12.3	4.4	7.8
(xiii) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक								
(क) ऋण	706.8	1094.2	807.0	1658.6	3255.7	991.6	900.2	932.3
(ख) अनुदान	5.4	5.8	1.1	2.6	5.4	5.7	32.8	12.4
जोड़	712.2	1100.0	808.1	1661.2	3261.1	997.3	933.0	944.7
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ								
(क) ऋण	1063.4	813.1	1022.4	1235.6	1091.7	1534.7	883.8	1112.5
(ख) अनुदान	3.2	2.2	2.4	1.3	0.9	0.5	0.1	0.2
जोड़	1065.6	815.3	1024.8	1236.9	1092.6	1535.1	883.9	1112.7
(xv) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि								
(क) ऋण	8.8	17.0	7.6	14.3	22.2	30.6	26.0	35.2
(ख) अनुदान	...	7.5	2.1	3.1	0.1	1.2	-0.1	0.5
जोड़	8.8	24.5	9.7	17.4	22.3	31.8	25.8	35.7
(xvi) आई एम एफ ट्रस्ट निधि								

(जारी...)

सारणी 8.3(ख) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग (जारी...)

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. रूसी परिसंघ और पूर्वी यूरोप के देश								
ऋण	28.5	245.4	173.1	204.9	49.4	7.4	4.8	1.4
देशवार वितरण								
(i) रूसी परिसंघ								
ऋण	28.5	245.4	173.1	204.9	49.4	7.4	4.8	1.4
(ii) चेक तथा स्लोवाक गणराज्य								
ऋण
III. अन्य								
(क) ऋण	488.8	1226.3	1434.3	1468.6	1754.0	1370.7	1304.7	1085.6
(ख) अनुदान	20.4	218.3	182.2	289.0	172.7	206.5	150.5	389.9
जोड़	509.2	1444.6	1616.4	1757.6	1926.7	1577.2	1455.2	1475.4
देशवार वितरण								
(i) आबूधाबी निधि								
ऋण
(ii) स्विट्जरलैंड								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	-0.1
जोड़	-0.1
(iii) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं ^क								
अनुदान	11.0	138.8	115.4	197.5	112.4	157.9	131.4	285.3
(iv) यूरोपीय आर्थिक समुदाय								
अनुदान	8.0	32.8	47.4	70.1	60.3	47.5	19.3	104.0
(v) तेल उत्पादक और निर्यातक देश								
ऋण	9.1	...	2.6	3.9	0.2	3.3	3.8	1.4
(vi) सउदी अरब विकास निधि								
ऋण
(vii) नार्वे								
(क) ऋण
(ख) अनुदान	1.5
जोड़	1.5
(viii) स्पेन								
ऋण
(ix) अरब आर्थिक विकास हेतु कुवैती निधि								
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(x) एशियाई विकास बैंक								
(क) ऋण	470.9	1205.1	1424.0	1450.4	1731.6	1336.8	1274.9	1049.0
(ख) अनुदान	...	39.2	17.3	18.2
जोड़	470.9	1244.2	1441.3	1468.6	1731.6	1336.8	1274.9	1049.0
(xi) आस्ट्रेलिया								
ऋण
कुल जोड़	3126.7	4946.8	5324.4	6823.3	8491.4	6650.3	5125.8	5795.6
(क) ऋण	2967.2	4280.5	4769.3	6130.5	7866.5	6060.2	4688.5	5235.5
(ख) अनुदान	159.5	666.3	555.1	692.8	624.9	590.1	437.3	560.1

स्रोत : सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

— शून्य अथवा नगण्य अ : अनंतिम (31.03.2014 तक)

क अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में यूनीसेफ, यू.एन.डी.पी., आई.एल.ओ., डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एन.एफ.पी.ए. यूनेस्को, यूपीयू., डब्ल्यूएफपी, वैश्विक निधि, आई.डी.एफ. (डब्ल्यू.बी.) यूएन-एफएओ और फोर्ड फाउंडेशन शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. इस सारणी के आंकड़ों को संबंधित रुपये-अमरीकी डालर दरों पर आधारित पूर्ववर्ती सारणी 8.3 (क) से परिवर्तित किया गया है।

2. पूर्णांकन होने के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

सारणी 8.4(ख) : भारत का वकाया विदेशी ऋण

विदेशी ऋण के संघटक		मार्ग के अन्त की स्थिति											दिसं-अंत		(₹ करोड़)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2011	2012	2013 अ.सं.	2013 त्.अ.
I. बहुपक्षीय		131,105	138,897	145,503	154,053	157,901	201,425	193,436	216,672	257,089	279,284	326,035				
क. सरकारी उधार		120,073	127,782	133,800	141,746	144,627	181,997	170,722	190,326	222,579	235,670	273,872				
(i) रियायती		101,490	105,114	105,852	108,448	107,395	127,771	116,046	120,653	138,691	143,130	166,209				
(क) आई. डी. ए.		100,065	103,671	104,457	107,019	105,947	126,127	114,552	119,068	136,816	141,119	163,748				
(ख) अन्य		1,425	1,443	1,395	1,429	1,448	1,644	1,494	1,585	1,875	2,011	2,461				
(ii) गैर-रियायती		18,583	22,668	27,948	33,298	37,232	54,226	54,676	69,673	83,888	92,540	107,663				
(क) आई. बी. आर. डी.		14,074	16,500	19,626	21,864	22,631	29,948	28,874	39,218	45,328	48,239	55,162				
(ख) अन्य		4,509	6,168	8,322	11,434	14,601	24,278	25,802	30,455	38,560	44,301	52,501				
ख. गैर-सरकारी उधार		11,032	11,115	11,703	12,307	13,274	19,428	22,714	26,346	34,510	43,614	52,163				
i) रियायती		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ii) गैर-रियायती		11,032	11,115	11,703	12,307	13,274	19,428	22,714	26,346	34,510	43,614	52,163				
क. सरकारी क्षेत्र		7,916	8,000	8,510	9,315	10,352	14,298	14,919	15,802	19,407	23,416	27,811				
i) आई. बी. आर. डी.		4,402	4,462	4,594	4,550	4,690	7,105	8,544	9,193	11,092	12,749	14,387				
ii) अन्य		3,514	3,538	3,916	4,765	5,662	7,193	6,375	6,609	8,315	10,667	13,424				
ख. वित्तीय संस्थाएं		2,902	2,789	2,628	2,414	2,350	3,721	5,385	7,511	10,290	14,341	18,006				
i) आई. बी. आर. डी.		381	252	630	655	593	744	1,343	1,899	2,707	2,973	3,601				
ii) अन्य		2,521	2,537	1,998	1,759	1,757	2,977	4,042	5,612	7,583	11,368	14,405				
ग. निजी क्षेत्र		214	326	565	578	572	1,409	2,410	3,033	4,813	5,857	6,346				
i) आई. बी. आर. डी.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ii) अन्य		214	326	565	578	572	1,409	2,410	3,033	4,813	5,857	6,346				
II. द्विपक्षीय		77,084	74,530	70,302	70,034	78,802	104,997	101,976	114,904	137,086	136,412	148,802				
क. सरकारी उधार		58,121	57,458	54,593	53,810	59,391	74,662	71,584	80,406	91,641	88,007	95,602				
i) रियायती		57,742	57,207	54,468	53,810	59,391	74,662	71,584	80,406	91,641	88,007	95,602				
ii) गैर-रियायती		379	251	125	0	0	0	0	0	0	0	0				
ख. गैर-सरकारी उधार		18,963	17,072	15,709	16,224	19,411	30,335	30,392	34,498	45,445	48,405	53,200				
i) रियायती		8,876	7,471	6,949	1,727	1,737	3,262	3,169	4,101	7,648	8,436	9,966				
(क) सरकारी क्षेत्र		5,759	5,653	5,285	1,241	1,226	1,156	1,121	1,621	4,963	5,916	7,379				
(ख) वित्तीय संस्थाएं		3,117	1,818	1,664	486	511	2,106	2,048	2,480	2,685	2,520	2,587				
(ग) निजी क्षेत्र		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ii) गैर-रियायती		10,087	9,601	8,760	14,497	17,674	27,073	27,223	30,397	37,797	39,969	43,234				
(क) सरकारी क्षेत्र		4,851	4,353	3,628	7,420	10,097	15,076	13,845	13,789	14,200	13,010	13,871				
(ख) वित्तीय संस्थाएं		3,119	2,847	2,386	3,249	3,735	4,311	3,436	3,754	3,886	4,207	4,447				
(ग) निजी क्षेत्र		2,117	2,401	2,746	3,249	3,842	7,686	9,942	12,854	19,711	22,752	24,916				
III. आई.एम.एफ.क		4,381	4,503	4,378	4,484	4,479	5,188	27,264	28,163	31,528	32,439	37,986				
IV. निर्यात ऋण		20,553	21,976	24,175	31,237	41,296	73,772	76,011	83,112	97,117	96,553	101,210				
क) क्रेता ऋण		11,061	13,040	16,088	23,617	33,134	64,046	66,849	73,273	85,896	84,664	87,913				
ख) आपूर्तिकर्ता ऋण		4,471	3,961	3,351	2,941	2,998	3,234	2,937	2,847	3,252	4,236	4,584				
ग) द्विपक्षीय ऋण का निर्यात ऋण संघटक		5,021	4,975	4,736	4,679	5,164	6,492	6,225	6,992	7,969	7,653	8,313				
(जारी....)																

सारणी 8.4(ख) : भारत का वकामा विदेशी ऋण (जारी...)

विदेशी ऋण के संघटक		मार्च के अन्त की स्थिति											(₹ करोड़)	
1	2	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 अ.सं.	2013 त्.अ.		
V. वाणिज्यिक उधार		95,611	115,533	117,991	180,669	249,243	318,209	319,221	448,448	614,623	737,750	831,063		
क) वाणिज्यिक बैंक ऋण ^ख		50,346	62,896	73,508	107,145	160,577	219,925	202,350	261,678	373,194	454,431	560,508		
ख) प्रतिभूतित उधार ^ग		41,567	48,992	41,112	68,020	82,641	91,286	113,177	183,504	238,849	281,575	268,723		
ग) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारण्टी-आई.एफ.सी. (डब्ल्यू)		3,698	3,645	3,371	5,504	6,025	6,998	3,694	3,266	2,580	1,744	1,832		
VI. एन.आर.आई.^घ		135,618	143,267	161,834	179,786	174,623	210,118	217,062	230,812	299,840	385,202	612,151		
(1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली)														
VII. रूपा ऋण^च		11,856	10,071	9,184	8,508	8,065	7,760	7,480	7,147	6,922	6,839	8,785		
(क) रक्षा		10,539	8,887	8,112	7,533	7,172	6,935	6,709	6,416	6,220	6,164	8,138		
(ख) असेनिक		1,317	1,184	1,072	975	893	825	771	731	702	675	647		
VIII. कुल दीर्घकालिक ऋण (1 से VII)		476,208	508,777	533,367	628,771	714,409	921,469	942,450	1,129,258	1,444,205	1,674,479	2,066,032		
IX. अल्पवधि ऋण		19,251	77,528	87,155	122,631	182,881	220,656	236,188	290,149	399,962	525,931	573,824		
(क) एन.आर.आई जमाशियाँ		1,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(ख) व्यापार से सम्बद्ध जमा राशियाँ		17,930	71,173	86,531	113,256	167,540	203,345	214,267	261,006	333,202	472,026	533,655		
1) 6 महीने से अधिक			32,922	38,788	52,188	91,502	118,936	126,391	157,806	200,454	321,010	365,928		
2) 6 महीने तक		0	38,251	47,743	61,068	76,038	84,409	87,876	103,200	132,748	151,016	167,727		
(ग) सरकारी राजकोषीय ऋणों और अन्य लिखतों में एफ.आई.आई. निवेश		0	6,355	624	1,732	2,603	10,522	15,153	24,214	48,066	29,671	8,669		
(घ) विदेशी कर्तव्य बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा		0	0	0	712	620	534	467	225	326	447	582		
(ङ) राजकोषीय ऋणों में निवेश		0	0	0	6,931	12,118	6,255	6,301	4,704	18,368	23,787	30,918		
(1) कर्तव्य बैंक		0	0	0	2,185	4,458	3,892	3,139	603	871	985	823		
(2) वाणिज्यिक बैंक		0	0	0	4,746	7,660	2,363	3,162	4,011	17,497	22,802	30,095		
X. कुल जोड़ (VIII + IX)		495,459	586,305	620,522	751,402	897,290	1,142,125	1,178,638	1,419,407	1,844,167	2,200,410	2,639,856		

स्रोत : वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), रक्षा मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड।

सं. : संशोधित अं. सं. : अंशतः संशोधित त्. : त्वंति अनुमान

आई.एफ.सी. (डब्ल्यू) : अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन डी.सी.)।

क. मार्च 2004 से एसडीआर आवंटनों से संबंधित।

ख. इसमें 1996 से वित्तीय लीज शामिल है।

ग. इसमें इंडिया डेवलपमेंट बैंक (आई.डी.बी.), रिसर्च एंड इंडिया बैंक (आर.आई.बी.), इण्डिया मिलेनियम डेवलपमेंट बैंक (आईएमडी) तथा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बैंड (एफ सी सी बी) और 100 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेश ऋण निधियों द्वारा निवल निवेश भी शामिल है।

घ. इन ऑकड़ों में उपाजित व्याज शामिल है।

ङ. इस योजना को जुलाई 1993 से बंद कर दिया गया था।

च. रूस से लिया गया एवं नियातों के माध्यम से भुगतान किया जाने वाला रुपया मूल्यवर्तित ऋण।

छ. बैंक की स्वीकृति सुविधा के तहत विशेष अल्पवधि ऋण शामिल हैं।

टिप्पणी : एन.आर.ओ. जमाशियाँ को जून 2005 को समाप्त तिमाही से एन.आर.आई. जमाशियाँ के तहत शामिल किया गया है। वाणिज्यिक बैंकों के बोस्को शेयर/नोस्ट्रो ओवरड्राफ्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी केन्द्रीय बैंकों/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राजकोषीय ऋणों/प्रतिभूतियों में निवेश को मार्च, 2007 में समाप्त तिमाही से विदेशी ऋण में शामिल किया गया है।

एफ.आई.आई. : विदेशी संस्थागत निवेशक

एफ.सी. (बी.एंड.ओ.) जमाशियाँ : विदेशी मुद्रा (बैंक एवं अन्य) जमाशियाँ।

सारणी 8.4(ख) : भारत का वकाया विदेशी ऋण

विदेशी ऋण के संघटक		(मिलियन अमरीकी डालर)											
		(दिस. अंत)											
1	2	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 अ.सं.	2013 त्व.अ.	13
I. बहुपक्षीय													
क. सरकारी उधार		29,297	31,744	32,620	35,337	39,490	39,538	42,857	48,475	59,452	51,584	52,519	
(i) रियायती		26,826	29,204	29,996	32,514	36,171	35,724	37,825	42,579	43,686	43,539	44,109	
(क) आई. डी. ए.		22,674	24,023	23,731	24,876	26,859	25,080	25,711	26,992	27,221	26,443	26,769	
(ख) अन्य		22,356	23,693	23,418	24,548	26,497	24,757	25,380	26,637	26,853	26,071	26,373	
(ii) गैर-रियायती		318	330	313	328	362	323	331	355	368	372	396	
(क) आई. बी. आर. डी.		4,152	5,181	6,265	7,638	9,312	10,644	12,114	15,587	16,465	17,096	17,340	
(ख) अन्य		3,144	3,771	4,400	5,015	5,660	5,878	6,397	8,774	8,897	8,912	8,884	
ख. गैर-सरकारी उधार		1,008	1,410	1,865	2,623	3,652	4,766	5,717	6,813	7,568	8,184	8,456	
(i) रियायती		2,471	2,540	2,624	2,823	3,319	3,814	5,032	5,896	6,766	8,045	8,410	
(ii) गैर-रियायती		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
क. सरकारी क्षेत्र		2,471	2,540	2,624	2,823	3,319	3,814	5,032	5,896	6,766	8,045	8,410	
(i) आई. बी. आर. डी.		1,770	1,828	1,908	2,136	2,589	2,807	3,305	3,536	3,808	4,324	4,480	
(ii) अन्य		984	1,020	1,030	1,043	1,173	1,395	1,893	2,057	2,177	2,355	2,377	
ख. वित्तीय संस्थाएं		786	808	878	1,093	1,416	1,412	1,412	1,479	1,631	1,969	2,163	
(i) आई. बी. आर. डी.		651	637	589	554	587	730	1,193	1,681	2,017	2,644	2,905	
(ii) अन्य		85	58	141	150	148	146	298	425	531	549	580	
ग. निजी क्षेत्र		566	579	448	404	439	584	895	1,256	1,486	2,095	2,325	
(i) आई. बी. आर. डी.		50	75	127	133	143	277	534	679	941	1,077	1,025	
(ii) अन्य		50	75	127	133	143	277	534	679	941	1,077	1,025	
II. द्विपक्षीय													
क. सरकारी उधार		17,277	17,034	15,761	16,065	19,708	20,610	22,593	25,712	26,884	25,173	23,983	
(i) रियायती		12,987	13,132	12,239	12,344	14,853	14,655	15,860	17,988	17,987	16,259	15,398	
(ii) गैर-रियायती		12,900	13,074	12,211	12,344	14,853	14,655	15,860	17,988	17,987	16,259	15,398	
ख. गैर-सरकारी उधार		87	58	28	0	0	0	0	0	0	0	0	
(i) रियायती		4,290	3,902	3,522	3,721	4,855	5,955	6,733	7,724	8,897	8,914	8,585	
(क) सरकारी क्षेत्र		1,983	1,708	1,558	396	435	641	702	918	1,501	1,558	1,605	
(ख) वित्तीय संस्थाएं		1,287	1,292	1,185	285	307	227	248	363	974	1,093	1,188	
(ग) निजी क्षेत्र		696	416	373	III	128	414	454	555	527	465	47	
(ii) गैर-रियायती		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(क) सरकारी क्षेत्र		2,307	2,194	1,964	3,325	4,420	5,314	6,031	6,806	7,396	7,356	6,980	
(ख) वित्तीय संस्थाएं		1,110	995	813	1,702	2,525	2,959	3,072	3,087	2,781	2,397	2,238	
(ग) निजी क्षेत्र		710	650	535	878	934	846	761	840	762	776	717	
आई. एस. एफ. के		487	549	616	745	961	1,509	2,198	2,879	3,853	4,183	4,025	
क. क्रेता ऋण		1,008	1,029	981	1,029	1,120	1,018	6,041	6,308	6,163	5,964	6,127	
ख. प्रतिभूतिकृत उधार		4,697	5,022	5,420	7,165	10,328	14,481	16,841	18,647	18,990	17,759	16,347	
ग. द्विपक्षीय ऋण का निर्यात		2,546	2,980	3,607	5,417	8,287	12,572	14,811	16,437	16,790	15,566	14,203	
ऋण संघटक		1,029	905	751	675	750	635	651	646	636	779	805	
वाणिज्यिक उधार		1,122	1,137	1,062	1,073	1,291	1,274	1,379	1,564	1,564	1,414	1,339	
क) वाणिज्यिक बैंक ऋण		22,007	26,405	26,452	41,443	62,334	62,461	70,726	100,476	120,136	135,643	134,229	
ख) प्रतिभूतिकृत उधार		11,588	14,375	16,479	24,577	40,159	43,169	44,832	58,643	72,946	83,552	90,555	
ग) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारण्टी + आई. एफ. सी. (डब्ल्यू) सहित ऋण/प्रतिभूतिकृत उधार आदि		9,568	11,197	9,217	15,603	20,668	17,918	25,075	41,100	46,686	51,770	43,378	
		851	833	756	1,263	1,507	1,374	819	733	504	321	296	

(जारी....)

सारणी 8.4(ख) : भारत का बकाया विदेशी ऋण (जारी...)

(मिलियन अमरीकी डालर)

विदेशी ऋण के संघटक	मार्च अंत											(दिस. अंत)		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 अ.सं.	2013	12	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13
VII. एन.आर.आई. जमा राशियाँ ^अ (1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली)	31,216	32,743	36,282	41,240	43,672	41,554	47,890	51,682	58,608	70,822	98,639			
VIII. स्वयं ऋण ^ब (क) रक्षा	2,720	2,302	2,059	1,951	2,017	1,523	1,658	1,601	1,354	1,258	1,419			
(ख) असैनिक	2,426	2,031	1,819	1,728	1,794	1,361	1,487	1,437	1,216	1,133	1,315			
(ख) असैनिक	294	271	240	223	223	162	171	164	138	125	104			
VIII. कुल दीर्घकालिक ऋण (1 से VII)	108,222	116,279	119,575	144,230	178,669	181,185	208,606	252,901	282,587	308,203	333,263			
IX. अल्पावधि ऋण	4,431	17,723	19,539	28,130	45,738	43,313	52,329	64,990	78,179	96,697	92,707			
(क) एन.आर.आई. जमा राशियाँ ^अ (एक वर्ष तक की परिपक्वता) ^ब	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(ख) व्यापार से सम्बद्ध जमा राशियाँ	4,127	16,271	19,399	25,979	41,901	39,915	47,473	58,463	65,130	86,787	86,217			
1) 6 महीने से अधिक	4,127	7,529	8,696	11,971	22,884	23,346	28,003	35,347	39,182	59,021	59,119			
2) 6 महीने तक	0	8,742	10,703	14,008	19,017	16,569	19,470	23,116	25,948	27,766	27,098			
(ग) सरकारी राजकोषीय ऋणों और अन्य लिखतों में एफ.आई.आई. निवेश	0	1,452	140	397	651	2,065	3,357	5,424	9,395	5,455	1,401			
(घ) विदेशी कर्जा बैंकों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा	0	0	0	164	155	105	103	50	64	82	94			
द्वारा राजकोषीय ऋणों में निवेश	0	0	0	1,590	3,031	1,228	1,396	1,053	3,590	4,373	4,995			
(ड) निम्न की विदेशी ऋण देयदारियाँ:	0	0	0	501	1,115	764	695	155	170	181	133			
1) कर्जा बैंक	0	0	0	1,089	1,916	464	701	898	3,420	4,192	4,862			
2) वाणिज्यिक बैंक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
X. कुल जोड़ (VIII + IX)	112,653	134,002	139,114	172,360	224,407	224,498	260,935	317,891	360,766	404,900	425,970			
ज्ञापन में:														
रियायती ऋण ^ब	40,277	41,107	39,559	39,567	44,164	41,899	43,931	47,499	48,063	45,518	45,191			
कुल विदेशी ऋण में	35.8	30.7	28.4	23.0	19.7	18.7	16.8	14.9	13.3	11.2	10.6			
रियायती ऋण (प्रतिशत)	4.431	17.723	19.539	28.130	45.738	43.313	52.329	64.990	78.179	96.697	92.707			
अल्पावधि ऋण														
कुल विदेशी ऋण में														
अल्पावधि ऋण (प्रतिशत)	3.9	13.2	14.0	16.3	20.4	19.3	20.1	20.4	21.7	23.9	21.8			

स्रोत : वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), रक्षा मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड।

सं. : संशोधित अं. सं. - अंशतः संशोधित

आई.एफ.सी. (डब्ल्यू) : अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वॉशिंगटन डी.सी.)।

क : मार्च 2004 से एसडीआर आवंटनों से संबंधित।

ग : इसमें इंडिया डेवलपमेंट बैंक (आई.डी.बी.), रिसर्वेट इंडिया बैंक (आई.डी.बी.), इंडिया मिलेनियम डेवलपमेंट बैंक (आईएमडी) तथा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बैंड (एफ सी सी बी) और 100 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेश ऋण निधियों द्वारा निवल निवेश भी शामिल है। मार्च अंत 1998 से इक्विटी में रूपांतरण को घटा कर एफ सी सी बी ऋण को समायोजित किया गया है।

घ : इन आंकड़ों में उपाजित व्याज शामिल है।

च : रूस से लिया गया एवं नियातों के माध्यम से भुगतान किया जाने वाला रुपया मूल्यवर्धित ऋण।

ज : यहां रियायती ऋण को परिभाषा में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण रियायती ऋणों तथा मद सं. VII के तहत रुपया ऋण के तहत शामिल है।

टिप्पणी : एन.आर.आई. जमा राशियों को जून 2005 को समाप्त तिमाही से एन.आर.आई. जमा राशियों के तहत शामिल किया गया है। 180 दिन तक के आपूर्तिकर्ता ऋण और अल्पावधिक लिखतों में एफ.आई.आई. निवेशों को मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से अल्पावधिक ऋण के तहत शामिल किया गया है। वाणिज्यिक बैंक के बोस्ट्रो शेप/नोस्ट्रो ओवर ड्राफ्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी कर्जा बैंकों/अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राजकोषीय ऋणों/प्रतिभूतियों में निवेश को मार्च, 2007 में समाप्त तिमाही से विदेशी ऋण में शामिल किया गया है।

त्व. : त्वरित अनुमान
एफ.आई.आई. : विदेशी संस्थागत निवेशक

इस योजना को जुलाई 1993 से बन्द कर दिया गया था।

छ : बैंकर स्वीकृति सुविधा के तहत विशेष अल्पावधिक ऋण शामिल है।

ख : इसमें 1996 से वित्तीय लीज शामिल है।

सारणी 9.1 : प्रमुख राज्यों के लिए मानव विकास के चुनिन्दा संकेतक

क्र० सं०	राज्य	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2006-10)			जन्म के समय जीवन 2012 (प्रति 1000 जीवित जन्म)			जन्म दर 2012 (प्रति 1000)	मृत्यु जन्म दर 2012 (प्रति 1000)
		पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़	जोड़	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आन्ध्र प्रदेश	63.5	68.2	65.8	40	43	41	17.5	7.4
2	असम	61.0	63.2	61.9	54	57	55	22.5	7.9
3	बिहार	65.5	66.2	65.8	42	45	43	27.7	6.6
4	गुजरात	64.9	69.0	66.8	36	39	38	21.1	6.6
5	हरियाणा	67.0	69.5	67.0	41	44	42	21.6	6.4
6	हिमाचल प्रदेश	67.7	72.4	70.0	35	38	36	16.2	6.7
7	जम्मू और कश्मीर	69.2	71.1	70.1	38	40	39	17.6	5.4
8	कर्नाटक	64.9	69.7	67.2	30	34	32	18.5	7.1
9	केरल	71.5	76.9	74.2	10	13	12	14.9	6.9
10	मध्य प्रदेश	61.1	63.8	62.4	54	59	56	26.6	8.1
11	महाराष्ट्र	67.9	71.9	69.9	24	26	25	16.6	6.3
12	उड़ीसा	62.2	63.9	63.0	52	54	53	19.9	8.5
13	पंजाब	67.4	71.6	69.3	27	29	28	15.9	6.8
14	राजस्थान	64.7	68.3	66.5	47	51	49	25.9	6.6
15	तमिलनाडु	67.1	70.9	68.9	21	22	21	15.7	7.4
16	उत्तर प्रदेश	61.8	63.7	62.7	52	55	53	27.4	7.7
17	पश्चिम बंगाल	67.4	71.0	69.0	31	33	32	16.1	6.3
	भारत	64.6	67.7	66.1	41	44	42	21.6	7.0

स्रोत : प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

सारणी 9.2 : कक्षा I-V, VI-VIII और I-VIII में कुल नामांकन अनुपात

विद्यार्थियों की समस्त श्रेणियां

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	कक्षा I-V (6-10 वर्ष)			कक्षा VI-VIII (11-13 वर्ष)			कक्षा I-VIII (6-13 वर्ष)		
		लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आन्ध्र प्रदेश	99.7	99.4	99.5	80.3	79.9	80.1	92.2	91.8	92.0
2	अरुणाचल प्रदेश	184.5	176.9	180.8	108.5	102.6	105.5	155.7	148.2	152.0
3	असम	93.1	95.6	94.3	67.2	68.7	67.9	83.0	85.1	84.0
4	बिहार	131.3	123.6	127.7	68.4	60.4	64.6	106.9	98.5	102.9
5	छत्तीसगढ़	125.6	120.0	122.8	90.2	84.7	87.5	112.2	106.6	109.4
6	गोआ	106.9	101.5	104.3	99.2	92.2	95.8	104.0	98.0	101.0
7	गुजरात	119.4	121.4	120.3	89.5	81.5	85.7	108.2	106.1	107.2
8	हरियाणा	90.6	100.2	94.9	82.3	84.8	83.5	87.5	94.2	90.5
9	हिमाचल प्रदेश	109.1	109.4	109.2	116.0	111.4	113.8	111.7	110.1	111.0
10	जम्मू और कश्मीर	108.3	111.7	109.9	96.6	92.6	94.7	103.9	104.5	104.2
11	झारखंड	145.9	148.5	147.1	81.7	81.0	81.3	120.6	121.5	121.0
12	कर्नाटक	105.2	104.1	104.7	92.2	89.1	90.7	100.2	98.3	99.3
13	केरल	91.4	91.5	91.4	106.5	101.3	103.9	97.1	95.2	96.2
14	मध्य प्रदेश	131.2	139.7	135.2	100.2	102.6	101.4	119.8	125.6	122.6
15	महाराष्ट्र	105.5	103.7	104.7	95.1	89.6	92.4	101.5	98.3	100.0
16	मणिपुर	195.7	188.4	192.1	108.5	100.8	104.6	158.7	151.1	155.0
17	मेघालय	193.7	196.3	195.0	85.9	96.2	91.0	150.8	156.3	153.6
18	मिजोरम	191.7	180.0	186.0	108.2	101.3	104.8	155.6	145.8	150.7
19	नगालैण्ड	103.7	102.8	103.3	59.4	60.7	60.0	85.4	85.4	85.4
20	उड़ीसा	118.7	120.1	119.4	83.3	80.7	82.0	105.0	104.6	104.8
21	पंजाब	83.3	85.5	84.3	82.0	79.4	80.8	82.8	83.1	83.0
22	राजस्थान	110.3	109.5	109.9	91.0	73.0	82.4	103.0	95.2	99.3
23	सिक्किम	176.4	172.6	174.5	77.4	94.3	85.8	131.0	137.1	134.1
24	तमिलनाडु	111.0	112.6	111.8	113.0	111.5	112.3	111.8	112.2	112.0
25	त्रिपुरा	134.9	133.3	134.1	92.2	91.5	91.9	116.0	114.7	115.4
26	उत्तर प्रदेश	123.8	130.4	126.9	84.1	75.5	79.9	109.3	109.6	109.5
27	उत्तराखंड	107.9	110.2	109.0	102.6	109.2	105.8	105.9	109.8	107.8
28	पश्चिम बंगाल	91.5	93.9	92.7	84.6	88.0	86.3	88.7	91.5	90.1
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	87.5	84.9	86.2	89.4	86.4	87.9	88.3	85.5	86.9
30	चण्डीगढ़	78.6	78.1	78.4	84.5	77.1	81.0	80.7	77.7	79.3
31	दादरा और नागर हवेली	104.3	107.0	105.6	100.7	100.5	100.6	103.1	104.9	103.9
32	दमन और दीव	76.5	82.6	79.3	72.4	81.3	76.4	75.1	82.2	78.2
33	दिल्ली	126.0	129.6	127.7	110.9	106.4	108.8	120.0	120.2	120.1
34	लक्षद्वीप	81.4	80.8	81.1	74.0	93.0	83.0	78.4	85.6	81.9
35	पुडुचेरी	104.8	102.3	103.6	106.8	99.7	103.2	105.6	101.2	103.4
	भारत	114.9	116.3	115.5	87.5	82.9	85.2	104.5	103.3	103.9

स्रोत: स्कूली शिक्षा की सांख्यिकी 2007-08, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

सारणी 9.3 : भारत में मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य / संघीय क्षेत्र	2010-11				2011-12 (अंतिम)		2010-11 (डिप्लोमा स्तर के संस्थान)			
		इंटरमीडिएट/ माध्यमिक स्कूल	उच्च/ माध्यमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों	विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान	तकनीकी शिक्षा	पीजीडीएम	नर्सिंग	अध्यापक प्रशिक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्ध्र प्रदेश	5143	18776	15421	66834	47	4814	183	41	246	129
2	अरुणाचल प्रदेश	118	191	920	1941	3	26	3	0	2	6
3	असम	1081	5482	14133	31202	9	485	20	3	17	22
4	बिहार	2217	2286	25587	42573	20	649	19	3	11	35
5	छत्तीसगढ़	2799	2029	15488	35274	17	530	25	12	12	47
6	गोआ	82	378	438	1254	2	49	6	1	2	1
7	गुजरात	3575	6269	42145	0	37	1805	73	18	45	357
8	हरियाणा	3436	3542	3483	13987	22	1055	197	24	42	59
9	हिमाचल प्रदेश	1727	1466	5084	11376	18	296	34	0	24	17
10	जम्मू और कश्मीर	889	2216	8877	15446	11	307	17	0	6	23
11	झारखंड	1118	4225	14863	26731	12	234	25	8	18	5
12	कर्नाटक	3644	13447	33126	26302	43	3281	281	30	520	1091
13	केरल	2223	1602	3059	6790	17	962	74	14	230	272
14	मध्य प्रदेश	5463	6658	96797	43662	33	2061	99	24	91	170
15	महाराष्ट्र	5019	16455	27654	49095	44	4603	1160	82	116	1282
16	मणिपुर	123	761	732	2435	3	79	3	0	6	8
17	मेघालय	125	676	2259	6627	10	61	2	1	7	10
18	मिजोरम	98	538	1353	1821	3	29	2	0	4	3
19	नगालैण्ड	69	337	465	1662	4	57	4	0	1	4
20	उड़ीसा	1293	7974	22649	54150	19	1089	122	8	40	85
21	पंजाब	2733	2924	3792	13950	19	973	104	4	153	29
22	राजस्थान	7616	14945	36788	47818	45	2652	175	21	157	199
23	सिक्किम	59	126	244	749	6	11	2	0	1	2
24	तमिलनाडु	3660	3112	9810	28218	59	2309	451	16	170	823
25	त्रिपुरा	336	504	1246	2307	3	39	3	0	3	4
26	उत्तर प्रदेश	9751	7893	53281	147376	58	4849	291	122	130	75
27	उत्तराखंड	1633	1143	4365	15660	20	395	68	5	9	17
28	पश्चिम बंगाल	4341	4454	2623	49908	26	899	85	20	52	79
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	53	46	67	212	उ.न.	6	2	0	1	1
30	चण्डीगढ़	68	65	23	24	3	27	1	1	0	3
31	दादरा और नागर हवेली	13	19	85	210	उ.न.	4	1	0	1	0
32	दमन और दीव	16	13	37	66	उ.न.	5	2	0	0	2
33	दिल्ली	1392	480	588	2563	25	184	42	38	15	18
34	लक्षद्वीप	12	3	10	23	उ.न.	0	0	0	0	0
35	पुडुचेरी	121	180	108	301	4	83	10	0	1	46
भारत		72046	131215	447600	748547	642	34908	3586	496	2133	4924

स्रोत : 1. स्कूली शिक्षा की सांख्यिकी 2010-11

2. उच्च और तकनीकी शिक्षा की सांख्यिकी 2011-12, मानव संसाधन मंत्रालय।

सारणी 9.4 : राज्य-वार साक्षरता दर (1951-2011)

		(प्रतिशत में)						
क्र.सं.	राज्य / संघीय क्षेत्र	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जम्मू और कश्मीर	उ.न.	12.9	21.7	30.6	उ.न.	55.5	67.2
2	हिमाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	63.9	76.5	82.8
3	पंजाब	उ.न.	उ.न.	34.1	43.4	58.5	69.7	75.8
4	चण्डीगढ़	उ.न.	उ.न.	70.4	74.8	77.8	81.9	86.0
5	उत्तराखंड	18.9	18.1	33.3	46.1	57.8	71.6	78.8
6	हरियाणा	उ.न.	उ.न.	25.7	37.1	55.9	67.9	75.6
7	दिल्ली	उ.न.	61.9	65.1	71.9	75.3	81.7	86.2
8	राजस्थान	8.5	18.1	22.6	30.1	38.6	60.4	66.1
9	उत्तर प्रदेश	12.0	20.9	24.0	32.7	40.7	56.3	67.7
10	बिहार	13.5	21.9	23.2	32.3	37.5	47.0	61.8
11	सिक्किम	उ.न.	उ.न.	17.7	34.1	56.9	68.8	81.4
12	अरुणाचल प्रदेश	उ.न.	7.1	11.3	25.6	41.6	54.3	65.4
13	नागालैण्ड	10.5	22.0	33.8	50.3	61.7	66.6	79.6
14	मणिपुर ^क	12.6	36.0	38.5	49.7	59.9	70.5	76.9
15	मिजोरम	31.1	44.0	53.8	59.9	82.3	88.8	91.3
16	त्रिपुरा	उ.न.	20.2	31.0	50.1	60.4	73.2	87.2
17	मेघालय	उ.न.	26.9	29.5	42.1	49.1	62.6	74.4
18	असम	18.5	32.9	33.9	उ.न.	52.9	63.3	72.2
19	पश्चिम बंगाल	24.6	34.5	38.9	48.7	57.7	68.6	76.3
20	झारखण्ड	12.9	21.1	23.9	35.0	41.4	53.6	66.4
21	उड़ीसा	15.8	21.7	26.2	33.6	49.1	63.1	72.9
22	छत्तीसगढ़	9.4	18.1	24.1	32.6	42.9	64.7	70.3
23	मध्य प्रदेश	13.2	21.4	27.3	38.6	44.7	63.7	69.3
24	गुजरात	21.8	31.5	37.0	44.9	61.3	69.1	78.0
25	दमन और दीव	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	71.2	78.2	87.1
26	दादरा और नागर हवेली	उ.न.	उ.न.	18.1	32.9	40.7	57.6	76.2
27	महाराष्ट्र	27.9	35.1	45.8	57.2	64.9	76.9	82.3
28	आंध्र प्रदेश	उ.न.	21.2	24.6	35.7	44.1	60.5	67.0
29	कर्नाटक	उ.न.	29.8	36.8	46.2	56.0	66.6	75.4
30	गोआ	23.5	35.4	52.0	65.7	75.5	82.0	88.7
31	लक्षदीप	15.2	27.2	51.8	68.4	81.8	86.7	91.8
32	केरल	47.2	55.1	69.8	78.9	89.8	90.9	94.0
33	तमिलनाडु	उ.न.	36.4	45.4	54.4	62.7	73.5	80.1
33	पुडुचेरी	उ.न.	43.7	53.4	65.1	74.7	81.2	85.8
35	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30.3	40.1	51.2	63.2	73.0	81.3	86.6
अखिल भारत ^क		18.3	28.3	34.5	43.6	52.2	64.8	73.0

स्रोत : भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

^क अखिल भारत और मणिपुर के आंकड़ों में मणिपुर के तीन उप-मंडल अर्थात् मणिपुर के सेनापति जिले के माओ मराम, पाओमाता और पुरल शामिल नहीं हैं क्योंकि इन तीन उप-मंडलों में तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से 2001 के जनगणना के परिणाम निरस्त कर दिए गए थे।

टिप्पणी : 1. 1951, 1961 तथा 1971 की जनगणना के लिए साक्षरता दरें पांच वर्ष तथा इससे अधिक उम्र की जनसंख्या से संबंधित हैं। 1981, 1991 तथा 2001 की जनगणना के लिए साक्षरता दरें सात वर्ष तथा इससे अधिक की जनसंख्या से संबंधित हैं। पश्चिम बंगाल के मामले में 1951 की जनगणना के लिए साक्षरता दर 0-4 आयु वर्ग सहित कुल जनसंख्या से संबंधित है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा मणिपुर संबंधी 1951 की साक्षरता दर नमूना जनसंख्या पर आधारित है।

2. उ.न. : उपलब्ध नहीं।

सारणी 9.5 : राज्य-वार शिशु मृत्यु दर

क्र. सं.	राज्य/संघीय क्षेत्र	2010			2011			2012		
		पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आन्ध्र प्रदेश	44	47	46	40	46	43	40	43	41
2	अरुणाचल प्रदेश	31	32	31	33	31	32	32	35	33
3	असम	56	60	58	55	56	55	54	57	55
4	बिहार	46	50	48	44	45	44	42	45	43
5	छत्तीसगढ़	48	54	51	47	50	48	46	47	47
6	गुजरात	41	47	44	39	42	41	36	39	38
7	हरियाणा	46	49	48	41	48	44	41	44	42
8	हिमाचल प्रदेश	35	47	40	36	39	38	35	38	36
9	जम्मू और कश्मीर	41	45	43	40	41	41	38	40	39
10	झारखंड	41	44	42	36	43	39	36	39	38
11	कर्नाटक	37	39	38	34	35	35	30	34	32
12	केरल	13	14	13	11	13	12	10	13	12
13	मध्य प्रदेश	62	63	62	57	62	59	54	59	56
14	महाराष्ट्र	27	29	28	24	25	25	24	26	25
15	मणिपुर	11	16	14	8	15	11	10	11	10
16	मेघालय	55	56	55	52	52	52	48	50	49
17	मिजोरम	36	39	37	31	37	34	33	37	35
18	नागालैण्ड	19	28	23	15	26	21	15	22	18
19	उड़ीसा	60	61	61	55	58	57	52	54	53
20	पंजाब	33	35	34	28	33	30	27	29	28
21	राजस्थान	52	57	55	50	53	52	47	51	49
22	सिक्किम	28	32	30	23	30	26	22	27	24
23	तमिलनाडु	23	24	24	21	23	22	21	22	21
24	त्रिपुरा	25	29	27	29	29	29	26	29	28
25	उत्तर प्रदेश	58	63	61	55	59	57	52	55	53
26	उत्तराखंड	37	39	38	34	38	36	33	35	34
27	पश्चिम बंगाल	29	32	31	30	34	32	31	33	32
28	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24	27	25	19	27	23	18	31	24
29	चण्डीगढ़	20	25	22	21	19	20	19	22	20
30	दादरा और नागर हवेली	36	40	38	35	36	35	31	35	33
31	दमन व दीव	22	23	23	17	27	22	20	25	22
32	दिल्ली	29	31	30	25	31	28	24	26	25
33	गोआ	6	15	10	7	14	11	8	12	10
34	लक्षद्वीप	21	29	25	27	20	24	23	25	24
35	पुडुचेरी	22	22	22	17	20	19	15	18	17
अखिल भारत		46	49	47	43	46	44	41	44	42

स्रोत : प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

टिप्पणी : 2010, 2011 और 2012 के लिए छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शिशु मृत्यु दर 2008-10, 2009-11 और 2010-12 की तीन वर्ष की अवधि पर आधारित है।

सारणी 9.6 : परिवारों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य / संरा ⁰ क्षेत्र	1991			2001			2011		
		जोड़	ग्रामीण	शहरी	जोड़	ग्रामीण	शहरी	जोड़	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जम्मू और कश्मीर	na	na	na	65.2	54.9	95.7	76.8	70.1	96.1
2	हिमाचल प्रदेश	77.3	75.5	91.9	88.6	87.5	97.0	93.7	93.2	97.8
3	पंजाब	92.7	92.1	94.2	97.6	96.9	98.9	97.6	96.7	98.9
4	चण्डीगढ़	97.7	98.1	97.7	99.8	99.9	99.8	99.3	98.7	99.4
5	उत्तराखंड	क	क	क	86.7	83.0	97.8	92.2	89.5	98.7
6	हरियाणा	74.3	67.1	93.2	86.1	81.1	97.3	93.8	92.0	96.7
7	दिल्ली	95.8	91.0	96.2	97.2	90.1	97.7	95.0	87.9	95.2
8	राजस्थान	59.0	50.6	86.5	68.2	60.4	93.5	78.1	72.8	94.3
9	उत्तर प्रदेश	62.2	56.6	85.8	87.8	85.5	97.2	95.1	94.3	97.9
10	बिहार	58.8	56.5	73.4	86.6	86.1	91.2	94.0	93.9	94.7
11	सिक्किम	73.1	70.8	92.8	70.7	67.0	97.1	85.3	82.7	92.2
12	अरुणाचल प्रदेश	70.0	66.9	88.2	77.5	73.7	90.7	78.6	74.3	91.3
13	नागालैण्ड	53.4	55.6	45.5	46.5	47.5	42.3	53.8	54.6	51.8
14	मणिपुर ^क	38.7	33.7	52.1	37.0	29.3	59.4	45.4	37.5	60.8
15	मिजोरम	16.2	12.9	19.9	36.0	23.8	47.8	60.4	43.4	75.8
16	त्रिपुरा	37.2	30.6	71.1	52.5	45.0	85.8	67.5	58.1	91.9
17	मेघालय	36.2	26.8	75.4	39.0	29.5	73.5	44.7	35.1	79.5
18	असम	45.9	43.3	64.1	58.8	56.8	70.4	69.9	68.3	78.2
19	पश्चिम बंगाल	82.0	80.3	86.2	88.5	87.0	92.3	92.2	91.4	93.9
20	झारखण्ड	क	क	क	42.6	35.5	68.2	60.1	54.3	78.4
21	उड़ीसा	39.1	35.3	62.8	64.2	62.9	72.3	75.3	74.4	79.8
22	छत्तीसगढ़	क	क	क	70.5	66.2	88.8	86.3	84.1	93.9
23	मध्य प्रदेश	53.4	45.6	79.4	68.4	61.5	88.6	78.0	73.1	92.1
24	गुजरात	69.8	60.0	87.2	84.1	76.9	95.4	90.3	84.9	97.0
25	दमन और दीव	71.4	56.9	86.8	96.3	94.9	98.9	98.7	97.8	99.0
26	दादरा और नागर हवेली	45.6	41.2	91.0	77.0	70.5	96.1	91.6	84.3	98.4
27	महाराष्ट्र	68.5	54.0	90.5	79.8	68.4	95.4	83.4	73.2	95.7
28	आंध्र प्रदेश	55.1	49.0	73.8	80.1	76.9	90.2	90.5	88.6	94.5
29	कर्नाटक	71.7	67.3	81.4	84.6	80.5	92.1	87.5	84.4	92.3
30	गोआ	43.4	30.5	61.7	70.1	58.3	82.1	85.7	78.4	90.4
31	लक्षदीप	11.9	3.4	18.8	4.6	4.6	4.6	22.8	31.2	20.2
32	केरल	18.9	12.2	38.7	23.4	16.9	42.8	33.5	28.3	39.4
33	तमिलनाडु	67.4	64.3	74.2	85.6	85.3	85.9	92.5	92.2	92.9
34	पुडुचेरी	88.8	92.9	86.1	95.9	96.6	95.5	97.8	99.6	97.0
35	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	67.9	59.4	90.9	76.7	66.8	97.8	85.5	78.2	98.1
	अखिल भारत ^क	62.3	55.5	81.4	77.9	73.2	90.0	85.5	82.7	91.4

स्रोत : भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

^क : 2001 में गठित। 1981 तथा 1991 के लिए उत्तराखंड, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ को क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया है।

उ.न. : उपलब्ध नहीं क्योंकि 1981 के दौरान असम में तथा 1991 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में कोई जनगणना नहीं हुई।

सारणी 9.7 : भारत की जनसंख्या (1951-2011)

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	60274	70144	83849	105137	132062	166198	199812
2	महाराष्ट्र	32003	39554	50412	62783	78937	96879	112374
3	बिहार	29085	34841	42126	52303	64531	82999	104099
4	पश्चिम बंगाल	26300	34926	44312	54581	68078	80176	91276
5	आन्ध्र प्रदेश	31115	35983	43503	53551	66508	76210	84581
6	तमिलनाडु	30119	33687	41199	48408	55859	62406	72147
7	मध्य प्रदेश	18615	23218	30017	38169	48566	60348	72627
8	राजस्थान	15971	20156	25766	34262	44006	56507	68548
9	कर्नाटक	19402	23587	29299	37136	44977	52851	61095
10	गुजरात	16263	20633	26697	34086	41310	50671	60440
11	उड़ीसा	14646	17549	21945	26370	31660	36805	41974
12	केरल	13549	16904	21347	25454	29099	31841	33406
13	झारखंड	9697	11606	14227	17612	21844	26946	32988
14	असम ^क	8029	10837	14625	18041	22414	26656	31206
15	पंजाब	9161	11135	13551	16789	20282	24359	27743
16	हरियाणा	5674	7591	10036	12922	16464	21145	25351
17	छत्तीसगढ़	7457	9154	11637	14010	17615	20834	25545
18	दिल्ली	1744	2659	4066	6220	9421	13851	16788
19	जम्मू और कश्मीर ^ख	3254	3561	4617	5987	7837	10144	12541
20	उत्तराखंड	2946	3611	4493	5726	7051	8489	10086
21	हिमाचल प्रदेश	2386	2812	3460	4281	5171	6078	6865
22	त्रिपुरा	639	1142	1556	2053	2757	3199	3674
23	मेघालय	606	769	1012	1336	1775	2319	2967
24	मणिपुर ^ग	578	780	1073	1421	1837	2294	2856
25	नागालैण्ड	213	369	516	775	1210	1990	1979
26	गोआ	547	590	795	1008	1170	1348	1459
27	अरुणाचल प्रदेश ^घ	na	337	468	632	865	1098	1384
28	पुडुचेरी	317	369	472	604	808	974	1248
29	चण्डीगढ़	24	120	257	452	642	901	1055
30	मिजोरम	196	266	332	494	690	889	1097
31	सिक्किम	138	162	210	316	406	541	611
32	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	31	64	115	189	281	356	381
33	दादरा और नागर हवेली	42	58	74	104	138	220	344
34	दमन और दीव	49	37	63	79	102	158	243
35	लक्षद्वीप	21	24	32	40	52	61	64
अखिल भारत ^ग		361088	439235	548160	683329	846421	1028737	1210855

स्रोत : भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

^क वर्ष 1981 की जनगणना असम में नहीं की जा सकी। वर्ष 1981 की कुल जनसंख्या का हिसाब आन्तर-गणन द्वारा निकाला गया है।

^ख वर्ष 1991 की जनगणना जम्मू एवं कश्मीर में नहीं की जा सकी। वर्ष 1991 की जनसंख्या का हिसाब आन्तर-गणन द्वारा निकाला गया।

^ग भारत और मणिपुर के आंकड़ों में मणिपुर के सेनापति जिले के तीन उपमंडलों अर्थात् माओ मारम, पाओ माता और पुरूल की अनुमानित जनसंख्या शामिल की गई है क्योंकि इन तीन उपमंडलों के 2001 के जनगणना परिणाम तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से रद्द किए गए थे।

^घ वर्ष 1961 में पहली बार जनगणना की गई।